UGC-CARE List-Social Sciences ISSN 0974-0074

# राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

**National Peer Reviewed Journal of Social Sciences**

वर्ष 26 अंक 1

जनवरी–जून, 2024

**समाज विज्ञान विकास संस्थान**

बरेली (उ.प्र.)

## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| 1. | **भारत में खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों का समाजशास्त्र**<br>प्रोफेसर भगवान सिंह बिष्ट | 1–10 |
| 2. | **सतत ग्रामीण पर्यटन विकास में होमस्टे की भूमिका : उत्तरकाशी के बार्सू गांव के विशेष संदर्भ में**<br>देवेन्द्र सिंह<br>डॉ. एम. एम. सेमवाल | 11–18 |
| 3. | **मध्यकालीन भारत में सराय : साहित्यिक स्त्रोतों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन**<br>नवनीत | 19–28 |
| 4. | **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण : भारत में वित्तीय समावेशन का बदलता परिदृश्य**<br>विन्द्रसेन<br>डॉ. विभूति नारायण | 29–37 |
| 5. | **वीर नारियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन**<br>सुश्री सीमा अवनीश बिष्ट | 38–47 |
| 6. | **उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन**<br>सुश्री रेखा रानी<br>डॉ. सपना वर्मा | 48–57 |
| 7. | **शुँग कालीन शिरोभूषण : पुरूषों के संदर्भ में**<br>सुश्री वन्दना रावत<br>डॉ. दीपा गुप्ता | 58–65 |
| 8. | **प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जड़ें: एक अध्ययन**<br>डॉ. संजय कुमार | 66–75 |
| 9. | **रूस-यूक्रेन युद्ध का मध्य एशिया और भारत पर प्रभाव : एक बहुआयामी अध्ययन**<br>करम सिंह<br>डॉ. जगमीत बाबा | 76–84 |
| 10. | **भारत के सामाजिक राजनीतिक जागरण में प्रेस का योगदान - एक अध्ययन**<br>डॉ. सीमा पाल | 85–91 |
| 11. | **महिलाओं की सामाजिक एवं वित्तीय उन्नति में मनरेगा का योगदान**<br>सुश्री नेहा गुप्ता<br>डॉ. रतन लाल | 92–100 |
| 12. | **नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं की दोहरी भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण**<br>डॉ. पुष्पा भट्ट | 101–108 |
| 13. | **राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी : उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**<br>सुश्री अवंतिका अंबेडकर<br>डॉ प्रतिभा राज | 109–115 |
| 14. | **मनरेगा योजना का अनुसूचित जाति के श्रमिकों पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**<br>सुश्री उपमा द्विवेदी<br>डॉ. प्रियंका एन रुवाली | 116–122 |
| 15. | **भारत-चीन सीमा संघर्ष : मुद्दे और समाधान**<br>डॉ. इंद्र कुमार | 123–127 |

16. **पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व एवं उनकी राजनीतिक क्षमता का अध्ययन** 128–134
सुश्री राखी रावत
डॉ बृजेश कुमार जोशी
17. **जल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** 135–142
बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव
18. **संकल्प से क्रांति तक 1930–1934 की भारतीय अवज्ञा आंदोलन की उत्पत्ति और प्रभाव** 143–148
डॉ. सहिदुज्जामान खान
19. **प्रथम विश्व युद्ध व हरियाणा में शिक्षा का प्रसार** 149–153
सुश्री प्रसून
20. **गुप्त कालीन स्त्री शिक्षा** 154–159
डॉ. दीपक कुमार
21. **गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय का समाजशास्त्रीय अध्ययन** 160–166
डॉ निरुपोमा करदोंग
सुश्री रुचिका ठाकुर
22. **आदिवासी महिलाओं का 'स्व' संघर्ष (मावानाटे मावाराज) का ऐतिहासिक अध्ययन** 167–174
डॉ.बन्सो नुरूटी
23. **पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव** 175–182
दुर्गा प्रसाद
डॉ. प्रियंका सिंह
24. **भारत की "पंचामृत" विदेश नीतिः दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में** 183–189
विभवचन्द्र शर्मा
डॉ. विमल कुमार कश्यप
25. **पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन** 190–195
हरदीप सिंह
डॉ. जगसीर सिंह

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# भारत में खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों का समाजशास्त्र

## (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

❑ प्रोफेसर भगवान सिंह बिष्ट

खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियाँ विविधतापूर्ण भारतीय समाज का अभिन्न अंग हैं। भारतीय समाज के एक काल खण्ड में जीवन शैली के अनुरूप तत्कालीन व्यवस्था में इन समुदायों में से कुछ को खानाबदोश एवं कुछ समुदायों को अपराधिक जनजाति के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। सम्बोधन की ये 'शब्द संज्ञाऐं' अपने साथ एक भाव को भी अभिव्यक्त करती हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित समुदायों के प्रति नागरिक समाज की हेय एवं उपेक्षापूर्ण असम्मानजनक दृष्टिकोण का पर्याय बन गयीं। कालान्तर में व्यवस्था बदलने के साथ-साथ इन समुदायों को उनकी इस हेयपूर्ण दागनुमा छवि से मुक्त करने के लिए आवश्यक सकारात्मक सामाजिक एवं वैधानिक प्रयास किए गए। फलस्वरूप इन समुदायों की मूल प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन भी घटित हुए लेकिन उनके प्रति जनमानस के दृष्टिकोण एवं सम्बोध-शब्द संज्ञाओं में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। खानाबदोश एवं विमुक्त जनजाति कौन? यह आज के परिप्रेक्ष्य में एक अकादमिक विमर्श का विषय है। हमें उन सूचकों को गढ़ने और तद्नुरूप समुदाय विशेष की पहचान को खानाबदोश/अपराधिक/विमुक्त जनजाति के रूप में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस प्रसंग में प्रस्तुत लेख अनुभवाश्रित शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों के समाजशास्त्र का उनकी पारिस्थितिकीय पृष्ठभूमि, जनांकिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर तथ्ययुक्त वर्णनात्मक उल्लेख करता है।

**सूचक शब्द :** खानाबदोश जनजाति, अपराधिक जनजाति, विमुक्त जनजाति, समाजशास्त्र।

**भारतीय** समाज एवं सांस्कृतिक संरचना की एक अभिन्न निर्मायक इकाई के रूप में 'खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों' की अपनी एक निश्चित प्रस्थिति रही है। अपनी स्थिति के सापेक्ष अपेक्षित भूमिका के रूप में इन समुदायों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों एवं व्यवहार प्रतिमानों को भारतीय समाज एवं संस्कृति की समग्रता के आलोक में अनुभव एवं समय-समय पर घटित होने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में अवलोकित भी किया जा सकता है। अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता के कारण ये समुदाय सदा से समाज वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय रहे हैं। विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करते हुए इन्हें एक पहचान दिए जाने का प्रयास होता रहा है।

**भारत सरकार** द्वारा गठित 'नेशनल कमीशन फार, डिनोटीफाइड, नोमेडिक एण्ड सेमी-नोमेडिक ट्राइब्स' (मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमैण्ट) द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट सूची के अनुसार भारत के 26 राज्यों एवं 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में खानाबदोश, अर्द्ध-खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों के कुल 1548 समुदायों के होने का उल्लेख किया गया है। रेनके कमीशन द्वारा तैयार की गयी इस ड्राफ्ट लिस्ट में बाद में राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में रहने वाले कुछ अतिरिक्त समुदायों के नामों को भी सम्बन्धित राज्य की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कमीशन द्वारा चिन्हित कुल 1548 समुदायों में 954 (61.63 प्रतिशत) खानाबदोश, 101 (6.54 प्रतिशत) अर्द्ध-खानाबदोश एवं 493 (31.84 प्रतिशत) विमुक्त जनजातीय समुदाय सम्मिलित हैं। इन समुदायों की अपनी एक सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता है। सामाजिक संगठन के भिन्न-भिन्न स्वरूप, जीवनशैली, जीवन निर्वाह के भिन्न-भिन्न साधन, स्त्रोत एवं तरीके, कार्य-व्यवहार के प्रतिमान, प्रथा-परम्परायें, सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति आदि, कुल मिलाकर इन समुदायों को क्रमशः एक संरचनात्मक स्वरूप एवं व्यवस्थात्मक गत्यात्मकता प्रदान करते हैं।

**प्रस्तुत लेख** भारत की खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों के समाजशास्त्र को एक अनुभवाश्रित शोध अध्ययन से

❑ पूर्व विभागाध्यक्ष/डीन, समाजशास्त्र विभाग/कला संकाय, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, पूर्व विभागाध्यक्ष-एच.आर.पी.एम., सी.ए. वी.एम., जी.बी. पन्त यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रील्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर, संस्थापक अध्यक्ष, समाजशास्त्र परिषद, उत्तराखण्ड।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है। 'समाजशास्त्र' जो कि अपने आप में एक विशुद्ध वैज्ञानिक विधा है, एक ओर अपनी विषय-वस्तु की कार्य-कारण सम्बन्धों के विश्लेषण के आधार पर वैषयिक व्याख्या करता है, और दूसरी ओर एक सामान्य समाज विज्ञान के रूप में सामाजिक घटनाओं के सामान्य घटकों एवं स्वरूपों का अध्ययन करता है। इस प्रतिज्ञप्ति के आलोक में प्रस्तुत लेख खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों-विशेष रूप में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में निवासित कुल 116 खानाबदोश एवं 59 विमुक्त जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर किए गए अनुभवाश्रित शोध से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है।

**लेख का मुख्य** उद्देश्य 'खानाबदोश' और 'विमुक्त जनजातियों' का समाजशास्त्रीय विवेचन करना है। लेख में प्रयुक्त प्रमुख अवधारणात्मक प्रत्ययों; खानाबदोश जनजाति, अपराधिक जनजाति, विमुक्त जनजाति एवं समाजशास्त्र को, साहित्य सर्वेक्षण से पूर्व परिभाषित करना और प्रस्तुत लेख में उनके निहितार्थ एवं क्षेत्र को स्पष्ट करना विषय वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक है। वस्तुतः एक शोधार्थी एवं समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में यह प्रश्न पैदा होना कि खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियाँ कौन? कहाँ से? क्यों? कब और कैसे? आदि जिज्ञासाशील मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे सम्यक एवं तर्कसंगत रूप में अनुभवाश्रित अध्ययनों से ही परिभाषित किया जा सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में 'खानाबदोश' एवं 'विमुक्त जनजातियों' को एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर एवं स्थापित सूचकों के आधार पर परिभाषित करना और चिन्हित करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। सामान्यतया वे मानव समूह जो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किन्हीं निश्चित निवास-स्थानों में नियमित रूप से आते-जाते रहते हैं, खानाबदोश अर्थात घुमन्तू कहलाते हैं। लेकिन ये कहाँ से आये? क्यों आये, कब जायेंगे, ये किस प्रकार अपना जीवन अस्तित्व बनाए हुए हैं? ये कौन हैं? जिन्हें हम आज घुमन्तू और विमुक्त जनजाति कह रहे हैं, क्या वास्तव में ये वही हैं जो नाम हम उन्हें दे रहे हैं? प्रमाणिक तथ्यों के साथ इन प्रश्नों का उत्तर अकादमिक क्षेत्र में वाद-विवाद और अनुसंधान का विषय है, तथापि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर घुमन्तू अर्थात् Nomad शब्द की जड़े, जैसा कि अन्थनी सट्टिन[1] ने अपनी पुस्तक में लिखा है, "मानव इतिहास के विकास की अति प्रारम्भिक अवस्था में 'इण्डो-यूरोपियन' शब्द 'Nomos' से जुड़ी हैं, जिसके विविध अर्थ, जैसे की एक निश्चित एवं परिसीमित क्षेत्र, एवं 'चरागाह' आदि लगाये जाते हैं। इस 'मूल शब्द' से 'Nomas' की उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ चलायमान चरवाहा जनजाति के एक सदस्य से या किसी एक ऐसे व्यक्ति से लगाया गया जो चरागाहों की तलाश में हो, और एक ऐसे स्थान से भी जहाँ उन्हें अपने पालतू पशु समूह को चराने के वैधानिक अधिकार प्राप्त हों। कालान्तर में शहरों और नगरों के बसने के बाद अधिक से अधिक लोग अधिवासित होते गये, और Nomad (घुमन्तू) शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाने लगा जो बिना दीवारों और चारदिवारी की सीमाओं के बाहर खुले में रह रहे थे। आज Nomad (घुमन्तू) का प्रयोग प्रायः व्यर्थ में इधर-उधर घूमने वाले घुम्मकड़ों (Drifters), प्रवासियों (Migrants), आवारा (Vagrants) लोगों से लगाया जाता है, जो बिना किसी स्थायी निवास के सदा गतिमान रहते हैं।" इससे भिन्न एक धारणा यह भी है कि, "खानाबदोश बिना निश्चित निवास वाले समुदाय हैं जो नियमित रूप से क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। ऐसे समूहों में शिकारी, संग्रहकर्त्ता, देहाती खानाबदोश (पशुधन के मालिक) टिंकर और व्यापारी खानाबदोश सम्मिलित हैं।"[2] परिभाषाओं की परिधि से परे प्रस्तुत अध्ययन में उन्हीं घूमन्तू अथवा खानाबदोश जनजातीय समुदायों को सम्मिलित किया गया है जिनका उल्लेख रेनके आयोग' की ड्राफ्ट लिस्ट में खानाबदोश जनजातियों के नाम से किया गया है।

**खानाबदोश जनजातियों** से भिन्न, भारत में, कुछ ऐसे मानव समूह हैं, जिनकी अपराधिक प्रवृति जानी पहचानी है, इसलिए उन्हें अपराधिक जनजाति की उपाधि दे दी गयी।[3] ब्रिटिश शासनकाल में इस प्रकार के मानव समूहों को अपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के द्वारा विधिवत अपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया, और "विमुक्त जनजातियाँ (De-notified Tribes) भी भारत की वही जनजातियां हैं, जिन्हें मूल रूप में 1871 के अपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। 1871 में इस अधिनियम को मुख्यतया उत्तर भारत में लागू किया गया और 1911 में अद्यतन करते हुए मद्रास प्रेसीडेंसी को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। अगले दशक में इस अधिनियम

में कई संशोधन हुए और अंततः 1924 के संस्करण में सभी अपराधिक जनजातियों को सम्मिलित कर लिया गया। अपराधिक जनजाति अधिनियम 1924 को अगस्त 1949 में निरस्त कर दिया गया और पूर्व ''आपराधिक जनजातियों'' को 1952 में विमुक्त कर दिया गया था।''[4] आशय यह है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की कुछ जनजातियों को प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी कारणों से कानूनों की एक लम्बी प्रक्रिया के अन्तर्गत 1871 के अपराधिक जनजाति अधिनियम द्वारा 'अपराधिक जनजाति' घोषित किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में अपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया से समाप्त करते हुए सम्बन्धित जनजातियों को विमुक्त जनजाति (De-notified tribes) घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के बाद जो भी जनजाति अपराधिक जनजाति के रूप में घोषित की गयी थी, को पूरे देश में अधिवासित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में 'नेशनल कमीशन फॉर डिनोटी-फाइड, नॉमेडिक एवं सेमी-नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ इण्डिया-मिन्स्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेण्ट' को राज्य-वार विमुक्त, खानाबदोश एवं अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों की सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। आयोग द्वारा इस प्रकार पहले के आयोगों की रिपोर्ट, मुख्यतया रेनके कमीशन 2008 में उपलब्ध सूचनाओं सहित मार्च 2016 में राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित अद्यतन सूचनाओं के साथ 'डिनोटीफाइड, नॉमेडिक एवं सेमी-नॉमेडिक' ट्राइब्स' की ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गयी। इस 'ड्राफ्ट लिस्ट' के अनुसार भारत के लगभग सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इन जनजातियों की अच्छी खासी जनसंख्या के अधिवास का पता चलता है। भारत सरकार द्वारा इन जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्ययुक्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में इन समुदायों पर 'प्रायोजित शोध परियोजनाओं' के माध्यम से अध्ययन कार्य कराए गए। 'प्रायोजित शोध परियोजना' के आधार पर किए गये अध्ययनों के अतिरिक्त, खानाबदोश व अपराधिक जनजातियों और स्वतंत्रोत्तर भारत में विमुक्त जनजातियों पर समाज वैज्ञानिकों द्वारा भी स्वतंत्र रूप में शोध कार्य किये गये। समाज वैज्ञानिकों की इस श्रृंखला में कपाड़िया[5] को भारत में अपराधिक जनजातियों के अध्येयताओं में अग्रणी माना जाता है। कपाड़ियां द्वारा किए गए अध्ययन को ख्याति प्राप्त शोध पत्रिका 'सोसियालाजीकल बुलेटिन' में प्रकाशित किया गया। गाँधी[6] द्वारा लिखित पुस्तक, 'डिनॉटीफाइड ट्राइब्स-डायमेन्सन्स आफ चेंज', जो कि आन्ध्रप्रदेश की दसारिस, डोमरा नकेल्स, सुगाली, वाडरस, यूरूकुला, यांड़ी आदि जनजातियों पर किए गये अध्ययनों पर आधारित है, में विमुक्त जनजातियों की वर्तमान वस्तुस्थिति का विवेचन किया गया है। गाँधी[7] ने आन्ध्र प्रदेश की विमुक्त जनजातियों पर किये गये अध्ययनों के आधार पर मद्रास प्रेसीडैन्सी में व्याप्त असुरक्षित दशाओं, राजस्व की बेतहाशा लूटपाट वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक कुप्रबन्धन जो सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता और लोगों की परेशानियों का कारण बना, जमीदारों द्वारा फैलायी गयी अव्यवस्था, प्रतिकूल मानसून के कारण बार-बार घटित सूखे एवं अकाल जैसी स्थितियों एवं राज्य में व्याप्त खराब कानून व्यवस्था को अपराधिक जनजातियों द्वारा किये जाने वाले अपराधिक लूटपाट के लिए उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक कारकों के रूप में माना है। गाँधी[8] ने पुनः विचार व्यक्त किया है कि भारत की कुछ जनजातियों पर अपराधिक जनजाति होने की 'चिप्पी' चिपकी हुई है, जिस कारण ये समुदाय सामाजिक भेदभाव की शिकार हुयी हैं और वे अपने आपको जन्म से ही अपराध बोध से ग्रसित अनुभव करती हैं, इसलिए नहीं कि वे गरीब हैं या दलित हैं, बल्कि उस सामान्य दृष्टिकोण से जो कि सार्वजनिक जीवन में समाज एवं संस्थाओं द्वारा इन समुदायों के प्रति प्रदर्शित किया जाता है। इसी कड़ी में गाँधी एवं कोमपाली[9] द्वारा प्रकाशित पुस्तक, 'डिनोटीफाइड ट्राइब्स ऑफ इण्डिया-डिस्क्रीमिनेशन, डिवलपमेण्ट एण्ड चेंज' में औपनिवेशिक एवं उत्तर-औपनिवेशिक भारत में उनकी दशा को वर्णित किया गया है ताकि नीति निर्धारण के समय उन समुदायों को ध्यान में रखा जा सके। बी.पी. सिंह[10] ने सात विमुक्त जनजातियों; बोरिया, बाजीगर, बनजारा, बंगाली, बराड़, गंधिला, नट एवं सांसी, जिन्हें बिट्रिश शासन काल में अपराधिक जनजाति के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया था की नृजाति सम्बन्धी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से अध्ययन कार्य किया है। भार्गव[11] ने उत्तर भारत की प्रमुख अपराधिक जनजातियों एवं जातियों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया ताकि उनकी

स्थिति को तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त जेम्स आल्टर[12], वाल्टर हीड[13], एन. कनेडी[14], जी.पी. भराल[15], जसपाल सिंह[16], ललिथा[17,18], हेमलथा लवाना[19], आर.ई. शास्त्री[20], सीमाद्री[21], अम्बुज कुमार[22], विजय कोड़ा[23], घनश्याम शाह एवं जोजफ बरा[24], टण्डन[25] आदि ने भारत की विमुक्त, खानाबदोश एवं अपराधिक जनजातियों के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

**साहित्य सर्वेक्षण** से ज्ञात होता है कि उत्तरी भारत के राज्यों मुख्य रूप में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में आवासित विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियों पर अध्ययन की आवश्यकता है, यही कारण रहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए मानवसंसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम 'भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद' नई दिल्ली द्वारा 'प्रायोजित शोध परियोजना' के माध्यम से यह अध्ययन कार्य सम्पन्न कराया गया। प्रस्तुत लेख इसी शोध परियोजना के माध्यम से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इस शोध पत्र में खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों के समाजशास्त्र को उनकी पारिस्थितिकीय पृष्ठभूमि, जनांकिकी, शिक्षा-स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति के तथ्ययुक्त वर्णनात्मक उल्लेख तक ही सीमित रखा गया है।

**यहाँ यह** उल्लेख करना समीचीन होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम 'भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत 'स्पोन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट', ''सोसियो-ईकानामिक स्टेटस ऑफ डि-नोटीफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स इन इण्डिया- विद स्पेशल रिफ्रेन्स टू जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एण्ड उत्तर प्रदेश'' के अन्तर्गत लेखक द्वारा अनुभवाश्रित शोध कार्य सम्पन्न किया गया। इस शोध का अध्ययन क्षेत्र उक्त वर्णित चारों राज्यों का वह जनजातीय क्षेत्र रहा है, जहाँ पर खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियाँ निवास करती हैं, और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुल 175 खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियां इस शोध का अध्ययन समग्र रही हैं। अध्ययन समग्र में से कुल 70 खानाबदोश जनजातियों एवं 12 विमुक्त जनजातियों को अध्ययन हेतु चुना गया है। खानाबदोश जनजातियों में क्रमशः बकरवाल, बेदा, ब्रोकपा, चांगपा, गद्दी, गुज्जर, कुलफकीर, मौन, पोहुल एवं सिप्पी (कुल 11) जम्मूकश्मीर से, बंगाली, बरार, डुमना, गद्दी, गुज्जर, हेसी, जोगी, कहार, किनौरा, लबाना एवं नलबंद (11) हिमाचल प्रदेश से, वादी, बहेलिया, बंगाली, बेलदार, भुइयां, दुसाद, कंजर, कपाडिया, मुसहर, नट, राजी एवं सांसिया (कुल 12) उत्तराखण्ड से, बदक, बंजारा, भांतू, भर, भाट, चमार/मंगता, दलेश, कंहार, दार्गी, डोम, गुसांई, गुज्जर, हबूरा, जोगी/फकीर, कंजर, कपारिया, केवट/मल्लाह, खटीक, लोध, मेवाती, मुसर, नट, पलवरदुसाद, पासी, सपेरा/मदारी, सिकनीगर एवं सिंघीवाला (कुल 36) एवं 12 विमुक्त जनजातियां- बैरागी, डाफली, बनजारा, बांसफोड़, बहुरूपिया, घोसी, गडरिया, कलबाज, मिरासी, पत्थरकाट एवं साई को उत्तर प्रदेश से चयनित किया गया हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अध्ययन में सम्मिलित उक्त वर्णिंत चारों राज्यों में से मात्र उत्तर प्रदेश में ही विमुक्त जनजातियाँ निवास करती हैं (देखिए ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ द रेनके कमीशन, 2008 : पृष्ठ 144)। निदर्शित खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों के कुल 4731 परिवार, जिनमें से क्रमशः 1079, 1194, 895 तथा 361 खानाबदोश परिवार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से हैं और विमुक्त जनजातियों के कुल चयनित 1202 परिवार उत्तर प्रदेश से हैं को स्नोवॉल सैंपलिंग' पद्धति के आधार पर चुना गया है। प्रत्येक चयनित परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को (परिवार का मुखिया और मुखिया की अनुपस्थिति में परिवार का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति) उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया। उत्तरदाताओं से संरचित-साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन विषय के सम्बन्ध में सूचनाओं को संकलित किया गया, जबकि चयनित परिवार का अध्ययन एक अवलोकित इकाई के रूप में अर्द्ध-सहभागी अवलोकन के माध्यम से किया गया और आवश्यकतानुसार पार्टिसिपेटरीरुरल एप्रेजल (पीआरए) पद्धति को भी प्रयोग में लिया गया ताकि वैषयिक प्राथमिक तथ्यों का संकलन सम्भव हो सके। इस प्रकार प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत लेख का आलेखन किया गया है। (विस्तृत जानकारी हेतु देखें : बिष्ट, भगवान सिंह, सोसियो-इकानोमिक स्टेटस आफ डि-नोटीफाइड एण्ड नॉमेडिक ट्राइब्स इन इण्डिया-विद स्पेशल रिफ्रेन्श टू जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एण्ड उत्तर प्रदेश- खण्ड I, II, III & IV

अप्रकाशित शोध परियोजना रिपोर्ट, इण्डियन कौंसिल ऑफ सोसियल साइन्स रिसर्च, मिनीस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवलपमेण्ट, नई दिल्ली, 2018)।[26]

**तथ्यात्मक विश्लेषण** के आधार पर ज्ञात होता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रही विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियों की अधिकांश जनसंख्या क्रमशः 56.24 प्रतिशत और 62.44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि इन विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियों की अधिकांश जनसंख्या क्रमशः 77.54 प्रतिशत विमुक्त एवं 82.27 प्रतिशत खानाबदोश जन्म से ही अपने वर्तमान निवास स्थानों में रह रही हैं। चयनित विमुक्त जनजातियों में कुल 1202 परिवारों में से 61.48 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 0.92 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 34.11 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किये गये हैं, जबकि खानाबदोश जनजातियों के कुल 361 परिवारों में से अधिकांश 41. 09 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 45.53 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 0.35 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में श्रेणीबद्ध पाये गये और शेष 3.49 प्रतिशत विमुक्त एवं 4.29 प्रतिशत खानाबदोश परिवारों को अपनी जाति-श्रेणी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।

**हिमाचल प्रदेश** से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि कुल 1194 खानाबदोश परिवारों में से 89.11 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.89 प्रतिशत नगरों में निवास कर रहे हैं। इनमें से भी अधिकांश परिवार 11 वर्ष से अधिक की अवधि से अपने वर्तमान निवास स्थानों पर रह रहे हैं अर्थात् उत्तर प्रदेश के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश में खानाबदोश जनजातीय समूहों की स्थायी अधिवास की अवधि कम है। हिमाचल में कुल चयनित 1194 परिवारों में से 42.89 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 49.91 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और शेष 7.20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में श्रेणीबद्ध पाये गये। उत्तराखण्ड में भी अध्ययन हेतु चयनित खानाबदोश जनजातियों के कुल 895 परिवारों में से अधिकांश 85.81 प्रतिशत ग्रामीण एवं शेष 14.19 प्रतिशत परिवार नगरीय पृष्ठभूमि से हैं। इनमें से 58.78 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 12.29 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 0.67 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 0.11 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग जबकि शेष 27.95 प्रतिशत परिवारों को किसी भी अनुसूचित वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में भी खानाबदोश जनजातीय परिवारों (1079) में से 97.87 प्रतिशत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और शेष 2.13 प्रतिशत परिवार ही नगरीय पृष्ठभूमि से हैं। कुल परिवारों में से अधिकांश 10 वर्ष की अवधि से अधिक समय से अपने वर्तमान निवास स्थानों पर अधिवासित हैं।

**उपर्युक्त तथ्यों** के आधार पर स्पष्ट होता है कि विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियों के रूप में चिन्हित एवं अध्ययन में सम्मिलित किये गये समुदायों के अधिकांश परिवार आज ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासित हो चुके हैं, और वर्तमान निवास स्थानों में उनके अधिवास की अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है। आज विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातीय समुदायों की खानाबदोशी प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, और इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन समुदायों में से अधिकांश को किसी न किसी जाति श्रेणी यथा; अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि श्रेणियों में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है, और शासन-प्रशासन द्वारा उनके विकास, कल्याण, पुनर्वास हेतु संविधान सम्मत प्रयास किए जा रहे हैं। अतः वर्तमान समय में इन समुदायों को, जो अब या तो स्थायी रूप से अधिवासित हो चुके हैं, और या स्थायी अधिवास की प्रक्रिया में हैं और साथ ही इन्हें किसी न किसी जाति श्रेणी में श्रेणीबद्ध भी कर दिया गया है, 'घुमन्तू', 'घुम्मकड़', खानाबदोश आदि नामों से सम्बोधित करना एक विमर्श का विषय है। यह अधिक प्रासंगिक होगा कि इन्हें इनकी जाति श्रेणी नाम से सम्बोधित किया जाय, क्योंकि खानाबादोश नाम के सम्बोधन का एक मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव उनके सामाजिक समायोजन के क्षेत्र में एकाधिक जटिलताओं का कारण बन जाता है।

**शिक्षा, जो** कि सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष एवं सामाजिक विकास का सूचक है, के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश से अध्ययन हेतु चयनित विमुक्त जनजातीय परिवारों में साक्षरता 78.44 प्रतिशत एवं खानाबदोश जनजातीय समुदायों में साक्षरता 78.11 प्रतिशत पायी गयी है। किसी भी परिवार द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु न तो कभी शिक्षा ऋण लिया गया है और नहीं किसी घरेलू

सम्पत्ति को ही बेचा गया। जबकि उत्तराखण्ड में खानाबदोश जनजातियों में साक्षरता 60.80 प्रतिशत पायी गयी जो उत्तराखण्ड राज्य की साक्षरता दर से कम है। साक्षर जनसंख्या में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तुलनात्मक रूप में अधिक है और उनमें भी साक्षरता दर नई पीढ़ी में अधिक देखी गयी। लगभग यही प्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश में भी देखी गयी जहाँ पर खानाबदोश जनजातीय जनसंख्या में साक्षरता 67.84 प्रतिशत है, और साक्षरों/शिक्षितों में भी अधिकांश प्राथमिक से हाईस्कूल स्तर तक, शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक कम है, और खानाबदोश समुदाय अपनी नयी पीढ़ी को शिक्षित करने की इच्छा रखने के पश्चात भी उन्हें शिक्षित नहीं कर पा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में अध्ययन हेतु चयनित खानाबदोश जनजातीय परिवारों में साक्षरता 60.68 प्रतिशत पायी गयी है, साक्षर जनसंख्या में युवा पीढ़ी का प्रतिशत अधिक है। शिक्षा के प्रति युवा पीढ़ी एवं उनके माता-पिता/संरक्षक की सकारात्मक मनोवृत्ति देखी गयी। 30.07 प्रतिशत संरक्षक/अभिभावक तो ऐसे देखे गये हैं जो अपने संरक्षितों की शिक्षा के सम्बन्ध में अपने पड़ोसी शिक्षित जनों से सलाह भी लेते हैं कि उन्हें किन स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहिए और किस माध्यम् की शिक्षा का विकल्प चुनना चाहिए। यहाँ तक कि किस 'अनुशासन'/वर्ग (विज्ञान/वाणिज्य/कला/व्यावसायिक शिक्षा व उसका विकल्प) में शिक्षा प्राप्त करने हेतु युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए, इत्यादि बारे में भी वे आस-पड़ोस या पहचान वाले शिक्षित जनों से विचार-विमर्श करते हैं और सलाह लेते हैं। यह प्रवृत्ति खानाबदोश समुदायों की शिक्षा के प्रति बढ़ती अभिरुचि को व्यक्त करती है और साथ ही यह तथ्य भी उभर कर सामने आया है कि आज 71.45 प्रतिशत खानाबदोश बच्चे स्कूल जाना पसन्द करते हैं, जो शिक्षा के प्रति उनकी बढ़ती अभिरुचि को दर्शाता है। यहाँ तक कि 44.86 प्रतिशत माता-पिता विभिन्न कारणों से बच्चों के स्कूल भी जाते रहते हैं जो बच्चों की शिक्षा को लेकर उनकी सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत सरोकार, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्षण एवं पूर्ववृत्ति को अभिव्यक्त करता है। यह इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि 78.71 प्रतिशत माता-पिता 'पेरेन्टस् टीचर्स मीटिंग' (पीटीएम) में सहभाग करते हैं और उनमें से अधिकांश माता-पिता/अभिभावकों ने बच्चों की लिखने-पढ़ने और बोलने की कुशलता एवं योग्यता पर संतोष भी व्यक्त किया है। लगभग यही प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के खानाबदोश समुदायों में भी देखी गयी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातीय समुदायों में शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ा है, फलतः नवीन युवा पीढ़ी में शिक्षा का स्तर बड़ा है, और माता-पिता एवं अभिभावक भी अपने बच्चों/नवीन पीढ़ी को शिक्षित देखना चाहते हैं ताकि उन्हें परम्परागत जीवन शैली से मुक्ति मिल सके और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस प्रकार शिक्षित होते अपने बच्चों से माता-पिता की नयी अपेक्षायें आकार ले रही हैं और यही अपेक्षाएं अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने बच्चों को शिक्षित करने और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति को बल भी प्रदान कर रहीं हैं।

**जनांकिकीय परिप्रेक्ष्य** में प्राप्त तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की विमुक्त जनजातियों में लिंङ्गानुपात प्रति हजार पुरुषों में 971 महिलायें एवं खानाबदोश जनजातियों में प्रति हजार पुरुषों में 1075 महिलायें हैं, जो राज्य में विद्यमान सामान्य लिंगानुपात की अपेक्षा अधिक है। राज्य के खानाबदोश व विमुक्त जनजातियों में आश्रित जनसंख्या (17 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक) 50.61 प्रतिशत है जो कर्मकर जनसंख्या 49.39 प्रतिशत से अधिक है। विमुक्त जनजातियों में कर्मकर जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने के बाद भी यह तथ्य सामने आया है कि उनमें से केवल 25.74 प्रतिशत जनसंख्या ही अपने परम्परागत व्यवसायों से तो जुड़ी हैं, लेकिन केवल 6.08 प्रतिशत कर्मकर जनसंख्या ही अपने मुख्य परम्परागत व्यवसाय से जीविकोपार्जन कर रही है जबकि शेष आश्रित जनसंख्या कर्मकर जनसंख्या की आय पर ही निर्भर है। विमुक्त जनजातियों एवं खानाबदोश जनजाति के कमाऊ/कर्मकर जनसंख्या में प्रतिव्यक्ति औसत मासिक आमदनी क्रमशः रु. 5337.67/- एवं रु. 5104.68/- है। जहाँ तक सम्पत्ति स्वामित्व एवं उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के 94.01 प्रतिशत विमुक्त जनजातीय परिवारों और 95.01 प्रतिशत खानाबदोश जनजातीय परिवारों के पास रहने के अपने आवास हैं लेकिन उनमें से केवल 50.88 प्रतिशत विमुक्त और 46.43 प्रतिशत

खानाबदोश जनजातियों के मकान ही पक्के हैं जिनमें से 41.18 प्रतिशत विमुक्त जनजाति के परिवार और 51.35 प्रतिशत खानाबदोश जनजाति के परिवारों के पास अपने पक्के शौचालय हैं, जबकि शेष परिवार अभी भी शौच क्रिया के लिए खुले मैदानों आदि स्थानों पर जाते हैं। अधिकांश विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातीय परिवारों के पास अधिकारिक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, मत-पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि अधिकांश परिवारों के लिए आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध हैं। अपनी प्राप्त मासिक आमदनी का अधिकांश भाग ये परिवार क्रमशः भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मदों में प्राथमिकता के आधार पर व्यय करते हैं।

**उत्तराखण्ड से अध्ययन** हेतु चयनित खानाबदोश जनजातियों की कुल जनसंख्या में पुरुष 51.17 प्रतिशत और शेष 48.83 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस प्रकार प्रति हजार पुरुषों में महिलाएं केवल 954 ही हैं, जो कि राज्य के लिङ्गानुपात 1000 पुरुषों में 963 महिलाऐं (जनगणना 2011), की अपेक्षा अधिक है। कुल खानाबदोश जनसंख्या में कर्मकर जनसंख्या, अर्थात् 17 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या 59.13 प्रतिशत है, जो कि आश्रित जनसंख्या अर्थात् 17 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या (48.87 प्रतिशत) से अधिक है। परिवारों की कुल जनसंख्या में साक्षरता मात्र 60.80 प्रतिशत है जो राज्य की औसत साक्षरता की अपेक्षा कम है। परिवारों में केवल 28.81 प्रतिशत व्यक्ति ही कमाऊ अर्थात् जीवकोपार्जन कर रहे हैं जिनकी प्रतिमाह औसत आमदनी मात्र रु. 4229.77/- है। खानाबदोश जनजातियों में 75.75 प्रतिशत परिवारों के पास भू-स्वामित्व, मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है और 97.95 प्रतिशत परिवार आज भी अपने परम्परागत व्यवसायों को अपनाए हुए हैं जबकि शेष परिवारों द्वारा अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़ दिया गया है। अल्प आमदनी के बावजूद 93.07 प्रतिशत परिवारों के पास अपने स्वयं के आवास हैं लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुपात में मकान में कमरों की संख्या एवं स्थान पर्याप्त नहीं है, यद्यपि परिवारों के पास पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन मात्र 42.57 प्रतिशत परिवारों के पास ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। बहुसंख्यक परिवार (51.287 प्रतिशत) आज भी शौच आदि क्रिया के लिए घर के बाहर खुले स्थानों का प्रयोग कर रहे हैं। 88.72 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है, और सरकारी दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि भी क्रमशः 92.85 प्रतिशत, 97.54 प्रतिशत, 96.98 प्रतिशत परिवारों के पास पाये गये। लेकिन अधिकांश परिवारों के पास जाति प्रमाणपत्र नहीं देखे गये।

**हिमाचल प्रदेश से** अध्ययन हेतु चयनित 11 खानाबदोश जनजातियों में प्रतिहजार पुरुषों में 1024 महिलायें पायी गयीं जो कि राज्य के औसत लिङ्गानुपात (972 महिलाऐं प्रति हजार पुरुषों में, जनगणना 2011) से अधिक है। परिवार की कुल जनसंख्या में, 17 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या, जिसे कर्मकर जनसंख्या माना जाता है, 65.89 प्रतिशत है जो कि आश्रित जनसंख्या 34.11 प्रतिशत से अधिक है। कुल जनसंख्या में साक्षरता 67.84 प्रतिशत पायी गयी है, और शिक्षित जनसंख्या में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या तुलनात्मक रूप में अधिक है, जो क्रमशः शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ-साथ कम होती जा रही है। अध्ययन के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि खानाबदोश जनजाति के लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं लेकिन पर्याप्त आय के अभाव में, इच्छा-आकांक्षा रखने के बाद भी वे अपने संरक्षितों को उच्च शिक्षा की ओर अभिप्रेरित नहीं कर पाते, और एक निश्चित आयु, सामान्यतया प्राथमिक से हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न कर देते हैं। 73.87 प्रतिशत परिवारों के पास 'भू-स्वामित्व' पाया गया, लेकिन भू-क्षेत्र अत्यधिक कम होने के कारण कृषि से प्राप्त उत्पाद की मात्रा इतनी कम रहती है कि परिवार की भोजन आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। यही कारण है कि ये खानाबदोश जनजातियाँ दैनिक मजदूरी, लघु लागत के फेरी वाला व्यापार, पशुपालन, कूड़ा बीनना जैसे कार्यों से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। विभिन्न स्त्रोतों से एक औसत खानाबदोश परिवार औसतन रु. 4184.67/- प्रतिमाह कमाई करता है जो क्रमशः उनके भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदि मदों में व्यय हो जाता है। अल्प आमदनी के पश्चात भी 99.14 प्रतिशत परिवारों के पास

रहने को अपने निजी आवास हैं, जिनमें से 51.84 प्रतिशत के पास पक्के मकान, 15.33 प्रतिशत के पास मिश्रित प्रकार के मकान और शेष 32.08 प्रतिशत के पास कच्चे मकान पाये गये हैं। लगभग अधिकांश परिवारों, (97.24 प्रतिशत) के पास पेयजल और 85.51 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। लगभग सभी परिवारों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड देखे गये। 97.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं जैसे एएनएम सेन्टर, सरकारी चिकित्सालय, निजी अस्पताल यहाँ तक कि पारम्परिक चिकित्सकों तक सीधी पहुँच है। लेकिन इन सब के बाद भी 92.53 प्रतिशत लोग सरकारी चिकित्सालयों के प्रति उदासीन मनोभाव रखते हैं। उनका मानना है कि सरकारी चिकित्सालयों में मानव संसाधनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, दवाइयों और अवस्थापना सुविधाओं की अपर्याप्तता रहती है, जिस कारण वे निजी अस्पतालों या परम्परात्मक चिकित्सकों के परामर्श को प्राथमिकता देते हैं।

**जम्मू-कश्मीर से** अध्ययन हेतु चयनित खानाबदोश जनजातियों के कुल निदर्शित-1079 परिवारों की कुल जनसंख्या में स्त्री-पुरुष जनसंख्या का अनुपात राज्य के औसत अनुपात की अपेक्षा अधिक पाया गया। वर्तमान में अध्ययन हेतु चुनी गयी खानाबदोश जनजातियों में प्रतिहजार पुरुषों में 1047 महिलायें हैं जो राज्य के औसत लिङ्गानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर 889 महिलायें) से अधिक है। कुल परिवारों की जनसंख्या में 16 वर्ष से 60 वर्ष की आयु सीमा के अंदर 59.13 प्रतिशत कर्मकर जनसंख्या है, जबकि 16 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु की कुल आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 40.87 है। व्यावसायिक आधार पर कुल जनसंख्या का 72.37 प्रतिशत भाग ऐसे लोगों का है जो किसी भी प्रकार के व्यवसाय को स्थायी रूप से नहीं करते हैं। वे प्रायः देश, काल परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध किसी भी कार्य को जीविकोपार्जन के लिए अपना लेते हैं। प्रायः उन्हें स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों, नगर या कस्बों में दैनिक मजदूरी करते देखा जा सकता है। उपार्जन के कोई अवसर न मिलने पर उन्हें भीख माँगते हुए भी देखा जा सकता है। जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले साधनों को यदि देखा जाय तो मात्र 2.35 प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि कार्य को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं, जबकि मुख्य व्यवसाय के रूप में 4.26 प्रतिशत संख्या सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अपनी सेवाऐं दे रहे हैं। 15.98 प्रतिशत दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, 2.15 प्रतिशत जनसंख्या को कुशल श्रमिक के रूप में अपनी सेवाऐं देते हुए देखा गया है। 1.18 प्रतिशत लोग लघुस्तर के व्यापारिक कार्यों में संलग्न हैं। 1.02 प्रतिशत पेंशनर्स तथा 0.18 प्रतिशत लोग भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीविकोपार्जन के उपर्युक्त मुख्य कार्य व्यवसाय के अतिरिक्त 3.37 प्रतिशत जनसंख्या अन्य व्यवसायों; जैसे कृषि से जुड़े कार्य, व्यापार, दैनिक मजदूरी आदि से भी जीविकोपार्जन करती है। परिवार के कमाऊँ व्यक्ति की अपने मुख्य व्यवसाय से प्रतिमाह औसत आय रु. 4276.59/- है, जबकि जो व्यक्ति मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य उपार्जन सम्बन्धी कार्य करते हैं, वे प्रतिमाह औसतन रु. 3673.49/- की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 63.76 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है, लेकिन अति लघु क्षेत्र होने के कारण अधिकांश परिवार कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाए हुए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 97.52 प्रतिशत परिवार अपने निजी आवासों में रहते हैं। 1.39 प्रतिशत परिवार किराये के आवासों में, जबकि शेष परिवार या तो दूसरे सम्बन्धियों के घरों में शरण लिए हुए हैं और या पोलीथीन की बनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। यह स्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्रदेश में खानाबदोश जनजातियाँ अपनी घुम्मकड़ जीवन प्रणाली को लगभग छोड़ती जा रही हैं, तथा स्थायी आवासों के बावजूद मौसम परिवर्तन के साथ-साथ परिवार के कुछ सदस्य ही अपने पालतू पशुओं यथा भेड़-बकरियों, भैंस आदि के साथ स्थान परिवर्तन करते रहते हैं अर्थात खानाबदोश जनजातियां मौसमी स्थान परिवर्तन (Transhumance) की प्रक्रिया को आज भी अपनाए हुए हैं, जो उनकी और उनकी जीविका एवं पशुधन के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। क्योंकि इसी दौरान वे अपने पशुधन; मुख्यतया भेड़-बकरियों को जीवन के अनुकूल स्थानों में स्थित चरागाहों में ले जाते हैं और इसी दौरान व्यापारियों को उन्हें बेचकर धनोपार्जन भी करते हैं।

**जहाँ तक आवासों में** मूलभूत सुविधाओं का प्रश्न है,

प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि केवल 62.56 प्रतिशत आवासों में ही पाइपलाइन से पेयजल की आूपर्ति है, जबकि 21.87 प्रतिशत परिवार प्राकृतिक स्त्रोतों से पेयजल की आपूर्ति करते हैं, 4.26 प्रतिशत परिवार ट्यूबवैल से तथा शेष 11.31 प्रतिशत परिवार तालाबों या फिर पानी की टंकियों से आपूर्त जल से अपने पीने के पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं। 53.66 प्रतिशत परिवारों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 41.33 प्रतिशत परिवार आज भी शौच क्रिया के लिए खुले स्थानों में जाते हैं, जबकि शेष परिवार सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करते हैं। आवासों की स्थिति जो भी हो, लेकिन अधिकांश 97.31 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में अधिकांश परिवारों और परिवार के सदस्यों (97.78 प्रतिशत) के पास सरकारी दस्तावेज जैसे-राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड आदि उपलब्ध हैं। यह स्थिति निर्दिष्ट करती है कि आज की खानाबदोश जनजातियाँ अपने हितों, अधिकारों और पात्रता के प्रति जागरूक हैं और तद्नुसार उनके कार्य, व्यवहार में बदलाव भी घटित हो रहे हैं।

**स्वास्थ्य एवं** चिकित्सा एक और आधारभूत आवश्यकता है जो मानव के स्वस्थ शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यकीय है। अध्ययन हेतु चयनित परिवारों में से अधिकांश 57 प्रतिशत परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कुल परिवारों में से 88.28 प्रतिशत आज भी आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित हैं, जिन 43 प्रतिशत परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो रही हैं उनका कहना है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों, दवाइयों, सर्जिकल ऑपरेशन आदि की पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं। अतः उन्हें या तो निजी अस्पतालों में चिकित्सा हेतु जाना होता है या फिर परम्परात्मक चिकित्सकों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है।

**इस प्रकार** पारिस्थितिकीय पृष्ठभूमि, शिक्षा-स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उपर्युक्त तथ्यात्मक विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि एक काल खण्ड में एक विशिष्ट प्रकार की जीवनशैली के आधार पर नामित खानाबदोश एवं अपराधिक जनजातियों की परम्परात्मक जीवन पद्धति में परिवर्तन घटित हो रहे हैं और वे अपनी घुमन्तु प्रवृति को छोड़कर स्थाई अधिवास की ओर उन्मुख हैं। आज व्यावसायिक गतिशीलता उनकी आवश्यकता बन चुकी है। फलतः वे धीरे-धीरे अपने परम्परात्मक व्यवस्याय से भिन्न व्यवसायों को जीविकोपार्जन हेतु अपना रहे हैं। आज ये जनजातीय समुदाय शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। विकास एवं कल्याण हेतु निर्मित विभिन्न योजनाओं के प्रति इन समुदायों में जागरूकता बढ़ी है और शिक्षा-स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं आर्थिक क्षेत्र में इनकी सहभागिता इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप इन समुदायों का एक नया स्वरूप आकार ले रहा है जो इनके परम्परात्मक स्वरूप से सर्वथा भिन्न है।

**सारांश :** भारत के लगभग सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में किसी न किसी मात्रा में खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियाँ निवास कर रही हैं। इन जनजातीय समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए संविधान सम्मत विभिन्न विधानों एवं योजनाओं के माध्यम से देश भर में शासन एवं प्रशासन द्वारा समुचित प्रयास किए जाते रहे हैं, ताकि इन्हें समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसी संदर्भ में भारत में खानाबदोश एवं विमुक्त जनजातियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन, उत्तर भारत के चार राज्यों क्रमशः जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में आवासित 'खानाबदोश एवं विमुक्त जनजाति' की श्रेणी में श्रेणीबद्ध 82 समुदायों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया। चूंकि 'समाजशास्त्रीय अध्ययन' का क्षेत्र एवं विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है, प्रस्तुत लेख में चयनित समुदायों की पारस्थितिकीय पृष्ठभूमि, जनांकिकी, शिक्षा-स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्ष को ही समाजशास्त्रीय विवेचन की परिधि में सम्मिलित किया गया है। पारस्थितिकीय दृष्टि से अधिकांश समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं लेकिन जीविकोपार्जन की खोज में जनसंख्या का एक भाग नगरों व कस्बों की ओर गतिमान है। इन समुदायों की स्थानीय गतिशीलता, जो उनकी खानाबदोश प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करती है, धीरे-धीरे स्थायी अधिवास के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, अर्थात ये समुदाय अपने 'घुमक्कड़' जीवनशैली को छोड़ते जा रहे हैं। आज ये समुदाय शिक्षा की ओर उन्मुख हैं। व्यावसायिक गतिशीलता इनकी आवश्यकता बन गयी है, अपने हितों, पात्रता एवं अधिकारों के प्रति

उनमें जागरूकता बढ़ी है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्तावाद, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं प्रचलित प्रजातांत्रिक मूल्यों के फलस्वरूप घटित संघातों से वे अछूते नहीं हैं। फलतः इन समुदायों के समक्ष एक ओर तो अपनी 'अस्मिता' का संकट है और दूसरी ओर अस्मिता से जुड़े विशेषणों ने सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है लेकिन यह एक सामाजिक यथार्थ है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के बढ़ते प्रभावों ने इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक जीवन में नई अपेक्षाओं, नई सम्भावनाओं एवं नई परिस्थितियों को जन्म दिया है, जिसे सम्यक दृष्टि से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

## सन्दर्भ


1. Sattin Anthony, *'Nomads - The wanderers who shaped our World'*, John Marray Publishers Carmalite House, London, 2022, PP 3-4.
2. https://en.wikipedia.org
3. Gandhi M., *'Denotified Tribes - Dimensions of Change',* Kanishka Publishers Distributurs, New Delhi, 2008, P-21.
4. https://en.wikipedia.org
5. Kapadia, K.M, *'The Criminal Tribes of India',* Sociological bulletin, Bombay, 1952, PP 14-25.
6. Gandhi M., op. cit., 2008
7. Gandhi M., op. cit., 2008, PP 23-24.
8. Gandhi M., *'Developemental Challenges of Nomadic and De-notified Tribes of India',* In Adivasi Rights and Exclusion in India (ed.) by V. Srinivas Rao, Routledge India, 2018, P. 21.
9. Gandhi, M. & Kompali, H.S.S. Sunder, *'De-notified Tribes of India - Discrimination, Development and Change'*, Routledge, London, 2019.
10. Singh B.P, *'Criminal Tribes of Punjab'* (ed) Routledge, Taylor & Fancis Group, London, 2010.
11. Bhargava, B.S, *'The Criminal Tribes : A Social and Economic study of the Principal Criminal Tribes and Castes in North India',* Ethnographic and Folk Culture Society, Lucknow, 1944, P- 17.
12. Alter James, *'The Problem of De-notified Tribes - An Experiment in Missionary Preparation',* National Christian Council View, Vol. 74 , No.7 , 1954
13. Walter, Heade, *'Emigration, Migration and Nomadism'* (ed.)- F.H.A. Marshall, New Delhi. 1931.
14. Kennedy, M, *'The Criminal Classes in India'*, New Delhi,1909.
15. Bharal, G.P, *'De-notified Community and their Problems of Rehabilitation'*, The Indian Journal of Social Work , Vol. XXXVIII, 1968.
16. Singh, Jaspal, *'Reformation of Ex-criminal Tribes'*, Hyderabad, 1976
17. Lalitha,V. *'The Making of Criminal Tribes',* Patterns and Transition, New Publications, Madras, 1995
18. Lalitha,V., *'De-notified Communities of Andhra Pradesh-Some Problem of Rehabilitation, Proceedings of A.P. History Congress',* Hyderabad 1981.
19. Lavana, Hemlatha, *'The Problem of De-notified Tribes - An Experiment on Stuart Vijayawada, 1975'.*
20. Sastri, R.E., *'History of Criminal Tribes in Madras Presidency',* Madras, 1929.
21. Simhadri,Y. C., *'The Ex-criminal Tribes of India',* National Publishing House, New Delhi, 1979, P-7
22. Kumar, Ambuj, *'De-notified Tribes in India- A Sociological Study'* In Research Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.11, Issue 4, 2020, PP 303-306.
23. Korra, Vijay, *'Status of De-notified Tribes - Empirical Evidence From Undivided Andhra Pradesh,'* in - Economic and Political weekly, Sept. 09, 2017, Vol. 52, No. 36 PP. 65-66, 2017.
24. Shah, Ghanshyam & Joseph Bara, *'Social Inclusion and Education in India - Scheduled Tribes, De-notified Tribes and Nomadic Tribes',* Routledge India, 2023.
25. Tandon, S., *'Approach Towards De-notified Tribes and the Habitual Offenders - Some Issues'*, In, Indian Journal of Criminology, Volume 10, Issue 2, July 1982, pp. 132-139.
26. Bisht, Bhagwan S. *'Socio Economic Status of De-notified and Nomadic Tribes of India - with Special Reference to Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh'* (Unpublished Project Report, Vol. I, II, III & IV), ICSSR, New Delhi, 2018.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# सतत ग्रामीण पर्यटन विकास में होमस्टे की भूमिका : उत्तरकाशी के बार्सू गांव के विशेष संदर्भ में

❑ देवेन्द्र सिंह

❖ डॉ. एम. एम. सेमवाल

**सूचक शब्द** : होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, उत्तराखंड, आगंतुक, सतत विकास।

पर्यटन उद्योग को अधिकांश देशों में सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के आर्थिक विकास में इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। समसामयिक रूप से, पर्यटन स्थल की स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाती है तथा ग्रामीण पर्यटन स्थल की प्रतिस्पर्धात्मकता में अत्यधिक योगदान देती है। इस उद्योग में उच्च प्रतिस्पर्धी परिस्थिति पर्यटन व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने आगंतुकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विवश करती है। इसलिए, पर्यावरण के विविध घटक, अर्थात् पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत आकर्षण, पर्यटन बुनियादी ढाँचा और प्राकृतिक संसाधन आदि, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं साथ ही ग्रामीण पर्यटन स्थल के लिए स्थिरता अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटक स्थल अवस्थित हैं, जो कि अपनी नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए हैं, होमस्टे के माध्यम से इन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन को अवश्य ही स्थिरता प्राप्त होगी। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय होमस्टे के मालिकों एवं उनके आगंतुकों के दृष्टिकोण से सतत ग्रामीण पर्यटन पर होमस्टे के प्रभाव की जांच करना है। उत्तरकाशी के बार्सू गाँव में किए गए इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि होमस्टे ने बार्सू गाँव में सतत ग्रामीण पर्यटन के विकास में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

**पिछले कुछ** वर्षों में, उत्तराखंड के पर्यटन में तीव्र वृद्धि देखी गई है क्योंकि पर्यटक शहरों की तनावपूर्ण जीवन-शैली से परेशान होकर ग्रामीण क्षेत्रों में आराम करने आ रहे हैं। 2019 के पूर्व-महामारी वर्ष में, उत्तराखंड ने 39.2 मिलियन पर्यटकों की मेजबानी की है।[1] दूसरे शब्दों में, ये संख्याएँ उत्तराखंड की जनसंख्या से लगभग चार गुना हैं (2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड की जनसंख्या 10.1 मिलियन है)। अनुमान है कि 2026 तक लगभग 67 मिलियन पर्यटक उत्तराखंड आएंगे।[2] पर्यटन उद्योग और संबद्ध उद्योग निस्संदेह वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ, ग्रामीण पर्यटन ने सरकारों, गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) और उद्योग के हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की अग्रणी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह समुदायों की आय में भी वृद्धि करता है।[3] किंतु, जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन बढ़ना शुरू होता है तो ग्रामीण पर्यटन विकास के प्रति वहाँ के निवासियों के रवैये को लगातार अनदेखा किया जाता है और इससे पर्यटन विकास के प्रति स्थानीय समुदायों में असंतोष का भाव पैदा होता है।[4] इसलिए, ग्रामीण पर्यटन विकास एवं स्थानीय संसाधनों और संस्कृति के संरक्षण की स्थिरता के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।[5,6]

**ग्रामीण पर्यटन** उद्योग को समर्थन देने के लिए कई अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने होमस्टे का उपयोग किया है। होमस्टे मॉडल स्वदेशी रीति-रिवाजों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समाजों की उन्नति तथा सुरक्षा के अनुरूप है, साथ ही यह पर्यटन उद्योग में सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन उद्योगों के विकास के लिए होमस्टे पर्यटन नीति 2015 में प्रारंभ की गई थी। हालाँकि, 2018 में इसे प्रभावशाली प्रगति मिली जब इसका नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) योजना (डीडीयूजीएएचएस) 2018 कर दिया गया।[7] वर्तमान मे उत्तराखंड में होमस्टे की कुल संख्या 5316 है[8] जो एक महत्वपूर्ण संख्या है साथ ही यह पर्यटकों के लिए आवास

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड)
❖ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, (उत्तराखंड)

के रूप में होमस्टे की बढ़ती लोकप्रियता को भी इंगित करती है।

**होमस्टे पर्यटन** का प्रारंभ सर्वप्रथम मलेशिया में सन् 1998 में किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय आतिथ्य प्रदान करना, मेजबान की आय और आजीविका को बढ़ाना था।[9] होमस्टे उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिमालयी आतिथ्य का अनुभव कराने का सबसे अच्छा तरीका है। होमस्टे पर्यटन में, एक मालिक मेहमानों के लिए एक से छः कमरे तक की सुविधा को प्रदान कर सकता है, जहां पर्यटकों को व्यक्तिगत परिवार और स्थानीय समुदाय द्वारा बजट के अनुकूल आवास व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तराखण्ड के लोगों का व्यवहार एवं इनकी प्रकृति सीधी, सरल, तथा सौहादपूर्ण है जो पर्यटक को प्रकृति के अनुकूल भावना का आभास कराती हैं। यहां के लोग वैदिक परम्परा के "अतिथि देवो भवः" यानि जिस प्रकार घरों में देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार घर आए अतिथियों का भी यह लोग आदर-सत्कार करते हैं। एक शोध अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे सुविधाएं अधिक बढ़ी हैं। इसका कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पर्याप्त आवास उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए आवास सुविधाएं सीमित हैं, इस प्रकार होमस्टे एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास हो सकता है।[10]

**होमस्टे की** कोई सार्वभौमिक परिभाषा तो नहीं है, "होमस्टे" शब्द का उपयोग अलग-अलग देशों में भिन्न हो सकता है। इसे आम तौर पर एक प्रकार के आवास के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आगंतुक स्थानीय निवासियों के घरों में रुकते हैं।[11,12] पर्यटन का कोई भी रूप जो ग्रामीण स्थानों पर ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाभ होता है साथ ही अधिक समृद्ध पर्यटन अनुभव के लिए पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के बीच वार्तालाप को सक्षम किया जा सकता है, उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन आगंतुकों को ग्रामीण जीवन-शैली में सक्रिय रूप से भाग लेने पर ध्यान केंद्रित करता है।[13]

**अध्ययन क्षेत्र** : बार्सू गाँव विश्व प्रसिद्ध 'दयारा बुग्याल' ट्रैक का प्रवेश द्वार है जो प्रकृति की अनुपम छटा को अपने विहंगम स्थल से दर्शाता है साथ ही केवल 'दयारा बुग्याल' ही नही अपितु बकरिया टॉप, गिडारा टॉप, स्यारी टॉप आदि जैसे रोमांच से भरे कठिन ट्रैक भी किए जाते हैं। पर्यटन की यह यात्रा इस गाँव से केवल उपर्युक्त ट्रैक तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस स्थल से पर्यटक विभिन्न ऊंची चोटियों को देखकर स्वयं में प्रकृति को भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से द्रोपदी का डांडा, श्रीकंठ, जोगिन रेंज दिखाई देती है। इन्हीं रोमांच से भरे एवं प्रकृति के समीप अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में स्थित बार्सू गाँव में पर्यटकों का अत्यधिक मात्रा में अवागमन होता है। बार्सू गाँव के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं पर्यटन है। यह गाँव "ईको टूरिज्म" गाँव भी है। बार्सू गाँव की अनोखी बात यह भी है कि गाँव से एक भी परिवार ने स्थाई पलायन नहीं किया है इसलिए यह गाँव उत्तराखंड में होमस्टे का एक सफल उदाहरण है और बार्सू गाँव को उत्तराखंड का सबसे पुराना एवं पहला होमस्टे स्थापित करने का गौरव भी प्राप्त है।

**बार्सू गाँव** में पर्यटन के रास्ते खोलने में अग्रणी योगदान रवि रावत ने दिया। सर्वप्रथम 'रवि रावत' ने पर्यटकों के लिए रात में रुकने के लिए एक छोटे से टेंट की व्यवस्था से प्रारंभ किया। धीरे-धीरे उन्होंने इसको एक विस्तृत आकार दिया तथा पर्यटन को एक कदम आगे ले जाने की दिशा में एक ऐसा होमस्टे का निर्माण बार्सू गाँव में किया जोकि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त था। इसी ने पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। इसी तरह गाँव के 'जगमोहन रावत' ने भी गाँव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होमस्टे तैयार किया है।[14] वर्तमान में बार्सू गाँव में 35 होमस्टे पंजीकृत हैं और गाँव के अधिकतर युवा पर्यटन से संबंधित रोजगार से जुड़े हुए हैं तथा अब होमस्टे इस गाँव की मुख्य पहचान मे से एक है।

**बार्सू गाँव** उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील में स्थित है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 145.84 हेक्टेयर है। समुद्र तल से लगभग 2,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, बार्सू अपनी दूर-दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता, हरी-भरी हरियाली तथा हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बार्सू गाँव में 160 परिवार हैं और गाँव की कुल जनसंख्या 469 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 228 है जबकि महिलाओं की संख्या 241 है। बार्सू गाँव से बरनाला ताल 4 किमी की दूरी

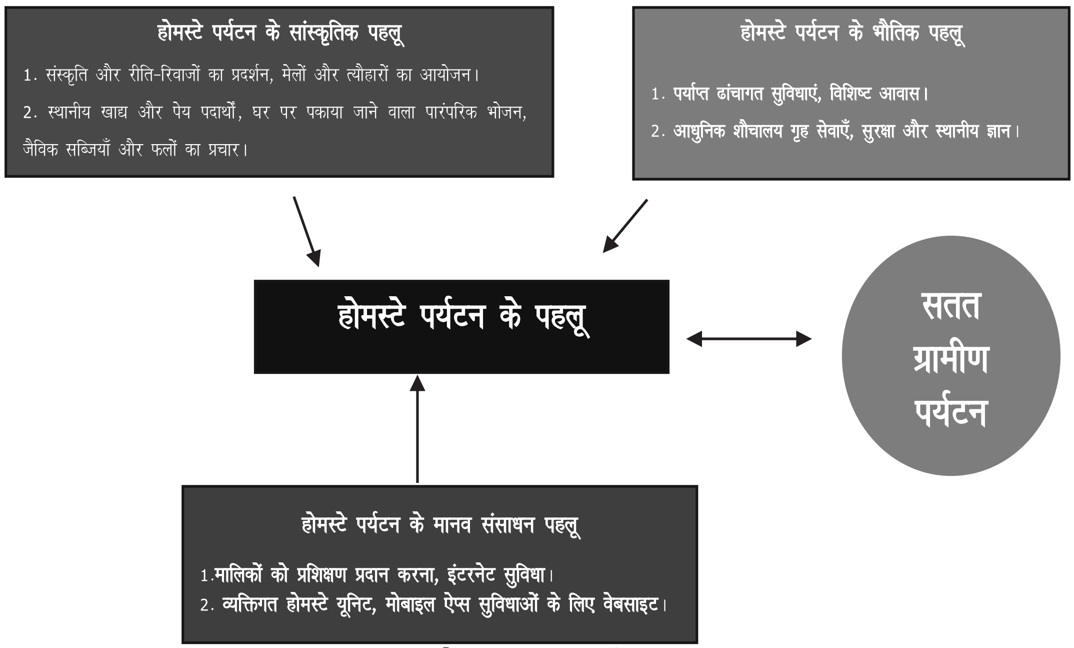


चित्रः होमस्टे और सतत ग्रामीण पर्यटन मॉडल

पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहां बासुकी नाग निवास करते हैं इसलिए बासुकी नाग के नाम पर ही इस स्थान का नाम बार्सू पड़ा।

**साहित्य समीक्षाः**

होमस्टे आगंतुक-मेजबान के बीच वार्तालाप के लिए एक उत्तम स्थान है,[15] जिसके मुख्यतः तीन उद्देश्य हैंः- पर्यावरण की सुरक्षा, संस्कृतियों का संरक्षण एवं स्थानीय रोजगार का संरक्षण।[16] होमस्टे पर्यटन का अर्थव्यवस्था, विकास, व्यवसाय, जीवन-शैली और जनसंख्या संरचना पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।[17,18] होमस्टे एक आकर्षक सतत ग्रामीण पर्यटन पहल है।[19] एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश देशों की ग्रामीण पर्यटन नीतियां इस क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण होमस्टे के लिए कुशल और प्रभावी हैं। इसके अलावा, ग्रामीण पर्यटन की देखरेख करने वाले सरकारी विभाग भी सक्षम लगते हैं।[20] स्थानीय लोग होमस्टे पर्यटन के माध्यम से पर्यावरण और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं।[21,22,23] होमस्टे पर्यटन के विकास के परिणामस्वरूप, ग्रामीण पर्यटन का एक स्थायी भविष्य होगा क्योंकि यह आय और अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेगा, रोजगार बढ़ाएगा साथ ही बाहरी प्रवासन को कम करेगा, होमस्टे पर्यटन स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्तराखंड राज्य हिमालयी संस्कृति और रीति-रिवाजों से समृद्ध है तथा होमस्टे पर्यटन उद्योग इसे संरक्षित करने में सहायता कर सकता है। ग्रामीण होमस्टे सामाजिक उद्यमिता के रूप हैं जो गरीबी को कम कर सकते हैं और ग्रामीण समुदायों को समृद्ध कर सकते हैं।[24,25] जहां तक ग्रामीण पर्यटन का सवाल है, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रथाएं हैं। चूंकि उत्तराखंड में भाषाएं, संस्कृति और परंपराएं जिले-दर-जिले अलग-अलग हैं, जो इसे पर्यटकों के लिए अधिक विविध, प्रामाणिक और रोचक बनाती हैं, प्रत्येक स्थल का अपना महत्व एवं आकर्षण है जिससे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास से स्थानीय सेवाओं के रख-रखाव और प्रचार की मांग बढ़ सकती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिविधियों में विविधता आ सकती है और प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित किया जा सकता है।[26,27]

**अध्ययन के उद्देश्यः**

1. उत्तराखंड में सतत ग्रामीण पर्यटन के विकास में होम-स्टे की भूमिका का अध्ययन करना।
2. बार्सू गाँव मे होमस्टे योजना का ग्रामीण लोगों की

आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना।

**शोध पद्धतिः** प्रस्तुत शोध पत्र में गुणात्मक और मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यों में आंकड़ों को एकत्र किया गया है। एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण SPSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। आंकड़े संग्रहण की विधियाँ दो अलग-अलग प्रकार की होती हैं - प्राथमिक और द्वितीयक। आर्बनोर और बजेर्के प्राथमिक आंकड़ों को साक्षात्कार, अनुसूची और प्रत्यक्ष अवलोकनों के माध्यम से एकत्र करने के रूप में परिभाषित करते हैं, दूसरे शब्दों में, ऐसे तरीके जिनमें शोधकर्ताओं द्वारा निष्क्रिय या सक्रिय रूप से बातचीत की आवश्यकता होती है।[28] शोध पत्र में प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह की दो विधियां सम्मिलित हैं, अर्थात् साक्षात्कार अनुसूची और प्रत्यक्ष अवलोकन। द्वितीयक आंकड़ों में पर्यटन विभाग की वेबसाइट, सरकारी रिपोर्ट, अध्ययन, लेख, न्यूज पेपर (ऑनलाइन और ऑफलाइन) अन्य प्रासंगिक साहित्य सम्मिलित हैं।

**प्रस्तुत शोध** पत्र का समग्र अध्ययन क्षेत्र बार्सू गाँव है और प्रतिदर्श के चयन के लिए सुविधात्मक प्रतिदर्शन (Convenience sampling) विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन मे प्रतिदर्श का आकार 50 है जिसमे से 20 होमस्टे मालिक और 30 आगंतुक हैं।

**आंकड़ों का विश्लेषण और परिणामः** प्रथम उद्देश्य- उत्तराखंड में सतत ग्रामीण पर्यटन के विकास में होमस्टे की भूमिका का अध्ययन करना।

**तालिका 1**

**पर्यटक संतुष्टि का मूल्यांकन**

| | आसपास का दृश्य और प्राकृतिक | शहरी भीड़ से दूर शांतिपूर्ण स्थान | मेजबान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान | मेजबान के साथ मित्रतापूर्ण स्वभाव | मेजबान के साथ संचार में आसानी | आवास/सुविधा | स्थानीय व्यंजन | स्थानीय जीवन शैली के बारे में सीखना | समग्र अनुभव | क्या आप अपनी अगली यात्रा पर होमस्टे में रहना पसंद करेंगे? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mean | 1.5 | 1.567 | 2.033 | 1.833 | 1.633 | 1.967 | 1.6 | 1.6 | 1.533 | 1.8 |
| Std. Error of Mean | 0.104 | 0.092 | 0.131 | 0.136 | 0.122 | 0.140 | 0.123 | 0.113 | 0.104 | 0.074 |
| Median | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| Mode | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Std. Deviation | 0.572 | 0.504 | 0.718 | 0.747 | 0.669 | 0.765 | 0.675 | 0.621 | 0.571 | 0.407 |
| Sum | 45 | 47 | 61 | 55 | 49 | 59 | 48 | 48 | 46 | 36 |

**उपर्युक्त** तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मेजबान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को उच्चतम औसत मान (2.033) प्राप्त हुई, इसका कारण यह है कि उत्तरकाशी जिले की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है और पर्यटकों में यहाँ की संस्कृति के विषय मे जानने की काफी रूचि पैदा होती है और बार्सू गाँव के लोग अपनी संस्कृति को पर्यटकों के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। द्वितीय स्थान पर बार्सू गाँव के होमस्टे में आवास एवं सुविधा का औसत मान (1.967) है, क्योंकि यहाँ आवास की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तृतीय स्थान पर मेजबान के साथ मित्रतापूर्ण स्वभाव का औसत मान (1.833) है, इसका कारण बार्सू गाँव के लोगों का पर्यटकों के प्रति "अतिथि देवों भवः" वाले स्वभाव का होना है। चतुर्थ स्थान पर स्थानीय व्यंजन और स्थानीय जीवन शैली के बारे में सीखना का औसत मान (1.6) है, इसका कारण यह है कि पर्यटकों को पहाड़ी स्थानीय व्यंजन काफी पसंद आते हैं क्योंकि यह व्यंजन शहरों में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। होमस्टे को अपनी अगली यात्रा प्राथमिकता देने का मान (1.8) है यह पर्यटकों की होमस्टे के प्रति एक सकारात्मक धारणा प्रस्तुत करता है, क्योकि पर्यटकों का बार्सू गाँव के होमस्टे मे रहने का अनुभव काफी अच्छा रहा है।

**उपर्युक्त** विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि होमस्टे मे रहे पर्यटकों का संतुष्टि का स्तर बहुत अच्छा रहा जो सतत ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

**तालिकाः 2**

**सतत पर्यटन प्रथाओं पर होमस्टे ऑपरेटर का दृष्टिकोण**

| | होमस्टे के भवन का प्रकार | फल, लाल चावल, दालें, स्मृति चिन्ह आदि की बिक्री होमस्टे से आपकी आय में वृद्धि करती है | मेहमानों को स्थानीय पहाड़ी व्यंजन परोसा जाता है | क्या घर में किसी ने पर्यटन/आतिथ्य का अध्ययन किया है | मेहमानों से फीडबैक ले रहे है | क्या आपने पर्यटन विभाग द्वारा दिए जाने वाले किसी प्रशिक्षण मे भाग लिया है | यदि हाँ, तो क्या प्रशिक्षण उपयोगी था? | मेहमानों को स्थानीय इतिहास, लोककथाओं और संस्कृति के बारे मे बताया जाता है | होमस्टे से होने वाली आय का आपकी कुल घरेलू वार्षिक आय मे कितना प्रतिशत हिस्सा है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 2.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 1 | 1.75 | 1.6 | 2.9 |
| Std. Error of Mean | 0.223 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.082 | 0.000 | 0.176 | 0.184 | 0.176 |
| Median | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Mode | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Std. Deviation | 0.999 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.366 | 0.000 | 0.786 | 0.821 | 0.788 |
| Sum | 41 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 35 | 32 | 58 |

**बार्सू गाँव** के होमस्टे मालिकों द्वारा अपने होमस्टे को जिस तरीके से संचालित किया जा रहा है वह सतत पर्यटन की ओर बढ़ते कदम हैं। उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि होमस्टे मालिकों द्वारा पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन परोसें जा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय फल, सब्जी, दाल इत्यादि की माँग बढ़ी है और गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है। साथ ही होमस्टे से होने वाली आय होमस्टे मालिकों की कुल घरेलू वार्षिक आय का एक महत्वपूर्ण भाग (हिस्सा) है। बार्सू गाँव में होमस्टे की सफलता का एक बड़ा कारण पर्यटन विभाग, गैर सरकारी संगठन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) द्वारा समय-समय पर गाँव मे संचालित की जाने वाली ट्रेनिंग कार्यशाला, परामर्श कार्यशाला आदि हैं। उपर्युक्त तालिका से भी यह स्पष्ट होता है कि होमस्टे मालिकों द्वारा पर्यटन विभाग, गैर सरकारी संगठन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाता है और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होमस्टे संचालित करने वालों के लिए काफी उपयोगी रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी जिले में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा स्थानीय युवाओं को पर्यटन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की शिक्षा तथा उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे स्थानीय युवा पर्यटन के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बना रहे हैं।

**अतः उपर्युक्त** तालिका मे जिन पहलुओं को लिया गया है वे सभी पहलू सतत ग्रामीण पर्यटन के लिए अति आवश्यक हैं, जिनमे से अधिकांश पहलुओं को बार्सू गाँव के होमस्टे मालिकों द्वारा अपनाया गया है। यदि थोड़ा और प्रयास किया जाए तो होमस्टे से और अधिक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

**तालिका 3**

Case Processing Summary (दूसरे उद्देश्य के लिए प्रतिदर्श का आकार)

| | Cases | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| प्रतिदर्श का आकार | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% | 20 | 100.0% |

Crosstabulation

(आप होमस्टे योजना के लाभार्थी है। होमस्टे से होने वाली आय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।)

| | | होमस्टे से होने वाली आय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.50% | 50.75% | 75% से अधिक | |
| होमस्टे योजना के लाभार्थी है। | हां | 4 | 8 | 5 | 17 |
| | नहीं | 3 | 0 | 0 | 3 |
| योग | | 7 | 8 | 5 | 20 |

**उपर्युक्त तालिका** का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि होमस्टे योजना के लाभार्थियों के लिए, होमस्टे से होने वाली आय उनकी कुल घरेलू वार्षिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 20 में से 17 लाभार्थियों के लिए, होमस्टे से होने वाली आय 25 प्रतिशत से अधिक है। इसमें से 5 लाभार्थियों के लिए, होमस्टे से होने वाली आय 75 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति और आजीविका अच्छी होने के कारण गाँव से स्थायी पलायन नही हुआ है।

**तलिका 4**

(आप होमस्टे योजना के लाभार्थी है। होमस्टे से होने वाली आय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।)

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|---|---|---|---|
| Pearson Chi-Square | 12.381 | 2 | .002 |
| Likelihood Ratio | 14.118 | 2 | .001 |
| Linear-by-Linear Association | 8.695 | 1 | .003 |
| N of Valid Cases | 20 | | |

**उपर्युक्त** तालिका द्वारा होमस्टे योजना के लाभार्थी एवं होमस्टे से आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने के सन्दर्भ में अवलोकित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि होमस्टे योजना के लाभार्थियों की होमस्टे के कारण आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ची-स्क्वायर परीक्षण तालिका में P का मान .002 है जो $P<0.05$ के आधार पर परिणाम सार्थक पाया गया हैं अर्थात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों चरों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है।

**सुझावः** बार्सू गाँव में बने अधिकांश होमस्टे सीमेंट कंक्रीट से बने हैं। इसलिए होमस्टे की समग्र अवधारणा परिदृश्य से गायब है। इस प्रकार, पारंपरिक भवन निर्माण शैली से बने होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को संवेदनशील बनाने, आगंतुकों को उनका उपयोग करने और चुनने के लिए जागरूक करने की तत्काल आवश्यकता है।

**बार्सू गाँव** में, अधिकांश होमस्टे संचालकों के पास जैविक खेती द्वारा उत्पादित स्थानीय उत्पादों को बेचने की कला एवं कौशल का अभाव है, खासकर ब्रांडिंग में। होमस्टे संचालक न केवल ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, बल्कि यह आज ब्रांडिंग का सबसे प्रभावी माध्यम है। तकनीकी विकास पर्यटन विकास की स्थायी चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण समाधान प्रदान कर सकता है, इसलिए सरकार को ग्रामीण स्तर पर विशेषकर उन गाँव में, जो पर्यटन गाँव हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ग्रामीणों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए।

**दीन दयाल** उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) योजना के अनुसार, यदि किसी गाँव में छह से अधिक होमस्टे हैं, तो उन्हें "होमस्टे क्लस्टर" कहा जाता है। इस होमस्टे

कलस्टर गाँव में कई सुविधाएं जैसे वेबसाइट का निर्माण, इंटरनेट, ऑनलाइन-ऑफलाइन मार्केटिंग सुविधाएं, प्रचार, रेटिंग, प्रशिक्षण और ऋण मालिकों को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) द्वारा प्रदान की जाएगी। किन्तु पर्यटन प्रशासन द्वारा बार्सू गाँव मे यह ढांचागत सुविधाएं प्रदान नही की जा रही हैं जबकि बार्सू गाँव एक होमस्टे कलस्टर गाँव है। सरकार को होमस्टे नीति के इस प्रावधान को धरातलीय स्तर पर लागू करना चाहिए। **उत्तरकाशी जिले** में नए पर्यटन स्थलों की काफी संभावनाएं हैं और सरकार को इन नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तरकाशी के बगोरी (हर्षिल घाटी) से हिमाचल के चितकुल के बीच क्यारकोटी, चौरंगी से हरि महाराज और हरुंता बुग्याल के बीच एक नए ट्रैकिंग मार्ग का विपणन और बार्सू गाँव के पास रॉक क्लाइंबिंग के लिए जीरा झरना और मथेना तक दिन की पैदल यात्रा सम्मिलित हो सकती है। पैदल यात्रा के अलावा बुग्यालों, विशेषकर भनाला और दयारा में उन्नत स्कीइंग की भी संभावना है।

**निष्कर्षः** बार्सू गाँव पर केंद्रित प्रस्तुत शोध पत्र में अपनाए गए मॉडल और आंकड़ों के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि होमस्टे सतत ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। होमस्टे उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ बन सकते हैं। उत्तराखंड राज्य को प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खजानों जैसे - पहाड़, नदियाँ, जंगल और वन्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त है। 'भूतिया गाँव (Ghost Village)' पर्यावरण-अनुकूल और सतत पर्यटन गतिविधि के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। जैसे राजस्थान के जैसलमेर जिले मे स्थित "कुलधरा गाँव" आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।[29] **स्थानीय** निवासियों के अनुसार होमस्टे पर्यटन को बढ़ावा मिलने से गाँव में पारिवारिक आय में कई गुना वृद्धि हुई है इसके फलस्वरूप वहां रोजगार के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने से यहां से स्थायी पलायन लगभग शून्य रह गया है। जबकि दूसरी ओर उत्तरकाशी जिले में 70 गाँव 2011 की जनगणना के बाद निर्जन हुए हैं और 63 गाँव में पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है जो कि गैर-आबादी वाले गाँव के समान प्रवृत्ति हैं।[30] होमस्टे एक बढ़ता हुआ रुझान है। जैसे-जैसे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा, होमस्टे की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है। **उत्तरकाशी** जिले के जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे के अनुसार, बार्सू गाँव होमस्टे के लिए एक मॉडल बन गया है जो उद्यमशील लोगों के साथ-साथ "दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे नीति" जैसी योजनाओं के अंतर्गत सरकारी वित्तीय सहायता से संभव हुआ है। इस मॉडल का अनुकरण करने के लिए कई अन्य गाँवों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

## सन्दर्भ


1. Yearly Statics, 2020. Market Research and Statistics. Ministry of Tourism, Uttarakhand. Retrieved from https://uttarakhandtourism.gov.in/sites/default/files/document/type/Tourist%20Statistics%20from%202000%20to%202020%20of%20Major%20Tourist%20Destinations.pdf
2. Report of Tourism Satellite Account, 2018-19, Uttarakhand, National Council of Applied Economic Research, New Delhi, Sep, 2021 Retrieved from https://www.ncaer.org/wp-content/uploads/2022/09/1634724351Report-TSA-2018-19-Uttarakhand.pdf
3. Egbali, N., Nosrat, A. B., and Alipour, S. K. S., 'Effects of Positive and Negative Rural Tourism' (Case study Rural Semnan Province), Journal of Geography and Regional Planning, 4(2), 2011, pp.63-76.
4. Chandralal, K. P., 'Impacts of Tourism and Community Attitude Towards Tourism: A Case Study in India', South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3(2),2010, pp.41-49.
5. Tosun, C., 'Expected Nature of Community Participation in the Tourism Development', Tourism Management, 27(3), 2006, pp.493-504.
6. Spencer, D. M. and Nsiah, C., 'The Economic Consequences of Community Support for Tourism: A Case Study of a Heritage Fish Hatchery', Tourism Management, 34, 2013, pp.221-230.
7. Sati, V. P., 'A Sustainable Homestay Tourism and Its Prospects, Environmental Science and Engineering', Springer, 2020, pp.109–121 https://doi.org/10.1007/978-3-030-58854-0_9.
8. Homestay-listing. (n.d.). Retrieved from https://uttarakhandtourism.gov.in/homestay-listing (Accessed on January 8, 2024)
9. Lowry, L., 'Business and Economics', The Sage International Encyclopedia of Travel and Tourism, 2016.
10. Sati, V. P., 'Carrying Capacity Analysis and Destination Development: A Case Study of Gangotri Tourists/Pilgrims Circuit in the Himalaya', Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(3), Informa UK Limited, Feb. 2018, pp.312–322. https://doi.org/10.1080/10941665.20

18.1433220
11. Agyeiwaah, E. and Mensah, E. A., 'The Role of Global South Volunteer NGOS in Home-stay Arrangements in Ghana: The Parallel of Simmel's Mediator Hypothesis', Anatolia, 28(1), 2017, pp.93–95.
12. Agyeiwaah, E., 'Exploring the Relevance of Sustainability to Micro Tourism and Hospitality Accommodation Enterprises (MTHAEs): Evidence from Home-stay Owners', Journal of Cleaner Production, 226, 2019, pp.159–171.
13. Government of India, Ministry of Tourism, 'National Strategy and Roadmap for Development of Rural Tourism in India - An initiative towards Aatmanirbhar Bharat', 8 Dec, 2022. p.2 Retrieved from https://www.rural.tourism.gov.in/ images/pdf/National%20 Strategy%20of%20 Rural%20Tourism_May%202022.pdf
14. Gusain, S., 'दायरा बुग्याल का प्रवेश द्वार-बार्सू', Rural Tales, 31 Mar. 2022, Retrieved from www.theruraltales.in/barsu-village-uttarkashi-uttarakhand. (Accessed on January 12, 2024)
15. Walter, P., Regmi, K. D., and Khanal, P. R., 'Host Learning in Community-based Ecotourism in Nepal: The case of Sirubari and Ghalegaun Homestays', Tourism Management Perspectives, 26, 2018, pp.49–58. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.02.002
16. Reimer, J. K. K., and Walter, P., 'How do you know it when you see it Community-based ecotourism in the Cardamom Mountains of southwestern Cambodia, Tourism Management, 34, 2013, pp.122–132. https://doi.org/10.1016/ j.tourman.2012.04.002
17. Guo, W. and Huang, F., 'Study on the Development of Community Power and Functions Under the Background of the Development of Rural Tourism', Tourism Tribune. 26(12), 2011, pp.83–92.
18. Budhathoki, B., 'Impact of Homestay Tourism on Livelihood: A Case Study of Ghale Gaun', Lamjung, Nepal. A thesis submitted to Norwegian University of Life Sciences, 2013, pp.40-46.
19. Acharya, B. P. and Elizabeth, A. H., 'Homestays as an Alternative Tourism Product for Sustainable Community Development: A Case Study of Women-Managed Tourism Product in Rural Nepal', Tourism Planning & Development,10(4), Informa UK Limited, Nov. 2013, pp. 367–87. https://doi.org/10.1080/21568316.2013.779313.
20. Janjua, Z. U. A., Krishnapillai, G., and Rahman, M., 'A Systematic Literature Review of Rural Homestays and Sustainability in Tourism', SAGE Open, 11 (2), SAGE Publications, Apr. 2021, p.14. https://doi.org/10.1177/21582440211007117.
21. Rivers, W.P., 'Is being their enough? The Effects of Homestay Placement on Language Gain During Study Abroad', Foreign Lang Annual, 31(4), 1998, pp.492–500.
22. Wang, Y., 'Customized Authenticity Begins at Home', Annual Tourism Research Journal, 34(3), 2007, pp.789–804.
23. Macek, I.C., 'Homestays as Livelihood Strategies in Rural Economies: The Case of Johar Valley', Uttarakhand, India. A thesis submitted to the University of Washington, Washington, 2012, pp.29-32.
24. Gangotia, A., 'Home Stay Scheme in Himachal Pradesh: A Successful Story of Community-based Tourism Initiatives', (CBTIS). Global Research Annual, 2(2), 2013, pp.206–207.
25. Kulshreshtha, S., and Kulshrestha, R., 'The Emerging Importance of "Homestays" in the Indian Hospitality Sector', Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11(4), 2019, pp.458–466. https://doi.org/10.1108/WHATT-04-2019-0024
26. Semwal, R., and Priya, S., 'Preserving and Marketing Rural Cultural Heritage through Homestays of Uttarakhand State', Recent Trends in Tourism and Hospitality, 2022, pp.85-97.
27. Negi, S., and G. P. Dang, 'Rural Tourism: A Ray of Hope for the Sustainable Rural Development of Uttarakhand', Third Concept, Jan. 2023, pp. 105–10.
28. Arbnor, I., and Bjerke, B., 'Methodology for Creating Business Knowledge', SAGE Publication, Ltd. 2009. https://doi.org/10.4135/9780857024473
29. Srivastava, P., 'Kuldhara Village: A Spooky Adventure', Times of India Travel, 7 June 2016.
30. उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, फरवरी, 2022, पृ. 38,44 http://www.uttarakhandpalayanayog.com /pdf/Final%20Editing%20book%20(1)%20(1).pdf.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# मध्यकालीन भारत में सराय : साहित्यिक स्त्रोतों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन

❑ नवनीत

**सूचक शब्द** : सराय, धर्मशाला, पुण्यशाला, विश्राम-गृह, डाक-चौकी, कारवाँ-सराय, तारतारस, ख्वाजासरा, विदेशी यात्री।

यात्राएं मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर यात्रा करता रहा है, किन्तु सभ्यताओं के वृहद ऐतिहासिक परिदृश्य में न केवल मानव की यात्राओं के कारण बदले अपितु यात्राओं के तरीके और यात्रा के साधन दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार हुआ। विकास के इस ऐतिहासिक क्रम में यात्राओं के सन्दर्भ में एक अनिवार्य तत्व जो आदर्श के रूप में उभरा और अत्यंत तेजी के साथ विकसित हुआ वह था आतिथ्य और उसके विभिन्न स्वरूप। आतिथ्य के विभिन्न स्वरूपों में से ही एक संस्था के रूप में 'सराय' का उदय और विकास हुआ था। प्रस्तुत लेख 'मध्यकालीन भारत में सराय' का साहित्यिक स्त्रोतों के संदर्भ में ऐतिहासिक अध्ययन का एक प्रयास है।

**आधुनिक परिवहन** के साधनों के आगमन से पूर्व, लोग परिवहन के लिए बैल, बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़े या ऐसे ही कुछ अन्य साधनों का उपयोग करते थे। जो लोग आरामदायक यात्रा करने के लिए साधनों पर अधिक व्यय करने में सक्षम थे, वे पालकी का उपयोग करते थे। इनमें से किसी भी साधन से एक दिन में अधिक दूरी तय नहीं की जा सकती थी। मध्यकालीन भारत में शहरों और कस्बों के मध्य अत्यधिक अन्तराल था। उपलब्ध स्रोतों से यह भी जानकारी मिलती है कि कई मार्ग चोरों, लुटेरों और ठगों के गिरोहों से प्रभावित थे और ये कारक मध्ययुगीन यात्रियों, व्यापारियों और कभी-कभी अधिकारियों के लिए भी भयावह सिद्ध हो जाते थे। इन कारकों ने ही लोगों को बड़े समूहों में यात्रा करने के लिए बाध्य किया, जिन्हें कारवाँ कहा जाता है। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद रात्रि विश्राम के लिए कुछ सुरक्षित स्थान अपरिहार्य थे जहाँ ये कारवाँ अपने और अपने जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते थे। एक दिन की यात्रा (लगभग 8 कोस) के लिए निरंतर अंतराल पर बने विश्राम-गृह इन्हीं सुरक्षात्मक उपायों के साथ यात्रियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मार्गों पर यात्रियों, व्यापारियों, तीर्थ-यात्रियों आदि के लिए विश्राम-गृहों की स्थापना, जिन्हें सतीरा, चावड़ी, धर्मशाला, पुण्यशाला, सराय, डाक-चौकी, कारवां-सराय, सारा आदि के नाम से जाना जाता था, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक रही है। इन सरायों ने न केवल मार्ग में यात्रियों को आश्रय प्रदान किया बल्कि मध्यकालीन भारत के व्यापार और वाणिज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मध्ययुगीन यात्रियों के प्रत्येक वृत्तांत में, हमें सराय का उल्लेख मिलता है, जिसने मध्यकालीन मार्गों की उस भयावहता की परिस्थितियों में शांति तथा स्थिरता की स्थिति पैदा की और व्यापार एवम् वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसने अत्याधिक यात्रियों और व्यापारियों को सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सरायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की माँग में तो निरंतर वृद्धि हुई ही और साथ ही इस प्रकार की नई सरायों के निर्माण को भी बढ़ावा मिला। समकालीन इतिहासकारों के साथ-साथ कई विदेशी यात्री भी विभिन्न मध्यकालीन मार्गों के संदर्भ में सरायों के विवरण प्रदान करते हैं जो कि अनेक महत्वपूर्ण नगर-केन्द्रों को आपस में जोड़ते थे।

**सराय का अर्थ और इतिहास-लेखनः** सराय (जिसे सरा भी कहा जाता है) एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है

❑ शोध अध्येता इतिहास और संस्कृति विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (नई दिल्ली)

एक स्थान, एक इमारत, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में इसका तात्पर्य एक रुकने की जगह से है। ख्वाजासरा (मुगल हरम का रक्षक) के मुगल पदनाम की उत्पत्ति भी इस शब्द के ही एक अर्थ 'वास-स्थान के रूप' से हुई प्रतीत होती है। इसका उपयोग मूल रूप से तारतारस[1] द्वारा किया गया था जब उन्होंने वास-स्थानों का निर्माण प्रारंभ किया था। फारस में सराय के सामान्य अर्थ की तरह ही भारत में भी सराय यात्रियों के जानवरों और सामान के साथ यात्रियों के आवास के लिए एक इमारत थी इसमें एक गोल कक्ष के साथ एक संलग्न अहाता सम्मिलित होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन की गई विभिन्न सरायों में चारदीवारी वाले आवासों और भंडार गृहों की व्यवस्था पूरे मध्यकालीन भारत में विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक थी। इन सरायों को आवास कक्षों और परिचारकों के लिए कक्षों में विभाजित किया गया था। ये परिचारक यात्रियों के लिए भोजन तैयार करने के साथ-साथ यात्रियों के परिवहनीय जानवरों की भी देखभाल तथा दाना-पानी आदि करते थे, इन परिचारकों की सेवाओं को सराय में आने वाले यात्री स्वयं तथा अपने जानवरों दोनों के लिए सराय द्वारा तय नाममात्र शुल्क चुकाकर कर प्राप्त कर सकते थे।[2]

**भारत में** किसी न किसी संस्थागत रूप में सराय प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में राजमार्गों पर विश्राम-गृह बनाने की परंपरा, दूर-दराज के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत एक केंद्रीकृत राज्य के उदय के साथ प्रारंभ हुई थी। ऐसे राज्य को सूचना और शाही आदेशों के त्वरित प्रसारण के लिए विश्राम-गृहों से युक्त राजमार्गों के एक कुशल तंत्र की आवश्यकता थी, जो प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक थे। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो की एक बड़ी इमारत की पहचान 'तीर्थयात्रियों या यात्रियों के लिए किसी प्रकार के आवास' के रूप में की है।[3] मोती चंद्र का मानना है कि ऋग्वेद का प्रथम या प्रपथा (1.166.6) और अथर्ववेद का तीर्थ (14.2.6) शायद एक विश्राम-गृह अर्थात जहां यात्रियों को आश्रय और भोजन मिल सके को इंगित करता है।[4] महाभारत में यात्रियों के लिए आश्रय-छादन का उल्लेख मिलता है।[5] कई जातकों में सार्वजनिक विश्राम-गृहों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि, तेलपट्ट जातक में, हम तक्षशिला शहर के द्वार पर बने ऐसे ही एक विश्राम-गृह के बारे में वर्णन पाते हैं।[6] कौटिल्य ने यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मवासथ या धर्मशाला का उल्लेख किया है।[7] प्राचीन ग्रंथ शुक्रनीति में यात्रियों के लिए मार्गों पर पानी के स्त्रोतों से युक्त मजबूत सरायों या विश्राम गृहों का निर्माण करना राजा का कर्तव्य बताया गया है।[8] साथ ही इस ग्रन्थ में प्रत्येक दो गांवों के बीच एक सराय की सिफारिश भी की गई थी, जिसका समुचित प्रबंध इन गांवों के शासकों द्वारा किया जाना अनुशंसित है।[9] किसी भारतीय शासक के द्वारा सड़कों पर विश्राम-गृहों के निर्माण का सबसे पहला संदर्भ अशोक के शिलालेखों में मिलता है। सातवें स्तंभ शिलालेख में, जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, अशोक ने आठ कोस के अंतराल पर कुएं खुदवाने और निमिषदल्या (विश्राम-गृह) का निर्माण कराने की बात कही है।[10] शेरशाह (1540-45 ई.) और अकबर (1556-1605 ई.) के द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर क्रमशः दो और पाँच कुरोहों के अंतराल पर स्थापित सरायें, इसी प्रकार के विश्राम-गृहों का ही प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती हैं।[11] स्पष्ट है, सड़कों पर विश्राम-गृह स्थापित करने के लिए एक केंद्रीकृत राज्य उपक्रम की यह प्राचीन भारतीय परंपरा सोलहवीं शताब्दी तक निरंतर किसी न किसी रूप में जीवित रही थी। प्राचीन काल में प्रमुख व्यापार मार्गों पर बौद्ध-विहारों ने भी यात्रियों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को समान रूप से आवासीय सेवाएँ प्रदान की थीं। जुआन-जुआंग ने कई पुण्यसालाओं (शाब्दिक रूप से, दान से चलने वाले घर) का उल्लेख किया है, ताकि यात्रियों को कभी भी मार्ग में कोई कष्ट तथा आर्थिक हानि न हो।[12]

**मध्ययुगीन भारत** में बड़े पैमाने पर यात्राएँ व्यापारियों, तीर्थ-यात्रियों, राज्य-अधिकारियों और उनके सैनिकों दलों के द्वारा की जाती थीं और सराय रूपी संस्था इन सबके लिए मध्यकालीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। भारत में सरायों की निरंतरता तथा इस संस्था के बहुमुखी कार्य-क्षेत्रों के बारे में सभी उपलब्ध साक्ष्य तुर्क विजय के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह संस्था अपने स्वरूप में, जो कि मुगलकालीन सरायों के ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से सत्यापित होती हैं, इस देश में तुर्कों के द्वारा कुछ नवीन मध्य-एशियाई तत्वों के साथ प्रस्तुत की गई थी। इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि मुगल

काल के दौरान राज्य द्वारा सार्वजनिक कल्याण के कार्यों के रूप में सरायों का निर्माण कोई नई घटना नहीं थी। सल्तनतकालीन उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सराय बलबन के शासनकाल से ही दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अस्तित्व में थीं।[13] सुल्तान अला-अल-दीन खिलजी (1296-1316 ई.) के एक निर्देश कि, "किसी को भी शराब नहीं पीनी चाहिए और न ही बेचनी चाहिए या उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।" यह निर्देश राजधानी की सड़कों, बाड़ों, बाजारों के साथ-साथ राज्य की विभिन्न सरायों में भी घोषित किया गया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी तुगलक वंश के सुल्तान, मुहम्मद बिन तुगलक (1325-51 ई.) के द्वारा दिए गए राजधानी परिवर्तन के आदेश के कारण दिल्ली शहर की बर्बादी पर शोक व्यक्त करते हैं, उनकी हानि की सूची में पहली बात जो आती है वह है तत्कालीन सराय जो कि सार्वजनिक उपयोग की मध्ययुगीन संरचनाएँ ही थीं जिनकी तुलना आधुनिक सराय या होटलों से की जा सकती है। भडगांव (महाराष्ट्र) से मुहम्मद बिन तुगलक के समय के एक शिलालेख (1328 ई.) में मेहतर-ए-सराय या सराय के मालिक सनबुल के द्वारा उस स्थान पर एक सराय के निर्माण का आलेख है।[14] फिरोज तुगलक के समय के बाद से दिल्ली-सल्तनत के शासकों को निश्चित रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए सराय स्थापित करने के लिए जाना जाता है।[15] अफीफ ने स्पष्ट रूप से सुल्तान फिरोजशाह के द्वारा यात्रियों के आवास के लिए मठों और सरायों के निर्माण का उल्लेख किया है, जहाँ सभी दिशाओं से यात्री तीन दिनों के लिए अतिथि के रूप में आते थे।[16] उसके द्वारा प्रदत अठारह स्थानों की सूची में तीन स्थान सराय नाम से निर्दिष्ट हैं, जिन्हें फिरोज तुगलक द्वारा नवनिर्मित फिरोजाबाद शहर में सम्मिलित किया गया था।[17] लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सल्तनतकाल की उपर्युक्त सरायें शहरों या कस्बों में स्थित थीं, न कि राजमार्गों के किनारे।

**राजमार्गों पर** सरायों के निर्माण कराने का श्रेय सबसे पहले शेरशाह सूरी को जाता है, जिसने मूल रूप से राज्य की प्रशासनिक आवश्यकता के लिए और आंशिक रूप से यात्रियों की आवश्यकता के लिए मार्गों पर बड़े पैमाने पर सरायों का निर्माण शुरू किया था। इसी कारण शेरशाह को सराय निर्माण के क्षेत्र में मुगल शासकों तथा मुगल साम्राज्य का पथ-प्रदर्शक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार ईरान में हर सराय का श्रेय सफविद सम्राट शाह अब्बास प्रथम (1589-1627 ई.) को दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार शेरशाह का नाम भी सराय की संस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वर्तमान में यह एक आम धारणा बन गई है कि भारत में हर सराय शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी। तारीख-ए-शेरशाही के लेखक के अनुसार[18], शेरशाह ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक सड़क पर दो कोस की दूरी पर सरायें स्थापित की थीं। शेरशाह अपने राज्य-भर में विभिन्न सड़कों पर लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। शेरशाह के बाद इसी निर्माण-परंपरा का पालन मुगलों ने भी किया। शेरशाह द्वारा स्थापित सरायों के संक्षिप्त विवरण से यह आभास होता है कि ये मूल रूप से डाक-चौकी थीं, जो उन यात्रियों को मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करती थीं, जिनके पास यात्रा के दौरान कहीं अन्यत्र ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक यात्री को इन सरकारी किराए के घरों में मुफ्त पहुंच नहीं थी।[19] यदि हम रिजकुल्लाह मुश्ताकी और अब्बास खान के शेरशाह के द्वारा स्थापित सरायों के विवरण की तुलना करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्रेणी की सराय मिट्टी की प्राचीर से घिरी हुई तथा एक ऊँची जगह पर बनी होती थी, जिसमें केवल एक दरवाजा (बड़ा प्रवेश द्वार) होता था।[20] इस घेरे के अंदर, एक खाना-ए-पादशाही (एक सरकारी घर) विद्यमान था, जो कि एक इमारत या इमारत का एक हिस्सा होता था जो वहां तैनात राज्य-कर्मियों अर्थात् कई निगहबान (चौकीदार) जिनकी कमान एक शहना (अधिकारी) के पास होती थी, के उपयोग के लिए आरक्षित था।[21] संभवतः ये पदाधिकारी सराय में तैनात डाक-चौकी के दो घोड़ों की देखभाल के लिए भी उत्तरदायी थे। खाना-ए-पादशाही के अलावा, प्रत्येक सराय में हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए खाना-हा (कमरे) होते थे। हिंदू यात्रियों की सेवा के लिए ब्राह्मण और मुस्लिम परिवारों को सराय के प्रवेश द्वार के करीब ही बसाया जाता था। इन सेवा समूहों को सरकार की ओर से यात्रियों को गर्म और ठंडा पानी, चारपाई (बिस्तर), खुरदानी (खाद्य-पदार्थ) और दाना-ए एस्प (घोड़ों के लिए खाद्य-पदार्थ) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खिश्त-ए-पुख़्ता (पकी हुई ईंटों)

से निर्मित एक कुआँ और एक मस्जिद-ए-जामी (केंद्रीय मस्जिद) तथा अहाते के केंद्र में स्थित एक बाजार इस काल की सरायों की विशिष्टता थी। मस्जिद से एक इमाम (प्रार्थना कराने वाला) और मुअज्जिन (प्रार्थना के लिए बुलाने वाला) भी जुड़े हुए थे। सराय में तैनात व्यक्तियों, जिनमें शहना, निगाहबान के साथ-साथ सेवा-कर्मचारी और मस्जिद के पदाधिकारी सम्मिलित थे, को राज्य के द्वारा सराय के आसपास के क्षेत्र में मदद-ए माश (राजस्व-मुक्त) भूमि के आबंटन के माध्यम से भुगतान किया जाता था। संभवतः सराय का तथा डाक-चौकी के घोड़ों के रख-रखाव और जरूरतमंद यात्रियों को मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए व्यय होने वाला खर्च भी उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए आबंटित भूमि अनुदान की आय से ही संतुलित कर लिया जाता था। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने कुछ अतिरिक्त सरायों का निर्माण कराकर अपने पिता का अनुकरण करने का प्रयास किया।[22] लेकिन ये सभी मुगल-पूर्व सरायें केवल साहित्यिक और पुरालेखीय स्रोतों से ही वर्तमान में ज्ञात होती हैं। इस काल की किसी भी वास्तविक संरचना के बचे होने के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं।[23] इन संरचनाओं की अनुपस्थिति का कारण संभवतः इन इमारतों का मिट्टी या मिट्टी-ईंट जैसी अस्थायी निर्माण सामग्री से बना होना था, जो समय के साथ ढह गईं।

**सार्वजनिक** उपयोगिता के ऐसे वृहत कार्य व्यवस्थित और समृद्ध शासनकाल का परिणाम होते हैं, इसलिए मुगलकाल के दौरान सबसे बड़ी संख्या में पक्की-ईंट और पत्थर जैसी स्थायी निर्माण सामग्री से सरायें बनाई गईं। वर्तमान समय में कई व्यापार-मार्गों तथा नगरों के बाहर बनी हुए सरायों के बचे हुए अवशेष इसी कालावधि के हैं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल का संक्षिप्त समय उसके विभिन्न युद्धों में ही व्यतीत हो गया, इसलिए उसके पास सरायों के निर्माण में संलग्न होने का समय ही नहीं था। लेकिन सार्वजनिक सेवाओं की बेहतरी के लिए उसकी चिंता 10 फरवरी 1529 ई. को इटावा के निकट से काबुल के ख्वाजा-कलां को भेजे गए एक पत्र से स्पष्ट होती है, जिसमें उसने ख्वाजा-कलां को राजस्व के रूप में कानूनी रूप से लिए गए धन को अन्य चीजों के अलावा सार्वजानिक कार्यों के रूप में कारवां-सरा की मरम्मत (स्पष्ट रूप से काबुल क्षेत्र की) पर खर्च करने का आदेश दिया था।[24] हालाँकि हमें हुमायूँ द्वारा सरायों को संरक्षण देने का कोई समकालीन संदर्भ नहीं मिलता है। आरिफ कंधारी और अकबरनामा[25] के तकमीला (अंतिम भाग) के लेखकों द्वारा उल्लिखित अकबर के शासनकाल के सड़कों के किनारे के विश्राम-गृह मूल-रूप से उसी तरह के संस्थान प्रतीत होते हैं जैसे कि रिजकुल्ला मुश्ताकी और अब्बास खान द्वारा वर्णित शेरशाह की सरायें थीं। 1580 ई. के आस-पास लिखते हुए आरिफ कंधारी ने इन विश्राम-गृहों को पांच कुरोहों के अंतराल पर सड़कों पर स्थित चौकियों के रूप में संदर्भित किया है। वह इन विश्राम-गृहों में तैनात गार्डों को दो पदनामों का परस्पर उपयोग करते हुए चौकीदारन-ए-खासा या मेवरा कहता है। उसके अनुसार, चौकीदारन-ए-खासा या मेवरा सीमा पर तैनात अधिकारियों के मुहरबंद पत्रों को कुछ ही समय में अदालत तक पहुंचा दिया करते थे। अकबरनामा के तकमीला से यह पता चलता है कि, अकबर के शासनकाल के अंत में, 1580 से पहले की अवधि की डाक चौकियों को आम तौर पर सराय-हा-या-रिबातत के रूप में संदर्भित किया जाता था। 1603-04 ई. के अपने विवरण में, तकमीला के लेखकों का कहना था कि सड़कों पर स्थित सराय-हा या रिबात में लंगर-हा (आवासीय क्वार्टर) और मतबाख-हा (रसोईघर) स्थापित किए गए थे और रह-नवार्दन-ए-बि-माया (निर्धन यात्रियों) को विभिन्न प्रकार की खुरदानी (खाने योग्य चीजें) प्रदान की जाती थीं। इस प्रकार सराय या रिबात तक पहुँचने से एक यात्री को उस समय अपना भोजन पकाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाती थी खासकर उस समय जब वह अपने दिन-भर के सफर से बहुत थका हुआ होता था। यहां अभिव्यक्ति रह-नवार्दन-ए-बि-माया नामक शब्दावली से पता चलता है कि ये सुविधाएं केवल गरीब यात्रियों के लिए ही थीं। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि राज्य द्वारा संचालित सरायों में जाने वाले यात्रियों को भोजन और अन्य सुविधाएँ मुफ्त दी गईं थीं या इसके लिए कोई शुल्क अदायगी भी थी। शेरशाह के काल के विवरण से यह आभास होता है कि शेरशाह द्वारा गरीब यात्रियों को मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की प्रथा अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक दौर में अनुपयोगी हो गई थी। तकमीला में 1603-04 ई. में लंगर-हा और मतबाख-हा की स्थापना के संदर्भ से संकेत मिलता है कि इस समय तक अकबर

शेरशाह की प्रथा पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। अब गैर-आधिकारिक तथा गरीब यात्रियों को भी मुगल राज्य द्वारा संचालित इन विश्राम-गृहों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जैसा कि आरिफ कंधारी के पहले के विवरण से पता चलता है, कि यह मूल रूप से डाक-चौकियों से अधिक कुछ नहीं थे और शायद, राज्य द्वारा संचालित विश्राम गृहों में आने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन भी दिया जाता था, लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। उज्जैन से प्राप्त अकबर के शासनकाल के एक शिलालेख में क्रमशः 1574-75 ई. और 1578-79 ई. की तिथियाँ अंकित हैं, जो एक शाह फखर-अल-दीन द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए एक सराय की स्थापना और पूर्ण होने की तिथियाँ थीं।[26] अकबर के शासनकाल का एक और शिलालेख, भौंरासा (जिला विदिशा, म.प्र.) में पाया गया है जो कि एक खान-ए-खाना बैकारा के द्वारा 1584 ई. में सार्वजनिक उपयोग के लिए इस क्षेत्र में एक पक्की सराय का निर्माण कराने का वर्णन देता है।[27] जहाँगीर ने अपने शासनकाल के पहले वर्ष में, उसके द्वारा शासित पूरे क्षेत्र में लागू करने और पालन करने के लिए बारह फरमान जारी किए थे और उनमें से एक फरमान यह भी था कि उन सड़कों पर जहाँ चोर और डाकू थे और जहाँ सड़कें बस्ती से कुछ अधिक दूर थीं, के जागीरदार उस क्षेत्र में एक कारवां-सराय और मस्जिद का निर्माण करवाएं और साथ ही इन कारवां-सराय में निवास को प्रोत्साहित करने के लिए एक कुआँ भी खुदवाएं, यदि ऐसे स्थान शाही अधिकार-क्षेत्र के पास हो तो उस सम्बंधित स्थान के अधीक्षक को इस फरमान के आदेशों को पूरा करवाना था।[28] जहाँगीर के काल की दर्जनों सरायों के पुरातात्विक साक्ष्य हमें आज भी उपलब्ध हैं। उसके उत्तराधिकारियों क्रमशः शाहजहाँ और औरंगजेब के काल की भी इतनी ही संख्या में सरायें जीवित अवस्था में हैं।[29] औरंगजेब ने स्वयं धर्मत के युद्ध में दारा-शिकोह पर अपनी जीत का जश्न उस स्थल पर एक सराय बनवाकर मनाया था।[30]

**मध्यकाल में** स्थापित की जाने वाली ये शानदार सरायें, सामाजिक और आर्थिक उपयोग के अलावा, निर्माताओं की शक्ति की भी परिचायक थीं। समरकंद के एक द्वार पर अमीर तैमूर के द्वारा लगवाया गया एक शिलालेख दुनिया भर के शासकों द्वारा निर्माण गतिविधियों की प्रकृति के सम्बन्ध में एक सार प्रस्तुत करता है। इसमें लिखा है "जो हमारी शक्ति और भव्यता पर संदेह करता है, वह हमारी इमारतों को देखे।" मुगल सम्राट जो कि तैमूर के वंशज थे, उनके मन में भी यही उद्देश्य था। साथ ही इन स्मारकों में निर्माता की महिमा, शान और शक्ति की झलक भी मिलती है। अबुल फजल स्वीकार करते हैं कि स्मारक उस गरिमा के अनुकूल हैं, जो सांसारिक शक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है।[31] बादशाहों को पता था कि उनकी इमारतों के कारण उनका नाम युगों-युगों तक जीवित रहेगा। एक कहावत है कि 'किसी व्यक्ति की कुलीनता उसके द्वारा निर्मित इमारतों से जानी जा सकती है...'[32] बादशाहों के अलावा शाही घराने के अन्य सदस्यों, बेगमों, शहजादे- शहजादियों आदि ने भी सरायों के निर्माण के लिए धन दिया था।

**जहांगीर की** मां मरियम अल-जमानी ने 1613-14 ई. में बयाना में, फतेहपुर सीकरी-अजमेर मार्ग पर एक सराय बनवाई थी।[33] वहीं जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ को विभिन्न मुगल राजमार्गों के किनारे कई सरायें बनवाने के लिए जाना जाता है। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने साम्राज्य की सभी दिशाओं में एक स्थायी प्रतिष्ठा स्थापित करने के इरादे से वृहद सरायें बनवाने के लिए नूरजहाँ की प्रसिद्धि दर्ज की है।[34] आगरा-लाहौर राजमार्ग के किनारे नूरमहल में नूरजहाँ के द्वारा बनवाई गई सराय मुगल वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। हालाँकि, सरायों के निर्माण को संरक्षण देने में उनकी रुचि केवल दान तक ही सीमित नहीं थी। उदाहरण के लिए, आगरा के ठीक बाहर नूरजहाँ की एक सराय, जो आकर्षक रूप से पटना-आगरा व्यापार मार्ग पर स्थित थी, ने उसे पूर्वी भारत से आगरा और आगे उत्तर में आने वाले सामानों पर लगाए जाने वाले करों के रूप में पूरा नियंत्रण प्रदान किया था।[35] जहाँगीर की एक और पत्नी, खास-महल, जो कुलीन जैन खान की बेटी थी, ने भी 1642-43 ई. में दिल्ली के निजामुद्दीन में एक सराय बनवाई थी।[36] मुगल सरायों की एक और प्रसिद्ध महिला निर्माता, शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी जहाँआरा थीं, जिन्हें सम्मानपूर्वक बेगम साहिबा कहा जाता था। उनकी सबसे प्रसिद्ध सराय दिल्ली में बेगम की सराय थी, जो अब मौजूद नहीं है।[37] बर्नियर और मनूची दोनों ही इस सराय की बहुत प्रशंसा करते हैं, कुछ यात्रियों ने इसे 'हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सराय' के रूप में नामित किया है।[38] बर्नियर कहते हैं

कि 'यह स्थान समृद्ध फारसी, उज्बेक और अन्य विदेशी व्यापारियों का मिलन स्थल है।'[39] मनूची हमें यह भी बताते हैं कि इस सराय में मुगल और फारसी व्यापारियों के अलावा किसी को निवास नहीं दिया जाता था।[40] उसने स्वयं अपनी सराय के बारे में लिखा था "मैं एक ऐसी बड़ी और बेहतरीन सराय बनाऊंगी, जो हिंदुस्तान में किसी और जगह नहीं होगी। जो पथिक इसके अहाते में प्रवेश करेगा, उसके शरीर और आत्मा दोनों को सहारा मिलेगा और इस प्रकार मेरा नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा।"[41] नवाब फतेहपुरी बेगम ने भी चांदनी चौक में अपनी मस्जिद के पास एक सराय को संरक्षण दिया था।[42] वहीं नवाब अकबराबादी बेगम ने फैज बाजार में अपनी मस्जिद के एक हिस्से के रूप में एक सराय बनवाई थी।[43] औरंगजेब की पत्नी, नवाब बाई ने भी औरंगाबाद से लगभग नब्बे किलोमीटर उत्तर-पूर्व में फर्दपुर में एक सराय का निर्माण कराया था।[44] शाही महिलाओं के अलावा, शेख अब्दुल रहीम लखनवी की ब्राह्मण विधवा पत्नी को भी सराय और सार्वजनिक उपयोग की अन्य इमारतों का निर्माण करके अपने पति के नाम और प्रसिद्धि को जीवित रखने के लिए जाना जाता है।[45]

**हालाँकि, सरायों** के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए दान तथा भू-अनुदान देने वालों की सबसे बड़ी संख्या कुलीनों की थी। इनमें से कुछ ने पुण्य-कार्य के रूप में, जबकि कुछ ने बादशाह की नजर में ऊपर उठने के लिए सरायों का निर्माण करवाया था।[46] मैनरिक लिखते हैं कि, कारवां-सरायों का निर्माण अमीर लोगों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने विवेक से यात्रियों को राहत देने के लिए, बड़े पैमाने पर खर्च करके किया गया था।[47] एडवर्ड टेरी के अनुसार, दान के उतम कार्यों के रूप में कई अमीर लोगों ने व्यस्ततम राजमार्गों के निकट सरायों तथा कुएं और प्याऊ का निर्माण करवाया, जिसके अनगिनत उदाहरण हैं।[48] वास्तव में, मध्यकाल के दौरान शासकों और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, कुलीन वर्ग तथा व्यापारियों ने ही मुख्यतः सरायों का निर्माण करवाया था।

**कारवां-सराय** : सोलहवीं शताब्दी के दौरान ही उत्तर भारत के साथ-साथ दक्कन में विश्राम-गृहों की एक और श्रेणी प्रमुखता से सामने आई, जिन्हें औपचारिक रूप से कारवां-सराय के रूप में नामित किया गया था। ये पिछले अनुच्छेद में वर्णित राज्य-संचालित डाक-चौकियों तथा सरायों से काफी अलग थीं। आमतौर पर, डाक संदेशवाहक, जो कि ड्यूटी पर रहते हुए, लम्बी यात्रा के दौरान, अपने मार्गों पर स्थित कारवां-सरायों में प्रवेश करने की उम्मीद करते थे,[49] परन्तु उन्हें केवल डाक-चौकियों में ही भोजन और आश्रय प्रदान किया जाता था, जो केवल असाधारण रूप से कारवां-सराय के घेरे के भीतर स्थित होती थी। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कारवां-सराय और डाक-चौकियों के बीच सीमांकन इतना स्पष्ट हो गया था कि अधिकारियों को अक्सर महत्वपूर्ण मार्गों (जहां पहले से ही कई कारवां-सराय मौजूद थे) पर डाक-दूतों का उपयोग करने के लिए अलग और तुलनात्मक रूप से छोटी संरचनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था।[50]

**राज्य के** साथ-साथ निजी व्यक्तियों या व्यवसायिक निकायों द्वारा स्थापित कारवां-सराय मुख्य रूप से नागरिक यात्रियों को सेवा प्रदान करते थे, जिनसे भोजन और आवास के लिए मामूली ही सही, परन्तु एक शुल्क राशि ली जाती थी।[51] इनमें से अधिकांश कारवां-सरायों को संस्थापकों या सामूहिक निकायों द्वारा दिए गए दान/चन्दा के द्वारा संचालित किया जाता था। दान/चन्दा से होने वाली आय का उपयोग कारवां-सरायों के सामान्य रख-रखाव पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था, जबकि आने वाले यात्रियों द्वारा किए गए भुगतान से विभिन्न सेवा समूहों, विशेष रूप से भटियारों को, जो परिचारक तथा सह-रसोइया के रूप में काम करते थे, को जीविका प्रदान की जाती थी।[52] हालाँकि, राज्य की सेवा में लगे व्यक्तियों या आधिकारिक कार्यों से यात्रा करने वाले लोगों को, डाक-चौकियों के मेवरा के संभावित अपवाद के अलावा, कारवां-सराय का उपयोग करने से नहीं रोका जाता था। समय बीतने के साथ-साथ यह धारणा विकसित हुई कि कारवां-सराय में रहना सैन्य पेशे में लगे सैनिकों या अधिकारियों की पद स्थिति के लिए निम्नता या उपहास का सूचक था। कारवां-सराय में प्रवेश मिर्जा (सज्जन-सैनिक) की गरिमा के लिए निम्नतर माना जाता था। कारवां-सराय विभिन्न मध्यवर्गीय समूहों जैसे व्यापारियों, महाजनों, राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ शहरी बुद्धिजीवियों के सांस्कृतिक लोकाचार से भी जुड़े हुए थे, जिनके बारे में माना जाता था कि उनमें मुगल-कुलीन सांस्कृतिक मूल्यों की कमी थी।[53]

**प्रारंभ में** कारवां-सराय महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के आस-पास ही स्थापित की गई थी, जो गरीबों और अमीरों के बीच बिना किसी भेदभाव के सामान्य यात्रियों को अस्थायी आवास प्रदान करती थीं। ये कारवां-सराय अधिकतर धर्मार्थ संस्थाएँ थीं। हालाँकि, समय बीतने के साथ, ये किराया लेने वाली संपत्तियाँ भी बन गईं। कारवां-सराय जैसी संस्थाओं की स्थापनाओं का सबसे पहला साक्ष्य यद्यपि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल (1351-87 ई.) का है।[54] विवरणों के अनुसार, उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली में एक सौ बीस रिबत-हा और खंगा-हा की स्थापना की थी। दिल्ली आने वाले प्रत्येक यात्री का इन स्थानों पर तीन दिनों तक दो मिहमन (एक अतिथि से भोजन और आवास का शुल्क नहीं लिया जाता) के रूप में मनोरंजन किया जाता था। शम्स सिराज अफीफ के अनुसार, इन विश्रामगृहों को कट्टर सुन्नी मान्यताओं के मुतवल्लियों (प्रशासकों) के अधीन रखा गया था और उन पर होने वाला खर्च शाही खजाने द्वारा दिए जाने वाले नकद अनुदान से ही पूरा किया जाता था।

**सुल्तान मुजफ्फर** द्वितीय (1512-26 ई.) के शासनकाल के दौरान गुजरात के महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में इसी तरह के विश्राम-गृहों के अस्तित्व का प्रमाण सिकंदर-बिन-मंझू के द्वारा लिखित गुजराती इतिहास की कृति, मिरात-ए-सिकंदरी में प्रदान किया गया है।[55] 1512 ई. में चंपानेर में राजकुमार मुहम्मद (सुल्तान मुजफ्फर के पुत्र) के अनुयायियों और सफाविद दूत मिर्जा इब्राहिम के अनुचरों के बीच हिंसा के कारण हुए झगड़े के बारे में लेखक के वर्णन से, संयोगवश उस सराय की विशेषताओं के बारे में पता चलता है जिसमें कि वह रह रहा था। उस सराय में एक चारदीवारी थी जिसमें एक ही प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता था। इस चारदीवारी के भीतर कई खाना-हा (घर) स्थित थे जो इतने विशाल थे कि उन्हें सफाविद शासक शाह इस्माइल के दूत, या सुल्तान के किसी एक बेटे के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले उच्च पदस्थ रईस जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवास के लिए उपयुक्त माना जाता था। हालाँकि, सिकंदर बिन मंझू का प्रासंगिक परिच्छेद, इस स्थान पर उपलब्ध कक्षों की प्रकृति पर कोई प्रकाश नहीं डालता है, जिन्हें उन्होंने खाना-हा (वे घर जिनमे एक ही प्रकार के सामान्य और विशेष कमरे होते थे, जो कि वर्गाकार होते थे) कहा है। हम यह नहीं जानते हैं कि क्या मुगल कारवां-सराय की इन जीवित पुरातात्विक संरचनाओं में स्थान के आधार पर या संगठन में कोई अलग पैटर्न मौजूद था या लेखक ने आने वाले यात्रियों के लिए आरक्षित हुजरा-हा के बजाय खाना-हा शब्द का उपयोग करना चुना था। हालाँकि, इस तथ्य से कि इन आवासों के लिए प्रयुक्त चौम्बर या कमरे शब्द से यह आभास होता है कि इन गुजराती कारवां-सराय में आवासीय स्थानों में एक प्राचीर से घिरे आंगन के भीतर एक दूसरे से सटे हुए सघन घरों का एक जाल भी सम्मिलित था।

**ऐसा प्रतीत** होता है कि अकबर के शासनकाल के 31वें वर्ष (1586-87 ई.) के बाद से भारत में तैमूरी राज्य द्वारा पूरे साम्राज्य में कारवां-सराय स्थापित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए थे। अबुल फजल के अनुसार, इसी समय के आस-पास अकबर ने कारवां-सराय सहित विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों की स्थापना के लिए अपने अमीरों से धन जुटाया था। उन्होंने उनसे दाम, रुपये या मुहर (अपनी पसंद के आधार पर) में राशि का योगदान करने के लिए कहा जो उनकी उम्र के वर्षों के अनुरूप भी हो। ये योगदान उस अधिकारी के ही अंतर्गत रखा गया था जिसे इस भव्य परियोजना को निष्पादित करने का कार्य सौंपा गया था।[56] इस परंपरा के अनुसार छाता (मथुरा जिला)[57] का कारवां-सराय और छपरा-घाट (कानपुर जिला) का कारवां-सराय, जिसे अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया माना जाता है, ये दोनों इसी सार्वजानिक परियोजना के तहत स्थापित किए गए थे।[58]

**निष्कर्षः** एक संस्था के रूप में सराय के बारे में इतिहासकारों के मत हैं कि भारत में इसका प्रारंभ तुर्कों के द्वारा किया गया था और एक सार्वजनिक संस्था के रूप में बड़े पैमाने पर सरायों का निर्माण लगभग सोलहवीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुआ। परन्तु यदि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोतों को सूक्ष्मता से देखा जाए तो हम सहजतः ही सराय संस्था के स्वरूप तथा इसकी कार्य-पद्धतियों से मेल खाती विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न नामों के साथ सक्रिय पाते हैं, किन्तु यह भी एक यथार्थ तथ्य है कि मध्यकालीन भारत की सराय संस्था की तुलना में इनकी संख्या कम तथा इनके निर्माण-क्षेत्र और इनकी सेवाओं के लाभार्थी वर्ग सीमित

थे। परन्तु तुर्कों के भारत आगमन के साथ इस संस्था की प्रकृति, कार्य-पद्धति, निर्माण-पद्धति के साथ- साथ इनके व्यापक उपयोग का एक नया युग प्रारंभ हुआ। सल्तनतकाल के पश्चात शेरशाह का काल न केवल सरायों के निर्माण बल्कि इन सरायों के प्रबंधन में राजकीय तथा निजी भूमिकाओं की व्याख्या करने वाला काल भी था, जिसने इस सराय संस्था के भविष्य के लिए जो दिशा दी तथा जो आदर्श स्थापित किये, वही सब तत्व मुगलकाल की विशाल सराय संरचनाओं के आधार बने, जो कि कमोबेश परिवर्तनों के साथ पूरे मुगलकाल में सराय निर्माण के आदर्श तत्वों के रूप में अनुसरणीय बने रहे। शेरशाह को यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाली सरायों को बड़ी संख्या में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से आमतौर पर एक सराय, इमारत के रूप में एक बड़ा आयताकार घेरा होता था जिसमें एक या एक से अधिक द्वार होते थे और इस घेरे में चारों तरफ कमरों की एक लंबी पंक्ति होती थी। विभिन्न क्षेत्रों में सराय स्थापत्य की यह योजना स्थानीय विविधताओं के साथ विद्यमान थी। सराय संरचना की ये विशेषताएं धीरे-धीरे विकसित हुईं थीं। मुगलकालीन भारत में भी सरायें एक वृहत श्रृंखला के रूप में स्थापित की गईं। 16वीं सदी के मध्य से बड़े पैमाने पर सरायों के निर्माण को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक संभवतः धन की उपलब्धता थी क्योंकि इस काल में मध्य-एशियाई व्यापारिक सम्पर्कों तथा एक केंद्रित राज्य की अर्थव्यवस्था के रूप में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। 17वीं शताब्दी के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण व्यापारियों की यात्राओं में भी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सरायों और उनमें बेहतर सुविधाओं की मांग उत्पन्न हुई। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर तथा विभिन्न सरायों के वितरण पैटर्न से पता चलता है कि उनके संकेंद्रण का मुख्य संरेखण विभिन्न व्यापार-मार्गों के साथ-साथ तथा नगरों के बाहर विस्तारित था। इससे इस दृष्टिकोण की भी पुष्टि होती है कि सरायों का विकास व्यापार के विस्तार से संबंधित था। मुगलकालीन भारत में बड़े पैमाने पर सरायों की स्थापना आर्थिक कारकों के अलावा प्रशासनिक आवश्यकताओं द्वारा भी निर्देशित थी। सरायों का उपयोग अक्सर रईसों और राज्य की सेवा में अन्य कर्मियों द्वारा किया जाता था। सरायों में यात्रियों को विभिन्न सुविधाएँ भी प्रदान की जाती थीं। शेरशाह और अकबर के शासनकाल में राज्य की सरायों में कुछ समय तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। लेकिन बाद में भी सरायों में भोजन पकाने की निजी व्यवस्था का प्रारंभ भी किया गया। यात्रियों को आम तौर पर सरायों में अपना सामान रखने के लिए पर्याप्त आवासीय स्थान और भंडार-कक्ष उपलब्ध कराए जाते थे। सरायों को विपणन सुविधाएं भी प्रदान की गईं थी, जहां से सराय में रुकने वाले यात्री खरीदारी कर सकते थे। संगीतकारों और नर्तकियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मनोरंजन सहित विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के अवसर भी इन सरायों में उपलब्ध थे। सरायों में चिकित्सकों की उपलब्धता का भी उल्लेख मिलता है। हालाँकि उनमें से सभी के पास अपने पेशे में पर्याप्त प्रशिक्षण था, इस बात की कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है।

## सन्दर्भ


1. Tartars (Muslims), were valiant, square, stout, strong, flat-faced and flat nosed. See M.A. Ansari, 'European Traveller under the Mughal (1580-1627)', Delhi, 1975, p.93.
2. Withington in 'Early Travels in India (1583-1619)' ed. William Foster, London, 1921, p.225.
3. Mackey, Ernest, 'The Indus Civilization', London, 1935, quoted by Abraham Early, 'Gem in the Lotus', Penguine Random House, p. 30.
4. Chandra, Moti, 'Trade and Trade Routes in Ancient India', Delhi, 1977, p. 42. Dr. S.C. Sarkar, Some Aspect of the Earlier Social Life of India, London, 1928, p.15, thinks that avastha which later become a synonym for a house, originally meant a rest house.
5. The Mahabharata "Varna Parv (LXII)", trans. K.M. Ganguli, 1970; repr. Delhi, 2004, p. 127.
6. The Jataka or stories of the Buddha's Former Births, ed. E.B. Cowell, 1895-1907; repr. Delhi, 2001, I, 15, 235; II, 148, 170; IV, 93; VI, 151.
7. Arthasastra, 2.36.5.
8. The Sukraniti, trans. Benoy Kumar Sarkar, 1914; repr. Delhi, 1975, p. 34.
9. Ibid, p. 35.
10. Cf. E, Hultzsch, Corpus Inscription Indecorum, vol. 1, 2nd edn., Delhi: Indological Book House, 1969, p. 134-35, and fn. 2; Buhler's reading of term nimsidlnya seems more convincing. Cf. Romila Thapar, Asoka and the Decline of the Mauryas, Delhi: Oxford University Press, p. 256, who appears to have preferred Buhler's reading.
11. For the situation under Sher Shah, see Abbas Khan Sarwani, Traikh-i Rizqullah Mushtaqi, Waqi'at-i Mushtaqi, MA., British Library, Or. 1929, f.50a, this

distance was only one kuroh. The chaukis set up by Akbar on roads at intervals of every five kurohs are mentioned by 'Arif Qandahari, Tarikh-I Akbari, ed. and annotated by Mu'inud Din Nadwi, Azhar Ali Dihlawi and Imtiyaz Ali Arshi, Rampur: Raza Library: 1962, p.44.

12. Beal, Samuel, Buddhist records of the Western World, 1884; repr. Delhi, 2004, I, 165, 166, 198; II, 214n, 303.
13. Barani, Ziauddin, Tarikh-i-Firuzshahi, ed. Shaikh Abdur Rashid, Aligarh, 1957, p. 65-66.
14. Moneer, Q.M. Two Un-Published Inscriptions of the time of Sultan Muhammad Bin Tughlaq, Epigraphia Indo-Moslemcia (1939-40), Delhi, 1950, p.23-24 and pl. X(b).
15. Afif, Shams-I Siraj, Tarikh-I Firozshahi (tr. Elliot & Dowson), Vol. 3, OUP, p. 354.
16. Ibid, p. 354.
17. Ibid, p. 303. The name of these sarais are: Sarai of Shaikh Malik Yar Paran, the sarai of Abu Bakar Tusi and the sarai of Malika.
18. Sarwani, Abbas Khan, Tarikh-I Shershahi (tr. Elliot & Dowson), Vol. 4, p. 417.
19. In this context 'Abbas Khan Sarwani mentions only musafiran-I be takyagah (the travelers having no refuge).
20. अब्बास खान सरवानी (f- 110a) के अनुसार, शेरशाह सूरी कहा करता था कि यदि वह लंबे समय तक जीवित रहा, तो वह 'खाम' (पकी हुई ईंटों से नहीं बनी) से बनी सरायों को पुख्ता (मजबूत, यानि पक्की ईंटों से निर्मित) में बदल देगा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सराय के प्राचीर अधिकांशतः मिट्टी से बने होते थे। अब्बास खान सरवानी (f- 109a) और रिजकुल्लाह मुश्ताकी (f- 50a) के दो अलग-अलग अंशों से हमें यह आभास मिलता है कि प्रत्येक सराय में केवल एक प्रवेश द्वार था क्योंकि वे दरवाजा-आई-हरसराय/darwaza -I-harsarai (प्रत्येक सराय का प्रवेश द्वार) का उल्लेख करते हैं, न कि दरवाजा-हा-ए हरसराय/ darwaza-ha-I-harsarai (प्रत्येक सराय का प्रवेश द्वार)।
21. The official commanding the nigahbanan is designated shahna by Abbas Khan Sarwani and shiqdar-i sarai by Rizqullah Mushtaqi. For more detailed comments on the designations and powers of this functionary, see Ravindra Kumar, 'Administration of the Sarais in Mughal India', Proceedings of the Indian History Congress, 39th Session, Osmania University, Hyderabad, vol. I, Aligarh: 1978, p. 464-72.
22. Nimat Allah, Khwajah, Tarikh-I Khan Jahani wa Makhzan-I Afghani, ed. S.M. Imam al-Din, Dacca, 1960, p. 377.
23. Only Sukraniti, p. 34, contains a hint about the architectural character of the ancient sarais, the rooms in which according to him, were "to be uniform and in a row, and may face the north or east."
24. Baburnama, ed. & trans. Wheeler M. Thackston, Washington, 1996, p. 424.
25. Qandahari, Arif, Tarikh-i Akbari, p. 44-45, and Akbarnama, Bibliotheca Indica, vol. III, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873-87, p. 824-25.
26. Indian Archaeology-A Review 1963-64, Delhi, 1967, p. 77.
27. Indian Archaeology-A Review 1970-71, Delhi, 1974, p. 58.
28. Jahangirnama, p. 26.
29. Manucci, Storia Do Mogor vol. I, p. 232.
30. Ishwar Das Nagar, Futuhat-i Alamgiri, trans. Tasneem Ahmad, Delhi, 1978, p.29; Bhimsen, Tarikh-i- Dilkasha (Bombay, 1972), p. 21.
31. Fazl, Abul, Ain-i-Akbari - I, OUP, p. 232.
32. Qandhari, Arif, Tarikh-i Akbari, trans. Tasneem Ahmad, Delhi, 1993, p.180.
33. Asher, Catherine M., Architecture of Mughal India, Cambridge, 1992, p.134.
34. Pelsaert, Francisco, The Remonstrantie, trans. W.H. Moreland & P. Geyl under the title Jahangir's India, repr. Delhi, 1972, p. 50.
35. Asher, Catherine M., Architecture of Mughal India, Cambridge, 1992, p.128.
36. Hasan, Maulvi Zafar, Monuments of Delhi, 1919; repr. Delhi, 1997, vol. II, p.107-08.
37. It was situated not far away from the present old Delhi Railway Station. It was demolished soon after the Mutiny of 1857. On the site of the sarai now stands the Town Hall and Hardayal (formerly Hardinge) Public Library.
38. Bernier, François, Travels in the Mughal Empire (1656-68), OUP, 1916, p. 280-81; Manucci, Storia Do Mogor Vol. I, OUP, p.221.
39. Bernier, François, Travels in the Mughal Empire (1656-68), OUP, 1916, p. 281
40. Manucci, Storia Do Mogor Vol. I, OUP, p.221.
41. Butenschen, Andrea, The Life of a Mughal princess, JahanAra begum, Daughter of Shah Jahan (London, 1931), p. 30.
42. Kambu, Muhammad Salih, 'Amal-i Salih, text, III, ed. G. Yazdani, Calcutta, 1946, p. 48.
43. Ibid, 49.
44. Khan, Muhammad Hashim Khafi, Muntakhab al-Lubab, II, p. 605, cited by J.N. Sarkar, History of Aurangzeb, I, Calcutta, 1912, p. 63.
45. Bhakkari, Shaikh Farid, Zakhiratul Khawanin, I, ed. S. Moinul Haq, Karachi, c. 1961, p. 238.
46. Foster, William, Early Travels in India 1583-1619, London, 1921, p. 325.
47. Manrique, Fray Sebastien, Travels of Fray Sebastien Manrique, 1629-1643, Vol. 2, The Hauklet Society London, 1927, p. 146.
48. Foster, William, Early Travels in India 1583-1619, London, 1921, p. 325.
49. Cf- Surat Singh, Tazkira-i Pir Hassu Teli, Ms., Research Library, Centre of Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, ff- 161a and b. इसमें डाक-चौकी में कार्यरत कर्मचारी वर्ग के दुर्व्यवहार से संबंधित एक प्रकरण अंकित है, जिसका शिकार सूरत सिंह स्वयं थे।
50. यहां एक मीर मुहम्मद अमीन के संदर्भ से निश्चित ही यह स्पष्ट है, जिसे औरंगजेब के 22nd RY में अजमेर को अहमदाबाद से जोड़ने वाले मार्ग पर सारा-हा स्थापित करने के

लिए एक राजमिस्त्री, एक मुशरिफ (लेखाकार) और अन्य लोगों सहित एक दल के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था। उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि मीर मुहम्मद अमीन से जिन संरचनाओं के निर्माण की अपेक्षा की गई थी, वे कारवांसराय नहीं बल्कि डाक-दूतों के उपयोग के लिए छोटी चौकियाँ थीं। See Waqai Sarkar Ajmer wa Ranthambhor of Jumada'lauwal, 22nd RY, transcript of Ms., Fan-i Tarikh, 2242, Asafiya Library (Hyderabad) in the Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, pp. 230, 238-

51. For the agencies establishing sarais (that is, karwansarays) in Mughal India see Ravindra Kumar, 'Sarais in Mughal India', M. Phil dissertation submitted to the Aligarh Muslim University, Aligarh, 1978, p. 20.
52. See Rafiuddin Ibrahim Shirazi, Tazkirat-ul Muluk, Ms., British Library, Add. 23883, f. 174a, where it is stated that in India namwaran (prominent persons) establish sarais and give them away as waqf (endowments). For the nature of one of these waqfs covering Sarai Miran (Farrukhabad district), refer to Civil Suit No. 47 of 1952 in the Court of Civil Judge, Farrukhabad: Suraj Prasad, son of Shankar Ratan Misra, Plaintiff vs. Rahmat Bux and other Bhatiyaras.
53. Mirza Kamran, possibly a contemporary of Jahangir, who takes pride in calling himself a mirza (gentleman-trooper), has postulated in his treatise Mirza Nama (edited and translated into English by Maulvi Hidayat Husain, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1913) that a mirza should never stay in a sarai / karwansaray. The impression created by this evidence is reinforced by Manucci's statement: "The sarais are only intended for travellers (soldiers do not go into them'), Storia do Mogor, English tr. William Irvine, vol. I, repr. Calcutta: Editions Indian, 1965, p. 67.
54. Afif, Shams Siraj, Tarikh-i Firoz Shahi, ed. Maulvi Vilayat Husain, Bibliotheca Indica, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1888-91, p. 330-31.
55. Manjhu bin, Sikandar, Mirat-i Sikandari, eds. S.C. Misra and M.L. Rahman Baroda: Maharaja Sayajirao University of Baroda, 1961, p. 140-41.
56. Fazl, Abul, Akbarnama, vol. III, Delhi, OUP, p. 516.
57. Finch, William, Early Travel in India, ed. W. Fosyer, Delhi, 1968, p. 179, stayed in this Karwansaray in AD 1610. The local traditions ascribe it to Akbar.
58. Foster, William, Early Travels in India 1583-1619, London, 1921, p. 86

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण : भारत में वित्तीय समावेशन का बदलता परिदृश्य

❑ विन्द्रसेन
❖ डॉ. विभूति नारायण

**सूचक शब्द :** नकद हस्तांतरण, डीबीटी, वित्तीय समावेशन, सब्सिडी, बैंक खाता।

वर्तमान में वित्तीय समावेशन विश्व के सभी देशों की प्रमुख प्राथमिकता है। 18वीं जी-20 सम्मेलन नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन के संबंध में सदस्य देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया तथा उत्तरोतर वित्तीय समावेशन बढ़ाने पर जोर दिया। भारत सरकार ने विभिन्न पहलों द्वारा शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखा है। इन पहलों में डीबीटी एक प्रमुख पहल है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए मजदूरी भुगतान, सब्सिडी और प्रोत्साहन जैसे नकद लाभ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। डीबीटी को धन हस्तांतरण में लगने वाले समय एवं लागत को कम करने, लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करने और रिसाव एवं दोहराव को रोकने के उद्देश्य से प्रारूपित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वंचित वर्गों तक सरकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने का अब तक का सबसे सफल प्रयास है। डीबीटी ने मध्यस्थों को समाप्त कर लोगों के हाथों में सीधे नकदी को पहुँचाया है, जिसे वे अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च कर सकें। इससे सक्रिय बैंक खातों की संख्या में वृद्धि हुई एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। प्रस्तुत शोध पत्र वित्तीय समावेशन में डीबीटी की भूमिका को विश्लेषित करने का एक प्रयास है। साथ ही शोध पत्र में इसके प्रभाव एवं चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है।

**भारतीय** राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में लोकतंत्र की परंपरा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से ही चली आ रही हैं। परन्तु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संविधान के अंतर्गत विधायी स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद यह एक सशक्त संस्थागत लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, भारत लोकहित या जनकल्याणकारी सिद्धांतों पर चलने वाला देश है और यह व्यवस्था दो दस्तावेजों के माध्यम से संभव हुई है। जिसमें एक है मूल अधिकार और वहीं दूसरा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।[1] भारत में विभिन्न सरकारें समय-समय पर जनकल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाईं, जो विभिन्न माध्यमों द्वारा आम जनमानस तक पहुँचायी गईं। इन योजनाओं का लाभ वस्तुगत अथवा नकद हस्तांतरण विधि द्वारा प्रदान किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों जैसे सरकारी योजनाओं के विभिन्न समर्थकों को मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हस्तांतरित किया जाता रहा है, जो स्वयं लाभार्थी नहीं होते हैं बल्कि इन्हें लाभार्थियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

**सरकारों द्वारा** प्रारम्भ की गई अधिकांश योजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहीं। भ्रष्टाचार एवं हस्तांतरण में देरी के कारण लाभार्थियों तक पहुँचने से पूर्व ही धन का रिसाव हो जाता था। सरकारों ने अपनी समीक्षा में स्वयं पाया कि योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में समय एवं लागत की अधिकता है तथा साथ ही मध्यस्थों के बड़े समूहों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है।[2] इस धन रिसाव को संदर्भित करते हुए वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूखा प्रभावित कालाहांडी दौरे पर कहा था कि, सरकार जब भी एक रूपया खर्च करती है तो आम लोगों तक 15 पैसे ही पहुँच पाते हैं।

**इन समस्याओं** का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने का निर्णय लिया। लाभार्थियों से सीधे जुड़ने के लिए सरकार ने आधार तथा बैंक खातों को अपना माध्यम बनाया तथा योजनाओं के लाभ को नकद के रूप में

❑ शोध अध्येता, लोक प्रशासन विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
❖ सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, जिसे आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) के नाम से जानते हैं। इसका लक्ष्य धन रिसाव को कम करके लक्षित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) मुख्यतः सरकारी लाभ वितरण प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाने के लिए अपनायी गयी है। आधार आधारित सत्यापन एवं नकद हस्तांतरण दक्षता तथा पारदर्शिता दोनों को बढ़ाता है। वर्तमान में इसके अंतर्गत देश भर के कैबिनेट सचिवालयों, मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित बहुत सी योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनके लाभ व सब्सिडी का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। डीबीटी न केवल सरकारी लाभ वितरण प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाया है अपितु इसने वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित किया है। डीबीटी द्वारा नकद लाभ, व्यक्ति को अपनी इच्छा से व्यय करने की छूट प्रदान करता है एवं विभिन्न वित्तीय उत्पाद में निवेश को बढ़ावा देता है।

**शोध पत्र का उद्देश्य :** प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन में डीबीटी की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना हैं।

1. भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के विकास एवं इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

**शोध प्रविधि :** प्रस्तुत शोध पत्र मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधितंत्र के फ्रेमवर्क में किया गया वर्णन एवं विश्लेषण है। शोध पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है, विशेषतः वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक एवं कैबिनेट सचिवालय की वार्षिक रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित शोध पत्र, पुस्तकों, समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, वेबसाइटों आदि का प्रयोग किया गया है।

**साहित्य समीक्षा**

**गोविंद भट्टाचार्जी[3]** ने अपने लेख में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है तथा इसे गरीबी उन्मूलन हेतु अपर्याप्त बताया है। इनके अनुसार, भारत में शुरू की गई सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना परिचालन संबंधी कई अक्षमताओं को समाप्त कर सकती है, परन्तु वह गरीबों को सशक्त बनाने के लिए अपर्याप्त है। मनरेगा जैसी वृहद कल्याणकारी योजनाएं कमजोर डिजाइन और कार्यान्वयन की खराब निगरानी के कारण गरीबी को कम करने में काफी हद तक असफल रहीं हैं। अतः भट्टाचार्जी ने इन योजनाओं को नए सिरे से प्रारूपित करने पर बल दिया है।

**एस. के. तिवारी तथा ए. कमिला[4]** ने अपने लेख में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की उपलब्धियों का विश्लेषण किया है। इन्होंने बताया है कि, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीबीटी कार्यक्रम के माध्यम से अप्रैल 2023 तक 300 से अधिक केन्द्र सरकार की योजनाओं और 2000 से अधिक राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे रिसाव को रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिली है तथा साथ ही अधिक से अधिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित करने का प्रभावी तरीका भी मिल गया है।

**जस्टिन जॉय[5]** ने अपने लेख में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। जॉय के अनुसार, जब 2013 में डीबीटी को लागू किया गया था तो 5.68 करोड़ लाभार्थियों के पास आधार नहीं था तथा 2017 में यह संख्या बढ़कर 6.38 करोड़ हो गई। इसके साथ ही वर्ष 2017 में केवल 29.01 प्रतिशत धन हस्तांतरण आधार से जुड़े बैंक खातों में किया गया। इस प्रकार आधार सीडिंग तथा आधार आधारित भुगतान प्रणाली सफल नहीं हो रही थी। अतः डीबीटी की सफलता हेतु सरकार को गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

**परमाशिवन एवं सी. अरूण कुमार[6]** ने अपने लेख में पहल और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन के बारे में अध्ययन किया। इनके अनुसार, डिजिटल इंडिया डिजिटल प्रारूप में वित्तीय समावेशन के लिए आसान डीबीटी सुविधा प्रदान करता है। डीबीटी लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान

करता है और यह बिचौलियों की प्रथा को कम करता है।

**वैश्विक परिप्रेक्ष्य** : मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 तथा समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप लगभग सभी राष्ट्र-राज्य कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाने लगें, जिससे सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सहायता पहुँचाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ। 1990 के दशक में ब्राजील में गरीबी और भुखमरी को तीव्र गति से समाप्त करने के लिए नगरपालिका स्तर पर विभिन्न सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं प्रारंभ हुईं, जो वर्तमान में एकीकृत रूप में बोल्सा फैमिलिया नाम से जानी जाती हैं। इसी दशक में मैक्सिको और बांग्लादेश ने भी सशर्त नकद हस्तांतरण योजना का प्रारंभ किया। बाद के वर्षों में कई लैटिन अमेरिकी तथा अन्य विकासशील देशों ने भी इस तंत्र को गरीबी कम करने के उपाय के रूप में प्रारंभ किया लेकिन ब्राजील वह देश है जहां यह सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ।[7] वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों ने किसी न किसी रूप में अपने नागरिकों को सामाजिक सहायता पहुँचाने के लिए नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है।

**नकद हस्तांतरण** मुख्यतः सामाजिक सहायता के रूप में प्रारंभ किया गया था। परंतु वर्तमान समय में यह सामाजिक सहायता से अधिक वित्तीय समावेशन बढ़ाने तथा आपदा के समय त्वरित सहायता पहुँचाने का माध्यम बन गया है। कोविड-19 महामारी के समय नकद हस्तांतरण आम जनमानस तक सहायता पहुँचाने का सबसे बेहतर विकल्प सिद्ध हुआ।[8,9,10] 2020-21 के दौरान वैश्विक स्तर पर 1.39 बिलियन से अधिक लोगों को सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया, जिसमें 1.36 बिलियन लोगों को नकद हस्तांतरण द्वारा सहायता पहुंचायी गई।[11] इस प्रकार, नकद हस्तांतरण ने वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसे हाल के वर्षों में मानवीय सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताया है।[12]

**भारत में नकद हस्तांतरण** : भारत में नकद हस्तांतरण का प्रारंभ सशर्त नकद हस्तांतरण के रूप में खाद्य एवं पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में की गई, जिसमें जननी सुरक्षा योजना प्रमुख थी। हालांकि सशर्त नकद हस्तांतरण की प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यस्थों के कारण भुगतान में देरी होती थी और लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही धन का रिसाव हो जाता था। भारत सरकार ने अपने समीक्षा में पाया की सशर्त नकद हस्तांतरण अधिक सफल नहीं रहा है। तदोपरांत कुछ योजनाओं में बिना शर्त नकद हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया परंतु भ्रष्टाचार एवं धन रिसाव के कारण यह योजना भी असफल रही। अतीत में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं अक्सर गलत लक्ष्य निर्धारण के कारण, रिसाव और अप्रभावी सेवा वितरण के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संघर्ष कर रही थीं। हालांकि बिना शर्त नकद हस्तांतरण का प्रदर्शन सशर्त नकद हस्तांतरण से बेहतर रहा। अतः भारत सरकार ने अपना ध्यान बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर केन्द्रित किया।

**आर्थिक सर्वेक्षण** 2010-11 में सरकार ने बिना शर्त नकद हस्तांतरण को लक्षित किया है। इस सर्वेक्षण में उल्लिखित है कि, योजनाबद्ध बिना शर्त नकद हस्तांतरण घरेलू खपत और संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा दे सकता है। योजनाओं को सही प्रकार से लक्षित करने के लिए तथा धन रिसाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने नकद हस्तांतरण प्रक्रिया से सीधे लाभार्थियों को जोड़ने का निर्णय लिया। सब्सिडी को सीधे लाभार्थी तक हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा ढाँचागत सुधार के लिए भारत सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में वर्ष 2011 में एक कार्यदल (टास्क फोर्स) का गठन किया। इस कार्यदल ने कोर सब्सिडी प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) की संस्तुति की, जिसमें आधार, उद्यम संसाधन नियोजन व्यवस्था (ईआइपीएस), नोडल बैंक और पेमेंट गेटवे एकीकृत हों। इसकी संस्तुति के आधार पर योजना आयोग ने 01 जनवरी, 2013 को उच्च आधार नामांकन वाले चयनित जनपदों में डीबीटी प्रणाली को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया। प्रारंभ में इस योजना को छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और महिला एवं बाल विकास से संबंधित 27 योजनाओं को समाहित करते हुए 20 चयनित जनपदों में लागू किया गया। अगले 10 महीनों के अंदर नौ केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित 21 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए डीबीटी को 121 जिलों तक बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2014 में भारत सरकार ने 11 राज्यों के 54 जिलों में

एलपीजी सब्सिडी के संबंध में डीबीटी का विस्तार किया। **05 अगस्त 2013** की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि सीपीएसएमएस के माध्यम से नकद हस्तांतरण में दो योजनाओं का वर्चस्व था, जिसमें लगभग 83 प्रतिशत जननी सुरक्षा योजना और छात्रवृत्ति से संबंधित थे।[14] ये दोनों योजनाएं 2007-08 के बाद से ही बिना शर्त नकद हस्तांतरण का हिस्सा थीं जिससे सरकार के पास इनका कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड था। डीबीटी से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड की कमी कार्यान्वयन में बाधा बन रही थी। समीक्षा बैठक के मिनट्स से ज्ञात होता है कि 39.76 लाख लाभार्थियों में से केवल 36 प्रतिशत लाभार्थियों के पास बैंक खाते थे।[15] इस प्रकार, वित्तीय बहिष्करण डीबीटी मिशन के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती था। सरकार ने डीबीटी को सम्पूर्ण भारत में प्रारंभ करने से पूर्व वित्तीय समावेशन के स्तर को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक बचत बैंक खाता सुनिश्चित करना है, जिससे डीबीटी योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुँचाया जा सके।[16] प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने पहले छह महीनों में 12.55 करोड़ बैंक खाते खोलकर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ किया तथा डीबीटी योजना के लिए भूमि तैयार की। सरकार ने इस योजना के अनुकूल परिणाम को देखते हुए 12 दिसम्बर 2014 को डीबीटी के दूसरे चरण का विस्तार किया[17,18] तथा फरवरी 2015 में संपूर्ण भारत में इस योजना का विस्तार किया गया। इस प्रकार 28 योजनाओं के साथ प्रारंभ हुई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना वर्तमान समय में 300 से अधिक लाभकारी योजनाओं में लागू है, जिसका विवरण तालिका संख्या 01 में दर्शाया गया है।

**डीबीटी मिशन का कार्यान्वयन :** प्रारंभ में योजना आयोग के आधीन डीबीटी मिशन ने नोडल एजेंसी के रूप में प्रथम चरण को लागू किया। परंतु जुलाई 2013 में, डीबीटी मिशन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। डीबीटी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग में डीबीटी सेल की स्थापना की गई। तत्पश्चात, डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को 14 सितम्बर 2015 से कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया जो वर्तमान समय में डीबीटी का कार्यभार देखता है। डीबीटी का कार्यान्वयन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जाता है। पीएफएमएस लाभार्थी सूची तैयार करने, डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और आधार भुगतान ब्रिज का प्रयोग करके लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है।

**डीबीटी का प्रभाव :** डीबीटी को लागू करने से सरकार और नागरिकों दोनों को लाभ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल लाभार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, बल्कि इस प्रभावी ई-शासन प्रक्रिया के माध्यम से धोखाधड़ी और धन रिसाव को रोका गया है। वर्षवार डीबीटी लाभार्थियों की संख्या और धन हस्तांतरण को क्रमशः तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या 1**

| वित्तीय वर्ष | वर्षवार डीबीटी के अंर्तगत सम्मिलित योजनाओं की संख्या | वर्षवार डीबीटी लाभार्थियों की संख्या (संख्या करोड़ में) | वर्षवार डीबीटी के माध्यम से धन हस्तांतरण (संख्या करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 28 | 10.8 | 7,367 |
| 2014-15 | 34 | 22.8 | 38,926 |
| 2015-16 | 59 | 31.2 | 61,942 |
| 2016-17 | 142 | 35.7 | 74,689 |
| 2017-18 | 437 | 124 | 1,90,870 |
| 2018-19 | 440 | 129.2 | 3,29,796 |
| 2019-20 | 426 | 144.7 | 3,81,631 |
| 2020-21 | 316 | 179.9 | 5,52,527 |
| 2021-22 | 313 | 178.9 | 6,30,264 |
| 2022-23 | 312 | 166 | 7,16,396 |
| 2023-24 | 315 | 174.6 | 6,36,523 |

जैसा कि तालिका संख्या 01 में देखा जा सकता है कि डीबीटी के प्रारंभ में सम्मिलित की गई योजनाओं की संख्या केवल 28 थीं, जबकि अगले 09 वर्षों में इसमें 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ योजनाओं द्वारा डीबीटी को सफलतापूर्वक अपनाने से अन्य योजनाओं में भी डीबीटी का कार्यान्वयन हुआ। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहाँ 10.8 करोड़ डीबीटी लाभार्थी थे वहीं अब यह आंकड़ा 174 करोड़ लाभार्थियों को पार कर गया है। अतः डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी क्रम में तालिका 1 में देखा जा सकता है कि, धन हस्तांतरण की दृष्टि से डीबीटी के प्रारंभिक वर्षों में लगभग 7.4 हजार करोड़ रूपए हस्तांतरित किए गए थे, जबकि आज यह आंकड़ा 636523 करोड़ रूपए को पार कर गया है। यह भारत सरकार की डीबीटी योजना के प्रति लाभार्थियों के भरोसे और इसकी सफलता को दर्शाता है।

**तालिका क्रमांक 02**

**विभिन्न योजनाओं में डीबीटी द्वारा वर्षवार धन हस्तांतरण (करोड़ रू. में)**

| योजनाएं | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पहल | 15,876.54 | 24,839.62 | 40,411.81 | 26,171.51 | 15054.9 | 4881.75 | 10,729.99 |
| मनरेगा | 37,311.92 | 33,751.32 | 46,181.8 | 46,046.08 | 67,218.29 | 73551.31 | 55,470.17 |
| एनएसएपी | 5,409.99 | 9684.66 | 8351.12 | 8114.48 | 7230.56 | 6098.52 | 3546.51 |
| छात्रवृत्ति | 12,859.6 | 11,660.52 | 10,813.59 | 7011.19 | 9121.29 | 10,607.82 | 8583.57 |
| अन्य | 3,231.36 | 110,934.78 | 204,038.01 | 294,288.29 | 453,902.21 | 535,124.92 | 638,066.2 |

**स्रोत डीबीटी भारत, 2023**

**तालिका क्रमांक 02** दर्शाता है कि विभिन्न योजनाओं में वर्षवार डीबीटी हस्तांतरण में पहले कुछ वर्षों में में तेजी से वृद्धि होती है। परन्तु वर्ष 2019 के बाद के वर्षों में योजनाओं में धन हस्तांतरण में गिरावट दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण नकली/फर्जी लाभार्थियों का हटाया जाना रहा है, जिससे सरकार ने वर्ष दर वर्ष बचत को बढ़ाया है। मनरेगा तथा पहल योजनाओं का डीबीटी हस्तांतरण में सर्वाधिक हिस्सा है।

**तालिका क्रमांक 03**

**डीबीटी द्वारा मार्च 2022 तक अनुमानित बचत**

| मंत्रालय/विभाग | योजनाएँ | मार्च 2022 तक संचयी (करोड़ में) |
|---|---|---|
| उर्वरक विभाग | फर्टिलाइजर | 18,699.89 |
| ग्रामीण विकास विभाग | मनरेगा | 40,986.98 |
| ग्रामीण विकास विभाग | एनएसएपी | 535.61 |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | अन्य | 1,523.75 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | पहल | 72,909.58 |
| खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | पीडीएस | 1,35,196.87 |
| अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | छात्रवृत्ति योजना | 1,730.78 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | छात्रवृत्ति योजना | 352.21 |
| अन्य | अन्य | 1,158.13 |
| कुल | | 2,73093.80 |

**स्रोत डीबीटी भारत, 2023**

**तालिका क्रमांक 03** के अनुसार, भारत में 2013 में डीबीटी की शुरूआत के बाद से विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 2.73 लाख करोड़ की बचत की गई है। जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और लोक प्रशासन पर नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। डीबीटी द्वारा जारी गुणात्मक आंकड़ों में यह पाया गया कि,

डिजिटलीकरण प्रक्रिया के कारण बहुत सारे फर्जी खाते बंद हो गए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पिछले 09 वर्षों (2013 से 2021 तक) में लगभग 4.2 करोड़ नकली या डुप्लिकेट राशन कार्ड बरामद किए गए। एलपीजी सब्सिडी योजना में पेट्रोलिएम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4.11 करोड़ नकली गैस कनेक्शन का पता लगाया। विभिन्न ग्रामीण योजनाओं में पाया गया कि आधे मिलियन अयोग्य लाभार्थी विद्यमान थे और कुल मजदूरी का 10 प्रतिशत भुगतान नकली या अनुपस्थित खाते के लिए किया गया था। अल्पसंख्यक कार्य, सामाजिक कल्याण और महिला और बाल कल्याण जैसे विभागों के लाखों डुप्लिकेट खाते हटाए गए। उर्वरक विभाग ने खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक की नकली विक्री में लगभग 158.08 मीट्रिक टन की कमी अंकित की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सर्वाधिक 135 हजार करोड़ रूपए की बचत की है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः पहल एवं मनरेगा योजना रही है। ये सभी लाभ डीबीटी के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण प्राप्त हुए हैं।

**वित्तीय समावेशन में डीबीटी की भूमिका :** वित्तीय समावेशन में आधारभूत औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की प्रत्येक व्यक्ति तक सुविधाजनक पहुँच सम्मिलित है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों और कम आय वाले परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ उचित लागत पर बचत खाते, प्रेषण, ऋण, सरकार समर्थित बीमा और पेंशन उत्पाद सम्मिलित हों।[19] आरबीआई ने अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को एक बुनियादी “नो-फ्रिल्स” बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया तथा साथ ही वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों के सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। डीबीटी तथा पीएमजेडीवाई इस दिशा में अगली कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण मिशन हैं जो सर्वाधिक सफल रहीं।

**डीबीटी विभिन्न** कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने तथा वित्तीय समावेशन के विस्तार हेतु लागू किया गया। डीबीटी मिशन के अंतर्गत गठित वित्तीय समावेशन समिति का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच और पूर्ण वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना था। इसके लिए डाकघरों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य संस्थानों को एकीकृत करने के उपायों की जांच करना और सुझाव देना प्रमुख था।[20] इसके अतिरिक्त समिति आधार आधारित हस्तांतरण की सुविधा के लिए मोबाइल नंबरों के साथ बैंक खातों की सीडिंग को भी समन्वित करती थी। आरबीआई के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक दीपक मोहंती ने वित्तीय समावेशन के लिए अन्य पहलों के साथ ही डीबीटी पर जोर दिया। इनके अनुसार लागत में कटौती और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता के साथ औपचारिक वित्त तक छोटे और सीमांत उद्यमों की पहुँच बढ़ानें के अलावा सामाजिक नकद हस्तांतरण द्वारा उत्तरोत्तर पूरा किया जाना चाहिए। डीबीटी के बिना सार्थक वित्तीय समावेशन संभव नहीं है। **भारत सरकार** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 60 बिलियन डॉलर (5 ट्रिलियन रूपये) के अनुमानित मूल्य के साथ भुगतान करती है। डीबीटी द्वारा लाभार्थियों को 2015 से 2021-22 तक 25 लाख करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाये गये हैं। इस कार्य में जैम त्रिकोड अर्थात् जन-धन, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैम त्रिमूर्ति ने इस नवीन प्रणाली को रिसाव रोधी, अच्छी तरह से लक्षित, कैशलेस और समयबद्ध तरीके से लाभ हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया है।

**डीबीटी के प्रभावी** कार्यान्वयन के कारण जन-धन योजना, आधार कार्ड और देश के प्रत्येक हिस्से में मोबाइल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन में तेजी आयी। डीबीटी का लाभ लेने के लिए अधिक संख्या में लोगों ने बैंक खाते खोलें, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। वर्तमान में देश की लगभग 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के पास डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन, सब्सिडी और लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते हैं, जो उन्हें बचत, ऋण, प्रेषण तथा अन्य वित्तीय उत्पाद में निवेश की आजादी देता है। कोरोना महामारी के समय डीबीटी की भूमिका असंदिग्ध रूप से प्रभावी रही है। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम किसान, मनरेगा, एनएसएपी, पीएमएमवीवाई, एनआरएलएम, एनएचएम तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के

अंतर्गत लगभग 27,442 करोड़ रूपया लाभार्थियों तक पहुँचाया।

**डीबीटी के** माध्यम से महिलाओं का वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ है। डीबीटीएल तथा पहल के अंर्तगत सरकार ने महिलाओं के नाम पर एलपीजी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया तथा सब्सिडी का वितरण महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया। इससे महिलाओं को स्वेच्छा से खर्च करने की आजादी मिली। कोविड महामारी के समय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 20 करोड़ जन-धन महिला खाताधारकों के बैंक खातों में तीन महीनों के लिए 500 रूपये प्रतिमाह हस्तांतरित किया। इस प्रकार, डीबीटी ने देश की आधी आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंर्तगत लाया।

**इस प्रकार,** डीबीटी वित्तीय समावेशन के लिए प्रमुख उत्प्रेरक सिद्ध हुई है। डीबीटी एवं वित्तीय समावेशन एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। वित्तीय समावेशन की सफलता डीबीटी की सफलता सुनिश्चित करती है तथा डीबीटी वित्तीय समावेशन को पोषित करती है। पीएमजेडीवाई तथा जैम के समावेशी पहल के पीछे डीबीटी प्रमुख कारक है। डीबीटी ने न केवल सरकार को वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए अन्य पहलों को प्रारंभ करने पर बाध्य किया वरन् नकद हस्तांतरण द्वारा बैंक खातों को सक्रिय रखकर वित्तीय समावेशन को कारगर बनाने में योगदान दिया। अतः वित्तीय समावेशन में डीबीटी की भूमिका असंदिग्ध रूप से अविस्मरणीय है।

**चुनौतियाँ :** डीबीटी योजना ने सब्सिडी प्रशासन की क्षमता में असीमित वृद्धि की है। परन्तु इस योजना की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। डीबीटी गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक असमानता को कम करने में आशानुरूप कारगर सिद्ध नहीं हो पायी है। गरीबी उन्मूलन एवं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों को इन चुनौतियों के प्रति ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे वितरण व्यवस्था को उच्च क्षमता स्तर तक पहुँचाया जा सके। पिछले एक दशक में, डीबीटी के अभूतपूर्व पहुँच के बावजूद कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें हम निम्न स्तरों में देख सकते हैं- (अ) लाभार्थियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ, (ब) सरकार के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ।

**लाभार्थियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ :** डीबीटी समाज के हाशिए पर स्थित लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, उनके बैंक खातों में पहुँचाता है। परन्तु भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बैंक की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है। बैंकिंग सुविधा की अनुपलब्धता के कारण लोग डीबीटी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। गांवों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने के लिए बीसी मॉडल लाया गया परन्तु यह भी ज्यादा सफल नहीं रहा जिसका प्रमुख कारण बीसी और सीएसपी को जी2पी भुगतान वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाना है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक गति से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

**दूसरी सबसे** बड़ी चुनौती नामांकन प्रक्रिया की जटिलता एवं पहुँच की कमी है। जटिल नामांकन प्रक्रिया तथा इसमें प्रयोग होने वाले प्रमाणपत्रों के कारण बहुत से नागरिक योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः सरकारों (केन्द्र एवं राज्य) के लिए किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए पात्रता को सरल एवं स्पष्ट रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नामांकन केन्द्रों तक नागरिकों की पहुँच की कमी, अनुपलब्धता या नामांकन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/संचालकों की अनियमित उपलब्धता आदि भी प्रमुख समस्याएं हैं। इसके समाधान के लिए सरकार को प्रशासन स्तर पर दृढ़ता के साथ कठोर कारवाई करनी चाहिए।

**नागरिकों के** सम्मुख तीसरी प्रमुख समस्या मोबाइल पहुँच तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपल्बधता है। 'भारत में इंटरनेट रिपोर्ट, 2022' के अनुसार 52 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग कर रही है, परन्तु केवल 36 प्रतिशत ग्रामीण ही डिजिटल भुगतान करते हैं, जिसका प्रमुख कारण डिजिटल निरक्षरता है। भारत असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, 25 प्रतिशत ग्रामीण डिजिटली साक्षर हैं जबकि शहरी डिजिटल साक्षरता 61 प्रतिशत है। उपर्युक्त आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि, मोबाइल तथा डिजिटल तकनीक आधारित डीबीटी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती हैं, जब तक कि भारतीय नागरिक शत प्रतिशत डिजिटली साक्षर तथा विभिन्न डिजिटली सेवाओं से परिचित न हों। यह डीबीटी तथा वित्तीय समावेशन के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा है।

**सरकार के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ :** डीबीटी के कार्यान्वयन में सरकार के सम्मुख विभिन्न प्रकार की

तकनीकी एवं परिचालन संबंधी चुनौतियाँ आती हैं। डीबीटी प्रशासन स्वयं में नित नए सुधार करके इन समस्याओं को कम करने का प्रयास करता रहता है, फिर भी ऐसी बहुत सी चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती लाभार्थियों को चिन्हित करना है। लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में योजना के लिए पात्रता, प्रमाणीकरण एवं नामांकन सर्वाधिक जटिल कार्य है। लाभार्थियों को चिन्हित करने तथा उनके नामांकन में दो प्रकार की गलतियां सामने आती हैं। प्रथम योग्य लाभार्थियों का नामांकन न हो पाना तथा दूसरा मध्यस्थों द्वारा कमीशनखोरी, जिसके कारण जो योग्य नहीं है उनको भी लाभ प्राप्त होता है। उदाहरणस्वरूप पीएम किसान योजना में फरवरी 2021 तक 40.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 2326.9 करोड़ का भुगतान हुआ है। इस प्रकार लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए सरकार को एक बेहतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

**डीबीटी की** दूसरी सबसे बड़ी परिचालनात्मक चुनौती डेटा बेस प्रबंधन है। विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं के लिए लाभार्थियों का डेटा बेस बनाते हैं। परन्तु इस डेटा बेस के रख-रखाव तथा अद्यतनीकरण में अधिकांशतः लापरवाही देखने को मिलती है। सूचनाओं के लीक होने तथा अयोग्य लाभार्थियों द्वारा योजना का लाभ उठाने से डीबीटी का कार्यान्वयन प्रभावित होता है। गतिशील डेटाबेस इसके समाधान के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें लाभार्थी की स्थिति में परिवर्तन के अनुसार अद्यतन किया जाता है। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय तथा पर्याप्त ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

**डीबीटी प्रशासन** में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के कारण भुगतान प्रक्रिया में व्यवधान है। इस व्यवधान के कई कारण हैं जिनमें विवरण में वर्तनी त्रुटियाँ, लंबित केवाईसी, बंद या निष्क्रिय बैंक खाते, आधार और बैंक खाते के विवरण में असमानता इत्यादि हैं। माइक्रोसेव डीबीटी-एफ सर्वेक्षण के अनुसार फिंगरप्रिंट ना मिलना और खराब कनेक्टिविटी आधार प्रमाणीकरण विफलता के दो प्रमुख कारण हैं। इससे नामांकन एवं भुगतान प्रक्रिया में व्यवधान आता है।

**निष्कर्ष** : भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, जो अन्य राष्ट्रों के लिए सामाजिक सहायता के क्षेत्र में एक उदाहरण है। इससे रिसाव रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अधिक से अधिक परिवारों को सामाजिक सहायता योजनाओं में सम्मिलित करने में सहायता मिली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डीबीटी की सराहना करते हुए इसे एक 'जादुई कार्यक्रम' कहा है, जिससे लोगों की सहायता के लिए बनी योजनाओं का लाभ कम आय वर्ग के लोगों तक लाखों की संख्या में पहुँच रहा है। विश्व बैंक ने भी डीबीटी के माध्यम से देश के 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 69 प्रतिशत शहरी परिवारों तक डिजिटल नकद हस्तांतरण पहुँचने को असाधारण उपलब्धि बताया है। डीबीटी ने सब्सिडी वितरण प्रणाली में धन रिसाव को रोक कर मार्च 2022 तक 2.23 लाख करोड़ रूपये की बचत की, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.1 प्रतिशत है। इसके साथ ही डीबीटी ने गरीब तथा वंचित परिवारों के बैंक खातों में धन पहुँचा कर न केवल उनके बैंक खातों को सक्रिय रखा बल्कि बचत बीमा तथा अन्य वित्तीय उत्पादों तक उनकी पहुँच को बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन को बनाए रखने में डीबीटी कारगर साबित हुई। डीबीटी के सम्मुख अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिस पर सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। परन्तु इन चुनौतियों के उपरान्त भी डीबीटी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सफल योजना रही है। गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि नामक रिपोर्ट जारी करते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि, अन्य देशों को भी व्यापक सब्सिडी के बजाय भारत की तरह डीबीटी जैसा कदम उठाना चाहिए।

## सन्दर्भ


1. Tiwari, S. K. & Kamila, A. *'Direct Benefit Transfer in India a Global Role Model'* Yojana, June. 2023, pp. 37-41.
2. Kapur, D., Mukhopadhyay, P., & Subramanian, A. *'The Case for Direct Cash Transfers to the Poor.'* Economic and Political Weekly, vol.43,no.15, 2008, pp. 37–43.
3. Bhattacharjee, Govind. *'Treat the Disease, Not the Symptoms. Indian Economy: A Roadmap Towards Development'*, edited by V. V. Singh and Flying Pen, 2016, pp. 1–13.
4. Tiwari, S. K. & Kamila, A. op. cit., pp.37-41
5. Joy, Justin. *'A Critical Analysis of Direct Benefit Transfer in India.'* Indian Journal of Economics and Development, vol. 6, no. 8, 2018, pp. 1–7.
6. Paramasivan, C., and G. Arunkumar Kumar. *'Direct Benefit Transfer- An Innovative Approach to Financial Inclusion in India.'* Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, vol. 5, no. 12, 2018, pp. 409–18.
7. Joy, op. cit., pp. 1–7.
8. Brum, Matias, and Mauricio De Rosa. *'Too Little but Not Too Late: Nowcasting Poverty and Cash Transfers' Incidence during COVID-19's Crisis.'* World Development, vol. 140, Apr. 2021, p. 105227, Doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105227.
9. Hale, Thomas, et al. *'A Global Panel Database of Pandemic Policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker).'* Nature Human Behaviour, vol. 5, no. 4, Mar. 2021, pp. 529–38, Doi: 10.1038/s41562-021-01079-8.
10. Nazareno, Luísa, and Juliana de Castro Galvao. *'The Impact of Conditional Cash Transfers on Poverty, Inequality, and Employment During COVID-19: A Case Study from Brazil.'* Population Research and Policy Review, vol. 42, no. 2, Apr. 2023, p. 22, Doi: 10.1007/s11113-023-09749-3.
11. Gentilini, Ugo, et al. *'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures.'* Living Paper, vol. 16, World Bank, 2022, Doi: 10.1596/33635.
12. OCHA, et al. STATEMENT FROM THE PRINCIPALS OF OCHA, UNHCR, WFP AND UNICEF ON CASH ASSISTANCE. 5 Dec. 2018, https://www.unhcr.org/in/sites/en-in/files/legacy-pdf/61e983d64.pdf.
13. Dar, Showkat Ahmad. *'Direct Benefit Transfer: The Great Technological Move of India.'* Journal of Digital Learning and Distance Education, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 37–41.
14. Paramasivan, C., and G. Arunkumar Kumar, op. cit., pp. 409–18.
15. Ibid.
16. Dept of Financial Services. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana. 2014, https://pmjdy.gov.in/files/E-Documents/PMJDY_BROCHURE_ENG.pdf.
17. Mission, DBT. OM No. I-11011/103/2013-DBT. Department of Expenditure,Ministry of Finance, GOI, 12 Dec. 2014.
18. Mission, DBT. OM op. cit., 19 Dec. 2014.
19. RBI. National Strategy for Financial Inclusion 2019-2024. 2020, https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?ID=1154.
20. PMO. Notification No 360/31/C/34/2012--ES.2. GOI, Oct. 2012.
21. Mohanty, Deepak, et al. Report of the Committee on Medium-Term Path on Financial Inclusion. Dec. 2015.
22. Gupta, Rishi. *'Direct Benefit Transfer – A Game-Changer for Financial Inclusion in India.'* Asian Development Bank, 26 Sept. 2016, https://blogs.adb.org/blog/direct-benefit-transfer-game-changer-financial-inclusion-india.
23. Patil, Subhash, and Achin Bansal. Financial Inclusion – JAM & DBT. PWC, 2016, https://nceg.gov.in/nceg_header/files/PWC.pdf.
24. Srinivas, Vikram, and Avani Kapur. *'Direct Benefit Transfer (DBT), Jan Dhan, Aadhaar and Mobile (JAM) GOI, 2017-18.'* Accountability Initiative, Centre for Policy Research, vol. 9, no. 6, Centre for Policy Research, 2017, pp. 1–8.
25. Bhattacharjee, op. cit., pp. 1–13.
26. Chopra, Puneet. Optimising Commissions and Payout Mechanism For G2P Payments Under Electronic and Direct Benefit Transfer. MicroSave, 2013.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# वीर नारियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन
## (उत्तराखण्ड के कुमायूँ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

❑ सुश्री सीमा अवनीश बिष्ट

**सूचक शब्द :** युद्ध विधवा, 'वीर-नारी', सामाजिक-आर्थिक पार्श्व चित्र।

युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियाँ (विधवाऐं) जिन्हें उत्तराखण्ड में 'वीर नारी' जैसे सम्मान सूचक शब्द से सम्बोधित किए जाने का प्रचलन रहा है, समाज का एक ऐसा नाजुक/अरक्षित (Vulnerabel) वर्ग है, जो सामाजिक दृष्टि से अन्य सामान्य महिला वर्ग से भिन्न अपनी पहचान रखता है। आर्थिक दृष्टि से उन्हें और उनके आश्रितों को सशक्त बनाने एवं सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक सुविधाऐं एवं छूट दी जाती रही हैं, ताकि आत्मनिर्भरता के साथ-साथ सामाजिक समायोजन में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी प्रसंग में प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखण्ड की युद्ध-विधवाओं (वीर-नारियों) पर किये गये अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उनके सामाजिक-आर्थिक पार्श्व-चित्र का तथ्य युक्त विवेचन है। शोधपत्र में युद्ध विधवाओं की शासन-प्रशासन द्वारा प्रदत्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। अध्ययनात्मक निष्कर्ष एक ओर युद्ध विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके कल्याणार्थ निर्मित विधानों के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्धों को प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी उद्घाटित करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास हेतु निर्मित योजनाओं का समुचित लाभ, युद्धविधवाओं को प्राप्त नहीं हो पाया है?

**उत्तराखण्ड** जहाँ एक ओर 'देवभूमि' नाम से प्रसिद्ध है वहीं इसे 'वीरों की भूमि' अर्थात वीर-भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये दोनों ही कथ्य सत्य हैं। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड के युवा वर्षों से भारतीय सुरक्षा सेनाओं के तीनों ही अंगों – थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में विभिन्न पदों पर योगदान करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि काफी अधिक संख्या में उत्तराखण्ड के युवा 'पैरा-मिलट्री फोर्सेस' अर्थात अर्द्धसैनिक बलों में भी सेवारत हैं। सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों में नियुक्त ये 'कमीशन्ड'/'नॉनकमीशन्ड' अधिकारी/सैनिक अपनी दक्षता, उपलब्धियों और अनुशासित कार्य-व्यवहार के कारण क्रमशः प्रोन्नत होते हुए अपने-अपने विभागों के सर्वोच्च पदों को प्राप्त हुए हैं। जनरल विपिन रावत भारत के प्रथम 'चीफ ऑफ डिफेंन्स स्टाफ' (सीडीएस), अजित कुमार डोभाल 'डायरेक्टर ऑफ इंटेलीजेंस ब्यूरो, भारत के प्रधानमंत्री के पांचों नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर (एनएसए), पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जर्नल बी.सी. जोशी, पूर्व चीफ ऑफ नेवेल स्टाफ (सीएनएस) एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी, (भारतीय नौ-सेना के 21वें नौ-सेना प्रमुख) 'द हेड आफ द इण्डियन कोस्ट गार्ड, अशोक चक्र जैसे सम्मान से सम्मानित लॉसनायक मोहन नाथ गोस्वामी आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उत्तराखण्ड की 'वीर-भूमि' के नाम को सार्थक बनाने में अपना योगदान दिया है।

**उत्तराखण्ड** के वीरों की श्रृंखला में लगभग-ऐसे भी योद्धा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और शहीदों के नाम से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इन्हीं अमर शहीदों की पत्नियाँ 'वीरनारी' के नाम से सम्बोधित की जाती हैं। वस्तुतः युद्ध में शहीद वीरों की जीवन संगिनियों को 'विधवा'/युद्ध विधवा नाम के सम्बोधन में वह सम्मान भाव निहित नहीं हैं, जो वीर-योद्धाओं /शहीदों के लिए सम्मान-सूचक प्रतीत होता हो। यही कारण है कि युद्ध के मध्य वीर गति को प्राप्त शहीदों की पत्नियों को उत्तराखण्ड में 'वीर नारी' नाम से ही सम्बोधित किया जाता है।

**वस्तुतः 'वैधव्यता'** चाहे किसी भी कारण हुयी हो, चाहे वह 'युद्ध विधवाओं के ही संदर्भ में हो, एक सामाजिक प्रघटना है, और सामाजिक जीवन

❑ शोध अध्येत्री कुमाऊँ वि.वि. अध्ययन केन्द्र, समाजशास्त्र विभाग, एम.बी. राजकीय, पी.जी. कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

का एक पक्ष है अतः उसे वैषयिक दृष्टि से सम्बन्धित सामाजिक संदर्श में ही समझने और विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि कार्य-कारणों के संदर्भ में देखते हुए उससे उत्पन्न होने वाली बहु-आयामी समस्याओं और उनके सम्भावित निदानों और परिणामों का समाज-वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण एवं व्याख्या की जा सके। भारत जैसे परम्परात्मक समाज में 'वैधव्य' एक अभिशाप से कम नहीं है। यह अवस्था सम्बन्धित महिला के सामाजिक- आर्थिक-धार्मिक जीवन के साथ-साथ उसके शारीरिक- मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। परिकिन्स[1] आदि ने उचित ही कहा है कि, 'भारत में, जो कि एक लिंङ्ग आधारित आदर्शों और नातेदारी व्यवस्था वाला देश है, 'वैधव्य', जीवन का सर्वाधिक डरावना पक्ष है। नारी जीवन में वैधव्य सर्वाधिक 'तुच्छ' कहे जाने वाला समय होता है, यह और भी भयानक हो जाता है जबकि महिला का जीवन साथी, जो उसकी जीविका का एक मात्र श्रोत और आधार होता है, उस पर बच्चों एवं परिवार की समस्त जिम्मेदारी छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगभग यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी सैनिक की पत्नी को अचानक युद्ध में उसके पति के शहीद हो जाने का समाचार प्राप्त होता है।

**यह दुर्भाग्यपूर्ण** घटना एक नारी के जीवन में अनेकानेक अरूचिकर एवं उपेक्षापूर्ण परिस्थितियों को जन्म देती हैं। आम धारणा के अनुसार एक विवाहित पुरुष की मृत्यु के उपरान्त उसकी एक विवाहिता पत्नी न केवल 'विधवा' हो जाती है बल्कि परिवार से लेकर सम्पूर्ण समाज में उसकी प्रस्थिति एवं भूमिका की प्रकृति के साथ-साथ उसकी सम्पूर्ण जीवन दशा को परिवर्तित कर देती है। यहाँ तक कि परिवार और परिवार के बाहर तथा नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत उसके प्रति लोगों की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार एवं धारणा आदि में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार एक नारी के जीवन में वैधव्यता की स्थिति उसकी अरक्षितता/भेद्यता की स्थिति को और अधिक बड़ा देती हैं।

**वीरनारी : अवधारणा एवं साहित्य समीक्षा**

**कोलिन्स कोविल्ड** एडवान्सड डिक्सनरी में युद्ध विधवा का अर्थ उस महिला से है जिसका पति युद्ध के मध्य सशस्त्र बल में रहते हुए मारा जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक शहीद की पत्नी जिसे 'युद्ध विधवा' कहा जाता है, को उत्तराखण्ड में एक 'वीरनारी' के सम्मान सूचक सम्बोधन से सम्बोधित किया जाता है, और इस सम्बोधन में सरकार द्वारा उसके कल्याणार्थ कुछ रियायत (छूट) एवं लाभ निहित होते हैं ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके और समाज में आदर के साथ उसे देखा जाय।

**जहेदी**[2] ने ईरान की युद्ध विधवाओं पर किए गये अपने अध्ययन में पाया कि वैधव्यता से महिला के व्यक्तिगत जीवन में संवेगात्मक परिवर्तन घटित होने लगते हैं, उसकी सामाजिक अस्मिता, भूमिका-समायोजन, परिवार व समाज द्वारा मिलने वाले सहयोग आदि में होने वाले बदलाव उसके जीवन में नवीन चुनौतियों को जन्म देते हैं।

**ली. समगर एवं हेंडलमेन**[3] ने इजरायली युद्ध-विधवाओं पर किए गये अध्ययन के आधार पर विधवा पुनर्विवाह की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुनर्विवाह मूल विवाह से भिन्न नवीन परिस्थितियों को जन्म देता है और महिला के जीवन में समायोजन की अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।

**मेरी कुक**[4] ने युद्ध विधवाओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक नीति की प्रासंगिकता का अध्ययन किया है। इस लेख में कहा गया है कि युद्ध विधवायें सार्वजनिक नीति के अन्तर्गत भिन्न श्रेणी में श्रेणीबद्ध किए जाने के कारण अपने स्वयं के बारे में भिन्न धारणा बना लेती हैं जो सामाजिक-समायोजन के एक अलग परिपेक्ष्य को उत्पन्न कर देती हैं।

**पन्नीलेगे एवं कामली**[5] ने युद्ध-उपरान्त युद्ध विधवाओं पर किए गये अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि युद्ध में अकस्मात शहीद हो जाने के बाद शहीदों की विधवाओं के समक्ष एकाधिक मनो-सामाजिक चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, एक सामाजिक दाग उनके माथे पर समाज द्वारा मढ़ दिया जाता है, जो उनके स्वस्थ सामाजिक जीवन के मार्ग में एक चुनौती बन जाता है।

**वर्थन हन्नाह**[6] ने सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के इंग्लैण्ड में युद्ध विधवाओं के अनुभवों पर अध्ययन किया है कि किस प्रकार युद्ध विधवाओं के लिए लागू पेंशन एवं अन्य सम्बन्धित योजनायें उनके जीवन अनुभवों को प्रभावित करती हैं।

**ए.सी. वाइल्डर**[7] ने भारत में वरिष्ठ विधवाओं पर अध्ययन करते हुए लैंगिक भेद-भाव, एवं महिला

सशक्तीकरण के आलोक में पाया कि वरिष्ठ विधवाओं की सही ढंग से देखभाल न तो समाज द्वारा की जाती है और न ही परिवार के सदस्यों द्वारा जिसके फलस्वरूप वे धीरे-धीरे हाशिए पर जाती चली जाती हैं और उनकी अरक्षितता धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है और कल्पनातीत गरीबी को प्राप्त होने लगती हैं।

**के.पी. दहल**[8] ने काठमांडू में विस्थापित युद्ध विधवाओं पर किए गये अध्ययन के आधार पर पाया कि नेपाल में लगभग दस वर्ष तक चले आन्तरिक संघर्ष के कारण हुई विधवाऐं सामाजिक-समायोजन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती रही हैं। समाज में लांछित जीवन जीते हुए उन्हें अभागिन जैसी टिप्पणियों के साथ समाज में तिरस्कारपूर्ण जीवन जीना पड़ा है। रेडक्रास सोसायटी ने सत्ताईसवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे संघर्षों एवं युद्धों के कारण युद्धरत सैनिकों की मृत्यु के फलस्वरूप विधवाओं की संख्या में हो रही वृद्धि और युद्ध विधवाओं के सामने उठ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन घटनाओं से न केवल विधवाओं के जीवन में बल्कि संपूर्ण समाज में गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पुनःनिर्माण में विधवाओं की भागेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा, साक्षरता, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से सशक्त एवं सक्षम बनाना होगा।

**बुसरासाबरी एवं सबरवाल**[9] ने नेपाल में विधवाओं के प्रति हो रही हिंसा पर किए गये अध्ययन के आधार पर कहा है कि, विधवाओं के सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक एवं कारगर हस्तक्षेप एवं प्रयासों की आवश्यकता है, जो स्वस्थ समायोजन के तरीकों और विधवाओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझते हुए ही सम्भव है।

**देवराहा कर**[10] ने वृद्ध विधवा एवं विधुरों के मानसिक स्वास्थ्य पर किए गये अध्ययन के आधार पर पाया कि वैधव्य जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न स्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो विधुर/विधवा असामान्य एवं अस्वस्थ व्यवहार करने लगते हैं वे क्रोध के वशीभूत अधिक होते हैं और अपने आपको सम्भावित/अपेक्षित सामाजिक-सहयोग/सहायता से वंचित कर देते हैं।

**जहाँ तक** उत्तराखण्ड में 'युद्ध विधवा' पर किए गए अध्ययनों का प्रश्न है, साहित्य सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड में 'महिला विमर्श' को लेकर एकाधिक अध्ययन तो किए गये हैं लेकिन 'युद्ध-विधवाओं' पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किए गये अध्ययनों से सम्बन्धित कोई भी शोध कार्य प्रकाश में नहीं आया है। उत्तराखण्ड में महिलाओं के विविध पक्षों को केन्द्रित करते हुए वर्मा[11], निवेदिता[12], पाठक[13], पन्त[14], तोमर[15], नौटियाल एवं डबराल[16], आदि द्वारा शोध अध्ययन किए गये हैं। लेकिन इन अध्ययनों में विधवा महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तथापि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन[17], द्वारा 'स्वधार होम्स आफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, वेस्ट बंगाल एवं उड़ीसा' में विधवा महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वेक्षण कार्य किया है, जिसमें महिलाओं की स्थिति में हो रहे रूपान्तरण को निर्दिष्ट किया गया है। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि उन्हें वैधव्यता के दाग के कारण ही नहीं बल्कि वित्तीय एवं आर्थिक मदद के अभाव के कारण भी समाज में बहिष्कृत किया जाता है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र में आवासित वीर नारियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना रहा है।

**शोध पद्धति :** प्रस्तुत शोध पत्र, वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक (Descriptive & Exploratory) शोध प्ररचना के प्रयोग के आधार पर किए गये शोध से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

**प्रस्तुत शोध का** अध्ययन समग्र कुमाऊँ मण्डल में 1947 से 2021 के बीच युद्ध शहीदों की विधवाओं, जो वर्तमान में जीवित हैं को अध्ययन समग्र के रूप में चुना गया है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सन् 1947 से 2021 तक पूरे उत्तराखण्ड में कुल 1778 युद्ध विधवायें (वीर नारियां) जीवित हैं। जिनमें से 843 कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में निवास करती हैं। अतः कुमाऊँ मण्डल में निवास कर रही कुल 873 वीर नारियाँ ही प्रस्तुत शोध अध्ययन का अध्ययन समग्र है।

**प्रस्तुत शोध** कार्य में अध्ययन इकाइयों के चयन हेतु समानुपातिक स्तरीकृत दैव प्रतिदर्श चयन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक जनपद को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रत्येक जनपद से समानुपात में दैवनिदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन किया गया, जिसका जनपद-वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

**तालिका-1**

**जनपद वार अध्ययन इकाइयों की कुल संख्या एवं चयनित इकाइयों का वितरण***

| जनपद | वीर नारियों की संख्या' | चयनित इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| अल्मोड़ा | 161 | 52 |
| बागेश्वर | 109 | 35 |
| चम्पावत | 61 | 20 |
| नैनीताल | 96 | 36 |
| पिथौरागढ़ | 360 | 116 |
| उधमसिंह नगर | 56 | 18 |
| **योग** | **873** | **272** |

*जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय, देहरादून

**प्रस्तुत शोध** कार्य में अध्ययन इकाइयों से प्राथमिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए साक्षात्कार-अनुसूची, अर्द्धसहभागी अवलोकन एवं केन्द्रित-साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार उपलब्ध द्वैतीयक स्त्रोतों से भी सूचनाओं का संकलन किया गया है।

**तालिका-02**

**उत्तरदाताओं का आयुगत विवरण**

| आयु समूह (वर्षों में) | 0-20 से कम | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80 से अधिक | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तरदाताओं की संख्या | 00 | 03 | 05 | 131 | 111 | 14 | 05 | 03 | 272 |
| प्रतिशत | 00 | 1.10 | 8.16 | 48.16 | 40.80 | 05.14 | 01.83 | 01.10 | 100.00 |

**अध्ययन हेतु** निदर्शित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 48. 16 प्रतिशत 40 से 50 वर्ष आयु समूह के हैं, 40.80 प्रतिशत उत्तरदाता 60-70 वर्ष की आयु के हैं, 8.16 प्रतिशत उत्तरदाता 30-40 वर्ष आयु समूह के हैं, 05.14 प्रतिशत उत्तरदाता 60-70 वर्ष की आयु समूह के हैं जबकि शेष उत्तरदाता (1.83 प्रतिशत, 1.10 प्रतिशत एवं 1.10 प्रतिशत) क्रमशः 70-80, 80 से ऊपर एवं 20 से 30 वर्ष आयु समूह के हैं। लेकिन पति की वीरगति प्राप्ति के समय अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं की आयु भिन्न रही है। जिसका विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

**तालिका-03**

**पति के बलिदान के समय उत्तरदाताओं का आयुगत विवरण**

| आयु समूह वर्षों में | < 25 | 25-35 | 35-45 | 45 से ऊपर | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्तरदाताओं की संख्या | 47 | 202 | 023 | 00 | 272 |
| प्रतिशत | 17.29 | 74.26 | 08.45 | - | 100 |

**प्राप्त प्रदत्तों** के आधार पर स्पष्ट होता है कि बलिदान के समय अधिकांश 74.26 प्रतिशत वीरनारियों की आयु 25 से 35 वर्ष की थी, 17.29 प्रतिशत वीरनारियाँ तो 25 वर्ष से कम आयु की थी, और शेष 08.45 प्रतिशत वीरनारियाँ 35 से 45 वर्ष आयु समूह की थीं। इस प्रकार 'आयु' के आधार पर यदि युद्ध विधवाओं के जीवन का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि उनमें से अधिकांश महिलाओं को अपने जीवन साथी का साथ जीवन के उस पड़ाव/अवस्था में छूट गया था जो कि मानव जीवन की सर्वाधिक संवेदनशील एवं उत्पादक आयु (Productive age) होती है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति को स्वयं के और अपने बच्चों और

परिवार के भरण-पोषण, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे की सहयोग एवं सहारे की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और इस अवस्था में भारतीय सेना जैसे सम्मानजनक सेवा में कार्यरत कमाऊ जीवन साथी को खोना किसी वज्रपात से कम नहीं होता। इस अवस्था में परिवार, नातेदारी एवं सामाजिक स्तर पर परस्पर विरोधी शक्तियाँ विधवा नारी के जीवन को प्रभावित करती हैं। एक ओर परिवार, नातेदार एवं सामाजिक स्तर पर आस-पड़ोस के लोग, स्थानीय समुदाय, संस्था एवं मित्र मंडली आदि के सदस्य विधवा के प्रति, सहानुभूति एवं सहयोगात्मक मनोभाव रखते हैं, इसके विपरीत वह शक्ति जो विधवा के प्रति नकारात्मक मनोभाव व्यक्त करती हैं और वैधव्यता के लिए स्वयं सम्बन्धित विधवा को उत्तरदायी समझती हैं। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में जो जितनी अधिक प्रबल होती है उसका प्रतिबिम्बन विधवा नारी के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में होने लगता है।

**इस प्रसंग** में उत्तरदाताओं की जैवसामाजिक स्थिति को भी जानने का प्रयास किया गया, जिसे निम्नलिखित विवेचन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

**तालिका-04**

**उत्तरदाताओं का धर्म, जाति एवं जाति-श्रेणी**

| उत्तरदाताओं का वितरण | ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैश्य | अ.जाति | अनु. जनजाति | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिन्दू | 70 | 163 | - | 39 | - | - | 272 |
| प्रतिशत | (25.74) | (59.92) | - | (14.34) | - | - | (100.00) |

**तालिका 04 में** प्रदर्शित प्रदत्तों से स्पष्ट होता है कि वीरनारियों में अधिकांश 59.92 प्रतिशत राजपूत/क्षत्रिय जाति से हैं, 25.74 प्रतिशत ब्राह्मण तथा शेष 14.34 प्रतिशत अनुसूचित जाति से हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि उत्तराखण्ड राज्य, भारतीय गणतंत्र का एक ऐसा हिमालयी राज्य है के अंतर्गत सुरक्षा सेनाओं में अधिकांश सैनिक हिन्दू धर्म से देखे गये हैं, यही कारण है कि बलिदान देने वाले अधिकांश सैनिक हिन्दू धर्म से ही प्रतिदर्शित हुए हैं।

**उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति** : शिक्षा आधुनिकीकरण का एक प्रभावशाली अभिकरण है। यह व्यक्ति विशेष की सोच, वैचारिकी, मत, अभिमत या यूँ कहा जा सकता है कि उसके मनो-शारीरिक गुण एवं व्यवहार को प्रभावित एवं निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में एक 'स्वतंत्रचर' के रूप में एक 'वीरनारी' के जीवन में शिक्षा की भूमिका क्या रही है तथा सामाजिक-समायोजन में शिक्षा की भूमिका का आकलन करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति को जानने का प्रयत्न किया गया। उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति का विवरण तालिका 5 में किया गया हैः-

**तालिका-05**

**उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति**

| शैक्षिक स्थिति | अशिक्षित | प्राथमिक | जूनियर हाईस्कूल | हाईस्कूल | इण्टर मीडिएट | स्नातक | | | परास्नातमक | | | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बीए | बी. एसी | बी काम | एमए | एम. एसी | एम काम | | |
| उत्तरदताओं की संख्या | 47 | 54 | 62 | 54 | 31 | 16 | - | - | 08 | - | - | - | 272 |
| प्रतिशत | (17.28) | (19.80) | (22.79) | (19.85) | (11.39) | (5.89) | - | - | (2.94) | - | - | - | (100.00) |

**तालिका 5 में** प्रस्तुत प्रदत्तों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 17.28 प्रतिशत वीर नारियां अशिक्षित हैं, 19.86 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं, 22.79 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूल, 19.85 प्रतिशत हाईस्कूल, 11.39 प्रतिशत इण्टरमीडिएट, 5.86 प्रतिशत स्नातक एवं 2.94 प्रतिशत परास्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं अर्थात् अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में अधिकांश अर्थात 60 प्रतिशत से अधिक या तो अशिक्षित हैं और या जूनियर हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं। शेष 40 प्रतिशत वीर नारियाँ हाईस्कूल से परास्नातक स्तर तक

शिक्षित रही हैं। जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है तद्नुसार उनकी संख्या में घटोत्तरी होती जा रही है।

**उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति**

**व्यावसायिक स्थिति** व्यक्ति विशेष के आर्थिक जीवन के साथ-साथ उसके सामाजिक जीवन को एक निश्चित पद-प्रतिष्ठा प्रदान करने के साथ-साथ उसकी जीवन दशाओं को भी एक आधार प्रदान करती है। अध्ययन हेतु चयनित वीर-नारियों के जीवन निर्वाह का एक मुख्य आधार उनके शहीद पतियों की मृत्यु के उपरान्त उन्हें मिलने वाली प्रतिमाह पेंशन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधायें आदि रही हैं। पति की मृत्यु के समय अधिकांश नारियां अपने पति पर पूर्णतया आश्रित थीं, और एक गृहणी के रूप में घरेलू काम-काज के साथ-साथ पति के परिवार के व्यवसाय में ही अपना योगदान दे रही थी।

**तालिका संख्या 06**

**उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति**

| उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति | गृहिणी के रूप में घरेलू-कामकाज | कृषि एवं पशुपालन | सेवा/नौकरी | | दैनिक निजी क्षेत्र | व्यापार/ उद्योग | अन्य कोई | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सरकारी | मजदूरी | | | | |
| उत्तरदाताओं की संख्या | 148 | 78 | 39 | - | - | 07 | - | 272 |
| (प्रतिशत) | (54.59) | (28.54) | (14.33) | - | - | (2.53) | - | (100.00) |

**तालिका संख्या** 6 के आधार पर ज्ञात होता है कि आज भी अधिकांश 54.59 प्रतिशत वीर-नारियां गृहणी के रूप में घरेलू काम काज में अपना योगदान दे रही हैं। 28.54 प्रतिशत पति के परिवार का चला आ रहा कृषि व्यवसाय तथा पशुपालन से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। 14.33 प्रतिशत वीर नारियां सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और 2.53 प्रतिशत वीर नारियों ने स्वयं कम लागत के व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखे हैं जैसा कि तालिका संख्या 06 में प्रदर्शित है। इस श्रेणी में वे वीर नारियाँ हैं जिन्होंने सिलाई-कढ़ाई केन्द्र, रेडी-मेड गारमेण्ट्स की दुकान, मसाला पीसने और आचार बनाने का घरेलू उद्योग आदि आरम्भ किए हैं।

**परिवार संरचना :** उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है कि अधिकांश 54.25 प्रतिशत वीर नारियां एकाकी परिवारों में रहती हैं। अधिकांश का मानना है कि एक ओर वैधव्य जीवन की पीड़ा और दूसरी ओर परिवार के सदस्यों का उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने उन्हें अपनी सन्तानों के साथ एकाकी परिवार में रहने की परिस्थितियां पैदा की हैं। 37.30 प्रतिशत वीर-नारियां ही संयुक्त परिवार में रहने का अवसर प्राप्त कर पायी हैं। इनका कहना है कि परिवार में सास-ससुर और अन्य सदस्यों की आपसी समझदारी और विशेष रूप से वीर-नारी के प्रति उनकी सकारात्मक सोच एवं सहयोगात्मक व्यवहार ने उन्हें पूरे परिवार के साथ सामाजिक सम्बन्धों के बंधन में बांधे रखा। इसके अतिरिक्त 8.45 प्रतिशत ऐसी वीरनारियाँ भी हैं जो मिश्रित प्रकार के परिवारों में निवास करती हैं। मिश्रित परिवारों में एक ओर स्वयं वीरनारी के विवाहित पुत्र और उनकी संतानें रह रहीं हैं वहीं साथ ही साथ शहीद पति के माता-पिता, विधवा बुआ, भाभी और कुछ अन्य निकट के सम्बन्धी भी रहते हुए पाये गये हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित परिवार की संज्ञा दी गयी है। तालिका संख्या 07 में उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप के आधार पर वितरण प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका-7**

**उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप**

| परिवार का स्वरूप | एकाकी परिवार | संयुक्त परिवार | मिश्रित परिवार | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| उत्तरदाताओं की संख्या | 148 | 101 | 23 | 272 |
| प्रतिशत | (54.25) | (37.30) | (8.45) | (100.00) |

**प्रस्तुत शोध** पत्र में शोध कार्य के दौरान प्राप्त किए गए तथ्यों के आधार पर वीरनारियों की आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। तालिका संख्या- 8 के माध्यम से वीरनारियों की व्यवसायिक स्थिति का विवेचन किया गया है।

**प्राप्त सूचनाओं** के आधार पर ज्ञात होता है कि लगभग सभी शहीदों के दादा का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय रहे हैं, जबकि 54.41 प्रतिशत शहीदों के पिता का प्रमुख व्यवसाय कृषि, एवं पशुपालन था। 11.40 प्रतिशत के पिता सशस्त्र बलों में सेवारत थे, 22.79 प्रतिशत शहीदों के पिता निजी क्षेत्र में सेवारत थे और शेष 11.40 प्रतिशत शहीदों के पिता स्वरोजगार में लगे थे। अर्थात् दादा की पीढ़ी से पिता की पीढ़ी तक आते-आते उत्तरदाताओं के शहीद पति की आर्थिक पृष्ठभूमि में व्यावसायिक गतिशीलता देखी गयी।

**सामान्यतया** जो वीरनारियाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत विचारों से प्रभावित हैं वे अपने शहीद पति की पेंशन के साथ-साथ कृषि-पशुपालन को अपने जीविका के प्रमुख स्त्रोत के रूप में अपनाये हुए हैं। इस श्रेणी में वीरनारियों का प्रतिशत 28.68 है। जबकि अधिकांश 54.41 प्रतिशत वीरनारियां केवल पति की पेंशन पर निर्भर हैं, 14.33 प्रतिशत वीरनारियाँ पति के पेंशन के साथ-साथ सरकारी सेवा में दिए जा रहे अपने योगदान के सापेक्ष मिल रहे वेतन को अपनी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत मानती हैं। इन वीर नारियों का मत है कि बच्चों की शिक्षा एवं अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए शहीद पति की पेंशन अपर्याप्त हैं अतः अपने परिवार के व्यय एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन हेतु नौकरी आवश्यक है। केवल 2.58 प्रतिशत वीरनारियाँ ही पति के पेंशन के साथ-साथ लघु-लागत पर स्थापित व्यापार को अपनी जीविका का आधार बनाए हुए हैं। वीर-नारियों की व्यावसायिक स्थिति में उनके परिवार के परम्परागत व्यवसाय के सापेक्ष आ रहे परिवर्तन की प्रवृत्ति दिखायी देती है, जो निःसन्देह समय के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का स्वाभाविक परिणाम है। वीरनारियों की आजीविका के प्रमुख स्त्रोत एवं उससे प्राप्त अनुमानित आय का विवरण निम्नलिखित तालिका 8 में दर्शाया गया है।

**तालिका-8**
**वर्तमान में वीर नारियों की जीविका का प्रमुख स्त्रोत तथा अनुमानित आय**

| जीविका का प्रमुख स्त्रोत | उत्तरदाताओं की संख्या (%) | अनुमानित आय | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30,000 से कम | 30,000-35,000 | 35,000-40,000 | 40,000-45,000 | 45,000 से अधिक | योग |
| पेंशन, कृषि एवं पशुपालन | 78 (28.68) | - | 51 | 13 | 09 | 05 | 78 (28.68) |
| पति की पेंशन | 148 (54.41) | - | 101 | 25 | 13 | 09 | 148 (54.41) |
| सरकारी नौकरी+पति की पेंशन | 39 (14.33) | - | - | 02 | 07 | 30 | 39 (14.33) |
| पति की पेंशन+व्यापार | 07 (02.58) | - | - | 01 | 03 | 03 | 07 (02.58) |
| योग | 272 (100.00) | - | 152 (55.89) | 41 (15.08) | 32 (11.76) | 47 (17.27) | 272 (100.00) |

**उत्तरदाताओं** से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रतिमाह अपनी शहीद पति की पेंशन का भुगतान शासन के नियमों के अनुसार होता है। प्रस्तुत अध्ययन में चयनित वीर नारियाँ सिपाही पद से लेकर मेजर रेंक तक की आश्रित हैं, तद्नुसार उन्हें अपने पति की प्रतिमाह वेतन की कुल राशि पेंशन के रूप में उन्हें प्राप्त होती है, जो उनकी जीविका का एक स्थायी स्त्रोत कहा जा सकता है। जो वीर नारियाँ

कृषि-पशुपालन का काम कर रही हैं, अथवा किसी व्यापार-उद्योग में संलग्न है, या सार्वजनिक क्षेत्र में सेवातर हैं, से प्राप्त आय उनकी पेंशन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय है। इस प्रकार से कुल प्राप्त आय को वे अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण में उपयोग में लाती हैं और आवश्यकतानुसार वरीयता के आधार पर विभिन्न मदों में प्राप्त आय को व्यय भी करती हैं। वीर नारियों के परिवार में होने वाले व्यय प्रतिशत एवं बचत को निम्नतालिका में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका-9**

**मदवार परिवार का अनुमानित व्यय एवं बचत**

| अनुमानित व्यय प्रतिशत | व्यय की मद | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भोजन | वस्त्र | आवास | शिक्षा | स्वास्थ्य चिकित्सा | तीज त्यौहार | संस्कार व धर्म सम्बन्धी व्यय | कृषि | मनोरंजन | आकस्मिक व्यय | प्रतिमाह बचत |
| 10 प्रतिशत से कम | - | - | - | 132 (48-54) | 209 (76-83) | 101 (37-15) | 62 (22-80) | 194 (71-35) | 70 (25-75) | 141 (51-84) | - |
| 10-20 प्रतिशत | 101 (37-05) | 233 (85-66) | 156 (56-98) | 24 (8-82) | - | 139 (51-09) | 178 (65-45) | 78 (28-65) | 152 (59-62) | 108 (39-70) | - |
| 20-30 प्रतिशत | 132 (48-52) | 31 (11-39) | 85 (31-25) | - | - | 32 (11-76) | - | - | 40 (14-63) | 23 (8-46) | 139 (51-11) |
| 30-40 प्रतिशत | 39 (14-43) | 08 (2-95) | 32 (11-77) | 116 (42-64) | 63 (23-17) | - | 32 (11-75) | - | - | - | 133 (48-89) |
| योग | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) | 272 (100) |

**तालिका 9 में** प्रदर्शित प्रदत्तों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश 48.52 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आय का 20 से 30 प्रतिशत आय भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय करते हैं, 85.66 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आय का 10 से 20 प्रतिशत वस्त्रों और 56.98 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आय का 10-20 प्रतिशत आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय करते हैं। 48.58 प्रतिशत उत्तरदाता 10 से कम प्रतिशत आय बच्चों की शिक्षा में, और 42.62 प्रतिशत उत्तरदाता 30-40 प्रतिशत आय, बच्चों की शिक्षा में व्यय करते हैं। 76.83 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आय का 10 से 20 प्रतिशत आय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय करते हैं, जबकि मात्र 23.17 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपनी आय का लगभग 30 से 40 प्रतिशत भाग ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय करते हैं। अधिकतम 65.45 प्रतिशत उत्तरदाता सांस्कारिक एवं धार्मिक गतिविधियों में अपनी आय का 10 से 20 प्रतिशत भाग व्यय करते हैं। 51.09 प्रतिशत उत्तरदाता 10 से 20 प्रतिशत आय तीज त्योहारों के अवसर पर व्यय करते हैं। 71.35 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में मात्र 10 प्रतिशत से कम आय व्यय करते हैं जबकि 59.62 प्रतिशत उत्तरदाता 10 से 20 प्रतिशत आय मनोरंजन आदि में व्यय करते हैं। 51.84 प्रतिशत उत्तरदाता आय का लगभग 10 प्रतिशत भाग आकस्मिक मदों में व्यय करते हैं, और क्रमशः 39. 70 प्रतिशत और 8.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे क्रमशः 10 से 20 प्रतिशत एवं 20-30 प्रतिशत भाग ही आकस्मिक मदों में व्यय करते हैं। जहां तक प्रतिमाह बचत का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 51.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वे अपनी आय का 20 से 30 प्रतिशत भाग और 48.89 प्रतिशत उत्तरदाता 30 से 40 प्रतिशत भाग प्रतिमाह बचत करते हैं ताकि भविष्य में यह बचत दायित्व निर्वहन में काम आ सकें।

**कल्याणकारी योजनाओं, के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता एवं संतुष्टि का स्तर**

**युद्ध विधवाओं** के कल्याण हेतु एकाधिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ एकाधिक हित-लाभों एवं सामाजिक-समायोजन हेतु आवश्यक रणनीतियों का प्रावधान शासन-प्रशासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध

में युद्धविधवाओं की जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया जो तालिका 10 में प्रदर्शित किया है-

**तालिका-10**
**कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं संतुष्टि का स्तर**

| | पूर्ण जागरूक | आंशिक जागरूक | तटस्थ | अजागरूक | पूर्ण अजागरूक | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संख्या<br>प्रतिशत | - | 178<br>(65.45) | - | 38<br>(13.77) | 56<br>(20.58) | 272<br>(100.00) |
| | पूर्ण संतुष्ट | आंशिक संतुष्टि | तटस्थ | असंतुष्ट | पूर्ण असन्तुष्ट | योग |
| संख्या<br>प्रतिशत | - | 72<br>(26.48) | 61<br>(22.42) | 98<br>(36.02) | 41<br>(15.08) | 272<br>(100.00) |

**उपर्युक्त** तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं को उनके कल्याण हेतु किए गये प्रावधानों एवं योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, जबकि 65.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अपनी आंशिक जागरूकता प्रकट की, 13.97 प्रतिशत उत्तरदाता अजागरूक पाये गए जबकि 20.58 प्रतिशत पूर्ण रूपेण अजागरूक थे। जहां तक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उत्तरदाताओं की संतुष्टि का प्रश्न है अधिकतम 36.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना असन्तोष व्यक्त किया 26.48 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक रूप से संतुष्ट पाये गये। 15.08 प्रतिशत पूर्ण रूपेण असन्तुष्ट थे जबकि 22.42 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थीं।

**निष्कर्ष** : निष्कर्ष रूप में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर स्पष्ट होता है कि युद्ध शहीद सैनिकों की पत्नियाँ (विधवाऐं) जिन्हें उत्तराखण्ड में 'वीर नारी' जैसे सम्मान सूचक शब्द नाम से सम्बोधित किए जाने का प्रचलन रहा है, समाज का एक ऐसा नाजुक/अरक्षित (Vulnerabel) वर्ग है, जो सामाजिक दृष्टि से अन्य सामान्य महिला वर्ग से भिन्न अपनी पहचान रखती हैं। तथापि आर्थिक दृष्टि से उन्हें और उनके आश्रितों को सशक्त बनाने एवं सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकाधिक सुविधाऐं एवं रियायतें दी जाती रही हैं, ताकि आत्म निर्भरता के साथ-साथ सामाजिक समायोजन में उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अध्ययन में युद्ध विधवाओं की शासन-प्रशासन द्वारा प्रदत्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। अध्ययनात्मक निष्कर्ष एक ओर युद्ध विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके कल्याणार्थ निर्मित विधानों के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्धों को प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी उद्घाटित करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास हेतु निर्मित योजनाओं का समुचित लाभ, युद्धविधवाओं को प्राप्त नहीं हो पाया है। अर्थात जो वीरनारियाँ उनके सामाजिक, आर्थिक कल्याण हेतु निर्मित प्रावधानों के प्रति जागरूक हैं वे उनका लाभ उठा पाने में समर्थ रहीं हैं जबकि जो वीरनारियाँ उनके कल्याणार्थ निर्मित विधानों के प्रति जागरूक नहीं हैं वे उनका लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पायी हैं। यही कारण है कि वीरनारियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और उनके कल्याणार्थ निर्मित विधानों के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्ध होने के बावजूद अजागरूक वीरनारियां उन विधानों का समुचित लाभ उठा पाने में असमर्थ रही हैं।

## सन्दर्भ


1. Perkins, Jessica M. Lee, HY, James, K.S. et.al., 'Marital Status, Widowhood Duration, Gender and Health Outcome : A Cross-sectional Study Among Other Adults in India', By BMC Public Health (b), 1032.https://aoi.org/10.1186/s12889-016-36-82-9. 2016
2. Zahedi, Ashraf, 'State Ideology and the status of Iranian war widows', In international Feminist Journal of Politics, vol.8, issue 2, Tylor and Francis online: August 19, 2006.
3. Lea, Shamgar, Handelman, 'The concept of remarriage among Israli war-widows', In Journal of Comparative Family Studies, vol.13, Issue 3, University of Toronto Press., 1982
4. Marie Cooke, 'Australian war widows: A Case Study to Challenge Public Policy', Australian Journal of Social Issues/volume 38, issue 4/p. 465-475.https://doi.org/10.1002/j.1839- 4655.2003.tb01155., 2016
5. Pannilage, U & Chamalie, P M Gunawardena, 'Military War Widows in Post-war Sri Lanka', 1/ Journal of Conflict, Peace and Development Studies (jocpds), Volume 2, https://www.researchgate.net/publication/316507373, 2017
6. H. Worthen, 'The Experiences of War widows in mid 17th Century England', (Ph.D. Thesis) University of Leicester, England., 2017
7. Wilder, Ann C., 'Living Arrangements of Elederly widows in India : Family Convention', Bad Luck and Abandonment (Ph. D. Thesis), University of North Texas., 2016
8. Dahal, Kapil Babu, 'Finding ways amidst Adversaries: Coping Strategies of Internally Displaced War Widows Living in Kathmandu', In K.N. Pyakuryal et.al. (eds.) Social Sciences in a Multicultural World. Kathmandu, Sociological Anthropological Society of Nepal (SASON)., 2008
9. Busarasabri, Shrutika Sabarwal, Michele R. Decker, 'Violence Against Widows in Nepal: Experiences, Coping Behaviors and Barriers in Seeking Help', Journal of Interpersonal violence, (Https: doi.org/10.1177/0886260515569058), 2015
10. Carr, Deborah, 'Mental Health of Older Widows and Widowers: Which coping Strategies are most Protective', AGING Mental Health, Bostan University, Bostan., 2020
11. Verma, K.K., 'Women empowerment in India: A case study of Uttarakhand', Motherhood International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume I, Issue II, (pp.08-23) online ISBN-2456-2831, https://www.motherhooduniversity.edu.in, Roorkee., 2016
12. Nivedita, T.M. & H.C. Sati, 'A study on Informal women leaders of Uttarakhand', International Journal of Gender and Women's Studies, Vol. 2, No. 2, ISSN2333-6021(print),2333- 603X(online) American Research Institute for Policy Development. http://ijgws.com. 2014
13. Pathak, I. 'Women Participation in Decision Making and Women Drudgery in High Hilly Districts of Uttarakhand', Directorate of Economics & Statistics Govt. of Uttarakhand, Dehradun. 2016
14. Pant, B.R., 'Demographic Profile and Nutrition Status of Women in Uttarakhand', ENVIS Bulletin Himalayan Ecology, Vol. 24, (pp. 101-108)., 2016
15. Tomar, D., 'A Critical Evaluation of Current Status of Women Entrepreneurship in Uttarakhand', International Journal of Humanities And Social Sciences Inventions, ISSN (online):3219-7722,ISSN(Print). 3219-7722, www.ijhssi.org//volume7 issue 06. Ver.II//June 2018// pp.46-56., 2018
16. Nautiyal, V.& J. Dabaral, 'Women Issues in News Papers of Uttarakhand', Global Media Journal-Indian Edition/ ISSN 2249-5835, The University of Calcutta/www.caluni.ac.in., 2012
17. Kumar manglam, Lalitha, et al, 'Station of widows in Swadhar Homes of Uttarpradesh, Uttarakhand, west Bangal and Odisa', New Delhi, National commisson for women, 2016

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन

❑ सुश्री रेखा रानी
❖ डॉ. सपना वर्मा

**सूचक शब्द :** उच्च प्राथमिक स्तर, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, संवेगात्मक स्थिरता।

प्रस्तुत अध्ययन उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बाालकों एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर का अध्ययन करने हेतु किया गया है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में कुल 120 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। आँकड़ों के संकलन हेतु अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानकीकृत संवेगात्मक स्थिरता (ब्रेल लिपि) मापनी का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन और टी-टेस्ट का उपयोग किया गया। अध्येत्री द्वारा प्राप्त किये गये आंकड़ों के विष्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दृष्टि बाधित बालकों एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में सार्थक अंतर है। किन्तु सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अंतर नहीं है। इन विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता पर विद्यालय की प्रकृति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

**जीवन में संवेगों** की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक अपने भावों को इन्हीं संवेगों के माध्यम से व्यक्त करता है। संवेग मानव व्यवहार के प्रेरक होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार अपने बौद्धिक विकास और बौद्धिक चिंतन पर आधारित होता है, किन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जब संवेग व्यक्ति के चिंतन एवं व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। संवेगों के प्रभाव में आकर व्यक्ति तात्कालिक रूचियों और इच्छाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करता है और दूरगामी लक्षणों की अवहेलना करता है। इस प्रकार संवेग कभी तो बालक को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और कभी कार्य करने में बाधक बन जाते हैं।

**संवेगात्मक स्थिरता** वह स्थिति है जिसमें प्रबल संवेगों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन है जहाँ मानसिक सन्तुलन के और शांत मस्तिष्क के साथ एकाग्रता संभव हो सकती है तथा पूर्ण अधिगम हो सकता है। प्रस्तुत परिस्थितियों के प्रति संतुलित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है, और उसकी यह प्रतिक्रिया सामाजिक अपेक्षाओं, नैतिक मान्यताओं तथा आध्यात्मिक विकास के पैमाने पर भी पूर्णतया खरी उतरती है। संवेगात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में सहायता करती है तथा व्यावसायिक प्रगति की ओर ले जाती है।

**दृष्टि बाधिता :** ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थता दृष्टि बाधिता कहलाती है। इसके अंतर्गत आँखें पूरी तरह से या आंशिक रूप से खराब हो जाती हैं। दृष्टि[1] की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टि बाधिता की श्रेणी में आती है। दृष्टि बाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेंसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का उपस्थित होना।

**विश्व स्वास्थ्य संगठन (2011)** के अनुसार[2] ''नेत्रहीनों के आंकड़ों के अनुसार, विश्व के 285 मिलियन लोग दृष्टि दोष या दृष्टि बाधिता से पीड़ित हैं। इनमें से 39 मिलियन लोग पूरी तरह से अंधे और 246 मिलियन लोग कमजोर दृष्टि से पीड़ित हैं और 90 प्रतिशत दृष्टि दोष या दृष्टि बाधिता से पीड़ित लोग विकासशील देशों में रहते हैं।''

**पूर्ण दृष्टि बाधिता** ऐसी स्थिति है जिसमें बालक अपनी आँखों से कुछ भी देख पाने में असमर्थ होता है। वे बालक जो जन्म से या बाल्यावस्था में पूर्णतः अंधे हो जाते हैं इन्हें पूर्ण दृष्टि बाधित बालक कहते हैं।

❑ शोध अध्येत्री, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राजस्थान)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राजस्थान)

**निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995**[3] के अनुसार "पूर्णतः दृष्टि अभाव उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी एक स्थिति से ग्रसित होता है।"

1. दृष्टि का पूर्ण अभाव
2. अच्छी आँख में, चश्में या कॉन्टेक्ट लेंस से सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 (मीटर) या 20/200 फीट (स्नेलैन) से अधिक न होना।
3. 20 डिग्री से अधिक का दृष्टिक्षेत्र न होना।

**आंशिक दृष्टि बाधिता** वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात् दृष्टि का हास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना व निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है एवं उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है। आंशिक दृष्टि बाधित बालक वे होते हैं जिनकी दृष्टि कमजोर होती है। कुछ बालकों की पास की दृष्टि एवं कुछ बालकों की दूर की दृष्टि कमजोर होती है तथा कुछ विद्यार्थियों की निकट दृष्टि एवं दूर की दृष्टि दोनों कमजोर होती है इन्हें आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहते हैं।

**निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995**[4] के अनुसार "अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनकी दृष्टि क्रियाशीलता में उपचार या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दोष होता है किन्तु वे उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ कार्यों को करने या उसकी योजना बनाने के लिए दृष्टि का प्रयोग करते हों या इसकी संभावना हो कि वे दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे।"

**साहित्य समीक्षा**

**कुमार एवं शिंदे**[5] ने मूकबधिर विद्यार्थियों के समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि मूकबधिर विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के सामाजिक समायोजन में अंतर पाया जाता है। छात्रों का सामाजिक समायोजन छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया। छात्रों में समूह में कार्य करना, नए चित्र बनाना, नेतृत्व प्रदान करना और सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में अंतर नहीं पाया जाता है।

**कुमार, पण्डा एवं सदाफल**[6] ने कामकाजी एवं गृहिणी महिलाओं के किशोर छात्र-छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि कामकाजी महिलाओं के किशोर छात्रों के संवेगात्मक परिपक्वता के प्राप्तांकों का माध्य का मान कामकाजी महिलाओं की किशोर छात्राओं के संवेगात्मक परिपक्वता के प्राप्तांकों के माध्य की तुलना में अधिक है अतः कामकाजी महिलाओं के किशोर छात्रों की संवेगात्मक परिपक्वता अधिक है। गृहिणी महिलाओं के किशोर छात्र-छात्राओं की तुलना में कामकाजी महिलाओं के छात्र-छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता अधिक है।

**दलाल एवं कुमार**[7] ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता व शैक्षिक उपलब्धता के सम्बन्ध का एक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धता तथा संवेगात्मक स्थिरता के सम्बन्ध को जानना था। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि छात्रों का संवेगात्मक स्थिरता स्कोर छात्राओं की अपेक्षा उच्च था व उनमें सार्थक अंतर पाया गया। सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन छात्राओं की अपेक्षा निम्न रहा एवं सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धता स्तर में सार्थक अंतर पाया गया। विद्यार्थियों के संवेगात्मक स्थिरता तथा शैक्षिक उपलब्धता स्तर में उच्च धनात्मक सह-संबंध परिकलित हुआ।

**गौसिया**[8] के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सांवेगिक परिपक्वता पर शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव जानना था। अध्ययन हेतु बरेली जनपद के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया। अध्ययन के परिणाम से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों की सांवेगिक परिपक्वता पर शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव नहीं पड़ता।

**अल-ताल, अल-जवालदेह तथा मेहरमेह**[9] ने संवेदी विकलांगता वाले विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि के स्तर का पता लगाने के लिए अम्मान अरब विश्वविद्यालय से न्यादर्श के रूप में 200 विद्यार्थियों (140 श्रवण बाधित + 60 दृष्टि बाधित) को 2016-17 में विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए चुना गया। शोधार्थी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवेगात्मक बुद्धि मापनी का

प्रयोग किया। अध्ययन में पाया कि श्रवण बाधित बालकों की संवेगात्मक बुद्धि कम तथा दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक बुद्धि मध्यम पायी गयी। इसके अतिरिक्त यह पाया कि संवेदी विकलांग बालकों को गतिविधियों और प्रोगामों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिले।

**शर्मा**[10] ने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों की सांवेगिक परिपक्वता का अध्ययन किया इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 73 प्रतिशत छात्राध्यापक स्थिर संवेग वाले हैं व 27 प्रतिशत छात्राध्यापक अस्थिर संवेग वाले हैं। संवेगात्मक परिपक्वता, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक महाविद्यालयी व्यवस्था, कक्षा वातावरण, अध्यापक व्यवहार, सहपाठियों से संबंध या किसी अन्य कारण से संभव हो सकती है तथा परिस्थिति अनुरूप स्थायी व अस्थायी भी हो सकती है।

**पंत तथा जोशी**[11] ने भारत के माध्यमिक स्तर के विशिष्ट विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि समावेशी विद्यालयों एवं विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अन्तर पाया गया और समावेशी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में संवेगात्मक स्थिरता विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से अधिक पायी गयी।

**कुमारी, एस एवं जफरी**[12] ने उत्तर प्रदेश बोर्ड के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को ज्ञात करना था। निष्कर्षतः पाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य के 6 पक्षों में से केवल दो पक्ष (बुद्धि व संवेगात्मक स्थिरता) विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

**अलीमोविक**[13] के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक अक्षमता एवं दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक व व्यवहार समस्या का पता लगाना तथा 4 से 11 वर्ष की आयु के बालकों में बौद्धिक अक्षमता और दृष्टि बाधिता की तुलना करना था। अध्ययन में पाया कि बौद्धिक अक्षमता एवं दृष्टि बाधित बालकों में संवेगात्मक व्यवहार समस्या सामान्य बालकों की तुलना में अधिक पायी गयी। सामान्य बालकों की तुलना में दृष्टि बाधित बालकों एवं बौद्धिक अक्षम बालकों में दैहिक शिकायत अधिक पायी गयी। इसके अतिरिक्त अक्षमता का संवेगात्मक और दृष्टि बाधित बालकों के व्यवहार से जुड़ी समस्याओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

**समस्या कथन**

''उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन''

**तकनीकी शब्दावली का परिभाषीकरण**

**उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी**

प्रस्तुत अध्ययन में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से तात्पर्य विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 6, 7 एवं 8 के समस्त पूर्णतः दृष्टि बाधित विद्यार्थियों से है।

**दृष्टि बाधित विद्यार्थी :** दृष्टि बाधित विद्यार्थी से तात्पर्य उन बालक एवं बालिकाओं से है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाते है।

**संवेगात्मक स्थिरता :** संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें प्रबल संवेगों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन है जहाँ मानसिक स्थिति संतुलित रहती है जिससे पूर्ण एकाग्रता सुनिश्चित होती है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर का अध्ययन करना।
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर का अध्ययन करना।

**शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ**

1. उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

**शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधि**

प्रस्तुत शोधकार्य के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में जिन सरकारी एवं गैर-सरकारी

विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को चुना गया है वे सभी विद्यार्थी सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार राजस्थान राज्य के सभी विशिष्ट विद्यालयों को जनसंख्या के स्वरूप में लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी एवं गैर-सरकारी विशिष्ट विद्यालयों में से पाँच विद्यालयों का यादृच्छिक न्यादर्श की लॉटरी विधि द्वारा चयन किया गया तत्पश्चात् इन विद्यालयों में अध्ययनरत् पूर्ण दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को उपलब्धता के आधार पर कक्षा 6, 7 एवं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को लिया गया है जैसा कि तालिका संख्या 1 में प्रदर्शित है।

**तलिका संख्या-1**

**दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संख्या**

| चयनित विद्यार्थियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|
| कक्षा | कक्षा-6 | कक्षा-7 | कक्षा-8 |
| संख्या | 40 | 40 | 40 |
| कुल योग | 120 | | |

**प्रस्तुत अध्ययन** में शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के संकलन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विशिष्ट विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का मापन करने हेतु डॉ. अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानकीकृत संवेगात्मक स्थिरता मापनी (ब्रेल लिपि) का उपयोग किया गया है।[14] संवेगात्मक स्थिरता मापनी की नियमावली के अनुसार कम प्राप्तांक को अधिक संवेगात्मक स्थिर विद्यार्थी तथा अधिक प्राप्तांक को कम संवेगात्मक स्थिर विद्यार्थी के रूप में निष्कर्ष करने हेतु निर्देशित किया गया है

**शोधार्थी ने** अध्ययन में (i) मध्यमान, (ii) प्रमाणिक विचलन, (iii) मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता तथा (iv) टी-मान सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है-

**शोध का सीमांकन :** प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य का निम्न प्रकार से सीमांकन किया गया है-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान राज्य को ही चुना गया है।
2. यह अध्ययन अजमेर, जयपुर, गंगानगर, जोधपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में संचालित विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है।
3. 5 सरकारी व 5 गैर-सरकारी विशिष्ट विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है।
4. शोध कुल 120 विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है जिनमें सरकारी एवं गैर-सरकारी विशिष्ट विद्यालयों से विद्यार्थियों को चुना गया है।
5. प्रस्तुत शोध कार्य विशिष्ट विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् कक्षा 6, 7 एवं 8 के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के अध्ययन तक ही सीमित है।
6. प्रस्तुत शोध अध्ययन पूर्णतः दृष्टि बाधित विद्यार्थियों तक ही सीमित किया गया है।

**आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या :**

**तालिका संख्या-2**

**न्यादर्श का मानक विचलन, विषमता, और कुर्टोसिस के साथ संवेगात्मक स्थिरता का मध्यमान, माध्यिका और मोड स्कोर**

| Gender | N | Mean | Median | Mode | S.D | Skewness | Kurtosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | 89 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 2.101 | .485 | .076 |
| Girls | 31 | 6.77 | 6.00 | 5.00 | 2.432 | .816 | .464 |

**तालिका संख्या- 2** इंगित करती है कि दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता के माध्य, माध्यिका, मोड स्कोर आरोही क्रम में है। इसका मतलब है कि माध्य मान माध्यिका से थोड़ा कम है। विषमता 0.485 इंगित करती है कि दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता के वितरण की आवृत्ति सकारात्मक रूप से तिरछी (दाई और तिरछी) है। चूँकि दृष्टि बाधित बालकों का कर्टोसिस .076 है, जो 0 से कम है। वितरण वक्र प्लैटीकर्टिक है जो एक विषम वितरण का संकेत देता है।

**तालिका संख्या- 2** इंगित करती है कि दृष्टि बाधित बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के माध्य, माध्यिका, मोड स्कोर अवरोही क्रम में है। इसका तात्पर्य है कि माध्य मान माध्यिका से थोड़ा अधिक है। विषमता 0.816 इंगित करती है कि दृष्टि बाधित बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के वितरण की आवृत्ति सकारात्मक रूप से तिरछी (दाई और तिरछी) है। चूँकि दृष्टि बाधित

बालिकाओं का कर्टोसिस 0.464 है, जो 0 से कम है। वितरण वक्र प्लैटीकर्टिक है जो एक विषम वितरण का संकेत देता है।

**उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता का स्टेम और लीफ प्लॉट।**

Stem-and-Leaf Plots
emotion Stem-and-Leaf Plot for
gender= Boy

| Frequency | Stem & Leaf |
|---|---|
| 4.00 | 2 . 0000 |
| 10.00 | 3 . 0000000000 |
| 8.00 | 4 . 00000000 |
| 19.00 | 5 . 0000000000000000000 |
| 24.00 | 6 . 000000000000000000000000 |
| 8.00 | 7 . 00000000 |
| 6.00 | 8 . 000000 |
| 3.00 | 9 . 000 |
| 5.00 | 10 . 00000 |
| 2.00 Extremes | (>=11.0) |

Stem width: 1
Each leaf: 1 case(s)

emotion Stem-and-Leaf Plot for
gender= Girl

| Frequency | Stem & Leaf |
|---|---|
| 1.00 | 3 . 0 |
| 5.00 | 4 . 00000 |
| 4.00 | 5 . 0000 |
| 6.00 | 6 . 000000 |
| 4.00 | 7 . 0000 |
| 6.00 | 8 . 000000 |
| 1.00 | 9 . 0 |
| 1.00 | 10 . 0 |
| 1.00 | 11 . 0 |
| 1.00 | 12 . 0 |
| 1.00 Extremes | (>=13.0) |

Stem width: 1
Each leaf: 1 case(s)

**दृष्टि बाधित बालकों का विवरण :** स्टेम और लीफ प्लॉट में 89 दृष्टि बाधित बालकों के प्राप्तांकों का विवरणात्मक मान इस प्रकार है। कुल प्राप्तांक 15 में से अधिकतम 11 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम 2 अंक प्राप्त किए हैं अंक विवरण में दर्शायें गये विवरणों में कुछ दृष्टि बाधित बालकों का विवरण इस प्रकार है। 89 बालकों में से 10 बालकों का स्कोर 3 है। 19 बालकों का स्कोर 5 और 24 बालकों का स्कोर 6 है स्टेम और लीफ प्लॉट में यह भी दिखाया गया है कि 2 बालकों के स्कोर 11 से अधिक है। इसी प्रकार का विवरण स्टेम और लीफ प्लॉट में दर्शाया गया है।

**दृष्टि बाधित बालिकाओं का विवरण :** स्टेम और लीफ प्लॉट में 31 दृष्टि बाधित बालिकाओं के प्राप्तांकों का विवरणात्मक मान इस प्रकार है। कुल प्राप्तांक 15 में से अधिकतम 13 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम 3 अंक प्राप्त किए है अंक विवरण में दर्शायें गये विवरणों में कुछ दृष्टि बाधित बालिकाओं का विवरण इस प्रकार है। 31 बालिकाओं में से 5 बालिकाओं का स्कोर 4 है, 6 बालिकाओं का स्कोर 6 और 6 बालिकाओं का स्कोर 8 है स्टेम और लीफ प्लॉट में यह भी दिखाया गया है कि 1 बालिका के स्कोर 13 से अधिक है। इसी प्रकार का विवरण स्टेम और लीफ प्लॉट में दर्शाया गया है।

**आरेख संख्या-1**

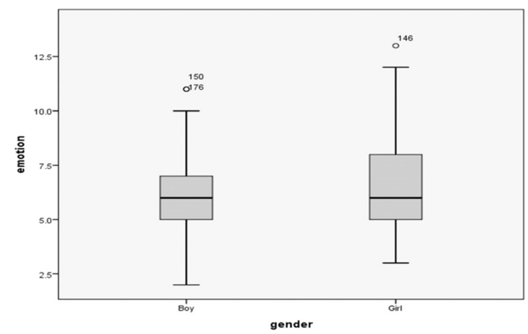


**दृष्टि बाधित बालकों का विवरण**

दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता का विवरण बाक्स प्लॉट में प्रस्तुत किया गया है। इस बॉक्स प्लॉट में दृष्टि बाधित बालकों के अधिकतम प्राप्तांक व निम्नतम प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। बॉक्स प्लॉट में दृष्टि बाधित बालकों का अधिकतम स्कोर 11 है और न्यूनतम स्कोर 2 है। हालाँकि दृष्टि बाधित बालकों के स्कोर की सीमा 2 से 11 तक फैली हुई है तथा इसमें बॉक्स प्लॉट के चतुर्थांश शतमक का भी विवरण दिया गया है। 75 शतमक पर प्राप्त अंक 7 है, 50 शतमक पर प्राप्त अंक 6 है 25 शतमक पर प्राप्त अंक 5 है। 2 दृष्टि बाधित बालकों (यानी 176वें और 150वें) ने 90 शतमक से ऊपर स्कोर प्राप्त किया है।

**दृष्टि बाधित बालिकाओं का विवरण :** दृष्टि बाधित

बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता का विवरण बाक्स प्लॉट में प्रस्तुत किया गया है। इस बॉक्स प्लॉट में दृष्टि बाधित बालिकाओं के अधिकतम प्राप्तांक व निम्नतम प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। बॉक्स प्लॉट में दृष्टि बाधित बालिकाओं का अधिकतम स्कोर 13 है और न्यूनतम स्कोर 3 है। हालाँकि दृष्टि बाधित बालिकाओं के स्कोर की सीमा 3 से 13 तक फैली हुई है तथा इसमें बॉक्स प्लॉट के चतुर्थांश शतमक का भी विवरण दिया गया है। 75 शतमक पर प्राप्त अंक 8 है, 50 शतमक पर प्राप्त अंक 6 है 25 शतमक पर प्राप्त अंक 5 है। 1 दृष्टि बाधित बालिका (यानी 146वें) ने 90 शतमक से ऊपर स्कोर प्राप्त किया है।

**उपर्युक्त बॉक्स** प्लॉट से हम कह सकते हैं कि दृष्टि बाधित बालकों की अंतर-चतुर्थक सीमा 2 है, दूसरी ओर दृष्टि बाधित बालिकाओं की अंतर-चतुर्थक सीमा 3 है। इसका मतलब है कि दृष्टि बाधित बालिकाओं ने दृष्टि बाधित बालकों की तुलना में संवेगात्मक स्थिरता के क्षेत्र में अधिक अंक प्राप्त किए। यह भी देखा गया है कि संवेगात्मक स्थिरता पर दृष्टि बाधित बालकों एवं दृष्टि बाधित बालिकाओं का औसत मान 6 समान है।

**उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की लिंग के आधार पर संवेगात्मक स्थिरता**

**परिकल्पना संख्या- 1** उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

**लिंग के आधार पर तुलना :** उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की लिंग के आधार पर उनकी संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन करने के लिए 89 दृष्टि बाधित बालकों तथा 31 दृष्टि बाधित बालिकाओं को संवेगात्मक स्थिरता मापनी को दिया गया, तथा संवेगात्मक स्थिरता मापनी को भरवा कर उसका अंकन किया गया। प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित कर उसका सारणीयन तथा सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्य अंतर की सार्थकता हेतु आँकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान ज्ञात किया गया, जो तालिका संख्या- 3 में प्रदर्शित है-

**तालिका संख्या-3**

**लिंग के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान**

| लिंग | विद्यार्थियों की संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | df | टी-मान | परिकल्पना का सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बालक | 89 | 5.75 | 2.101 | 118 | 2.236 | 0.05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत |
| बालिकाएँ | 31 | 6.77 | 2.432 | | | |

**डी.एफ.=118, 0.05 सार्थकता स्तर पर टी का सारणी मान= 1.96**

**आरेख संख्या 2**

**उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता**

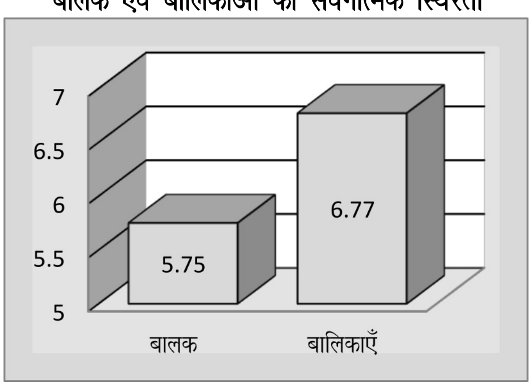


**टी-परीक्षण विश्लेषण-** उपर्युक्त तालिका संख्या-3 के अनुसार लिंग के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्यमान 5.75 एवं मानक विचलन 2.101 है तथा दृष्टि बाधित बालिकाओं के मध्यमान 6.77 एवं मानक विचलन 2.432 है। मध्यमानों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दृष्टि बाधित बालिकाओं का मध्यमान दृष्टि बाधित बालकों के मध्यमान से अधिक है तथा टी का अवकलित मान 2.236 है जो कि प्राप्त स्वतंत्र कोटि (df) 118 पर सार्थकता स्तर 0.05 के मानकीकृत मान 1.96 से अधिक पाया गया है जो कि यह दर्शाता है कि लिंग के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत्

दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में सार्थक अंतर पाया जाता है।

**इसलिये शून्य** परिकल्पना संख्या-1 ''उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालक एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।'' अस्वीकृत की जाती है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालकों की संवेगात्मक स्थिरता बालिकाओं की तुलना में अधिक है। परिणामों से पता चलता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित बालकों एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अंतर पाया जाता है। इन विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में भिन्नता होती है।

**सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के आधार पर दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का वर्णात्मक विश्लेषण।**

**तालिका संख्या-4**
**न्यादर्श का मानक विचलन, विषमता, और कुर्टोसिस के साथ संवेगात्मक स्थिरता का मध्यमान, माध्यिका और मोड स्कोर**

| School type | N | Mean | Median | Mode | S.D | Skewness | Kurtosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Govt. | 30 | 5.97 | 6.00 | 6.00 | 1.903 | .920 | 3.330 |
| Private | 90 | 6.03 | 6.00 | 5.00 | 2.334 | .582 | -.004 |

**तालिका संख्या- 4** इंगित करती है कि सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के माध्य, माध्यिका, मोड स्कोर आरोही क्रम में है। इसका तात्पर्य है कि माध्य मान माध्यिका से थोड़ा कम है। विषमता 0.920 इंगित करती है कि सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के वितरण की आवृत्ति सकारात्मक रूप से तिरछी (दाई और तिरछी) है चूँकि सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का कर्टोसिस 3.330 है, जो 0 से अधिक है। वितरण वक्र लेप्टोकर्टिक है जो एक सजातीय वितरण का संकेत देता है।

**तालिका संख्या- 4** इंगित करती है कि गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के माध्य, माध्यिका, मोड स्कोर अवरोही क्रम में है। इसका तात्पर्य है कि माध्य मान माध्यिका से थोड़ा अधिक है। विषमता .582 इंगित करती है कि गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के वितरण की आवृत्ति सकारात्मक रूप से तिरछी (दाई और तिरछी) है चूँकि गैर-सरकारी विद्यालयों के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का कर्टोसिस -.004 है, जो 0 से कम है। वितरण वक्र प्लैटीकर्टिक है जो एक विषम वितरण का संकेत देता है।

**सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के आधार पर दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का स्टेम और लीफ प्लॉट।**

```
emotion Stem-and-Leaf Plot for
schltype= Govt.
Frequency    Stem &  Leaf
7.00 Extremes    (=<5)
.00        0 .
18.00        0 .  666666666666666666
5.00 Extremes    (>=7)
Stem width:        10
Each leaf:        1 case(s)
emotion Stem-and-Leaf Plot for
schltype= Private

Frequency  Stem &  Leaf
.00          0 .
12.00        0 .  222333333333
32.00        0 .  44444444444455555555555555555555
23.00        0 .  66666666666667777777777
14.00        0 .  88888888889999
8.00         1 .  00000111
1.00         1 .  3
Stem width:        10
Each leaf:        1 case(s)
```

**सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण**

स्टेम और लीफ प्लॉट में सरकारी विद्यालय के 30 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरणात्मक मान इस प्रकार है। कुल प्राप्तांक 15 में से अधिकतम 12 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम 2 अंक प्राप्त किए है अंक विवरण में दर्शाये गये विवरणों में सरकारी विद्यालय के कुछ दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण इस प्रकार है।

30 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थियों का स्कोर 4 है। न्यूनतम स्कोर 5 से कम है स्टेम और लीफ प्लॉट में दिखाया गया है कि 7 विद्यार्थियों के स्कोर बेहद कम है एवं 5 विद्यार्थियों के स्कोर 7 से अधिक है। इसी प्रकार का विवरण स्टेम और लीफ प्लॉट में दर्शाया गया है।

**गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण :** स्टेम और लीफ प्लॉट में गैर-सरकारी विद्यालय के 90 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरणात्मक मान इस प्रकार है। कुल प्राप्तांक 15 में से अधिकतम 13 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम 2 अंक प्राप्त किए हैं अंक विवरण में दर्शायें गये विवरणों में गैर-सरकारी विद्यालय के कुछ दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण इस प्रकार है। 90 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थियों का स्कोर 8 से 9 है, 23 विद्यार्थियों का स्कोर 6 से 7 और 32 विद्यार्थियों का स्कोर 4 से 5 है इसी प्रकार का विवरण स्टेम और लीफ प्लॉट में दर्शाया गया है।

**आरेख संख्या-3**

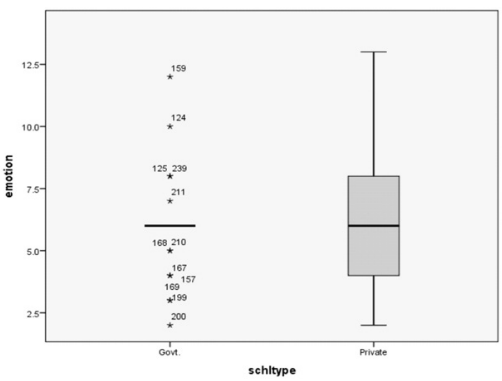


**सरकारी विद्यालय** के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का विवरण बाक्स प्लॉट में प्रस्तुत किया गया है। इस बॉक्स प्लॉट में सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के अधिकतम प्राप्तांक व निम्नतम प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। बॉक्स प्लॉट में सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का अधिकतम स्कोर 12 है और न्यूनतम स्कोर 2 है हालाँकि सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के स्कोर की सीमा 2 से 12 तक फैली हुई है तथा इसमें बॉक्स प्लॉट के चतुर्थांश शतमक का भी विवरण दिया गया है। 50 शतमक पर प्राप्त अंक 6 है। 5 विद्यार्थियों (अर्थात् 159वें, 124वें, 125वें, 239वें और 211वें) ने 50 शतमक से ऊपर स्कोर प्राप्त किया है। 7 विद्यार्थियों (अर्थात् 168वें, 210वें, 167वें, 157वें, 169वें, 199वें और 200वें) ने 50 शतमक से नीचे स्कोर प्राप्त किया है।

**गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का विवरण :** गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता का विवरण बाक्स प्लॉट में प्रस्तुत किया गया है। इस बॉक्स प्लॉट में गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के अधिकतम प्राप्तांक व निम्नतम प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। बॉक्स प्लॉट में गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का अधिकतम स्कोर 13 है और न्यूनतम स्कोर 2 है हालाँकि गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के स्कोर की सीमा 2 से 13 तक फैली हुई है तथा इसमें बॉक्स प्लॉट के चतुर्थांश शतमक का भी विवरण दिया गया है। 75 शतमक पर प्राप्त अंक 8 है, 50 शतमक पर प्राप्त अंक 6 है 25 शतमक पर प्राप्त अंक 4 है।

**उपर्युक्त बॉक्स** प्लॉट से हम कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की अंतर-चतुर्थक सीमा 0 है, दूसरी ओर गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की अंतर-चतुर्थक सीमा 4 है। इसका तात्पर्य है कि गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में संवेगात्मक स्थिरता के क्षेत्र में अधिक अंक प्राप्त किए। यह भी देखा गया है कि संवेगात्मक स्थिरता पर सरकारी विद्यालय एवं गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों का औसत मान 6 समान है।

**उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की विद्यालय की प्रकृति के आधार पर संवेगात्मक स्थिरता**

**परिकल्पना संख्या- 2** ''उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।''

**विद्यालय की प्रकृति के आधार पर तुलना :** उच्च प्राथमिक स्तर के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के आधार पर उनकी संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन करने के लिए सरकारी विद्यालय के 30 विद्यार्थी तथा गैर-सरकारी विद्यालय के 90 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को संवेगात्मक स्थिरता मापनी

को दिया गया, तथा संवेगात्मक स्थिरता मापनी को भरवा कर उसका अंकन किया गया। प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित कर उसका सारणीयन किया गया। आँकड़ों के सारणीयन के पश्चात् उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्य अंतर की सार्थकता हेतु आँकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान ज्ञात किया गया, जो तालिका संख्या- 5 में प्रदर्शित है-

**तालिका संख्या-5**

**सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के आधार पर दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-मान**

| विद्यालय की प्रकृति | विद्यार्थियों की संख्या | मध्यमान | मानक विचलन | df | टी-मान | परिकल्पना का सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी | 30 | 5.97 | 1.903 | 118 | .141 | 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत |
| गैर-सरकारी | 90 | 6.03 | 2.334 | | | |

**डी.एफ.=118, 0.05 सार्थकता स्तर पर टी का सारणी मान= 1.96**

**आरेख संख्या-4**

**उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता**

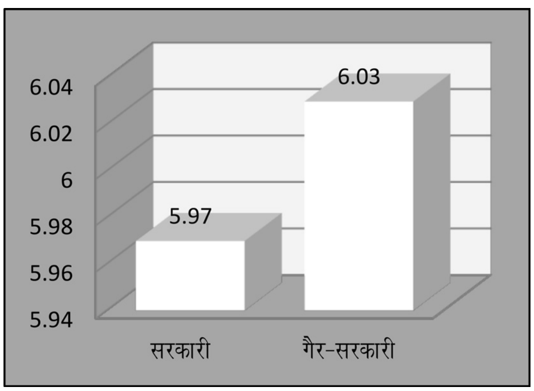


**टी-परीक्षण विश्लेषण-** उपर्युक्त तालिका संख्या-5 के अनुसार सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय की प्रकृति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के मध्यमान 5.97 एवं मानक विचलन 1.903 है तथा गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्यमान 6.03 एवं मानक विचलन 2.334 है। मध्यमानों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों का मध्यमान सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है तथा टी का अवकलित मान 0.141 है जो कि प्राप्त स्वतंत्र कोटि (df) 118 पर सार्थकता स्तर 0.05 के मानकीकृत मान 1.96 से कम पाया गया है जो कि यह दर्शाता है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

**इसलिये शून्य परिकल्पना संख्या-2** ''उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।'' स्वीकृत की जाती है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। दोनों तरह के विद्यार्थियों में संवेगात्मक स्थिरता समान होती है।

**निष्कर्षः-** संवेगात्मक स्थिरता मापनी की नियमावली के अनुसार कम प्राप्तांक को अधिक संवेगात्मक स्थिर विद्यार्थी तथा अधिक प्राप्तांक को कम संवेगात्मक स्थिर विद्यार्थी के रूप में निष्कर्ष करने हेतु निर्देशित किया गया है

**अतः** दृष्टि बाधित बालकों में संवेगात्मक स्थिरता दृष्टि बाधित बालिकाओं से सार्थक अधिक होती है। दृष्टि बाधित बालकों एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अंतर है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता पर लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के दृष्टि बाधित बालकों में बालिकाओं की तुलना में बेहतर संवेगात्मक स्थिरता पायी जाती है। दृष्टि बाधित बालकों

की संवेगात्मक स्थिरता का मध्यमान दृष्टि बाधित बालिकाओं के मध्यमान से सार्थक अधिक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत दृष्टि बाधित बालकों एवं बालिकाओं की संवेगात्मक स्थिरता में भिन्नता होती है। दोनों तरह के विद्यार्थियों में संवेगात्मक स्थिरता समान नहीं होती है। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता पर लिंग का प्रभाव पड़ रहा है।

**सरकारी विद्यालय** के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में सार्थक अंतर नहीं है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता पर विद्यालय की प्रकृति का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता में भिन्नता नहीं होती है। दोनों तरह के विद्यार्थियों में संवेगात्मक स्थिरता समान होती है। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता पर विद्यालय की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

## सन्दर्भ


1. सिंह, एम. 'समावेशी शिक्षा', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2017, पृ. 240-241
2. सिंह, एल. एवं जगसीर सिंह, 'पंजाब में दृष्टिबाधित छात्रों में शैक्षणिक परिवर्तन लाने में तकनीक की भूमिका : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन', राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा 25(2), 2023, पृ. 23
3. http://www.scotbuzz.org>2018/09
4. www.bhojvirtualuniversity.com>...
5. कुमार, एच. एवं धीरज शिंदे, 'मूकबधिर विद्यार्थियों के समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओ का अध्ययन (राजस्थान के संदर्भ में)', आइ जे ए आर आइ आइ ई, 9(3), 2023, पृ. 1-13
6. कुमार, जे., बी. के. पण्डा एवं उज्ज्वला सदाफल, 'कामकाजी एवं गृहिणी महिलाओं के किशोर छात्र-छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन', इंटरनेशलन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 7(8), 2021, पृ. 17-23
7. दलाल, जी. एवं पी. कुमार, 'उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के वरिष्ठ माध्यमिक विद्‌यालय के विद्‌यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता व शैक्षिक उपलब्धि के संबंध का एक अध्ययन', जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कॉलरी रिसर्चस इन एलाइड एजुकेशन, 16(9), 2019, पृ. 1-7
8. गौसिया, 'स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की सांवेगिक परिपक्वता का अध्ययन 'शैक्षिक उपलब्धि' के संदर्भ में', एजुकेशनल साइकोलॉजिकल रिसर्च, 7(2), 2018, पृ. 36-40
9. Al-Tal, S., Al-Jawaldeh, F., Al-Taj, H. & Meharmeh, L. *'Emotional Intelligence Levels of Students with Sensory Impairment'.* International Education Studies, 10(8), 2017, pp. 145-152.
10. शर्मा, डी. एन., 'शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों की सांवेगिक परिपक्वता का अध्ययन', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थोटस, 5(1), 2017, पृ. 1-4.
11. Pant, P. and P. K. Joshi, *'A Comparative Study of Emotional Stability of Visually Impaired Students studying at Secondary level in Inclusive Setup and Special Schools'*, Journal of Education and Practice, 7(22), 2016, 53-58.
12. कुमारी, एस., एवं ज. सदफ, 'उत्तर प्रदेश बोर्ड के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य व शैक्षिक उपलब्धि', जनरल ऑफ कम्युनिटी गाइडेंस एण्ड रिसर्च, 31(2), 2014, पृ. 187-199
13. Alimovic, S. *'Emotional and Behavioural Problems in Children with Visual Impairment, Intellectual and Multipal Disabilities'*, Journal of intellectual Disability Research, 57(2), 2013, pp. 153-160.
14. Gupta, A. S. and A. K. Singh, *'Manual for Emotional Stability Test For Children',* National Psychological Corporation, Agra, 1971, pp. 1-8.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# शुँग कालीन शिरोभूषण : पुरूषों के संदर्भ में

❑ सुश्री वन्दना रावत
❖ डॉ. दीपा गुप्ता

**सूचक शब्द :** शिरोभूषण, आभूषण, पुरुष, पगड़ी, टोपी, मौलि, शुँगकाल।

रुप श्रृंगार, आकृति मण्डन या देहालङ्करण की सुकुमार कला है। प्रकृति प्रदत्त रूप को साधनों से सजाना-सँवारना मानव मात्र की सहज प्रवृति है। मानव की सहज श्रृंगार प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के माध्यमों में आभूषणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिरोभूषण मानवीय श्रृंगार के माध्यम का विशिष्ट अभिन्न अंग है। श्रृंगार की प्रबल भावना के कारण शिरोभूषण का निर्माण तथा उसमें निरन्तर परिष्कार और विकास हुआ, जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल के विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। प्रस्तुत शोध पत्र शुँगकालीन पुरुषों के शिरोभूषण पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि शुँगकालीन शिरोभूषण में कौन-कौन सी शैलियाँ थीं तथा इन आभूषणों के निर्माण के लिए कौन-कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था।

**आभूषण श्रृंगार** के आवश्यक उपकरण हैं। आभूषण का शाब्दिक अर्थ है 'आ समन्तात् भूषणम् अलङ्करणम्- अर्थात जो शरीर की शोभा को समग्र रूप से बढ़ाये उसे आभूषण कहते हैं।[1] राजशेखर ने कर्पूरमज्जरी में प्रतिपादित किया है कि नैसर्गिक सुन्दर मनुष्य की शोभा भी आभूषणों से और अधिक निखर उठती है–

'णिसग्ग-चंगस्य वि माणुसस्स।
सोहा समुम्मीलदि भूसणेहिं ।।[2]'

**मानव प्रारंभ** से ही अलंकरण प्रिय रहा है। मानव की अलंकरण प्रियता में शिरोभूषण का अपना विशिष्ट स्थान है। आभूषण के प्रति मनुष्य का अनुराग आदि काल से रहा। भारतीय इतिहास में जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे-वैसे शिरोभूषण में भी परिवर्तन आते गये।

**प्रागैतिहासिक काल** से ही आभूषणों का प्रचलन मानव सभ्यता मे देखा जा सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य प्रकृति से प्राप्त सामग्री के उपयोग से ही आभूषण निर्मित करता था जैसे- सूखी घास, हड्डी, हाथी दाँत, शीशे के मोती, बहुमूल्य पत्थर आदि। किन्तु इस काल में आभूषणों के विषय मे ठोस जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नही होता जिसके आधार पर उस काल के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके।[3]

**सर्वप्रथम** सिन्धु सभ्यता से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिन्धु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से यथा- मुहरें, मृण्मूर्तियाँ एवं मुहरें प्रकाश मे आईं जिसमें पंखाँकार शिरोभूषण वाली मृण्मूर्तियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।[4] पुरुष माथे पर सोने-चांदी से बनी हुई एक पट्टिका पहनते थे। सम्भवतः इसका प्रयोग केशों को यथा स्थान व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता था। ये पट्टिकायें माथे से होती हुई पीछे की ओर ले जाकर बाँधी जाती थीं। इनमें बाँधने के लिए छिद्र होते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमाओं में इस प्रकार सोने की एक पट्टिका प्राप्त हुई है। इसका उदाहरण (चित्र संख्या-1) मोहनजोदड़ो की योगी मूर्ति में देखा जा सकता है।[5]

**(चित्र संख्या-1)**

Priest King from Mohenjodaro- Priest (Back View)
History of Ancient India– II (Dilip K- Chakrabarti and Makkhan Lal page-363)

शिरोभूषण के निर्माण में सोने-चाँदी, ताँबे तथा मनकों का प्रयोग किया जाता था। आभूषणों के निर्माण में मनकों

❑ **शोध अध्येत्री प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)**
❖ **एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)**

का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सम्भवतः चन्दुदाड़ो मनके बनाने का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ से मनके सुमेर तथा अन्य देशों को भेजे जाते थे।[6] ये मनके सोने, चाँदी, ताँबा, पत्थर, चमकदार, रंगीन तथा पक्की मिट्टी, शंख, अगेट, स्फटिक, लाजवर्द आदि सामग्री से विभिन्न आकार-प्रकार में बनाये जाते थे। रत्नों का प्रयोग इस काल मे विल्कुल नही हुआ।

**वैदिक काल** में पुरूष आभूषण प्रिय थे जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। पुरुषों के शिरोभूषणों मे 'स्तूप', 'शिप्रा', 'श्रृंग', 'कुरीर'[7] एवं 'ओपष'[8] आदि नाम मिलते हैं। ''शिप्राः शीर्षन्हिरण्ययीः, शिप्राशीर्षन।'' अर्थात- पुरुषों में सिर पर सोने के मुकुट (शिप्रा) धारण करने की प्रथा थी जिसे तिरीट कहते हैं।[9] सिर पर श्रृंग के आकार का आभूषण भी धारण किया जाता था। इन्द्र को श्रृंग-वषौ भी कहा गया है, जो सम्भवतः इसी आभूषण के कारण पड़ा था। सिर पर एक कोणाकार आभूषण भी पहना जाता था जिसे स्तूप कहते थे। इन आभूषणों को सौन्दर्यवर्द्धक, यशवर्धक एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि शिरोभूषण आत्मरक्षार्थ धारण किया जाता था।

**सामवेद,** यर्जुवेद एवं अथर्ववेद आदि ग्रन्थों में हिरण्यकार के अतिरिक्त 'मणिकार' का भी उल्लेख है।[10] इनमें पुनः पुरुषों के शिरोभूषण मे 'हिरण्यशृंग', स्तूप आदि के साथ सिर पर मणि बांधे जाने का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 'कर्मार', 'धामातृ', आदि आभूषण बनाने वाले तथा 'स्वर्ण' 'हिरण्य' 'रजत' 'रतन' 'मुक्ता' 'ताम्र' वैदूर्य मणि आदि धातुओं एवं बहुमूल्य मणियों के नाम का उल्लेख है।[11]

**महाकाव्यों** में पुरुषों द्वारा आभूषणों के धारण करने से सम्बन्धित प्रभूत का उल्लेख है। पुरुषों के शिरोभूषण में मुकुट एक विशेष आभूषण था। तत्कालीन राजा सोने तथा रत्नों से बने मुकुट धारण करते थे। मुकुट सम्भवतः कोणाकार होते थे और उनका ऊपरी भाग रत्नों से सुसज्जित रहता था। रावण का मुकुट मुक्ता- मणि कांचन निर्मित था[12] जिसका वर्णन रामायण महाकाव्य मे किया गया है। इसी प्रकार महाभारत में दुर्योधन का मुकुट रत्नजटित और अश्वत्थामा के मुकुट के मणिजटित तथा उत्तम हीरों एवं सुवर्ण से शोभित और बहुमूल्य वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत होने के उल्लेख मिलता है।[13] सोने और चाँदी के अतिरिक्त मणि, मुक्ता[14] तथा मूंगा आदि बहुमूल्य रत्नों से भी आभूषणों का निर्माण किया जाता था। आभूषणों में सोने का प्रयोग सबसे अधिक होता था। सोने को पवित्र मानकर तेजस पदार्थो मे इसकी गणना की गयी।

**वैदिक कालीन** शिरोभूषण का महत्व व व्यापक विस्तार मौर्यकाल में आते-आते काफी सिमट गया। मौर्ययुगीन मृण्मूर्तियों एवं पाषाण यक्षमूर्तियों से ज्ञात होता है कि इस युग में पुरुष शिरोभूषण धारण नही करते थे। पटना एवं मथुरा से प्राप्त यक्ष मूर्तियों के सिर उष्णीष, उत्तरीय अथवा किसी अन्य प्रकार के शिरोवेष्टन से रहित हैं।[15] प्राचीन भारतीय इतिहास धर्म और कला के क्षेत्र में शुँग काल का एक विशिष्ट स्थान है। शुँगकालीन आभूषणों की विस्तृत जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य व भरहुत, साँची तथा बोधगया की मूर्तियों में मिलती है। शुँग काल में पुरुष आभूषण प्रेमी थे जिसकी पुष्टि तत्कालीन मूर्तियों से होती है। शुँग युग के कलात्मक अवशेषों से ज्ञात होता है कि इस युग में पुरुष बहु- अलंकृत रत्नजटित एवं भारी शिरोभूषण धारण करते थे। शुँग काल में हमें शिरोभूषण की विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलती हैं। जो इस प्रकार हैः-

**उष्णीष (पगड़ी):-** शुँग काल में पुरुष सिर के चारों ओर उष्णीष वाँधते थे। उष्णीष एक कपड़े का लंबा टुकड़ा होता था जिसे सिर के चारों ओर बाँधा जाता था।[16] बालों के साथ मलमल की अंतरपुष्प माला का वर्णन क्यूकर्टियस द्वारा किया गया। कर्टियस का कहना है कि वे अपने सिर के चारों और मलमल लपटेते हैं।[17] शुँग काल में दो प्रकार की पगड़ियाँ प्रचलन में थीं। (1) हल्की पगड़ी, (2) भारी पगड़ी

**हल्की पगड़ी** में सिर के ऊपर बालों का जूड़ा बनाकर उसके चारों ओर पगड़ी के फेटों को लपेटकर जूड़ा ढँक दिया जाता था। भारी पगड़ी मे फेटों से पूरा सिर ढँक दिया जाता था।[18] पगड़ी पहनने के सबसे सामान्य तरीके में बालों को ऊपर की गाँठ में इकट्ठा करके एक स्कार्फ से ढँक दिया जाता था[19] और दूसरे छोर को पगड़ी का आकार बनाते हुए सिर के चारों ओर कई बार धुमाया जाता था। उभार के आकार और सजावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ प्रचलन मे थीं-

1. कभी-कभी पगड़ी की गाँठ पँखे के आकार की होती है।[20]
2. कुछ स्थानों पर पगड़ी की शीर्ष गाँठ (चित्र संख्या-2)

एक घूमती हुई गेंद की तरह होती है[21]

**(चित्र संख्या-2)**

Dress and ornaments in Ancient India
(Mohini Verma Figure No. 87)

3. कहीं-कहीं पगड़ी की शीर्ष गाँठ पहिये के आकार की होती है।
4. कहीं-कहीं पगड़ी एक बैरल के आकार (चित्र संख्या-3) की गाँठ की होती है।[22]

**(चित्र संख्या-3)**

Dress and ornaments in Ancient India
(Mohini Verma Figure No. 93)

5. पत्तों तथा फूलों वाली कढ़ाईदार पगड़ी।[23]
6. आभूषण युक्त (चित्र संख्या-4) पगड़ी।[24]

**(चित्र संख्या-4)**

Dress and ornaments in Ancient India
(Mohini Verma Figure No. 89)

7- अटपटी लट्टूदार पगड़ी।

8- कमल के फूल के आकार (चित्र संख्या-5) की पगड़ी।[25]

**(चित्र संख्या-5)**

Dress and ornaments in Ancient India
(Mohini Verma Figure No. 102)

9. सींग जैसी उभरी हुई पगड़ी।[26] (चित्र संख्या-6)

**(चित्र संख्या-6)**

Early India Sculpture
(Bachhofer Lugwig Plate No. 109)

10- बाँयी कनपटी पर तीन पेंच जैसी दिखने वाली एक छोटी झालरदार पगड़ी।

**शुँगकालीन** अधिकांश शिल्पकृतियों में अंकित उष्णीष को रत्नों तथा मुक्तमालाओं से सुसज्जित किया गया है। पगड़ी सादी, कामदार एवं आभूषण युक्त तथा झालरदार होती थीं।

**हल्की पगड़ी** सामान्यजन धारण करते थे। ये सादी होती थी। उस पर कोई अलंकरण नहीं होता था। यह गरीब वर्ग के लोग पहनते थे।[27]

**भारी आभूषण** युक्त पगड़ी अमीर वर्ग के लोग धारण करते थे जिसमे मोती, मनके तथा जवाहरात लगे होते थे।[28]

**मौलिः-** भरहुत, साँची, कौशाम्बी की कला में पुरुष

प्रतिमाओं में 'मौलि' नामक शिरोभूषण का अंकन है। 'मौलि' रत्नजड़ित महीन वस्तु से निर्मित होती थी, जिसमें सामने की ओर (चित्र संख्या-7) कन्दुक सदृश्य अलंकरण मिलता है।[29]

**(चित्र संख्या-7)**

Prachin Bhartiya Veshbhusha
(Moti Chandra Page No. 64)

**सम्भवतः** महीन वस्त्र को पगड़ी की भाँति लपेटा जाता रहा होगा। जहाँ राजवर्ग और धनाढ्य वर्ग की 'मौलि' बहुमूल्य रत्नों तथा वस्त्रों से निर्मित होती थी, वहीं सामान्य वर्ग की 'मौलि' वस्त्र द्वारा निर्मित होती थी। उनकी मौलि में बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग नही होता था। जेतवन विहार के दान के दृश्य में श्रमिकों को मौलि पहने हुए दर्शाया गया है।[30] उनकी मौलि केवल वस्त्र द्वारा निर्मित है उनकी मौलि में कोई भी बहुमूल्य रत्न प्रयोग नही हुआ।

**महावस्तु** में मोतियों और माणिकों से जड़ित विभिन्न रंगों की मौलि का वर्णन किया गया है।[31]

**साँची स्तूप संख्या-1** की पुरुषाकृतियों में अनेक प्रकार की मौलि के अंकन प्राप्त होते हैं। इनको हम मुख्यतः दो वर्गों में रख सकते हैं- प्रथम वर्ग में वे मौलि आती हैं जो भरहुत की मौलि से पर्याप्त साम्यता रखती हैं। अन्तर केवल इतना है कि इसमें संलग्न सामने का अलंकरण वृत्ताकार ना होकर लट्टू के समान है। शेष मौलि भरहुत की अपेक्षा आकर मे लघु है। इसे मुक्तमालाओं आदि से सुसज्जित किया गया है। द्वारपाल की आकृतियों में इसका सुंदर अंकन प्राप्त होता है उद्धृत आकृतियों में अकिंत अश्व, वृषभ आदि आरोहियो एवं अधिकांश पुरुषाकृतियों मे इसी प्रकार की मौलि को दर्शाया गया है।[32]

**द्वितीय वर्ग** में वे मौलि आती हैं जिसमे सामने का अलंकरण शँखाकार है। इस वर्ग की मौलि सामने की ओर क्षैतिज दिशा में निकली रहती थी। इसके पीछे की और वृत्ताकार (चित्र संख्या-8) चक्र के समान पुष्पंजक संलग्न किया गया।[33]

**(चित्र संख्या-8)**

Prachin Bhartiya abhushan
(Pushpa Tiwari Diagram-3)

**शंख सदृश्य** अलंकरण को भी मुक्तामालाओं आदि से सुसज्जित किया जाता था। इस प्रकार की मौलि का प्रचलन सामान्यतः राजवर्ग एवं सम्भ्रान्त वर्ग तक ही सीमित रहा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की मौलि के भी अंकन प्राप्त होते हैं जिनमें सामने की ओर अलंकृत पँखे के आकार के अथवा बेलनाकार या मुड़े हुए किनारों वाले सीधे अलंकरण खड़ी अथवा लेटी हुई अवस्था मे संलग्न दिखाई देते हैं। इन समस्त मौलियों के विवरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम सदी ई.पू. तक मौलि में अनेक प्रकार के परिवर्तन एवं संशोधन के प्रयोग किये जा रहे थे। परिणामतः मौलि के स्वरूप मे शनैः-शनैः विकास जनित परिवर्तन दिखाई देता है। भरहुत की मौलि अत्यन्त भारी तथा उष्णीष के अधिक निकट है। साँची में अंकित मौलि अपेक्षाकृत हल्की है और सम्मुखीय अलंकरण में नाना प्रकार के परिवर्तनों द्वारा उसे उष्णीष से भिन्न करने का प्रयास भी यहाँ दर्शनीय है। इसी प्रयास ने कुषाण युगीन मुकुटों

एवं अर्धमुकुटों को जन्म दिया जिसमें सामने का अलंकरण पूर्णतया धातु - निर्मित होता था। यह शुंगयुगीन मौलि का धातु रूपान्तरण प्रतीत होता है। मौलि के अतिरिक्त साँची की पुरुषाकृतियों मे पूर्ण मुकुट या शिखरदार टोपी, कुलाह टोपी तथा सादी नुकीली टोपी के भी एकाध उदाहरण देखने को मिलते हैं।

**सम्भवतः** राजाओं द्वारा मुकुट धारण किया जाता था। साँची के अर्धचित्रों में श्यामजातक के दृश्य में एक नृपति, सम्भवतः इन्द्र[34] को पूर्ण मुकुट पहने हुए भी दर्शाया गया है। इसका आकार नुकीली शिखरदार टोपी के समान है। इसमें सामने तथा पार्श्र्व भाग में मुचुकुन्द अथवा नागकेसर (चित्र संख्या-9) सदृश पुष्प - पखुँड़ियों से अलंकृत पजंक संलग्न है।[35]

**(चित्र संख्या-9)**

Prachin Bhartiya abhushan
(Pushpa Tiwari Diagram-5)

**इस अलंकृत** टोपी को मोती चन्द्र ने 'कुलाह' टोपी के रूप में वर्णित किया है।[36] साँची पुरुष आकृतियों में अधिकतर टोपियाँ देखी जाती हैं। जिन लोगों को इस प्रकार की शिरोभूषा के साथ चित्रित किया गया है वे विदेशी जैसे दिखते हैं।[37] कुछ विदेशी जाति के लोगों को सिर के चतुर्दिक सादा केशबन्ध (पिससमज) पहने हुए दर्शाया गया है। दक्षिणी तोरणद्वार पर अकिंत आकृतियों में पुरुष को पुष्प पंखुड़ियों से सुसज्जित तथा वृत्ताकार (चित्र संख्या-10) पदक से युक्त केशबन्ध से बँधे गोल टोपियों मे दर्शाया गया है।[38]

**(चित्र संख्या-10)**

Prachin Bhartiya abhushan
(Pushpa Tiwari Diagram-7)

**जूलूस से** सम्बन्धित दृश्यों में गायक, वादक आदि पुरुषों को सिर पर महीन वस्त्र से निर्मित सिर से चिपकी हुई टोपी सदृश शिरोभूषण पहने हुए दर्शाया गया है। इस टोपी में सामने की ओर वृत्ताकार या लट्टू के आकर (चित्र संख्या-11) का अलंकृत पदक लगा है।[39]

**(चित्र संख्या-11)**

Prachin Bhartiya abhushan
(Pushpa Tiwari Diagram-6)

**इस प्रकार** टोपी की भी विभिन्न शैलियाँ थीं। इनके आकार के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है।

**1. शँखाकार या तुर्की टोपी :** राजाराम हेगड़े ने ने अपनी पुस्तक शुंगकला में 'शँखाकार' टोपी (चित्र संख्या-12) या मुड़े हुए सिरों वाली अलंकृत टोपी। (चित्र संख्या-13) का वर्णन किया है। चित्र संख्या-14 में टोपी को एक लड़ाकू के सिर पर दिखाया गया है। इस टोपी की तुलना कौटिल्य द्वारा वर्णित शिरस्त्राण के रूप मे की गई है।[40]

(चित्र संख्या-12) (चित्र संख्या-13) (चित्र संख्या-14)

Sunga art
(Rajaram Hegde Page No-98)

2. बंद फिटिंग वाली अंडाकार टोपी, जो कि भरहुत, सांची, बोधगया की मूर्तियों में देखने को मिलती है।
3. सामने गोल लटकन के साथ (चित्र संख्या-15) बंद फिटिंग टोपी।[41]

(चित्र संख्या-15)

Dress and ornaments in Ancient India (Mohini Figure no-100)

Dress and ornaments in Ancient India (Mohini Figure no-104)

4. लम्बी गोल टोपी (चित्र संख्या-16) जिसमें से एक लटकन कान पर लटकती है।[42]

**(चित्र संख्या-16)**

https://images-app-goo-gl/EA8Z7iia68uiqwt77

5. कुछ स्थानों पर टोपी जिसके पीछे कपड़े का एक टुकड़ा लटका हुआ है।
6. कई जगहों पर शीर्ष पर एक धुड़ी (गाँठ) के साथ ट्रैपेजियम (समलम्ब चतुर्भुज) आकार की टोपी (चित्र संख्या-17) देखने को मिलती है।[43]

**(चित्र संख्या-17)**

Dress and ornaments in Ancient India

(Mohini Figure No-113)

7. कहीं-कहीं शीर्ष पर एक पँख के साथ चोटीदार टोपी (चित्र संख्या-18) पहने दिखाया गया है। साँची के अधीचित्रों में सारथी चोटीदार टोपी पहने दिखाया गया है।[44]

(चित्र संख्या-18)

Prachin Bhartiya Veshbhusha

(Moti Chandra Page No- 78)

8. कभी-2 सिर को आशिंक रूप से ढकते हुए अर्ध-गोलाकार टोपी पहनी जाती थी।

**अलंकार प्रायः** सुवर्ण (स्वर्ण) के होते थे। पतंजलि के महाभाष्य में स्वर्णकारों के अनेक उल्लेख हैं। सुनार सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाता था।[45] सिक्कों तथा आभूषण के रूप मे सुवर्ण (सोने) का खूब प्रयोग होता था। सुनार आभूषणों के निर्माण मे कूसिवल, चिमटा आदि का प्रयोग करते थे। पतंजलि ने चिमटे के लिए कुटिलिका का उल्लेख किया है।[46] स्वर्णकार (सुनार) अपनी छोटी भट्ठी में सोने को कुटिलिका (सडँसी) से पकड़कर तपाता और पीटता था। आवश्यकतानुसार वह इस कार्य को कई बार करता था। एक बार तपाने की क्रिया को निष्टपति सुवर्ण कहा जाता था। किन्तु बार-बार तपाने की क्रिया को निस्तपति कहा जाता था। शुँगकाल में मणियों और मुक्ता के भी आभूषण पहने जाते थे जो केवल धनी वर्ग तक ही सीमित था।[47] मणिकार (आभूषण बनाने और बेचने वाले) बैकटिक, (हीरे, मणियाँ काटने-तराशने वाले), रंजक (रँगरेज) विशेषतः नीली कुसुम्भरंजक, मालाकार और सौगन्धिक प्रमुख थे।[48]

**शुँगकाल में** शिरोभूषण के निर्माण में सोने, मणियाँ, मुक्ता, मनके, जवाहरात रत्न आदि आभूषणों का प्रयोग होता था।

**अन्तर्राष्ट्रीय** वाणिज्य के प्रमाण महाभाष्य में मिलते हैं।

पश्चिमी तट पर वाणिज्य की सीमा भृगुकच्छ जान पड़ती है। भद्र, कश्मीर, गान्धार आदि में जाकर व्यापार करने का उल्लेख काशिका मे स्पष्ट है।[49] शुँगकाल के शिरोभूषण में यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे यह पता चलता है, कि उस समय यूनानी तथा भारत के आपसी व्यापारिक सबंध हुआ करते होगे।

**इस प्रकार** स्पष्ट होता है शुँग काल में पुरुष आभूषण प्रिय थे। शुँग काल मे पुरुष वर्ग शिरोभूषण के प्रति आकर्षित होते थे। 'उष्णीष' एवं मौलि सभी वर्ग के पुरुषों के सिरों पर प्रदर्शित होती है ऐसा प्रतीत होता है कि सादी पगड़ियों को उष्णीष तथा अलंकृत एवं रत्नजटित उष्णीष को 'मौलि' कहा जाता था। भरहुत, साँची तथा बोधगया आदि स्थलों से प्राप्त शिल्पाकृतियों में मौलि का ही अंकन सर्वाधिक देखने को मिलता है जो मौलि की विशिष्टता को उजागर करता है। शिरोभूषण धारण के पीछे कुछ निश्चित धार्मिक एवं सामाजिक मान्यतायें रही होंगी। यज्ञादि अवसरों पर उष्णीष, मौलि, कुरीर आदि धारण करना आवश्यक माना जाता था।

**शुंगकालीन** मौलियों में विभिन्नता के भी दर्शन होते हैं भरहुत की मौलि जहाँ उष्णीष के समान भारी प्रतीत होती है वही साँची की मौलि अपेक्षाकृत हल्की है तथा सामने के अलंकरणों (लट्टू अथग शंख) मे नानाविध परिवर्तन प्रदर्शित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ शुंग - कालीन मौलि को उष्णीष से भिन्न दिखाने का प्रयास किया गया है तथा इसी प्रयास ने सम्भवतः कुषाण कालीन 'मुकुटों एवं अर्द्धमुकुटों' को जन्म दिया होगा जिसमे सामने का अलंकण पूर्णतया धातुनिर्मित है।

**'मौलि'** के अतिरिक्त पुरूषों में 'मुकुट', 'शिखरदार टोपी' अथवा 'कुलाह टोपी' के साथ-साथ यूनानी शिरोवेशों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। शिखरदार एवं कुलाह टोपी तथा शिरोवन्ध का अंकन सांची की कलाकृतियों में यूनानी जाति के पुरुषों के सन्दर्भ मे किया गया है अतः शिरोभूषण का यह स्वरूप यूनानी परम्परा से परिलक्षित दिखाई पड़ता है। पेरिप्लस से ज्ञात होता है कि रोम से गायक, वादक आदि भारत में भेजे जाते थे। अतः स्पष्ट है कि इन सम्बन्धों के दौरान ही यूनानियों ने भारतीय वेशभूषा और मुख्यतः शिरोभूषण को प्रभावित किया होगा।[50]

**शिरोभूषण** के अलंकरणों में रत्नजटित मुकुट, उष्णीष, आभूषण युक्त टोपियों का प्रयोग समाज में इनकी विशिष्टता को दर्शाता है तथा यह शुँगकालीन आर्थिक समृद्धि को भी उजागर करता है। इनके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक श्रेणियाँ मालाकार मणिकार एवं सौगन्धिक आदि का उल्लेख भी पुरूषों की आभूषण प्रियता एवं प्रसाधन प्रियता के प्रति आकर्षण को उजागर करता है।

## सन्दर्भ


1. आचार्य, भावना, 'प्राचीन भारत मे रूपश्रृंगार', पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1995, पृ.99.
2. राजशेखर 'कर्पूरमांजरी' - 1.31
3. सिंह, मीना, 'प्राचीन भारत मे केशसज्जा', भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2010, पृ.-10.
4. Sahay, Sachidanand, 'Indian Costume, Coiffure and Ornament', Munshi Ram Manohar Lal, Delhi, 1998, p. 75.
5. गिरि, कमला, 'भारतीय श्रृंगार', मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1987, पृ.-203.
6. Mackay, J.H, 'Chanhudaro, Excavations, Vol-20', American Oriental Series, New Haven Connecticut, 1943, p. 190
7. तिवारी, पुष्पा, 'प्राचीन भारतीय आभूषण', किताब महल, इलाहाबाद, 1992, पृ.-30.
8. Chandra, Moti, 'Cosmetics and Coiffure in Ancient India', Journal of the India Society of Oriental Art VOL-8, 1940, pp. 62-145.
9. सरस्वती दयानन्द 'ऋग्वेद' (आर्यभाषा-भाष्य), (5-7 मण्डल), सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, 1973, पृ.223.
10. चन्द्र, रायगोविन्द, 'वैदिक युग के भारतीय आभूषण', चौखम्बा विद्या भवन, दिल्ली, 1997, पृ.40-41.
11. वही, पृ. 63-68
12. वाल्मीकि रामायण, सुन्दरकण्ड, 10.25, गीताप्रेस गोरखपुर, 2022
13. महाभारत, विराटपर्व 66.27, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2017.
14. महाभारत, आदिपर्व 112.34, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2017 (मणिमुक्ता प्रवाल च सुवर्ण रजंत बहुः).
15. तिवारी पुष्पा, पूर्वोक्त, पृ.30.
16. अल्काजी, रोशन, 'प्राचीन भारतीय वेशभूषा', आर्ट हेरिटेज, दिल्ली, 1983, पृ. 16.
17. Cunningham, Alexander, 'The Stupa of Bharhut a Buddhist Monument Ornamented with Numerous Sculptures', Indological Book House, Varanasi, 1962, p. 31.
18. चन्द, मोती, 'प्राचीन भारतीय वेशभूषा', भारती भण्डार लीडर प्रेस, प्रयाग, 1950 पृ.-65.

19. Verma Mohini 'Dress and Ornaments in Ancient India', Indological Publishing House, Varanasi, 1989, p. 73.
20. Sahay, Sachidanand, op. cit. p. 60.
21. Verma Mohini op.cit., p. 73
22. Ibid., p. 73
23. चन्द्र, मोती, पूर्वोक्त पृ.–67.
24. वही, पृ.–67.
25. Verma Mohini op.cit., p. 74
26. Bachhofer, L., 'Early Indian Sculpture', Vol-2, The Pegasus Press, Paris, 1929, p. 109.
27. Ayyar, Sulochana, 'Costumes and Ornaments As Depicted in the Sculptures of Gwalior Museum', Mittal Publications, Delhi, 1987, p. 45.
28. Sahay, Sachidanand, op.cit., p. 60.
29. चन्द, मोती, पूर्वोक्त, पृ.–64.
30. तिवारी, पुष्पा, पूर्वोक्त, पृ.–31.
31. Ayyar, Sulochana, 'op. cit., p. 45.
32. सिंह, मीना, 'प्राचीन भारत मे केशसज्जा', भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2010, पृ.–37.
33. वही, पृ. 37.
34. वर्मा, मोहिनी, पूर्वोक्त, पृ.–75.
35. तिवारी, पुष्पा पूर्वोक्त, पृ.–33.
36. चन्द्र, मोती, पूर्वोक्त, पृ.–81.
37. Sahay, Sachidanand, op.cit., p.61.
38. तिवारी, पुष्पा, पूर्वोक्त, पृ.–34.
39. सिंह, मीना, पूर्वोक्त, पृ.–38.
40. Sastry, R. Shama, 'Arthasastra of Kautilya', Thirded Western Misson Press, Mysore, 1929, pp.111-112.
41. वर्मा, मोहिनी, पूर्वोक्त, पृ.–75.
42. Chandra, Pramod, 'Stone Sculpture in the Allahabad Museum', American Institute of Indian Studies, Poona, 1970, Pl. XV. fig. 40, A.
43. चन्द्र, मोती, पूर्वोक्त, पृ.–81.
44. वही, पृ. 81
45. Rai, Govind Chandra, 'Indo Greek Jewellery', Abhinav Publications, Delhi, 2011, p. 97.
46. वर्मा, मोहिनी, पूर्वोक्त, पृ.–75.
47. अग्निहोत्री, प्रभुदयाल, 'पतंजलिकालीन भारत', बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 2001, पृ. 203.
48. गिरि, कमला, पूर्वोक्त पृ.–228.
49. अग्निहोत्री प्रभुदयाल, पूर्वोक्त, पृ. 326.
50. उद्धृत पुष्पा तिवारी, पूर्वोक्त, पृ. 32

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जड़ें: एक अध्ययन

❑ डॉ. संजय कुमार

**सूचक शब्द :** राजनीतिक व्यवस्था, सभा, मंत्रिमंडल, मतदान, जनमत, ग्रामसभा, राजसभा, पंचायत, गणतंत्र, लोकतंत्र, परिषद्, संघ।

**भारतीय प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा।[1] वे देश विदेश के विभिन्न मंचों पर इस तथ्य को दोहराते रहते हैं। प्रधानमंत्री के दावे ने विद्वानों के बीच एक गंभीर बहस छेड़ दी है। अब तक यह माना जाता रहा है कि कि लोकतंत्र एक पश्चिमी अवधारणा है जो यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए विश्व के अन्य देशों तक प्रसारित हुई है। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को लोकतंत्र की जन्मभूमि करार देने के पीछे एक सुदृढ़ आधार है। हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों अर्थात वेदों, उपनिषदों, तथा रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में निर्णय लेने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं पाई जाती थीं जिसमें सभा की वर्तमान युग के मंत्रीपरिषद एवं समिति की विधानमंडल से साम्यता स्थापित की जा सकती है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में वैशाली स्थित बज्जि संघ को विश्व में गणतंत्र की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है।[2] इसी प्रकार श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादवों के संघ के बारे में महाभारत में चर्चा मिलती है। मौर्य काल के पूर्व में भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कई गणराज्य थे जिनमें अश्मक, मालव और क्षुद्रक इत्यादि उल्लेखनीय हैं जो प्राचीन भारत में किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली के विद्यमान होने का संकेत करते हैं।

हमारे राष्ट्र के लिए लोकतंत्र किसी अन्य देश से आयातित विचार नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में हमारे आज के लोकतंत्र के बीज निहित थे। वेदों, उपनिषदों, और पुराणों में लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख है। वेदों में भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भूमिका और उनके अधिकारों का विस्तार स्पष्ट है। महाभारत और रामायण में भी लोकतंत्र की महत्ता और इसके लिए लोगों की आवश्यकताओं का प्रमुख ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान की मूल धाराओं में भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं समाजिक व्यवस्था के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र के बीज बोये गए थे जो आज के संविधानिक और राजनीतिक प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं।

**शोध प्रविधि:** प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मूल्यों को खोजने और समझने का प्रयास किया गया है। शोध हेतु सूचनायें द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की गई हैं जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों तथा देशी एवं विदेशी लेखकों की पुस्तकों, शोध पत्रों एवं समाचार माध्यमों इत्यादि से संदर्भ ग्रहण किए गए हैं।

**उद्देश्य :** प्रस्तुत शोध पत्र में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र जो आधुनिक विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है वह भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की देन नहीं है। भारत में प्राचीन काल से सबके विचारों को सुनने, समझने, उनको महत्व देने और सर्वानुमति बनाकर चलने की परंपरा रही है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निरंकुश शासक के स्थान पर दार्शनिक शासक की कल्पना की गई है, एक ऐसा शासक जो सिर्फ अपने सुख हेतु कर्तव्य नहीं करता वरन जनता के कल्याण में ही अपने शासन की सफलता माने। भारतीय राजा अपने सभासदों, गुरुजनों और गणमान्य नागरिकों से परामर्श लेकर धरम

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, योगदा सतसंग महाविद्यालय, रांची (झारखण्ड)

योग्य आचरण करते थे और शासन प्रक्रिया में धर्म नीति का पालन करते थे। भारतीय राज दर्शन व्यापक धर्म की अवधारणा से समृद्ध था। इसका स्वरूप मुख्य रूप से आध्यात्मिक एवं नैतिक था। मध्यकाल में निरंतर विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की अपनी राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो गई लेकिन जनमानस की स्मृतियों में कहीं ना कहीं जीवित रही। स्वतंत्रता पश्चात भारत में लोकतंत्र की सफलता के बीच कहीं ना कहीं हमारे मानस में उपस्थित वह परंपरा उत्तरदायी है जिसने एक समय भारत को संसार का अग्रणी राष्ट्र बनाया था। भारत में ऐसे विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या है जो भारत की अपनी उपलब्धियां को किसी न किसी विदेशी शासक की देन मानते हैं। प्रस्तुत शोध प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं विद्वानों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास करता है कि लोकतंत्र भारत की अपनी प्रणाली है भले ही उसके विभिन्न तत्व स्वरूप आधुनिक विश्व के विभिन्न हिस्सों में विकसित हुई लोकतांत्रिक मूल्य परंपराओं और व्यवस्था से प्रभावित हो सकते हैं।

**पुस्तक समीक्षा**

**अनंत सदाशिव अलतेकर**[3] की पुस्तक 'स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंसिएंट इंडिया' प्राचीन भारत के राजनीतिक संस्थाओं एवं उनकी कार्यप्रणाली का विस्तार से चित्रण करती है। यह राज्य की उत्पत्ति, राज्य एवं नागरिक के बीच संबंधों, राजा और उसके कर्तव्य, राज्य के मंत्री, उनके चयन के मापदंड,उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को विस्तार से बताती है। इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था एवं न्याय नियम, राजस्व एवं कर व्यवस्था तथा दूसरे राज्यों के साथ संबंधों पर भी प्रकाश डालती है।

**काशी प्रसाद जायसवाल**[4] कृत 'हिंदू पालिटी' दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था को जानने के लिए मुख्य स्रोतों पर विचार किया गया है। तत्कालीन समय की मुख्य संस्थानों जैसे सभा, समिति एवं उनकी कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ में भारत के विभिन्न भागों में गण संघों की स्थापना एवं विकास, उनके राजनीतिक दर्शन, संस्थाओं के चुनाव, मतदान एवं निर्णय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था, विस्तार से वर्णन करती है। पुस्तक के दूसरे भाग में वैदिक युग की राजव्यवस्था, मंत्री परिषद की भूमिका, सामान्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था के बारे में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विस्तार से बताया गया है।

**रमेश चंद्र मजूमदार**[5] की पुस्तक 'ए कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया' में गुप्त शासन काल के दौरान केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय संस्थाओं के विकास के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। यह पुस्तक तत्कालीन भारतीय राजव्यवस्था के आधारभूत तत्वों का व्यापक विश्लेषण करती है।

**रमेश चंद्र मजूमदार** की ही एक अन्य पुस्तक 'कॉर्पोरेट लाइफ इन एंसिएंट इंडिया' में वैदिक काल से लेकर मध्यकाल के प्रारंभ तक भारतीयों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संगठित जीवन के विविध पहलुओं को व्यक्त किया गया है।

**लोकतंत्र आधुनिक** विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी संस्था, संगठन या राज्य के अंदर निर्णय लेने की एक प्रणाली होती है, जिसमें सभी सदस्यों के पास सत्ता में समान हिस्सेदारी होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि लोकतंत्र का जन्म प्राचीन यूनान में हुआ था। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि यूनान के एथेंस नगर में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जहाँ वर्ष 507 ईसा पूर्व में, एथेनियन नेता क्लिस्थनीज ने राजनीतिक सुधारों की एक प्रणाली प्रारंभ की जिसे उन्होंने डेमोक्राटिया, या 'लोगों द्वारा शासन' (डेमो, लोग, और क्रेटोस, या शक्ति) कहा।[6]

**संसदीय लोकतंत्र** के विकास का श्रेय इंग्लैंड को दिया जाता है जिसके द्वारा जनता के अधिकारों के महान घोषणापत्र (मैग्नाकार्टा) और रक्तहीन क्रांति को लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को लिखित संविधान आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन का श्रेय दिया जाता है। विद्वान लोकतंत्र की आधारभूत शर्तों के अंतर्गत एक से अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति, जनता के वृहद हिस्से को मत देने के अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के सुनिश्चित कार्यकाल इत्यादि को आवश्यक शर्त मानते हैं। **15 अगस्त 1947** ई. को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 ई. को भारत का संविधान लागू हुआ एवं भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया। 1952 में प्रथम आम चुनाव से अब तक जनता लोकसभा

और राज्यों की विधान सभाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुन रही है। 1993 में लोकतंत्र को ग्राम-ग्राम एवं नगर नगर पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायतों एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस प्रकार भारत में ग्राम स्तर से लेकर छोटे-छोटे नगरों एवं महानगरों तथा प्रांतीय विधान मंडलों से लेकर केंद्रीय स्तर पर संसद तक के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुसंगठित रूप से स्थापित हो गई एवं अनवरत रूप से काम कर रही है।

**लोकतांत्रिक शासन** व्यवस्था में अपनी समस्त उपलब्धियों के बावजूद भारत की जनता स्वतंत्रता काल से ही सुनती आ रही है कि भारत में लोकतंत्र औपनिवेशिक शासन के दौरान उसे ब्रिटेन ने भारत को भेंट में दिया।

**29 मार्च 2023** को लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारे प्राचीन महाकाव्य, महाभारत में, नागरिकों के पहले कर्तव्य को अपने स्वयं के नेता को चुनने के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे पवित्र वेद, व्यापक-आधारित सलाहकार निकायों द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने की बात करते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य राज्यों के कई ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं जहां शासक वंशानुगत नहीं थे। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह एक भावना भी है। उन्होंने कहा कि यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर मनुष्य की आवश्यकतायें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है।[7]

**नई दिल्ली में** 18वें G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सत्रों की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्राचीन काल से ही भारत का अटूट विश्वास रहा है।[8] उल्लेखनीय है की नरेंद्र मोदी के 2014 के मध्य में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इस विचार को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखरता से स्थान मिलना शुरू हुआ और अब हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों, विदेशी यात्रियों द्वारा समय-समय पर लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेजों से भी शोध छन-छन कर आने शुरू हो गए हैं जो भारतीयों के एक बड़े वर्ग के इस दावे को सिद्ध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर वैश्विक मंचों पर वैश्विक नेताओं के सामने खुल कर यह तथ्य रखने का कार्य किया है और अब शेष विश्व भी धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है।

**प्राचीन भारत में लोकतंत्र :** प्रारंभ में विद्वान मानते थे कि भारत में सिर्फ राजतंत्र रहा है। काशी प्रसाद जायसवाल पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने स्थापित किया कि प्राचीन भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक राजाधीन (राजतंत्र) और दूसरे गणाधीन (गणतंत्र)। जहां अनेक व्यक्तियों का शासन होता था गणाधीन राज्य कहलाते थे। महाभारत के सभापर्व में गणाधीन और राजाधीन शासन का विवेचन करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि साम्राज्य शासन में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है (साम्राज्य शब्दों कृत्सन्याक) किंतु गण शासन में प्रत्येक परिवार में एक एक राजा होता है। (गृहे गृहेहि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियंकराः)।[9] इस विशेष अर्थ में पाणिनि की व्याख्या स्पष्ट और सुनिश्चित है। उन्होंने 'गण' को 'संघ' का पर्याय कहा है।[10]

**वैदिक स्रोतों में लोकतंत्र के प्रमाण :** वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि ग्रंथों में विश, जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, विधत, परिषद, संघ और निकाय जैसे बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे पुष्टि होती है कि तत्कालीन भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व था। भारत में गणतंत्र का विचार वैदिक काल से चला आ रहा है। गणतंत्र शब्द का प्रयोग विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद में चालीस बार, अथर्ववेद में 9 बार और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक बार किया गया है। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर हमें दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। पहला, जिसमें राजा का निर्वाचन किया जाता था और दूसरा, जिसमें राज्य की शक्ति सभा अथवा परिषद में निहित होती थी जिसे हम अपने प्रकार की एक विशिष्ट गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की संज्ञा दे सकते हैं। वैदिक काल में राजा का निर्वाचन समिति में एकत्रित होने वाले लोगों द्वारा किया जाता था।[11] समिति सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने वाली संस्थाओं में सर्वप्रमुख थी। यह जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी। अधिकांश निर्णय व्यापक परिचर्चा के पश्चात पारस्परिक सहमति से लिए जाते थे। ऋग्वेद में समिति शब्द 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार आया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना समिति के कोई शासन नहीं कर सकता। एक वैदिक संदर्भ में एक समिति में एक राजन की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। एक अन्य संदर्भ में एक समिति में

एक साथ बैठे कई शासकों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में एक समिति में लोगों को अपने पशुओं पर चर्चा करने की सूचना दी गई है। एक ऋग्वेद प्रार्थना समिति में सहमति और विचार की एकता का आहवान करती है। अथर्ववेद में समिति की ओर से एक ब्राह्मण पुजारी की प्रार्थना सम्मिलित है।

**सभा में मुख्यतः** अनुभवी लोग हुआ करते थे। सभा में वैसे तो सभी वर्ग के लोग हुआ करते थे लेकिन ब्राह्मणों, अभिजात लोगों और धनी वर्ग के व्यक्तियों का जोर साधारण व्यक्तियों से संभवतः अधिक होता था। उसके सदस्यों को सुजात अर्थात कुलीन कहा गया है। यह चुने गए लोगों की स्थाई संस्था थी लेकिन चयन के कुछ मापदंड थे और उन्हें पूरा करने वाला व्यक्ति ही सभासद बन सकता था।[12] एक बौद्ध जातक के अनुसार वह सभा सभा नहीं, जहाँ संत लोग न हों और वे संत नहीं जो धर्म का भाषण न करते हों। पुनः वे ही लोग संत कहलाने के अधिकारी थे, जो राग, द्वेष और मोह को छोड़कर धर्म का भाषण करते हों-

'न सा सभा यत्थ न संति संतो, न ते संतों ये न भणन्ति धम्मं।
रागं च दोषं च पहाय मोहं धम्म भणन्ता व भवन्ति संते।।'[13]

सभासदों के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक मने जाते थे और कुछ हेर-फेर के साथ 'वाल्मीकि रामायण' तथा 'महाभारत' में भी उनका उल्लेख किया गया है, यथा ,

'न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न ते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मम्।
नाऽसौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम।।' [14,15]

**सभासद शब्द** ऋग्वेद में आठ बार और अथर्ववेद में 17 बार आया है। एक उदाहरण में सभा को बैठक कक्ष के रूप में उल्लेख किया गया है तो अन्य उदाहरणों में सभा का पुरुषों के समूह के रूप में उल्लेख किया गया है। सभा का महत्व बहुत अधिक था । उसके सदस्यों को सभासद, अध्यक्ष को सभापति और द्वार रक्षक को सभापाल कहते थे। यह न्यायालय के रूप में कार्य करता था और अपराधियों को दंडित करता था। न्याय वितरण के अतिरिक्त सभा में आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार विमर्श होते थे । सभा शब्द प्रारंभिक ऋगवैदिक काल में सभा के लिए और उत्तर ऋगवैदिक काल में समूह की बैठक को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। कहीं-कहीं सभापतिन नामक महिलाओं के भी इस सभा में भाग लेने का वर्णन मिलता है। आगे चलकर महिलाओं का सभा की बैठकों में आना बंद हो गया।सभा का यह स्वरूप उत्तर वैदिक काल का अंत होते-होते लगभग 600 ईसवी पूर्व के आसपास समाप्त हो गया। जैसे जैसे राज्यों की सीमाएं बढ़ी, वैसे-वैसे राजाओं के अधिकार विस्तृत होने लगे, उसी क्रम में सभा ने राजसभा अर्थात राजा के दरबार का रूप धारण कर लिया। धीरे-धीरे उसकी नियंत्रणात्मक शक्ति जाती रही और साथ ही साथ उसके जनतंत्रात्मक स्वरूप का भी अंत हो गया। आगे चलकर राज्यसभा में केवल राजपुरोहित, राज्य के उच्च अधिकारी, कुछ मंत्री और राजा तथा राजा के कुछ कृपापात्र व्यक्ति ही बचे रह गए।

**अथर्ववेद में सभा** और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।[16] इसमें सभा को पुनरिष्ठा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। सभा में वृद्ध व अभिजात लोग आमंत्रित होते थे। इसमें भाग लेने वालों को सभेय कहा जाता था। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे और उन्हें सूजात कहा जाता था।[17]

**ऋग्वेद में** विद्यत शब्द 122 बार और अथर्ववेद में 22 बार प्रकट होता है। यह उस काल की सबसे महत्वपूर्ण सभा लगती है। विद्यत धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक सभा थी।

**विभिन्न ग्रंथों** में वर्णित राजा के सिंहासनारोहन अर्थात राज्याभिषेक के आरंभ से लेकर अंत तक के कार्य व्यवहार से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति को राजा का राज्पद प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्र के विभिन्न अंगों की अनुमति लेनी पड़ती थी। वह राष्ट्र के भिन्न-भिन्न स्थानों की मिट्टी, जल, वायु, पर्वत और संपूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करता था। तत्कालीन परिस्थितियों में उसका निरंकुश होना संभव नहीं था। उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श, स्वीकृति और प्रजा के कल्याण की भावना से कार्य संपादित करना होता था। राजा का कार्यकाल हमेशा के लिए नहीं था बल्कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात उसके पुनर्निर्वाचन की भी निश्चित प्रक्रिया और व्यवस्था थी।

**महाकाव्यों में उदाहरण :** महाकाव्यों में भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे विदित होता है कि राजा निर्णय प्रक्रिया में प्रजाजनों के मत, जनपद के प्रतिनिधियों एवं

अमात्यमंडल के परामर्श को विशेष महत्व देता था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में श्री राम के द्वारा अपनी जीवनसंगिनी सीता के परित्याग के वृतांत में भी राजा द्वारा जन विचारों को वरीयता प्रदान करने की भावना दृष्टिगोचर होती है। राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। वे धर्म, नीति, परंपरा और लोक मर्यादा से बंधे होते थे। रामायण में राजा दशरथ व गुरु वशिष्ट के द्वारा श्रीराम को यह ज्ञान देते हुए देखा जा सकता है कि प्रजा के हित की चिंता करना, राज्य शासन से जुड़े वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से समय-समय पर विचार विमर्श करना राजा के प्रमुख कर्तव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामायण के बालकांड के सातवें सर्ग में कहा गया है की राजा दशरथ के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण राज्य के प्रमुख कार्यों में उनके मंत्रिमंडल की सहभागिता है।[18]

महाभारत काल में सैकड़ों राज्य और उनके राजा थे जिनमें कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे। जो राज्य वेदों शास्त्रों तथा महर्षि पराशर, महर्षि वेदव्यास जैसे विद्वान संतों के धार्मिक उपदेशों और सुझाए नीतियों से चलता था वह गणतंत्र की व्यवस्था थी। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107-108 में गणराज्य जिन्हें तब गण कहा जाता था की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है।[19] महाभारत के शांतिपर्व के 107वें अध्याय में 'गण' शब्द का प्रयोग राजनीतिक रूप में किया गया है। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म के मध्य संवाद में गणों की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि गण का अर्थ न सिर्फ शासन संस्थाओं बल्कि संपूर्ण राजनीतिक राज्य, समूह और संसद से है। इसमें कहा गया है कि जब एक गणतंत्र के वासियों में एकता होती है तो वह शक्तिशाली हो जाता है और उसके लोग समृद्ध हो जाते हैं जबकि आंतरिक संघर्षों की स्थिति में वे नष्ट हो जाते हैं। इसी पर्व में भीष्म, युधिष्ठिर को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजा को प्रजा के हित की रक्षा एवं धर्म का अनुसरण करना चाहिए तथा उसे सभासदों, प्रकृति जनों एवं प्रजा जनों के प्रति उत्तरदाई होना चाहिए। महाभारत में सभासदों की योग्यता, गुणों की महत्ता, सभा के गठन एवं निर्माण की रचना, उसकी कार्यप्रणाली और उससे जुड़े हुए प्रशासनिक व अन्य उत्तरदायित्वों का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है।

**महाभारत काल** के गणतंत्र महाभारत काल में अंधक और वृष्णिवंशियों का संघ भी गणतंत्रात्मक था। महाभारत के शांति पर्व का यह श्लोक उल्लेखनीय है,

'यादवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकवृष्णयः
त्वय्यासक्ताः महाबाहो लोकालोकेश्वराश्च ये।[20]

इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण को संघ का मुखिया भी कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि वृष्णि तथा अंधक गणजातियों के राज्य थे- 'भेदाद् विनाशः संघानां संघमुख्योऽसि केशव'।[21]

**अंधकों तथा** वृष्णियों का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। वृष्णि गणराज्य शूरसेन प्रदेश में स्थित था। इस प्रदेश के अंतर्गत मथुरा और शौरिपुर तो गणराज्य थे। अंधकों के प्रमुख उग्रसेन थे जो आहुक के पुत्र और कंस के पिता थे। दूसरी ओर शूरसेन के पुत्र वसुदेव थे जो वृष्णियों के मुखिया थे। वृष्णि तथा अंधकों दोनों राज्यों का मिलाकर एक संघ बनाया गया था जिसका प्रमुख राजा उग्रसेन को बनाया गया था। इस संघीय राज्य में वंश या परंपरा का शासन ना होकर समयानुसार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। वृष्णि कुल में ही वासुदेव और देवकी की संतान के रूप में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था जो आगे चलकर इस गणराज्य के शासन प्रबंध के आधार बने। अभीर, अंधक, वृष्णियों, सत्यव्रता, कुकुरा एवं विदर्भ मिलकर श्रीकृष्ण और बलराम के नेतृत्व में एक अत्यंत शक्तिशाली संघ का निर्माण करते थे। चेदी और भद्रक भी इनके साथ मिले हुए थे। वृष्णि संघ का नाम एक मुद्रा पर खुदे लेख में भी मिला है जिसे कनिंघम ने 'वृष्णिराज ज्ञागनश्य भुभरष्य' पढ़ा था।[22] आर.सी. मजूमदार ने भुभरष्य शब्द के 'त्रतरश्य' होने की संभावना व्यक्त की है।[23]

**महाभारत के** द्रोण पर्व में त्रिगत का वर्णन किया गया है। विद्वान मानते हैं की त्रिगत भी एक संघ था एवं आधुनिक हिमाचल प्रदेश की सीमा में स्थित क्षेत्र था। वर्तमान हिमाचल क्षेत्र से संबंधित प्राचीन गणतंत्रात्मक शक्तियों का सबसे पुराना विस्तृत उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसका समय ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी आंका गया है। इसमें त्रिगर्त, मंडमति (वर्तमान मंडी), कालकूट (कालका) और कुलूत (कुल्लू) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाणिनी ने त्रिगर्त क्षेत्र को 'त्रिगर्तषष्ठा' के रूप में दर्शाया है अर्थात छह गणों का संघ।[24] पाणिनी ने इन्हें 'आयुद्धजीवी संघ' कहा है अर्थात ऐसे संघ जो युद्ध-विद्या में पारंगत थे और युद्ध पर निर्भर करते थे।

त्रिगर्त का केंद्र स्थान बीच की नदी ब्यास का मुख्य क्षेत्र कुलूत या उलूत (कुल्लू) था, जिसकी राजधानी नगर में थी और यह 'कत्रयादी गण' में था। महाभारत में वर्णित 'संसप्तक-गण त्रिगर्त' के अनुसार लगता है कि महाभारत काल में त्रिगर्त सात गणराज्यों का संघ था।[25]

**जैन, बौद्ध एवं मौर्य काल :** भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व पांचवीं और छठी शताब्दी गणतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासन व विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था जो बज्जी संघ और वैशाली गणराज्य का हिस्सा था। वैशाली गणराज्य यूनान के नगर राज्यों से भी पूर्व का है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में भी वैशाली के गणराज्य की चर्चा बार-बार की गई है। स्वयं बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के यहां हुआ था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस संघ में अस्सी हजार कुल और पाँच लाख जन थे। इनकी राजसभा, शाक्य परिषद के 500 सदस्य थे।[26] ये सभा प्रशासन और न्याय दोनों कार्य करती थी। सभाभवन को सन्यागार कहते थे। यहाँ विशेषज्ञ एवं विशिष्ट जन विचार-विमर्श कर कोई निर्णय देते थे। शाक्य परिषद का अध्यक्ष राजा कहलाता था।

**उस काल में** गणतांत्रिक रूप वाली संस्थाएं विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम और उत्तर- पूर्व भारत में अधिक गठित थीं। यूनानी शासक एलेग्जेंडर को अपने भारत अभियान के दौरान उत्तर पश्चिम में बहुत सारे राज्यों का सामना करना पड़ा था जिनमें से कुछ एक को छोड़कर अधिकांश जनतांत्रिक व्यवस्था वाले शासन थे। सिकंदर के भारत से वापसी के पश्चात चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की जो शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया। इस प्रक्रिया में भारत के विभिन्न हिस्सों के गणतांत्रिक समुदायों को भी अपने अस्तित्व से समझौता करना पड़ा। इनमें से उत्तर-पूर्व के संगठन शीघ्र ही मगध साम्राज्य के अधीन विलीन हो गए थे, परंतु उत्तर-पश्चिम भारत की प्रजातंत्रीय संगठन बहुत लंबे समय तक कार्य करते रहे। यद्यपि मौर्य साम्राज्य के दौरान उन सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना पड़ा, परंतु जैसे ही अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति और महत्ता प्राप्त कर ली।[27]

**बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख :** बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के काल में भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में अनेक गणराज्य विद्यमान थे। इनमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मोरिय, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, केसपुत्त के कालाम, रामगाम के कोलिय और अलकल्प के बुलि आदि प्रमुख थे। इनमें से वर्तमान उत्तर बिहार के तिरहुत और सारण क्षेत्र में स्थित लिच्छवी गणराज्य तो इतना शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित था कि वह तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के उत्कर्ष एवं विस्तार को चुनौती देता था। लिच्छवि, विदेह, कुण्डग्राम के ज्ञातृक गण तथा अन्य पाँच छोटे गणराज्यों ने मिलकर जो संघ बनाया उसी को वज्जि संघ कहा जाता था जिसकी राजधानी वर्तमान वैशाली थी।[28] एकपण्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा (सदस्य) थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों एवं कोषाध्यक्षों की संख्या भी इतनी ही थी। इसी से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। शासन कार्य के लिए दो समितियां होती थीं। पहली नौ सदस्यों की समिति वैदेशिक सम्बन्धों की देखभाल करती थी। दूसरी आठ सदस्यों की समिति प्रशासन का संचालन करती थी। इसे इष्टकुल कहा जाता था। इस व्यवस्था में तीन प्रकार के विशेषज्ञ होते थे- विनिश्चय महामात्र, व्यावहारिक और सूत्राधार।[29] अन्ततः मगधराज अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। परन्तु चतुर्थ शताब्दी ई. में यह पुनः एक शक्तिशाली गणराज्य बन गया।[30]

**सुसुमार पर्वत** के भग गणराज्य का अधिकार क्षेत्र विंध्य इलाके के यमुना और सोन नदियों के बीच का प्रदेश था। अलकल्प के बुलियों का प्राचीन गणराज्य बिहार के पुराने शाहाबाद जिले और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। केसपुत्त का कालाम गणराज्य कोशल के पश्चिम में सुल्तानपुर जिले के कूंडवार से लेकर पलिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। इसी गणराज्य के आलार कलाम नामक आचार्य से गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश ग्रहण किया था। शाक्य गणराज्य के पूर्व में कोलिय गणराज्य था जिनकी राजधानी रामग्राम थी जो वर्तमान देवरिया जिले में स्थित है। कुशीनारा गणराज्य वर्तमान देवरिया जिले के आसपास फैला हुआ था। पावा के मल्ल गणराज्य

का क्षेत्र भी देवरिया जिले में ही पडरौना के पास स्थित था। पिपलीवनके मौरिय गणराज्य का क्षेत्र गोरखपुर जिले के आसपास माना जाता है।

**कौटिल्य के** अर्थशास्त्र में भी दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। एक 'वार्ताशस्त्रोपजीवी' जो व्यापार, कृषि, पशुपालन तथा युद्ध पर आश्रित थे, दूसरा 'राजशब्दोपजीवी' जो राजा की उपाधि धारण करते थे।[31] प्रथम वर्ग में कंबोज तथा सौराष्ट्र तथा दूसरे वर्ग में लिच्छिवियों, वृज्जियों, मल्लों, मद्रों, कुकुरों, पांचालों आदि की गणना की गई है।[32] वस्तुतः 'संघ' और 'गण' दोनों समान अर्थों में प्रयुक्त राजनीतिक संस्थाएँ थीं।

**मौर्यकालीन** भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जानने का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को प्रजा की भलाई के लिए अमात्यों (मंत्रियों) की सलाह पर कार्य करना चाहिए। राजकाज में राजा किन्हें प्रमुख उत्तरदायित्व सौंपे इस पर आचार्य ने विस्तृत रूप से लिखा है। राजा को अमात्यों अर्थात् शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की संख्या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप रखने की सलाह को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपनों को अधिकार देने के संबंध में उतनी कठोरता से परीक्षा लेने का मत रखा है जितना अन्य के लिए आवश्यक माना जाए। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट कहना था कि प्रजा के सुख और लाभ में ही राजा का सुख और लाभ है।[33]

**यूनानी-रोमन स्त्रोत :** यूनानी-रोमन लेखकों ने भी प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब और सिंध में कई गणराज्य थे, जो राजतंत्रों से भिन्न थे.ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस के अनुसार, सिकंदर के आक्रमण (326 ईसा पूर्व) के समय उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश शहरों में सरकार के लोकतांत्रिक रूप थे तथा इसका उल्लेख इतिहासकार एरियन द्वारा भी किया गया था।[34] सिकंदर को लौटते हुए मालव, अंबष्ठ और क्षुद्रक आदि गणराज्य मिले थे। मालव, अर्जुनायन, यौधेय जैसे गणराज्यों के प्राप्त सिक्कों पर राजा का उल्लेख न होकर गण का ही उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक शासक सेल्यूकस के प्रतिनिधि के रूप में मेगास्थनीज लगभग 15 वर्ष तक रहा। उसने अपने अनुभव के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय भारत के अनेक प्रांतों-नगरों में गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित था।[35,36]

**दक्षिण भारत के गणराज्य :** इसी प्रकार वर्तमान तमिलनाडु में दसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में परांतक चोल प्रथम के शासन-काल में उत्कीर्णित कांचीपुरम के उत्तरमेरूर के शिलालेखों से तत्कालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के विविध आयामों एवं कार्य-पद्धत्तियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।[37] इनमें उम्मीदवारों की योग्यता, उनके चयन एवं मतदान की प्रक्रिया, कार्यों का निर्धारण एवं विभाजन, निर्वाचित उम्मीदवारों को वापस बुलाने के नियम आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तत्कालीन चुनाव-प्रक्रिया में शुचिता ऐसी थी कि उम्मीदवारों की अनिवार्य अर्हताओं में से एक संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा थी। वर्तमान कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, समाज-सुधारक एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर द्वारा अनुभव मंडप की स्थापना की गई थी, जिसे भारत की पहली और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संसद के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक प्रकार का खुला एवं सार्वजनिक मंच था, जहाँ समाज के सभी वर्गों के लोग आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर मुक्त विमर्श कर निष्कर्ष व समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते थे।[38]

**प्राचीन भारत के लोकतंत्र की मुख्य विशेषता :** प्राचीन गणतान्त्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न अवश्य थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है।

**वर्तमान संसद** की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता-जुलता था। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि की केन्द्रीय परिषद में 7707 सदस्य थे।[39] एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार (गणसभा) के सदस्यों की संख्या 500 और यौधेय की केंद्रीय परिषद की

सदस्य-संख्या 5000 बताई गई है। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। इन गणराज्यों की सर्वोच्च शक्ति एक गणसभा या संस्थागार में निहित होती थी, जो लगभग आज के संसद जैसी होती थी। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे उस गणराज्य का प्रमुख नायक या राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ-साथ गणराज्य में आंतरिक शांति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका कर्तव्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भांडागारिक, कोषाध्यक्ष, आसनपन्नापक आदि प्रमुख थे। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के सुस्पष्ट एवं निश्चित नियम थे। विरोध या मतभेद आदि उपस्थित होने पर शलाकाओं द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। मतदान अधिकारी को शलाका-ग्राहक कहा जाता था। गणसभा के प्रत्येक कुलवृद्ध या सदस्य की संघीय उपाधि 'राजा' होती थी।

**प्राचीन भारत में मतदान प्रणाली :** किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस पर खुलकर चर्चा होती थी। सही-गलत के आकलन के लिए पक्ष-विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनायी जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य होता था। बहुमत से लिये गये निर्णय को 'भूयिसिक्किम' कहा जाता था।[40] इसके लिए वोटिंग का सहारा लेना पड़ता था। तत्कालीन समय में वोट को 'छन्द' कहा जाता था।[41] निर्वाचन आयुक्त की भाँति इस चुनाव की देख-रेख करने वाला भी एक अधिकारी होता था जिसे शलाकाग्राहक कहते थे।[42] वोट देने के लिए तीन प्रणालियां थीं-

(1) गूढ़क (गुप्त रूप से) अर्थात अपना मत किसी पत्र पर लिखकर जिसमें वोट देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं आता था।

(2) विवृतक (प्रकट रूप से) इस प्रक्रिया में व्यक्ति सम्बन्धित विषय के प्रति अपने विचार सबके सामने प्रकट करता था। अर्थात खुले आम घोषणा।

(3) संकर्णजल्पक (शलाकाग्राहक के कान में चुपके से कहना) - सदस्य इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतन्त्र थे। शलाकाग्राहक पूरी मुस्तैदी एवं ईमानदारी से इन वोटों का संगणन करता था। प्राचीन भारत में गुटिकापात (lot) के अतिरिक्त मतदान द्वारा भी अधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। धार्मिक संस्थाओं में, विशेषतः बौद्ध संघों में, निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। 'चुल्लबग्ग' में सक्य द्वारा मतदान की तीन प्रविधियों का उल्लेख है : गुप्त मतदान, कान में कहकर मत प्रकट करने की, प्रविधि तथा खुला मतदान। गुप्त मतदान के लिये बौद्ध संघ मतपरिपत्र के रूप में रंगीन काष्ठ शलाकाओं का प्रयोग करते थे। शलाकाओं का संग्राहक मतदाताओं को रंगों के अर्थ समझाकर उनके मत संग्रह करता था और बहुमत का निर्णय मान्य होता था।[43]

**इस तरह** हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौरवशाली लोकतन्त्रीय परम्परा थी। इसके अलावा सुव्यवस्थित शासन के संचालन हेतु अनेक मन्त्रालयों का भी निर्माण किया गया था। उत्तम गुणों एवं योग्यता के आधार पर इन मन्त्रालयों के अधिकारियों का चुनाव किया जाता था। मन्त्रिमण्डल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत, इत्यादि में प्राप्त होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हें 'रत्नि' कहा गया। महाभारत के अनुसार मन्त्रिमण्डल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्य संख्या 7-8 होती थी। शुक्र ने इसके लिए 10 की संख्या निर्धारित की थी। इनके कार्य इस प्रकार थे[44]:-

(1) पुरोहित, गुरु अथवा कुलगुरू- यह राजा का गुरु माना जाता था। राजनीति और धर्म दोनों में निपुण व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता था।

(2) उपराज (राजप्रतिनिधि)- इसका कार्य राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था का संचालन करना था। आमतौर पर यह पद राज परिवार के किसी सदस्य यथा राजा के भाई अथवा जयेष्ठ राजकुमार को दिया जाता था

(3) प्रधान- प्रधान अथवा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था। वह सभी विभागों की देखभाल करता था।

4) सचिव- वर्तमान के सचिव की तरह विभाग के प्रमुख होते थे।

(5) सुमन्त्र- राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखना इसका कार्य था। चाणक्य ने इसको समार्हत्ता कहा है।

(6) अमात्य- अमात्य का कार्य सम्पूर्ण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का नियमन करना था।

(7) दूत- वर्तमान काल की इंटेलीजेंसी की तरह दूत का कार्य गुप्तचर विभाग को संगठित करना था।

**इनके अलावा भी** कई विभाग थे। इतना ही नहीं वर्तमान काल की तरह ही पंचायती व्यवस्था भी हमें अपने देश में देखने को मिलती है। शासन की मूल इकाई गांवों को ही माना गया था। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा होती थी। जो गाँव की प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर गाँव के प्रत्येक कल्याणकारी काम को संपन्न करती थी। ग्रामसभा के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी के चुनाव गांव के सभी वयस्क किसी जगह इकट्ठा होते थे और आमतौर पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को यह दायित्व सौंपा जाता था और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के अनुरूप उसे लंबे समय तक दायित्व निभाने का अवसर मिलता था।[45]

**सारा राज्य** छोटी-छोटी शासन इकाइयों में बँटा था और प्रत्येक इकाई अपने में एक छोटे राज्य सी थी और स्थानिक शासन के निमित्त अपने में पूर्ण थी। समस्त राज्य की शासन सत्ता एक सभा के अधीन थी, जिसके सदस्य उन शासन-इकाइयों के प्रधान होते थे। एक निश्चित काल के लिए सबका एक मुख्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होता था। यदि सभा बड़ी होती तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। यह शासन व्यवस्था एथेन्स में क्लाइस्थेनीज के संविधान से मिलती-जुलती थी। सभा में युवा एवं वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे। उनकी बैठक एक भवन में होती थी, जो सभागार कहलाता था।

**एक प्राचीन उल्लेख** के अनुसार अपराधी पहले विचारार्थ 'विनिच्चयमहामात्र' नामक अधिकारी के पास उपस्थित किया जाता था। निरपराध होने पर अभियुक्त को वह मुक्त कर सकता था पर दण्ड नहीं दे सकता था। उसे अपने से ऊँचे न्यायालय भेज देता था। इस तरह अभियुक्त को छः उच्च न्यायालयों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। केवल राजा को दण्ड देने का अधिकार था। धर्मशास्त्र और पूर्व के उदाहरणों के आधार पर ही दण्ड दिया जाता था।[46]

**निष्कर्षः** यह ज्ञानयोग्य तथ्य है कि प्राचीन भारत में विकसित हुई जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा हम भारतीय करते रहते हैं वह अपने समय और परिस्थितियों के अनुरूप थीं। उनका वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से समान होना कहीं से भी आवश्यक नहीं है। पश्चिम में विकसित हुई वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कोई एक दिन में निर्मित नहीं हुई थीं वरन् उनके विकास में कई सौ वर्षो का समय लगा, इसके बावजूद उन्हें पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। संस्थाओं का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आज भी विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनसे जुड़ी हुई कार्य प्रणाली और परंपराओं का निर्माण अनवरत रूप से जारी है। हम यह विश्वास कर सकते हैं कि अगर भारत पर विदेशी शत्रुओं का आक्रमण नहीं हुआ होता तथा भारत भूमि एक लंबे औपनिवेशिक कालखंड में शोषण एवं अत्याचार का शिकार नहीं हुई होती तो निश्चित रूप से भारत में संसार की सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और परंपराओं का निर्माण होता जो निश्चित रूप से शेष विश्व के लिए अनुकरणीय होती। हमें अपने प्राचीन इतिहास की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और यह मानते हुए भी कि वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाएं मुख्तयः पश्चिमी विचार और दर्शन से प्रभावित हैं, हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीयों के मस्तिष्क और हृदय में लोकतंत्र के प्रति जो प्रेम, सम्मान और विश्वास की भावना है वह पूर्णतः भारतीय है और भारत को लोकतंत्र की जन्मस्थली होने का उतना ही श्रेय है जितना प्राचीन यूनान को, ब्रिटेन को, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका को। पुष्ट प्रमाणों एवं ठोस तथ्यों के आधार पर निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में न केवल लोकतंत्र का अस्तित्व था, अपितु कई गणराज्यों ने उसका आदर्श स्वरूप एवं ढाँचा भी खड़ा किया था। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में पायी जाती हैं। अनेकानेक विविधताओं से भरे हमारे देश में लोकतंत्र के पुष्पित-पल्लवित होने का सबसे बड़ा आधार हमारे लोकतंत्र का प्राचीन इतिहास ही है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक संस्थाओं, उनकी कार्यप्रणाली तथा समाज पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाए और उससे जुड़े हुए तथ्यों को सामने लाया जाए जिससे पूरा विश्व भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक संस्थाओं से परिचित हो सके।

## सन्दर्भ


1. PIB, New Delhi. 15th August 2022. "The Prime Minister, Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of the Red Fort on the 76th Independence Day"
2. Kulke, Hermann; Dietmar Rothermund, *'A History of India'*, 2004 Routledge. p. 57
3. Jayaswal, K.P. *'Hindu Polity'*, The Banglore Printing and Publishing Co., 1924.
4. Majumdar R.C., *'Comprehensive History of India'*, Indian History Congress, Peoples Publishing House, New Delhi, 1981.
5. Majumdar R.C., *'Corporate life in Ancient India'*, The Orental Book Agency, Poona, 1922.
6. Luciano Canfora, La democrazias:Storia di un'ideologia, Laterza, 2004, 2018 p.12–13
7. 'Remarks by Prime Minister Narendra Modi at the Leader-level plenary of the second Summit for Democracy' PIB, New Delhi. 29th March 2023
8. "The Prime Minister, Narendra Modi address of the Opening Session of G20 Summit New Delhi, PIB, New Delhi. 9th September 2023.
9. महाभारत, सभापर्व, 14, 2
10. पाणिनी, संघद्धौ गणप्रशंसयो : अष्टाध्यायी के 3,3,86 में
11. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, 'Part-1, Ch-1- Samiti' p.13-17.
12. Jayaswal, K.P. Hindu Polity,"Part-1, Ch-2- The Sabha" p. 18-22
13. Fausboll, V. 'Jataka' ed.5, p.509
14. वाल्मीकि रामायण, उत्तर कांड, 3.33.
15. महाभारत, श्लोक 58, अध्याय 35, उद्योग पर्व,
16. अथर्ववेद, सप्तम,13.1
17. ऋग्वेद, सप्तम 1.4
18. वाल्मीकि रामायण, बाल कांड, सर्ग 7
19. महाभारत, शांतिपर्व – अध्याय 107–108
20. महाभारत, शांतिपर्व 81, 29
21. महाभारत, शांतिपर्व 81, 25
22. Cunningham, Alexander. 'Coins of Ancient India: From the Earliest Times Down to the Seventh Century A. D.', London: B. Quaritch, 1891, p. 70
23. Majumdar, R.C., op. cit., pp. 266-268
24. पाणिनी, अष्टाध्यायी के 5,3,116 में
25. वहीं
26. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, 'Part-1, Ch-VI- Republican Origins of Biddhist Sangha and Republics in Buddhist Literature (500-400 B.C' op. cit., p.46
27. Thapar, Romila,"Early India: from the Origins to AD 1300", 2002, Googlebooks. University of California, p.146–150
28. Gadkari, Jayant, 'Society and Religion: From Rugveda to Puranas', 1966, Popular Prakashan, p. 100
29. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, Part-I, Ch-VI- op. cit., pp.47-49
30. Majumdar, Ashok Kumar 'Concise History of Ancient India:' Political Theory, Administration and Economic Life, 1977, Munshiram Manoharlal Publishers, p.140
31. चाणक्य, अर्थशास्त्र, अभिकरण 2 अध्याय 1
32. Majumdar, R.C., op.cit., p. 239
33. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, "Part-I, Ch-XXX- Council of Ministers" p.288
34. Arrian. Anabasis of Alexander, V-22. II A. p.115
35. McCrindle, J.W. 'Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian'. British Library, p.212
36. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, "Part-I, Ch-VIII- Hindu Republic in Greek Writer (C.325 B.C)" p.58-72
37. रोमिला थापर, 'प्रारंभिक भारतः उत्पत्ति से 1300 ई. तक', कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, 2004, पृ. 375–377
38. Agnihotri, V. K., 'Indian History & Culture' 26th ed. 2010. Allied Publisher, New Delhi, 2013 p. B-62–B-65
39. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, Part-I, Ch-VI- op. cit., pp.47-49
40. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, "Part-I, Ch-XI- Deliberations in Hindy Republics" op.cit., p.95
41. Ibid p. 95
42. Ibid p. 95
43. Ibid p.96
44. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, "Part-II, Ch-XXX- Council of Ministers" op. cit., pp. 286-295
45. Altekar, Anant Sadashiv. 'State and Government in Ancient India', Ch-XI Village Administration. p.327-28
46. Jayaswal, K.P. Hindu Polity, "Part-II, Ch-XXXII- Law and Administration of Justice" op cit., pp.326-328

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# रूस–यूक्रेन युद्ध का मध्य एशिया और भारत पर प्रभाव : एक बहुआयामी अध्ययन

❑ करम सिंह
❖ डॉ. जगमीत बाबा

**सूचक शब्द** : मध्य एशिया, नाटो, रूस-यूक्रेन युद्ध, भारत रूस संबंध।

**24 फरवरी 2022** को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से वैश्विक राजनीति में उथल–पुथल शुरू हो गई थी। इस युद्ध का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि मध्य एशिया और भारत जैसे दूरतम के देशों पर भी पड़ा है। मध्य एशियाई देश रूस के साथ रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों से जुड़े हुए हैं।[1] युद्ध के कारण इन देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस, मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है जिससे मध्य एशिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक ही था। युद्ध के कारण मध्य एशिया के देशों में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि तथा राजनीतिक अस्थिरता जैसी नवीन चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारत भी अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है। युद्ध के कारण भारत के लिए रक्षा उपकरण, तेल और गैस का आयात करना कठिन हो गया है। युद्ध के कारण ऊर्जा संसाधनों की कीमतें बढ़ गईं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन भारत ने वैश्विक पटल पर सफल कूटनीतिक प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था की विकास दर को नकारात्मक प्रभाव से बचाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है।[2] यही कारण है, आज भारत की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में सकारात्मक वृद्धि दर से आगे बढ़ रही है।[3] प्रस्तुत शोध पत्र में रूस तथा यूक्रेन युद्ध के कारण मध्य एशिया तथा भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रस्तुत किया गया है।

रूस–यूक्रेन युद्ध से मध्य एशिया और भारत दोनों के हित प्रभावित हुए हैं। मध्य एशिया के देशों को रूस पर अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की निर्भरता के कारण अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को रूस से रक्षा उपकरणों, तेल और गैस की आपूर्ति में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, यह युद्ध क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नए संबंधों के निर्धारण के अवसर भी प्रदान करता है। दीर्घकालिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है।

**अनुसंधान का उद्देश्य** : प्रस्तुत शोध पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध के मध्य एशिया और भारत पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शोध के मुख्य बिंदुओं में सम्मिलित हैं।

1. रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों का मध्य एशिया तथा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है।
2. इस युद्ध के कारण ऊर्जा, खाद्य पदार्थ और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के बाधित होने के कारण कीमतों में निरंकुश वृद्धि तथा भुखमरी जैसी परिस्थितियों का विश्लेषण करना।
3. इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ तथा नाटो की भूमिका कैसे प्रभावित हुई है।
4. इस संघर्ष के कारण आतंकवाद, उग्रवाद और शरणार्थियों की मध्य एशिया और भारत में बढ़ते संकट के अध्ययन का विश्लेषण करना।

**शोध पद्धति** : प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है। अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा डाटा, विश्लेषित करने हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित शोध पत्रों, पुस्तकों और रिपोर्ट्स का अध्ययन, मध्य एशिया के देशों, भारत तथा रूस के राजदूतों के सोशल मीडिया आधिकारिक

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)
❖ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

अकाउंट्स पर उपलब्ध डाटा, प्रिंट समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादकीय लेख, डिजिटल न्यूज पोर्टल तथा विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं से डाटा को संग्रहित किया गया है।

**साहित्य समीक्षा :**

अजय सिंह ने अपनी पुस्तक "Russia-Ukraine: The Conflict and its Global Impact" में रूस-यूक्रेन युद्ध के विभिन्न पहलुओं तथा इसके वैश्विक प्रभाव को वर्णित किया है। इस पुस्तक में कीव और खार्कोव के महत्वपूर्ण युद्ध, रूसी तट पर कब्जा, डॉनबास लड़ाई, यूक्रेनी जवाबी कार्यवाही और रूसी प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि और प्रमुख घटनाओं को उजागर किया है। युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और भू-राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। भारत और दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव, एक नए वैश्विक क्रम के संभावित उभरने के साथ, विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं।[4]

**Serhii Plokhy** की पुस्तक "The Russo & Ukrainian War: The Return of History" में रूस-यूक्रेन संघर्ष के मूल पहलुओं और संभावित भविष्य के परिणामों का एक निश्चित विवरण प्रस्तुत किया हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कई कारण हैं, जिनकी जड़ें सोवियत संघ के पतन और 19वीं और 20वीं सदी के साम्राज्यवाद के अंत तक जाती हैं। पुस्तक यूक्रेन और रूस के इतिहास, संस्कृति और राजनीति की तुलना करती है। यूक्रेन रूस की राष्ट्रीय पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों देश बहुत अलग रास्तों पर चल रहे हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार, शीत युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने और राष्ट्रवादी लोकलुभावनवाद के उदय के साथ, यूक्रेन अब अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक यूरोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण दरार बन गया है।[5]

**Taras Kuzio & Paul D'Anieri** की पुस्तक "The Source of Russia's Great Power Politics: Ukrain and the Challenge to the European Order में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष, रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों में एक ऐसी दरार पैदा हो चुकी है जिसे कई लोग 'नया शीत युद्ध' कह रहे हैं। यह पुस्तक इस संघर्ष के गहरे कारणों का विश्लेषण करती है, जिसमें रूस की एक स्वतंत्र यूक्रेन को स्वीकार करने में असमर्थता, ऑरेंज और यूरोमैदान क्रांतियों को पश्चिमी षडयंत्र मानने की मास्को की सोच, और यह समझने में असफलता सम्मिलित है कि अधिकांश रूसी भाषी यूक्रेनवासी रूस में फिर से शामिल नहीं होना चाहते हैं।[6]

**रूस-यूक्रेन** युद्ध को शुरू हुए दो वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा है। वैश्विक खाद्य असुरक्षा, असंख्या निर्दोष लोगों की मृत्यु तथा बढ़ती शरणार्थियों की समस्या ने संपूर्ण विश्व को युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।[7] अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति दो विश्व युद्धों की विभीषिका तथा शीत युद्ध की परिस्थितियों से गुजर चुकी है। अमेरिका काफी लंबे समय से वैश्विक सुरक्षा का गारंटर बना हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक पटल पर शुरू हुए युद्धों को रोकने में असफल रहा है। अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना और वहां पर नरसंहार की घटनाओं ने वैश्विक पटल पर अमेरिका की पकड़ को कमजोर किया है।[8] इसी के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका की वैश्विक समस्याओं को और भी जटिल कर दिया।

**रूस-यूक्रेन** विवाद की शुरुआत कई दशकों पहले से ही हो गई थी। यूक्रेन के एक नेता क्रॉबचक ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ से अलग होने का विचार रखा था। वर्ष दर वर्ष रूस-यूक्रेन के मध्य आपसी विवाद निरंतर बढ़ते रहे। अंततः वर्ष 1991 में ही यूक्रेन एक स्वतंत्र संप्रभु देश बन गया था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ भी 15 देशों में विभाजित हो गया था। यूक्रेन का पश्चिमी भाग यूरोपियन देशों के साथ सीमा बनाता है, वहीं पूर्वी हिस्सा रूस की सीमाओं के साथ बंधा हुआ है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस के पक्ष में तथा पश्चिमी हिस्सा यूरोप के प्रभाव में रहता है।[9] यूक्रेन के पूर्वी भाग के लोग रूसी भाषा बोलने वाले तथा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रारंभ फरवरी 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के अधिकरण के समय से ही हो गया था। वर्ष 2014 से 2022 तक दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक नीतियां असफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच औपचारिक युद्ध शुरू हुआ। 22 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के 2 प्रांतों लोहोन्सक और डोनेत्स्क को दो स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) के साथ यूक्रेन की बढ़ती निकटता व रूस की सामरिक सुरक्षा को बढ़ता खतरा युद्ध का समसामयिक कारण बना था।[10]

**24 फरवरी 2022** को व्लादीमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में

'विशेष सैन्य अभियान' की घोषणा की। इस घोषणा के उपरांत यूक्रेन की राजधानी कीव सहित पूरे यूक्रेन में सैन्य आक्रमण शुरू हुए। रूस ने यूक्रेन युद्ध को पश्चिमी देशों द्वारा अस्थिरता पैदा करने का परिणाम बताया था। नाटो यदि यूक्रेन को बचाने के लिए सैन्य कार्यवाही करता, तो तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो सकता था। नाटो ने प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को किसी भी तरह की सहायता नहीं पहुंचाई जिससे विश्व तीसरे युद्ध की विभीषिका से बच गया। लेकिन इस युद्ध से हजारों निर्दोष व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रूस ने युद्ध के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए विरोधियो को दूर रहने के लिए कड़ा संदेश दिया 'यदि कोई देश इस लड़ाई में कूदता है, तो उसका हश्र ऐसा होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन अकेला ही रूस का सामना करने को विवश हुआ था।[11]

**इस युद्ध** के कारण वैश्विक पटल पर रूस को अनेकों प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा जिससे दुनिया के अधिकतर देशों के समक्ष अनेकों नवीन चुनौतियाँ पैदा हुईं। रूस विश्व के कई देशों के लिए सामरिक सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रमुख निर्यातक देश था। वैश्विक प्रतिबंधों के कारण रूस हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है जिसके कारण कई देशों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि, निरंकुश महंगाई तथा भुखमरी जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। विशेष रूप से मध्य एशिया के देशों की रूस पर सामरिक तथा आर्थिक निर्भरता प्रभावित हुई। भारत तथा रूस के संबंध भी कई दशकों से अत्यधिक सुदृढ़ थे, लेकिन इस युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच सीधी वार्ताएं न होना तथा वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्थाओं के प्रभाव के कारण संबंधों में शिथिलता आई है। मध्य एशिया के देशों में रूस के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक संबंध काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मध्य एशिया के देशों में भी अनेकों नवीन समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।[12]

**रूस-यूक्रेन युद्ध का सैद्धांतिक अवलोकन** : वर्ष 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। रूस-यूक्रेन के लोग ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समरूपता के कारण भी आपस मे बंधे हुए हैं। वर्तमान में पैदा हुए वैचारिक व सामरिक मतभेद रूस-यूक्रेन के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। यूक्रेन तथा रूस दोनों देशों का जन्म एक ही स्थान 'स्लाविक राज्य कीव रस' के मध्य से हुआ था। दोनों देशों का इतिहास भी प्रारंभ में जोड़ने वाला, मध्य में बांटने वाला और वर्तमान में मर मिटने वाला बन चुका है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत यूरोपीय देशों ने वर्ष 1949 में नाटो संधि को अपनाया। यूक्रेन और रूस का ऐतिहासिक घटनाक्रम भी नाटो के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपने पक्ष में प्रभावित करने हेतु मुक्त व्यापार व निःशुल्क वीजा इत्यादि अनेक समझौते किए। रूस को यूक्रेन की यह प्रवृति निरंतर उसकी सीमाओं में घुसकर हस्तक्षेप करने को बाध्य करती आ रही थी। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा और दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा यूरोप के साथ तथा अन्य तीनों हिस्से रूस के साथ घिरे हुए हैं। यूक्रेन में 67 प्रतिशत यूक्रेनियन, 30 प्रतिशत रूसी तथा 3 प्रतिशत अन्य लोग रहते हैं। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 60 लाख वर्ग किलोमीटर तथा वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 4.41 करोड़ है, जबकि रूस का क्षेत्रफल 17. 13 लाख वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 14.41 करोड़ है। रूस ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा क्योंकि यूक्रेन किसी भी तरह से रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखता था। बड़ी वैश्विक शक्तियों ने यूक्रेन की इस युद्ध में अप्रत्यक्ष सहायता करके रूस को युद्ध के मैदान में पिछलग्गू बनाने का प्रयास किया है। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के परिणाम क्षेत्र तथा जनसंख्या के बहुमत से निर्धारित नहीं होते वल्कि युद्ध देश की जनता की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति, उत्साह, एकता व देश प्रेम से प्रेरित होते हैं। यूक्रेन देश की रक्षा के लिए कृत संकल्प इरादों से रूस जैसे शक्तिशाली देश से निरंतर लड़ रहा है।[13]

**रूस ने** अपनी सामरिक शक्ति को स्थापित करने के लिए वर्ष 1956 में हंगरी, वर्ष 1968 में चेकोस्लोवाकिया, वर्ष 1979 में अफगानिस्तान, वर्ष 2014 में क्रीमिया तथा वर्ष 2022 में यूक्रेन में सैनिक शक्ति के प्रदर्शन से दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जो भी देश उसकी स्वतंत्रता व संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा उनके लिए रूस युद्ध जैसे विनाशकारी निर्णय लेने से भी पीछे नही हटेगा। इस युद्ध के कारण रूस को अनेकों आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, व्यापारिक संबंध

विच्छेद हुए, राजनयिक संबंध टूट गए तथा रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। युद्ध से उपजी परिस्थितियों ने वैश्विक पटल पर चीन के वर्चस्व को और भी शक्तिशाली बनाने के नवीन अवसर प्रदान किए हैं। विश्व राजनीति में युद्ध के कारण नए समीकरण पैदा हुए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, पूंजी प्रवाह, खाद्य पदार्थ तथा तकनीकी से भी प्रभावित है। दुनियाँ जहाँ एक ओर तृतीय विश्वयुद्ध की दहलीज पर खड़ी थी। दूसरी ओर वैश्विक पटल पर पुनः शीतयुद्ध, हथियारों की होड़ व वित्तीय अव्यवस्था जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।[14]

**रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में नाटो की भूमिका :** नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में 12 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रूसेल्स में स्थित है। वर्ष 1949 में संयुक्त सोवियत संघ और उसके नेतृत्व वाले वारसा संधि के देशों की संयुक्त सैन्य ताकत से मध्य यूरोप को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नाटो संगठन बना था। नाटो सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाटो, यूक्रेन को भी अपना सदस्य देश बनाना चाहता था। इन्हीं निकटताओं के कारण रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो का अस्तित्व औचित्यहीन अवस्था में चला गया था। रूस के तत्कालीन नेता मिखाइल गोर्बाचोव को भी अमेरिका प्रशासन द्वारा रूस से विघटित हुए देशों के साथ मौखिक में नाटो के विस्तार न करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन नाटो पूर्वी यूरोप में विस्तार करता रहा। वर्तमान रूस-यूक्रेन युद्ध नाटो की विस्तारवादी प्रवृत्ति का ही परिणाम है, जिसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा है।[15] रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 मई 2000 को रूस के राष्ट्रपति बने तथा निरंतर नाटो से पैदा होने वाले सामरिक खतरों पर गंभीर थे।

**रूस-यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में चीन-रूस संबंधो का मध्य एशिया व भारत पर प्रभाव :** रूस द्वारा वर्ष 2014 में क्रीमिया अधिग्रहण के समय अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में मतभेद पैदा हुए थे। इस घटना के उपरांत रूस पर अनेक प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीन, रूस के साथ खड़ा रहा। दोनों देशों में साम्यवादी वैचारिक समरूपता देखने को मिलती है। जनवरी 2022 में रूस-चीन के मध्य 'पावर ऑफ साइबेरिया-2' के लिए 30 वर्षों हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। रूस-चीन के मध्य गैस निर्यातक 'गजप्रो' के लिए वर्ष 2025-30 के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2016 के उपरांत व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 147 अमेरिकन डॉलर हो गया है। मध्य एशिया में रूस के नेतृत्व में 'यूरोपीयन इकोनामिक यूनियन' तथा चीन के नेतृत्व में 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' पर सामूहिक कार्य करने पर सहमति बनी है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी चीन की निकटता रूस के साथ बनी हुई है। चीन, रूस का समर्थन कर रहा है। यूक्रेन में नाटो की सेनाओं के हस्तक्षेप का चीन शुरू से ही विरोध करता आ रहा है।[16] वास्तव में जब पश्चिम देशों ने चीन के विरोध के स्वर उठाए थे, तब रूस ने चीन का साथ दिया था।

**दोनों देशों** में कुछ भिन्नताएँ भी देखने को मिलती हैं। चीन का हित एशिया पर केंद्रित तथा रूस का हित यूरोप पर केंद्रित है। चीन वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। रूस, चीन के कनिष्ठ भागीदार के रूप में कभी भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन ने अभी तक क्रीमिया को मान्यता नहीं दी है। वर्तमान समय में चीन भी अनेक आंतरिक तथा वाहरी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में चीन सर्वप्रथम अपने देश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए और रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। वैश्विक पटल पर चीन के अलावा रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में हस्तक्षेप का क्यूबा भी शुरू से ही विरोध कर रहा है। अजरबेजान ने भी रूस का पक्ष लिया है। अमेरिका से न्यूक्लियर डील के फेल होने के बाद ईरान भी रूस के निकट है। सीरिया युद्ध के दौरान रूस ने ईरान को हथियार भी उपलब्ध करवाए थे। पेनिनसुला में उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण के उपरांत अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो चीन ने इसका विरोध किया था। उत्तरी कोरिया भी रूस-चीन के करीब ही है।[17]

**वर्तमान समय** में चीन मध्य एशिया मे भी एक महाशक्ति बनता जा रहा है। चीन ने मध्य एशिया में आर्थिक रूप से मजबूत पकड़ बनाई है। रूस भी मध्य एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता से चिंतित है। चीन इस क्षेत्र के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित

करके उनके दोहन से असीम लाभ कमाने के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। चीन तीसरी दुनिया के देशों को हथियार बेचने की पेशकश करता है जहाँ पर पहले रूस का वर्चस्व रहता था। चीन मध्य एशियाई देशों, अफ्रीकी व पाकिस्तान जैसे देशों में हथियार की आपूर्ति कर रहा है। चीन के हथियार रूसी हथियारों से मिलते जुलते ही होते हैं। वर्ष 2018 में चीन ने कजाकिस्तान को Y-8 लड़ाकू विमान सस्ते दामों पर बेचा जो कि रूस के 9K38 की नकल माना जाता है। वर्ष 2016 में तुर्कमेनिस्तान ने चीन से खरीदे H-Q-9 मिसाइल सिस्टम को रूसी S-300 के समतुल्य बताया था। मध्य एशियाई देशों की सेंट्रल पुलिस को पिस्तौल, राइफल्स, एलिमेंट व अन्य उपकरण चीन द्वारा सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं। चीन के हथियार रूस की अपेक्षा सस्ते होने के कारण तीसरी दुनिया के देशों को आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि तीसरी दुनिया के देश भारी मात्रा में चीन से हथियारों की पूर्ति कर रहे हैं।

**रूस मध्य** एशिया में चीन के हस्तक्षेप से परेशान है। मध्य एशिया से भी रूस की मार्केट फिसलती जा रही है। रूस ने मध्य एशिया के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत के साथ मैत्रीपूर्ण साझेदारी का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत और रूस के मध्य उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण से आने वाले समय में एशियाई देशों के लिए सस्ते हथियार उपलब्ध होंगे जिससे चीन का मध्य एशिया में बढ़ता वर्चस्व शिथिल हो सकता है। भारत और रूस की इस सुनियोजित प्रक्रिया से चीन की चिंताए बढ़ गई हैं। भारत अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। भारत का समर्थन करने का रूसी इतिहास, ब्रह्मोस मिसाइल, एसॉल्ट राइफल, तकनीकी हस्तांतरण, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत की पैरवी करना वर्तमान यूक्रेन संकट से भारतीयों की सकुशल स्वदेश वापसी दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को चरितार्थ करते हैं। रूस ने वैश्विक पटल पर भारत का साथ ईमानदारी के साथ दिया है। भारत, रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि भारत वैश्विक पटल पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक देश है। युद्ध की परिस्थिति में भारत एक तटस्थ राष्ट्र की भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में भारत के राजनेताओं को रूस के साथ अपने संबंधों के निर्धारण के लिए गहरा चिंतन करना पड़ रहा है। भविष्य मे यदि चीन कोई विस्तारवादी चाल खेलता है, तो भारत, अमेरिका तथा रूस में से किसको अपने सच्चे मित्र के रुप में चुनेगा यह भारत की वर्तमान प्रवृत्ति तथा समर्थन पर निर्भर करेगा।[18]

**रुस ने** हाल ही में S-400 मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली भारत-चीन सैन्य तनाव के दौरान भी भारत को सौंप दी थी। भारत के समक्ष चीन की नीतियां वैश्विक स्तर पर भारत के वर्चस्व के मार्ग में अनेक समस्याएं पैदा कर रही हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस पर अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस का झुकाव चीन की तरफ बढ़ेगा और ऐसे में पुतिन को भी भारत और चीन के बीच में संतुलन बनाना कठिन कार्य होगा।[19] भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस से अनेक आवश्यक सामान आयात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार भारत 49 प्रतिशत हथियारों का आयात रूस से करता है। इस संस्थान की रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि दुनिया में सऊदी अरब के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियारों की खरीदारी करने वाला देश है। भारत तथा रूस के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तथा AK-203 असाल्ट राइफल खरीदने का करार भी हुआ है। भारत, रूस तथा अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

**लेकिन दूसरी** तरफ 1974 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन ने भारत का विरोध किया था। यूक्रेन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध काफी सुदृढ़ हैं। यूक्रेन ने पाकिस्तान को T800 टैंक उपलब्ध करवाए थे। इसके उत्तर में रूस ने भारत को T-90 टैंक उपलब्ध करवाने में तेजी दिखाई थी। वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने 1178-एयर टू एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की रिपेयर का कार्य भी यूक्रेन को दिया था। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने रूस से 300 T-90 टैंक खरीदने का प्रयास किया था लेकिन उसने पाकिस्तान को टैंक देने से मना कर दिया था।[20] जब पाकिस्तान रूस से हथियार नहीं खरीद पाया तो उसने यूक्रेन से हथियार खरीदे थे। सामरिक

अनिश्चितता से भरा वैश्विक पटल भारत के लिए बड़े खतरे तथा सुअवसर दोनों लेकर आया है। भारत की स्वतंत्रता के समय में भी अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बंटा हुआ था। ऐसे में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोनों देशों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। वर्तमान समय में भी यूक्रेन युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों आमने-सामने खड़े हैं। अमेरिका ने रूस से प्राकृतिक गैस व तेल के आयात पर अनेकों प्रतिबंध स्थापित किए हैं। इसके बावजूद भारत, रूस से तेल खरीद रहा है। भारत की विदेश नीति अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में हिस्सा न लेकर इस संकट के दौर में तटस्थ बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से प्राप्त होता है। भारत के विदेशी कारोबार का अधिकतर विनिमय अमेरिका, पश्चिम देशों तथा मध्यपूर्व के साथ होता है। करीब 350 से 400 बिलियन डॉलर का व्यवसाय भारत हर वर्ष पश्चिमी देशों के साथ करता है। 10 से 12 बिलियन डॉलर का व्यवसाय भारत तथा रूस के बीच है। भारत में कार्यरत यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने 24 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे मजबूत नेता बताते हुए रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कहने का आग्रह किया। भारत को भू-राजनीति के साथ-साथ सैन्य और ऊर्जा कारणों से भी रूस की जरूरत है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी महत्वपूर्ण हैं। रूस, ईरान और मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध उसकी सुरक्षा और हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनेकों अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी संचालित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में रूस तथा भारत को मध्य एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए सुदृढ़ कदम समय पर उठाने होंगे।[21]

**रूस-यूक्रेन युद्ध पर मध्य एशिया के देशों तथा भारत की प्रतिक्रिया :** मध्य एशिया के देशों ने रूस-यूक्रेन युद्ध मे तटस्थ रहने का मार्ग चुना था। मध्य एशिया के देशों पर रूस का आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव रहता है। इन देशों की भौगोलिक स्थिति, आयात-निर्यात, श्रम बाजार तथा सामरिक सुरक्षा रूस के इर्द-गिर्द घूमती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मध्य एशिया के देशों ने रूस के प्रति किसी भी तरह का अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य नहीं दिया। 2 मार्च तथा 24 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों पर मध्य एशिया के देशों ने औपचारिक रूप से मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया। लेकिन कहीं न कहीं मध्य एशिया के देशों में भी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिलता है।[22] मध्य एशिया के देशों में उज्बेकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों ने रूस-यूक्रेन युद्ध के खिलाफ विरोध करने की अनुमति दी थी। लेकिन उज्बेकिस्तान ने फिर भी मानवतावादी दृष्टिकोण दर्शाते हुए किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में सफल रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले उज्बेकिस्तान यूरेशियन इकोनामिक यूनियन में सम्मिलित होने के करीब था। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव ने सीनेट के सत्र में यूक्रेन गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन तथा लुहान्स्क और डोनेट्स्क गणराज्यों को मान्यता नहीं देने की बात कही थी। कजाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में वोट करने से परहेज किया, लेकिन कहीं पर भी रूस-यूक्रेन युद्ध में कजाकिस्तान ने रूस का समर्थन नहीं किया है। कजाकिस्तान में भी रूस द्वारा किए गए यूक्रेन पर हमले का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों के संगठन में अपने वक्तव्य में कहा था कि किर्गिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सभी मापदंडों और विशेष रूप से क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है। सभी वैश्विक मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। किर्गिस्तान में भी रूस के आर्थिक प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किर्गिस्तान में मुद्रा स्फीति तथा खाद्य कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी तटस्थता का विकल्प चुना है।[23]

**मध्य एशिया** के पांचों देश रूस यूक्रेन युद्ध के पहले से ही रूस के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों से बंधे हुए थे लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस पर लगाए गए अनेक कठोर प्रतिबंध मध्य एशिया के देशों को अपने भविष्य को तलाशने के नवीन मार्गों को खोजने की रूपरेखा अपनाने को बाध्य हुए हैं। मध्य एशिया में

कजाकिस्तान सबसे शक्तिशाली देश है लेकिन कुछ समय पहले सामाजिक अशांति के कारण राजनीतिक व्यवस्था बाधित हुई थी। राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने इस सामाजिक अशांति को खत्म करने हेतु रूसी सैनिकों से सहायता ली थी। कजाकिस्तान अपनी ऊर्जा का दो तिहाई निर्यात रूसी बंदरगाहों के माध्यम से ही करता है। कजाकिस्तान जनवरी 2022 में अशांति के बाद अब रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। मध्य एशिया से भारी संख्या में लोग मजदूरी करने हेतु रूस जाते थे।[24] युद्ध के कारण आवागमन प्रतिबंधित हो चुका है जिस कारण से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरकारें उच्च बेरोजगारी का सामना कर रही है। मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्थाएं रूस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने मध्य एशिया के देशों को अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। वर्तमान समय में भारत वैश्विक पटल पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था तथा सामरिक शक्ति वाला देश है। आज दुनियाभर के देश भारत से वैश्विक मामलों में समाधान की उम्मीद रखते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध को भारत ने मानवता के लिए एक बड़ा खतरा कहा है तथा आपसी सहमति तथा समझौते के आधार पर इस युद्ध को समाप्त करने का वक्तव्य जारी किया था। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत तथा मध्य एशिया के देशों ने तटस्थता की नीति को अपनाया है।[25]

**मध्य एशिया के देशों की रूस पर निर्भरता तथा युद्ध का प्रभाव :** वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य एशिया के करीब 2.5 मिलियन विदेशी श्रमिक प्रवासियों ने रूस में कार्य किया। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान दुनिया के सबसे अधिक प्रवासी निर्भरता वाले देशों में आते हैं। मध्य एशिया कोविड-19 महामारी के कारण अनेकों समस्याओं से जूझ ही रहा था। इसी के बीच रूस यूक्रेन ने अनेक नवीन समस्याओं को पुनः जन्म दे दिया। इसमें सबसे प्रमुख समस्या खाद्य पदार्थों की कमी तथा अनियंत्रित होती कीमते हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने 16 मार्च 2022 को अपने संबोधन में स्पष्ट किया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण हमारा देश वित्तीय तथा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए 'कठोर प्रतिबंध' के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और अशांति बड़ी है, जिसके कारण उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रा में शिथिलता तथा कृषि बीजों, कीटनाशक व उपकरणों की अनुपलब्धता के गंभीर संकट पैदा हुए हैं। 11 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजारों में रूस तथा यूक्रेन 30 प्रतिशत गेहूं तथा 20 प्रतिशत मक्का की आपूर्ति करते हैं। युद्ध के कारण खाद्य श्रृंखला पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। रूस-यूक्रेन द्वारा वैश्विक स्तर पर सूरजमुखी की तीन चौथाई तथा जौ की एक तिहाई आपूर्ति की जाती है।[26] किर्गिस्तान में सीमित कृषि क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की फसल उत्पादित नहीं हो पाती। किर्गिस्तान भी गेहूं आपूर्ति हेतु कजाकिस्तान पर निर्भर रहता है। कजाकिस्तान में भी कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के कारण गेहूं की फसल में 30 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। यह समस्या मध्य एशिया के देशों में खाद्य कीमतों को प्रभावित कर रही है।[27]

**सेंट्रल एशियन** ब्यूरो फॉर एनालिटिकल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार, ताजिकिस्तान वर्तमान समय में 27-30 सौ किलोग्राम गेहूं प्रति हेक्टर उत्पादित कर रहा है। अर्थशास्त्री खोजिमह्मद उमरोव के अनुसार ताजिकिस्तान, खनिज और जैविक उर्वरकों की पहुंच होती है तो यह अपने कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है।[28] वर्तमान परिस्थितियाँ इस तरह के किसी भी सुधार के मार्ग को प्रोत्साहित नहीं कर रही हैं। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का सबसे गरीब देश है। यहां की जनता की अधिकतर आय भोजन की व्यवस्था में ही खर्च हो जाती है। उज्बेकिस्तान का कृषि मंत्रालय भी किसानों से गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने पर निरंतर आग्रह कर रहा है। उज़्बेकिस्तान में वर्ष 2021 में गेहूं का उत्पादन 6.6 मिलियन टन हुआ था जिसे वर्ष 2022 में 7.6 मिलियन टन तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। उज़्बेकिस्तान रूसी गेहूं पर निर्भर है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने उज़्बेकिस्तान में भी खाद्य संकट को बढ़ा दिया है। तजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान मध्य एशिया का दूसरा सबसे गरीब देश है। यहां की जनता का 65 प्रतिशत भोजन जरूरी वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में ही खर्च हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने मध्य एशिया में ऊर्जा और कृषि उत्पादन में अस्तित्व संकट उत्पन्न किया है जिसके कारण भुखमरी, अनियंत्रित महंगाई तथा अनेकों दुर्गम भू राजनीतिक परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं।[29]

**रूस तथा यूक्रेन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता** संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित हैं "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना।" रूस और यूक्रेन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम, मानवीय सहायता, युद्ध के राजनीतिक समाधान के लिए जो प्रयास किए हैं वे निरर्थक सिद्ध हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध को रोकने में विफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए।[30]

**आज दुनिया** तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी प्रतीत हो रही है। युद्ध की विभीषिका कभी भी मानव जीवन के उत्थान के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 700 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम के दुष्प्रभावों को आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वर्तमान समय में रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और अन्य कई देशों के पास करीब 100 से 200 एटम बम हैं। यदि दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की तरफ जाती है, तो यह समूची मानवता के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण करीब 35 लाख लोग पोलैंड, रोमानिया और अन्य देशों की शरण ले चुके है। सोवियत संघ वर्ष 1978 से 1989 तक अफगानिस्तान युद्ध में संलिप्त रहा था जिस कारण से रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इन्हीं परिस्थितियों के कारण वर्ष 1991 में रूस का विखंडन भी हो गया था। जब कोई देश संकट काल से गुजर रहा हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति दूत के रूप में उस देश का साथ देना होता है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान संकट, वैश्विक आतंकवाद तथा कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन आज तक सही तथ्य दुनिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया हैं और यूक्रेन को रोकने मे भी संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठना मानवता के सुरक्षित भविष्य के निर्धारण के संदर्भ में भी आवश्यक है।[31]

**निष्कर्ष :** रूस-यूक्रेन युद्ध का मध्य एशिया और भारत दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन भविष्य में चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ेगा। रूस पर मध्य एशिया के देशों की सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता के कारण उनके सामने संभावित अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयां और अधिक बढ़ सकती हैं। हालांकि, यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा भी दे सकता है और रूस से परे अन्य शक्तियों के साथ नए संबंध बनाने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। भारत को भी तात्कालिक सामरिक और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूस पर निर्भरता के संदर्भ में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह युद्ध भारत को पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का भी अवसर प्रदान करता है। युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव अभी धुंधले हैं, लेकिन यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। मध्य एशिया और भारत को इस जटिल स्थिति को सावधानी से संभालते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना होगा।

## सन्दर्भ


1. गौर ड.प. 'रूस-यूक्रेन संकट और मध्य एशियाई देशों के लिए आशय', भारतीय वैश्विक परिषद, Retrieved from https://www.icwa.in/show_content.php?lang=2&level=3&ls_id=7179&lid=4853, (2022, March 10)
2. Ozili, P. K., Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine. SSRN Electronic Journal. Retrieved from file:///C:/Users/MY%20DELL/Downloads/OzilipetersonGlobaleconomicconsequenceofRussiainvas ionofUkraine%20(1).pdf (2022, May)
3. Parliament, E. Latest analyses of Russia's war on Ukraine. European Parliament Research Service, 2022.
4. Singh, A. Russia- Ukraine War: The Conflict and Its Global Impact (pp. 101–137). Pentagon Press, 2023.
5. Plokhy, S., 'The Russo-Ukrainian War: The Return of History', (pp. 7–72). W. W. Norton & Company 2023.
6. Singh, A. op. cit., pp. 101–137.
7. Pistilli, F. International Rescue Committee. Retrieved from Ukraine war: What are the impacts on the world today? : https://www.rescue.org /article/ ukraine-war-what-are-impacts-world-today, 2023, August 23.
8. Putz, A. P., Russia's Invasion of Ukraine: Geopolitical Ripples in Asia. Retrieved from The diplomatic: https://

thediplomat.com/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-geopolitical-ripples-in-asia/ 2022, March 10
9. Bigg, M. M. A history of the tensions between Ukraine and Russia. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2022/03/26/world/europe/ukraine-russia-tensions-timeline.html 2022, March 26.
10. Lauren Van Metre, V. G. The Ukraine-Russia Conflict. United States Institue of Peace - Special Report 2015.
11. Parliament, E. Russia's war on Ukrain : Background. European Parliamentary Research Service 2022, July 04.
12. MARTINS, Z. D. The Impact of the Ukraine Crisis on International Trade. Bruegel 2022.
13. Welt, C. Ukraine: Background, Conflict with Russia and USA Policy. Congressional Research Service 2021.
14. Parliament, E. Russia's war on Ukraine: Background. European Parliament Research Service 2022.
15. Pavel, F. D. NATO priorities: Initial lessons from the Russia-Ukraine war. Retrieved from Atlantic Council: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/nato-priorities-initial-lessons-from-the-russia-ukraine-war/ 2022, June 13
16. Eiterjord, T. What Does Russia's Invasion of Ukraine Mean for China in the Arctic? Retrieved from The Diplomatic : https://thediplomat.com /2022/03/what-does-russias-invasion-of-ukraine-mean-for-china-inthe-arctic/ 2022, March 25
17. Asel Doolotkeldieva, B. P. What Does Russia's Ukraine Invasion Mean for Central Asia? Retrieved from The Diplomatic:https://thediplomat.com/2022/03/whatdoes-russias-ukraine-invasion-mean-for-central-asia/ 2022, March 16
18. कार्तिकेय, च, 'यूक्रेन युद्ध का एक साल : क्या है भारत की सामरिक स्थिति', Retrieved from Deutsche Welle: https://www.dw.com/hi/indias-position-after-one-year-of-ukraine-war/a-64797936 (2023, Feburary 23)
19. Roy, S. Explained: What are India's stakes in its ties with Ukraine & Russia? Retrieved from The Indian Express: https://indianexpress.com/article/explained/explained-ukraine-russia-and-india-7748911/ 2022, February 2
20. माइकल, ऐ. ^भारत और रूस-यूक्रेन युद्ध : सैन्य निर्भरता, परंपरागत निष्ठा और रणनीतिक स्वायत्ता', Retrieved from Centre for the Advanced Study of India: https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/india-and-russia-ukraine-war-paradox-military-dependence-traditional-loyalty-and-strategic 2022, June 20
21. Kumari, K. Russia Ukraine Crisis The Main Issue Between Russia And Ukraine Conflict Begins To Nato Said S Jayashankar. Retrieved from India.com: https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/russia-ukraine-crisis-the-main-issue-between-russia-and-ukraine-conflict-begins-to-nato-said-s-jayashankar-5253521/ 2022, February 23
22. Engvall, J. Russia's War in Ukraine: Implications for Central Asia. Retrieved from The Central Asia-Caucasus Analyst:https://www.cacianalyst.org/publications analytical- articles/item/13712-russias-war- in-ukraine-implications-for-central-asia.html 2022, March 14
23. STRONSKI, P. The Common Theme in Central Asia's Response to Russia's Invasion of Ukraine. Retrieved from CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE: https:/carnegieendowment.org/2022/03/30/common-theme-in-central-asia-s-response-to-russia-s-invasion-of-ukraine-pub-86764 2022, March 30.
24. Rees, K. How Ukraine Could Remake Kazakhstan's Relationship With Russia. Retrieved from The Diplomatic :https://thediplomat.com /2022/03/how-ukraine-could-remake-kazakhstans-relationship-with-russia/ 2022, March 10
25. Library, P. . Impact of Russia-Ukraine War on Indian Economy. Parliament Library And Referecne, Research, Documentation and Information Service New Delhi, 2022.
26. Pikulicka-Wilczewska, A. Ukraine war: Is Central Asia loosening ties with Russia? Retrieved from ALJAZEERA:https://www.aljazeera.com/news/2022/3/25/ ukraine-war-is-central-asia -loosening-ties-with-russia 2022, March 25
27. Sorbello, P. As the War Continues, Ukraine Is on Kazakhstan's Mind. Retrieved from The Diplomatic :https://thediplomat.com/2022/03/as-the-war-continues-ukraine-is-on-kazakhstans-mind/ 2022, March 17
28. Adylbekova, K. Central Asian Bureau fo Analytical Reporting. Retrieved from https://cabar.asia/en/analytics-en 2022
29. Yunis Sharifli, C.-L. K. Russia's War in Ukraine and Its Impact on Central Asia. Retrieved from The Diplomatic :https://thediplomat.com/2022/10/russias-war-in-ukraine-and-its-impact-on-central-asia/ 2022, October 24
30. PRASHAD, V. How Russia-Ukraine war is leading to Central Asian nations going hungry. Retrieved from The Print:https://theprint.in/opinion/how-russia-ukraine-war-is-leading-to-central-asia-nations-goinghungry/889250/ 2022, March 26
31. झा. बी.एन., 'विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र असफल समयानुकूल सुधार लाने की जरूरत', Retrieved from जनसत्ता: https://www.jansatta.com/national/united-nations-failed-in-establishing-world-peace-need-to-bring-timely-reforms/3136129/ 2023, December 27

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# भारत के सामाजिक राजनीतिक जागरण में प्रेस का योगदान – एक अध्ययन

❑ डॉ. सीमा पाल

**सूचक शब्द :** समाचार पत्र, भारत सरकार, अंग्रेजी, प्रकाशन।

**उद्देश्य** – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक राजनीतिक जागरण में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के योगदान का अध्ययन करना है।

**शोध प्रविधि** – इस शोध पत्र हेतु विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोंतो से मदद ली गई है। विषय से संबंधित पुस्तकों, शोधपत्रों, शोध ा-प्रबंधों का अध्ययन एवं अवलोकन भी किया गया है।

प्रेस समाज में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रणालय की स्थापना वर्ष 1550 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी जिसमें 1556 ई. में 'बाइबिल' का प्रकाशन किया गया। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् 1664 में बंबई में एक छापाखाना खोला, लेकिन अब तक किसी भी प्रेस से समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन आरंभ नही हुआ था। मुद्रित समाचार पत्रों का आरंभ ब्रिटिश काल में हुआ। भारत में प्रेस का आरंभ 18वीं सदी के अंत में 1780 ई. में जेम्स ''आगस्टस हिक्की'' द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित 'बंगाल गजट' के रूप में हुआ। हिक्की एक निर्भीक पत्रकार थे। ब्रिटिश लेखकों ने उन्हें न केवल भारतीय प्रेस का अगुआ माना है बल्कि उन्हें भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महान हस्ती निरूपित किया है। वास्तव में हिक्की के समाचार पत्र के बाद एक दशक के अंदर ही मद्रास करियर (1785), मद्रास हरकारू (1791), बंगाल जर्नल (1785) आदि समाचार पत्र प्रकाशित हुए। देशी (प्रांतीय) भाषाओं में समाचार पत्रों का आरंभ राजा राममोहन राय की बंगला पत्रकारिता से हुआ। 1821 में ''ब्रम्हानिकल मैग्जीन'' का और बाद में ''मीरा तुल अखबार'' का फारसी भाषा में प्रकाशन किया गया। ''उदण्त मार्तण्ड'' – 1826 में देश के पहले हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में आरंभ हुआ, हिंदुस्तानियों के हित के लिए उन्हें परावलंबन से मुक्ति दिला कर स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करने के निमित्त ही इस पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह पत्र दिसंबर, 1827 ई. को बंद कर दिया गया।

**साहित्य समीक्षा**

**संतोष कुमार गुप्ता[1]** ने 'आधुनिक भारत' नामक पुस्तक में ''भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास'' नामक लेख में – ब्रिटिश काल में छपने वाले समाचार पत्र, उन पर लगने वाले प्रतिबंधकारी नियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रांतीय समाचार पत्रों की बदले की नीति आदि का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने 1857 से पूर्व और बाद के भारतीय समाचार पत्रों एवं उनसे संबंधित सरकारी दमनकारी कानूनों के साथ-साथ यह भी बताया कि 1862 ई. में अंग्रेजों द्वारा 'टाइम्स आफ इंडिया,' 1878 ई. में 'स्टेट्समैन' का प्रकाशन किया गया। 'मद्रास मेल', यूरोपीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित और पायनियर तथा 'स्टेट्समैन' सरकार नियंत्रित पत्र थे। 1867 ई. के पंजीकरण अधिनियम के द्वारा सरकार ने एक लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत समाचार पत्रों के निष्कासन को वैध मानते हुए उन्हें नियमित प्रकाशन की आज्ञा प्रदान की। समाचार पत्रों में एक जगह स्पष्ट रूप से अपने मुद्रण स्थान तथा प्रकाशक का नाम छापें तथा यदि प्रेस, कोई पुस्तक प्रकाशित करती है,तो प्रकाशन के एक माह के अंदर उसकी एक प्रति सरकार को अवश्य देनी होगी। अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 में 124-ऐ जोड़कर राजद्रोहियों को आजीवन कारावास या बड़े जुर्माने का दंड दिया जाने लगा। 1878, 1908, 1909 ई. के समाचार पत्र अधिनियमों के अतिरिक्त 1918 ई. से 1931 ई. के मध्य सरकारी नीति की विवेचना की है जिसमें 1921 ई. के समाचार पत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में बनी प्रेस कमेटी का उल्लेख है जिसने 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों को समाप्त करने का सुझाव दिया। 1923 में शिव प्रसाद गुप्त ने हिंदी पत्र 'आज 'तथा के. एम.पणिक्कर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र का प्रकाशन आरंभ किया।

**विद्याधर महाजन[2]** ने आधुनिक भारत का इतिहास (1707

❑ अतिथि शिक्षक इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

से आज तक) नामक पुस्तक में ''भारत में समाचार पत्रों का इतिहास'' में वारेन हेस्टिंग्ज से लेकर 1952 के प्रेस आयोग का उल्लेख किया है। महाजन ने वारेन हेस्टिंग्स और हिक्की, कार्नवालिस एवं डुएन ,लार्ड हेस्टिंग्स कालीन प्रेस नीति के अलावा थॉमस मुनरो की भारतीय समाचार पत्रों के विषय में सिफारिशों का विस्तार से वर्णन किया है। 1823 ई. के नियम और उन नियमों को 1835 में चार्ल्स मैटकोफ ने रद्द किया, जिसके कारण उसे "भारतीय समाचार पत्रों का मुक्ति प्रदाता" कहा जाता है । महाजन ने 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट, 1867 का एक्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और उसका प्रभाव एवं उसका विरोध कैसे हुआ, इसके विषय में लिखा है। 1908 ई. के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के अनुसार युगांतर, संध्या तथा वंदे मातरम ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया। उन्होंने 1932 ई. के विदेश संबंध अधिनियम का उल्लेख किया है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रकाशनों को दंडित करना था जो ब्रिटिश सरकार तथा मित्र विदेशी राष्ट्रों के अच्छे संबंधों में हस्तक्षेप उत्पन्न करें। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1948 ई को स्वतंत्रता के बाद की गई। 1951 ई. में 'समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री अधिनियम' आया। स्वतंत्र भारत में 1952 ई. में प्रेस आयोग बनाया गया, जिसका लक्ष्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना था।

**कंचन वर्मा**[3] ने अपने शोध पत्र में 19वीं 20वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना के उत्कर्ष में पत्र पत्रिकाओं के योगदान का उल्लेख किया। कंचन ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पत्रकारिता साहित्यिक होने के साथ-साथ राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रामक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण थी। यह पत्रकार मूल रूप से साहित्यकार थे, इनका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में आत्मविश्वास की वृद्धि करके प्राचीन भारत के इतिहास का गौरव गान करना था। साथ ही साथ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेखों के माध्यम से जनता की सुषुप्त भावनाओं को दिशा प्रदान करना साथ ही, जनमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति करने वाले यह सबसे बड़े माध्यम थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के विचारों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत भी करते थे। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्र 'भारत मित्र' के संपादक बालमुकुंद शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन को 17वीं सदी के अत्याचारी बंगाल के सूबेदार को शाइस्ता खान की पदवी दे डाली। इसी प्रकार रामविलास शर्मा[4] ने कविता संग्रह 'सदियों के सोए जाग उठे' माध्यम से बंगाल विभाजन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है-

'आज एशिया के जागे हैं प्राण ,<br>
इंकलाब का घूम गया फरमान,<br>
जागो सदियों से सोए फिर आज,<br>
करें डाकिए भी हड़ताल।

**रूपम कुमारी**[5] ने अपने शोध पत्र में हिंदी पत्रकारिता ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सहयोग दिया, वह स्पष्ट किया है। वह लिखती हैं अवधेश कुमार के अनुसार भारत में सन 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना की और सबसे पहले सन 1557 मे 'ट्राक त्रिनीक्रिटामो' नामक पुस्तक प्रकाशित की। लेकिन भारत में पत्रकारिता विकसित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। उन्होंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के आधार पर हिंदी पत्रकारिता के विकास की व्याख्या की है 1873 ई से 1900 ई का युग भारतेंदु युग का था जिसका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की 'हरिश्चंद्र मैगजीन' थी तो दूसरे छोर पर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त 'सरस्वती पत्रिका'। इन वर्षो में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300-350 के ऊपर है जिनमें अधिकतर, लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने, देश के लिए मर मिटने,स्वाधीनता के लिए तैयारी करने की थी। गांधी जी ने 1920 के बाद से पत्रकारिता को प्रभावित किया। उनसे प्रभावित होकर स्वराज्य की मांग को मुखर स्वर देने हेतु जबलपुर से 'कर्मवीर', आगरा से 'सुधाकर' और देश के अन्य भागों से प्रकाशित हुए नवभारत टाइम्स, विश्व भारती, साहित्य संदेश, प्रतीक, सैनिक, हंस आदि प्रमुख थे। इस काल की सभी पत्र पत्रिकाएं चाहे वह साहित्यिक हों, धार्मिक हों, या राजनीतिक हों - सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया।

**विषय प्रवेश** : वर्तमान समय में विश्व के एक कोने में घटित होने वाली घटना का समाचार कुछ ही मिनटों में सर्वत्र फैल जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, तो एक समय था, जब सूचना प्रसारण का मुख्य दायित्व समाचार पत्रों का ही माना जाता था। वह युग मुख्यतः ''पत्रकारिता का युग'' था। अपने लंबे इतिहास में पत्रकारिता को अनेक भौतिक तथा वैचारिक परिस्थितियों

से गुजरना पड़ा है। वस्तुतः अलग-अलग समाजों की अलग-अलग आवश्यकताओं ने वहाँ पत्रकारिता की विद्या को जन्म दिया। कालांतर में प्रेस ने समाज और परिस्थितियों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया।[6] रूपम कुमारी ने अपने शोध पत्र में लिखा भी है कि पत्रकारिता, जनसंचार का सशक्त माध्यम है जो समाज को जागृत करके उसमें उत्साह और चेतना का निर्माण करती है। इससे लोग जीवन की विविधताओं और रोज घटने वाली घटनाओं से परिचित होते हैं।[7] वस्तुतः 19वीं सदी सामाजिक-धार्मिक एवं राजनीतिक पुनर्जागरण की सदी रही है और इसकी आधारशिला रखी - भारतीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने, जिसका वास्तविक आरंभ व विस्तार 19वीं सदी में ही हुआ।

**29 जनवरी** सन् 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 'बंगाल गजट', कलकत्ता से आरंभ तो कर दिया था लेकिन वारेन हेस्टिंग्ज और उसकी पत्नी की नीतियों की कटु आलोचना के कारण हेस्टिंग्ज ने हिक्की को कैद कर लिया और उसके पत्र को बंद कर दिया। कुछ अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र जैसे डुएन का इंडियन वर्ल्ड, मेकेनली का 'दि टेलीग्राफ' एवं 'कलकत्ता गजट' भी क्रमशः गवर्नर जनरल कार्नवालिस और सर जॉन शोर की आलोचना के कारण ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन बने।[8] उनके साथ-साथ कलकत्ता गजट, बंगाल किर कास और कलकत्ता जनरल के संपादकों को भी देश से निष्कासन का दण्ड भुगतना पड़ा।

**संतोष कुमार गुप्ता[9]** ने लिखा है कि भारत में अंग्रेज अधिकारी यही चाहते थे कि यहाँ किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन न हो, क्योंकि ऐसा होने पर कंपनी के काले कारनामों, दुराचारों एवं शोषण की खबरें इंग्लैण्ड भी पहुँच जाएँगी और भारतीय जन मानस भी अंग्रेजी नीति तथा राज्य के विरूद्ध हो जाएगा जो संभवतः विद्रोह कर देगा। अतः इन्होंने सदैव प्रेस के विरूद्ध दमनात्मक कार्यवाहियाँ कीं। 1776 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त एक कर्मचारी ''विलियम वोल्टास'' ने नौकरी से निकाले जाने पर कंपनी के विरूद्ध समाचार पत्र निकालने की धमकी दी, परंतु उसे तुरंत इंग्लैण्ड भेज दिया गया।

**प्रारंभिक सेंसर एक्ट (1799 ई.)**- सन् 1799 में फ्रांसीसी आक्रमण के डर से समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तत्कालिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने समाचार पत्रों पर प्रारंभिक सेंसर कानून लागू किया, जिसमें निम्न प्रमुख धाराएं थीं-

1. प्रत्येक समाचार पत्र, अब अपने मालिक, संपादक तथा मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों में अंकित करेंगे।
2. समाचार पत्रों के प्रकाशन से पूर्व एक प्रतिलिपि सेंसर हेतु सरकार के सचिव को दी जाएगी।
3. 1807 ई. में इस नियम के अंतर्गत पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा पोस्टरों को भी सम्मिलित कर दिया गया।

**1799 ई. से 1885 तक समाचार पत्रों का विकास-**

**सन् 1816** में सर्वप्रथम, भारतीय व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा सन् 1818 में मार्शमैन ने स्थानीय भाषा बंगाली में प्रथम समाचार पत्र दिग्दर्शन का प्रकाशन किया।[10] इस तरह भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागृत होने लगे थे और अपने नवीन जागृत विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का सशक्त माध्यम के रूप में चुना।

**सुकमाल जैन** लिखते हैं कि देशी भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रारंभ राजा राम मोहन राय की बंगला पत्रकारिता से हुआ।[11] उन्होने 1821 ई. ''ब्रम्हानिकल मैगजीन(अंग्रेजी),'' ''संवाद कौमुदी (बंगाली)'', ''मीरा तुल अखबार'' (फारसी) का प्रकाशन किया।[12] भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र ''उदण्त मार्तण्ड'' 1826 में प्रारंभ हुआ।[13]

**विद्याधर महाजन** ने लिखा है कि 1818 ई. मे जे. एस. बकिंघम ने 'कलकत्ता जनरल' का प्रकाशन किया।[14] अपने इस पत्र में जब उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायध ीश, मद्रास के गवर्नर व कलकत्ता के मुख्य विशप की आलोचना की, तो डुएन व हिक्की के समान उसे देश से निकाल दिया गया। राजा राममोहन राय ने ''संवाद कौमुदी'' के प्रकाशन द्वारा पहली बार राष्ट्रीय प्रवृत्ति तथा प्रगतिशील विचारधारा का लोकार्पण किया और दूसरों को प्रेरणा देने की कोशिश की, अपनी पत्र पत्रिकाओं को उन्होने जनता के वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बना दिया। इन पत्रों ने समाज में व्याप्त विकृतियों को समाप्त करने की दिशा में लोगों को जागृत किया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक रूढ़िवादी भारतीय भवानी चरण वंधोपाध्याय ने 1822 में ''समाचार चंद्रिका'' का प्रकाशन कर सामाजिक सुधारवादी सोच का विरोध किया जो उनकी

रूढ़िवादी मानसिकता का परिचाचक था।

**यद्यपि 1823** ई. में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने समाचार पत्रों हेतु लाइसेंसिग अधिनियम पारित किया जिसका विरोध भारतीयों ने किया क्योंकि ये भारतीय समाचार पत्रों पर लागू नियम था, जिनके मालिक भारतीय हों, या समाचार पत्र भारतीय भाषा के हों। परंतु जब लॉर्ड विलयम बैंटिक के समय प्रेस प्रतिबंधों को ढीला किया गया। तब राजा राम मोहन राय ने 1829 में ''बंगाल हेराल्ड'' की स्थापना की। इसी समय 'बंगदूत' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन बंगला और हिंदी भाषा में नीलरतन हालदार द्वारा किया गया। इस तरह बंगदूत के माध्यम से हिंदी को पत्रकारिता में प्रवेश मिला और करीब डेढ़ शताब्दी बाद मध्यप्रदेश में द्विभाषीय पत्रों द्वारा हिंदी पत्रकारिता का सूत्रपात हुआ।[15] म.प्र. का प्रथम समाचार पत्र ''ग्वालियर गजट'' (1853 ई.) तथा जयाजी प्रताप (1905 ई.) ग्वालियर से ही निकले पत्र थे। मध्य भारत राज्य की स्थापना के समय जयाजी प्रताप ने स्वयं को 'मध्य भारत संदेश' में विलय कर लिया। सन् 1861 में इंदौर से 'पूर्व चंद्रोदय' सन् 1869 में खंडवा से 'सुबोध सिंधु' 1882 ई. में इंदौर से त्रिभाषी 'रेल्वे समाचार' आदि पत्र निकले। इस काल की पत्रकारिता 'राजनीति निरपेक्ष' थी। प्रेस अधिनियम तथा रियासतों के शासकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर रखा था जिससे अपेक्षित निर्भीकता उभरकर सामने न आ सकी। यद्यपि इस समय कुछ भारतीय समाज सुधारक भी सक्रिय थे जिन्होंने भारतीय प्रेस को जीवित रखा था, उनमें से प्रमुख थे, 1859 ई. में बंगला में प्रकाशित, ''सोमप्रकाश'' के संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होने उस ''हिंदू पैट्रियाट'' का संपादन भी अपने हाथ में ले लिया, जो पहले क्रिस्टोदास पाल का था जिन्हे ''भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार'' कहा जाता है।

**1878 ई. में** लॉर्ड लिटन ने जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अनुबंध पत्र भरने के लिए बाध्य किया, जमानत राशि जमा करने की शर्त रखी, प्रकाशन से पूर्व प्रकाशन सामग्री की जाँच या फिर सरकार के विरूद्ध प्रकाशन पर रोक आदि प्रतिबंध लगाए तो अनेक देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले भारतीय समाचार पत्र, अब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगे, क्योंकि अब अंग्रेजी में प्रकाशित होने पर वे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की सीमाओं से दूर हो गए। इसमें अमृत बाजार पत्रिका हिंदू, इंडियन् हेराल्ड, केसरी, इंद्र प्रकाश, दीनबंधु- सभी अब अंग्रजी के समाचार पत्र बन गए थे और अत्यंत सावधानी व बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश भाषा में ब्रिटिश शासन की आलोचना करते रहे।

**सन् 1885 में** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को संभव बनाने में भारतीय प्रेस, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही।

**19वीं सदी** के अंतिम वर्षो में भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव ने एक नए नये युग की नींव रख दी थी। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को संभव बनाने में भारतीय प्रेस, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही जिसने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के शोषण एवं दमन से भारतीयों को परिचित कराया, उसका आभास कराया, उनको जागृत किया और उसका विरोध करने का भाव विकसित किया।[16]

**कंचन वर्मा** ने अपने शोध पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लॉर्ड कर्जन की बंग भंग योजना (1905) के साथ ही अंग्रेजों के विरूद्ध भारतीयों के असंतोष की भावना में भारी वृद्धि हुई। संपूर्ण देश में स्वराज्य, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हुए, वहीं दूसरी ओर विदेशी वस्तुओं उपाधियों, संस्थाओं का बहिष्कार किया जाने लगा।[17] समाज और देश की इन गतिविधियों का प्रभाव भारतीय पत्रकारिता पर पड़ना स्वाभाविक था क्योंकि संचार माध्यम (समाचार पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो) समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। भारतीय प्रेस का मूल लक्ष्य हमेशा ही जागृति लाना एवं जनता तक विचारों का सही संप्रेषण करना रहा है।

**राष्ट्रपिता** महात्मा गाँधी[18] ने कहा भी है - समाचार पत्र का पहला लक्ष्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। समाचार पत्र का दूसरा लक्ष्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है तथा तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों का निर्भयता के साथ प्रकटीकरण है। भारतीय प्रेस ने सदैव अपने आचरण के अनुकूल ही व्यवहार किया।

**20वीं सदी के** आरंभ में भी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय जागरण के स्पंदन को न केवल स्वर प्रदान किए बल्कि उसे उचित दिशा एवं गति प्रदान करने का सफल प्रयास किया। बदलती राजनीतिक-आर्थिक सामाजिक क्रांतिकारी गतिविधि

ायों ने पत्रकारिता और समाचार पत्रों की महत्ता को अत्यधिक बढ़ा दिया। ऐसे में पुराने समाचार पत्रों के साथ-साथ अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस समय की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती, प्रभा नवनीत, हिंदी प्रदीप, प्रताप, भारत मित्र, चौका मर्यादा, आनंद कादंबनी आदि का नाम लिया जा सकता है। ऐनीबेसेंट का नीव इंडिया एवं कॉमन विल और बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी भी उग्र राष्ट्रीयता का विकास करने में पीछे नही थे। इनमें अनेक विषयों से संबंधित संपादकीय लेख लिखे जाते थे जिनका, उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना होता था। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सभी पत्र पात्रिकाओं में ब्रिटिश शासनांतर्गत भारतीयों की दयनीय सामाजिक स्थिति, व्यापार-वाणिज्य का नाश, अकाल-महामारी के प्रति अंग्रेजों की उदासीनता, भारतीय धन की लूट खसोट की चर्चा - सभी विषयों पर लेख, टिप्पणियाँ, कहानियाँ, चर्चाएँ कविताएँ लिखी जाती थीं।

**कंचन वर्मा** ने लिखा है कि बंगाल विभाजन जैसे आंदोलन को विषय वस्तु बनाकर कई कविताएँ प्रकाशित की गयी-

''किसने बंगभूमि को दो टुकड़े करके दिखलाया,
किसने बेरहमी से भाई-भाई को बिछड़ाया?''[19]

**कृष्णकुमार मित्र** ने 'संजीवनी' नामक अपने साप्ताहिक पत्र के 13 जुलाई 1905 ई. के अंक में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव दिया। 'राष्ट्रीय शिक्षा' के महत्व पर सतीश चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र 'डॉन' में लिखा। 'सरस्वती' और 'इंदु' नामक पत्रिकाओं ने भारत के प्राचीन गौरवमयी अतीत को स्पष्ट करते हुए प्रतीकात्मक रूप में यह समझाने का प्रयास किया कि आज की तुलना में प्राचीन कालीन राज्यों की शासन व्यवस्था जनकल्याणकारी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका 'सरस्वती' के माध्यम से समकालीन लेखकों को प्रेरित किया और उन्हें अनुभव कराया कि हमारा अतीत गौरवमयी रहा है। हिंदी भाषा के प्रथम राजनीतिक पत्र 'हिंदी प्रदीप' में भारत की स्वतंत्रता पर बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' ने लिखा-'' ओ स्वतंत्रता! तुम भारत को छोड़कर कहाँ भाग गई और उसे अकेला छोड़ दिया। भगवान की बेटी, विश्व की प्रेमिका और गुणों की पुंज तुम कहाँ चली गई? भारतवासी इस हानि पर बुरी तरह सुबक रहें है।[20]

**अगर भारतीय** क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो वह भी बम और बंदूक से शुरू नहीं हुआ बल्कि समाचार पत्रों की प्रेरणा स्वरूप आरंभ हुआ जिसमें तीन प्रमुख समाचार पत्र - युगांतर (1886, कलकत्ता, विपिनचंद्र पाल), संध्या (1906, बंगाल, बारींद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त), वंदेमातरम् (1906, कलकत्ता, अरविंद घोष व विपिनचंद्र पाल) थे। आत्मशक्ति, सारथी तथा विजौली नामक बंगाली पत्रिकाएँ एवं पत्र गुप्त रूप से प्रकाशित होते थे क्योंकि इन पर ब्रिटिश सरकार का कड़ा प्रतिबंध था। इनमें से कुछ का तो देश के बाहर मुद्रण होता था, बाहर से छपकर फिर वे देश में गुप्त रूप से भेजे जाते थे - ''गदर'' (1913, उर्दू, अंग्रेजी, लाला हरदयाल) इसी प्रकार का पत्र था। इस पर अंग्रेज सरकार का कठोर प्रतिबंध था। 1914 में लाला हरदयाल[21] ने 'गदर' के संपादकीय में लिखा - ''क्रांति के साथियों तैयार हो जाओ, देश और विदेश में प्रचार कर अपने संगठन को मजबूत करो। मुट्ठी भर अंग्रेज जोर जबरदस्ती से हमें कुचल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान, स्त्री तथा पुरूषों को इसका उत्तर देना चाहिए।''

**तत्कालिक** पत्र-पत्रिकाओं में देश की आर्थिक दुर्दशा पर भी अनेक समाचार, लेख तथा कविताएं प्रकाशित होते रहते थे। इन लेखों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की दुर्दशा, सरकार के लगान, सरकारी खर्च अकाल, कर्जे तथा स्वदेशी उद्योग धन्धे की स्थिति पर भी लेख लिखे गये थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय में इंग्लैण्ड की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी। सरकार अपने खर्चे पर दबाव बना रही थी। भारत में भी इसी प्रकार की आवश्यकता अनुभव की गयी। अतः कई पत्र-पत्रिकाओं में अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीति के दोहरे मापदण्डों का खुलासा करते हुए उनके अपव्यय को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। भरतीय उद्योगों के विनाश, धन निष्कासन जैसे गम्भीर मुद्दों पर भी संपादकों ने अपने विचार व्यक्त किये। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय राजनीतिक सुधार देने के स्थान पर रॉलेट एक्ट तथा जलियावाला बाग हत्याकांड उपहार में दिया तथा प्रेस पर शिकंजा कस दिया। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने जलियावाला बाग हत्याकांड को समाचार पत्रों में प्रकाशित न किये जाने पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि-

हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी कर दें तो, चर्चा नहीं होती।[22]

**सन् 1928 में** चाँद (हिंदी, इलाहाबाद) पत्रिका में काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप फाँसी विशेषांक प्रकाशित

किया गया था।

**राष्ट्रीय** आंदोलन की कमान जब महात्मा गांधी ने संभाली, तब जनमत को संगठित करने के लिए उन्होंने यंग इंडिया नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का प्रकाशन किया।

**ए.जी. हैलीमैन[23]** के सम्पादन में बाम्बे क्रॉनिकल ने जलियावाला बाग हत्याकांड का विशद वर्णन किया। इसके सम्पादन होर्नीमैन तथा संवाददाता गोवर्धन दास को गिरफ्तार कर लंदन भेज दिया गया। खिलाफत आन्दोलन के नेता मौलाना मुहम्मद अली के अपने अंग्रेजी पत्र कामरेड तथा उर्दू पत्र हमदर्द में खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने की माँग की तथा समय की गंभीरता को समझते हुए हिन्दु-मुस्लिम एकता का प्रचार किया।

**हिन्दी पत्र** स्वराज्य के 18 जुलाई 1921 के अंक में कौमी गजल प्रस्तुत की गयी, जिसमें भारतीय महिलाओं के गहने आभूषण त्यागकर स्वदेशी वस्त्र अपनाने के लिए प्रेरित किया गया -

निहायत बेहया है अब भी जो जेवर पहिनते हैं।
जिन्हें है मुल्क का कुछ दर्द, वो खद्दर पहिनते हैं।।

**स्वदेशी आन्दोलन** के प्रचार-प्रसार से सम्पूर्ण देश में जागरूकता फैली जिसके फलस्वरूप लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। इससे स्वदेशी उद्योग धन्धों को विकसित होने का अवसर मिला। सरस्वती पत्रिका में स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए लिखा है-

हे भामिनियों कुलकामिनियों,
ये चूड़ियाँ हैं परदेशियों की।
कलंक भरी पहनों इन्हें जो
छोड़ो जरा तो मन में लजाओं।[24]

**इस प्रकार** की कविताओं के माध्यम से सम्पादक जनता को स्वदेश प्रेम के लिए उत्तेजित करते थे। ऐसे पत्रों का जीवन अल्पकालिक था क्योंकि सरकार के विरूद्ध लेख प्रकाशित होने के कारण इन पर तुरन्त रोक लगा दी जाती थी।

**इस प्रकार,** गाँधी जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं की सहायता समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने ही की थी। सन् 1940 से सन् 1947 के बीच कई श्रेष्ठ राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ जिन्होंने स्वाधीनता के राष्ट्रीय संघर्ष को व्यापक बनाने एवं अंग्रेजों की साम्राज्यवादी तथा शोषणनीति का पर्दाफाश करने में प्रमुख भूमिका निभाई। जब देश 1947 ई. को आजाद हुआ, तब लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। यह अवस्था ऐसी थी जिसमें समाचार पत्र वास्तव में उद्योग के रूप में विकसित हुए।[25]

**वस्तुतः** समाचार पत्रों के संपादक या तो किसी आंदोलन के नेता होते थे या फिर स्वाधीनता आंदोलन कार्यकर्ता अपने विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एवं देश में सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक जागृति लाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ कर देते थे। अगर 19वीं एवं 20वीं सदी के उपर्युक्त समाचार पत्र न होते, तो राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का क्या स्वरूप होता, यह कहना कठिन है।[26]

**इसी प्रकार** कर्मयोगी भी उग्र राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाला पत्र था। इसमें भी क्रांतिकारी चेतना को प्रकाशित करने वाले लेख छपते थे। जैसे- ''ओ! राष्ट्रवादियो! कायरों से कोई आशा न करो। साथियों का शिकार करने गीदड़ कभी-कभी शेरों का साथ नहीं दे सकते। यद्यपि शेरों की अपेक्षा शिकार करने पर मांस अधिक खा सकते है। ओ! वीरों अपने पैरों पर खड़े हो कर अपने कर्तव्यों का पालन करो।''[27] इस समय के पत्रकारों, लेखकों ने जन सामान्य को प्रोत्साहित तो किया ही साथ ही स्वराज्य प्राप्ति के साधनों पर भी बल दिया। उन्होने देश की समस्त जनता से अपने- अपने स्वार्थ त्यागकर कर्मशीलता तथा दृढ़निश्चयता की भावना को उत्तेजित किया। बम्बई से प्रकाशित होने वाला मराठी साप्ताहिक पत्र ''क्रान्ति'' देश के किसानों तथा मजदूरों के अधिकारों का पक्षधर था। पंजाब की मजदूर तथा किसान पार्टी ने उर्दू में ''मेहनतकस'' पत्र का प्रकाशन किया। साइमन कमीशन की कूटनीतिक चालों को कुचलने को नकारते हुए कांग्रेस ने 1929 ब्रिटिश शासन के विरूद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1929 में अपने पत्र नवजीवन में लिखा कि स्वराज्य प्राप्ति हेतु सविनय भंग कैसी भयंकर चीज है। लेकिन जो आदमी भूखा हो, वह क्या करे? आजादी के तड़पते हुए मनुष्य के लिए आजादी के पीछे पागल बने हुए व्यक्ति के लिए अनेक जोखिमों को अपने सिर लेने के सिवाय कोई रास्ता ही नही है।

**कांग्रेस के** 1929 के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू द्वारा कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया जाना था। इस घोषणा से ऐतिहासिक अधिवेशन से पूर्व कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र- प्रताप के 1929 के अंक में हरिदत्त की

कविता प्रकाशित हुई-

भारत का गुल खिलायेगा लाहौर अधिवेशन,
परतन्त्रता मिटायेगी, लाहौर कांग्रेस।
खुशकिस्मती कि सद्र हुए मोती से जवाहर,
सर ताज अब रखएगी, लाहौर कांग्रेस।।[28]

**इस प्रकार** नमक सत्याग्रह पर 12 मार्च 1930 को जो यात्रा प्रारम्भ हुई उसके बारे में कई सम्पादकीय लेख लिखे गये। बाबूराव विष्णु पराड़कर के सम्पादन में बनारस से प्रकाशित-आज ने इस यात्रा के स्वागत में लिखा ''रणभेरी बज चुकी है। सेनापति ने आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया है। गत 12 मार्च के दिन सेनापति महात्मा गाँधी साम्राज्यवाद के किले को तोड़ने के लिए अपने 78 साथियों के साथ चल पड़े हैं। न केवल इस देश के वरन सम्पूर्ण संसार के करोड़ों मनुष्यों की आँखें इस वक्त हमारे उस अनोखे सेनापति की तरफ लगी हुई हैं। सेना का यह मार्ग भ्रमण सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए है।''[29]

**निष्कर्ष :** वास्तव में देखा जाए तो भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक पुनर्जागरण में भारतीय प्रेस (समाचार पत्र व पत्रिकाओं) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने भारतीयों को उनके प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित कराया, उन्होने यह भी बताया कि अन्य देशों के लोगों ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, विदेशी सरकार की हर कठिनाई की समीक्षात्मक रिपोर्ट तथा उस पर आगे किस प्रकार की प्रतिक्रिया की जाये?, अपने समाज, धर्म में आई कमियों बुराइयों को कैसे दूर करें? यह शिक्षा भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को मिली और अंत में परिणाम यह हुआ कि भारतीय प्रेस ही भारत में संगठित राष्ट्रवाद के विकास में सफल हो सकी जिसकी शक्ति से हमने पराधीनता की जंजीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली।

## सन्दर्भ


1. गुप्ता, संतोष कुमार, 'आधुनिक भारत', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2007, पृ. 222-238
2. महाजन विद्याधर, 'आधुनिक भारत का इतिहास (1707 से आज तक)', एस. चांद एंड कंपनी लिमिटेड, 1994, पृ. 628-644
3. वर्मा, कंचन, 'राष्ट्रीय चेतना के उत्कर्ष में पत्र-पत्रिकाओं का योगदानः एक अध्ययन', अक्षरा मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च जर्नल, स्पेशल वाल्यूम -08, वाल्यूम IV, अप्रैल 2023, E-ISSN 2582-5429, पृष्ठ 106-110
4. शर्मा, रामविलास, 'सदियों से सोए जाग उठे', वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1988, पृ. 131-132
5. कुमारी रूपम, हिंदी पत्रकारिता और राष्ट्रवाद, IJH 2020, 2(1): 53-55, EISSN 2706-9117
6. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, 'पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य' साहित्य संगम प्रकाशन, इलाहाबाद, 1972, प्रथम संस्करण, पृ. 03
7. कुमारी, रूपम, पूर्वोक्त, पृ. 53
8. त्यागी, महावीर सिंह, 'आधुनिक भारतीय संस्कृति का इतिहास', राजीव प्रकाशन, मेरठ, 1997, प्रथम संस्करण, पृ. 271
9. गुप्ता, संतोष कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 222
10. वही, पृ.223
11. त्रिपाठी, ऊषा कुमारी, 'स्वाधीनता आंदोलन में छ.ग. के समाचार पत्रों का योगदान', अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) 1992, पृ. 46
12. आदर्श, ब्रजभूषण सिंह, 'म.प्र. के समाचार पत्र और पत्रकार' अप्रकाशित, शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) 1984, पृ. 9-10
13. जैन, सुकमाल, 'भारतीय समाचार पत्रों का संगठन एवं प्रबंध', म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण (1972), पृ.18
14. महाजन, विद्याधर, पूर्वोक्त, पृ.630
15. त्रिपाठी, ऊषा कुमारी, पूर्वोक्त, पृ.47
16. शर्मा, श्रीपाल, 'हिंदी पत्रकारिता', राष्ट्रीय नव उद्बोधन प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1978, पृ.119
17. वर्मा, कंचन, पूर्वोक्त, पृ. 106
18. वही, पृ. 106
19. उद्धृत, वर्मा, कंचन, पूर्वोक्त, पृ. 107
20. उद्धृत, वर्मा, कंचन, पूर्वोक्त, पृ. 109
21. वही, पृ. 109
22. मित्तल, ए.के., 'भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास', साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2007, पृ. 270
23. पांडे, एस.के., आधुनिक भारत, प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन, 2019, 201 पृ. 190
24. शर्मा, वैद्यनाथ सिंह, 'भारत का वाणिज्य', सरस्वती, कानपुर, जनवरी 1909, भाग- 10
25. जैन, सुकमाल, पूर्वोक्त, पृ. 27
26. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ. 133
27. ब्रह्मानंद, 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता', वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1986, पृ. 200
28. उद्धृत, वर्मा, कंचन पूर्वोक्त, पृ. 109
29. वही, पृ. 109

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# महिलाओं की सामाजिक एवं वित्तीय उन्नति में मनरेगा का योगदान

❑ सुश्री नेहा गुप्ता
❖ डॉ. रतन लाल

**सूचक शब्द :** मनरेगा, सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, सशक्त, महिला और ग्रामीण विकास।

प्रस्तुत अध्ययन मनरेगा के उद्देश्यों और महिलाओं की भागीदारी, रोजगार, सशक्तिकरण और सामाजिक परिणामों से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। मनरेगा ने महिलाओं के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं की घरेलू आय में वृद्धि, वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि और गरीबी में कमी अनुभव की गयी है। मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर सामाजिक पहचान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है। शोध पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों, पुस्तकों, लेखों, वार्षिक रिपोर्टों, मनरेगा वेबसाइट और समिति रिपोर्टों से माध्यमिक आंकडों का उपयोग करते हुए एक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में पिछले वर्षों की तुलना में 2.24 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है, जिसमें आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट 3.5 प्रतिशत देखी गई है। हालाँकि, गरीब और अमीर जनसंख्या वाले राज्यों में महिलाओं की भागीदारी कम है, केवल 13.4 प्रतिशत आयु की महिलाओं को उनके काम के लिए पैसा मिलता है। मनरेगा ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच में सुधार किया है। यह अध्ययन भविष्य के अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रभाव और संभावित क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रश्नों को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

**भारत की** कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 48 प्रतिशत है, लेकिन देश के श्रम बल में महिलाओं का योगदान जनसंख्या के सापेक्ष बहुत कम है। वर्ष 2017 में जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 27 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला कामगारों की संख्या 14 करोड़ 98 लाख के लगभग है। इसमें से 12 करोड़ 18 लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं और लगभग 2 करोड़ 80 लाख के लगभग महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली 12 करोड़ 18 लाख महिलाओं में से 97.4 प्रतिशत के लगभग महिला कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए काम करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में उपलब्ध कुल कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.51 प्रतिशत के लगभग रही थी। हालांकि 2011 के आंकड़े 2001 के सापेक्ष थोड़े अच्छे अवश्य हैं क्योंकि 2001 में महिला कामगारों की भागीदारी 22.27 प्रतिशत के लगभग रही थी।[1]

**महिला कामगारों** के कमजोर आंकड़ों के पीछे का एक बड़ा कारण कामकाज के बीच सामाजिक सुरक्षा के अभाव को माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के कई अहम आयाम है, जैसे कि स्वास्थ्य, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रोजगार में रहते हुए कोई अपंगता, परिवार के लिए सहायता, प्रसव और मातृत्व से जुड़ी सुविधाएं हर देश अपने हितों को ध्यान में रखते हैं कामगारों की भलाई के लिए उन्हें ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है। हमारे देश ने भी अपने राष्ट्रीय हित में महिला कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर इस तरह की कई योजनाएं बनाई हैं।[2] श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर (LFPR) और महिलाओं का कामगार जनसंख्या में अनुपात (WPR) और विभिन्न आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर (UR) को तालिका संख्या - 1 में देख सकते हैं।

❑ शोध अध्येत्री एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, वीरांगना रानी अवंतीबाई, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फरीदपुर, बरेली (उ.प्र.)

**तालिका नं0 – 1**

**श्रम बल हिस्सेदारी दर (LFPR), कामगार आबादी अनुपात (W.P.R) और विभिन्न आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर (UR)**

| 2021-2022 | | | | 2022-2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | LFPR | WPR | UR | LFPR | WPR | UR |
| 15-19 | 314 | 304 | 3.1 | 164 | 156 | 8 |
| 20-24 | 425 | 409 | 4.9 | 297 | 278 | 9.9 |
| 25-29 | 498 | 491 | 2.4 | 369 | 357 | 5.8 |
| 15-29 | 0 | 400 | 3.7 | 0 | 258 | 7.8 |

**स्रोत : NSSO सर्वेक्षण 2022–23**

**महिला श्रम बल की भागीदारी :** हाल ही में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट 2017–18 के अनुसार देश में स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरूषों की तुलना में अधिक हो गई है। शहरों में कुल 52.1 प्रतिशत महिलाएं और 45.7 प्रतिशत पुरूष कार्यरत हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में अभी भी पुरूषों की तुलना में कम है। हालांकि पिछले कई वर्षों से उनकी भागीदारी दोगुनी हुई और यह 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1 प्रतिशत नौकरीपेशा, 34.7 प्रतिशत स्वरोजगार तथा 13.1 प्रतिशत अस्थायी श्रमिक हैं। इससे पहले 2011–12 में हुए NSSO सर्वे में शहरी नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8 था और इतनी ही महिलाएं स्वरोजगार में थीं तथा 14.3 प्रतिशत अस्थायी श्रमिक थीं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से स्थिति बदली है और स्वरोजगार एवं अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की भागीदारी घटी है, जबकि नौकरी में उनकी भागीदारी करीब 10 प्रतिशत बढ़ी है।[3]

**भारत में** महिला श्रम बल की भागीदारी की स्थिति चिंताजनक है। महिला भागीदारी दर वर्ष 2019–2020 के 34.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–2022 में 27.2 प्रतिशत हो गई है जबकि भागीदारी दर में व्यापक लैंगिक अंतराल भी बना रहा। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण हिस्सेदारी के व्यापक अन्तर बना हुआ है। ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी दर वर्ष 2019–2020 के अंतर्गत 26.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–2022 में 25.3 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 फीसदी हो गई। महिला श्रम बल हिस्सेदारी दर में कोई समग्र परिवर्तन नहीं आया है और इसे 22.5 प्रतिशत (सभी आयु वर्ग के लिए) आकलित किया गया, जो वर्ष 2019–2020 में 23.3 प्रतिशत पाया गया था इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल हिस्सेदारी दर में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति नजर आती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें मामूली वृद्धि देखने को मिलती है।[4]

**मनरेगा केन्द्र** सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सभी ग्रामीण महिला परिवारों के लिए उपलब्ध है। एक वित्त वर्ष की अवधि में 100 दिन के गांरटी युक्त रोजगार का अधिकार भी महिला परिवार को दिया गया है। प्रतिवर्ष 100 दिन रोजगार के अधिकार का उपभोग भी परिवार के स्तर पर संयुक्त रूप से किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में एक से अधिक महिलाएं काम करना चाहती हैं तो उन्हें (एक साथ या अलग–अलग समय) काम पर लगाया जा सकता है परन्तु कुल महिला परिवार की पात्रता 100 दिन होगी।

**पंजीकरण** कराने के लिए परिवार की वयस्क महिला सदस्य काम के लिए आवेदन दे सकती है। पंजीकरण के लिए उन्हें निम्नलिखित प्रतिबंध पूरे करने होंगे।

1. महिला स्थानीय निवासी हो, स्थानीय का तात्पर्य है कि आवेदक ग्राम पंचायत के अंदर ही रहती हो।
2. महिला अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हो।
3. महिला स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष एक परिवार के रूप में आवेदन करे।

**रोजगार कार्ड :** प्रत्येक पंजीकृत महिला परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से रोजगार कार्ड जारी किया जायेगा।

यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रपत्र है जिसमें पारदर्शिता बनाए रखने और मजदूरी को जालसाजी से बचाने में सहायता मिलती है। पंजीकरण आवेदन की पुष्टि के तुरन्त बाद अर्थात् आवेदन के 15 दिनों के अंदर महिलाओं को रोजगार कार्ड जारी कर दिया जाए।

**कार्य और मजदूरी भुगतान :** मनरेगा योजना में प्रावधान है कि कार्य के बटँवारे में एक तिहाई महिलाएं होंगी। महिलाओं को हर हाल में घर के पास ही काम दिया जाये। यदि कार्य 5 किमी0 से बाहर दिया जाता है तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी। कार्य स्थल बाहर होने की दशा में महिलाओं को यथा सम्भव कार्य गाँव के पास दिया जायेगा।

1. जल संरक्षण एवं जल संचय
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन सरंक्षण
3. सिंचाई नहर (सिंचाई के छोटे-बड़े काम समेत)
4. अनुसूचित जातियों और जनजातियों, भूमिसुधार या इंदिरा आवास योजना के लाभ पाने वाले परिवारों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्रावधान;
5. परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्य (पानी जमाव वाले क्षेत्रों में नाले की व्यवस्था समेत)
8. गाँवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना (हर मौसम में गाँव-गाँव तक पहुचने के रास्ते बनवाना)

**मनरेगा** के अंतर्गत काम करने वाली प्रत्येक महिला को राज्य सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित वेतन दिया जायेगा। महिला और पुरूष श्रमिकों को समान मजदूरी दी जायेगी और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जायेगा। जिस सप्ताह में काम किया जायेगा उसी सप्ताह के 7 दिन के अन्दर भुगतान किया जायेगा।[5]

**बेरोजगारी भत्ता :** अगर मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार के लिए आवेदन देने वाली महिला मजदूरों को उस तारीख के 15 दिन बाद तक भी रोजगार नहीं मिल पाता है तो जिस तिथि से वह काम करना चाहती है उसी दिन से राज्य सरकार को अधिनियम में निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता देना होगा। पहले 30 दिनों के लिए यह भत्ता मजदूरी का एक तिहाई होता है और उसके बाद आधा कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 'रोजगार गारंटी दिवस' के दिन ग्राम पंचायत के स्तर पर हर हफ्ते किया जाए।[6]

**साहित्य समीक्षा :-**

**बाल्टन एवं पटनायक[7]** ने अपने अध्ययन में देखा कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार और आजीविका सुरक्षा प्रदान की है, गरीबी को कम किया है और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त बनाया है। मनरेगा में अपनी सक्रिय भागीदारी से महिलाओं को आत्मविश्वास, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हुई है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**पेज एवं पाण्डेय[8]** के अनुसार मनरेगा कार्यक्रम भारत में एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। मनरेगा कार्यान्वयन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय क्षेत्रीय भिन्नता रही है।

**बिष्ट[9]** के अनुसार ग्रामीण परिवारों के लिए गैर-कृषि आय के महत्व को देखते हुए, मनरेगा को स्थानीय रोजगार विकल्पों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया हैं लेकिन लिंग आधारित बाधाएं मनरेगा में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधक बनी हुई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और खातों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार किया है।

**चोपड़ा[10]** ने पाया कि गरीबी कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी सफलताओं के बावजूद, भारत में मनरेगा को इसके कार्यान्वयन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार, वित्तीय चोरी, निष्पादन में विसंगतियाँ, और संपत्ति स्थिरता उन समस्याओं में से हैं जो अतिरिक्त सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

**शर्मा एवं अन्य[11]** के अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बरेली में मनरेगा कार्यक्रम ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता में सुधार किया है, लेकिन कमजोर जनसंख्या की बढ़ती भागीदारी, उनके आत्म-मूल्य और निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद, भागीदारी सीमित बनी हुई है। मनरेगा एक लिंग-सकारात्मक कार्यक्रम है जो पुरुषों के साथ मजदूरी समानता,

महिलाओं के लिए मजदूरी दरों की एक अलग अनुसूची, क्रेच सुविधाओं का प्रावधान, बच्चों के लिए कार्य शेड और बाल देखभाल सेवाओं को प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

**राजलक्ष्मी एवं सलवम**[12] ने अध्ययन में पाया कि मनरेगा के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी है। इसलिए सरकार ने योजना के बेहतर परिणाम के लिए तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पर्यवेक्षण नियुक्त किये हैं। मनरेगा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय** ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने भारत में महिलाओं की सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययनों से पता चला है कि यह कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रोजगार के अवसर और वेतन प्रदान करता है, जिसके कारण स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान में वृद्धि हुई है।[13,14] हालाँकि, कुछ विद्वानों का तर्क है कि मनरेगा में महिला सशक्तिकरण करने की क्षमता है, लेकिन इसने अभी तक महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी सामाजिक सुरक्षा का नेतृत्व नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद, इस कार्यक्रम को महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और जीवन स्तर और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं।[15]

**अध्ययन के उद्देश्य :-** प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों पर काम करने का प्रयास किया है।

1. मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी और बेरोजगारी पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन।
2. महिलाओं की सामाजिक एवं वित्तीय उन्नति पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन।

**शोध पद्धति :-** मनरेगा के सरकारी रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तथा अन्य शोध से संबंधित साहित्य का संदर्भ लिया है। शोध पत्र की शैली विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है।

**विश्लेषण :-** ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मनरेगा के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 100 दिन तक महिलाओं को काम का अवसर प्रदान करने की पहल की है लेकिन वर्ष 2004-05 में 28.2 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के अंतर्गत काम करती थीं। यह आंकड़ा 2011-12 में घटकर 21.7 प्रतिशत ही रह गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी दर 54.54 प्रतिशत रही हैं। इस योजना के अनुसार सरकार ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार सुरक्षा को देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है।[16]

**जिन राज्यों** में निर्धनता अधिक है वहां आशा की जा रही थी कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन वास्तविकता यह कि जिन राज्यों में अत्यधिक गरीबी है वहां पर महिलाओं की मनरेगा में काम करने की भागीदारी कम है। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में वर्तमान समय में कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की संख्या कम है वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व आश्चर्यजनक रूप में बढ़ा है।

**ग्रामीण क्षेत्र** को रोजगार देने वाले कार्यक्रम में पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक संख्या में कार्य कर रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष अक्टूबर तक मनरेगा में महिलाओं ने 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्राप्त किया। 2006 से लागू होने के बाद सें इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि सन् 2004-05 में हुए अन्तिम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में काम करने वालों में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी मात्र 28.7 प्रतिशत थी।

**पूर्व में भी** सार्वजनिक मजदूरी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी आशा से कहीं अधिक रही थी। सन् 1970 से लेकर 2005 तक के मध्य रोजगार के 17 बड़े कार्यक्रम लागू किए गए थे। सन् 2000 तक लागू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत कुल रोजगार में से एक चौथाई पर महिलाओं का नियंत्रण रहा था। वहीं एक और योजना आई0आर0डी0पी0 (समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम) और ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के उपक्रम में सन् 2001 तक महिलाओं की भागीदारी 45 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

**मनरेगा में** महिलाओं की भागीदारी कई बार अनूठे और अक्सर विरोधाभासी पक्षों की ओर संकेत करती है। पहला यह कि ऐसे राज्य जहाँ की श्रम शक्ति में

महिलाओं की हिस्सेदारी कम दिखाई देती है वहां पर महिलाएं अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले रही हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाएं कुल श्रम शक्ति का मात्र 15 प्रतिशत ही हैं। परन्तु इस कानून के अंतर्गत निर्मित कार्यों में से 79 प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं।

**समग्र स्तर** पर मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से 33 प्रतिशत से अधिक है, 5 मई, 2023 तक यह 54.86 प्रतिशत थी। जिसको तालिका संख्या 2 में देख सकते हैं।

**तालिका : – 2**

**वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 तक राज्य में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी**

| राज्य | महिला मानव दिवस का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|
| | 2019–20 | 2021–22 | 2022–23 |
| आन्ध्र प्रदेश | 58.34 | 58.68 | 58.72 |
| अरूणाचल प्रदेश | 30.27 | 30.35 | 30.21 |
| असम | 26.01 | 24.75 | 28.19 |
| बिहार | 30.63 | 34.97 | 37.17 |
| छत्तीसगढ़ | 46.93 | 48.53 | 49.87 |
| गुजरात | 42.86 | 43.96 | 43.24 |
| हरियाणा | 39.86 | 41.71 | 41.66 |
| हिमाचल प्रदेश | 60.69 | 62.52 | 61.04 |
| जम्मू-कश्मीर | 19.88 | 23.15 | 25.38 |
| झारखण्ड | 32.71 | 31.89 | 32.06 |
| कर्नाटक | 46.25 | 46.59 | 46.86 |
| केरल | 92.99 | 93.37 | 92.17 |
| मध्य प्रदेश | 42.42 | 42.65 | 43.22 |
| महाराष्ट्र | 44.55 | 43.69 | 43.47 |
| मणिपुर | 34.01 | 35.25 | 38.27 |
| मेघालय | 41.07 | 41.62 | 42.57 |
| मिजोरम | 26.15 | 30.20 | 40.27 |
| नागालैण्ड | 26.01 | 28.93 | 31.28 |
| ओडिशा | 35.95 | 33.57 | 33.79 |
| पंजाब | 46.36 | 52.74 | 57.43 |
| राजस्थान | 68.95 | 67.76 | 68.26 |
| सिक्किम | 43.71 | 44.85 | 48.18 |
| तमिलनाडु | 74.15 | 83.94 | 85.42 |
| तेलंगाना | – | – | 61.07 |
| त्रिपुरा | 41.08 | 47.11 | 49.36 |
| उत्तर प्रदेश | 19.70 | 22.17 | 24.75 |
| उत्तराखण्ड | 46.93 | 44.88 | 50.56 |
| पश्चिम बंगाल | 33.71 | 35.55 | 41.37 |
| अण्डमान एवं निकोबार | 45.11 | 47.18 | 50.44 |
| दादरा व नगर हवेली | – | – | – |
| दमन व दीव | – | – | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| गोवा | 79.13 | 75.30 | 74.88 |
| लक्षद्वीप | 29.55 | 22.50 | 36.59 |
| पुडुचेरी | 84.05 | 85.65 | 86.29 |
| चण्डीगढ़ | – | – | – |
| कुल | 51.30 | 52.80 | 54.86 |

**स्रोत** : www.mgnrega.nic.in

**तालिका : – 3**

**वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तक राज्य में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी**

| वित्तीय वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| महिला श्रमिकों की भागीदारी दर (%) | 54.59 | 54.78 | 53.19 | 54.54 |
| महिला श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या (करोड़ में) | 125.12 | 145.36 | 206.96 | 187.38 |

**स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार**

**महिला श्रमिकों की भागीदारी दर और महिला श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या के बीच सहसंबंध**

| | महिला श्रमिकों की भागीदारी दर | महिला श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या |
|---|---|---|
| महिला श्रमिकों की भागीदारी दर | 1 | -.735<br>.265 |
| महिला श्रमिकों के कार्य दिवसों की संख्या | -.735<br>.265 | 1 |

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**देश के विभिन्न** राज्य स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी राज्यों में अलग-अलग है। यह केरल, गोवा, तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं आन्ध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी उच्च हिस्सेदारी रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत काफी कम है। ऐसे ही स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर की है। यह भी देखा गया है कि गोवा, तमिलनाडू और पुडूचेरी में लिंग अनुपात (जनगणना 2011) तथा महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। निम्न स्तर पर स्थिति अधिक कठिन है और कुछ राज्यों में महिलाओं की भागीदारी दर कम है।

**इसके बाद** पश्चिम बंगाल में 3.32 प्रतिशत, तेलंगाना में 2.62 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 2.44 प्रतिशत गिरावट अंकित की गई। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडू, उत्तराखण्ड, सिक्किम, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी घटी है। जिन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, असम, कर्नाटक, पुडुचेरी, गोवा, अरूणाचल प्रदेश और त्रिपुरा हैं।

**वित्त** वर्ष 2019-2020 के मध्य केरल में एक दिन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक 91.38 प्रतिशत है। इसके बाद पुडुचेरी 87 प्रतिशत, तमिलनाडु में 84.32 प्रतिशत, गोवा में 75.75 प्रतिशत, राजस्थान में 65.35 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 60.31 प्रतिशत है।

**जम्मू-कश्मीर** में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम 30.72 प्रतिशत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत, नागालैण्ड में 36 प्रतिशत, अरूणाचल प्रदेश में 40 प्रतिशत, झारखण्ड में 40.77 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 41 प्रतिशत है।[17]

**मनरेगा में महिला जनसंख्या की हिस्सेदारी :** 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रही है जो पिछले कुछ वर्षों से लगभग इतनी ही है।

**मनरेगा** का जब प्रारंभ हुआ तो केरल राज्य में 79 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा में काम किया, जो लगातार बढ़ रहा है और 2020-21 में 96 प्रतिशत तक पहुंच गया। यद्यपि 2021-22 में यह आंकड़ा थोड़ा-सा घटा है।

वर्ष 2022 में 90.43 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा के अंतर्गत काम किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केरल में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में 9 करोड़ 75 लाख दिन कुल काम किया गया। इसमें से महिलाओं ने 8 करोड़ 81 लाख दिन काम किया।

**केरल के** बाद तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जहाँ महिलाओं ने अधिक काम किया है। तमिलनाडू में 2020-21 में कुल 25.76 करोड़ दिन काम किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी कुल 22 करोड़ दिन की रही अर्थात् महिलाओं की भागीदारी 85 प्रतिशत रही है। इसी तरह राजस्थान में भी यही ट्रेंड विद्यमान है जबकि इन तीनों राज्यों में वर्क फोर्स के मामले में महिलाओं की भागीदारी कम है। वहीं पर गरीब व धनी जनसंख्या वाले राज्यों में चल रही मनरेगा परियोजना में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। 2020-21 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी केवल 35 प्रतिशत रही, यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में यह भागीदारी बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी केवल 24.41 प्रतिशत थी। बिहार में भी वर्ष 2020-21 में महिलाओं की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रही, जो पिछले कुछ वर्षों में बड़ी है। ओडिशा में महिलाओं की भागीदारी 41 प्रतिशत है यहाँ भी पिछले शुरू के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत से कम रही थी।

**इसके** अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि जब मनरेगा में श्रमिकों की जरूरत होती है, तो उस समय धान की खेती का समय भी होता है तो ऐसे राज्य जहाँ धान की खेती अधिक होती है वहाँ मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी अधिक नहीं रहती। ऐसे राज्यों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं।

**कोविड के संकट काल में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी :** महिलाओं की मनरेगा में भागीदारी के बारे में ताजा आकड़ों में पता चलता है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 2013-14 में 52.82 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 56.16 प्रतिशत हो गई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 2.24 प्रतिशत अंकों की गिरावट अंकित हुई है। हाल ही के समय में लगभग 13.34 करोड़ सक्रिय मनरेगा कामगार हैं, जिनमें से 6.58 करोड़ अर्थात् 49 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

**24 अगस्त,** 2020 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 के प्रारंभ के पांच महीनों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 52.46 प्रतिशत तक रह गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-2020 के मध्य 280.72 करोड़ लोगों के लिए दैनिक काम के लक्ष्य के विपरीत अब तक 183 करोड़ से अधिक प्रति व्यक्ति कामकाजी दिन सृजित किए जा चुके थे। कुल मिलाकर 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि 14 राज्यों में मामूली वृद्धि दर्ज हुई है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट का राष्ट्रीय औसत 2.24 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 3.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, राज्य में पिछले साल मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 60.05 प्रतिशत थी जो इस साल घटकर 56.47 प्रतिशत रह गई।[18]

**वर्ष 2017 में** जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रही परियोजना में जो पुरूष काम कर रहे थे वास्तव में वे गरीब परिवार से थे, लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

**इतना ही** नहीं, ILO के सर्वेक्षण में सामने आया कि जिस परिवार में मनरेगा में पुरूष काम कर रहे हैं, उस घर की आय 65901 रूपये वार्षिक थी, जबकि जिस परिवार में महिला मनरेगा में काम करती है उस घर की आय 76734 रूपये वार्षिक रही। इसके साथ ही कामकाजी आयु की केवल 13.4 प्रतिशत महिलाओं को काम के बदले पैसा मिलता है। यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की सम्भावनाएं काफी कम हैं ऐसे में यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो इसका वे पूरा लाभ उठाती हैं।

**मनरेगा और महिलाओं की सामाजिक उन्नति :-** मनरेगा से महिलाओं की अतिरिक्त आय ने आवश्यक वस्तुओं जैसे अच्छा भोजन, कुछ कपड़े और अन्य घरेलू सामान को परिवार की पहुंच के भीतर बना दिया है, जिससे घर के अंदर वित्तीय तनाव कम हो गया है। महिलाओं के अपनी सास-ससुर के साथ संबंधों में स्पष्ट रूप से बदलाव आया। सासें अपनी बहुओं को शारीरिक और मानसिक कष्ट दिए बिना घर के काम में सहयोग देने लगीं। उदाहरण के लिए, घर में सास या वरिष्ठ सदस्य भी अब घर के कामों और बच्चे की देखभाल में मदद

करते हैं जो मनरेगा से होने वाली आय के माध्यम से संभव हो पाया है। जहां तक घरेलू काम के बंटवारे का सवाल है, अब पुरुष सदस्यों द्वारा बच्चों की देखभाल या घरेलू सामानों की खरीदारी में कुछ मदद की जाती है। महिलाओं को भी अब आवागमन की अधिक स्वतंत्रता है। हालाँकि, कुछ बाधाएँ यथावत् हैं पुरुष खाना नहीं बनाते हैं या कुछ घरेलू कामों में भाग नहीं लेते हैं, जिसमें बाहर से पानी लाना या कपड़े धोना भी सम्मिलित है। महिलाओं को अब घरेलू मामलों में अपनी बात कहने का अधिकार है। निर्णय लेते समय घर के पति/पुरुष सदस्य महिलाओं से उनकी राय पूछते हैं, जो कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं के सामने के दृश्य में एक नाटकीय विरोधाभास है। मनरेगा ने महिलाओं के लिए सकारात्मक अनुमति देने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन यह अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने तक नहीं बढ़ी है, क्योंकि, महिलाओं को पुरुषों के अधीन समझा जाता रहा है।

**महिलाओं की समाज में स्थिति :-** मनरेगा के प्रारंभ ने ग्रामीण जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं की सामूहिक शक्ति को बढ़ावा दिया है। पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि विभिन्न समुदायों की महिलाएं अब एक-दूसरे को जानती हैं, एक-दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और एक-दूसरे की सहायता करती हैं। हिंदू महिला कार्यकर्ता ने माना है कि वह मनरेगा से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को कभी नहीं जानती थी, लेकिन अब उसने उनसे मित्रता कर ली है। महिलाएं अब गांव के भूगोल को भी जानती हैं, जिसका उन्हें पहले अनुभव नहीं था और अब वे वहां की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हैं। वे अब मनरेगा से संबंधित मुद्दों और ग्राम-स्तरीय समस्याओं पर आपस में चर्चा करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था।

**महिलाओं की समाज में राजनीतिक स्थिति :-** मनरेगा के लागू होने से पहले ग्रामीण महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रमों में सशक्त रूप से भाग नहीं लेती थीं। उन्हें अपनी इच्छा के बिना ही विभिन्न सभाओं, जुलूसों आदि में भाग लेना पड़ता था। कम आय वाले परिवारों के सदस्य, जो रोज कमाते हैं, राजनीतिक मामलों में सम्मिलित लोगों की तुलना में अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। आजकल मनरेगा के कारण कम आय वाले परिवार को अपने गांव में ही काम मिल जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी विकसित हो जाती है। लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी जोर-जबरदस्ती के सम्मिलित हो रहे हैं। अब उनके पास कुछ वित्तीय स्थिरता है, जिससे उन्हें राजनीतिक भागीदारी पर निर्णय लेने के लिए मानसिक शांति मिली है। 100 दिन के काम में गांव की महिलाएं हिस्सा लेती हैं. वे पूरे काम की निगरानी भी करते हैं और लोगों को सोशल ऑडिट के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। उस उद्देश्य के लिए, वे कार्यस्थल पर जाते हैं, काम के बारे में प्रचार करते हैं और गाँव में बैठकें आयोजित करते हैं। बड़े पैमाने पर, महिलाएं एक-दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, अपने विचार साझा कर रही हैं, महिलाओं के संबंध में कानूनों के उल्लंघन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और राजनीतिक मामलों में भाग ले रही हैं और पुरुष, रसोई से लेकर समाज तक अपनी आँखें चौड़ी कर रहे हैं, यह कुछ साल पहले एक अकल्पनीय तथ्य था।[19]

**महिलाएं एवं वित्तीय समावेश :** आर्थिक अधिकार और वित्तीय समावेश महिला अधिकारिता और समानता के लिए महत्वपूर्ण है। मनरेगा ने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित किया जाए। मनरेगा एमआईएस के अनंतिम आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि महिलाओं को व्यक्तिगत और संयुक्त नाम पर खोले गए खाते तक पहुंच हो। औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा औपचारिक क्रेडिट के बीच सम्पर्क महिलाओं द्वारा, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के लिए वरीयता और प्रारंम्भिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ परिवारों में महिलाओं द्वारा निर्णय लेने में बदलाव का पता लगाने के लिए और अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाएं बैंकिंग प्रणाली/एटीएम/पासबुक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

**निष्कर्ष :** मनरेगा कार्यक्रम से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उनके व्यक्तिगत अधिकारों में वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था पर उनकी निर्भरता कम हुई है। कार्यक्रम ने महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाया है, उनका सम्मान बढ़ाया है और उन्हें अपने घर की आर्थिक स्थिति में योगदान देने में सक्षम बनाया है। संगठन ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है, जिससे उन्हें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय कम आय वाले लोगों से इसके जुड़ाव, नवीन तकनीकों और विकास

में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की क्षमता को दिया जाता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्म-आश्वासन और स्वतंत्रता अर्जित करने में मदद मिली है, जिससे उनकी वित्तीय सहायता बढ़ी है। हालाँकि, चुनौतियों में क्षैतिज और लंबवत रूप से लाभ पहुंचाना, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों को संबोधित करना और सामाजिक लेखापरीक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सम्मिलित है। इन चुनौतियों के बावजूद, मनरेगा कार्यक्रम ने समाज और उनके परिवारों में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार किया है।

**मनरेगा ने** ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मनरेगा में अपनी सक्रिय भागीदारी से महिलाओं को आत्मविश्वास, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हुई है। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है. लिंग आधारित बाधाएं मनरेगा में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधक बनी हुई हैं। ये गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंड, पारिवारिक अपेक्षाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिलाओं की गतिशीलता को सीमित करती हैं परिणामस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। मनरेगा ने औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और खातों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार किया है। हालाँकि, औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और ऋण प्राथमिकताओं के साथ-साथ घरों में महिलाओं के निर्णय लेने में बदलाव के बीच संबंध को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

**अंतिम महत्वपूर्ण** बिंदु यह है कि इस अध्ययन का नीति की तुलना में अनुसंधान पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। उत्तरार्द्ध के संबंध में, लेख का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि यह विश्वास भविष्य के अध्ययन के लिए आकर्षक क्षेत्र क्या होगा।

## सन्दर्भ


1. Mehta, Shivani, and Shalini Singh Sharma. "MGNREGA and Economic Empowerment of Women-Study of Indian Women." Economic Affairs 64.1, 2019, pp. 35-39.
2. Lokesha, A., and P. Shekar. "Role of Mgnrega in Improving the Socio-Economic Status of Rural Women in Karnataka." International Journal of Multidisciplinary Educational Research 6.7, 2017, p. 140.
3. Anitha, T., and Dr V. Ahila. "Socio-Economic Profile of Women Empowerment through MGNREGA in Paloor Panchayat." Think India Journal 22.19, 2019, pp. 370-376.
4. Khuntia, Subhasmita, and Ravuru Narasaiah. "An Inter-state Analysis of Women"s Participation in MGNREGA." Social Work 80.3, 2019.
5. Hyslop, Dean, David C. Maré, and Shannon Minehan. 'COVID-19 Wage Subsidy: Outcome evaluation.' 2023, pp. 37-42.
6. Kumar, Shailendra, and Sanghamitra Choudhury. "Migrant workers and human rights: A critical study on India"s COVID-19 lockdown policy." Social Sciences & Humanities Open 3.1, 2021, pp. 100-130.
7. Balaton-Chrimes, S. and Pattnaik, K, S. (2021) The Rightful Share: Land and Effective Claim Making in Odisha, India'. 2011, Available at: https://scite.ai/reports/10.1111/dech.12692.
8. Page, L. and Pande, R. 'Ending Global Poverty: Why Money Isn"t Enough'. 2018, Available at: https://scite.ai/reports/10.1257/jep.32.4.173.
9. Bisht, S, I. et al. 'Agroecological Approach to Farming for Sustainable Development: The Indian Scenario'. 2022 Available at: https://scite.ai/reports/10.5772/intechopen.100281.
10. Chopra, D. 'Taking Care into Account: Leveraging India's MGNREGA for Women's Empowerment'. 2019 Available at: https://scite.ai/reports/10.1111/dech.12535.
11. Sharma, S., Mehra, D., Akhtar, F., & Mehra, S. 'Evaluation of a community-based intervention for health and economic empowerment of marginalized women in India', 2020, https://scite.ai/reports/10.21203/rs.2.16129/v2.
12. Raja Lakshmi V., Selvam V. 'Awareness Levels of MGNREGA Beneficiaries in Vellore District Tamil Nadu: An Empirical Study', 2018, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, ISSN 0976-6359, Vol 09 Issue 6, pp. 1074 – 1080.
13. Jain, K. 'Impact of MGNREGA on Women Empowerment'. International Journal of Marketing and Technology, 3, 2013, pp. 165-172.
14. Lavanya, V.L., & Mahima, S. 'Empowerment of rural women through mgnrega with special references to Palakkad', International Journal of Multidisciplinary Research 3(7) 2013, pp. 271-276
15. Ghosal, A., Das, AÆ., & Ghosh, J.R. 'Role of MGNREGA on Women Empowerment: A Socio-economic Study in Medinipur District, West Bengal'. Indian Journal of Research in Anthropology, 8(2) 2023, pp. 69-76.
16. Mazumdar, Mohua Das, and Sajal Mondal. "Impact of the MGNREGA on Women's Empowerment in the Light of Social Sustainability–A Study on Selective Areas of West Bengal in India." Perspectives in Sustainable Management Practices. Routledge India, 2023, pp. 52-61.
17. Bansal, I. & K. Mahajan, 'COVID-19, Income Shocks and Women's Employment in India', Feminist Economics 29 (4) 2023, pp. 143-152
18. Alok, Anupriya. "Impact of COVID-19 on migrant workers: Issues and challenges." International Journal of Research and Review 7.7, 2020, pp. 143-152.
19. Ghosal A Das & Ghosh, op. cit., pp. 69-76

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं की दोहरी भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ डॉ. पुष्पा भट्ट

**सूचक शब्द :** नौकरी पेशा, दोहरी भूमिका, कार्यस्थल, व्यवसायिक भागीदारी, मातृत्व।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा, औद्योगीकरण, समानता व स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों, नवीन विचारधारा आदि कारकों के प्रभाव से महिलाओं की प्रस्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन आया है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह संभव है कि महिलाओं के लिए नौकरी प्राप्त करना अब पहले जितना कठिन न रह गया हो पर इसके बाद उन्हें जिस मार्ग पर चलना होता है वह निश्चित ही कठिन होता है। बढ़ती व्यवसायिक भागीदारी ने जहाँ महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किया है वहीं उनके समक्ष अनेक बाधाएं भी उत्पन्न की हैं। आज भी बच्चों के लालन-पालन एवं घर परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना महिला का प्राथमिक दायित्व माना जाता है जिसके चलते विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत रहते हुए महिलाओं को कार्यस्थल एवं पारिवारिक दोनों तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। दोहरी भूमिकाओं के निर्वहन में महिलाओं के समक्ष कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं साथ ही इन परिस्थितियों का प्रभाव उनके भूमिका निर्वहन पर भी पड़ता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं में दोहरी भूमिका से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना हैं।

**स्वतंत्रता प्राप्ति** के पश्चात शिक्षा, औद्योगीकरण, समानता व स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों तथा नवीन विचारधारा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। आर्थिक स्थिति में बदलाव का संकेत करने वाले कारक जैसे- आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, भुगतान प्राप्त कार्यों में महिलाओं का संलग्न होना तथा महिलाओं द्वारा संभाले हुए विभिन्न विभागों के उच्च व बेहतर पदों की संख्या में वृद्धि आदि महिलाओं के स्वावलंबन व आत्म निर्भरता को दर्शाते हैं।[1] आज महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर उन सभी व्यवसायों में अपनी सेवाएं दे रही हैं जिन्हें कभी केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। यह सम्भव है कि महिलाओं के लिए नौकरी प्राप्त करना अब पहले जितना कठिन न रह गया हो पर इसके बाद उन्हें जिस मार्ग पर चलना होता है वह निश्चित ही कठिन होता हैं। बढ़ती व्यवसायिक भागीदारी ने महिलाओं के समक्ष अनेक बाधाएं भी उपस्थित की हैं।

**परिवर्तन के** इस दौर ने निश्चित ही महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सदृढ़ किया है। उन्हें नए-नए अनुभव प्राप्त हुए हैं, सामाजिक संपर्क बड़ा है जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है परंतु यदि कुछ यथावत रहा है तो वह है महिलाओं के पारिवारिक उत्तरदायित्व। आज भी बच्चों का लालन-पालन व घर के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना महिला का प्राथमिक दायित्व माना जाता है जबकि कार्यस्थल संबंधी उत्तरदायित्व को अतिरिक्त दायित्व। महिलाओं के बाहरी काम धंधे को मातृत्व व पत्नीत्व के आदर्श के साथ स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः एक महिला अपने घर, पति व बच्चों की उपेक्षा पसंद नहीं करती उसे तो घर व बच्चों की देखभाल के साथ ही अपना व्यक्तिगत विकास भी करना होता है। परंपरागत समाजों में महिलाओं के समक्ष गृहस्थी व बच्चों की देखरेख के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा आदर्श नहीं था इसीलिए मन में किसी प्रकार का कोई तनाव या असंतोष की भावना नहीं होती थी।[2] पर आज महिलाओं के लिए शिक्षा, आधुनिकता, आर्थिक आवश्यकता, उच्च जीवन स्तर आदि के कारण घर से बाहर निकल कर कार्य करना अनिवार्य हो गया है जिसके कारण महिलाओं को घर व कार्यस्थल दोनों ही

❑ सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

भूमिकाओं के निर्वहन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, दोनों भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य बिठाना पड़ता है जो बहुत कठिन होता है। घर व नौकरी की अलग-अलग मांगे, जो अक्सर एक-दूसरे के विपरीत ही होती हैं निर्वहन के दौरान या तो महिलाओं को परंपरागत आदर्श महिला की छवि से अलग कर दिया जाता है, या फिर कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन न कर पाने के कारण क्षमता से हीन मान लिया जाता है। महिलाएं परिवार के बेहतर भविष्य के लिए घर से बाहर जाकर कार्य करना स्वीकार करती हैं और कार्यस्थल में स्वयं की योग्यता व क्षमता से अपने सहकर्मियों के समान ही बेहतर कार्य प्रदर्शन कर सकती हैं परंतु इस समय उनकी क्षमताओं, इच्छाशक्ति व प्रदर्शन का घर एवं कार्यस्थल के बीच विभाजन हो जाता है और भूमिका संघर्ष जैसी समस्या उत्पन्न होती है।[3]

**जब दो या** दो से अधिक भूमिकाओं को एक साथ निभाना कठिन हो जाता है और व्यक्ति किसी भी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पाता, तो यह स्थिति समाजशास्त्रियों के अनुसार भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है।[4] घर से बाहर जाकर कार्य करने वाली महिलाओं के समक्ष दोहरे उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अक्सर ऐसी स्थिति आती है कि किसी एक भूमिका का उचित निर्वाह करते हुए दूसरी भूमिका का निर्वहन नहीं हो पाता. जिस पर महिलाएं भूमिकाओं को लेकर संघर्ष का अनुभव करती हैं। घर से बाहर जाकर कार्य करने के जो नियम व परिस्थितियाँ पुरुषों के लिए हैं वही महिलाओं के लिए भी होती हैं फिर भी महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होती, जबकि कार्यस्थल के बाद पुरुषों के समक्ष पारिवारिक उत्तरदायित्वों का कोई बोझ नहीं होता। संविधान के स्पष्ट प्रावधान एवं न्यायालयीन आदेशों के बावजूद आज भी महिलाओं को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है।[5] 90 देशों में किये गए 'केयर वर्क एंड केयर जॉब्स फॉर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क' का अध्ययन बताता है कि 'मातृत्व' कार्यशील महिलाओं के लिए चुनौती पूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है क्योंकि एक ओर कार्य स्थल संबंधी भूमिकाओं का संचालन दूसरी ओर परिवार एवं बच्चों की देखभाल को मात्र महिला का प्राथमिक दायित्व मानने वाली सोच श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को बाधित करती है।[6]

**वस्तुतः** नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं को दोहरी भूमिकाओं के निर्वहन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्य स्थल संबंधी भूमिकाएं पारिवारिक भूमिकाओं से प्रभावित होती हैं। कार्य का दोहरा दबाव महिलाओं में शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तनाव के साथ ही थकावट व चिड़चिड़ेपन की समस्या को भी उत्पन्न करता हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में अधिकांश कामकाजी महिलाओं की जीवन शैली अव्यवस्थित है जिस वजह से मोटापा, उच्च्य रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कारोबारी संगठन एसोचम, के सर्वेक्षण से भी यह ज्ञात होता है कि लगभग 78 फीसदी कार्यशील महिलाओं को कोई न कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है।[7] विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इन सबके लिए कुछ तो वे स्वयं उत्तरदायी हैं क्योंकि वे घर में भोजन बनाने से लेकर बच्चों के पालन-पोषण तक को अपनी प्राथमिकता मानती हैं उनके इस दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है। इस संदर्भ में जी.एन.रामू[8] का मत है कि व्यावसायिक व पारिवारिक भूमिकाओं के बीच संघर्ष की यह मांग होती है कि महिलाएं इसके साथ समन्वय करें अर्थात या तो वे अपने पारिवारिक दायित्वों में कुछ कटौती करें या अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को नीचे लाएं। अतः घर-परिवार में अभिभावकों की भूमिका को लिंग के आधार पर विभाजित करने की मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं को दोहरी भूमिकाओं के निर्वहन में सहयोग और सुविधाएं प्रदान की जाय जिससे कि वे अपने दोहरे व्यक्तित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक करके देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें।

**साहित्य समीक्षा :**

**मृदुला भदौरिया**[9] का कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका के संदर्भ में कथन है कि भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के कारण परंपरागत व आधुनिक मूल्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। बढ़ती पारिवारिक आवश्यकताओं व आर्थिक दबाव के कारण महिलाओं को नौकरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिस कारण उन्हें घर-परिवार तथा कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है।

**दीपा माथुर**[10] ने कामकाजी महिलाओं से संबंधित अपने अध्ययन में बताया कि अधिकांश महिलाओं के सेवायुक्त होने का प्रमुख कारण आर्थिक आवश्यकता या परिवार

की आय में सहयोग करना है। सेवायुक्त होने पर महिलाओं को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं के साथ ही नई भूमिकाओं का भी निर्वहन करना पड़ता है, जैसे माँ, पत्नी, गृहणी के साथ ही कार्यस्थल की भूमिका। गैर कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाएं परिवार व कार्य स्थल दोनों के कामकाज संभालती हैं और अधिक तनावग्रस्त रहती हैं। अध्ययन में पाया गया कि आधे से कुछ अधिक महिलाएं केवल गृह कार्य के प्रति उत्सुक थीं जबकि आधे से कुछ कम महिलाओं ने गृह कार्य और नौकरी दोनों के बीच समन्वय पर अपनी सहमति दी।

**रेनू प्रकाश**[11] द्वारा नैनीताल जिले के राजकीय कार्यालयों में सभी श्रेणियों में कार्यरत महिलाओं में भूमिका संघर्ष की कृत्रिमता तथा वास्तविकता की स्थिति का अध्ययन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यरत महिला के जीवन में भूमिका संघर्ष की स्थिति विवाह के उपरांत आती है तथा भूमिका संघर्ष के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक महिलाओं की स्वयं की जीवन पद्धति को माना है।

**मुकेश कुमार सैनी**[12] ने कामकाजी महिलाओं में होने वाले भूमिका तनाव एवं भूमिका द्वंद से संबंधित अपने अध्ययन में बताया कि कामकाजी महिलाएं परिवार व बच्चों को प्राथमिकता देकर ही व्यवसायिक आकांक्षाएं रखती हैं परंतु कभी-कभी संवेगात्मक आकांक्षाएं तनाव व भूमिका द्वंद्व की स्थिति में आ जाती हैं।

**प्रियंका एन रूबाली एवं वंदना**[13] ने अनुसूचित जाति की कामकाजी महिलाओं पर अध्ययन कर बताया कि नौकरी करने के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थिति बढ़ी है। कामकाजी महिलाओं में दोहरी भूमिका के फलस्वरुप कार्य का बोझ तो बढ़ता ही है साथ ही दोनों स्थानों के कार्य भी प्रभावित होते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए घर परिवार एवं बच्चों को छोड़कर नौकरी हेतु दूसरे शहर में जाना अत्यधिक कठिन होता हैं।

**उपर्युक्त** अध्ययनों के पुनरावलोकन से स्पष्ट है कि कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ ही उनके सम्मुख आने वाली बाधाओं में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है परंतु शिक्षण सेवा क्षेत्र ने महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। आकर्षक वेतन, निश्चित कार्य अवधि, सुरक्षित भविष्य आदि कारकों ने महिलाओं को शिक्षण क्षेत्र में आने हेतु प्रेरित किया है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन हेतु अल्मोड़ा जिले के राजकीय शिक्षण संस्थानों के माध्यमिक व उच्च स्तर पर कार्यरत विवाहित महिलाओं को चयनित किया गया है। वर्तमान परिपेक्ष्य में इस अध्ययन का महत्व यह है कि जिस आकर्षण के साथ महिलाएं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं क्या वे, आने के बाद अपनी दोहरी भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पा रही है? क्या वे दोहरी भूमिकाओं से संतुष्ट हैं? दोहरी भूमिकाओं के निर्वहन में उन्हें किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आदि तथ्यों को जानने के उद्देश्य से यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

1. नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं में दोहरी भूमिका से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना।
2. पारिवारिक व कार्य स्थल संबंधी भूमिकाओं के सफलता पूर्वक निर्वहन की स्थिति का अध्ययन करना।

**शोध पद्धति :** प्रस्तुत अध्ययन अल्मोड़ा जिले के राजकीय शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माध्यमिक व उच्च स्तर पर कार्यरत विवाहित महिलाओं पर आधारित है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में माध्यमिक स्तर पर 1240 तथा उच्च स्तर पर 128 महिलाएं शिक्षक के रूप कार्यरत थी।[14] समग्र (1368 महिलाओं) में से 15 प्रतिशत (205 महिलाओं) का चयन दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति से किया गया है। अध्ययन की इकाई के रूप में केवल कार्यरत माताओं को ही चयनित किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा द्वितीयक स्रोत हेतु शासकीय प्रतिवेदन, विभिन्न विद्वानों के शोध पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व वेबसाइट आदि का प्रयोग किया गया है साथ ही अध्ययन में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग कर तथ्यों का वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण कर अध्ययन विषय की अर्थपूर्ण व्याख्या की गई है।

**सारणी संख्या 1**

**नौकरी में आने का कारण**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| आर्थिक आवश्यकता | 56 | 27.32 |
| उच्चतम जीवन स्तर | 07 | 3.41 |
| योग्यता एवं महत्वाकांक्षा | 142 | 69.27 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 1** में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि 27.32 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक कारणों के चलते नौकरी में आई हैं। 3.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं के नौकरी में आने का कारण उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करना है जबकि अधिकांश 69.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे स्वयं की योग्यता एवं महत्वाकांक्षा के कारण इस क्षेत्र में आई हैं। इस संदर्भ में दीपा माथुर[15] ने कामकाजी महिलाओं से संबंधित अपने अध्ययन में बताया कि अधिकांश महिलाओं के सेवायुक्त होने का प्रमुख कारण आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति या परिवार की आय में सहयोग करना है। जबकि प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत महिलाएं न केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से वरन अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने, उच्च पदों को प्राप्त करने से जुड़े अपने सपनों व आकांक्षाओं को पूर्ण करने, सम्मान व प्रतिष्ठा पाने तथा स्वावलंबी बनने जैसे उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर रोजगार के विविध क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं।

**सारणी संख्या 2**

**पति –पत्नी का कार्य स्थल**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| एक ही नगर | 35 | 17.07 |
| अलग अलग नगर | 170 | 82.93 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 2** में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि 17.07 प्रतिशत महिलाएं पति के कार्य स्थल वाले नगरों में ही कार्यरत है जबकि 82.93 प्रतिशत महिलाएं अन्य नगरों में कार्यरत हैं। जब महिलाओं से उनके पारिवारिक स्वरूप के बारे में पूछा गया तो अधिकांश का कहना था कि वे एकल परिवार से संबंधित हैं तथा पति का कार्य स्थल अलग नगर में होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरीपेशा महिलाओं का यह प्रत्युत्तर इस बात को दर्शाता है कि आज के दौर में जहां पति-पत्नी दोनों ही कामकाजी है उस स्थिति में बच्चों की उचित देखभाल में संयुक्त परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु विडंबना यह है कि लोग शिक्षा, नौकरी, शहरीकरण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चलते संयुक्त परिवारों से दूर होते जा रहे हैं जिसका परिणाम उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर से परिलक्षित हो रहा है।

**सारणी संख्या 3**

**घरेलू कार्यों में पति व अन्य सदस्यों का सहयोग**

| पति का सहयोग | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां, हमेशा | 83 | 40.49 |
| कभी-कभी | 112 | 54.63 |
| नही | 10 | 4.88 |
| योग | 205 | 100 |
| पारिवारिक सदस्यों का सहयोग | संख्या | प्रतिशत |
| हां, हमेशा | 67 | 32.68 |
| जरुरत पर ही | 110 | 53.66 |
| नही | 28 | 13.66 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 3** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 40.49 प्रतिशत महिलाओं को पारिवारिक कार्यों में पति का सहयोग हमेशा मिलता है। 54.63 प्रतिशत महिलाओं को पति का सहयोग कभी-कभी मिलता है जबकि 4.88 प्रतिशत महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें घरेलू कार्यों के निर्वहन में पति का सहयोग कभी नहीं मिल पाता। साथ ही घरेलू दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक सदस्यों के सहयोग के संदर्भ में 32.68 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग हमेशा मिलता है। अधिकांश 53.66 प्रतिशत महिलाओं को आवश्यकता पर ही सहयोग मिल पाता है जबकि 13.66 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें पारिवारिक सदस्यों की ओर से सहयोग नहीं मिल पाता है। इस संदर्भ में शर्मा एवं बहुगुणा[16] ने अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से पारिवारिक वातावरण में परिवर्तन आया है। लिंग भेद में कमी आई है। परिवार में पुरुषों द्वारा गृह कार्यों में सहयोग किया जाता है। जबकि प्रस्तुत अध्ययन में आज भी महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में पति व परिवारजनों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मुख्य कारण पित्तसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा निर्धारित जेंडर अपेक्षाएं व धारणाएं हैं जिसमें घर-परिवार व बच्चों के पालन पोषण संबंधी भूमिकाओं को महिलाओं का प्राथमिक दायित्व माना जाता है जबकि अन्य भूमिकाओं को गौण। पारिवारिक सदस्य आज भी इस धारणा के समर्थक है कि घर-गृहस्थी का कार्य महिलाओं को ही करना चाहिए।

**सारणी संख्या 4**
**सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| बहुत अधिक | 45 | 21.95 |
| बहुत कम | 160 | 78.05 |
| बिल्कुल नही | 0 | 0 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 4** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 21.95 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बहुत अधिक रहती है जबकि अधिकांश 78.05 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रहती है। महिलाओं ने इसका प्रमुख कारण समय की कमी बताया। इस संदर्भ में शाह एवं लाल[17] ने अपने अध्ययन निष्कर्ष में बताया कि कामकाजी महिलाओं की दोहरी जीवन संबंधी व्यस्तता के कारण उनकी सामाजिक कार्यों में सहभागिता बहुत कम रहती हैं।

**सारणी संख्या 5**
**दोहरे दायित्वों के मध्य स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां, पूर्ण रूप से | 16 | 7.80 |
| हां, आंशिक रूप से | 152 | 74.15 |
| नहीं | 37 | 18.05 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 5** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 7.80 प्रतिशत नौकरी पेशा महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों के मध्य भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूर्ण रूप से रख लेती हैं। 74.15 प्रतिशत महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर आंशिक रूप से ही ध्यान दे पाती हैं जबकि 18.05 प्रतिशत महिलाएं व्यस्ततम जीवन शैली के कारण स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती हैं जिसका परिणाम महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य संगठन मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में घर व नौकरी दोनों संभालने वाली महिलाओं के बीच किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार युवा महिलाओं में थायराइड व डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है इस वजह से उन्हें थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, मासिक चक्र में गड़बड़ी के अतिरिक्त मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है।[18]

**सारणी संख्या 6**
**बच्चों का पालन-पोषण व देखभाल**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| सामान्य माँ की तरह | 91 | 44.39 |
| नहीं | 114 | 55.61 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 6** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 44.39 प्रतिशत नौकरी पेशा महिलाएं अपने बच्चों की पालन-पोषण व देखभाल सामान्य माँ की तरह कर लेती हैं जबकि अधिकांश 55.61 प्रतिशत का कहना है कि वे अपने बच्चों की देखभाल एक सामान्य माँ के जैसे नहीं कर पाती हैं। ये तथ्य यह इंगित करते हैं कि समाज की बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने बच्चों के देखभाल की एक नई चुनौती को ला खड़ा किया है। यह चुनौती एकल परिवारों,जो वर्तमान दौर की उपज हैं, में और भी अधिक गंभीर हुई है। पति-पत्नी दोनों के कामकाजी होने के कारण बच्चों का पालन-पोषण में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नौकरीपेशा महिलाएं आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ होने के बाद भी वे अपने बच्चों की परवरिश व देखभाल एक सामान्य मां की तरह नहीं कर पाती है। बच्चों की उचित परवरिश व देखभाल उनके शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक अर्थात संतुलित विकास के लिए बहुत जरूरी है परन्तु वर्तमान में बच्चों में स्नेह और वात्सल्य की कमी के कारण नकारात्मकता, असहनशीलता, हिंसक विचार, असंतुष्टि तथा माता-पिता व बच्चों के बीच फासले बढ़ना जैसी प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं जो कि गंभीर समस्या के संकेत हैं।

**सारणी संख्या 7**
**दोहरी भूमिकाओं के बीच स्वयं के इच्छित कार्य हेतु समय निकालना**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां, हमेशा | 18 | 8.78 |
| कभी कभी | 152 | 74.15 |
| नहीं | 35 | 17.07 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 7** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 8.78 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक व व्यावसायिक भूमिकाओं के मध्य स्वयं के लिए हमेशा समय निकाल लेती हैं। 74.15 प्रतिशत महिलाएं स्वयं के

लिए कभी-कभी अर्थात बहुत कम समय निकाल पाती हैं जबकि 17.07 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे इच्छित कार्य हेतु बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती। व्यक्तिगत जीवन में इच्छित कार्य हेतु समय न मिलने की स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है।

**सारणी संख्या 8**

**दोहरी भूमिकाओं के निर्वहन में समस्याओं का होना**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत | प्रमुख समस्या | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| हां, | 165 | 80.49 | मानसिक तनाव | 46 | 27.88 |
| नहीं | 40 | 19.51 | स्वयं के लिए समय न निकाल पाना | 40 | 24.24 |
| | | | शारीरिक समस्याएं | 13 | 7.88 |
| | | | बच्चों की उचित परवरिश न कर पाने का भाव | 06 | 3.64 |
| | | | उपर्युक्त सभी | 60 | 36.36 |
| योग | 205 | 100 | योग | 165 | 100 |

**सारणी संख्या 8** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश 80.49 प्रतिशत नौकरी पेशा महिलाओं के समक्ष दोहरी भूमिका निर्वहन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं जबकि 19.51 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उन्हें दोहरी भूमिका निर्वहन में कोई समस्या नहीं होती है। समस्या होने पर अपनी सहमति देने वाली महिलाओं में से 27.88 प्रतिशत ने दोहरी भूमिका निर्वहन में मानसिक तनाव को प्रमुख समस्या बताया। 24.24 प्रतिशत महिलाओं ने घर व कार्य स्थल संबंधी भूमिकाओं के चलते स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाने को प्रमुख समस्या के रूप में बताया। 7.88 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे दोहरी भूमिका के कारण स्वयं के स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाती हैं जिस कारण सरदर्द, चिड़चिड़ापन, थकावट व मोटापा आदि समस्याएं हो रही हैं। पूर्व में उन्हें रक्तचाप जैसी समस्या नहीं थी परंतु दोहरी भूमिकाओं के चलते जो तनाव होता है उस वजह से रक्तचाप भी बढ़ रहा है। 3.64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि बच्चों की उचित परवरिश व देखभाल न कर पाने का भाव मन में बार बार उत्पन्न होता है जो तनाव को जन्म देता है जबकि 36.36 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि दोहरे उत्तरदायित्वों के चलते उन्हें उपर्युक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में रेनू प्रकाश[19] ने अपने अध्ययन में बताया कि एक कार्यरत महिला घर व कार्यस्थल संबंधी दायित्वों के निर्वहन में अधिक तनाव अनुभव करती है। दोहरा उत्तरदायित्व कार्यरत महिलाओं में मानसिक तनाव उत्पन्न करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि घर व कार्य स्थल संबंधी दोहरे उत्तरदायित्वों को पूरा करने के प्रयास में महिलाएं बहुधा तनाव में रहती हैं। अपनी सेहत को अनदेखा करती हैं जिसके कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अधिकतर कामकाजी महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। कारोबारी संगठन एसोचम के सर्वे के अनुसार कामकाजी महिलाओं में दिल की बीमारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा हैं।[20]

**सारणी संख्या 9**

**घर-परिवार व कार्य स्थल सम्बन्धी भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य**

| सामंजस्य | संख्या | प्रतिशत | किस प्रकार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| हां, | 168 | 81.95 | परिवार के सहयोग | 23 | 13.69 |
| नहीं | 37 | 18.05 | स्वयं से अत्याधिक समझौता करके | 80 | 47.62 |
| | | | उपर्युक्त दोनों से | 65 | 38.69 |
| योग | 205 | 100 | योग | 168 | 100 |

**सारणी संख्या 9** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश 81.95 प्रतिशत नौकरी पेशा महिलाएं घर-परिवार व कार्यस्थल संबंधी भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं जबकि 18.05 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे दोहरी भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती हैं। दोहरी

भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली महिलाओं में से 13.69 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे परिवार के सहयोग से दोहरी भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं अधिकांश 47.62 प्रतिशत महिलाओं का कहना था कि वे स्वयं से अत्यधिक समझौता करके ही घर-परिवार व कार्य स्थल संबंधी भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य बनाती हैं जबकि 13.69 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उपरोक्त दोनों कारकों के द्वारा पारिवारिक व व्यावसायिक भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य कर पाती हैं। इस संदर्भ में सक्सेना एवं शर्मा[21] ने अपने अध्ययन में बताया कि यद्यपि अधिकांश कामकाजी महिलाएं परिवार के सहयोग से घर परिवार व कार्यस्थल के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो पाती हैं परंतु उन्हें कार्य के दौरान अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा परिवार के सदस्यों का सहयोग भी कम ही मिल पाता है विशेषकर पति यदि अपनी कार्यशील पत्नी के साथ गृहकार्यों में मदद भी करते हैं तो हमारे समाज का परंपरागत ढांचा उन्हें ऐसा करने से रोकता है रिश्तेदार व परिवार के अन्य सदस्य उन्हें ताना मारते हैं परिणामस्वरूप महिलाओं पर गृह कार्यों का बोझ और बढ़ जाता है। उपरोक्त सारणी में वर्णित तथ्य यह दर्शाते हैं कि आज भी कार्यस्थल की संस्कृतियों में पारंपरिक लिंग संबंधी रूढ़िवादिताएं भीतर तक जड़ें फैलाए हुए हैं।

**सारणी संख्या 10**

**दोहरी भूमिका से संतुष्टि**

| प्रत्युत्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां ,पूर्ण रूप से | 74 | 36.10 |
| हां, आंशिक रूप से | 101 | 49.27 |
| नहीं | 30 | 14.63 |
| योग | 205 | 100 |

**सारणी संख्या 10** में वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 36.10 प्रतिशत नौकरी पेशा विवाहित महिलाएं अपनी दोहरी भूमिका से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अधिकांश 49.27 प्रतिशत महिलाएं दोहरी भूमिका से आंशिक रूप से संतुष्ट हैं जबकि 14.63 प्रतिशत का कहना है कि वे अपने दोहरे दायित्वों से संतुष्ट नहीं है। जब एक महिला घर एवं कार्यस्थल दोनों क्षेत्रों की भूमिकाओं को प्रसन्नतापूर्वक निभाती है तो वह अपनी दोहरी भूमिका से पूर्ण संतुष्ट मानी जाती है, जबकि आंशिक संतुष्टि के अंतर्गत दोनों भूमिकाओं के निर्वहन में थोड़ा बहुत अप्रसन्नता या असंतोष निहित होता है। उपर्युक्त सारणी में वर्णित तथ्य दर्शाते हैं कि अधिकांश महिलाएं अपनी दोहरी भूमिकाओं से आंशिक संतुष्ट हैं इसके कारण, यद्यपि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं पर महिलाओं को अब भी घर परिवार बनाने व बच्चों की देखभाल करने वाली पारंपरिक और पितृसत्ता प्रेरित भूमिकाओं की सीमा में ही रखा जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं का आधार मुख्य रूप से जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह युक्त समाजीकरण तथा पित्तृसत्ता की व्यवस्थाओं का प्रभावशाली होना है।[22]

**निष्कर्ष :** उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में महिलाएं अपनी योग्यता व क्षमता को प्रदर्शित करने, स्वावलंबी बनने तथा उच्च पदों पर आसीन होने से जुड़े अपने सपनों व आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु निरंतर आगे बढ़ रही हैं। नौकरी पेशा महिलाओं को घरेलू दायित्वों के निर्वहन में जीवन साथी व अन्य पारिवारिक सदस्यों का सहयोग कभी-कभी (आंशिक रूप से) ही मिल पाता है जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे -दोहरी भूमिकाओं के बीच अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान न रख पाना, इच्छित कार्यों के लिए समय न निकाल पाना तथा बच्चों की परवरिश व देखभाल उचित ढंग से न होने का विचार बार-बार मन में आना। जीवनसाथी व परिवारजनों का पूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण से महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मानवशास्त्री राल्फ लिंटन के भूमिका संघर्ष के सिद्धांत को उपर्युक्त तथ्यों के साथ विश्लेषित किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में महिलाएं परंपरागत भूमिकाओं के साथ-साथ कार्य क्षेत्र की भूमिकाओं का भी निर्वहन कर रही हैं इन दोनों भूमिकाओं के निर्वहन में अक्सर भूमिका संघर्ष की स्थिति (जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को एक साथ निभाना इतना अधिक कठिन हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभा पाता) उत्पन्न होती है और यह स्थिति नौकरी पेशा विवाहित महिलाओं में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। आंशिक पारिवारिक समर्थन के बावजूद महिलाएं पारिवारिक व कार्य स्थल संबंधी भूमिकाओं के

मध्य सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। महिलाओं की दोहरी भूमिका निर्वाह क्षमता के सन्दर्भ में हरिदास रामजी शैंण्डे सुदर्शन[23] का कहना है कि ''दोहरी जिंदगी जीते हुए नारी कभी-कभी खुद को असहाय एवं उपेक्षित पाती है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उसने कहीं हार स्वीकार कर ली है, वह निरंतर परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करती हुई प्रगति पथ में अपने झंडे गाड़ रही हैं।'' वस्तुतः कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में परिवारजनों का आंशिक सहयोग प्राप्त होना यह इंगित करता है कि समाज की संरचना में तो बदलाव आ रहा है परंतु मानसिकता में नहीं और यही समस्या की जड़ है। अतः एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अभिभावकों की भूमिका को लैंगिक आधार पर विभाजित न करके साझा दायित्व को अपनाकर महिलाओं को स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाय ताकि वे अपनी दोहरी भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

## सन्दर्भ


1. आहूजा राम, 'भारतीय समाज', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000, पृ. 123.
2. लवानिया एम. एम, 'भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2017 पृ. 133.
3. नैनीवाल सरोज, 'महिला सशक्तिकरण और नौकरी पेशा महिलाओं का यथार्थ', चंद्र कैलाश एवं रघुवीर सिंह (सम्पा.), आधुनिक भारतीय समाजः चुनौतियां एवं परिवर्तन, साहित्यागार प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ. 151.
4. सिंह जे.पी.,'समाजशास्त्रःअवधारणाएं एवं सिद्धांत', पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली,2013,पृ. 151.
5. नागौरी आर.ए, 'भारत में कार्योजित महिलाओं की समस्याएं और उनका समाधान', मिश्रा रंजना (सम्पा.), भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2018, पृ. 3.
6. सारस्वत रितु, 'अपने बच्चों की देखभाल पिता के लिए प्राथमिकता नहीं', हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र, 12 अगस्त 2023. पृ. 08
7. मीना पुष्पा, 'कामकाजी महिलाएं और दोहरी भूमिका', International Journal of Education, Modern Management, Vol. o3, No. 02 (IV), 2021, pp.178-180.
8. Ramu G.N, 'Women, work and Marriage in Urban India', Sage Publication, New Delhi, 1989, p.96.
9. भदौरिया मृदुला, 'वूमेन इन इंडिया', ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 1997, पृ. 82.
10- Mathur Deepa, 'Women Family and Work', Rawat Publication, Jaipur ,1992, pp. 23-24.
11. प्रकाश रेनू, 'भूमिका संघर्ष : कृत्रिम एवं वास्तविक', राधा कमल मुखर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष 17 अंक 2, जुलाई दिसंबर, 2015, पृ. 43-45.
12. सैनी मुकेश कुमार, 'कामकाजी महिलाएं एवं भूमिका द्वंद', Journal of Modern Management & Entrepreneurship, Vol-12, No. 01, 2022, pp. 201-206.
13. रूवाली प्रियंका एन, एवं वंदना 'कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति एवं समस्याएंः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', Journal of Acharaya Narendra Dev Research Institute', 2018, pp. 66- 78.
14. https://almora.nic.in, सांख्यिकीय पत्रिका, 2022, पृ. 54.
15. Mathur Deepa, op.cit. , p.23-24
16. शर्मा, धारणा एवं उमा बहुगुणा, 'कार्यशील महिलाओं के परिवारों में लैंगिक असमानता का बदलता स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधा कमल मुकर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष 25, अंक 1, जनवरी -जून 2023, पृ.175
17. शाह, इला एवं गोविंद लाल, 'कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक- सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन' राधा कमल मुकर्जीः चिंतन परंपरा, वर्ष 19, अंक 1, जनवरी - जून 2017, पृ. 88
18. श्रीवास्तव मुकुल, 'कामकाजी महिलाओं की सेहत का सवाल', राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र, 12 सितंबर 2014, पृ. 08
19. प्रकाश रेनू, 'कार्यरत महिलाओं में तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यगत परिस्थितियां : समाजशास्त्रीय विश्लेषण', राधा कमल मुकर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष 20, अंक 1, जनवरी -जून 2018, पृ. 44-46
20- https://inbreakthrough.org/condition-working-women/
21. सक्सेना, ऋतु एवं प्रभा शर्मा, 'महिला उद्यमियों की पारिवारिक भूमिका एवं द्वंद', राधा कमल मुकर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष 16, अंक 1, जनवरी -जून 2014, पृ.83
22- http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/46297 p.48
23. सुदर्शन हरिदास रामजी शैंण्डे, 'नारी सशक्तिकरण' ग्रंथ विकास जयपुर, 2007 पृ. 44

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी : उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ सुश्री अवंतिका अंबेडकर
❖ डॉ प्रतिभा राज

**सूचक शब्द** : दलित, दलित महिला, राजनीतिक सशक्तीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लैंगिक समानता वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक प्राथमिक शर्त है। यह सार्वजनिक निर्णय लेने में महिलाओं की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। राजनीति और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का विशेष रूप से दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी नगण्य है। राजनीतिक समानता तब तक निरर्थक है जब तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। भारत में महिलायें विशेषतः दलित महिलाओं को रीति रिवाज, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक मापदंडों ने हमेशा पुरुषों के अधीन रखा है। विशेष रूप से दलित महिलाएं लिंग, जाति व पितृसत्ता तीनों का शिकार होती हैं। दलित महिलाएं समाज के पदानुक्रम ढ़ाँचे में महिला और निम्न वर्ग से होने का दोहरा बोझ उठा रही हैं जिसके कारण राजनीति में अभी भी दलित महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। दलित महिलाओं की राजनीति में नाममात्र की उपस्थिति उन्हें अनेक प्रकार के प्रभावी निर्णयों से वंचित करती है। देखा जा रहा है कि मतदाता के रूप में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है किंतु राजनीति में व निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व स्थापित है। दलितों और दलित महिलाओं को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सरकारी ढाँचे में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की संस्थाओं और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में दलित महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता यह सिद्ध करती है कि भारत के समावेशी लोकतंत्र का दावा मात्र बयानबाजी है। महिलाओं को राजनीति में आने के लिए अभी लंबी राहें तय करनी पड़ेगी। प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश में सन 1996-2022 के विधान सभा चुनावों में दलित महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

**महिलाओं की** राजनीति में भागीदारी महत्वपूर्ण है और एक स्वतंत्र और सम्मानित भारतीय समाज के लिए आवश्यक है कि महिलाएं राजनीति में अपना स्थान बनाएं इसके बाद भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी चिंताजनक है। यह एक विचारशील विषय है। 'राजनीतिक भागीदारी' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है यह न केवल 'वोट के अधिकार' से संबंधित है, बल्कि इसके साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से भी संबंधित है। भारत का संविधान लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाकर महिलाओं के लिए हर प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। दलित महिलाएं भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं उन्हें लंबे समय तक सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर अपमानित किया जाता रहा है। भारत सरकार ने सकारात्मक हस्तक्षेप एवं सकारात्मक उपयोगों के माध्यम से उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नीतियां विकसित की है।[1] महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को राजनीतिक परिवेश में सक्षम बनाने में सहायता करते हैं। हालांकि यह अभी भी लंबी प्रक्रिया है और हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम एक समान और न्याय पूर्ण समाज तक पहुंच सकें।

**दलित महिलाओं** की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति व जातिगत भेदभाव और छुआछूत एक व्यक्ति के रूप में उनकी क्षमताओं का अवमूल्यन करती है। प्रस्तुत अध्ययन में उन सामाजिक संदर्भों का वर्णन किया गया है जिसमें जातिगत भेदभाव समाज की कड़वी सच्चाई है, जिससे बचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत भारत के न केवल अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है, बल्कि नए सामाजिक आर्थिक स्वरूपों में शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान

❑ शोध अध्येत्री समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
❖ सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

है, जिसके कारण जातिगत बहिष्करण के कारण दलित महिलाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में असमानता और शोषण का अनुभव करना पड़ता है। जागरूकता और संसाधनों की कमी, जातिगत भेदभाव के विरूद्ध लड़ने के लिए साहस का अभाव उन्हें और कमजोर बनाता है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी न केवल उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करती है बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं की सोच, दृष्टि और अनुभव से ऐसी नई नीतियां बन सकती हैं जो हमें एक अधिक विकसित समृद्ध भारत की ओर ले जा सकती हैं।

**इसलिए हमें** सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हों और उनका योगदान हमारे राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण हो। महिलाएं एक ऐसी बंद सामाजिक व्यवस्था में काम करती हैं जहां वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने पुरुष सदस्यों के अधीन रहती हैं लेकिन एक दलित महिला के रूप में उनकी स्थिति और भी खराब है।[2] भारतीय समाज में दलित सदियों से सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से वंचित रहे हैं, जिसके कारण वे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव और शोषण का अनुभव करते हैं। फिर भी यह आशा की जाती है कि दलित सामाजिक परिवर्तन कानून और उसके सही क्रियान्वयन से अपने आधारभूत अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समाज की यह कठोर सच्चाई है कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता अभी भी जारी है। दुनिया भर में महिला नेताओं की संख्या बढ़ी है लेकिन वे अभी भी एक छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं दुनियाँ भर में औपचारिक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। महिला नेताओं की कम भागीदारी को दूर करने के लिए भारत में 1994 में 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए कोटा आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बढ़ी है। पिछले कई दशकों में महिलाओं के मुद्दे वैश्विक सार्वजनिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। इन्होंने दलित महिलाओं की अलग तरह से बात करने की आवश्यकता को समझने के लिए इस घटना पर असर डालने वाले आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों को रेखांकित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दलित महिलाओं की पहचान को एक स्वतंत्र और स्वायत्त दावे को 11 अगस्त 1995 को दिल्ली में नेशनल फेडरेशन और दलित वूमेन (NFDW) के गठन में पहली अभिव्यक्ति मिली। अंबेडकर के बाद के काल में दलित पुरुष नेताओं ने दलित महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति को हमेशा अपने अधीन रखा है और कभी-कभी उसका दमन भी किया है। जिस पर दलित महिलाओं ने क्षेत्रीय सम्मेलनों और दिल्ली सम्मेलन में इस राजनीतिक हाशिए पर जाने की खुले ढंग से निंदा की है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क देना संभव है कि दलित महिलाएं राज्य और राज्य मध्यस्थता वाली दलित पितृसत्ता को चुनौती दे सकती हैं। यह तब सिद्ध हुआ जब बिहार के बोध गया की दलित महिलाओं ने दलित पुरुषों के नाम पर जमीन सौंपने के राज्य के फैसले का विरोध किया।[3]

**वैश्विक परिप्रेक्ष्य**

दुनिया भर की राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है नए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इस बार 20 देशों की तुलना में 22 देशों में महिलाएं राज्य सरकार की प्रमुखों की भूमिका निभा रही हैं। 1 जनवरी 2021 तक निर्वाचित राज्य प्रमुखों में 5.9 प्रतिशत (152 में से 9) और सरकार के प्रमुखों में 6.7 प्रतिशत (193 में से 13) महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग द्वारा पहली बार संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी 2023 तक नीति क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए, मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले कैबिनेट सदस्यों में महिलाएं 22.8 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1 जनवरी 2023 तक ऐसे 31 देश हैं जहां 34 महिलाएं राज्य या सरकार के प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी और नेतृत्व आवश्यक है, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और राजनीतिक जीवन में लैंगिक समानता प्राप्त करना बहुत दूर है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सत्ता के सर्वोच्च पदों पर लैंगिक समानता अगले 130 वर्षों तक नहीं पहुंचेगी। महिलाओं की राजनीति में अधिकतम भागीदारी समाज के लिए अनिवार्य है यह समानता विकास और न्याय की

प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का माध्यम है।[4]

**भारतीय परिप्रेक्ष्य**

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सशक्तिकरण का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाएं एक समान साझीदारी के रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रहेंगी तो समाज में समानता और विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। सामान्य रूप में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी दर कम रही है जो कई कारकों पर निर्भर करती है उन कारकों में सामाजिक-आर्थिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं एवं भूमिका निर्वाह से संबंधित बाधाओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है।[5]

**भारतीय संविधान** अपने सभी नागरिकों को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की गारंटी देता है। पुरुष व महिलाओं को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन आंकड़े देखें तो भारत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित कई देशों से पीछे है। अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के आंकड़े दर्शाते हैं, कि भारत की लोकसभा में केवल 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है जो कि उनकी जनसंख्या के अनुसार बहुत कम प्रतिनिधित्व है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहां लोकसभा में 542 सदस्यों में से 78 महिलाएं संसद सदस्य हैं, और राज्यसभा में 224 सदस्यों में से 24 महिलाएं राज्यसभा सदस्य हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। भारत में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं की संख्या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी निराशाजनक बनी हुई है। भारत में आजादी के दशकों बाद पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हुई जिनका कार्यकाल (2007-2012) रहा। जिसके बाद 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। यह भारत की दूसरी महिला और कार्यभार संभालने वाली पहली आदिवासी (दलित महिला) हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 28 राज्यों में से वर्तमान में केवल एकमात्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं जो यह दर्शाता है कि सरकार की प्रभावी नीतियों के बाद भी महिलाओं का राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना कम है।[6]

**सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य**

**वर्तमान शोध** का अध्ययन उदारवादी नारीवाद दृष्टिकोण से किया गया है। उदारवादी नारीवाद जिसे मुख्यधारा नारीवाद भी कहा जाता है। नारीवाद की एक प्रमुख शाखा है जो उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने और मानवाधिकार परिषद से सूचित होने पर केंद्रित है। उदार नारीवाद की जड़ें 19 वीं शताब्दी के प्रथम लहर नारीवाद में हैं। महिलाओं को समान नागरिक के रूप में मान्यता देना विशेष रूप से महिलाओं के मताधिकार और शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना है। उदारवादी नारीवाद, सार्वजनिक दुनिया विशेष रूप से कानून, राजनीतिक संस्थानों, शिक्षा और कामकाजी जीवन पर जोर देता है और समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने को समानता के लिए प्रमुख बाधा मानता है। ऐसे में उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए काम किया है। उदारवादी नारीवाद, समावेशी और सामाजिक रूप से प्रगतिशील है।

**जॉन स्टुअर्ट मिल**[7] ने "The Subjection of women" पुस्तक लिखी और कहा कि लैंगिक न्याय पाने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व शिक्षा के अलावा राजनीतिक और आर्थिक अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। पुरुष वर्चस्ववाद की सामाजिक वैध रूप से मान्यता प्राप्त सत्ता को मिल ने मनुष्य की स्थिति में सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए स्त्री-पुरुष संबंधों में पूर्ण समानता की पक्षधरता की है।

**उदारवादी नारीवादी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट**[8] ने 1792 में "A Vindication of the Rights of women" नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जोर दिया कि दमनकारी पदानुक्रम प्राकृतिक नहीं है। महिलाएं पुरुषों के बराबर क्यों नहीं हो सकती हैं और महिलाओं को नागरिक और राजनैतिक रोजगार से क्यों बाहर रखा जाना चाहिए?

**साहित्य समीक्षा**

**पाई**[9] ने अपने अध्ययन में पाया कि दलित अभिकथन, उत्तर प्रदेश की राजनीति तथा समाज का महत्वपूर्ण चरित्र है और यह अचानक नहीं हुआ बल्कि समय-समय पर सकारात्मक भेदभाव की नीति, विकास तथा राज्य की

कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संभव हुआ है। यह सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन और गतिशीलता दलित आधारित पार्टी के द्वारा संभव हुई है। यहां पर दलितों के अभिकथन के विभिन्न रूप तथा प्रारूप हैं जो सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक शिक्षा तथा आर्थिक प्रस्थिति, स्थिति तथा स्रोतों हेतु अंबेडकर की अवधारणा तथा जातिगत पार्टी को वोट देकर कर रहे हैं।

**पीतम और पुंडीर**[10] ने अपने अध्ययन में 1952 से 1996 तक के चुनाव में यूपी की राजनीति में महिलाओं की पृष्ठभूमि, भूमिका और भागीदारी का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश महिला विधायकों की राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है तथा वह शिक्षित है और आर्थिक रूप से संपन्न है। आगे उन्होंने बताया है कि संख्या बल कम होने के कारण महिला विधायकों की विधानसभा में चर्चाओं व कार्यवाही में भागीदारी कम रही है। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, नेताओं के रूप में उनकी भूमिका, विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और महिला राजनेताओं के रूप में उनकी विकसित होने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है।

**ओमवेट**[11] ने अपने अध्ययन में पाया कि दक्षिण एशिया भले ही दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं का दावा करता है लेकिन महिलाओं की समग्र राजनीतिक भागीदारी निराशाजनक बनी हुई है। यह लेख सामुदायिक प्रबंधन स्थानीय प्रशासन और आरक्षण जैसे विभिन्न महिलाओं से संबंधित पहलुओं की जांच करता है। यह इन देशों की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी विश्लेषण करता है। इसके साथ ही यह नौकरशाही और राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की बात करता है।

**कुमार**[12] ने अपने अध्ययन में पाया है कि राजनीति में महिला प्रतिनिधि महत्वपूर्ण है, ताकि समाज के सभी वर्गों की आवाज को सुना जा सके। हमारे देश में 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया है। इस अधिनियम के बाद पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बढ़ा है। लोकसभा, विधानसभा में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। महिलाएं राष्ट्रीय निर्णयों में अपना योगदान दे सकती हैं और समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार को उचित नीतियां बनानी चाहिए जिससे महिला प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन मिले महिलाओं को राजनीतिक कार्य में सक्रिय रूप से सम्मिलित करें और उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करें।

**रामचंद्रैया**[13] ने बताया कि एक समावेशी लोकतंत्र उस समाज में सामाजिक और राजनीतिक संरचना को समाहित करता है जहां हर व्यक्ति, समुदाय और जाति का समान अधिकार होता है। दलित महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें उनके समाज की उन्नति में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। दलित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सामाजिक और राजनैतिक संगठनों में सहभागिता करनी चाहिए, दलित महिलाओं को राजनीति और सामाजिक संघर्ष में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना चाहिए इन उपायों के माध्यम से समावेशी लोकतंत्र में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुरक्षित सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे उन्हें समानता, न्याय और समरसता की समान अवस्था में जीने का अवसर मिलेगा।

**मोहन**[14] ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं की राजनीति में सहभागिता समाज के सभी स्तरों पर उच्चतम नेतृत्व और न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का अधिकार है कि वे अपनी सोच, आवाज और हितों को समाज के निर्णय में सम्मिलित करें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक परिवर्तन का अवसर मिलता है। आज 21वीं सदी में भी महिलाओं को कम करके आंका जाता है उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं व चुनौतियां आती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सामाजिक मान्यता की कमी का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है, अधिकांश महिलाओं में अशिक्षा के कारण जानकारी का अभाव होता है।

**नगारची**[15] के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, समर्पण एवं कार्य कुशलता से सबको परिचित कर दिया है। सन 1992 में किए गए संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण ने महिलाओं को नई राजनीतिक ऊर्जा प्रदान की है जिस

कारण से भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी ने पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ा अवश्य है। महिलाओं की समस्याओं और विकास के क्रम में आरक्षण के आधार पर महिलाओं को कानूनी संरक्षण व उनके आत्म बल को बढ़ाया गया है और अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में सक्रियता व सजगता के साथ वह कदम बढ़ा रही हैं।

**बिष्ट**[16] के अध्ययन "महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में पाया गया है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से उत्तराखंड की गोस्वामी परिवारों की महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षिक स्थिति किस प्रकार से प्रभावित हुई है। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। जब तक जीवन के सभी क्षेत्रों और निर्णय करने की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र और शासन तथा विकास में लोगों की सच्ची भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज भी महिलाओं के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं जिनके कारण वह प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक भूमिका निभा नहीं पाई हैं। इन चुनौतियों के बाद भी भी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अनेक कार्यक्रम व उनके प्रशिक्षण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

**सक्सेना और कश्यप**[17] ने अपने लेख ''छत्तीसगढ़ की पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं महिला सशक्तिकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन'' में बताया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसके परिणामस्वरूप पंचायत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 58.78 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के राजनैतिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। आधुनिक भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा समर्पण एवं कार्य कुशलता से सबको परिचित करा दिया है। संसद व विधायिका में सीमित साझेदारी के बावजूद महिलाओं ने अपनी पंचायत के द्वारा समाज में अटूट छाप छोड़ी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से न केवल स्वयं महिला वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है अपितु इन सब ने एकजुट होकर ग्रामीण स्तर के लोगों की स्थिति बदलने का भरपूर प्रयास भी किया हैं, जिनमें निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तुत अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-

1. उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और भूमिका का अध्ययन करना : इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1996 से 2022 तक दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का आकलन करना, किस प्रकार 1996-2022 तक दलित महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, का अध्ययन करना।
2. उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उनकी सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जांच करना : इस उद्देश्य से तात्पर्य है कि राजनीति में दलित महिलाओं की आयु, जाति, उप-जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय और धर्म की स्थिति का अध्ययन करना एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है का विश्लेषण करना।

**शोध पद्धति**

**प्रस्तुत शोध** अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया गया है। शोध कार्य में प्रमुखतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप को लिया गया है। प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसमें तथ्य संकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध-पत्र, शोध-पत्रिकाओं, समाचार पत्र व चुनाव आयोग की वेबसाइट की सहायता ली गई है तथा समसामयिक मुद्दों व अनुभवों को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का भी प्रयोग किया गया है।

**उत्तर प्रदेश में राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण :** हम समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करें और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सम्मान और अधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करें तो देखा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में महिलाएं नेतृत्व और निर्णयन की उपलब्धि में वृद्धि कर रही हैं लेकिन उनकी समान भागीदारी का स्तर अभी भी कम है।

**सारणी- 1**
**उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2002 से 2022 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व**

| सन् | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल सीटे | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| प्रतिभागियों की संख्या | 344 | 370 | 583 | 482 | 559 |
| कुल निर्वाचित | 26 | 23 | 35 | 42 | 47 |
| सामान्य महिलाएं | 11 | 15 | 22 | 31 | 28 |
| दलित महिलाएं | 15 | 8 | 13 | 11 | 19 |

स्रोत : चुनाव आयोग भारत सरकार, (सन् 2002 से 2022)

**सारणी 1 में** दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2002 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव में महिलाओं एवं दलित महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बड़ा है। उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बड़ी है। सारणी मैं दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के 2002 के विधानसभा चुनाव में जहाँ 15 दलित महिलाएं सदन पहुंची, वही 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक दलित महिलाएं चुनकर विधानसभा सदन पहुंची हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजनीति में महिलाओं ने वृद्धि दर्ज की है। जहाँ चुनी हुई महिलाओं के सदन पहुंचने में वृद्धि देखी गई है, वही दलित महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है।

**सारणी-2 :**
**उत्तर प्रदेश विधान सभा में अनुसूचित जाति पुरुष व अनुसूचित जाति महिलाओं का प्रतिनिधित्व**

| सन् | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल सीटें | 89 | 89 | 85 | 84 | 84 |
| पुरुष निर्वाचित | 74 | 81 | 72 | 73 | 65 |
| महिला निर्वाचित | 15 | 8 | 13 | 11 | 19 |

स्रोत : चुनाव आयोग भारत सरकार, (सन् 2002 से 2022)

**सारणी 2** से स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के चुने जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। उनमें से भी अगर अनुसूचित जाति की सीटों को देखा जाए तो उसमें भी दलित महिलाओं की तुलना में दलित पुरुषों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। 2002 से 2022 तक दलित महिलाओं की संख्या में तो वृद्धि हुई है पर दलित पुरुषों के मुकाबले अभी उनकी संख्या कम है। अनुसूचित जाति की कुल 84 सीटों में से 2022 में 65 पुरुषों के मुकाबले मात्र 19 महिलाएं निर्वाचित हुई है, जो की काफी निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

**सारणी-3**
**उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी सम्बन्धित तालिका**

| सन् | विधायक | सन् | सांसद |
|---|---|---|---|
| 2002 | 26 | 1998 | 9 |
| 2007 | 23 | 2004 | 7 |
| 2012 | 35 | 2009 | 12 |
| 2017 | 42 | 2014 | 13 |
| 2022 | 47 | 2019 | 11 |

स्रोत : चुनाव आयोग भारत सरकार

**सारणी 3** में दर्शाए गये आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। वे जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी जा रही हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश विधान सभा 2002 में मात्र 26 महिलाएं विधायक चुनी गई, वहीं यह संख्या 2022 में बढ़कर 47 पर पहुँच गई इसी प्रकार भारत की संसद में उत्तर प्रदेश से महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। जहाँ 1998 में मात्र 9 महिला सांसद चुनी गई वहीं 2019 में 11 महिला सांसद उत्तर प्रदेश से चुनी गई हैं इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में यह संख्या भविष्य में निश्चित रूप से और बढ़ेगी जब अत्यधिक महिलाएं सांसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

**निष्कर्ष :** प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1996 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव आंकड़ों के विश्लेषण से प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ विशेष प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव में न केवल महिला प्रत्याशियों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ी है बल्कि उनमें जीतने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है। अतः प्रतीत होता है कि पूर्व की अपेक्षा विभिन्न कारणों जैसे महिलाओं

में साक्षरता प्रतिशत बढ़ना, राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना, महिलाओं में राजनीतिक रुझान बढ़ना, जागरूकता की बढ़ती दर के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, जिससे विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दलित महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता पहले की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ रही है विधानसभा में दलित महिलाएं चुनकर पहुंच रही हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में दलित महिलाओं की विधानसभा में संख्या अभी भी चिंताजनक है। पिछले कुछ दशकों से और विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं ने नीतियों सहित गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति की है किन्तु अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण में आत्मविश्वास पैदा करने, नेतृत्व गुणों को विकसित करने और उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूक होने के लिए पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला नेतृत्व उनके समुदायों विशेषकर अन्य महिलाओं और किशोरियों के लिए भी अनिवार्य है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिला साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, उनकी स्थिति की पहचान और राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। राज्य में संतोष जनक रूप से महिला मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है जो महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति समय के साथ अधिक जागरूक हुई है तथा महिलाओं की भागीदारी राजनैतिक क्रियाकलापों में बढ़ रही है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दलित पुरुषों की तुलना में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अत्यंत कम है। राजनीति में दलित महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास में संतुलन एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ता मिलेगी।

## सन्दर्भ


1. Waseem Ahmad. S, Nilofer and parveen, Gazala. 'Women's political participation and changing pattern of Leadership in Rural Areas of U.P', The Indian Journal of political science, vol.69, 2018, pp. 661-672,
2. Raj, Rekha. "Dalit women as Political Agents: A kerala Experience" Economic and political weekly', vol.48, 2013, pp 56-63.
3. Guru, Gopal. "Dalit women talk Differently", Economic and political weekly, vol.30, 1995, pp. 2548-2550
4. Kumar, Pankaj. "Participation of women in politics: worldwide experience", Journal of Humanities and social science, vol. 22, 2017, pp.77-88.
5. Shrivastava, Rashmi." Political Entrepreneurship of Indian women: Challenges and possibilities", The Indian Journal of Political Science, vol. 74, 2013, pp. 233-244.
6. Chadha, Anuradha." Political participation of women: A case study in India", International Journal of sustainable development, vol.7, 2014, pp.91-108.
7. मिल, जॉन स्टुअर्ट; ''द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन'', नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, 2012, पृ. 266-268
8. Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of women' gender a Sociological understanding, Pearson, 1792, PP. 50
9. Pai, Sudha. New social and political Movement of Dalits: A study of Meerut District', Contribution to Indian Sociology, vol.34, 2000, pp.189- 220.
10. Singh, pitam. Pundir, JÆ. 'Women Legislators in UP: Background, Emergence and Role', Economic and political weekly, vol.37, 2002, pp. 923-928.
11. Omvedt, Gail. women in Governance in south Asia', Economic and political weekly, vol.40, 2005, pp. 4746-4752.
12. Sree Kumar, S.S. Representation of women in Legislature: A Sociological perspective in the Indian Context', Indian political science Association, vol.67, 2006, pp.617-628.
13. Ramchandra, M. 'Inclusive Democracy and political participation of Dalit women in India: An Overview', International Journal of Research Economics and social sciences, vol. 8, 2018, PP. 429-437
14. Mohan, Dr. Nisha. Problem and Challenges of women participation in politics', International Conference on multidisciplinary Research, 2018. PP. 480-488
15. जामरे, नगारची, 'पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण एवं राजनीतिक सशक्तीकरण', राधाकमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 21 अंक 1, जनवरी-जून 2019, पृ. 28-38
16. विष्ट, निर्दोशिता, 'महिला सशक्तीकरण तथा महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधाकमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 23 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2021, पृ. 171-178
17. सक्सेना, अनुपमा एवं कश्यप, दीपक कुमार, 'छत्तीसगढ़ की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं महिला सशक्तीकरणः एक समीक्षात्मक अध्ययन', राधाकमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा, वर्ष 25, अंक 1, जनवरी-जून 2023, पृ. 72-78
18. चुनाव आयोग भारत सरकार, सन् 2002 से 2022

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# मनरेगा योजना का अनुसूचित जाति के श्रमिकों पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ सुश्री उपमा द्विवेदी
❖ डॉ. प्रियंका एन. रुवाली

**सूचक शब्द :** मनरेगा, निर्धनता, बेरोजगारी, पारिवारिक निर्णय।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुख्यतः कृषि एवं दैनिक आय पर निर्भर हैं। यह दैनिक आय अकुशल अस्थाई एवं शारीरिक श्रम से अर्जित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या निर्धनता एवं बेरोजगारी की है जिसको सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमे सबसे सफल योजना "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम" (मनरेगा) है। निर्धन और निर्बल लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चालायी गयी हैं जिससे उनका उत्थान हो सके। उन्हीं योजनाओं में से मनरेगा योजना भी एक है। मनरेगा योजना से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को लाभ हुआ हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और उन्हें अपने गॉव में ही रोजगार मिलने से उनको अपने परिवार की देख-रेख के साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर प्राप्त हुए हैं। फलस्वरूप वे अपने जीवन की मूल भूत आवश्यकताएँ पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं।

**व्यक्ति के** जीवन का एक मात्र उद्देश्य यह रहता है कि वह किसी प्रकार से अपने जीवन को चलाएं क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य या रोजगार करना आवश्यक है। बिना रोजगार के व्यक्ति ना तो अपना रहन-सहन, खान-पान, स्वास्थ्य, शिक्षा का विकास कर सकता है, और ना ही अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है क्योंकि जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उसे अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी और अच्छी आय प्राप्त न होने से उनके जीवन की गुणवता में कमजोरियाँ देखने को मिलेगीं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके इसलिए भारत सरकार रोजगार हेतु अनेक प्रकार की विकास-मूलक योजनाओं का संचालन कर रही है। उनमें से एक है महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा), जिससे अकुशल श्रमिकों के परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल सकें। उनको अपने गाँवों में ही रोजगार प्राप्त हो जाये और उनकी बेरोजगारी एवं इससे उत्पन्न गरीबी को समाप्त किया जा सके।

**प्रस्तुत शोध** पत्र में यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करके अनुसूचित जाति के श्रमिकों की निर्धनता दूर हुई है या नहीं। क्या वास्तव में उन्हें जो रोजगार प्राप्त हो रहा है जो उनकी निर्धनता को दूर करने में सहायक है तथा उनके जीवन पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है?

**शोध पद्धति :** प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में स्थित मिठौरा विकास खण्ड के खोष्टा गाँव में अनुसूचित जातियों के निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका पर आधारित है। महराजगंज जनपद में कुल 12 विकास खण्ड हैं। चूँकि अध्ययन अनुसूचित जाति पर मनरेगा के प्रभाव पर आधारित है अतः यह आवश्यक है कि निदर्श के रूप में उसी गाँव का चयन हो जिसमें अनुसूचित जाति के सर्वाधिक लोग निवास करते हों। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करते हुए खोष्टा गाँव का अध्ययन के लिए चयन किया गया है क्योंकि इस गाँव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। खोष्टा गाँव में मनरेगा योजना कार्यक्रम में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 1651 है जिसमें से अनुसूचित जाति के पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 1281 है। इसमें से 25 प्रतिशत अर्थात् 323 उत्तरदाताओं का चयन लॉटरी

❑ शोध अध्येत्री समाजशास्त्र विभाग, डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
❖ सह प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पद्धति द्वारा किया गया है जो बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं।

**साहित्य समीक्षा**

**रेगासामी एवं शशि**[1] ने अपने शोध पत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 50 प्रतिशत परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ के लाभान्वितों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में निर्धनता औसत से अधिक है। मनरेगा के अंतर्गत आवंटित राशि का सर्वाधिक उपयोग मध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं राज्यस्थान में किया गया। इसके पश्चात् आवंटित राशि का उपयोग उत्तर प्रदेश, छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार द्वारा किया गया।

**प्रीती द्विवेदी**[2] ने अपने अध्ययन में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भागलपुर ब्लॉक के पिपरा मिश्र ग्राम पंचायत के कुल 112 परिवारों का जातीय आधार पर चयन करके दैव निर्देशन विधि से किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में मनरेगा से सुधार हुआ है और उनके पलायन में भी कमी आयी है और उन्होंने पाया कि पहले वह अन्य राज्यों में रोजगार हेतु पलायन करते थे लेकिन मनरेगा योजना आने से उनको गाँव में ही काम मिलने से प्रवास में भी कमी आयी है और अकुशल मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे वे स्वयं की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव अनुभव कर रहे हैं।

**अलका जैन एवं अर्चना शर्मा**[3] ने मध्य प्रदेश तथा इन्दौर जिले में मनरेगा के अन्तर्गत हुई प्रगति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की अद्‌भुत, महत्वाकांक्षी, व्यापक वित्तीय योजना मनरेगा अपने उद्‌देश्य में सफल हो रही है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण और निर्धनता उन्मूलन में यह योजना सफल सिद्ध हो रही है।

**रीईमिंगम मरखंग**[4] के अनुसार सिक्किम में अनुसूचित जाति के मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों के प्रभाव पर आधारित है। मनरेगा योजना द्वारा पर्यावरण संरक्षण, भूमि और कच्चे कार्य करवाये गये हैं। अध्ययन में कुल जॉब कार्ड धारकों में से एक तिहाई से अधिक श्रमिक रोजगार से लाभान्वित हुए हैं, तथा इस योजना से सामाजिक-आर्थिक तथा घरेलू स्थिति में सुधार हुआ है। यह योजना गरीबी उन्मूलन के लिए एक ड्राइविंग टूल का कार्य कर रही है।

**समैया, बी0 और सोडे, राघवेन्द्र**[5] का शोध पत्र भारत के तेलंगाना राज्य में सीमान्त खण्ड पर मनरेगा के प्रभाव पर आधारित है। इसमें इन्होंने तेलंगाना के 2 जिलों महबूब नगर व खम्मय में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों द्वारा ऑकड़ों का संग्रहण कार्य किया है जिसका उद्‌देश्य आर्थिक विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा विकास, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए औसत विधि, प्रतिशत विधि, जेड-टेस्ट सहसंबंध के आधार पर विश्लेषण रहा है जिससे यह पता चला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, बिजली सुविधा, महिला भागीदारी में वृद्धि, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास इत्यादि में सुधार हो रहा है।

**कुमारी रिंकी**[6] ने अपने शोध पत्र में बिहार के निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा योजना का अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मनरेगा सफल योजना सिद्ध हो रही है। मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले रोजगार से निर्धनता दूर हो रही है, और इस योजना से ग्रामीणों के निर्धनता उन्मूलन से हमारे देश के विकास के मार्ग में पथ प्रदर्शन का कार्य हो रहा है।

**देवदास बंजारे व मनीषा महापात्र**[7] द्वारा किये गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, मनरेगा योजना से मिलने वाले रोजगार के कारण गावों से शहर की ओर होने वाले पलायन में कमी आयी है।

**तथ्य विश्लेषण**

**सारिणी सं0 1**

**मनरेगा योजना द्वारा आय में वृद्धि**

| आय में वृद्धि | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हाँ | 264 | 81.74 |
| नहीं | 59 | 18.26 |
| कुल योग | 323 | 100.00 |

**उपर्युक्त तालिका** से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक

उत्तरदाताओं (81.74 प्रतिशत) की मनरेगा योजना में कार्य करने से आय में वृद्धि हुई है तथा 18.26 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना में कार्य करने से आय में वृद्धि नहीं हुई है।

**सारिणी सं0 2**

**महिलाओं के जीवन में सुधार**

| महिलाओं के जीवन में सुधार | महिला | | पुरूष | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत |
| हाँ | 82 | 77.35 | 143 | 65.89 | 225 | 69.65 |
| नहीं | 24 | 22.64 | 74 | 34.11 | 98 | 30.35 |
| कुल योग | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 |

**उत्तरदाताओं** के विभाजन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (69.65 प्रतिशत) का मानना है कि मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है तथा 30.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके जीवन में सुधार नहीं हुआ है। लिंग के आधार पर विभाजन से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिला उत्तरदाताओं (77.35 प्रतिशत) द्वारा कहा गया कि मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है, 22.64 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश पुरूष उत्तरदाताओं (65.89 प्रतिशत) द्वारा कहा गया कि मनरेगा योजना में कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है, 34.11 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार नहीं हुआ है।स्पष्ट होता है कि पुरूषों की अपेक्षा महिला उत्तरदाता इस बात को अधिक मानती है कि मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है। रीतिका खेड़ा[8] तथा अल्का जैन एवं अर्चना शर्मा[9] के अध्ययन में भी अधिकांश महिलाओं का मानना था कि मनरेगा में कार्य करके उनके जीवन में सुधार हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन से उनके निष्कर्षो की पुष्टि होती है।

**यदि महिला** आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो परिवार में भी उनकी परिस्थिति में सुधार होता है। मनरेगा में कार्य करने के पश्चात महिलाओं की पारिवारिक परिस्थिति में कितना सुधार हुआ है महिला उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया जो सारिणी संख्या 3 द्वारा दर्शाया गया है।

**सारिणी सं0 3**

**परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता**

| निर्णय लेने की क्षमता | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हाँ | 75 | 70.76 |
| नहीं | 31 | 29.24 |
| कुल योग | 106 | 100 |

**उपर्युक्त** सारिणी से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाऐं (70.76 प्रतिशत) यह मानती हैं कि मनरेगा में कार्य करने के पश्चात परिवार के विभिन्न मामलों में उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। अब वे विभिन्न खर्चों से सम्बन्धित, बच्चों के मामले एवं अन्य पारिवारिक निर्णय लेती हैं तथा 29.24 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने से और पैसा कमाने के बाद भी पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी नगण्य रहती है स्वयं द्वारा कमाया हुआ धन भी उन्हें अपने पति का सौपना पड़ता है जिसे उनके पति अपनी इच्छा से खर्च करते हैं। यद्यपि यह भी देखा गया है कि जिन महिलाओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि परिवार में उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है उनमें अधिकांश विधवा महिलाऐं थीं जो स्वयं ही अपना घर चलाती हैं। स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने के पश्चात महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हुआ है।

**मनरेगा के** अन्तर्गत यह प्रावधान है कि श्रमिकों द्वारा शारीरिक क्षमता पर आधारित कार्य करवाये जाते हैं। उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों को अग्रिम सारिणी द्वारा दर्शाया गया है।

**सारिणी सं0 4**
**मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो का सम्पादन**

| कार्यो का सम्पादन | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| तालाब का सुन्दरीकरण | 54 | 16.72 |
| वृक्षारोपण | 41 | 12.69 |
| सड़क बनवाना | 96 | 29.73 |
| पंचायत भवन बनवाना | 62 | 19.10 |
| शौचालय बनवाना | 70 | 21.67 |
| कुल योग | 323 | 100.00 |

**उपर्युक्त** सारिणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा(29.73 प्रतिशत) सड़क बनाने का कार्य किया गया है तथा 21.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा शौचालय बनाने का कार्य किया गया तथा 19.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पंचायत भवन बनाने का कार्य किया गया, 16.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा तालाब सुन्दरीकरण का कार्य किया गया, 12.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अन्तर्गत सर्वाधिक उत्तरदाताओं द्वारा सड़क बनाने का कार्य किया गया है।

**मनरेगा में कार्य आरम्भ करते समय मजदूरी :** अध्ययन के अंतर्गत आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं की मनरेगा में कार्य प्रारम्भ करते समय मजदूरी 100 रू. से 200 रू. के मध्य में थी।

**स्वास्थ्य खराब** होने पर उत्तरदाताओं के उपचार को मनरेगा में कार्य करने पूर्व तथा मनरेगा में कार्य करने के पश्चात दोनों से ही स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर को सारिणी संख्या 5 द्वारा दर्शाया गया है।

**सारिणी सं0 5**
**उपचार के आधार पर उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर**

| उपचार के आधार | मनरेगा में कार्य करने से पूर्व | | | | | | मनरेगा में कार्य करने के पश्चात | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महिला | | पुरूष | | कुल योग | | महिला | | पुरूष | | कुल योग | |
| | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत |
| स्वयं उपचार | 14 | 13.22 | 5 | 2.30 | 19 | 5.88 | 3 | 2.84 | 5 | 2.32 | 8 | 2.47 |
| सरकारी अस्पताल | 67 | 63.20 | 140 | 64.51 | 207 | 64.09 | 55 | 51.89 | 124 | 57.14 | 179 | 55.43 |
| प्राइवेट अस्पताल | – | – | 7 | 3.23 | 7 | 2.16 | 5 | 4.71 | 12 | 5.52 | 17 | 5.26 |
| मेडिकल स्टोर | 25 | 23.58 | 65 | 29.96 | 90 | 27.87 | 43 | 40.56 | 76 | 35.02 | 119 | 36.84 |
| कुल योग | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 |

**सारणी से** स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश उत्तरदाताओं (64.09 प्रतिशत) द्वारा सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जाता था तथा 27. 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा मेडिकल स्टोर से दवा ली जाती थी तथा 28.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं उपचार किया जाता था तथा मात्र 2.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा प्राइवेट अस्पताल में उपचार किया जाता था।

**मनरेगा में** कार्य करने के पश्चात अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा (55.42 प्रतिशत) सरकारी अस्पताल में उपचार करवाया जाता है, 36.84 प्रतिशत उत्तरदाता मेडिकल स्टोर से उपचार करवाते है तथा 5.26 प्रतिशत उत्तरदाता प्राईवेट अस्पताल में उपचार करवाते है सबसे कम 2.47 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं उपचार करते हैं। स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने के पूर्व तथा मनरेगा में कार्य के पश्चात अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी अस्पताल में ही उपचार करवाया जाता है।

**लिंग के** आधार पर विभाजन करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश पुरूष उत्तरदाता (64.51 प्रतिशत) मनरेगा में कार्य करने से पूर्व सरकारी अस्पताल में उपचार करवाते थे, 29.96 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा मनरेगा में कार्य करने से पूर्व मेडिकल स्टोर से उपचार करवाते थे, 3.23 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा मनरेगा में कार्य करने से पूर्व प्राइवेट अस्पताल में उपचार करवाते थे, सबसे कम 2.30 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं उपचार किया जाता था। अधिकांश महिला उत्तरदाताओं

द्वारा 63.20 प्रतिशत सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जाता था, 23.58 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा मेडिकल स्टोर से उपचार किया जाता था, 13.22 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं उपचार किया जाता था।

**मनरेगा में** कार्य करने के पश्चात अधिकांश महिला उत्तरदाताओं (51.89 प्रतिशत) द्वारा सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जाता है, 40.56 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा मेडिकल स्टोर से उपचार कराया जाता है 4.71 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा प्राइवेट अस्पताल में उपचार किया जाता है, 2.84 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं उपचार किया जाता है तथा अधिकांश पुरूष उत्तरदाताओं (57.14 प्रतिशत) द्वारा सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जाता है, 35. 02 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा मेडिकल स्टोर से उपचार कराया जाता है, 5.52 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा प्राईवेट अस्तपाल में उपचार कराया जाता है, 2.32 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं उपचार किया जाता है। सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व तथा प्श्चात दोनों परिस्थितियों में अधिकांश महिला तथा पुरूष उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जाता है।

**सारिणी सं0 6**

**उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा**

| विद्यालय | मनरेगा से पहले | | मनरेगा के बाद | |
|---|---|---|---|---|
| | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत |
| सरकारी विद्यालय | 212 | 65.63 | 143 | 44.29 |
| प्राईवेट विद्यालय | 68 | 21.06 | 128 | 39.62 |
| विद्यालय नहीं जाते | 43 | 13.31 | 52 | 16.09 |
| कुल योग | 323 | 100.00 | 323 | 100.00 |

**उपर्युक्त** सारिणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व सर्वाधिक (65.63 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, मात्र 21.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, 13.31 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके बच्चे मनरेगा में कार्य करने से पूर्व विद्यालय नहीं जाते थे।

**मनरेगा में** कार्य करने के पश्चात अधिकांश 44.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 39.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा 16.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने के पूर्व तथा मनरेगा में कार्य करने के पश्चात भी अधिकांश उत्तरदाता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं।

**सारिणी सं0 7**

**मनोरंजन/संचार के साधनों की उपलब्धता**

| मनोरंजन/संचार | मनरेगा में कार्य करने से पूर्व | | | | | | मनरेगा में कार्य करने के पश्चात | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महिला | | पुरूष | | कुल योग | | महिला | | पुरूष | | कुल योग | |
| | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत | आवृति | प्रतिशत |
| रेडियो | 3 | 2.83 | 33 | 15.21 | 36 | 11.15 | 2 | 1.88 | 10 | 4.61 | 12 | 3.72 |
| टी0 वी0 | 6 | 5.67 | 17 | 7.84 | 23 | 7.12 | 11 | 10.37 | 36 | 16.58 | 47 | 14.56 |
| डी0 वी0 डी0 | 1 | 0.94 | 3 | 1.39 | 4 | 1.24 | 2 | 1.89 | 4 | 1.84 | 6 | 1.85 |
| मोबाइल फोन | 9 | 8.49 | 22 | 10.13 | 31 | 9.59 | 31 | 29.25 | 107 | 49.30 | 138 | 42.73 |
| डिश कनैक्शन | - | - | 8 | 3.68 | 8 | 2.48 | 3 | 2.83 | 9 | 4.15 | 12 | 3.71 |
| कोई साधन नहीं | 87 | 82.07 | 134 | 61.75 | 221 | 68.42 | 57 | 53.78 | 51 | 23.52 | 108 | 33.43 |
| कुल योग | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 |

**सारणी संख्या 7** से ज्ञात होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश (68.42 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, 11.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास रेडियो था, 9.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास मोबाइल फोन था, 7.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास टी.वी. था, 2.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास डिश कनैक्शन था, 1.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास डी.वी.डी. था।

**मनरेगा में** कार्य करने के पश्चात अधिकांश 42.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास मोबाइल फोन है, 37.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास आज भी मनोरंजन/संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, 14.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास टी.वी. है तथा 3.72 प्रतिशत उत्तदाताओं के पास रेडियों है, 3.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास डिश कनैक्शन है, 1.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास डी.वी.डी. है। स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन/संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था तथा मनरेगा में कार्य करने के पश्चात अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है।

**लिंग के आधार** पर देखने से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश महिला उत्तरदाताओं (82.07 प्रतिशत) के पास मनोरंजन/संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, 8.49 प्रतिशत महिला उत्तरदाता के पास मोबाइल फोन था, 5.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास टी.वी. था, 2.83 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास रेडियों था, 0.94 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास डी.वी.डी. था। अधिकांश पुरूष उत्तरदाताओं (61.75 प्रतिशत) के पास मनोरंजन तथा संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, 15.21 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास रेडियो था 10.13 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास मोबाइल फोन था, 7.84 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास टी0 वी0 था, 3.68 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास डिश कनैक्शन था, 1.39 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास डी0 वी0 डी0 था। स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश महिला तथा पुरूष उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन एवं संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था।

**मनरेगा में** कार्य करने के पश्चात अधिंकाश महिला उत्तरदाताओं (53.78 प्रतिशत) के पास मनोरंजन एवं संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, 29.25 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास मोबाइल है, 10.37 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास टी0 वी0 है, 2.83 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास डिश कैनेक्शन है, 1.89 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास डी0 वी0 डी0 है, 1.88 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के पास रेडियो है। अधिकांश पुरूष उत्तरदाताओं 49.30 प्रतिशत के पास मोबाइल फोन है, 23.52 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन एवं संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, 16.58 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास टी0 वी0 है, 4.61 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास रेडियो है, 4.15 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास डिश कनैक्शन है 1.84 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं के पास डी0 वी0 डी0 है। सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मनरेगा में कार्य करने से पूर्व अधिकांश महिला तथा पुरूष उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन/संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था तथा मनरेगा में कार्य करने के पश्चात अधिकांश पुरूष उत्तरदाता के पास मोबाईल फोन है तथा अधिकांश महिला उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन/संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है।

**सारिणी सं0 8**

**निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करने में मनरेगा की सफलता**

| निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करने में सफल | महिला | | पुरूष | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत |
| हाँ | 72 | 67.92 | 122 | 56.22 | 194 | 60.07 |
| नहीं | 34 | 32.08 | 95 | 43.78 | 129 | 39.93 |
| कुल योग | 106 | 100 | 217 | 100 | 323 | 100 |

**सारणी संख्या 8** से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (60.07 प्रतिशत) ने कहा कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हो रही है तथा 39.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि

मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। स्पष्ट है कि अधिकांश अनुसूचित जाति के श्रमिकों की मनरेगा में कार्य करने से निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हो रही है। लिंग के आधार पर विभाजन से स्पष्ट होता है कि 56.22 प्रतिशत अधिकांश पुरूष उत्तरदाताओं कहना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हो रही है, 43.78 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है तथा सर्वाधिक 67.92 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हो रही है, 32.08 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करने में एक सफल योजना सिद्ध हो रही है। यद्यपि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत अधिक है जो यह मानते हैं कि मनरेगा योजना में कार्य करने से उनकी निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हुई है। सुभाष सेतिया[10], तिवारी तथा अन्य[11] के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने से श्रमिकों की निर्धनता में कमी आयी है। सनी कुमार सुमन[12] के अध्ययन में भी निर्धनता में कभी आयी है।

**निष्कर्ष** : प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है जिसमें पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की प्रतिशत अधिक है तथा महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। अधिकांश श्रमिकों द्वारा मनरेगा में सड़क बनवाने का कार्य किया गया है। सभी उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा में कार्य आरम्भ करते समय मजदूरी 100 रू. से 200 रू. के मध्य थी। अधिकांश श्रमिकों द्वारा मनरेगा में कार्य करने से पूर्व तथा पश्चात सरकारी अस्पताल में उपचार करावाया जाता है इनमें पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत अधिक हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं के बच्चे मनरेगा में कार्य करने के पूर्व तथा पश्चात सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जिसमें अधिकांश अशिक्षित उत्तरदाताओं के बच्चे हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन तथा संचार के साधन उपलब्ध हैं जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों का प्रतिशत अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मनरेगा से पूर्व मनोरंजन/संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था तथा मनरेगा के पश्चात मोबाइल फोन है जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों का प्रतिशत अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा योजना से निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर हुई हैं जिसमें पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

## सन्दर्भ


1. Regasami and Siddharth, 'Bank Payment and of corruption in Narega", Economic weekly, Vol. 17, 2008, pp. 33-39
2. द्विवेदी प्रीति, 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधा कमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, जनवरी- जून, 2012 पृ. 74-77
3. जैन, अलका एवं शर्मा अर्चना, 'गाँवों में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा', कुरुक्षेत्र, अगस्त 2014 https://hindi.indiawaterportal.org/articles/gaanvaon-maen-raojagaara-kaa-saulabha-saadhana-manaraegaa
4. रीइमिगम मरखंग, 'सिक्किम में गरीबी पर मनरेगा अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का प्रभाव', जर्नल ऑफ रूरल डेबलपमेन्ट 35 (1), 2016 पृ. 77-95
5. समैया, बी0 और सोडे, राघवेन्द्र, 'भारत के तेलंगाना राज्य में सीमानत खण्ड में मनरेगा नीति का प्रभाव', वाल्यूम- 9, इश्यू- 3, 2018 पृ. 6795
6. कुमारी, रिंकी, 'ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना का योगदान बिहार के विशेष सन्दर्भ में', रिमार्किंग एन एनाइलसेसन, खण्ड 4, अंक - 1, 2019, पृ. 104-107
7. Ritika Khera and Nayak Nandini, 'Women workers perceptions of the narega", Economic and Political weekly, Vol. 11 2009, p. 49
8. देवदास बंजारे व मनीषा महापात्र, 'मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास के संदर्भ में मूल्यांकन', राधाकमल मुकर्जीः चिंतन परंपरा, वर्ष 24 अंक 2, जुलाई - दिसंबर 2022, पृ. 42-48
9. जैन, अलका एवं शर्मा अर्चना, पूर्वोक्त
10. सेतिया, सुभाष, 'नरेगा ने खोले गाँवों में रोजगार के नए द्वारा', कुरूक्षेत्र प्रकाशन, भारत सरकार, अंक दिसम्बर 2009 पृ. 17
11. Tiwari et.al., 'Manrega for environmental service enhancement and vulnerability reduction: repid appraisal in chitr durga district Karnataka", Economic and Political weekly, Vol. 66 (20) 2011, Pg. No. 39-47
12. सुमन सनी कुमार, 'मनरेगा कार्यक्रम : उपलब्धियों एवं बाधाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधा कमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 19 अंक 2, जुलाई- दिसम्बर 2017, पृ. 60-65

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# भारत-चीन सीमा संघर्ष : मुद्दे और समाधान

❑ डॉ. इंद्र कुमार

**सूचक शब्द** : सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, संवाद, प्रोटोकॉल।

भारत चीन के साथ 3,488 कि.मी. लंबी सीमा साझा करता है जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा सम्मिलित है। सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है और वास्तविक नियंत्रण रेखा की पुष्टि और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इससे दोनों पक्षों के बीच चीन-भारत सीमा पर कई झड़पें हुईं, जिससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में बदलाव की संभावना है। सार्वजनिक डोमेन में कोई आधिकारिक मानचित्र नहीं है जो एल.ए.सी. को दर्शाता हो। एल.ए.सी. की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि वे क्षेत्र, जो वर्तमान में प्रत्येक पक्ष के नियंत्रण में हैं, सीमा विवाद के समाधान के लिए लंबित है। भारत और चीन के सैनिकों के मध्य विशेष रूप से सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के 13 क्षेत्रों में अक्सर आमना-सामना रहता है इनमें से कुछ क्षेत्र हैं- पश्चिमी क्षेत्र में डेमचोक और पैंगोंग झील का उत्तरी तट, मध्य क्षेत्र में बाराहोती और पूर्व में सुमदोरोंग चू। मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों को भारत-चीन सीमा मामलों पर सभी विद्यमान समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, किसी भी ऐसी कार्यवाही से बचना चाहिए जो मामलों को बढ़ा सकती है और विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संचार जारी रखना चाहिए।

**हाल के** दिनों में, चीन और भारत के बीच रणनीतिक और राजनयिक संबंध जटिलताओं, तनाव और ऐतिहासिक विरासतों पर दोनों पक्षों की गलतफहमी से भरे हुए हैं। अधिकांश अविश्वास दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध की विरासत से उत्पन्न हुआ। तब से, संबंध दुविधापूर्ण रहे हैं, जिनमें कूटनीतिक उथल-पुथल और संकट के क्षण सम्मिलित हैं।[1]

**भारत-चीन** संबंध 2500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिनमें प्राचीन काल से ही सुदृढ़ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। चीन-भारत सीमा आम तौर पर तीन सेक्टरों में विभाजित है, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी क्षेत्र में भारत की लगभग 2152 कि. मी. लंबी सीमा चीन के साथ लगती है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य) और चीन के झिंजियान प्रांत के बीच है। मध्य क्षेत्र में, भारत की लगभग 625 कि.मी. सीमा चीन के साथ लगती है। यही एक ऐसा सेक्टर है जहां दोनों देशों में कम असहमति है, सीमा लद्दाख से नेपाल तक जाती है। पूर्वी क्षेत्र में, भारत चीन के साथ 1140 कि.मी. लंबी सीमा साझा करता है। सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो भूटान की पूर्वी सीमा से तिब्बत, भारत और म्यांमार की सीमा पर तालु दर्रे के पास एक बिंदु तक चलती है। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पर चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है।

**समकालीन चीन** और भारत के बीच संबंधों में सीमा विवाद रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीन सैन्य संघर्ष हुए - 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1967 में नाथू ला और चो ला में सीमा संघर्ष और 1987 सुमदोरोंग चू गतिरोध। हालाँकि, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से दोनों देशों ने सफलतापूर्वक राजनयिक और आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्माण किया है। 2008 से 2021 के बीच चीन भारत का सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और दोनों देशों ने अपने रणनीतिक और सैन्य संबंधों को भी बढ़ाया है।

**शोध पत्र का उद्देश्य**

1. भारत- चीन के मध्य उभरती प्रतिद्वंद्विता का विश्लेषण करना।
2. भारत- चीन के मध्य विवाद के मुद्दों की पहचान एवं समाधान का विश्लेषण करना।
3. भारत- चीन संबंधों में भविष्य की संभावनाओं व अवसरों की व्याख्या करना।

**साहित्य समीक्षा**

**शिवम पॉल**[2] अपनी पुस्तक 'इंटरनेशनल रिलेशन्स' में लिखते हैं कि चीन एक विशाल तथा तकनीकी देश है तकनीकी क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है। आज यह

❑ सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सांध्यकालीन अध्ययन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, द मॉल शिमला (हि.प्र.)

एक महाशक्ति के रूप में संसार में अपनी जगह बनाए हुए है। चीन के बारे में अन्य सभी देश यही मानते हैं कि यह देश दूसरे देशों के विषय में नहीं सोचता है इसकी इसी प्रवृति के कारण इसे विश्वासघाती या नग्न साम्राज्यवादी कहा जाए तो कोई गलती ना होगी।

**बी. पी. गौतम**[3] अपनी पुस्तक 'इंडियास फॉरेन पॉलिसी' विषय पर आधारित अपने अध्ययन में यह पाया कि चीन में गृहयुद्ध के समाप्ति के पश्चात सितंबर, 1949 में साम्यवादियों ने माओत्सेतुंग के नेतृत्व में कॉमिनतांग शासन को उखाड़ फेंका। साम्यवादी शासन के प्रादुर्भाव पर भारत ने उसका हृदय से स्वागत किया। यों तो पंडित नेहरू के हृदय में चीन के लिए बहुत ऊँचा स्थान था, लेकिन भारतीय राजदूत के. एम. पाणिकर के कारण चीन को भारत से पूरी सहानुभूति मिली। दोनों देशों के बीच प्रारंभ से ही अत्यंत मधुर और अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। असाम्यवादी देशों में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने साम्यवादी चीन को शीघ्र मान्यता प्रदान की और चीन के नए गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा। इसके कारण भारत के कई देशों के साथ, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मनमुटाव उत्पन्न हो गये। कोरिया युद्ध के समय भारत ने चीन का जितना समर्थन किया उतना संभवतया सोवियत संघ ने भी नहीं किया, लेकिन विदेश नीति के क्षेत्र में यह महान भूल थी।

**बृजेश चंद्र श्रीवास्तव**[4] ने 'भारत चीन संबंध : संघर्ष के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दे' नामक लेख में लिखा है कि भारत में चीन के रणनीतिक हित एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बनाए रखने से है, जो सभी राज्यों और विशेष रूप से पड़ोसियों (भारत) के साथ मित्रवत संबंध बनाने, चीन विरोधी क्लॉकस के गठन की दिशा में किसी भी प्रयास को रोकने और अंततः अपने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए बाजार, निवेश के अवसर और संसाधनों को विकसित करते हैं। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विवादित द्विपक्षीय मुद्दों के बावजूद चीन के लिए भारत के साथ मैत्री संबंध होना आवश्यक है। दूसरी तरफ, आंतरिक विकास पर भारत का अपना ध्यान चीन के साथ सकारात्मक संबंध पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

**शोध प्रविधि :** प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है, जो कि द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस हेतु विभिन्न पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध आलेखों एवं ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है।

**संघर्ष के मुद्दे :** 1950 में चीन के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से, भारत-चीन संबंध काफी अस्थिर रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है, लंबे समय से चले आ रहे और अनसुलझे क्षेत्रीय मुद्दे पड़ोसियों के बीच प्रमुख समस्या बने हुए हैं। संभवतः चीन-भारत संबंधों में सबसे बड़ी बाधा, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद कई वर्षों से अस्तित्व में हैं और अनसुलझे हैं। चीन के साथ भारत के संबंधों के मूल में तिब्बत का अनसुलझा मुद्दा है। 1950 में, तिब्बत में विद्रोह के बाद, 14वें दलाई लामा अपने कई अनुयायियों के साथ निर्वासन में भारत आए, जहां उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (आमतौर पर निर्वासित तिब्बती सरकार के रूप में जाना जाता है) की स्थापना की। पिछले लगभग एक दशक में भारत की बढ़ती चिंताओं में से एक हिंद महासागर में चीन के भू-राजनीतिक प्रभाव का लगातार बढ़ना है। इसे 'मोतियों की माला' कहा जाता है, इसमें अपने नए 'रेशम मार्ग' के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों में वाणिज्यिक बंदरगाहों का विकास सम्मिलित है। भारत भी नदी जल के प्रवाह में कमी और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश से चिंतित है। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी (चीन में त्सांगपो के नाम से जानी जाने वाली) के परी पहुंच पर कई बांध बनाने की योजना नई दिल्ली को पसंद नहीं आ रही है। हालाँकि चीन आज भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, लेकिन व्यापार असंतुलन की चिंताएँ चीन के पक्ष में झुकी हुई हैं। 2022 में, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 101.02 बिलियन डॉलर था, जो पहली बार 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

**प्रादेशिक मुद्दा :** इस हिमालयी सीमा पर विवाद के दो मुख्य क्षेत्र हैं। एक ओर, अरुणाचल प्रदेश में दस लाख से अधिक लोग, भारतीय नागरिक रहते हैं और इसमें तवांग जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र भी सम्मिलित हैं। दूसरी ओर, अक्साई चीन वस्तुतः निर्जन अंधकारमय बंजर पठार है जहाँ कोई स्थायी बस्तियाँ नहीं हैं। विवादित क्षेत्र के छोटे हिस्से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र में हैं।[5]

**चीन अरुणाचल** सहित पूर्वोत्तर में भारत के लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में 38,000 वर्ग कि.मी. भूमि लद्दाख का हिस्सा है। 2020 की चीन-भारत झड़पें चीन और भारत के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध का हिस्सा हैं। 5 मई 2020 से, चीनी और भारतीय सैनिक चीन-भारत सीमा पर कई स्थानों पर आमने-सामने और आक्रमक झड़पों में लगे हुए हैं। इसमें लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील और सिक्किम की सीमा के पास तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सम्मिलित है। 2020 की गलवान घटना भारत और चीन के बीच एल.ए.सी. पर 1975 के बाद पहली सैन्य गतिरोध थी। यह घटना चीन के साथ भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है और 45 साल के अध्याय के अंत का प्रतीक है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी) पर किसी भी सशस्त्र टकराव में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था।

**पानी का मुद्दा :** तिब्बत से शुरू होने वाली कुल सात नदियाँ भारत से होकर बहती हैं - सिंधु, सतलुज, करनाली (घाघरा), सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र और लोहित (और इसकी सहायक नदी दुलई)। अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र के रूप में चीन दक्षिण एशियाई देशों की जल सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी अधिकांश स्वस्थ नदियों का स्रोत तिब्बत में है जो चीनी नियंत्रण में है। भारत चीनी आक्रामकता और ग्रेट बेंड पर ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) नदी पर एक विशाल जलविद्युत/भंडारण बांध बनाने की उसकी योजना को लेकर अधिक चिंतित है। सफल होने पर, चीन अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमा के पास ग्रेट बेंड क्षेत्र का दोहन करके प्रस्तावित 38 गीगावॉट जलविद्युत उत्पन्न करने में सक्षम होगा, जिसे जल विज्ञानी इतने बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त मानते हैं।

**चीन के निचले** तटीय इलाकों के लिए सबसे खतरनाक और विनाशकारी कदम ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मृत पड़ी पीली नदी की ओर मोड़ने की योजना होगी। इसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश में पानी की उपलब्धता पर पड़ेगा। वर्तमान में, पुष्टि किए गए संसाधनों और चीनी मान्यता के अनुसार, चीन ने दो परियोजनाएं यानी 510 मेगावाट जगमू हाइड्रोपावर स्टेशन और 360 मेगावाट जियाचा हाइड्रोपावर स्टेशन पूरा कर लिया है और नदी के मध्य पथ पर लेंगडो, झोंगडा, लैंगजेन में तीन और परियोजनाओं की तैयारी शुरू की है।[6] भारत की चिंताएँ इस तथ्य से भी उपजी हैं कि चीन जल बंटवारे को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं से संबंधित जानकारी समय पर साझा करने में सहयोग नहीं करता है और न ही भारतीय विशेषज्ञों को बांध स्थलों पर जाने की अनुमति देता है। आपातकालीन प्रबंधन सहित ब्रह्मपुत्र के संबंध में दोनों देशों के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर कई समझौता ज्ञापन हैं।

**चीनी सैन्य आधुनिकीकरण का मुद्दा :** चीन की सरकार ने 2024 में रक्षा खर्च को 7.2 प्रतिशत बढ़ाकर 236 बिलियन डॉलर करने की घोषणा की है। चीन ने पिछले साल अपना रक्षा बजट 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.55 ट्रिलियन युआन आंका था। इस साल रक्षा खर्च बढ़कर 1. 7 ट्रिलियन युआन (236.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है। अमेरिका के बाद चीन रक्षा पर दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है, जिसका 2024 के लिए रक्षा बजट कुल 842 अरब डॉलर था।

**यह लगातार** नवां साल है जब चीन ने अपने सैन्य बजट में एक अंकीय प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एन.पी.सी.) के उद्घाटन सत्र में प्रस्तुत की गई अपनी कार्य रिपोर्ट में - देश की रबर-स्टैंप संसद - निवर्तमान प्रधान मंत्री ली केकियांग ने सशस्त्र बलों से युद्ध की तैयारियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। चीनी सेना का आधुनिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है, चीनी नौसेना के पास अब तीन विमान वाहक हैं, जबकि इसकी वायु सेना ने स्टील्थ जेट लड़ाकू विमानों सहित विभिन्न प्रकार के सैन्य जेटों के साथ इसका आधुनिकीकरण जारी रखा है। चीनी सेना का नेतृत्व राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं, जो पी.एल.ए के समग्र उच्च कमान, शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष हैं। हालाँकि, भारत के दृष्टिकोण से, चीन का रक्षा बजट तीन गुना से अधिक बना हुआ है। 2024-25 के लिए भारत का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये (लगभग 74.8 बिलियन डॉलर) रखा गया है।[7]

**तिब्बत स्वायत्त** क्षेत्र (टी.ए.आर.) में बड़े पैमाने पर चीनी आधारभूत ढांचे के निर्माण पर चिंता बढ़ रही है। भारतीय सुरक्षा और सैन्य अधिकारी इन घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें वे काफी हद तक भारत-केंद्रित

मानते हैं। अपने हवाई क्षेत्रों को उन्नत करने का चीन का विशाल कार्यक्रम, जिसमें अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड का विकास भी सम्मिलित है, तिब्बत में चीनी वायु सेना की समग्र आक्रामक क्षमता को काफी बढ़ाता है और पर्याप्त रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करता है, जिससे भारत के लिए चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

**कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे :** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सी.पी.ई.सी.) और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) की पहल से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए भारत के मन में एक आशंका पैदा होती है। बी.आर.आई. के संबंध में, भारत चीन के कुछ पड़ोसी राज्यों में से एक है जिसने बी.आर. आई. में भागीदारी को स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया है, जिससे चीनी नेता काफी नाराज हैं। उधर, चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए लगातार ग्वादर बंदरगाह, हंबनटोटा बंदरगाह आदि में अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है। दक्षिण एशिया में, चीन सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है और क्षेत्र में एक प्रमुख हित धारक है, जो दूसरों के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए अपने प्रभाव को बढ़ाकर दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है।[8]

**चीन रणनीतिक** रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव के विस्तार लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों में बंदरगाहों और आधारभूत ढांचे में पर्याप्त निवेश किया है। चीन की पहली विदेशी सैन्य सुविधा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबूती में स्थापित की गई है। चीनी सैन्य जहाज, ट्रैकिंग जहाज और पनडुब्बियां अधिक तेजी के साथ इन क्षेत्र में बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। चीनी सैन्य योजनाकारों ने कहा है कि पी.एल.ए. नौसेना, जिसने जून 2022 में अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया था, चीन के समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए छह विमान वाहक तैनात करने की दीर्घकालिक योजना है और उनमें से दो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित होंगे।

**अमेरिकी रक्षा** विशेषज्ञ बूज एलन हैमिल्टन ने हिंद महासागर क्षेत्र (आई.ओ.आर.) में चीन द्वारा विकसित किए गए विभिन्न बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अंतर्निहित रणनीतिक प्रकृति को दर्शाने के लिए सन 2004 में 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की अवधारणा पेश की जिस कारण इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति पर भारत की सार्वजनिक चर्चा को बहुत प्रभावित किया। पिछले कुछ वर्षों में, चीन श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे आई.ओ.आर. देशों के साथ गतिशील राजनीतिक-आर्थिक संबंध स्थापित करने में सफल रहा है, जिसे भारतीय रणनीतिक समुदाय द्वारा भारत के प्रभाव क्षेत्र पर चीनी अतिक्रमण के रूप में माना गया है। इन कारकों ने भारत में एक सार्वजनिक धारणा का निर्माण किया है जो बी.आर.आई. परियोजना के माध्यम से आई.ओ.आर. में बढ़ती चीनी उपस्थिति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ अन्य आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को चीन द्वारा भारत की रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखता है।[9]

**सुझाव एवं समाधान :** सीमा विवाद के समाधान के लिए भारत-चीन के बीच कुछ समझौते हुए है जैसे- सीमा शांति और अमन समझौता (Border Peace And Tranquillity Agreement) इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे , जिसमे बल प्रयोग के त्याग और LAC की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आवाहन किया गया था। LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता (The Agreement on Confidence Building Measures in the Military FieldAlong the LAC) इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे , जिसमें LAC पर असहमति को हल करने के लिए गैर- आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों को आदान-प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी। सीमा रक्षा सहयोग समझौता (Border Defence Co. Operation Agreement) इस पर वर्ष 2013 में डेपसांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।

**सीमा पर** चल रहे विवाद के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव का विस्तार किया जा सकता है और विवाद के समाधान की दिशा में विश्वास निर्माण को बढ़ाने के लिए इस जुड़ाव को एक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी रणनीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण चीन और जापान तथा चीन और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक संबंधों का उन्नत स्तर है। भारत-चीन के मामले में, यह प्रक्रिया प्रधान मंत्री वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उनकी 2003 की चीन यात्रा के साथ शुरू हुई। इसके अलावा, यह 2012 में प्रधान मंत्री

मनमोहन सिंह के वक्तव्य से भी पता चलता है कि एशियाई क्रम में भारत और चीन दोनों के लिए विकास के लिए पर्याप्त जगह है। वर्तमान में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने कई कार्यक्रमों में केवल इसी विचारधारा का पालन किया है।

**अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर, भारत-चीन संबंध बहुपक्षवाद पर आधारित हित के क्षेत्रों में विकसित होते रहेंगे, जैसे बेसिक मंच (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन सम्मिलित) और ब्रिक्स (जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हैं) - ये मंच बड़े विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा, ब्रिक्स के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक (ए.आई.आई.बी.) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) जैसे संस्थान रुचि आधारित बहुपक्षीय प्रयासों के परिणाम हैं। साथ ही, भारत सुरक्षा क्षेत्र में किसी सैन्य गठबंधन साझेदारी में सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि यह किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय हितों के पक्ष में नहीं होगा। पिछले दशक में आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने और सहभागिता-आधारित विकास की अपार संभावनाओं के कारण भारत-चीन संबंध कुछ अधिक परिपक्व हुए हैं। व्यावहारिक नेतृत्व और शिक्षा, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क में वृद्धि से ही गहरी समझ पैदा होगी। भारत और चीन ने जुड़ाव के परिक्षेत्र को बढ़ाकर अपने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार करने का लक्ष्य रखा है जो दोनों देशों के लिए बेहतर भविष्य का वादा करता है।[10]

**भारत और** चीन विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बेहतर रिश्ते से दोनों देशों में व्यापार संबंध, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और यहां तक कि वैश्विक विकास में भी वृद्धि होगी। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त और अन्य देशों के घरेलू मामलों में गैर-हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर वैश्विक नीति प्रतिक्रियाओं पर भी बहुत समान विचार साझा करते हैं।

**निष्कर्ष** : किसी भी संघर्ष की स्थिति के उद्भव को रोकने के लिए, भारत और चीन दोनों को एक गहन वार्ता तंत्र शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें एक-दूसरे के प्रमुख संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाए और समाधान लागू किए जाएं। भारत-चीन संबंधों ने अब एक रणनीतिक और वैश्विक आयाम प्राप्त कर लिया है और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संरक्षणवाद, मुक्त व्यापार और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों देशों के बीच विद्यमान सभी विवादास्पद कारकों के बावजूद, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन और राजनयिक दौरे संबंधों को बेहतर बनाने में सफल रहे हैं। व्यवधान की बजाय बातचीत पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि निरंतर बातचीत दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

## सन्दर्भ


1. Dhaduli, Prerana, *'Revisiting Sino-Indian relations: conflict And Cooperation'*, (ed). by Geeta Kochhar, 'China's Foreign RelationsAnd Security Dimensions', A Routledge Indian Original, New York, 2018, p.474.
2 Pal, Shivam, *'International Relations'*, Vandhana Publications, New Delhi, 2012, p.246
3. Gautam, B.P., 'India's Foreign Policy', Mayur Paperback, Noida, 2012, p.117
4. श्रीवास्तव बृजेश चंद्र, 'भारत चीन संबंध : संघर्ष के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दे, 'राधा कमल मुकर्जी : चिंतन परम्परा', वर्ष 25 अंक 1, जनवरी-जून 2023, पृ. 84
5. Pant, Harsh V, *'The Rise of China: Implications for India,'* Cambridge University Press India Ltd., New Delhi, p.197
6. Sharma, Pallvi, Prabhavit Dobhal, 'ChineseActivism in TibetAnd India's Water Security', Third Concept:An International Journal of Ideas, Vol.36, No.421, March 2022, p26
7. The Hindu, Vol.13, No.54, March 6, 2023.
8. Sharma, Reetika, 'Chinese Presence in SouthAsia: ImpactAnd Challenges', Third Concept:An International Journal of Ideas, Vol.34, No.408, February 2021, p. 45
9. Vignesh,R., 'China's growing security presence in the IORAnd its implications for India', ResearchAnd Information Division, Lok Sabha Secretariat, LARRDIS NO. MP-IDSA/13/2022, New Delhi, July 2022, p11
10. Godbole,Avinash, 'India-China Relation: Enhancing Engagement promises Better Future', Indian ForeignAffairs Journal, Vol. 11, No.1, January-March 2016, p.14

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व एवं उनकी राजनीतिक क्षमता का अध्ययन

## (उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

❑ सुश्री राखी रावत
❖ डॉ बृजेश कुमार जोशी

**सूचक शब्द** : महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, महिला प्रतिनिधित्व, राजनैतिक क्षमता एवं महिला आरक्षण।

सर्वविदित है कि सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं को आज भी वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसकी वे अधिकारिणी हैं। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को लिंग विभेद से मुक्ति, समानता तथा न्याय प्रदान करना है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ में यह अवधारणा महिला विकास का प्रतीक है जिसका उद्देश्य राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महिला नेतृत्व के विकास द्वारा उनकी सहभागिता को बढ़ाना है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी राजनैतिक क्षमता के अध्ययन पर आधारित है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रथम प्रयास था जिसके द्वारा स्थानीय राजनीति में एक तिहाई आरक्षण के द्वारा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्तराखण्ड राज्य में 2008 में ग्रामीण पंचायतों में महिला आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत अध्ययन पौड़ी जनपद के 15 विकासखण्डों में पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

**किसी भी** देश व समाज की प्रगति का अनुमान वहाँ की महिलाओं की स्थिति से परिलक्षित होता है। 'सशक्त महिला सशक्त समाज' देश के विकास में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।[1] भारत एक ऐसा देश है जहाँ की आधी जनसंख्या को संविधान द्वारा उनके सर्वांगीण विकास हेतु अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। भारतीय संविधान स्त्री-पुरुषों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता। जिस तरह संविधान की दृष्टि में स्त्री-पुरुष समान है, उसी प्रकार महिलाओं के पक्ष में बने कानूनों ने भी उन्हें न्यायोचित स्थान दिलाकर उनके लिए समुचित न्याय का प्रबन्ध किया है। महिलाओं के हित में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, हिन्दू भरण पोषण सम्बन्धी अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निरोधक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, सिविल सेवा संरक्षण अधिनियम, कारागार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, परिवार न्यायालय अधिनियम, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम और अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जैसे अनेक कानून बने हैं।[2] इन सभी अधिनियमों व अधिकारों का मुख्य ध्येय महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्तर पर सुनिश्चित भागीदारी हेतु अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। पश्चिमी देशों में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास 20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारंभ हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त भूमिका को समझते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 से 1985 तक के दशक को महिला दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया जिसका प्रारंभ 8 मार्च 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये महिला सशक्तिकरण हेतु मैक्सिको सम्मेलन 1975, कोपेनहेगन सम्मेलन 1980, नैरोबी सम्मेलन 1985, बीजिंग सम्मेलन 1995 व न्यूयार्क सम्मेलन आदि विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया।[3] नैरोबी

❑ शोध अध्येत्री राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर), (उत्तराखंड)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर (ऊधम सिंह नगर), (उत्तराखंड)

सम्मेलन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी सम्मेलनों में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों तथा उनके अधिकारों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये जिसके द्वारा वह प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त भूमिका द्वारा अपने विकास को नयी ऊँचाईयां दे सकें।

**स्वतंत्रतोपरांत** भारतीय समाज में भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षिक स्तर निम्न था। यद्यपि स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया फिर भी उनके योगदान को अधिक महत्व न मिल सका। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान स्वतंत्रता के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुये कहा था कि, "हमारा लक्ष्य एक ऐसी न्यायपूर्ण राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, जहाँ अन्य वर्गों के साथ-साथ महिलाएं भी पुरुषों के समान अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।"[4] राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का अनुभव करते हुए भारत सरकार द्वारा सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया।[5] इसमें महिलाओं को शक्तिसम्पन बनाने हेतु नीतिगत निर्णय लिए गये। तकनीकी और औद्योगीकरण के दौर में महिलाएं चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल जगत, सिनेमा तथा राजनीति में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं राजनैतिक पदों पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी हैं परन्तु यदि संख्यात्मक रूप में देखा जाये तो पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व शून्य समान प्रतीत होता है। वर्ष 1993 में भारतीय संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन हुआ जिसने पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु द्वार खोल दिये और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को धरातल पर कार्यरूप में परिणित कर ठोस कदम उठाये इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्थानीय राजनीति के प्रति रुचि जागृत हुयी।[6] भारत की ग्रामीण पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था, परन्तु इसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया जिससे पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसने लोकतंत्र के निचले स्तर पर महिला नेतृत्व तथा सशक्तिकरण के लिए नए द्वार खोल दिए।

**उत्तराखण्ड राज्य** का निर्माण 9 नवम्बर 2000 को हुआ जो पर्वतीय क्षेत्रों के क्रम में 11वां राज्य था तथा जिसकी स्थिति क्रमानुसार देश में 27वें राज्य के रूप में थी। सन् 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था परन्तु सन् 2006 के पश्चात इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया।[7] पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु उत्तरप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1997 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से सम्बन्धित मामलों के लिए उत्तरप्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 लागू था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनों अधिनियम उत्तराखंड में कतिपय आंशिक परिवर्तन करके लागू कर दिये गये।[8] राज्य विभाजन के पश्चात पंचायत राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों के साथ इसे उत्तराखंड में संचालित रखा गया है उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायती संरचना की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत तीन स्तरों में बांटा गया है जिसमें 13 जिला पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत तथा 7791 ग्राम पंचायतें वर्तमान समय में राज्य में स्थापित हैं। 1993 में 73वें संविधान संशोधन में वर्णित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था को पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम द्वारा 12 मार्च 2008 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी जी ने आरक्षण की सीमा में वृद्धि कर 50 प्रतिशत कर दिया।[9]

**राज्य** गठन के पश्चात राज्य में पाँच बार विधान सभा चुनाव सम्पन हो चुके हैं जिनकी अवधि क्रमशः वर्ष 2002, 2007, 2012, 2017 व 2022 थी।

**तालिका 1**

**उत्तराखंड राज्य में महिला विधायकों का विवरण[10]**

| विधानसभा चुनाव अवधि | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| महिला विधायक | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 |

**उपर्युक्त तालिका** से स्पष्ट है कि उत्तराखंड निर्माण से अब तक कुल पांच विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अत्यन्त न्यून है जो राज्य की महिला जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। वैश्विक और भारतीय राजनीति में जहाँ जेंडर पॉलिटिक्स से सम्बन्धित बातों पर जोर दिया जा रहा है वहाँ महिलाओं की शासन

व्यवस्था में भागीदारी के विषय में महत्वपूर्ण उपबन्ध किये जाने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप संसद तथा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठा सके। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया जाये तो विदित होता है कि 2008 में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के फलस्वरूप 2008 से लेकर 2019 के पंचायती चुनाव में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिसका विवरण निम्न सारणी द्वारा दृष्टिगत होता है-

**तालिका - 2**

**पौड़ी जनपद के पंचायती चुनावों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या**

| अवधि | कुल पंचायती राज संस्थाएं | कुल सदस्य | महिला प्रतिनिधि |
|---|---|---|---|
| 2008 से 2013 तक[11] | जिला पंचायत | 49 | 25 |
| | क्षेत्र पंचायत | 432 | 236 |
| | ग्राम पंचायत | 1226 | 624 |
| 2014 से 2019 तक[12] | जिला पंचायत | 42 | 22 |
| | क्षेत्र पंचायत | 398 | 224 |
| | ग्राम पंचायत | 1212 | 656 |
| 2019 से 2022 तक[13] | जिला पंचायत | 38 | 25 |
| | क्षेत्र पंचायत | 364 | 195 |
| | ग्राम पंचायत | 1164 | 654 |

**पौड़ी जनपद** की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या उनकी राजनैतिक रुचि व जागरूकता का परिचय देती है। वर्तमान समय में पौड़ी जनपद में 15 ब्लॉक, 1212 ग्राम पंचायत तथा 118 क्षेत्र पंचायतें विद्यमान हैं। 2019 के पंचायती चुनावों के परिणाम के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक में महिला प्रधानों की संख्या पुरूष प्रधानों की तुलना में अधिक है। जनपद के के अंतर्गत कुल 1164 प्रधानों में पुरूष प्रधानों की संख्या 504 है जबकि महिला प्रधानों की संख्या पुरूषों से कहीं अधिक 654 है।[14]

## साहित्य समीक्षा

**जोशी हेमंत[15]** द्वारा गढ़वाल की महिलाओं के राजनैतिक व्यवहार का अध्ययन करने पर पाया कि व्यक्ति का शासन प्रक्रिया में भाग लेना उसकी राजनैतिक सहभागिता को इंगित करता है, साथ ही राजनीतिक सहभागिता, राजनैतिक व्यवहार से संबन्धित होती है। अतः व्यक्ति का राजनैतिक व्यवहार राजनैतिक सहभागिता की प्रथम व आवश्यक शर्त है।

**शर्मा, नीता बोरा[16]**, ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में स्थानीय स्तर पर आरक्षण के फलस्वरुप परिवर्तन आया है। उत्तराखण्ड की पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत तीनों स्तरों में महिलायें निर्वाचित होकर आयी हैं। महिलाओं की पंचायती राज में बढ़ती भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सरकार द्वारा पंचायतों में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भूमिका में सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं परन्तु अभी भी महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

**कुमार मनीष[17]** ने महिला सशक्तिकरण-दशा और दिशा, पुस्तक में महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक स्थिति को प्रस्तुत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के कार्यक्रम की भूमिका सहित महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण के विभिन्न बिन्दुओं का विश्लेषण किया गया है।

**यादव पंकज, ब्रह्मानंद, कल्पना अग्रहरि[18]**, ने अपने शोध पत्र में आरक्षण व्यवस्था के पश्चात उत्तराखण्ड की महिलाओं में पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विश्लेषण किया है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के उपरांत महिला प्रतिनिधित्व बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया, यही नहीं अनारक्षित सीटों पर महिलाओं ने अपने नेतृत्व को स्थापित करने में सफलता पायी है जो महिला सशक्तिकरण

के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण कदम है किन्तु केवल महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने से महिला सशक्तिकरण प्रभावी नहीं होगा। बल्कि गुणात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा इसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। शोधपत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आने वाली समस्याओं को इंगित किया गया है। इनके निराकरण द्वारा महिला नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

**आर्य मीना**[19], ने अपने अध्ययन में उत्तराखंड की महिलाओं की राजनैतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये गये जिसके परिणामस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था में महिला नेतृत्व में वृद्धि हुई है। 2008-2009 से 2014 के निर्वाचन परिणाम से विदित होता है कि महिलाओं द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक स्थान प्राप्त किये गये हैं फलस्वरूप यह ग्रामीण महिलाओं को राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु नवीन आयाम प्रदान करता है।

**अश्विनी**[20] के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं कि 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद पंचायतों में महिला नेतृत्व में वृद्धि हुई है, लेकिन यह भागीदारी केवल उन महिलाओं की है जो शिक्षित और जागरूक हैं परन्तु दलित महिलाएं अभी भी राजनीति में सक्रिय भूमिका में नहीं हैं इसलिए शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा उन्हें राजनैतिक सशक्तिकरण प्रदान किया जा सकता है।

**अध्ययन की आवश्यकताः-** भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसकी शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जन को सत्ता में अपेक्षित भागीदारी हेतु सुनिश्चित अवसर प्रदान करना है। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को केंद्रबिंदु मानकर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया परन्तु ग्रामीण समाज की महिलाओं को इससे कुछ खास लाभ न मिल सका। 73वें-74वें सविंधान संशोधन स्थानीय राजनीति में महिला भागीदारी हेतु मील का पत्थर सिद्ध हुआ जिसने उत्तराखण्ड राज्य की पंचायतों में महिलाओं का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ाया है परन्तु क्या पंचायतों में महिलाओं का बढ़ता संख्यात्मक प्रतिनिधित्व ही महिला सशक्तिकरण की सच्ची अभिव्यक्ति है? महिला नेतृत्व बढ़ाने से क्या महिलाओं की सामाजिक राजनैतिक स्थिति में बदलाव आया है? क्या महिलाएं नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं? तथा क्या आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार है? इन सभी तथ्यों को इंगित करते हुए शोधार्थिनी की इस विषय में रूचि प्रसंगसः निर्मित हुई ।

**शोध के उद्देश्यः-**

1. पौड़ी जनपद की पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।
2. पौड़ी जनपद की पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था के फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. पंचायतों में महिला प्रतिनिधि द्वारा निर्णय निर्माण की क्षमता का अध्ययन करना ।

**शोध परिकल्पनाः-**

1. पौड़ी जनपद की पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।
2. पौड़ी जनपद की पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

**अध्ययन पद्धतिः-** प्रस्तुत शोध कार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समकों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। अध्ययन में प्रतिदर्श हेतु 60 महिला ग्राम प्रधानों का चयन किया गया। पौड़ी जनपद के 15 ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में से 4 महिला प्रधानों को दैव निदर्शन विधि की पर्ची विधि द्वारा साक्षात्कार हेतु चयन किया गया है।

**तथ्य विश्लेषणः-**

**तालिका 3**
**पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण**

| हाँ | नहीं | पता नहीं |
|---|---|---|
| 85 प्रतिशत | 6.7 प्रतिशत | 1.6 प्रतिशत |

**उपर्युक्त** तालिका से स्पष्ट होता है कि 85 प्रतिशत महिला प्रधानों का मानना है कि पंचायतों में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, जबकि 6.7 प्रतिशत महिला प्रधानों का मानना है, कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के द्वारा महिला सशक्तिकरण को

बढ़ावा नहीं मिला है। 6.7 प्रतिशत प्रधानों ने कभी-कभी तथा 1.6 प्रतिशत प्रधानों ने पता नहीं में उत्तर दिया। आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आरक्षण के पश्चात् महिला प्रतिनिधियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी संदर्भ में वंदना बंसल उल्लेख करती हैं कि आरक्षण के पश्चात् पंचायतों में महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं, एक ओर जहाँ महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है वहीं विशेषकर महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला प्रतिनिधि निम्न साक्षरता व अनुभव हीनता के कारण पति, पिता, ससुर व बेटे पर निर्भर रहती है और स्वयं स्वतंत्र रूप से आरक्षण का लाभ उठाने में असमर्थ रहती है।[21]

**तालिका 4**

**पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता**

| हाँ | नहीं | कोई उत्तर नहीं |
|---|---|---|
| 85 प्रतिशत | 10 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |

**उपर्युक्त** तालिका से स्पष्ट होता है की 85 प्रतिशत महिला प्रधान पंचायतों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। 10 प्रतिशत महिला प्रधानों के अनुसार पंचायतों में महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। 5 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि कभी-कभी निर्णय लेने में सक्षम है। इसी सन्दर्भ में अनीता मोदी कहती हैं कि महिला प्रतिनिधियों के निर्णय को परिवार के सदस्य या प्रमुख प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज में केवल 19 प्रतिशत महिलाएँ घर की प्रमुख होती हैं। शेष 44.7 प्रतिशत पति, 17 प्रतिशत ससुर, 5.3 प्रतिशत प्रतिशत देवर, 3.7 प्रतिशत बेटा, 8 प्रतिशत सास व 2.3 प्रतिशत बहू घर के प्रमुख की जिम्मेदारी का निर्वहन करती है तो इस स्थिति में महिला प्रतिनिधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं।[22]

**तालिका 5**

**महिला प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन**

| हाँ | नहीं | कभी-कभी |
|---|---|---|
| 75.7 प्रतिशत | 13.3 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

**तालिका 3** के आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 75.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायतों में सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन स्वयं करती हैं, जबकि 13 प्रतिशत महिला प्रतिनधियों ने अपने कार्य काल के दौरान कभी भी नीतियों के क्रियान्वयन में कोई भूमिका नही निभाई तथा 10 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया कि वे कभी-कभी सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं। राजमोहन सोनी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन के सन्दर्भ में 47.29 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने रुचि प्रकट की जबकि 43.75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने कभी-कभी व 8.96 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने कभी नहीं में उत्तर दिया।[23]

**तालिका 6**

**महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि**

| हाँ | नहीं | कोई उत्तर नहीं |
|---|---|---|
| 35 प्रतिशत | 60 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |

**तालिका 4** से स्पष्ट है कि 35 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का सम्बन्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि से है और 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नही है। अनुपमा सक्सेना एवं दीपक कुमार झारखण्ड राज्य के सन्दर्भ में किये गये शोध अध्ययन में 40 प्रतिशत महिलायें राजनीतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखती हैं इस प्रकार उत्तराखण्ड की पंचायतों में राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं का प्रतिशत छत्तीसगढ राज्य की महिलाओं की तुलना मे कम है जो कि राजनीति में आमजन की सहभागिता में वृद्धि की ओर संकेत करता है।[24]

**तालिका 7**

**महिला प्रतिनिधियों की पंचायतों की बैठकों में प्रतिभाग**

| हाँ | नहीं | कभी-कभी |
|---|---|---|
| 93.3 प्रतिशत | 1.7 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |

**तालिका 5 से** स्पष्ट है कि 93.3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायत की बैठकों में नियमित रुप से भाग लेती हैं तथा 1.7 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि बैठकों में सम्मिलित नहीं होती व 5 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि कभी-कभी पंचायत की बैठकों में सम्मिलित होती हैं। राजमोहन सोनी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायत की बैठकों में नियमित रुप से भाग लेती हैं।

**तालिका 8**

**महिला प्रतिनिधियों का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण**

| हाँ | नहीं | पता नहीं |
|---|---|---|
| 76.6 प्रतिशत | 15 प्रतिशत | 8.4 प्रतिशत |

**तालिका 8** से स्पष्ट होता है कि 76.6 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि राजनीति मे आने के पश्चात् सामाजिक व

आर्थिक रुप से सशक्त हुयी हैं तथा 15 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नहीं तथा शेष 8.4 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि को इसके सन्दर्भ में ज्ञान नहीं है। राजमोहन सोनी के अध्ययन में 92 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह माना कि महिलाओं के सशक्तिकरण से उनका सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।[25]

**तालिका 9**

**महिला प्रतिनिधियों की राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता**

| हाँ | नहीं |
|---|---|
| 80 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |

**उपर्युक्त तालिका** से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत महिला प्रधान कहती हैं कि वे अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। 20 प्रतिशत महिला प्रधान का मानना है कि महिला प्रतिनिधि अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। मंजू चौधरी, महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज, शोध में उल्लेख करती हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला प्रतिनिधि अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरुक हुयी हैं। उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आये हैं। उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुयी है।[26]

**तालिका 10**

**महिला सशक्तिकरण का एकमात्र साधन आरक्षण है**

| हाँ | नहीं | पता नहीं |
|---|---|---|
| 16.7 प्रतिशत | 75 प्रतिशत | 8.3 प्रतिशत |

**उपर्युक्त तालिका** से स्पष्ट होता है कि 16.7 प्रतिशत महिला प्रधान का मानना है कि महिला सशक्तिकरण का एकमात्र साधन आरक्षण ही है। 75 प्रतिशत महिला प्रधान का मानना है कि महिला सशक्तिकरण का एकमात्र साधन आरक्षण नहीं है। 8.3 प्रतिशत महिला प्रधान ने पता नहीं में उत्तर दिया है। अजीत द्विवेदी उल्लेख करते हैं कि महिला आरक्षण आवश्यक है परन्तु यह नहीं माना जा सकता है कि यह सशक्तिकरण का एकमात्र साधन है क्योंकि केवल आरक्षण के द्वारा सशक्तिकरण सम्भव नहीं हो सकता। महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण तब होगा जब स्वाभाविक रुप से समाज व राजनीति में उनके आगे बढ़ने की व्यवस्था होगी, महिलाओं को निर्णायक भूमिका मे लाकर उनमें नेतृत्व का विकास करना होगा। उनके लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।[27]

**तालिका 11**

**सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| हाँ | नहीं | कभी-कभी | पता नहीं |
|---|---|---|---|
| 51.7 प्रतिशत | 25 प्रतिशत | 18.3 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |

**उपर्युक्त तालिका** से स्पष्ट होता है कि 51.7 प्रतिशत महिला प्रधान का मानना है कि सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को समय-समय पर कार्य दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। 25 प्रतिशत महिला प्रधान का मानना है कि सरकार द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। 18.3 प्रतिशत महिला प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को कभी-कभी ही कार्य दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि 5 प्रतिशत महिला प्रधान ने पता नहीं में उत्तर दिया। पंचायती राज में महिलाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यशाला संगोष्ठी आयोजित करके पंचायतों से संबन्धित प्रशिक्षण दिये जाते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा 300 महिला प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को उनकी दक्षता एवं क्षमता बढ़ाने हेतु 22 मई से 24 मई (2018) को तीन दिवसीय अभिनव कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देहरादून में आयोजित कराया गया। पंचायती राज निदेशक एच0 सी0 सेमवाल ने पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए उन्हें विकास की धुरी कहकर संबोधित किया साथ ही इन्हें सशक्त बनाने की बात कही।[28]

**उपर्युक्त पूर्ण** विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। पंचायतों में बढ़ता प्रतिनिधित्व इसका मुख्य उदाहरण है। सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं की संख्यात्मक वृद्धि को बढ़ाना ही नहीं बल्कि उनकी अपेक्षित भागीदारी द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उचित हस्तक्षेप करने से है। अध्ययन के आंकड़े महिला प्रधानों को पंचायती राज व्यवस्था में मिले उनके अनुकूल अधिकारों का प्रतिबिंब हैं। यह ग्रामीण समाज की महिलाओं की स्थानीय राजनीति से सम्बन्धित रुचि, जागरुकता तथा आरक्षण द्वारा पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से पुरुष प्रधानों की संख्या महिला प्रधानों से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की धूमिल पड़ी आशाओं को पंचायती राज संस्था में भागीदारी के पश्चात सृजनशीलता का नया

अवसर मिला है। सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक स्तर को नये आयाम मिले हैं।

**सुझाव-** महिला प्रतिनिधित्व और उनकी राजनीतिक क्षमताओं में वृद्धि हेतु सुझाव निम्नवत हैंः-

(1) नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके कार्य व दायित्वों के सम्बन्ध में न्यूनतम 60 दिन की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें एक जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने पर उनके द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों व अधिकारों की जानकारी हो जाए।

(2) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया जाए।

(3) पंचायतों की बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य की जाए।

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए।

## सन्दर्भ


1. पटेल माधव, 'सशक्त महिला सशक्त समाज' https://www.krishakjagat.org/news/empowered-women.
2. सिंह मिनाक्षी, ''महिला अधिकार एवं महिला श्रम (सिद्धान्त एवं कानून)'', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-110002, वर्ष 2015, पृ. 24.
3. United Nation, Division for the advancement of women, Department of Economic and Social Affairs. https://www.un.org>womenwatch/daw/csw60yrs/
4. Sharma, Bora Neeta, 'Status and Role of Women in Uttarakhand', Himalayan Printers (Khatima) Uttarakhand, Year – first edition-2014, p. 188.
5. बिष्ट निर्दोषिता, 'महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिताः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधा कमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा, वर्ष 23 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2021, पृ. 171.
6. कुमार मनीष, 'महिला सशक्तिकरणः दशा और दिशा', मधुर बुक्स, दिल्ली, वर्ष 2010, पृ. 12, 13.
7. मौर्या अनुज, नौ नवम्बर, उत्तराखण्ड की स्थापना का दिन, 09.11.2021 https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/9th-november-the-day-of-the-establishment-of-uttarakhand/articleshow/87585568.cms
8. आर्या मीना, 'पंचायती राज संस्थाएं एवं महिला सशक्तिकरण : उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में', जनरल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पृ. https://andjournal.in/wp-content/uploads/2018/08/2017b_18.pdf
9. मेहरा रेखा, तिवारी कुमारी गीता, उत्तराखण्ड की पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, जनरल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट, वर्ष 2018, पृ. 14.
10. रांगड़ अपर्णा, राज्य गठन के बाद से इस बार चुनी गयी महिला विधायक, 11.03.2022, https://www.tv9hindi.com/state/uttarakhand/uttarakhand-assembly-election-result-2022-record-number-of-women-mla-elected-after-state-formation-1110681.html
11. नव निर्वाचित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान सूची व विवरण, पंचायती राज संस्थान (पौड़ी गढ़वाल), 2008
12. वही
13. वही
14. वही
15. जोशी हेमंत, 'गढ़वाल में महिलाओं का राजनैतिक व्यवहार' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, हे0न0ब0 गढ़0 विश्वविद्यालय श्रीनगर, वर्ष 1989, पृ. 63.
16. शर्मा बोरा नीता, 'महिला सशक्तिकरण' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, वर्ष 2007।
17. कुमार मनीष, पूर्वाक्त, पृ. 15,16.
18. यादव पंकज, ब्रह्मानंद, कल्पना अग्रहरि, 'पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव-उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में', हिमालयन प्रिन्टर्स खटीमा, उत्तराखण्ड, प्रथम संस्करण 2014.
19. आर्या मीना, पूर्वोक्त, पृ. 115, 116.
20. अश्वनी, 'महिला नेतृत्व एवं पंचायती राज', Review Journal Of Political Philosophy, Vol. 14, No. 1, p. 8
21. बंसल वंदना, 'पंचायती राज में महिला भागीदारी', कल्पाज पब्लिकेशन, सरस्वती नगर (दिल्ली), वर्ष 2004, पृ. 172.
22. मोदी अनीता, 'पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण', बुक एन्क्लेव, जयपुर, वर्ष 2009, पृ. 229.
23. सोनी राजमोहन, 'महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज (राजस्थान के सन्दर्भ में)', शोध प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्ष 2018, पृ. 201
24. सक्सेना अनुपमा एवं कुमार दीपक, 'छत्तीसगढ़ का पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं महिला सशक्तिकरणः एक समीक्षात्मक अध्ययन', राधा कमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा, वर्ष 25 अंक 1, जनवरी - जून 2023, पृ. 77
25. सोनी राजमोहन, सोनी राजमोहन, पूर्वोक्त, पृ. 195
26. चौधरी मंजू, 'महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज', इन्टरनेश्नल जरनल ऑफ एडवान्सड एकेडमिक स्टडीस, 2(3) 2020, pp. 709-715
27. द्विवेदी अजीत, 'सशक्तीकरण और आरक्षण में फर्क है, नया इंडिया, अक्टूबर 5, 2023, https//www.nayaindia.com/opinion/ajeet-dwivedi/there-is-adifference-between-women-empoloyent-and-women-reservation-433596html
28. सेमवाल, 'पचायतें विकास की धुरी', देवभूमि लाइव (न्यूज चैनल), 22 मई 2018.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# जल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

❑ बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव

**सूचक शब्द** : जल, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, जल सुरक्षा, भू-राजनीति।

जल मानव आजीविका का एक अनिवार्य पहलू है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया के लिए देश की सामाजिक-आर्थिक विकास रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस विकासात्मक रणनीति में पारंपरिक से गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के बहुआयामी पहलू सम्मिलित हैं जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जल सुरक्षा के प्रति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के इन पहलुओं पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा को संबोधित करता है। अपने पड़ोस के साथ सीमा पार नदी के जल के बँटवारे से संबंधित उभरते मुद्दे और भू-राजनीति और रणनीति पर इसका प्रभाव भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

**जल मानव** आजीविका का एक अनिवार्य पहलू है। यह लघु अवधि और लंबी अवधि की प्रक्रिया के लिए किसी देश की आर्थिक विकास रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या राष्ट्र-राज्यों के अंदर भू-राजनीति और जल सुरक्षा के रणनीतिक हितों में परस्पर जुड़े हुए कारक हैं। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू हैं जो जल सुरक्षा पर निर्धारित होते हैं। इसलिए, हर देश की बहुउद्देशीय विकासात्मक रणनीति में मीठे जल के संसाधन जैसे नदी एक मुख्य मूल्य रही हैं। लेकिन, सिंचाई और कृषि खेती की भारी मांग, शहरीकरण और औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन चुनौतीपूर्ण कारक बन गए हैं। परिणामतः, समकालीन विश्व में जल सुरक्षा एक उभरता हुआ वैश्विक मुद्दा बन गया है। यह मीठे जल की कमी और बढ़ते पर्यावरणीय तनाव के कारण है जो नदी तट वाले राज्यों के बीच संघर्ष पैदा कर सकता है। मीठे जल की मात्रा और गुणवत्ता को कम करने से तटीय राज्यों के बीच जल से संबंधित संभावित संघर्ष पैदा होता है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे विभिन्न उपमहाद्वीपों में जल से संबंधित कई संघर्ष सामने आए हैं।[1]

**खाद्य सुरक्षा**, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा रणनीति की चुनौतियों के प्रति व कृषि उद्देश्यों के लिए मीठा जल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए, भारत सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य सहायक नदियों पर कई बहुउद्देशीय बांध संबंधी परियोजनाओं को लागू कर रहा है। लेकिन बांधों के माध्यम से अतिदोहन और ऊपरी तटवर्ती राज्यों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की समस्या भारत की जल सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई है।दक्षिण एशिया के मामले में, ट्रांसबाउंड्री रिवर कोर्स, रिपेरियन राज्यों के बीच एक बड़ी राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भारत बड़े आलोचकों के अधीन रहा है क्योंकि क्रमशः गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक और सिंधु नदी बेसिन पर कई बांध-संबंधी परियोजनाएं बनाई गई हैं जो आजीविका, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर चीन, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का एक ऊपरी तटवर्ती राज्य है। इस मामले में, चीन को भारत की जल सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है क्योंकि चीन द्वारा बनाए गए बांधों के परिणामस्वरूप भारत में जल की कमी हो जाती है, निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी। सीमा पार की नदियों पर उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। पारंपरिक सुरक्षा दुविधा से लेकर गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों तक, भारत में पड़ोसी

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

देशों के साथ सीमा पार नदी के मुद्दों के प्रबंधन के लिए सक्रिय चेतना होनी चाहिए।

**प्रस्तुत लेख** पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा को संबोधित करता है। उन तटवर्ती राज्यों के साथ सीमा पार नदी जल बंटवारे से संबंधित उभरते हुए मुद्दे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन गए हैं क्योंकि इन मुद्दों का भू-राजनीति और इसकी क्षेत्रीय अखंडता (पारंपरिक) को बनाए रखने के रणनीतिक हित पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये मुद्दे सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा (गैर-पारंपरिक) को संतुलित करने के कुछ पहलुओं से भी सीधे जुड़े हुए हैं।

**शोध के उद्देश्य :**

**शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :**

1. भारत में जल सुरक्षा से संबंधित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करना।
2. भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास रणनीति पर जल सुरक्षा के प्रभाव की जांच करना।
3. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा का मूल्यांकन करना।
4. अपने पड़ोस के साथ सीमा पार नदी जल के बंटवारे और भू-राजनीति और रणनीति पर इसके प्रभाव से संबंधित उभरते मुद्दों की जांच करना।
5. जल सुरक्षा की दिशा में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना।

**शोध पत्र** का उद्देश्य भारत में जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों और अवसरों की व्यापक समझ प्रदान करना है। इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और सामाजिक-आर्थिक विकास पर जल सुरक्षा के प्रभाव की अंर्तदृष्टि भी प्रदान करना है। इसमें ऐसे सुझाव भी दिए गए हैं जो भारत को अपने पड़ोस के साथ सीमा पार नदी जल के बंटवारे से संबंधित उभरते मुद्दों का समाधान करने और अपनी जल सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकें।

**शोध पद्धति :** यह शोध पत्र गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन पर आधारित है क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा का पता लगाना है। गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन विषय की गहन खोज व और मुद्दों की व्यापक समझ प्रदान करती है।

**इस शोध** के लिए डेटा संग्रह विधि साहित्य समीक्षा पर आधारित है। साहित्य समीक्षा में जल सुरक्षा के प्रति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए अकादमिक पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक स्रोतों की व्यापक खोज सम्मिलित है। साहित्य समीक्षा में अपने पड़ोस के साथ सीमा पार नदी जल के बंटवारे और भू-राजनीति और रणनीति पर इसके प्रभाव से संबंधित उभरते मुद्दों का विश्लेषण भी सम्मिलित किया गया है।

**साहित्य समीक्षा :**

**विलियम जे. कॉसग्रोव और डेनियल पी. लॉक्स[2]** द्वारा लिखित पुस्तक 'वाटर मैनेजमेंट : करेंट एंड फ्यूचर चैलेंजेज एंड रिसर्च डायरेक्शन' जल प्रबंधन में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। लेखक हमारे ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सिस्टम संचालन और सिस्टम प्रबंधन सहित जल प्रबंधन के सभी पहलुओं में अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

**अरुण विश्वनाथ[3]** द्वारा लिखित पुस्तक 'पैडलिंग अपस्ट्रीमः ट्रांसबाउंड्री वाटर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया' दक्षिण एशिया में सीमा पार जल राजनीति से जुड़े जटिल और विवादास्पद मुद्दों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। लेखक, इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ, उन ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने क्षेत्र के जल विवादों को आकार दिया है। यह पुस्तक जल राजनीति के क्षेत्र में एक बहुमूल्य योगदान है, जो भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जटिल संबंधों की सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। विश्वनाथ का गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का गहन विश्लेषण इन देशों द्वारा अपने साझा जल संसाधनों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

**सेबेस्टियन बिबा[4]** द्वारा लिखित 'जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी चाइना' में प्रकाशित लेख, अपनी सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए चीन के दृष्टिकोण का एक विचारोत्तेजक विश्लेषण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जल सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए बिबा का शोध

विशेष रूप से प्रासंगिक है।लेखक उन जटिल तंत्रों और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है जिनके माध्यम से चीन अपने साझा जल संसाधनों पर शक्ति का प्रयोग करता है। इस लेख में विभिन्न नदी घाटियों में चीन के व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण है।

**डी. शाहीन अख्तर**[5] की पुस्तक 'इमर्जिंग चैलेंजेस टू इंडस वाटर्स ट्रीटी' भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। अख्तर का काम सिंधु बेसिन में जल बंटवारे के आसपास की उभरती गतिशीलता का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बढ़ते पानी की कमी और पारिस्थितिक खतरों पर प्रकाश डालता है। वह दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दों के राजनीतिकरण पर जोर देते हैं, जो भारत द्वारा चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर बड़े जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण से प्रेरित है, जिससे जल प्रवाह में हेरफेर और सीमा पार प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

**एन. मेहता**[6] का लेख 'डायलेक्टिक्स ऑफ तिपाइमुख डैमः इश्यूज एंड कंसर्न्स' प्रस्तावित तिपाईमुख बांध के आसपास के विवादास्पद पहलुओं की पड़ताल करता है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और डाउनस्ट्रीम बाढ़ को नियंत्रित करना है। इस बांध की अनुमानित लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है और इससे 1500 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच उनकी साझा नदियों और ऐतिहासिक जल विवादों को देखते हुए राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।इस लेख में उजागर की गई प्राथमिक चिंताओं में से एक बांध का पर्यावरणीय प्रभाव है, विशेष रूप से भूकंप-संभावित भूकंप-विवर्तनिक रूप से जोखिम भरे क्षेत्र में। फॉल्ट लाइन पर स्थित होने के कारण बांध की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग गया है, जिससे भूकंपीय गतिविधियों के प्रति इसके लचीलेपन पर संदेह उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा, लेख क्षेत्र में नदी पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर तिपाईमुख बांध के संभावित प्रभावों के संबंध में बांग्लादेश द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा करता है। बांग्लादेश को डर है कि भारत द्वारा अतिरिक्त जल छोड़े जाने से उसके जल प्रवाह और क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर मानसून के दौरान। इसके अतिरिक्त यह लेख  परियोजना के संबंध में उत्तर भारतीय राज्यों के विरोध और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की चिंताओं को इंगित करता है।

**एस. कोठारी**[7] का लेख 'हूज नेशन? द डिसप्लेस्ड एज विक्टिम्स ऑफ डेवलपमेंट' भारत में विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डालता है।यह लेख भारत की स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन के ऐतिहासिक चक्रों की पड़ताल करता है, और इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और अन्यायों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, कोठारी का काम मुआवजे की अपर्याप्तता, 'भूमि के बदले भूमि' मुआवजे की अनुपस्थिति और विकास-प्रेरित विस्थापन से प्रभावित लोगों के लिए प्रभावी पुनर्वास और पुनर्वास नीतियों की कमी पर जोर देता है।

**आर.जी.विर्सिंग और सी.जैस्पारो**[8] का लेख 'रिवर राइवेल्रीः वाटर डिस्प्यूटस, रिसोर्स इन्सिक्यूरिटी एंड डिप्लोमेटिक डेडलॉक इन साउथ एशिया' सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों पर विशेष ध्यान देने के साथ दक्षिण एशिया में जल विवादों का गहन विश्लेषण करता है। लेखक ऐतिहासिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालते हैं। लेखकों का तर्क है कि जल लंबे समय से दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग का एक स्रोत रहा है, जिससे या तो तनाव बढ़ सकता है या क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद लेखक सिंधु जल संधि के विशिष्ट मामले की जांच करते हैं, जिस पर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि, जिसे दुनिया में जल बंटवारे समझौतों के सबसे सफल उदाहरणों में से एक माना जाता है, लगातार तनाव का विषय रही है। लेखक संधि के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की आवश्यकता, जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और जल बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना सम्मिलित है। यह लेख फरक्का बैराज और प्रस्तावित तिपाईमुख बांध पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवादों की भी पड़ताल करता है। लेखक दक्षिण एशिया में जल विवादों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और बातचीत की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

उनका तर्क है कि जहां जल विवाद देशों के बीच तनाव बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, वहीं वे सहयोग और एकीकरण का अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। लेखकों का सुझाव है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे क्षेत्रीय संस्थान जल के मुद्दों पर बातचीत और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

**विश्लेषण :**

प्रस्तुत शोध के लिए डेटा विश्लेषण पद्धति एक विषयगत विश्लेषण पर आधारित है। विषयगत विश्लेषण में साहित्य समीक्षा से एकत्र किए गए डेटा में विषयों और पैटर्न की पहचान करना सम्मिलित है। पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा की व्यापक समझ विकसित करने के लिए विषयों और पैटर्न का उपयोग किया गया है।

**सीमाएँ** : इस शोध की सीमाओं में प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता और शोध का क्षेत्र सम्मिलित है। अनुसंधान केवल जल सुरक्षा के प्रति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को कवर करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अन्य पहलुओं को सम्मिलित नहीं करेगा। कुल मिलाकर, यह शोध पद्धति पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देने के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा की व्यापक समझ प्रदान करेगी।

**भारत के जल सुरक्षा सामरिक हितः** एक उभरती हुई शक्ति होने के नाते भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के रख-रखाव के लिए जल जैसे विशाल संसाधन की आवश्यकता है। जल भारत का एक रणनीतिक पहलू बन गया है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक और अन्य सहायक नदियों के पाठ्यक्रमों पर बहु-परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे भारत अपनी विकासात्मक रणनीति के लिए ऊर्जा संसाधनों की खोज करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के साथ, भारत छोटे, मध्यम और बड़े बांधों से मिलकर कई बांधों का निर्माण कर रहा है। कुछ मध्यम और बड़े बांध राष्ट्रीय विकासात्मक रणनीति के प्रति भारत के प्रमुख हित बने रहे। फरक्का बैराज जैसे बांध तिपाईमुख बांध, तीस्ता बांध और अन्य परियोजनाएं जल सुरक्षा की दिशा में भारत की रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण बन गई हैं। निर्माण के लक्ष्य और उद्देश्य, जैसा कि भारत सरकार योजना बना रही है, मुख्य रूप से खाद्य, ऊर्जा और समग्र रूप से आर्थिक विकास पर जोर देने के साथ स्थायी जल सुरक्षा को पूरा करना है। इसलिए जल सुरक्षा को खाद्य, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा विकास के मामले में भारत के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन को छोड़कर एक ऊपरी तटीय राज्य के रूप में भारत की स्थिति भारत के हितों को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। लेकिन, भारी संख्या में बांध निर्माणों ने नदी तटवर्ती राज्यों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों में नाटकीय चुनौतियों का सामना किया है जो दक्षिण एशिया की समकालीन भू-राजनीति में मुद्दे बन गए हैं।

**पारंपरिक सुरक्षा दुविधा और जल** : दक्षिण एशिया में सीमा पार नदी के मुद्दों का विश्लेषण भारत और उसके पड़ोसी देशों जैसे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के बीच गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी जल सुरक्षा चुनौतियों की ओर जाता है। राष्ट्रीय रणनीति पर इन मुद्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। जल सुरक्षा के लिए पारंपरिक सुरक्षा दुविधा उन उभरती हुई चुनौतियों को संबोधित करती है जो ट्रांसबाउंडरी नदी के बीच और तटवर्ती राज्यों के बीच होती हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र और सैन्य सुरक्षा रणनीति के राज्य सुरक्षा रखरखाव पर पड़ता है। यह खंड जल के बंटवारे की कूटनीति, संघर्ष और विवादों के निम्नलिखित मामले पर जोर देने के साथ जल से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न खतरे की धारणा की जांच करता है।

**भारत और चीन जल कूटनीति** : दक्षिण एशिया में सीमा पारीय नदी के मुद्दों का विश्लेषण हमें जल कूटनीति की ओर ले जाता है और यह अक्सर भारत और चीन के मध्य संबंधों में चुनौती उत्पन्न करता है। चीन एक उभरती हुई शक्ति होने के कारण दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित अन्य नदी तटवर्ती राज्यों की तुलना में उच्च्य स्तर पर जल संसाधनों की मांग करता है। जल संसाधन चीन के लिए रणनीतिक चिंता का विषय रहा है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, चीन की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति की महत्वाकांक्षा है। चीनी बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011) और अधिक विकास

के लिए इसकी जल रणनीति इस महत्वाकांक्षा का आकलन करती है।[9] दक्षिण-उत्तर जल पथांतरण परियोजना के लिए परियोजना के माध्यम से चीनी जल पथांतरण रणनीति चीन की राष्ट्रीय जल सुरक्षा रणनीति का एक अन्य कारक है। इन सभी कारकों के संयोजन का ब्रह्मपुत्र नदी के प्रति भारत की जल कूटनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव और जैव विविधता को कम करने वाली पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव और जल स्तर पर उच्च उतार-चढ़ाव के संबंध में, भारत ने चीनी बांध-संबंधी परियोजनाओं के विरूद्ध मुद्दा उठाया है।[10]

**दक्षिण-उत्तर** जल पथांतरण परियोजना जैसी एकतरफा गतिविधियों के प्रति चीन का रवैया संभावित जल संघर्ष का कारण बन जाता है। इसके अलावा, जल बंटवारे पर संधि और समझौते के प्रति चीन की अनिच्छा एक आवश्यक कारक बन गई है जो दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन संबंधी उपयोगों के कानून के सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मतदान करने वाले तीन देशों में से एक चीन है।[11] बढ़ते तनाव से निपटने के लिए दोनों देशों को इस मुद्दे के समाधान के लिए आगे आना चाहिए जो दोनों देशों के लिए समान अवसरों का आकलन करता है। भारत को ऐसे कारणों के आधार पर चीन के निचले तटवर्ती राज्य के रूप में जल बंटवारे के मुद्दे के बारे में जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले, अधिकांश दक्षिण एशियाई सीमा पार की नदियाँ तिब्बती पठार से निकलती हैं जिस पर चीन पहले ही नियंत्रण कर चुका है। दूसरा चीन ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते इस आधार पर एकतरफा अभ्यास कर सकता है कि दोनों देशों ने सीमित जल-साझाकरण समझौते और संधियाँ प्राप्त की हैं। तीसरा भारत और चीन अपने सामरिक हितों पर प्रभाव के कारण संबंधों में शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के क्षेत्र में उत्पन्न होती है और उसी स्थान की ओर बहती है जो भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक है, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, जहां दोनों देशों के इन क्षेत्रों में अपने विवादित क्षेत्रीय दावे हैं।[12] इसलिए, लद्दाख और सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रीय विवाद पर शत्रुतापूर्ण संबंध जैसे ऐतिहासिक कारक चीन-भारत जल कूटनीति में भिन्न कारक बने हुए हैं।[13]

**भारत और अन्य डाउनस्ट्रीम देश :** भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर जल का मुद्दा विवादित है। गंगा नदी विवाद से लेकर सिंधु नदी विवाद तक, दोनों देशों में जल बंटवारे को लेकर गंभीर राजनीतिक तनाव रहा है। 1947 में दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद, सिंधु नदी बेसिन एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बन गई थी। परिणामस्वरूप भारत पाकिस्तान का एक ऊपरी तटवर्ती राज्य बन गया है जहां सिंधु नदी प्रणाली के छह जल-प्रमुख स्त्रोत भारतीय क्षेत्र के साथ एकीकृत किए गए थे। विश्व बैंक ने इस मुद्दे की मध्यस्थता की और दोनों देशों के लिए संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों द्वारा 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, संधि के बाद की बांध संबंधी परियोजनाएं तनाव को पुनर्जीवित करने में प्रमुख चुनौतियां रही हैं। उदाहरण के लिए, तुलबुल नौवहन परियोजना, बगलिहार बांध, किशनगंगा परियोजना, उरी-द्वितीय पावर प्रोजेक्ट और अन्य तनाव के स्रोत रहे हैं।[14] सिंधु नदी प्रणाली पर जल के बंटवारे के स्थायी प्रबंधन और उपयोग के लिए भारत को पाकिस्तान से निपटना चाहिए। एक बड़ी सार्वजनिक विवाद के अधीन वर्तमान भारत-पाकिस्तान नदी जल बंटवारे का मुद्दा पहले से ही रहा है, इसलिए इसका राजनीतिकरण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक विचार-विमर्श में किया गया। इन दोनों देशों के बीच सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया पर पहले से ही विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत द्वारा निर्मित सिंधु नदी परियोजना से जल का अपेक्षित प्रवाह युद्ध का एक कारक है। पाकिस्तान में जल संकट तनाव को बढ़ावा देने वाला मुख्य कारक है। विश्व आर्थिक मंच ने सूची में तीसरे स्थान पर आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान को जल संकट का सबसे बड़ा संकट बताया। भारत में शिमला और पाकिस्तान में लाहौर के लोग अपनी आजीविका के लिए जल संकट के कारण विरोध करते हैं।[15]

**जल संकट के** कारण इन सभी चिंताओं को पाकिस्तान भारतीय बांधों के खिलाफ उठाता रहा है क्योंकि बांध, निर्माण क्षेत्र में जल को कम कर रहा है। इसलिए, सिंधु नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष का स्रोत बन गई है। यह भारत के लिए सीधा खतरा है क्योंकि राजनीतिक अभिनेता इस मुद्दे को लेकर

चिंतित हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा वह इन्हीं मुद्दों पर होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।[16]

**एक अन्य** समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी बेसिन पर जल बंटवारे की है। पिछले कुछ दशकों में, दोनों देश मुख्य रूप से गंगा नदी, बराक नदी और तीस्ता नदी पर जल के बँटवारे के संभावित संघर्ष के अधीन रहे हैं। 1996 में गंगा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, बांग्लादेश कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दों को उठाता रहा है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश ने एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की इस्लामाबाद में सातवें इस्लामी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन, कोलंबो में गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में गंगा जल के मुद्दे को उठाया।[17] गंगा जल संधि ने पिछले 30 वर्षों से 1996 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस मुद्दे को सुलझा लिया है। इस समय तीस्ता का मुद्दा और बराक नदी का मुद्दा दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में, भारत को इस आधार पर मुद्दों से निपटना चाहिए कि बांग्लादेश का भारत के लिए भू-रणनीतिक महत्व है। बांग्लादेश एक बंद पड़ोस है और भारत की पड़ोस नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति भी बांग्लादेश की भू-राजनीति द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि नदी बंटवारे का मुद्दा उनके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है। इसके अलावा बांग्लादेश चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का भी सदस्य है। दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव से दोनों देशों के मामले में स्थिति और खराब होती है।

**जल के गैर-पारंपरिक सुरक्षा पहलू :** ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग मुद्दों पर भारत के लिए गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा सम्मिलित हैं। जल मोड़ परियोजनाओं और सिंचाई के प्रभाव के रूप में, सुरक्षा के इन पहलुओं ने सुरक्षा के खतरों के अंतर्गत तटवर्ती देशों को ला दिया है। खाद्य सुरक्षा के रखरखाव के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए मीठे जल की भारी मांग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। वास्तव में, आर्थिक सुरक्षा भी इसकी जल सुरक्षा से निर्धारित होती है जिसका खाद्य सुरक्षा से सीधा संबंध है। सुरक्षा का पर्यावरणीय पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय बांध संबंधी परियोजनाएं सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। गैर-पारंपरिक सुरक्षा पहलू पर भारत की सुरक्षा चिंता इन तीन पहलुओं को जोड़ती है। मानव जीवन और आजीविका के मामले में जल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बन गई है। ऊपरी तटवर्ती राज्य चीन द्वारा बांध संबंधी परियोजनाएं भारत में मानव जीवन और आजीविका के लिए प्रमुख खतरा हैं। वास्तव में, बाढ़ और जल की कमी या जल के संकट से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मानव मृत्यु होती है और बहुत लोग भूमिहीन और बेघर हो जाते हैं। चीनी परियोजनाओं को लेकर भारत के लिए यह एक गंभीर चिंता है कि बांध निर्माण से पर्यावरण सुरक्षा सहित मानव जीवन और आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा।

**दूसरी ओर,** पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते भारत को भी गैर-पारंपरिक सुरक्षा संबंधी खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बांग्लादेश के क्षेत्र में जल की कमी या बाढ़ के कारण बांग्लादेश से मानव प्रवास भारत के कई हिस्सों में मानव आजीविका को प्रभावित करने वाला कारक बन गया है। इसका जातीय संघर्ष, उग्रवाद से संबंधित संकट के उद्भव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के जातीय संघर्ष और उग्रवाद आंदोलन के उभरने पर बांग्लादेश से प्रवासन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि बोडो-मुस्लिम जातीय संघर्ष (2012) बांग्लादेश से आए मुस्लिम प्रवासियों के कारण हुआ था।

**इसके अलावा,** बांध निर्माण से संबंधित मुद्दों के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में मानव आंदोलन हुआ है। कई नागरिक समूह पर्यावरण और विस्थापन की चिंताओं के साथ बराक नदी पर तिपाईमुख जैसे बांधों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। यह दावा किया जाता है कि भारत में लगभग 311 वर्ग किमी भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें से, 229 वर्ग किमी एक वन आरक्षित और कृषि भूमि है।[18] परिणामस्वरूप 40000 से 60000 मूल निवासी भारतीय

राज्य मणिपुर और बांग्लादेश में क्रमशः विस्थापित हो जाएंगे। दूसरी ओर, इस बांध (तिपाईमुख हाई डैम)का स्थान एक संभावित भूकंपीय क्षेत्र बन गया है जिसके परिणामस्वरूप बड़े भूकंप आ सकते हैं।इसके अतिरिक्त, प्रवासन का प्रवाह राष्ट्रीय नीति या विकासात्मक नीति को भी प्रभावित करता है। इसने भारत की नीति को पहले ही प्रभावित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता जैसी नकारात्मकता आ गई है। राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र (NRC) और नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये सभी चुनौतियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संघ के भीतर ट्रांसबाउंड्री नदी पर जल के बंटवारे के मुद्दों से जुड़ी हैं। इसके अलावा, भारत के अंदर गैर-पारंपरिक सुरक्षा संबंधी खतरे भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की भारी आलोचना या राजनीतिक बहस हुई है कि इस परियोजना का मानव विस्थापन और पारिस्थितिक संतुलन पर भारी प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे अन्य डाउनस्ट्रीम देशों में भारी बहसें होती हैं। परियोजना जो क्षेत्र में जल संकट का कारण हो सकती है, लोगों के विस्थापन से संबंधित इस राष्ट्रीय परियोजना पर दोनों देश पहले ही भारत पर आपत्ति जता चुके हैं। अनुमान है कि बांग्लादेश में लगभग 100 मिलियन लोग सीधे प्रभावित होंगे।[19]

**उपर्युक्त विश्लेषण** द्वारा शोध के उद्देश्यों जिसमें भारत में जल सुरक्षा से संबंधित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण, भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास रणनीति पर जल सुरक्षा के प्रभाव की जांच, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा का मूल्यांकन, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर जोर देते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की धारणा का मूल्यांकन व अपने पड़ोस के साथ सीमा पार नदी जल के बंटवारे और भू-राजनीति और रणनीति पर इसके प्रभाव से संबंधित उभरते मुद्दों की जांच गहनता से की गई है जिससे लेख में शोध के विभिन्न उद्देश्यों की न्यायसंगत पूर्ति संभव हो सकी है। इसके साथ ही शोध में जल सुरक्षा की दिशा में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए सिफारिशें भी प्रस्तावित की गई हैं जिससे शोध के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति यथासंभव की गई है।

**सुझाव और समाधान :** भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए जल सुरक्षा के महत्व और पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार नदी जल साझा करने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैंः

1. एक व्यापक जल सुरक्षा नीति विकसित करें जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखे। इसमें सम्मिलित सभी पक्षों की आवश्यकताओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, पड़ोसी देशों के साथ जल-बंटवारा समझौते पर बातचीत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।[20]
2. जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन उपायों में निवेश करें।जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।[21]
3. जल संरक्षण प्रयासों में जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाये।
4. जल सुरक्षा हेतु उन्नत तकनीकों जैसे स्मार्ट जल शोधन प्रणाली, मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी, उरावु लैब्स, वाटर एटीएम, एकम इको सॉल्यूशंस आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए।[22]

**निष्कर्षः** इस प्रकार, जल सुरक्षा और इसकी चुनौतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरती हुई चुनौतियाँ बन गई हैं क्योंकि राष्ट्रीय मूल्य जल द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। सर्वांगीण विकासात्मक रणनीति में इसके महत्व और उपयोगिता के कारण जल एक उभरती हुई सुरक्षा चुनौती है। यहां तक कि कृषि अर्थव्यवस्था में यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक विकास देश में इसके मीठे जल से निर्धारित होता है। जल सुरक्षा विशेष रूप से कमी या संकट को चुनौती देती है जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता को प्रभावित करती है। शांति और संघर्ष अध्ययनों सहित समकालीन अंतर्राष्ट्रीय या सुरक्षा अध्ययनों में, जल सुरक्षा से संबंधित मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के कम प्राथमिकता वाले पहलू हैं क्योंकि हम सैन्य सुरक्षा जैसे अन्य पहलुओं से तुलना करते हैं। लेकिन, समकालीन दुनिया में इसे अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे जल से संबंधित पहलू मौन या मानक सुरक्षा से

लेकर अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा तक होते हैं। इसका आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और निश्चित रूप से सैन्य क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।जल से संबंधित मुद्दे विशेष रूप से दक्षिण एशिया जैसे विकासशील देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण खतरे बन गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमापारीय नदी जल सुरक्षा चुनौतियां दक्षिण एशिया में तटवर्ती राज्यों के बीच और उनके बीच भू-राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं।[23] ये मुद्दे उनकी चल रही सैन्य सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावित कर सकते हैं और क्षेत्रीय विवाद को आपस में जोड़ सकते हैं। यहां तक कि, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश जल से संबंधित मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं जब क्षेत्रीय विवाद पर मुद्दे अधिक भिन्न हो जाते हैं।

## सन्दर्भ


1. Cosgrove, William J., and Daniel P. Loucks. "Water management: Current and future challenges and research directions." Water Resources Research 51, no. 6 (2015): 4823-4839.
2. Ibid.
3. Vishwanath, A. "Paddling Upstream: Transboundary Water Politics in South Asia." Carnegie Endowment for International Peace, 2018a, p. 2.
4. Biba, S. "Desecuritization in China's Behavior towards Its Transboundary Rivers: The Mekong River, the Brahmaputra River, and the Irtysh and Ili Rivers." Journal of Contemporary China, vol. 23, no. 85, 2014, p. 25. doi:10.1080/10670564.2013.809975.
5. Akhtar, D. Shaheen. "Emerging challenges to Indus Waters treaty." Regional Studies 28, no. 4 (2010), pp. 3-66.
6. Mehta, N. "Dialectics of Tipaimukh Dam: Issues and Concerns." VIF India, 23 July 2012, https://www.vifindia.org/article/2012/july/23/dialectics-of-tipaimukh-dam-issues-and-concerns
7. Kothari, S. "Whose Nation? The Displaced as Victims of Development." Economic and Political Weekly, 1996, 1476-1485.
8. Wirsing, R. G., & Jasparro, C. "River Rivalry: Water Disputes, Resource Insecurity and Diplomatic Deadlock in South Asia." Water Policy, vol. 9, no. 3, 2007, pp. 231-251.
9. Vishwanath, A. op.cit., p. 2.
10. Vishwanath, A. op.cit., p. 4.
11. Biba, S. op.cit., p. 25.
12. Ho, Selina. "River politics: China's policies in the Mekong and the Brahmaputra in comparative perspective." Journal of Contemporary China 23, no. 85 (2014): 1-20.
13. Yasuda, Y., Aich, D., Hill, D., Huntjens, P., & Swain, A. Water Cooperation over the Brahmaputra River: Legal Political Economy Analysis of Current and Future Potential Cooperation. The Hague Institute for Global Justice, 2017, p. 1.
14. Akhtar, D. Shaheen. op.cit., p.3-66.
15. Mangi, F., Kay, C., & Chaudhary, A. "Water Crisis Brews between India and Pakistan as Rivers Run Dry." The Economic Times, 26 January 2019, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/water-crisis-brews-between-india-and-pakistan-as-rivers-run-dry/articleshow/67700195.cms?from=mdr.
16. Ibid.
17. Hossain, I. "Bangladesh-India Relations: The Ganges Water-Sharing Treaty and Beyond." Asian Affairs: An American Review, vol. 25, no. 3, 1998, p. 136. doi: 10.1080/00927679809601449.
18. Mehta, N. op.cit.
19. Kothari, S. op.cit., p.1476-1485.
20. Karki, M. B., Shrestha, A. B., & Winiger, M. "Enhancing Knowledge Management and Adaptation Capacity for Integrated Management of Water Resources in the Indus River Basin." Mountain Research and Development, vol. 31, no. 3, 2011, pp. 242-251.
21. Wirsing, R. G., & Jasparro, C. op.cit., p. 231-251.
22. Lee, Seung Won, Sarper Sarp, Dong Jin Jeon, and Joon Ha Kim. "Smart water grid: the future water management platform." Desalination and Water Treatment 55, no. 2 (2015): 339-346.
23. Timmerman, Jos G., and Sindre Langaas. "Water information: what is it good for? The use of information in transboundary water management." Regional Environmental Change 5 (2005): 177-187.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# संकल्प से क्रांति तक 1930–1934 की भारतीय अवज्ञा आंदोलन की उत्पत्ति और प्रभाव

❑ डॉ. सहिदुज्जामान खान

**सूचक शब्द :** लाहौर सत्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज, महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, बिहार कांग्रेस समिति, स्वतंत्रता दिवस, नमक अधिनियम, असहयोग सत्याग्रह, मानभूम जिला।

हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के इतिहास में मानभूम की भूमिका अहम रही है। प्रस्तुत लेख 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के प्रस्तावों से शुरू होता है और उसके बाद भारतीय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को विवरणित करता है। यह लेख बिहार के मानभूम जिला कांग्रेस समिति की योजनाओं, कार्यवाही और उसके योगदान को भी विशेष रूप से बताता है। इसके अलावा, गांधीजी द्वारा नमक अधिनियम के खिलाफ आयोजित असहयोग सत्याग्रह के उत्कृष्ट उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया गया है।

**भारतीय राष्ट्रीय** कांग्रेस ने 1929 में लाहौर सत्र में अपने पारित प्रस्ताव के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया था। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की प्राप्ति को कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया था। इसके साथ ही निर्णय लिया गया था कि इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में सार्वजनिक बैठकों में अपनाया जाएगा, और उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा।[1]

**महात्मा गांधी** के नेतृत्व में, 1930 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में साबित हुआ।[2] कांग्रेसी नेता उत्साह और जोश से भरे थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव का उत्तर देते हुए, 20 जनवरी 1930 को राजेंद्र प्रसाद, एस.के. सिन्हा, जिमुत बहन सेन, राम नारायण सिंह, और मथुरा प्रसाद ने बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रक्रिया के संकेत किए गए थे।[3] प्रक्रिया इस प्रकार थी :

1. राष्ट्रीय ध्वज का सुबह 8 बजे सभा होने वाले स्थान पर ध्वजारोहण किया जाना चाहिए। संध्या में, सभा समाप्त होने तक ध्वज को नीचे ले जाना चाहिए।
2. सुबह में ध्वजारोहण करने के बाद, लोगों को निम्नलिखित कामों में लगना चाहिए और उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए–

अ. जितने भी संभव हो, घरों का दौरा किया जाना चाहिए और लोगों को कांग्रेस के प्रस्ताव को समझाया जाना चाहिए और वर्ष 1930 के लिए सदस्यों को नामांकित किया जाना चाहिए।

ब. खादी का विक्रय किया जाना चाहिए।

स. चरखा परत किया जाना चाहिए।

द. स्वयंसेवकों को नामांकित किया जाना चाहिए। उन्हें खादी का अभ्यासी बनाया जाना चाहिए और उन्होंने कांग्रेस की शपथ ली होनी चाहिए।

क. अछूतों के उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए, मंदिरों में उन्हें लेकर जाना चाहिए, कुएं का निःशुल्क उपयोग करने देना चाहिए, आदि।

ख. विदेसी प्रतिबंध।[4]

**मानभूम के** लोग भी 26 जनवरी 1930 को 'स्वतंत्रता दिवस' मनाने के देशव्यापी कार्यक्रम का हिस्सा बने, जो एआईसीसी के निर्देशों के अनुसार था। प्रारंभ में, मानभूम जिला कांग्रेस समिति के नेताओं ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि वे कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और लाहौर सत्र में उसकी रूपरेखा निर्दिष्ट की गई। इस उद्देश्य के लिए 15 जनवरी 1930 से एक तुसु मेला का आयोजन किया गया, जो पुरुलिया के पहले शहीद सत्य किंकर दत्त की स्मृति में हुआ। बाद

❑ सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग, तारकेश्वर डिग्री कॉलेज, तारकेश्वर, हुगली (पश्चिम बंगाल)

में मेला सत्य मेला के रूप में बदल दिया गया, जिसका नाम दत्त के नाम पर रखा गया था। यह मेला विदेशी सरकार के विरूद्ध स्थानीय लोगों को संगठित करने का कार्यक्रम था।[5]

**मानभूम जिला** कांग्रेस समिति के नेताओं ने महातो समुदाय और साथ ही सवार, खेरिया, संथाल और अन्य जनजातियों को भी जिला कांग्रेस की विचारधारा में लाने में सफलता प्राप्त की। सभी समुदाय विदेशी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया।[6]

**मानभूम** जिला कांग्रेस समिति के मार्गदर्शन के अनुसार, जिले भर में लोग अपने घरों को फूलों और राष्ट्रीय ध्वज से सजाकर स्वतंत्रता के उद्घाटन को सुगम बनाने के लिए पूरे जिले में मानभूम के लोग उत्साह से 'स्वतंत्रता दिवस' का उत्सव मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के अलावा, पुरुलिया के लोग कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए उत्साहित हो गए। मानभूम नागरिक असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक अधिनियम को उल्लंघन करते हुए अपनी ऐतिहासिक यात्रा का प्रारंभ दांडी की ओर किया।[7] यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन की पूर्वाह्न थी। दूसरी ओर, कांग्रेस ने गांधी के कार्य का समर्थन किया और उम्मीद की कि पूरा देश इसका पालन करेगा। इसने प्रांतों को भी 'नमक कानूनों का नागरिक उल्लंघन' पर केंद्रित करने की सलाह दी। इस प्रकार, गांधी और अन्यों द्वारा नमक अधिनियम का उल्लंघन वास्तव में देश के विभिन्न हिस्सों में जन आंदोलन का प्रारंभ के लिए 'एक संकेत' था। गांधी और एआईसीसी के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में, जैसा कि देश के अन्य क्षेत्रों में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय देशभक्ति के साथ प्रभावी उत्साह दिखाया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को सफलतापूर्वक विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का नेतृत्व किया, जिसमें मानभूम जिला भी था।[8]

**असहयोग आंदोलन की तैयारी :** अवज्ञा आंदोलन के दौरान मानभूम में काफी जागरूकता देखी गई। मानभूम जिला कांग्रेस समिति के नेताओं ने लाहौर कांग्रेस में प्रस्तावित असहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करना प्रारंभ किया। 24 फरवरी 1930 को, झालदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कांसरा गांव में 12,000 गांववालों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पंचानन मुरा ने की और उसमें मोहनदास बाबाजी, विभूतिन भूषण दासगुप्ता, ओसरनलाल जैसवाल, गोपाल चंद्र चौधरी, कालिपदा हालदर, बिहारीलाल चट्टोपाध्याय, हरिपदा दत्त और अन्यों ने भाषण दिया। उन्होंने जनता को देश की दुर्दशा के कारणों के बारे में और उनको दूर करने के उपायों और तरीकों के बारे में समझाया। वक्ताओं ने गांधीजी के आह्वान पर गांधी के असहयोग आंदोलन में गाँववालों को सम्मिलित होने के लिए भी आग्रह किया।[9]

**मानभूम जिला** कांग्रेस समिति के अध्यक्ष निबारण चंद्र दासगुप्त ने, आगामी असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित करना शुरू किया। दासगुप्त ने लोगों के सामने असहयोग कार्यक्रम की महत्ता को समझाया और उनसे संघर्ष में जुड़ने के लिए आग्रह किया। उन्होंने गाँव के विकास के लिए गाँव के लोगों से सेवा करने के लिए अपील की, स्थानीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए, और पंचायतों और गाँव सेवा संघों का निर्माण करने के लिए शराब और विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए प्रयास किया।[10]

**गांधीजी ने** तुरंत ही नमक अधिनियम को तोड़ दिया था, इसके बाद मानभूम के लोग उनके असहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित हुए। जिला समिति के नेताओं ने लोगों से अनुरोध किया कि वे सभी भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करें।

1. बंगाल के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह में भाग लेना,
2. 144 क्र. पी.सी. और अन्य कानूनों का उल्लंघन करके सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना और कारावास में जाना,
3. शराब की दुकानों पर पिकेटिंग का आयोजन करना,
4. विदेशी सामान का बहिष्कार करना,
5. विदेशी कपड़ों का जलाना,
6. नारों के साथ जुलूस निकालना, और,
7. सरकार को कोई कर न देना।

**10 अप्रैल, 1930** को निबारण चंद्र दासगुप्त के नेतृत्व में एक सत्याग्रह समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम को क्रियान्वित करना था। अतुल चंद्र घोष, फणिन्द्रनाथ दासगुप्त और अतुल

चंद्र दत्त अन्य सदस्यों में थे। सत्याग्रह अभियान की सहायता में निधि जुटाने के लिए, जिले के कुछ प्रमुख वकीलों से बनी एक अन्य समिति भी गठित की गई थी।

**मानभूम जिला** कांग्रेस समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि जिले के कांग्रेस स्वयंसेवक बिहार समुद्री प्रांत न होने के कारण बंगाल के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह में भाग लेंगे। इसके अनुसार, दो दलों के सत्याग्रहियों को कांटाई, मिदनापुर, और माहिशबथान, 24 परगना में नमक अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए भेजा गया। अरुण चंद्र ने पुरुलिया के 13 कांग्रेस स्वयंसेवकों के समूह का नेतृत्व करते हुए कांटाई में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। वहां उन्हें अमानवीय पुलिस दमन का सामना करना पड़ा। दूसरे सत्याग्रहियों के दूसरे बैच का महिशबथान, निबारण चंद्र दासगुप्त के नेतृत्व में जाना गया, जहां वे नमक अधिनियम का उल्लंघन करने और वहां नमक सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए गए।[12]

**सत्याग्रहियों** द्वारा बंगले में बंद साधन नमक को खुले बाजार में बेचने के लिए पुरुलिया में लाया गया। उन्होंने 17 से 18 अप्रैल 1930 को पुरुलिया शहर की सड़कों पर प्रदर्शन और नमक अधिनियम और पुलिस आदेश का उल्लंघन करते हुए बंद साधन नमक की खुले बाजार में बिक्री की। एक पैसे के लिए एक चुटकी नमक बेची गई। शहरवासियों में बंद साधन नमक खरीदने के लिए उत्साह था।[13]

**सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ :** जब नागरिक अवहेलना आंदोलन जिले में गति पकड़ने लगा, तो मानभूम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के निर्देशों का पालन करते हुए कुछ उग्र कदम उठाए। इस प्रकार, उन्होंने योजना बनाई -

1. जबरन वसूली की दुकानों को बंद करना,
2. उन भूमिदारों को पंगु बनाना जो ब्रिटिश सरकार के दास और सहयोगी थे,
3. विदेशी शासकों के मुख्य हथियार पुलिस बल को पंगु बनाना, और
4. नो टैक्स अभियान का सहारा लेना।[14]

**कुछ ही दिनों** में, संतुरी, नेतुरिया, रघुनाथपुर, कासीपुर, और अन्य स्थानों की सभी उत्पाद दुकानें बंद हो गईं। नेतुरिया में, आंदोलन के प्रारंभ में, प्रत्येक दिन चार कांग्रेस स्वयंसेवकों ने कानूनों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी दी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें जगबंधु पांडे, निबारन आचार्य, उमापद बनर्जी, रामपद भट्टाचार्य, देबेंद्रनाथ दास, गुमान माझी और अन्य सम्मिलित थे। गिरफ्तारी से बेपरवाह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशीपुर, रघुनाथपुर, और संतुरी में शराब और गांजा की दुकानों और पुलिस स्टेशनों पर धरना दिया। अन्नदा कुमार चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इन सभी गतिविधियों के कारण, पुरुलिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने गति पकड़ ली।[15]

**जब जिले** में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ने लगा, उस समय पुरुलिया के जिला स्कूल और विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन पर कांग्रेस के स्वयंसेवकों और मानभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नेता जिमुत बाहन सेन के नेतृत्व में छात्रों ने धरना दिया। समकालीन सरकारी अभिलेखों में धरना में छात्रों की भागीदारी का उल्लेख इस प्रकार है- जिमुत बाहन सेन ने जिला स्कूल में धरना की योजना बनाई, कांग्रेस द्वारा नवयुवकों से स्कूल और कॉलेज छोड़ने और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की अपील भी की गई, एच.ई. स्कूल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन के बड़ी संख्या में छात्रों ने अपना स्कूल छोड़ दिया।[16]

**रिपोर्ट इस घटना** का वर्णन इस प्रकार करती है- बंदियों ने हवालात के समय शयन बैरक में बंद होने से इंकार कर आदेशों की अवहेलना की। पुलिस की मदद मांगी गई और सार्जेंट मेजर को एक राजनीतिक कैदी ने काट लिया। जेल कर्मचारियों और पुलिस पर बल प्रयोग किया गया और उन पर थालियां फेंकी गईं और स्थिति चरमरा गई। अंततः, ब्लेविट के हस्तक्षेप से पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। आठ रिंग लीडरों-सुरेंद्रनाथ नियोगी, राधाप्रसाद वर्मा, प्रभात कुमार बसु, जगबंधु मलिक, पी. भट्टासाली, रमेश चंद्र राय चौधरी, अतुल चंद्र दत्ता और सुकुमार मित्रा को 17.12.30 को दंगे के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में अशांति के परिणामस्वरूप उन राजनीतिक कैदियों को 'अगले वर्ष कैदियों की रिहाई का लाभ नहीं मिला।'[17] इस प्रकार जमीनी स्तर की गतिविधियों की सफलता के कारण मानभूम में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे एक जन आंदोलन बन गया।[18]

**मानभूम जिला** कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए खेरिया और अन्य आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया। इस

प्रकार, झालदा में विभूति भूषण दासगुप्ता द्वारा सत्य टोपी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और सत्य मेला जारी रखा गया। इस उद्देश्य के लिए बीर राघब आचार्य ने झालदा का दौरा किया, और लाठी और खंजर खेल के लिए अखाड़ों का पुनर्गठन किया। जिमुत बाहन सेन की पहल पर उसी वर्ष दिसंबर में करगली में एक कांग्रेस केंद्र भी खोला गया था। इस उद्देश्य के लिए पुरुलिया सहकारी बैंक के तत्कालीन सहायक सचिव गिरीश चंद्र मजूमदार द्वारा एक घर खरीदा गया था। मानभूम के डिप्टी कमिश्नर ने करगली में कांग्रेस शिविर को 'एक राजनीतिक खतरा' माना क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति से यह बंगाल के आगंतुकों को आकर्षित करता था।[19]

**इन सभी** गतिविधियों के साथ-साथ पुरलिया में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी बड़े जोर-शोर से जारी रहा; व्यापारियों और खरीददारों दोनों से बहिष्कार आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया। मुक्ति ने विदेशी शासकों के खिलाफ जनमत जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाई। जल्द ही इसे सरकार के कोप का भाजन बनना पड़ा जिसने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। ब्रिटिश विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए बड़े प्रयास किए गए।[20]

**पुरुलिया में नागरिक असहमति के दूसरे चरण का प्रारंभ**

1931 दिसंबर में कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। मानभूम में लोग 'इसे उठाने के लिए तैयार थे और 1930 की तुलना में इसे और भी बड़ी सफलता बनाने के लिए'। मानभूम के उपायुक्त के अनुसार - अगर इस सविनय अवज्ञा को 1930 के तरीके से नहीं देखा गया होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थिति 1930 से भी अधिक खराब और अधिक गंभीर होती।[21]

**आखिरकार जब** 4 जनवरी 1932 को गांधी को गिरफ्तार किया गया तो इसके साथ ही पूरे भारत में दूसरे सविनय अवज्ञा का आरम्भ हुआ, उसी दिन मानभूम में आजादी की घोषणा हुई। पुरुलिया में, 5 जनवरी को चार एमडीसीसी के नेता - निबारण चंद्र दासगुप्त, अतुल चंद्र घोष, स्वामी संकरानंद और साशधर गांगुली गिरफ्तार किए गए। अगले तीन दिनों के दौरान पुरुलिया, नोवागढ़, तुलीन, हुतमुरा, रामचंद्रपुर और करगली के सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस केंद्रों को जब्त किया गया और उनके नेताओं को जेल भेज दिया गया। प्रायों-प्रायों पुरुलिया में हर प्रकार का आंदोलन कुचल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, 'आंदोलन को मुख्य रूप से एक महीने के अंदर ही दबा दिया गया, हालांकि वर्ष के पहले हिस्से में विविध मामले उठे'।[22]

**जबकि स्थानीय** प्रशासन द्वारा कठोर कदमों के बावजूद, कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख कांग्रेस गतिविधियाँ ध्यान में रखने योग्य थीं। पहली बात, 26 जनवरी 1932 को, अतुल चंद्र घोष की पत्नी और बेटी, निबारण चंद्र दासगुप्ता की बेटी, और अस्विनी पाल की भतीजी ने संगठन की एक पदयात्रा का आयोजन, पुरुलिया नगर के रास्तों पर दस पुरुषों के साथ किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता की जागरूकता जागरूक करना था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, पदयात्राकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। निबारण चंद्र दासगुप्ता के निर्देशन में महातो समुदाय के सदस्यों द्वारा एक और पदयात्रा आयोजित की गई। हालांकि, इस पदयात्रा को बिखेर दिया गया, और इसके नेताओं को तीन महीने के लिए जेल भेज दिया गया, और उन पर 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। 21 मार्च को, ब्रजेन्द्र ब्रह्मचारी, एक बंगाली क्रांतिकारी, जिसे 'अलिपुर बम मामले' में संलिप्त होने का संदेह था और जो कुछ वर्षों से एडरा में गुप्त रूप से तंत्रात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ कांग्रेस के लिफ़लेटों की पर्याप्त मात्रा मिली थी। ब्रह्मचारी को 4 मई 1932 को सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1932 को, बिभूति भूषण दासगुप्ता के साथ 16 अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोवागढ़ आश्रम से पदयात्रा की और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा सुनाई गई। इसके बाद से, रिपोर्ट किया गया, जिले में या पुरुलिया में प्रायः कोई कांग्रेस गतिविधि नहीं हुई है। सार्वजनिक रूप से, 1932 में 81 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया, जो की 1930 में 237 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना में था।[23]

**गांधी का अंधविश्वास निवारण अभियान :** मानभूम जिला कांग्रेस के नेता 24 सितंबर 1932 को जिले भर में 'हरिजन दिवस' का जश्न मनाते रहे। मई 1933 में निबारण चंद्र दासगुप्ता और अतुल चंद्र घोष को जेल से रिहा कर दिया गया, और वे सिल्पस्रम में वापस आ गए। वे जिले में अंधविश्वास निवारण अभियान का नेतृत्व

करते रहे, हालांकि दासगुप्ता तपेदिक से पीड़ित था। 29 मई 1934 को पुरुलिया में गांधी के आगमन ने जिले में अंधविश्वास निवारण अभियान को और बलवान बनाया। सबसे अद्भुत था कि निबारण चंद्र दासगुप्ता, जो पहले अंधविश्वास और जाति व्यवस्था का समर्थन करते थे, लेकिन बाद में गांधी के प्रभाव से उन्होंने इसे पार किया। फिर उन्होंने अपने जीवन को मानभूम में अंधविश्वास निवारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए समर्पित किया। बाद में वह मानभूम के साबर, डोम और अन्य समुदायों के बीच प्रसिद्ध हुए।[24]

**मानभूम जिला** प्रशासन ने अपने प्रदेश में नागरिक अविनय आंदोलन को दमन करने के लिए निर्णायक कदम उठाए, जिसके सामने मानभूम जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय जनसंख्या से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना था। 1930 की उत्पत्ति की उथल पुथल शुरू, जिसमें लाहौर कांग्रेस ने स्वतंत्रता संकल्प को स्वाधीनता से पारित किया और गांधी ने स्वराज के प्रति आह्वान किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी गतिविधि को उत्पन्न किया। उन्होंने सरकार की खुले बाजार प्रशंसा करते हुए, स्वयंसेवकों को संगठित किया, जिले के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस केंद्र स्थापित किए, और नागरिक अविनय तकनीकों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।[25]

**आंदोलन को** दबाने के लिए, मानभूम जिला सत्याग्रह समिति को जो 10 अप्रैल 1930 को गठित किया गया था, त्वरित रूप से एक अवैध संगठन के रूप में घोषित किया गया। स्थानीय प्रशासन ने पुरुलिया सदर उपमण्डल में तलवारों और छुरियों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार द्वारा अध्यादेशों के जारी होने से राहत मिली, जो अधिकारियों को शीघ्रता से सदर उपमण्डल में स्थिति को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते थे। इसके अलावा, प्रशासन ने एमडीसीसी का मुखपत्र मुक्ति के प्रकाशन पर रोक लगाई और देशबंधु प्रेस को बंद कर दिया, जिससे विपक्षी ध्वनियों को और भी दबाया गया।[26]

**छात्र समुदाय** आंदोलन में महत्वपूर्ण बल बने, जिसमें पुरुलिया के जिला स्कूल और विक्टोरिया इंस्टीट्यूट के छात्र गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहे थे। प्रतिक्रिया के रूप में, प्रशासन ने भय उत्पन्न करने के लिए धमकियां दीं, जिला स्कूल को समाप्त करने की धमकी दी, साथ ही जुर्माने, कैद, और गोरखा सैन्य और घुड़सवार पुलिस बलों की तैनाती जैसे दंगाई उपायों का उपयोग किया। छात्र समुदाय के साथ निम्नलिखित तरीके से व्यवहार किया गया, जो छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से डराने वाले थे[27]–

क) उन लड़कों को चेतावनी देना और उन्हें पद से हटाना, जिन्होंने धरना-प्रदर्शन में भाग न लेने का वादा किया था,

ख) उनके साथ धारा 562 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिक स्वतंत्रता से व्यवहार करना,

ग) यदि वे बांड भरने से इनकार करते हैं, तो अपराध की प्रकृति के अनुसार 25/- से 50/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था। लड़कों द्वारा जुर्माना देने से इनकार करने की संभावना थी, लेकिन उनके अभिभावकों ने राशि जमा कर दी,

घ) लड़कों को छह सप्ताह के कठोर कारावास की सजा देना, ताकि उन्हें मुंगेर किशोर जेल भेजा जा सके।

ई) वास्तव में गंभीर अपराधों जैसे कि पुलिस की खुली अवज्ञा करना या उन्हें गाली देना या बड़े लड़कों द्वारा लाठी और खंजर लेकर धरना-प्रदर्शन करना, के लिए तीन महीने या चार महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई।

**जिला कांग्रेस** कमेटी के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सेओ सरन लाल, मोहनदास साधु, और अतुल चंद्र घोष जैसे प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अविनय से संबंधित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया। पार्श्वगामी धनबाद में, अदम्य तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे कई लोग शराब और गांजा की दुकानों को पिकेट करने के लिए गिरफ्तार किए गए।[28]

**प्रशासन का** कठोर दृष्टिकोण न्यायालय तक फैला, जैसा कि विवादास्पद घटना में पुलिस को गांधी की टोपियों को जलाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे व्यापक निंदा होती है। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद, आंदोलन की गति अक्टूबर 1930 तक धीमी पड़ गई, जिससे नागरिक अविनय गतिविधियों में रुकावट आई।

**हालांकि,** कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय कि दिसंबर 1931 में दूसरा नागरिक अविनय आंदोलन शुरू किया जाए, प्रशासन की ओर से त्वरित और गहरी प्रतिक्रिया आई। आंदोलन का मुख्यालय बनाने का इरादा रखने

वाले नेताओं को त्वरित गिरफ्तार किया गया, और कांग्रेस केंद्रों को जेल में भेज दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की उत्तेजना को नियंत्रित किया गया।

**इन आंदोलनों में** न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानभूम में महिला सभा का गठन किया गया। महिला सभा का पहला अधिवेशन 1928 में नीलकुटीडांगा में हुआ। खिरोदा सुंदरी देवी इस संगठन की पहली अध्यक्ष थीं। देशबंधु चित्तरंजन दास की बेटी कल्याणी देवी ने इस अधिवेशन में अपना भाषण दिया। उन्होंने मानभूम की महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मानभूम की शेफालिका बसु जिले की एकमात्र महिला प्रतिभागी थीं जिन्होंने 1929 में लाहौर सम्मेलन में भाग लिया।[29]

**गांधी के** आह्वान पर पुरुलिया की महिलाओं ने पुरुलिया के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार, मई 1930 में लाबन्याप्रभा घोष के नेतृत्व में सिलपाश्रम में एक महिला सत्याग्रही दल का गठन किया गया। इस दल ने अपनी कार्यवाही में पूरे पुरुलिया में शराब की दुकानों और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। लाबन्याप्रभा घोष की प्रेरणा से, भवानी महतो, संता महतो, मोहिनी महतो और अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित थे वे जिले के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए।[30]

**अंततः गांधी** ने 1934 में ब्रिटिश दमन के कारण दूसरे नागरिक अविनय आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि, उनके निर्माणात्मक कार्यक्रम ने अहिंसा के प्रति अपना प्रयास जारी रखा, हरिजनों के कल्याण और छूआछूत को मिटाने के लिए। गांधी की इस विरासत ने मानभूम में गहरा प्रभाव डाला, जिसने क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डाला।

## सन्दर्भ


1. 'सिविल असहमति आंदोलन', भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली, 1936, पृ.1
2. दत्ता, के.के., 'बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास', बिहार सरकार पटना, 1957, पृ.48
3. दब, जयंत कुमार, 'स्थानीय राजनीति और भारतीय राष्ट्रवाद पुरुलियाः 1921-1947', प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, कोलकाता, 2007, पृ. 78
4. अंबस्था, जी.एस.पी., 'बिहार में कांग्रेस सरकार', क्लासीकल पब्लिशिंग कं., नई दिल्ली, 1985, पृ.65-66 देखें डेटा, के.के., पृ.48-49
5. दब, पूर्वोक्त, पृ.78
6. वही, पृ. 80
7. बी. पट्टाभि सीतारमैया, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास', भाग 1, एस चांद एण्ड कं. देहली, 1969, पृ.385
8. मुक्ति, 20 जनवरी, 1930
9. दब, पृ.85-86 और दत्ता, के.के., पृ.65
10. मुक्ति, 10 मार्च और 17 मार्च, 1930
11. मित्रा, सुमित्रा, सदर मनभूमेर स्वतंत्रता आंदोलन, भारती प्रिंटिंग वर्क्स, कलकत्ता, पृ.18
12. मुक्ति, 21 अप्रैल, 1930
13. अमृत बाजार पत्रिका, 22 अप्रैल, 1930
14. दब, पूर्वोक्त, पृ.90
15. स्वामी असीमानंद सरस्वती, 'अमर जीवन', पृ. 232-233
16. गोपनीय फ़ाइल संख्या 285/32 बिहार और उड़ीसा सरकार, पटना, पृ.13
17. वही, पृ.14
18. वही, पृ.16
19. वही, पृ.18
20. वही, पृ.18-20
21. वही, पृ.20-21
22. वही, पृ.21
23. वही, पृ.21-22
24. मित्रा, पूर्वोक्त, पृ.21 और दब, पूर्वोक्त, पृ.104
25. गोपनीय फ़ाइल संख्या 285/32 बिहार और उड़ीसा सरकार, पटना, पृ.9
26. दत्ता, पृ.83-84
27. गोपनीय फ़ाइल संख्या 285/32 बिहार और उड़ीसा सरकार, पटना, पृ.14-15
28. वही, पृ.16
29. भट्टाचार्य, तरुंदेव, 'पुरुलिया', फर्मा के.एल.एम. प्रा. लि., कोलकाता, 1986, पृ.183
30. मुक्ति, 14 अप्रैल, 1930

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# प्रथम विश्व युद्ध व हरियाणा में शिक्षा का प्रसार

❑ सुश्री प्रसून

मानव के आत्मविकास की प्रक्रिया इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। अन्य जीवों से अलग मानव एक ऐसी क्रान्ति से गुजरा जिसने उसको अन्य जीवों से हमेशा के लिए अलग कर दिया, वह क्रान्ति थी संज्ञानात्मक क्रान्ति (Cognitive Revolution)। इसी क्रान्ति ने आगे चलकर मानव समाज में शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। इसी के माध्यम से मानव विभिन्न प्रकार के कौशल, सामाजिक नियम, मूल्यों व मान्यताओं को ग्रहण करने लगा। प्रस्तुत शोध-पत्र शिक्षा प्रणाली के विस्तार एवं विकास को एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से जानने का प्रयास है। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने वाला देश रहा है, नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इसका प्रतीक थे। आधुनिक काल में भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इस प्रक्रिया से हरियाणा क्षेत्र भी अलग नहीं था, परन्तु प्रथम विश्व युद्ध तक इस क्षेत्र में यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। प्रथम विश्व के पश्चात् इस युद्ध में भारी संख्या में हिस्सा लेने वाले हरियाणा क्षेत्र के सैनिकों ने शिक्षा के महत्त्व को समझा और उसके विकास एवं विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विकास और विस्तार अभूतपूर्व था। इसी को उल्लेखित करना प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

**सूचक शब्द :** साम्राज्यवाद, संज्ञानात्मक क्रान्ति, रिसाला, पलटन, अनिवार्य शिक्षा व उपनिवेशिक शासन।

**शोध-पत्र के उद्देश्य :** हरियाणा में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों की भूमिका को उल्लेखित एवं रेखांकित करना।

**शोध पद्धतिः** इस शोध-पत्र में संख्यात्मक एवं गुणात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया गया है। शोध-पत्र में प्राथमिक के साथ-साथ द्वितीयक श्रेणी के स्रोतों का भी प्रयोग करते हुए शोध-पत्र को उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

**साहित्य समीक्षा**

**चतर सिंह**[1] ने 'सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज इन हरियाणा' नामक पुस्तक में हरियाणा में परिवर्तन की रूपरेखा का वर्णन किया हैं। इसमें हरियाणा के किसानों के साथ-साथ हरियाणा की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक 1803 से 1900 तक के हरियाणा का बोध कराती है। इस अंतराल में हरियाणा के समाज में जो भी सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं उन सभी का वर्णन पुस्तक में किया गया है।

**के.सी. यादव**[2] ने "सोशियो इकॉनामिक लाइफ इन रूरल हरियाणा इन नाईन्टींथ सेन्चुरी" व "हरियाणा का इतिहास" में हरियाणा के लोगों का व्यवसाय व उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व व पश्चात् हरियाणा में शिक्षा की स्थिति का भी वर्णन किया है।

**कौशिक राय**[3] ने "इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार (1914-18)" में विश्व युद्ध के दौरान हुए संरचनात्मक विकास, सैनिकों को मिलने वाले भत्ते एवं वेतन से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। इन्होंने अध्ययन में पंजाब क्षेत्र के सैनिकों द्वारा लिखे गए पत्रों के द्वारा आए परिवर्तनों का भी अध्ययन किया है।

**शिक्षा** किसी भी व्यक्ति के व्यवहार व जीवन स्तर में परिवर्तन करने के लिए एक आवश्यक आयाम है। शिक्षा को मानव विकास की एक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है जो मानव जीवन में शैशवावस्था से प्रारम्भ होते हुए जीवन पर्यन्त चलती रहती है। एक व्यक्ति शिक्षा के द्वारा विभिन्न कौशल, सामाजिक नियम, व्यवस्थायें व मूल्यों को ग्रहण कर पाता है। इसलिए शिक्षा मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

**भारत में** प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया व शिक्षा को चरित्र निर्माण का साधन माना गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्राचीन काल में तक्षशिला व नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। परन्तु समय के साथ-साथ अलग-अलग संस्कृति के लोगों ने भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण किया व अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया क्योंकि ये साम्राज्य अलग भाषा व संस्कृति से संबंध रखते थे तो भारत में शिक्षा के माध्यम को भी प्रभावित करते हुए संस्कृत से अरबी, उर्दू व फारसी शिक्षा का माध्यम बनने लगी। इसके उपरांत उपनिवेशों व

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, एम.डी. यूनीवर्सिटी रोहतक (हरियाणा)

साम्राज्यवाद की बढ़ती मीमांसा ने भारत को ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उपनिवेश बना दिया परिणामस्वरूप अब अंग्रेजी भाषा अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा बन गई। यह भाषा भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी इसलिए इसे ग्रहण करने में भारतीय लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

**इन भाषाई** अवरोधों के बावजूद भारत के एक बड़े हिस्से ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा प्राप्त की, परन्तु फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित थे शिक्षा से वंचित रहा, जिसका वर्णन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में कार्यरत एक सैनिक ने अपने पत्र में किया। जब उसने फ्रांस को देखा तो उसके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया उसने बताया कि फ्रांस अपनी शिक्षा पद्धति के कारण ही उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच पाया है और भारत, जहाँ लगभग सभी संसाधन उपलब्ध हैं, केवल अपनी शिक्षा नीति के कारण ही पिछड़ गया है। अगर भारत भी अपनी शिक्षा प्रदान करने की नीतियों में परिवर्तन करता है तो यहाँ एक औद्योगिक व सभ्य समाज की स्थापना संभव है।[4]

**भारत के** उन क्षेत्रों में जहाँ अभी शिक्षा का स्तर निम्न था उनमें हरियाणा क्षेत्र भी सम्मिलित था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा का विकास बहुत कम देखने को मिलता है जिसका एक मुख्य कारण हरियाणा क्षेत्र का स्वतन्त्र इकाई के रूप में न होकर पंजाब प्रान्त का हिस्सा होना भी था। 1914 तक अधिकतर स्कूल व कॉलेज पंजाब प्रांत में ही खोले गए। इस समय अनेक डी.ए.वी. कॉलेज भी खोले गए लेकिन वे भी अधिकतर पंजाब राज्य में ही खोले गए। हरियाणा क्षेत्र में जो स्कूल थे वो भी अधिकतर प्राइमरी कक्षा तक ही सीमित थे। हरियाणा क्षेत्र के रोहतक में 1913 में बनाया गया जाट स्कूल भी असहयोग आंदोलन के समय इसलिए बंद होने की कगार पर आ गया क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि स्कूलों व कॉलेजों में चरखा कातने पर बल दिया जा रहा है और केवल चरखे से परिवार का पालन पोषण नहीं किया जा सकता तथा दूसरी ओर कुछ लोगों ने अंग्रेजों के बहिष्कार के लिए कॉलेज व स्कूलों को छोड़ कर आन्दोलन में हिस्सा ले लिया। परिणामस्वरूप हरियाणा में प्रथम विश्व युद्ध तक केवल 4 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे और पंजाब प्रांत में यह दर 7 प्रतिशत थी।[5]

**यह 4 प्रतिशत** शिक्षा भी वास्तव में शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बच्चे निरक्षर ही रहते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ये ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक सेना में भर्ती हुए तो उन्हें पत्र आदि लिखने व दूसरे सैनिकों की भाषाओं को समझने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने शिक्षा के महत्व को जाना और न केवल स्वयं पढ़ने-लिखने से अवगत हुए बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्साहित किया। जो सिपाही अब तक अनपढ़ थे वे अब आधुनिक शिक्षा के लाभ से अवगत होने लगे थे।[6]

**यद्यपि हरियाणा** क्षेत्र में प्राचीन समय से ही विद्या ग्रहण करने के लिए जागरूक किया जाता था। परिवार के बड़े व बुजुर्ग अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए शिक्षा को विपत्तियों से दूर होने का मार्ग बताते थे। ये लोग निरक्षर व्यक्ति की तुलना पशुओं के साथ करते हुए लोकोक्तियां भी बनाते थे। इनका मानना था कि संसार में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है परन्तु मूर्ख व अशिक्षित व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है।[7]

**गौरवपूर्ण** इतिहास के होते हुए भी आधुनिक शिक्षा के प्रसार में हरियाणा क्षेत्र में अवनति दिखाई देने लगी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के कुछ समय तक भी लगभग बनी रही। पंजाब में विलय होने के लगभग 20 वर्ष तक हरियाणा में शिक्षा की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। 20 वर्ष पश्चात् तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए शिक्षा के सुधार के कार्य किये जाने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुए। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप 1870 से 1901 तक स्कूलों व विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि अंकित की गई, जिसका विवरण तालिका द्वारा समझ सकते हैं।

**तालिका 1** के अनुसार हरियाणा क्षेत्र के मुख्य जिलों, जिनमें अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार व गुड़गांव प्रमुख थे, में 1870 से लेकर 1901 तक स्कूलों में तथा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। परन्तु इनमें भी भेदभाव दिखाई देता था। अगर अम्बाला में देखा जाए तो प्रत्येक 10 मील पर स्कूल था, परन्तु रोहतक में यह दूरी 18 मील थी। वहीं दूसरी ओर शहरों व ग्राम में भी स्कूलों की संख्या में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ग्राम में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाता था न कि शिक्षा पर। वहीं इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए केवल प्राइमरी स्कूलों की ही व्यवस्था थी।

इस समय अंबाला में लड़कियों के लिए 4 स्कूल थे जिनमें केवल 232 छात्राएँ ही पढ़ती थीं।[9] रोहतक में 1871 तक 1 व 1900 तक 5 ही स्कूल लड़कियों के लिए खोले गये थे जिसमें छात्राओं की कुल संख्या 209 थी।[10]

**तालिका संख्या 1**

**शिक्षा का विस्तार 1870-1901[8]**

| जिला | वर्ष | कुल स्कूल | स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी |
|---|---|---|---|
| अम्बाला | 1870-71 | 73 | 4929 |
| | 1900-01 | 180 | 9133 |
| करनाल | 1870-71 | 52 | 1399 |
| | 1900-01 | 203 | 5393 |
| रोहतक | 1870-71 | 34 | 1791 |
| | 1900-01 | 98 | 5097 |
| हिसार | 1870-71 | 27 | 1846 |
| | 1900-01 | 105 | 5085 |
| गुड़गांव | 1870-71 | 34 | 2224 |
| | 1900-01 | 128 | 5139 |

**उपर्युक्त** आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा में 1900 तक शिक्षा का स्तर लगभग निम्न ही रहा। शिक्षा की कमी के कारण ही अधिकतर साहूकार जमींदार से अधिक कर्ज पर अंगूठा लगवा लेते थे क्योंकि जमींदार को यह पढ़ना ही नहीं आता था। इसका परिणाम यह होता था कि जमींदार अपना सब कुछ साहूकार को दे बैठता था व स्वयं कर्ज में डूबता जाता था। इस कर्ज के दो प्रमुख कारण थे, जिनमें एक था शिक्षा व दूसरा कृषि के अतिरिक्त रोजगार का विकल्प न होना। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो हरियाणा में लोगों को कृषि का एक विकल्प दिखाई दिया। इस समय सेना में भर्ती होने के लिए न तो कोई शिक्षा ही अनिवार्य थी और दूसरी ओर कृषि के अतिरिक्त रोजगार का एक विकल्प भी मिल रहा था इसलिए इस क्षेत्र से एक बड़ी संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए। इस समय सेना में भर्ती होने वाले नवयुवकों में अधिकतर अशिक्षित ही थे। शिक्षित वर्ग को सेना में सम्मिलित होने में कोई रूचि नहीं थी क्योंकि ये शिक्षित वर्ग अधिकतर डॉक्टर, न्यायिक सेवा या फिर अन्य उच्च व्यवसायों को अपनाता था।[11]

**प्रथम विश्वयुद्ध** के साथ भर्ती हुए सैनिकों में अधिकतर सैनिक वे थे जो पहली बार देश से बाहर गये थे और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि यह युद्ध कितनी अवधि तक चलेगा। अब उन्हें एक लंबे समय तक युद्धभूमि में रहना पड़ा और अपने देश व परिवार की जानकारी लेने व अपने बारे में बताने के लिए उनके पास पत्राचार ही एक प्रमुख माध्यम था। अब इनके सामने एक और समस्या आई जो इनका अशिक्षित होना थी। इन सैनिकों को पत्र लिखवाने के लिए किसी दूसरे शिक्षित सैनिक को बोलना पड़ता था तथा कई बार कुछ गोपनीय व घरेलू बातों को छुपाना कठिन प्रतीत होता था। इसके अतिरिक्त इन सैनिकों के द्वारा भेजे गये अधिकतर संदेश अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पढ़ लिये जाते थे।[12]

**इन समस्याओं** के समाधान के लिए इन सैनिकों ने उर्दू या हिन्दी भाषा का प्रयोग करना सीखा। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध के दौरान कई नेताओं की अपील पर रोहतक में 'जाट बोर्डिंग हाऊस' बनाया गया, जिसमें अधिकतर दान फौजियों ने दिया।[13]

**जो सैनिक** फ्रांस, फिलिस्तीन, तुर्की और मेसोपोटामिया के मोर्चे पर लड़ रहे थे जब उन सैनिकों को यह ज्ञात हुआ तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और बढ़-चढ़ कर दान दिया। इन सैनिकों की प्रसन्नता को इस बात से भी देखा जा सकता है कि फौज में होली व किसी अधिकारी की पदोन्नति होने पर शराब व नाच गाने का जो उत्सव मनाया जाता था उसे बंद करके उस पैसे को जाट स्कूल के लिए भेजना आरम्भ कर दिया। इसका मुख्य उदाहरण रिसाला नंबर 33 और पल्टन नंबर 48 थी।[14]

**सबसे बड़ी** बात यह थी कि यह एक कौम (जाट) के नाम से शुरू की गई संस्था थी परन्तु सभी कौमों के सैनिकों ने इसमें बढ़-चढ़कर दान दिया था। किसी सैनिक ने प्रत्येक महीने एक रूपया तो किसी ने इकट्ठे तीन या चार महीने का दान एक बार में दिया था। दान देने की यह पद्धति रिसाला नम्बर 30, 33 व सम्भवतः रिसाला नं. 29 में शुरू हुई थी। दान देने वाले इन सैनिकों की सूची बहुत लंबी है, परन्तु कुछ सैनिकों का विवरण इस प्रकार है[15]-

1. चौधरी दलपत सिंह, साहब सूबेदार मेजर आई. ओ. एम. 550 रुपये
2. रिसाला नं. 122, तीन बार दान दिया 1541 रुपये
3. रिसाला नं. 64, 1100 रुपये
4. रिसाला नं. 820, इन्होंने दो बार दान दिया 724 रुपये
5. पलटन 1/12, 557 रुपये
6. पलटन, 7जी, 550 रुपये

7. रिसाला नं. 29, 900 रुपये
8. पलटन 2/12, 55 रुपये
9. पलटन 84, तीन बार दान दिया 836 रुपये
10. रिसाला नं. 16, 600 रुपये
11. रिसाला नं. 6, 419 रुपये
12. रिसाला नं. 33, 387 (चार बार)
13. रिसाला नं. 5 व रिसाला नं. 6 ने 113 रुपये
14. रिसाला नं. 5, 205 रुपये
15. इंडियन ग्राइंडर कम्पनी, 200 रुपये
16. डिवीजन वैगनलर कम्पनी, पूना, 42 रुपये
17. जाट सेक्शन, 8/2, कम्पनी सिग्नल सर्विस पूना, 110 रुपये
18. पलटन 48, 70 रुपये
19. फ्रांस में युद्ध क्षेत्र में जख्मी जीतराम साहब, सांपला निवासी, 102 रुपये
20. लांसनायक हरनाम सिंह साहब, 9 रुपये

**इसके अतिरिक** भी अनेक सैनिकों ने नकद दान के साथ-साथ स्कूलों में कमरों का भी निर्माण करवाया, जिनका विवरण इस प्रकार हैं[16]-

1. रिसाला नं. 5, 1 कमरा
2. जाट बोर्डिंग हाउस लाहौर, 1 कमरा
3. रिसाला नं. 7, 1 कमरा
4. रिसाला नं. 4, 1 कमरा
5. रिसाला नं. 14, 1 कमरा
6. रिसाला नं. 2, 2 कमरा
7. रिसाला नं. 16, 1 कमरा
8. रिसाला नं. 20, 1 कमरा
9. रिसाला नं. 29, 1 कमरा
10. रिसाला नं. 6, 1 कमरा
11. पलटन नं. 82, 1 कमरा
12. पलटन नं. 16, 1 कमरा
13. पलटन नं. 1/12, 1 कमरा
14. पलटन नं. 2/12, 1 कमरा

**ये वे सैनिक** थे जो स्वयं गड्डों में पड़े रहते थे, मशीनगनों की गोलियों के सामने डटे हुए थे, तोपों के गोलों के जलजले और जहरीली हवाओं के तूफान के अंदर जिंदगी जी रहे थे फिर भी अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए लगे हुऐ थे। इन सब में रिसाला नं. 14 व पलटन नं. 41 ने सबसे अधिक दान दिया।[17] जाट रेजिमेंट 6 ने भी बहुत बड़ा दान देते हुए 400 रुपये का योगदान दिया जो एक बहुत बड़ी धनराशि थी।[18]

**प्रथम विश्व** युद्ध के बाद हरियाणा में शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा क्योंकि ये सैनिक अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध से सैनिकों का दृष्टिकोण स्त्री शिक्षा के लिए भी परिवर्तित होने लगा था इसलिए इस संदर्भ में रोहतक जिले के सैनिक रनजीलाल ने अपने दादा जी को एक पत्र लिखते हुए कहा कि, "मैंने यूरोप में आकर देखा कि सभी पुरूष व महिलाएं, लड़के व लड़कियां शिक्षित हैं। पुरूष युद्ध में लड़ रहे हैं तो महिलाएं अन्य कार्य सम्भाल रही हैं और अपने पति के पत्र पढ़ भी रही हैं और उन्हें पत्र लिख भी रही हैं। इसलिए हमें अपनी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए।"[19] अब हरियाणा में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी थीं। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए योजना बनाई कि गांव में अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए। पंजाब सरकार ने 1919 के अधिनियम के बाद एक्ट नं. 7 पारित किया जो हरियाणा में 1922 में लागू हुआ। पहले केवल 6 स्कूलों को इसके लिए चुना बाद में 1935 तक इसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई दिये और स्कूलों की संख्या में और अधिक वृद्धि दिखाई दी। इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिन सैनिकों ने दान दिया उनके स्कूल व कॉलेजों में उनके नाम वाले स्मारक पत्थर लगवाये गये ताकि उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को याद रखा जा सके। रेवाड़ी क्षेत्र से अहीरों ने भी इसी प्रकार से स्कूलों की स्थापना की तथा उनके स्मारक पत्थर संस्थाओं में लगाए। ब्रिटिश सरकार के समय में 1922 से 1935 के मध्य हरियाणा के क्षेत्र में बने नए स्कूलों का क्षेत्रगत एवं कालानुक्रम अनुसार संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है-

**तालिका संख्या 2**

**अनिवार्य शिक्षा की प्रगति[17]**

| वर्ष | शहरी क्षेत्र नए स्कूल | ग्रामीण क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1922-23 | - | 6 |
| 1926-27 | 6 | 148 |
| 1931-32 | 20 | 900 |
| 1934-35 | 24 | 880 |

**उपर्युक्त** तालिका से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस दौरान शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल खोले गए जिसके दो मुख्य कारण थे एक तो

अधिकतर सैनिक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते थे, दूसरा शहरी क्षेत्रों में पहले से ही स्कूल खोले हुए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या न के बराबर थी।

**प्रथम** विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा क्षेत्र के सभी जिलों ने अपना योगदान दिया जिनमें अम्बाला क्षेत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसलिए इस क्षेत्र में भी शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया था। अम्बाला में डी.ए.वी. स्कूल व अन्य वर्नाकूलर स्कूलों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ शिक्षा का स्तर 19वीं शताब्दी से ही अच्छा था। 1920 में यहाँ 6 स्कूल आर्यसमाज द्वारा चलाये जा रहे थे, वहीं अन्य 10 हाई स्कूल, 16 मिडिल स्कूल, 162 प्राथमिक स्कूल व इसके अतिरिक्त उच्च व मध्य विद्यालयों से जुड़ी 44 प्राथमिक शाखाएं, 2 औद्योगिक विद्यालय तथा 9 विद्यालय दलित वर्गों के लिए खोले गए थे।[21]

**1920 के** बाद इस जिले में शिक्षा के स्तर में और अधिक उन्नति हुई तथा स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार हरियाणा के अन्य जिलों में भी यह वृद्धि अंकित की गई जो तालिका संख्या 1 द्वारा दर्शायी गई है। 1938 में एस.ए. जैन कॉलेज अम्बाला की स्थापना हुई यह इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया।[22] 1949-50 में कुल मिलाकर जिला बोर्ड शैक्षणिक संस्थाएँ 276 हो गईं थीं।[23]

**निष्कर्ष :** निष्कर्ष स्वरूप उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में प्रथम विश्व युद्ध में गए सैनिकों की उल्लेखनीय भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हरियाणा क्षेत्र की तुलना मे पंजाब में अधिक था। भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा दिये गए दान की भूमिका भी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय रही। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा का विकास सर्वाधिक रोहतक, अम्बाला व करनाल में देखने को मिला। अतः यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रशासनिक प्रयासों के अतिरिक्त गैर-प्रशासनिक प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## सन्दर्भ


1. Singh Chartar, 'Social and Economic Change in Haryana', National Book Organization, New Delhi, 2004.
2. यादव के.सी., 'हरियाणा का इतिहास (1803-1966)' भाग 3, मैकमिलन इंण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1981
3. Roy, Kaushik, 'Indian Army and the First World War 1914-18', Oxford University Press, India, 2018.
4. M.D. CIM 1915-16, Part-2, FF/69-340, Week Ending 13 February 1916, From Hasura Singh, France to Sardar Harman Singh, 11 Lancers, Delhi, Urdu, 7 February 1916, Kaushik Roy, Indian Army and the First World War (1914-18), Oxford University, Press, India, 2018, p. 94-95.
5. Singh, Colonel Yogander, Hal Wa Shamshir, Publish by Colonel Yogander Singh, IRS Distributors, Bhadani, jhajjar(HR), 2019, P. 271
6. Eynde, Oliver Vanden, Military Service and Human Capital Accumulation: Evidence From Colonial Punjab, Paris School of Economics, 2015, P. 115
7. जय प्रकाश शर्मा, 'हरियाणा लोक साहित्य का सामाजिक अध्ययन', हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2008, पृ. 160-162
8. यादव, के. सी., पूर्वोक्त, पृ 207-208
9. हरियाणा जिला गजेटियर, अम्बाला, 1984, पृ. 283
10. रोहतक जिला गजेटियर, 1970, पृ. 255-256
11. Barstow, Major A. E., The Sikh: An Observation of the Indian Army, The Field Artillery Journal, Vol. 3, 1913
12. Roy, Kaushik, Indian Army and The First World War (1914-18), Oxford University Press, India, 2018, P. 95
13. The Rohtak War Work: The Report of Punjab District (1914-19) P. 26
14. Sir Chhotu Ram, Writings and Speeches, Jaat Gazette, Vol.4, (1917-1933), Haryana Academy of History and Culture, Kurukshetra, 2019, P. 55
15. सर छोटू राम, पृ. 53, 54
16. वही, पृ. 53-55
17. वही, पृ. 56
18. The JATS: Their Role and Contribution to the Socio-Economic Life and Polity of North and North-West India, Vol.6, Edited by Dr. Rajendra Kumar, Originals, Delhi, 2018, P.10
19. Kant, Vedika, "If I Die Here, Who Will Remember Me?", India and The First World War, Lustre Press, 2014, P. 48
20. यादव के.सी., पूर्वोक्त, पृ. 211
21. अम्बाला जिला गजेटियर, 1923-24, पृ. 124
22. हरियाणा जिला गजेटियर अम्बाला, 1970, पृ. 283
23. Research and Reference Division, Public Relation Department, Punjab, 1959, P. 218

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# गुप्त कालीन स्त्री शिक्षा

❑ डॉ. दीपक कुमार

**सूचक शब्द :** स्त्री शिक्षा, सद्योवधू, ब्रह्मवादिनी, शास्त्राध्ययन, उपनयन संस्कार, लिपिशाला, अंग विद्या, सह–शिक्षा।

वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षण एवं उपनयन का अधिकार था। परन्तु कालांतर में स्त्रियों की शिक्षा पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आसपास स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया और उनका वेदाध्ययन एवं मंत्रोच्चारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया। परन्तु तृतीय–चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में स्त्रियों को पुनः शिक्षण संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त होने लगे। गुप्त काल में साधारण परिवार की स्त्रियों को बौद्ध विहारों के अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्राप्त नही होते थे। परन्तु ब्राह्मण एवं अभिजात्य वर्ग की स्त्रियों को परिवारिक सदस्यों में पिता, चाचा या भाई द्वारा पढ़ाया जाता था। कभी–कभी उनके लिए घर पर ही शिक्षक नियुक्त कर दिए जाते थे। गुप्तकाल में छः वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात बालक को तीन वर्षो तक प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इस दौरान वह व्याकरण, संस्कृत एवं कोष का ज्ञानार्जन करता था। गुप्त काल में स्त्रियों को आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में छात्राएं दो प्रकार की होती थीं– सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू छात्राएं, विवाह से पूर्व तक लौकिक एवं व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करती थीं और ब्रह्मवादिनी छात्राएं, संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस काल में कुमारदेवी, ध्रुवस्वामिनी एवं प्रभावती जैसी स्त्रियां भी हुई, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके गुप्त काल में धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यों के साथ–साथ शासन संचालन में अपने पतियों को विशेष योगदान दिया।

**मानव एवं समाज** का आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा ही मनुष्य में ज्ञान का उदय करती है। ज्ञान (विद्या) से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य किसी भी शिल्प में निपुणता प्राप्त करता है।[1]

**ज्ञान एवं सच्ची** लगन द्वारा किये गए कर्मो से ही व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है।[2] जीवन की समस्त समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान ज्ञान द्वारा किया जा सकता है। इसलिए जिसको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, वह नेत्रहीन (अंधा) होकर नर्क के अंधकार में जा गिरता है।[3]

**आत्मज्ञान के** साथ जगत ज्ञान भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। मानव विद्यार्जन से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ–साथ परिवारिक और समाजिक विकास में भी योगदान देता है। इसलिए मनुष्य का विद्यार्जन करना परम आवश्यक माना गया है। इसके लिए उसे गुरुकुल अथवा गुरु के सानिध्य में रहते हुए निष्ठापूर्वक धार्मिक निर्देशों का पालन करना पड़ता था। शिष्य जीवन के लिए तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्यवचन जैसे तत्व अनिवार्य माने जाते थे, क्योंकि इनके द्वारा ही धर्ममूलक प्रवृतियां प्रेरित होती थीं।[4]

**छांदोग्य उपनिषद** में धर्म के तीन आधार–स्तंभ बताए गए हैं– 1. यज्ञ, अध्ययन और दान 2. तप अथवा कष्ट सहिष्णुता 3. आचार्य–कुल में रहते हुए अपने शरीर को क्षीण करना।[5] इन धर्मस्कन्धों के सभी पालनकर्ता पुण्यलोक की प्राप्ति करते थे।

**शिक्षा का उद्देश्य :** शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक वृत्तियों का उत्थान, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व का निष्पादन एवं सांस्कृतिक जीवन का उन्नयन माना जाता है। वेदानुसार मनुष्य जन्म के साथ तीन ऋण लेकर पैदा होता है। उसका इन तीनों ऋणों को चुकाना अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। ये ऋण 'देव ऋण', 'पितृ ऋण' और 'ऋषि ऋण' थे। यज्ञादि करके गृहस्थ 'देव ऋण' चुकाता था। ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन एवं उनकी सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत को सुरक्षित रखकर, वह 'ऋषि ऋण' को चुकाता था और संतानोत्पत्ति करके उसकी शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति में सक्रिय योगदान देकर, वह 'पितृ ऋण' चुकाता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व विद्यार्थी के लिए वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय और उनके अनुरूप आचरण का अभ्यस्त होना परम आवश्यक था। स्मृति साहित्य में भी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। शिक्षा को ज्ञानोदय की प्रक्रिया माना जाता था। इससे ही मनुष्य अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति कर सकता था। इसके अतिरिक्त

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय महम, रोहतक (हरियाणा)

वह शिक्षा प्राप्त करके समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन निर्वाह करने में भी समर्थ हो जाता था। महाभारत के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि करना है। शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य थे- चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा और उसका विकास। शिक्षा व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देती है, इसलिए इससे उसकी सामाजिक कार्य क्षमता को प्रोत्साहन मिलता था।

**वैदिक काल** में स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षण एवं उपनयन का अधिकार था। स्त्रियां भी यज्ञ-संपादन एवं वेदाध्ययन के साथ-साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थीं। अनेक ऋग्वैदिक मंत्रों की रचनाएं इन्हीं विदुषियों द्वारा की गई हैं। वे अपने पतियों के साथ मिलकर यज्ञ जैसे कार्य संपन्न करती थी।[6] उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियाँ यथावत् शिक्षा ग्रहण करती थीं। इस काल में भी वेदाध्ययन के अतिरिक्त ललित कलाओं का भी ज्ञान ग्रहण करती थीं। वैदिक साहित्य में दो प्रकार की छात्राओं का उल्लेख मिलता है- "सद्योवधू" और "ब्रह्मवादिनी।" सद्योवधू छात्राएं, विवाह से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थीं और ब्रह्मवादिनी छात्राएं, संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थीं। **बौद्ध काल** में भी स्त्रियों की धर्म दर्शन आदि में गहन रुचि थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में थेरीगाथा लिखने वाली कवित्रियों में से 18 विवाहित और 32 अविवाहित (ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली) भिक्षुणियां थीं। भिक्षुणी खेमा अपनी ज्ञान के लिए, भिक्षुणी सुभद्रा अपने व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध थीं। इस युग की अनेक स्त्रियाँ शिक्षिकाएं बनकर अन्य छात्राओं को पढ़ाने का काम करती थीं। यह स्त्रियां "उपाध्याया" कहलाती थीं।[7] अध्ययनरत छात्राओं को 'अध्येत्री' कहा गया है। पतंजलि ने महाभाष्य में छात्राओं को शिक्षण प्रदान करने वाली अनेक छात्र-शालाओं का उल्लेख किया है।[8]

**यद्यपि मनु** एवं याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने स्त्री शिक्षा पर अनेक प्रतिबंध लगाते हुए, उनके उपनयन में वैदिक मंत्रों का उच्चारण बंद करवा दिया और कालान्तर में उनका उपनयन संस्कार ही बंद कर दिया गया।[9] जहां सामान्य स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगे हुए थे, वहीं पर अभिजात्य वर्ग की स्त्रियां अब भी शिक्षा और साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। तत्कालीन 'गाथासप्तशती' में माधवी, रेखा, अनुलक्ष्मी, पाहई आदि विदुषियों का वर्णन मिलता है।[10] मनुस्मृति के अनुसार तत्कालीन स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं मंत्राच्चारण करने का अधिकार नहीं था।[11] परंतु नारद और याज्ञवल्क्य स्मृति में विद्याभ्यास से पूर्व स्त्रियों को प्रारंभिक संस्कार दिए जाने का उल्लेख है, जो इस काल में भी स्त्रियों के शिक्षित होने को प्रमाणित करता है।[12]

**तृतीय-चतुर्थ** शताब्दी ईस्वी में स्त्रियों को पुनः शिक्षण संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त होने लगे।[13] गुप्तकालीन साहित्य, चीनी यात्रियों के वृतांतों एवं अभिलेखों में "स्त्री शिक्षा" से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। "ब्रह्मवादिनी" स्त्रियों का संदर्भ, यह प्रमाणित करता है कि संभवतः इस काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार पुनः प्रारंभ हो गया था।

गुप्तकालीन साहित्य में, स्त्री शिक्षा के "आध्यात्मिक" एवं "व्यवहारिक" दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। अर्पणा, एकपाटला[14], धारिणी[15], बृहस्पति-भंगिनी, भनवा, संनति, शतरूपा[16], आदि स्त्रियों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये ब्रह्मवादिनी कन्याएं थीं। ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न होती थीं, जो ज्ञान और बुद्धि में पारंगत होने के साथ-साथ अनेक मंत्रों की उद्गात्री भी होती थीं। ये स्त्रियाँ धर्म, दर्शन, मीमांसा, तर्कशास्त्र और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों की विशेषज्ञ होती थीं। मीमांसा जैसे जटिल एवं गूढ़ विषय पर काशेंत्सनी नामक स्त्री ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जो बाद में उनके नाम पर "अध्येता काशेंत्सनी" कहलाए।

**व्यवहारिक** शिक्षा में स्त्री को घर के समस्त कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में स्त्री का गृह कार्यों में दक्ष होना अनिवार्य था। फूल मालाएं बनाना, विभिन्न प्रकार के प्रसाधन तैयार करना और केश-सज्जा आदि कार्य धनी परिवारों में दासियों द्वारा किए जाते थे। लेकिन साधारण परिवारों में, ये समस्त कार्य स्वयं परिवार की महिलाओं द्वारा किए जाते थे। पति सेवा से संबंधित समस्त कार्य करना पत्नी का दायित्व होता था। कन्याएं अपने पिता गृह में ग्रहस्थ जीवन के समस्त कार्य सीख लेती थीं, ताकि वे पति घर जाकर श्रेष्ठ पत्नी सिद्ध हो सकें। इस समय सिलाई-कढ़ाई और चित्रकलाओं के साथ-साथ संगीत का ज्ञान भी स्त्रियों के लिए वांछनीय माना गया है। राजकुमारियों की योग्यता का परीक्षण उनकी नृत्य कला की परीक्षा द्वारा किया जाता था।

**तत्कालीन स्त्रियों** को गृहस्थ कार्यों के साथ-साथ ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। अभिजात्य परिवार की स्त्रियों की तरह सामान्य परिवार की स्त्रियां केवल मनोरंजन

के लिए इन ललित कलाओं में रूचि नहीं लेती थी, बल्कि इन कलाओं की सहायता से, वे अपने परिवार की अर्थाजन में सहायता करती थीं। कामसूत्र में कुछ ऐसी सामंत एवं राज कन्याओं का वर्णन है, जिन्होंने शिल्प एवं कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था।[17] धर्मव्रता, पीवरी, उमा आदि कन्याओं ने अपने ज्ञान द्वारा मनोनुकूल वर प्राप्त किए थे।[18]

**इस युग में** स्त्रियों को धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। गुप्तकालीन स्त्रियां पठन-पाठन के अतिरिक्त शास्त्राध्ययन भी करती थीं। यज्ञादि के अतिरिक्त कन्याएं अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए कठिन तप भी करती थीं। कालिदास के अनुसार यक्षों की पत्नियां, अपने पति के नाम के संयोजक अक्षरों से गीतों की रचनाएं करती थीं।[19] तत्कालीन महाकाव्यों के अतिरिक्त नाटकों में भी स्त्रियों द्वारा प्रेमपत्र लिखने के उल्लेख मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप कालिदास द्वारा रचित "अभिज्ञानशाकुंतलम्" में शकुंतला ने कमलपत्र पर प्रेम-संदेश लिखकर भेजा था।

**सामान्यतः** स्त्रियों को अपने पतियों के साथ यज्ञ में भाग लेने एवं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। परंतु गुप्तकालीन मुद्राओं पर राजाओं को अपनी पत्नियों के साथ अनेक धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यो को सम्पन्न करते हुए दिखाया गया है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम एवं लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी की "राजा रानी प्रकार" की मुद्राओं के अग्रभाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमारदेवी को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। इन चित्रों के साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं तथा इन मुद्राओं के पृष्ठभाग पर लिच्छवयः लेख लिखा हुआ मिलता है।[20] इसी प्रकार समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम की "अश्वमेध प्रकार" की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर राजाओं को अपनी पत्नियों के साथ चित्रित किया गया है[21] जो गुप्तकाल में स्त्रियों के यज्ञों में सम्मिलित होने को प्रमाणित करता है।

**हमें तत्कालीन** पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्री से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुवस्वामिनी जैसी स्त्रियों के उल्लेख भी मिलते हैं, जिनकी एक शिलिंग बसाढ़ नामक पुरास्थल से मिली है।[22] तत्कालीन अभिजात्य वर्ग की महिलाएं विद्यालय जाने की अपेक्षा पारिवारिक सदस्यों या शिक्षकों द्वारा घर पर ही शिक्षण ग्रहण करती थीं। "गणदास" और "सोमदत्त" जैसे विद्वानों की नियुक्तियां, संभवतः इन्हीं कारणों से की जाती होंगी।

**ब्राह्मण ग्रन्थों** से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में महिलाएं शिक्षिकाएं भी होती थीं। संस्कृत साहित्य में उपाध्याय और उपाध्यायी शब्द हैं। उपाध्याय की पत्नी को सम्मान स्वरूप "उपाध्यायनी" कहा जाता था। किन्तु "उपाध्याया" विदुषी स्त्रियों को कहा जाता था, जो अध्यापन कार्य में लगी हुई थीं। पाणिनी के समय में स्त्रियाँ अध्यापन कार्य करती थीं। अध्यापन कार्य करने के कारण ही, इन स्त्रियों को "आचार्या" और "उपाध्याया" नामों से उल्लेखित किया गया है। ये महिलाएं अपना शिक्षण कार्य लगन एवं उत्साह के साथ निष्ठापूर्वक सम्पन्न करती थीं। इन शिक्षिकाओं की अलग-अलग छात्रा-शालाएं होती थीं। जहाँ पर आसपास के क्षेत्र से आने वाली अनेक कन्याएं शिक्षा ग्रहण करती थीं। इन "कन्या शिक्षण" संस्थाओं का प्रबंधन भी उपाध्याया द्वारा ही किया जाता था।

**जब तक समाज** में योग्य स्त्री शिक्षिकाओं का अभाव था, तब तक अभिभावक बाध्य होकर आचार्यों के पास अपनी पुत्रियों को शिक्षण हेतु भेजते थे। वे इन आचार्यों के पास से सह-शिक्षा प्राप्त करती थीं, परन्तु इस युग में गंधर्व विवाह का प्रचलन भी बढ़ रहा था। इस सह-शिक्षा के परिणामस्वरूप कन्याओं के अभिभावकों को अपनी कन्याओं द्वारा गंधर्व विवाह करने का भय रहता था, जिससे कन्याओं के नैतिक पतन के साथ-साथ परिवारिक प्रतिष्ठा के धूमिल होने की संभावना थी। अतः अभिभावक अपनी कन्याओं के लिए घर पर ही शिक्षक नियुक्त करने लगे। हारित के अनुसार कन्याओं का शिक्षण कार्य घर पर ही पिता, चाचा, भाई आदि के द्वारा होना चाहिए। मनु ने भी हारित का समर्थन करते हुए कन्याओं को पुरूषों के साथ सह-शिक्षा प्राप्त करने हेतु घर से बाहर भेजने का विरोध किया है।

**शिक्षण प्रणालीः**- कौशांबी से प्राप्त मृण्फलकों पर बच्चों को तख्ती पर ब्राह्मी लिपि में अक्षर लिखते हुए दिखाया गया है। (हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय, झज्जर) इसी प्रकार सारनाथ से प्राप्त मूर्तिफलक पर, तख्ती लिए हुए बालक का चित्रण मिलता है[23] जो प्रमाणित करता है कि तत्कालीन बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा, अक्षर ज्ञान से प्रारंभ होती थी। एक जातक कथा में, काशी के एक वणिक पुत्र को लकड़ी की तख्ती लेकर ज्ञान प्राप्ति हेतु आश्रम जाने का उल्लेख है।[24]

**ललितविस्तार के** अनुसार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान "लिपिशिला" कहलाते थे। उनमें "दारकाचार्य" नामक अध्यापक बालकों को लिखना और

गिनना सिखाते थे। 'महावग्ग' में 'उपाध्याय' और 'आचार्य' नामक दो प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख है।

**दस वर्ष से** अधिक भिक्षु रहा अध्यापक 'उपाध्याय' और छः वर्ष से अधिक भिक्षु रहा अध्यापक 'आचार्य' कहलाता था। उपाध्याय शिष्यों को धर्म ग्रंथ पढ़ाते थे तथा आचार्य उनके जीवन और आचरण का निरीक्षण करते थे। इसलिए इन्हें 'कर्माचार्य' भी कहा जाता था।

**उपनयन संस्कार** से सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित शिक्षा का प्रारंभ होता था।[25] उपनयन का अर्थ है, 'उप' (निकट) और 'नयन' (ले जाना) अर्थात शिष्य को गुरु के पास ले जाना।[26] गुप्तकाल में छः वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता था।[27]

**विद्यारंभ संस्कारः–** मार्कंडेय पुराण के अनुसार विद्यारंभ संस्कार के लिए ब्रह्मचारी की आयु कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए।[28] इस संस्कार में कुलदेव एवं गुरुदेव की पूजावंदना की जाती थी। उसके बाद सर्वप्रथम बालक को लिपि बोध कराया जाता था। इसके उपरांत बालक को तीन वर्षों तक प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इस दौरान वह व्याकरण, संस्कृत एवं कोष का ज्ञानार्जन करता था। सामान्य परिवारों के बच्चे गुरु के घर जाकर विद्याध्ययन करते थे।

**इस काल** में वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य-गायन एवं वाद्य इत्यादि की शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षण प्रदान करने वाले "आचार्य" कहलाते थे। कालिदास के नाटक "मालविकाग्निमित्रम्" में हरदत्त एवं गणदास ऐसे ही संगीत आचार्य थे।[29] विद्याध्ययन करने वाला छात्र "शिष्य" या "वर्णी" कहलाता था। आचार्य, शिष्य के लिए पितातुल्य होता था। कालिदास ने गुरु-शिष्य के पारस्परिक प्रेम को "गुरवो गुरुप्रियम" कहा है।[30] शिष्य की शिक्षा समाप्ति पर गुरुकुल में समारोह आयोजित किया जाता था जिसमें आचार्य उसे भावी जीवन को प्रगतिमय बनाने के लिए उपदेश देता था। इसे 'समावर्तन' या 'स्नान-संस्कार' कहा जाता था। समावर्तन का अर्थ था, गुरु से शिक्षा प्राप्ति के पश्चात घर लौटना। उसके उपरांत शिष्य यथा-सामर्थ गुरु दक्षिणा देकर घर लौटता था।

**गुप्तकाल में** शिक्षा के विषयों को "विद्याओं" के अंतर्गत निहित किया गया है। इनकी संख्या तीन से लेकर अठारह तक मानी गई है। रघुवंश में कालिदास ने चार विद्याओं का उल्लेख किया है।[31] परंतु इसके विपरीत याज्ञवल्क्य स्मृति में चौदह विद्याओं का उल्लेख किया गया है।[32] 517-518 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख में चौदह विद्याओं का वर्णन किया गया है, जिनमें चार वेद, छः वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र आदि सम्मिलित थे।[33] वात्स्यायन के कामसूत्र में, स्त्रियों को 64 अंग विद्याओं का अध्ययन करने को कहा गया है।[34]

**ब्राह्मण कन्याओं** को, अपने पिता या पति के परिवारों में विद्याध्यन के अवसर प्राप्त हो जाते थे। अभिजात्य वर्ग की स्त्रियों के शिक्षण का प्रबंध राजमहलों में किया जाता था। इन्हें शास्त्रीय शिक्षाओं के साथ-साथ लौकिक शिक्षाओं का भी ज्ञान दिया जाता था। गुप्तकालीन "अमरकोष" में नारी शिक्षिका के लिए "उपाध्यायी" और वैदिक मंत्रों की शिक्षिका के लिए "आचार्या" शब्द का उल्लेख मिलता है जो इस काल में स्त्रियों द्वारा शिक्षण देने को प्रमाणित करता है। ललितविस्तार के अनुसार तत्कालीन स्त्रियां पढ़ने-लिखने के साथ-साथ काव्य रचना एवं शास्त्रों का अध्ययन भी करती थीं। वात्स्यायन के कामसूत्र से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन स्त्रियां अपने घर का आर्थिक बजट स्वयं बनाकर, उसी के अनुसार व्यय करती थी।[35]

**अभिजात्य वर्ग** की महिलाएं नृत्य-गायन, गृह सज्जा, चित्रकला आदि का भी ज्ञान प्राप्त करती थीं। इस प्रकार की शिक्षा के लिए विद्यालय या विशिष्ट गुरुओं की आवश्यकता रही होगी। मालविकाग्निमित्रम् के अनुसार, गणदास मालविका को नृत्य एवं गायन सिखाता था। इसी ग्रंथ में नरेश अग्निमित्र द्वारा दो कलाओं में निपुण युवतियों को उपहार स्वरूप कुछ देने का उल्लेख भी किया गया है।[36]

**गणिकाओं को** विविध कलाओं के अतिरिक्त पुरुषों को आकर्षित करने के उपाय भी सिखाए जाते थे। राजवंश की स्त्रियां इतनी शिक्षित एवं विदुषी होती थीं कि वे शासन संचालन में भी अपने पतियों की सहायता करती थीं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन का सुचारु रूप से संचालन किया था।[37]

**बौद्ध शिक्षा प्रणालीः–** बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ महात्मा बुद्ध द्वारा सरल जनभाषा के माध्यम से जीवन के तत्वों की चर्चा करके किया गया। उन्होंने व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया। धर्म प्रचार में उन्होंने प्रासंगिकता, उदाहरण, उपमा, दृष्टांत एवं कथाओं आदि को सम्मिलित किया, ताकि श्रोताओं को उनका ज्ञान सरलतापूर्वक समझ में आ जाए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में

सत्य, तर्क, दर्शन, तथ्य, पर्यवेक्षण एवं मनन आदि पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा का आधार महात्मा बुद्ध के विचार एवं सिद्धांतों का प्रचार करना था। इसलिए बौद्ध शिक्षा का आधार धर्म एवं दर्शन रहा है।

**गुप्तकालीन** बौद्ध विहार भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। किसी भी भिक्षु या भिक्षुणी को यहां प्रवेश लेने से पहले "प्रव्रज्या" लेनी पड़ती थी। इस संस्कार के द्वारा उपासक की शिक्षा प्रारंभ होती थी।[38] महावग्ग के अनुसार आठ वर्ष की आयु के उपरांत कोई भी व्यक्ति अपने संरक्षक की अनुमति लेकर प्रव्रज्या ग्रहण कर सकता था।[39] उसके पश्चात उसे किसी उपाध्याया या भिक्षुणी के सानिध्य में रहकर विद्याध्ययन करना पड़ता था। बौद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियों के अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्रों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहां "माणव" एवं "ब्रह्मचारी" दो प्रकार की छात्राएं होती थीं। माणव, वे छात्राएं थीं, जो भविष्य में बौद्ध संघ में दीक्षित होने की इच्छा से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करती थीं और ब्रह्मचारी, वे छात्राएं थीं, जिन्हें बौद्ध धर्म में प्रव्रजित होने की कोई इच्छा नहीं थी इसलिए वे केवल धर्मेत्तर साहित्य का अध्ययन करती थीं।

**प्रारंभिक शिक्षा** पूर्णरूपेण मौखिक होती थी। शिष्य द्वारा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर और बार-बार दुहराकर कंठस्थ किया जाता था। आचार्य विद्यार्थियों को अपने चारों ओर जमीन पर बिठाकर पढ़ाते थे। इस शिक्षण का उद्देश्य, धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ करना था। "धम्म" के अध्यापकों को "सुत्ततक" तथा "विनय" के अध्यापकों को "विनयधर" कहा जाता था। जो अध्यापक मंत्रादि (मातिकाएं) का शिक्षण देते थे, उन्हें "मातिकाघर" कहा जाता था। धर्म के सार तथा सिद्ध ांतों को समझाने के लिए भिक्षुणियों को कथाएं सुनाई जाती थीं। "अभिधम्मपिटक" में इन्हीं कथाओं का संग्रह है। भिक्षुणियां, धर्म-ग्रंथों का पाठ करके, परीक्षा देती और उपदेश देते हुए धर्म का विवेचन करती थी।[40] पाठ्य विषयों के अनुसार भिक्षुणियों अलग-अलग छात्रावास में रहती थीं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आएं।[41]

**'ललितविस्तार'** में भारत में प्रयुक्त होने वाली 64 लिपियों के नाम मिलते हैं, किंतु भिक्षुणियों द्वारा धर्म-ग्रंथों को कंठस्थ ही याद किया जाता था, क्योंकि उपाध्याय द्वारा समझाने से जितना व्यक्तित्व विकसित होता था, उतना पुस्तकों के अध्ययन द्वारा संभव नहीं होता था। सभी भिक्षुणियों को वाद-विवाद, शास्त्रार्थ करने तथा गलत बातों का खंडन करने का अधिकार था। सभी भिक्षुणियों को विनय के नियमों का समान रूप से पालन करना पड़ता था।

**बौद्ध विहारों** में आने वाली छात्राओं के लिए व्याकरण के साथ-साथ संस्कृत एवं पाली भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। उसके पश्चात उन्हें विनयसूत्र एवं पातिमोख के साथ-साथ अन्य शास्त्रों में न्याय, तर्क, दर्शन, कला, व्यापार-वाणिज्य, गणित और इतिहास आदि का अध्ययन कराया जाता था। उन्हें धार्मिक वाद-विवाद एवं खंडन-मंडन के लिए हिंदू ग्रंथों का भी अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध विहारों का अध्यापन-कार्य बिना किसी वर्ग-भेद के किया जाता था। शिक्षा समाप्ति पर बौद्ध भिक्षुणियों के लिए 'उपसम्पदा संस्कार' आयोजित किया जाता था।[42]

**उस समय** तक उसकी आयु लगभग 30 वर्ष हो जाती थी। उपासक बनने में कोई भेदभाव नहीं होता था। उसे केवल बुद्ध उपदेशों और शिक्षाओं में विश्वास रखना पड़ता था। भिक्षु केवल आचार्य निर्देशों और शिक्षाओं पर चलता था। शिष्य हमेशा बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति निष्ठावान रहता था। वह संघ में रहकर, संघ के नियमों और आचारों का दृढ़तापूर्वक पालन करता था। वह विहार के सम्पूर्ण कार्य करता था।

**निष्कर्षः-** गुप्त काल में स्त्रियों को आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभ में योग्य शिक्षिकाओं के अभाव में अभिजात्य वर्ग के अभिभावक अपनी पुत्रियों को आचार्यों के पास शिक्षण हेतु भेजते थे। परन्तु कालांतर में योग्य शिक्षिकाएं उपलब्ध होने पर अभिभावकों ने इन शिक्षिकाओं के संरक्षण में ही अपनी कन्याओं को शिक्षण दिलवाना प्रारंभ किया। इस युग में सह-शिक्षा के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, परन्तु सह-शिक्षा में परिवार को कन्या द्वारा गंधर्व विवाह करने का भय था, जिससे परिवारिक प्रतिष्ठा के धूमिल होने की संभावना थी। अतः कन्याओं को परिवारिक सदस्यों या नियुक्त शिक्षकों द्व ारा घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। तत्कालीन बौद्ध विहारों में भी स्त्री शिक्षण कार्य बिना किसी वर्ग-भेद के किया जाता था। सामान्य परिवार की महिलाओं को शिक्षित होने के कम अवसर मिलते थे, जिसमें बाल विवाह, गंधर्व विवाह, व्यभिचार एवं निर्धनता आदि प्रमुख बाधाएं थीं।

**परंतु गुप्त** कालीन अभिजात्य एवं शासन वर्ग की स्त्रियों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों में विशेष योगदान दिया। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम एवं

कुमारदेवी की "राजा रानी प्रकार" की मुद्राओं से पता चलता है कि कुमारदेवी ने सह-शासिका के रूप में कार्य किया था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम की "अश्वमेध प्रकार" की मुद्राओं पर क्रमशः दत्ता देवी एवं अनंतदेवी का चित्रण, स्त्रियों के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुवस्वामिनी की बसाढ़ से मिली मुद्रांक (शिलिंग) उनके प्रशासनिक महत्व को दर्शाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त द्वारा अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन संचालन करना, उनकी प्रशासनिक योग्यता को दर्शाता है।

## सन्दर्भ


1. विल्सन, एच. एच. द्वारा अनुवादित, 'विष्णु पुराण', 6.5. 6, दिल्ली, 1980।
2. झा जी. एन. द्वारा अनुवादित, 'छांदोग्य उपनिषद', 1.1.10, लीपजिंग, 1943।
3. मिश्र, जयशंकर, 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2006, पृ. 409।
4. झा जी. एन. पूर्वोक्त, 3.17.4, लीपजिंग, 1943।
5. वही, 2.23.1।
6. मैक्समूलर, एफ. द्वारा अनुवादित, 'ऋग्वेद', 8.31, भाग-2, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, 1890-92।
7. कुंडाल, पंडित शिवदत्त और शास्त्री, पंडित रघुनाथ, संपादक महाभाष्य, 3.822, जिल्द- 37, मुंबई, 1935।
8. वही, 6.2.86।
9. झा, जी. एन. द्वारा अनुवादित, 'मनुस्मृति', 2.56, 9.18, कोलकाता, 1926।
10. गाथासप्तशती, 1.87.90, 3.1.91, 4.3.28, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1969।
11. झा, जी. पूर्वोक्त, 2.66
12. जौली, जे. द्वारा अनुवादित, 'नारद स्मृति', 13.33, (एस. बी. ई.) वॉल्यूम-33, दिल्ली, 1971, घारपुरे, जगन्नाथ रघुनाथ द्वारा अनुवादित, 'याज्ञवल्क्य स्मृति', 1.13, मुंबई, 1938।
13. Altekar, A.S., *'Education in Ancient India'*, Nandkishor and brother publication, Banaras, 1944, P 160-63.
14. 'वायु पुराण', 66.77, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1905।
15. 'ब्रह्मांड पुराण', 3.10.15-16, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1985।
16. विल्सन, एच. एच. पूर्वोक्त, 3.10-19, दिल्ली, 1980।
17. शास्त्री, जी. आर. द्वारा अनुवादित, वात्स्यायन, 'कामसूत्र', 1.3.12, बनारस, 1929।
18. शास्त्री, वी.एस. द्वारा अनुवादित, 'मत्स्य पुराण', 20.27, दिल्ली, 1972।
19. कालिदास, 'मेघदूत', 1.23, कालिदास ग्रंथावली, वाराणसी, 1889।
20. Altekar, A.S., *'Coinage of the Gupta Empire'*, Numismatic Society of India, Banaras, 1957, P- 32-33, plate-1, 8-13.
21. Altekar, A.S., *'Epigraphia Indica'*, Vol-XV, An Archaeological survey of India, 1919-20, P-186-88.
22. Thaplyal, K.K., *'Studies in Ancient Indian Seals A Study of North Indian Seals and Sealings from Circa Third Century B.C. to Mid Seventh Century A.D.'*, Akhila Bharatiya Sanskrit Parishad Publication, 1972, P-66.
23. Sahani, D.R., *'Catalogue of Sarnath Museum'*, Superintendent government printing, Calcutta, 1914, P-193-94, Plate- 12.
24. महावग्ग, 5.4.21, 'नालंदा देवनागरी', पाली ग्रंथ माला, वाराणसी, 1951।
25. Pandey, Rajbali, *'Hindu Samskaras'*, Motilal Banarasidas publication, Delhi, 1976, P- 99-110.
26. संस्कार प्रकाश, चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी, 1988, पृ. 334।
27. घारपुरे, जगन्नाथ रघुनाथ द्वारा अनुवादित, 'याज्ञवल्क्य स्मृति', 1.16, मुंबई, 1938।
28. अपरार्क, 'याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य', आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज पूना, 1903, पृ. 30-31।
29. कालिदास, 'मालविकाग्निमित्रम्', मुंबई संस्कृत सीरीज, 1889, पृ. 17।
30. कालिदास, 'रघुवंश', 3.29, कालिदास ग्रंथावली, वाराणसी, 1922।
31. वही, 15.50, 3.30।
32. घारपुरे, जगन्नाथ रघुनाथ पूर्वोक्त, 1.311, 5.21
33. Sarkar, D.C. *'Epigraphia Indica'*, Vol- VIII, Archaeological Survey of India, 1905-06, P-287.
34. शास्त्री, जी. आर. 1929, पूर्वोक्त, 1.3.12, 4.1.32
35. वही, 1.3.32।
36. कालिदास, 'मालविकाग्निमित्रम्', पूर्वोक्त, पृ. 55-66।
37. उपाध्याय, भगवत शरण, 'गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास', हिन्दी समिति, सूचना, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1969, पृ. 293।
38. लार्ड चल्मर्स द्वारा अनुवादित, 'मंज्झिम निकाय', भाग-2, लंदन, 1937, पृ. 103।
39. महावग्ग, 1.50, नालंदा देवनागरी, पाली ग्रंथ माला, वाराणसी, 1951।
40. चुल्लवग्ग, 8.7.4, 'देवगिरी ग्रंथ माला', नालंदा, 1995।
41. वही, 4.4.1।
42. विलियम, डेविड थॉमस अनुवादित, 'मिलिंदपन्हो', 1.28, ऑक्सफोर्ड, 1890-94।

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय का समाजशास्त्रीय अध्ययन
## (सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश)

❑ डॉ निरुपोमा करदोंग
❖ सुश्री रुचिका ठाकुर

**सूचक शब्द :** हाटी समुदाय, विवाह, आर्थिक जीवन, न्याय प्रणाली।

हिमाचल प्रदेश में अनेक प्रकार की जनजातियाँ और समुदाय पाए जाते हैं। जैसे गद्दी, गुज्जर, पंगवाल, किन्नौरी, लाहुला आदि। हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में रहता है। सिरमौर का यह हाटी समुदाय है, जो आज के इस वैश्वीकरण और तकनीकी युग में भी अपनी परम्पराओं को मजबूती से पकड़े हुए है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत हाटी समुदाय की विवाह, आर्थिक और न्याय व्यवस्था को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

**विश्व के अन्य** देशों की तुलना में भारत में अधिक जातीय समुदाय और कई अलग-अलग समुदायों और धर्मों के लोग एक साथ सद्भाव में रहते हैं। भारतीय जनसंख्या बहुजननात्मक है और विभिन्न नस्लों, संस्कृतियों और जातियों का एक आश्चर्यजनक विलय है। भारत के आदिवासी समुदाय प्रकृति, स्वदेशी, आजीविका, मौखिक परम्पराओं, लोक संस्कृति से गहरे जुड़ें हुए हैं और अधिकतर अपने लोगों तक ही सीमित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के अंतर्गत गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय पर किया गया है। हाटी शब्द की उत्त्पति के बारे में कहा जाता है कि इस समुदाय के लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए एक साथ वर्ष में एक या दो बार किसी हाट (बाजार) में समूह बनाकर जाते थे समूह के रूप में जाने के कारण धीरे-धीरे यह हाटी नाम से प्रसिद्ध हो गए, मूलतः यह कनैत ही हैं। बलोखरा[1] के अनुसार "हाटी मातृभूमि गिरी और टोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल/उत्तराखंड सीमा पर फैली हुई है, यमुना की दोनों सहायक नदियाँ, टोंस दोनों राज्यों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है।" ट्रांस-गिरी और जौनसार बाबर में दो हाटी वंश हैं, सम्मान परम्पराएँ और अंतर-विवाह आम है। कुमार और अन्य[2] के अनुसार "1967 में उत्तराखंड के जौनसार बाबर में रहने वाले हाटी समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसी समय से हिमाचल के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के लोग जनजाति की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से शिलाई, रेणुका जी (संगड़ाह) और राजगढ तीन तहसीलें हैं।" केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितम्बर 2022 को एक संविधान संशोधन में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस -गिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने का प्रयास किया है। राज्यसभा ने 26 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया।

**हाटी अपनी** वहुपति विवाह प्रणाली, पारंपरिक न्याय प्रणाली और आर्थिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए हाटी समुदाय को चुना। अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा हाटी समुदाय की परंपरा को सामने लाने का प्रयास किया गया है।

### साहित्य समीक्षा

**बक्शी** ने अपनी पुस्तक "हिमाचल गिरिपार का हाटी समुदाय", में कहा है कि हाटी समुदाय सिरमौर जिले की गिरीपार क्षेत्र में रहने वाला एक समुदाय है, जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा भी पाई जाती है और यह समुदाय अपनी आर्थिक प्रथाओं के लिए भी जाना जाता है।[3]

**भारद्वाज** और अन्य[4] ने अपने जर्नल "फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ द हाटी कम्युनिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एन अन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज" में कहा है कि हाटी समुदाय में देखा जाये

❑ सहायक आचार्य समाजशास्त्र एवं सामाजिक नृविज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, काँगड़ा (हि.प्र.)
❖ अध्येत्री समाजशास्त्र एवं सामाजिक नृविज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, काँगड़ा (हि.प्र.)

तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी अजनबी है। हिमालय में बहुपतित्व को लोगों की गरीबी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

**चित्रिता सान्याल**[5] ने अपने लेख "जोड़ीदारी और द्रोपती प्रथा क्या अभी भी हाटी जीवन को जरूरत है" में कहा है कि हाटी समुदाय में जोड़ीदार प्रथा का पालन किया जाता है जिसमें एक महिला का विवाह एक से अधिक पुरूषों के साथ होता है। इस प्रथा का कारण परिवार नियोजन और नियंत्रण करना है ताकि भूमि का बंटवारा न हो सके।

**मोक्ता एवं कुमार**[6] ने अपने अध्ययन "द पोलिटिकल रिजर्वेशनः ए केस स्टडी ऑफ हाटी कम्युनिटी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश" में बताया है कि हाटी समुदाय जनजाति के मानदंडो को ध्यान में रखते हुए यह समुदाय जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के योग्य है। यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक समानता, वियोग और पिछड़ेपन और कपड़ों के आधार पर ही नहीं, बल्कि बोलियों, धार्मिक देवता के अनुष्ठान, गीतों, मेलों और आहार प्रथाओं में भी अलग है।

**कुमार** और अन्य[7] ने अपने शोध लेख "हाटी ट्राइबल एंड स्वर्ण आयोग मूवमेंटः डेसिफेरिंग कास्ट मजोरिटेरियन चूर्ण इन हिमाचल प्रदेश" में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, जिसमें एक हाटी समुदाय है। यह समुदाय भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वह अपनी आर्थिक प्रथाओं का पालन करने के कारण एक जनजातिय समुदाय की मांग कर रहा है। इन लोगों की अपनी एक वशिष्ट पहचान है।

**शर्मा**[8] अपने लेख "पैराडॉक्स इन हाटी कोम्मुनिटिस डिमांड फॉर ट्राइबल-स्टेटस" में कहते हैं कि हाटी नेता खुमलियों का आयोजन कर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और जनजाति का दर्जा पाने के मामले में तेजी लाने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। परन्तु अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा इसका विरोध किया गया है जो इस मुद्दे को विरोधाभासी कर रहे हैं।

**शोध पद्धति**

**अध्ययन के उदेश्य** : प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं।

1. हाटी समुदाय की पारंपरिक विवाह प्रणाली और न्याय प्रणाली को जानना
2. हाटी समुदाय की आर्थिक जीवन को जानना

**अध्ययन विधि**

शोध के लिए वर्णात्मक शोध प्रारूप का उपयोग किया गया है। शोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक डाटा को असंरचित साक्षात्कार, गैर सहभागी अवलोकन, और यादृच्छिक निदर्शन द्वारा एकत्र किया गया है। शिलाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक तहसील है जहाँ हाटी लोग रहते हैं- यही प्रस्तुत अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र है। शिलाई को दो भागों में विभाजित किया गया है- निचला शिलाई गाँव और ऊपरी शिलाई तथा चारू गाँव इससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन तीनों गाँवों से यादृच्छिक निदर्शन विधि द्वारा समान मात्रा में निचला शिलाई गांव से 33, ऊपरी शिलाई गांव से 34 तथा चारू गांव से 33 कुल मिलाकर 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। द्वितीयक डाटा को पुस्तकों, जर्नल्स, समाचार पत्र, लेख और वेबसाइट आदि के द्वारा एकत्र किया गया है।

**अध्ययन क्षेत्र**

**सिरमौर जिला** हिमाचल प्रदेश के दक्षिण- पूर्वी भाग में स्थित है और गिरी नदी ने इस जिले को दो भागों में विभाजित किया है- सीस गिरी (ज्यादातर मैदानी क्षेत्र) और ट्रांस गिरी (ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र)। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार या ट्रांस गिरी इलाके में रहने वाले लोगों को हाटी नाम से जाना जाता है। शिलाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक तहसील/कस्बा है तथा यही इस क्षेत्र का मुख्यालय है जो 1900 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व की ओर पहाड़ी पर स्थित है। शिलाई को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है निचला शिलाई (गाँव) और ऊपरी शिलाई (बाजार) क्षेत्र मुख्यालय में ही स्थित है तथा चारू गाँव इस से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिपार क्षेत्र के शिलाई तहसील की कुल जनसँख्या 5,790 है, जिसमें पुरूषों की जनसँख्या 2,961 और महिलाओं की जनसँख्या 2,829 है। शिलाई की साक्षरता दर 64.49 प्रतिशत है जिसमें पुरषों की साक्षरता दर 70.45 प्रतिशत है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 58.25 प्रतिशत है। हाटी समुदाय के लोग पहाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। हाटी समुदाय की पहाड़ी भाषा का व्याकरण और शब्दावली टंकारी है। टंकारी एक प्रकार की लिपि है

जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। गिरिपार के शिलाई क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से बने हुए घर होते हैं। इस पारंपरिक पद्धति को काठकुणी शैली कहा जाता है। काठकुणी मकान पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं, मकान की छत स्लेट (पत्थर से बने हुए होते हैं) से बनी हुई होती है। गिरिपार क्षेत्र के लोग शाकाहरी के साथ-साथ मांसाहारी भोजन भी खाते हैं। ये लोग मुड़ा (अखरोट, गेहूं, शक्कर या गुड़ को मिलाकर बनता है), शाकुली (चावल के आटे से बनती है), गुलगुले (आटे को पानी के साथ मिलाकर तेल या घी में तल कर बनाये जाते हैं) आदि इनके प्रमुख व्यंजन हैं। हाटी लोगों की पोशाक ऊन (यह ऊन भेड़ की होती है) से बनी हुई होती है जिसे लोईया या चोलतू (कोट) कहा जाता है। हाटी समुदाय के पुरुष बिना बटन का लोईया तथा पजामा पहनते हैं इसके साथ वे लोग सिर पर ऊन से बनी हुई टोपी पहनते हं। हाटी समुदाय की महिलाएं लुगड़ी कुर्ती और गगरा तथा सिर पर दाटू (एक तरह का दुपट्टा) पहनती हैं। हाटी समुदाय के लोग देवी देवताओं में बहुत विश्वास रखते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के देवता - कुलदेवता, ग्राम देवता और स्थान देवता पाए जाते हैं। ये लोग मानते हैं कि कुल देवता का अधिकार केवल परिवार तथा कुल तक ही सीमित होता है। ग्राम देवता का अधिकार एक से अधिक या चार से पांच गाँव तक भी हो सकता है इसके साथ ही कुछ ग्राम देवताओं का अधिकार 15 से 20 गाँव तक भी होता है। स्थान देवता का अधिकार अपने गाँव के साथ- साथ दूर-दराज के गाँव तक भी हो सकता है। गिरिपार क्षेत्र में हरियालटी (बरसात में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है तब उसकी खुशी में मनाया जाता है), बूढी दीवाली (जब भगवन वनवास से वापिस अयोध्या आये थे तो इस क्षेत्र के लोगों को उनकी आने की सूचना बहुत देर से मिली थी जिस कारण इन लोगों के द्वारा सूचना देर से मिलने के बाद घी के दिए जलाये गये थे जिस कारण इसे बूढी दीवाली कहा जाता है), गूगा नवमी (जन्माष्टमीके त्यौहार को यहाँ गूगा नवमी कहा जाता है) आदि त्यौहार मनाये जाते हैं।

**हाटी समुदाय की विवाह प्रणाली**

विवाह स्त्री-पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। हाटी समुदाय में तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। जाजडा, हार तथा खीत/रीत।

**1) जाजडा** हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक विवाह परम्परा है। जाजडा विवाह प्रणाली के अंतर्गत ना तो दूल्हा बारात लेकर जाता है और ना दुल्हन के घर में फेरे होते हैं। इस विवाह प्रथा में दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है और फिर दूल्हे के घर ही फेरों समेत विवाह की सारी रस्में निभाई जाती हैं। इस विवाह प्रणाली में विवाह का संपूर्ण खर्च भी दूल्हे पक्ष के लोगों द्वारा ही किया जाता है इसके साथ ही इस प्रथा के अंतर्गत दहेज भी नहीं लिया जाता है। विवाह समारोह में रोटियां गाँव की महिलाएं बनाती हैं लेकिन आटा गाँव के पुरुषों द्वारा ही गूंधा जाता है इसके अलावा सब्जियां काटने से लेकर पकवान बनाने तक का काम पुरुषों का ही होता है। महिलाएं सिर्फ रोटी बनाती हैं जिसके लिए उन्हें थाली में भरकर देसी घी भेंट किया जाता है और खाना बनाने वाले पुरुषों के लिए बाद में अलग से प्रबंध किया जाता है। विवाह के बाद सब में गुड़ वितरित किया जाता है और विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद गुड़ वितरित करने का कारण ही नए वैवाहिक जीवन का प्रारंभ मीठा कहा कर किया जाता है। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद दुल्हन पक्ष दूल्हे के साथ गाँव या परिवार के ही 5 से 7 लोगों को अपने घर लेकर जाते हैं जहाँ दो दिन तक उनकी मेहमान नवाजी के बाद दुल्हन दूल्हे के साथ अपने ससुराल लौट आती है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की परम्पराएं और रीति रिवाज प्राचीनकाल से ही चलते आ रहे हैं। इस जाजडा विवाह प्रथा के पीछे मुख्य कारण लड़कियों की तरफ से शादी के बोझ को कम करना और साथ ही यह प्रथा बजुर्गो की देन है। समय के साथ -साथ इस प्रथा के अंतर्गत शादियाँ कम होने लगी हैं लेकिन अब भी गिरिपार क्षेत्र के कई इलाकों में इस विवाह प्रथा को निभाया जा रहा है।

**2) जब कोई** लड़की या महिला अपने पिता के घर से किसी पुरुष के साथ शादी करने के इरादे से भाग जाती है तो इसे **हार** कहा जाता है (इसे प्रेम विवाह/गन्धर्व विवाह भी कहते हैं)। इस प्रकार के विवाह में बाद में विचार-विमर्श किया जाता है और ऐसे मामलों में जो व्यक्ति लड़की को ले जाता है उसे मुआवजे के अलावा दंडित भी किया जाता है और इस दंड राशी को हरोंग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद एक सामुदायिक

भोज दिया जाता है

3) **खीत विवाह** के अंतर्गत महिला की पहले शादी हो चुकी होती है और वह किसी कारणवश लड़ाई-झगड़े या अन्य कारणों से अपने मायके में आकर बैठ जाती है और अपने ससुराल वापिस नहीं जाना चाहती। इसके साथ वह महिला किसी दूसरी जगह विवाह करना उचित समझती है। इस प्रकार के विवाह में धन विचार, जिसे खीत कहा जाता है, प्रस्तावित पति से महिला के पिता के माध्यम से पहले पति को मुआवजे के रूप में दिया जाता है। खीतध्रीत की राशी पहले पति और उसके ससुर के बीच तय की जाती है जिसकी शिकायत खेतरू (खीत राशी तय करने के लिए चुने गये कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों का एक समूह) द्वारा पहले पति के घर पर की जाती है जहाँ पर राशी का भुगतान किया जाता है। इसके बाद पहला पति महिला पर अपने सभी अधिकार छोड़ देता है और उसके बाद वह महिला दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र हो जाती है। जब पहला पति खीतध्रीत की मांग किए बिना उस महिला पर अपने सारे अधिकार छोड़ देता है, तो इस प्रथा को बिदावा (एक प्रकार की खीत स्वतंत्रता) के रूप में जाना जाता है। शादी के दौरान महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा दिए गए गहने ससुराल वालों को वापस लौटा दिए जाते हैं।

**हाटी समुदाय** की एक मुख्य विशेषता रही है कि यहाँ पर "बहुपति विवाह प्रथा" विद्यमान है। हाटी समुदाय में जोड़ीदारी प्रथा एक ही परिवार के सभी भाइयों को एक ही पत्नी के साथ परिवार नियोजन और नियंत्रित करने के एकमात्र कारण के रूप में पाई जाती है। जिस प्रकार पांच पांड्वों की एक पत्नी द्रोपती थी उसी प्रकार इस समुदाय में भी यह प्रथा पाई जाती है जिसे जोड़ीदारी या द्रोपती प्रथा कहा जाता है। बहुपति विवाह के दो प्रकार होते है (1) भ्रात्री बहुपति विवाह (2) अभ्रात्री बहुपति विवाह। सिरमौर जिले के हाटी समुदाय में भ्रात्रि बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। इस विवाह को करने के पीछे उनका कहना है कि उनके पास सीमित भूमि है तथा अत्यधिक खर्चो से बचना तथा परिवार को जोड़ कर रखना है। हाटी समुदाय में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। बहुपति विवाह करने से पहले लड़की की सहमति जान ली जाती है, उसके बाद ही विवाह होता है। शोध के दौरान ज्ञात हुआ कि वह बहुपति विवाह को अपनी परम्परा के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार विवाह पूरे रीती-रिवाज के साथ केवल एक ही भाई के साथ किया जाता है।

**हाटी समुदाय** के लोग व्यापार आदि का काम भी करते हैं। जिस कारण उन्हें कई बार काम के सिलसिले में घर से बाहर भी जाना पड़ता है तथा ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। तब बड़े भाई की अनुपस्थिति में छोटा भाई बच्चों तथा पत्नी का पालन-पोषण व उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस तरह की विशेषताएँ हाटी समुदाय में विद्यमान हैं जो वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं।

**हाटी समुदाय की न्याय प्रणाली**

**न्याय प्रणाली ढांचा :** मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही अच्छाई-बुराई, शांति-अशांति, प्रेम-द्वेष का जन्म भी हुआ। अशांति के साथ उसके समाधान के तरीके भी विकसित हुए लड़ाई के साथ समझौते के रास्ते भी जन्मे। यदि अपराध या विवाद हुआ तो उसके दोषी की पहचान व विवाद पर न्यायपूर्ण फैसले की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग तरह से विकसित हुई। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं विकसित न्याय प्रणालियाँ प्रचलित हैं, जो अधिक सुगम, सस्ती व संभवतः अधिक न्याय-संगत हैं। ऐसी ही व्यवस्था सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र हाटी समुदाय में भी प्रचलित है। हाटी समुदाय हिमाचल के दूरदराज इलाके में होने के कारण उस अंग्रेजी राज की न्याय व्यवस्था का पूर्णतः भागीदार नहीं बन पाता था, जो उस समय प्रचलित थी। इस समुदाय के लोग शायद ही कभी कोर्ट-कचहरी जाते थे, क्योंकि एक तो यह सुगम नहीं था और साथ ही न्याय मिलने की उम्मीद कम रहती थी। इसलिए इस समुदाय के पास अपनी कुछ न्याय व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर वह अपनी समस्याओं का निपटारा करते हैं।

**न्याय प्रणाली** की विभिन्न मौलिक व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर यह जानना संभव होगा कि इस न्यायिक तंत्र का स्वरूप क्या है? यह कैसे कार्य करता है? मुख्यतः किसी मामले को अंजाम देने के लिए पांच मुख्य भाग हैं

1. वादी-प्रतिवादी जोड़ी या तीजू व्यवस्था
2. गाँव की खुमली (गाँव के भीतर)
3) दो गांवों की पंचायत
4) खत की पंचायत (खत के भीतर के मामले)
5) दो खतों की पंचायत (वादी-प्रतिवादी अलग-अलग खत के होने पर)

**इन भागों** का प्रयोग जोड़ी व ढाकी लगाकर, नाड़स

देकर, न्याय या फैसला आर्थिक दंड, तियाडा तथा बहिष्कार व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है। यदि कोई फैसला नहीं मानता तो उसे तियाडा रखने का भी प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति या परिवार या कई परिवारों का या फिर खत के भीतर, किसी एक या कुछ एक गांवों के साथ अन्य लोग सामाजिक या आर्थिक लेन देन स्थगित कर देते हैं (एक तरह से उसे बहिष्कृत कर देना)। पंचायत के दिन सबसे पहले वादी व प्रतिवादी को बिश्टाडे देने होते है, जिसका तात्पर्य पंचायत में आये अन्य जनों को, अपना समय देने की सांकेतिक फीस (दो रुपये) से है। दो गाँव या खत की पंचायत मामले की गंभीरता के अनुसार खान-पान की व्यवस्था बरो (राशन), बाकरा (बकरा) काटकर वादी-प्रतिवादी द्वारा मिलकर या फिर किसी एक पक्ष द्वारा की जाती है। एक पक्ष द्वारा बरो-बाकरे की व्यवस्था करने पर उसे पंचायत स्थल व समय चुनने की सुविधा दी जाती है। जानबूझकर गलती करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड लगाया जाता है यह दंड 6 के गुणज में होता है जैसे 6/- रु, 12/-रु 24/-रु और 100/-रू केवल। वादी-प्रतिवादी/जोड़ी-तीजू व्यवस्था में कोई मामला उत्पन्न होने के पश्चात व उसके आपसी हल न निकलने पर एक पक्ष दूसरे को "जोड़ी" यानी गाँव के बाजगी जाति से संबंधित व्यक्ति, के द्वारा अपना आरोप, विरोध या "क्लेम" का संदेशा भेजते हैं। उसी व्यक्ति (जोड़ी) के माध्यम से उत्तर-प्रति उत्तर भेजा जाता है। यह तब तक चलता है, जब तक कि वादी - प्रतिवादी समाधान या स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचते "जोड़ी" के माध्यम से निष्पक्ष फैसला होने की संभावना रहती है। मामला आगे बढ़ने पर यह जोड़ी गवाह का काम करती है। इस कारण जोड़ी का काम करने वाला व्यक्ति गलत बयानी भी नहीं कर सकता है।

**मुद्दे की स्पष्टता** आने के बाद अक्सर वादी पंच "तीजू" (कोई तीसरा व तटस्थ आदमी) मध्य आकर मामले को निपटने में पहल कर सकता है। इस व्यवस्था में मुद्दे के निपटारे की संभावना अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति तीजू व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता, तब वह वादी गाँव के मुखिया जिसे स्याणा (गाँव का बुजुर्ग व्यक्ति) कहा जाता है के पास अपनी शिकायत करता है। शिकायत फीस के लिए वह दस या बीस रूपए देता है जिसे नाड्स कहा जाता है। स्याणा उसकी शिकायत को दर्ज करता है। पहले मुखिया मामले का स्वयं हस्तक्षेप करके सुलझाने की कोशिश करता है। यदि मामला ना सुलझे तो, किसी निश्चित दिन या तारीख को सुनवाई के लिए उन दोनों वादी-प्रतिवादी को गाँव के साझा आंगन, सामुदायिक जगह में बुलाया जाता है। उस दिन सुबह ढाकी द्वारा पूरे गाँव में एक आवाज दी जाती है, कि आज गाँव में खुमली है। सभी घरों से एक-एक आदमी खुमली में आ जाए, शाम को लोग इकट्ठा होते हैं। खुमली में वादी अपना पक्ष रखता है तथा प्रतिवादी उसका उत्तर देता है। उसके बाद उन्हें बहस का मौका दिया जाता है और अपने-अपने गवाह पेश करने की अनुमति भी होती है। **वादी-प्रतिवादी** शंख भी पेश कर सकता है। शंख (परिवारों या गाँव के बुजुर्गों द्वारा दी गई पते की बात) अक्सर जमीन-जायदाद की सीमाओं व अन्य परिवारों से सम्बन्धों का इतिहास बताती है। इसके पश्चात् उपस्थित पक्ष अपने -अपने तरफ से बराबर संख्या में पांच नामित करते हैं। यदि दूसरे पक्ष को आपत्ति हो तो अन्य नाम सुझाये जाते हैं। यह पंचों का समूह अलग बैठकर पूरे मुद्दों पर चर्चा करता है तथा प्रस्तुत तथ्यों, गवाहों व साक्ष्यों को ध्यान में रखकर विचार करते हैं और अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। अब वादी तथा प्रतिवादी को पंचायत से बाहर भेजा जाता है, तथा पंच समूह उपस्थित पंचायत को उनके द्वारा लिया फैसला सुनाते हैं, सब लोग इस पर स्वतंत्र व बेबाक चर्चा करते हैं, जिसमें लोग अपना अनुभव, उसी प्रकार पूर्व में हुए मुद्दे के फैसले का हवाला देकर तथा पंचों के फैसले को बहुमत देकर किया जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों को बुलाकर फैसला मुखिया द्वारा सुनाया जाता है। गतिरोध की स्थित में दोनों पक्षों को खत की पंचायत में जाने को कहा जाता है पर ऐसा बहुत कम होता है।

**दो वादी** - प्रतिवादी अलग-अलग गाँव के होने पर मामले को निपटने का एक अन्य तरीका दो गाँवों की पंचायत भी है। इसमें वादी अपने गाँव के मुखिया को नाड्स (शिकयत फीस) देकर मामले के बारे में जानकारी देता है। इस पर मुखिया ढाकी (बाजगी) के माध्यम से प्रतिवादी गाँव के मुखिया को सूचना भेजता है तथा पंचायत में दोनों गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है दोनों गांवों की सुविधानुसार जल्द से जल्द पंचायत बुलाकर मामले के तह तक जाकर न्यायपूर्ण व्यवस्था दी जाती है। इस पंचायत में भी दोनों गाँव के प्रत्येक

परिवारों में से एक-एक व्यक्ति को आने का निमंत्रण दिया जाता है। वादी-प्रतिवादी के पक्ष सुनने के बाद दोनों को अपने पक्ष में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत करने की छूट होती है। उसके बाद उनमें फाकियाँ (बहस) का मौका दिया जाता है। उसके बाद दोनों गांवों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में चुने गये पंचों को अलग जाकर मामले के पक्ष विपक्ष की बात बताते हैं तथा उस आधार पर निर्णय लेते हैं जिसे सम्पूर्ण पंचायत (वादी-प्रतिवादी छोड़कर) के सामने रखा जाता है। फिर उस निर्णय पर तार्किक बहस करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। यदि फैसला न हो पाया हो या, किसी पक्ष को मान्य न हो तो वे मामला खत की पंचायत के समक्ष ले जाने के अधिकारी होते हैं। यदि गाँव अलग-अलग खतों के हों तो दो खतों की पंचायत में, दो गाँव की पंचायत की तरह मामला सुनकर निर्णय लिया जाता है।

**खत का** अर्थ होता है कई गाँवों का समूह जिसमें पांच, दस गाँव सम्मिलित हो सकते हैं यह पंचायत मुख्यतः अपील के मामले सुनती है। लेकिन खत का मुखिया सीधे तौर पर भी मामला हाथ में लेकर पूरे खत की पंचायत बुला सकता है। इस प्रकार की पंचायत हमेशा नहीं बुलाई जाती, परन्तु हमेशा इस स्तर पर बरी-बाकरे का प्रावधान किया जाता है। अतः यह मंहगी जरुर है फिर भी हर परिवार से एक-एक प्रतिनिधि को आने का निमंत्रण देना होता है। इन पंचायतों में भी पंचायत की सामान्य प्रक्रिया दोहराई जाती है। विश्नोई, बर बाकरे, दंड तियाड़े या बहिष्कार जैसे आवश्यक तंत्रों का प्रयोग न्यायपूर्ण फैसले पर पहुंचने के लिए किया जाता है। कभी -कभी दो से अधिक खतों की पंचायत, मसले में सम्मिलित वादी-प्रतिवादियों के अनुसार आपसी सुविधा के दिन तय की जाती है। जब वादी-प्रतिवादी अलग-अलग खतों के होते हैं, तो इस प्रकार की पंचायत बुलाई जाती है। सामान्यतः मसलों को निपटने में कुछ माह (एक या दो महीने) से अधिक समय नहीं लगता। एक पंचायत में फैसला न हो पाने की स्थिति में उसे स्थगित कर अगली पंचायत में अक्सर निपटा दिया जाता है दो या अधिक खतों की पंचायत में खत के अनुसार अलग-अलग लोग एकत्रित होते हैं, फिर एक-दूसरे को एक साथ बैठने के लिए संदेश भेजे जाते हैं, तथा पंचायत की प्रक्रिया के अनुसार निर्णय हो जाता है।

## हाटी का आर्थिक जीवन

**हाटी समुदाय** का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर निर्भर करता है तथा उसी माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। गिरिपार क्षेत्र में मुख्यतः दो फसलें उगाई जाती हैं- रबी तथा खरीफ की। रबी की फसल में गेंहू, चना, जौ, सरसों तथा मसूर इत्यादि जो सितम्बर अक्तूबर में बोई जाती है तथा पौष माह (दिसम्बर) में काट दी जाती है। नगदी फसलों में यहाँ पर टमाटर और अदरक की अच्छी पैदावार होती है यहाँ पर हल्दी भी उगाई जाती है। अदरक, टमाटर, हल्दी के साथ -साथ यहाँ पर लहसुन की खेती भी व्यापक मात्रा में की जाती है। अदरक चौत्र माह (मार्च महीने) में लगाया जाता है तथा सितम्बर तक निकाल दिया जाता है हल्दी भी उन्ही स्थानों पर होती है। उसे दो वर्ष तक वहीं खेतों में गड्ढा खोदकर रखा जाता है हल्दी को उबाल कर सुखा लिया जाता है। यहाँ की मुख्य नकदी फसलें टमाटर तथा लहसुन हैं जो काफी मात्रा में उगाई जाती है। कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ पर अच्छी बर्फ पड़ती थी लेकिन अब बुजुर्गों का मानना है कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। बर्फ पड़ने वाले पहाड़ों में गेहूं को सितम्बर में बोया जाता है तथा अप्रैल मई में काट दिया जाता है। धान-तिलहन, अदरक के साथ-साथ लाल मिर्च, चुलाई, कुलथ, उड़द आदि बोई जाती है। मक्का, गेहूँ, चना, मसूर यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं, गन्ना यहाँ पर नहीं उगाया जाता है।

**सिचांई के** अधिक संसाधन नहीं हैं हाटी समुदाय के कृषक केवल प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, यदि वर्षा अच्छी हुई तो काला जीरी और अदरक से सोंठ बनाकर बेचने पर नकदी प्राप्त होती है। आलू की पैदावार भी उतनी होती है जितनी घर की खपत के लिए जरूरी होती है।

**कृषि के** साथ यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। गाय, हटी बैल, बकरी, भैंस आदि पाली जाती हैं। गिरीपार क्षेत्र में पशुओं को मकान की निचली मंजिल में रखा जाता है जिसे ओबरा कहा जाता है। धनी लोग भैंस भी पालते हैं, भैंस रखने के लिए मोहिषाडा बनाया जाता है। इनसे प्राप्त घी - मक्खन का प्रयोग घर में ही किया जाता है अधिक होने पर उसे बेचा जाता है। अधिक पशु होने के कारण दूध भी बेचा जाता है। यहाँ के लोग भेड़ बकरी भी पलते हैं। भेड़ों को खासतौर पर ऊन के लिए

पाला जाता है भेड़ों को गर्मियों में निचले स्थानों पर भेजा जाता है। वर्तमान में घोड़ों तथा खच्चरों को भी पाला जाता है। मुख्य रूप से हाटी समुदाय के लोगों का पेशा कृषि तथा पशुपालन है। कृषि वर्षा पर आधारित होने पर उतनी मात्रा में नहीं होती जिससे ज्यादा व्यवसाय किया जा सके। गुड़, नमक, जीरा, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल तथा कपड़ों की खरीददारी के लिए निकटवर्ती बाजार में जाना पड़ता है। विकास नगर उत्तराखंड जो साठ-सतर किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ के निवासी कई पहाड़ चढ़कर पैदल यात्रा करते थे। यहाँ से आवश्यक खरीददारी करके सौ-पचास किलो का भार पीठ पर उठाकर अपने गाँव पर पहुंचाते थे, रास्ते में टोंस नदी जिसे वैदिक काल में "कर्मनाशा" कहा गया है। इस पर झूला व रस्सा बांधकर स्वयं तथा सामान को पार करते थे।

**आज के** युग में यहाँ छोटी बसों तथा जीपों का प्रचलन हो गया है, जिससे आवागमन की सुविधा थोड़ी आसान हो गई है, तथा समय परिवर्तन के साथ कॉलेज, तहसील, पुलिस थाना आदि निर्माण होने से शिलाई क्षेत्र में बाजारों का भी विकास हुआ है, जिस कारण अब लोगों को अपनी प्रयोग की छोटी-मोटी वस्तुओं की खरीददारी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। गेहूँ, चना, हल्दी, सोंठ, मक्की चावल, सूखा अनारदाना, लकड़ी, बांस तथा अखरोट, टमाटर तथा अदरक गाड़ी के माध्यम से दिल्ली तक के बाजार में भेजा जाता है। मोटर चलने से पूर्व यहाँ के लोग सामान पीठ पर लादकर जगाधरी, अम्बाला तक ले जाते थे। अपनी चीजों को बेचकर वहां से दूसरी काम की वस्तुए लाते हैं। मिल के कपड़ों, कारखानों द्वारा निर्मित कपड़े, गुड़, नमक, तांबे, पीतल के बर्तन बाहर से लाए जाते थे। बांस की टोकरी बनाना,पत्तों की चटाई बनाना, झाड़ू बनाना यहाँ के मुख्य लघु उद्योग हैं।

**निष्कर्ष :** हाटी समुदाय की विवाह प्रणाली में हार, खीत, जाजड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बहुपति विवाह जो आज के समय में भी हाटी समुदाय की संस्कृति में प्रचलित है। बहुपति विवाह को पांडव विवाह और जोड़ीदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। हाटी समुदाय के लोग अपने आर्थिक जीवन-यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि तथा पशुपालन पर ही निर्भर है, समुदाय के लोगों द्वारा मुख्य रूप से धान, अदरक, उड़द, कुलथ, गेहूं, मक्का, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं तथा बैल, बकरी, भैंस, गाय, भेड़ आदि पशुओं को पाला जाता है। बकरी को मांस के लिए तथा भेड़ को ऊन के लिए पाला जाता है हाटी समुदाय की अपनी एक न्याय संगत व्यवस्था है, जिसमें किसी भी मसले को अन्जाम देने के लिए मुख्य पांच भाग हैं। वादी-प्रतिवादी जोड़ी या तीजू व्यवस्था, गाँव की पंचायत, दो गाँव की पंचायत, खत की पंचायत, दो खतों की पंचायत जिसके आधार पर समुदाय के लोगों की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान होते हैं।

## सन्दर्भ


1. Balokhara, J.M., 'The Wonder Land of Himachal Pradesh', G.H. Publishing House, New Delhi, 2017, pp. 593-594.
2. Kumar, S., Sharda, M., & Kumar, S., "Demand for Tribal Status in Trans - Giri Region of Sirmour dist. of Himachal Pradesh'', Journal of HIPA, Vol. VII (2), 2020, pp 11-12.
3. बक्शी, पी., 'हिमाचल गिरिपार का हाटी समुदाय', मुद्रक प्रिंटिंग हाउस, लखनऊ, 2011, पृ. 37
4. Bhardwarj A., Pathak R.K. and A.K. Sinha, 'Fair and Fastable of the Hatti Community of District Sirmaour in Anthropological Research in Social Scince and Humanities', Vol. 7 (4), Ashiai Journal, 2017, pp. 359-365
5. सान्याल, चित्रिता, 'जोड़ीदारी और द्रौपती प्रथा क्या अभी भी हाटी जीवन की जरूरत है', आदिवासी समाचार, 25 सितम्बर 2023, पृ. 7
6. Mokta, M. & Ramesh Kumar, 'The Politics of Reservation: A Case Study of Hatti Community of Sirmour District in Himachal Pradesh', Journal of Emerging Technologies and Innovation Research (JETTR), Vol- 10- Issue 3, pp 360&361
7. Kumar, R. & Rakesh Kumar, 19 November 2022, 'Hatti Tribal and Swarna Aayog Movement: Deciphering Caste Majoritarian churn in Himachal Pradesh', Mainstream Weekly, Vol- 60 No. 48
8. Sharma, D., 11 September 2022, 'Parado in Hatti Community's Demand for Tribal Status, Himachal Watcher

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी-जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# आदिवासी महिलाओं का 'स्व' संघर्ष (मावानाटे मावाराज) का ऐतिहासिक अध्ययन

## (धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

❑ डॉ.बन्सो नुरूटी

**सूचक शब्द** : संघर्ष, केन्द्रीयकृत, अर्थनीतिक, औद्योगिक गरिमा, समीकरण।

भारत का आदिवासी समुदाय अपने समूह की विशालतम विविधताओं का प्रतिनिधित्व प्राचीन काल से करता आ रहा है। आदिवासी लोगों का प्रकृति के साथ जुड़ाव हमेशा से रहा है, उन्हें प्रकृति ने अपार वन संपदा प्रदान की है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मावानाटे मावाराज (गोंड़ी भाषा में) 'हमारे गांव में हमारा राज' एक केन्द्रीयकृत राजनीतिक अर्थनीतिक व्यवस्था को एक सीधी चुनौती देते हुए सहभागी प्रजातंत्र के लिए आवाह्न है। ''हमारे गांव में हमारा राज'' की खबर धमतरी जिले के नगरों में भी फैल गई, तब यहां के निवासियों ने इस नारे को आत्मसात किया। इनका सहारा जंगल ही है, उनका मानना था, कि यहां के जंगल, जमीन में सबका अधिकार है, जंगल सरकारी, तालाब सरकारी, कुआं सरकारी कब हुआ? सरकार को हमने बनाया है। जल, जंगल, जमीन हमारा है, कलम तुम्हारा। सन् 1991 में आदिवासियों के हितेशी बस्तर जिले के तात्कालीन कलेक्टर डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा ने भारत जन आंदोलन का गठन किया। यह समाचार धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड में फैलने पर चनांगांव में 1996 में सर्वप्रथम एक आम सभा संपन्न हुई। यह स्थानीय आंदोलन भारतीय जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया।

**संसार में** कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं ने कल्याणप्रद समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। अपने देश के उच्चतम मूल्यों का संरक्षण महिलाओं ने ही किया हैं। समाज के रीति-रिवाज एवं परम्पराओं को भी अपने श्रम और ज्ञान से जीवित भी महिलाओं ने ही रखा है। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं ने देश की राजनीति में भाग लिया था एवं ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध कई बार आदिवासी महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर जमींदारों तथा अंग्रेजों के विरूद्ध डटकर उनका सामना किया यद्यपि इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज नहीं है कारण यह है कि हम उन महिलाओं का नाम राजनीति में अंकित करते आए हैं जो स्वयं उच्च वर्ग की एवं पढ़ी लिखी थीं। वास्तव में महिलाओं की राजनीतिक चेतना का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुआ उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी असंख्य समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें स्वयं ही लड़ना होगा आदिवासी महिलाएं भी अपने समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज उठाने लगीं।[1]

**ग्रामीण आदिवासी** क्षेत्रों में भी ऐसी अनेक महिलाएं थीं, जिन्होंने अपने जीविकोपार्जन एवं अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ऐसी ही स्थिति धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले गांवों में भी बनी रही इस संघर्ष में जितना योगदान आदिवासी पुरूषों का था उनसे कहीं ज्यादा महिलाओं का था।

**''हमारे गांव में हमारा राज''** का समाचार धमतरी जिले के नगरी में भी फैल गया। यहाँ के आदिवासियों का जीविका वनों पर निर्भर है। सन् 1930 में माडमसिल्ली बांध का सिंचाई के लिए निर्माण किया गया था। उसका पानी मुख्यतः भिलाई इस्पात के लिये किया जाता रहा तथा यहां की मछलियां भी सरकार द्वारा अपनी साधारण नीति के अंतर्गत नीलामी की जाती रही हैं, तत्पश्चात् उसे एक सहकारी समिति को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में सहकारी समिति का कार्य ठीक-ठाक चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद यह घाटे में चली गई, इसका प्रमुख कारण था, संगठन के सदस्यों में लालच उनकी कमजोरी तथा बिचौलियों ठेकेदारों की आपसी घुसपैठ आदि। यहां के आम लोगों को उस जलाशय की मछलियों को मारने का अधिकार भी नहीं था, यहीं से आम लोगों में असंतोष

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास अध्ययन शाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

की भावना पनपने लगी।[2]

**उनका मानना** था कि यहां के जंगल जमीन में सबका अधिकार है जंगल सरकारी, तालाब सरकारी, कुआं सरकारी, जमीन सरकारी लेकिन यह संपत्ति सरकार की कब हुई, सरकार को हमने बनाया है।[3] वास्तव में हमारे गांव में हमारा राज केन्द्रीयकृत राजनीतिक, अर्थनीतिक व्यवस्था को एक सीधी चुनौती देते हुए सहभागी प्रजातंत्र के लिए आवाहन है।[4]

**ब्रह्मदेव शर्मा** द्वारा सन् 1991 में भारत जन आंदोलन तथा किसानी प्रतिष्ठा मंच का गठन किया गया (चित्र संख्या 1) उन्होंने आदिवासियों तथा किसानों के हित के लिए उनकी समस्याओं से सम्बंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। वह 1956 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी (उस समय म.प्र.) के रूप में बस्तर जिले के कलेक्टर के पद पर रहते हुए आदिवासियों के हित के लिए उनके पक्ष में खड़ा रहने के कारण काफी प्रसिद्ध हुये। आदिवासियों एवं दलितों के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों के कारण उनके तथा सरकार के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने 1981 में नौंकरी से त्याग पत्र दिया और गरीबों, आदिवासियों तथा दलितों के हित के लिए काम करते रहे। 1986-1991 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के आयुक्त के पद पर रहे।[5]

**उनके द्वारा** चलाये जा रहे भारत जन आंदोलन की खबरें धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड में भी फैल गई ग्राम चनांगांव तथा वहां के आसपास के गांवों में भी हलचल सी पैदा हो गई। इस इलाके के एक युवा, बसंत ने भी इस इलाके में भारत जन आंदोलन का बैनर लगा दिया। अखबारों के माध्यम से ही यह खबर फैलने लगी कि नगरी में भारत जन आंदोलन ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है।[6]

**चित्र संख्या 1 आदिवासी स्वशासन कार्यशाला**

**डॉ.ब्रम्हदेव शर्मा एवं ग्राम चनांगांव के आदिवासी महिला एवं पुरूष**

**साहित्य समीक्षा**

**शर्मा, ब्रह्मदेव[7]** , इन्होंने 'भारत जन आंदोलन' पुस्तक के माध्यम से 1991 में भारत जन आंदोलन तथा किसानी प्रतिष्ठा मंच का गठन कर उन्होंने आदिवासी और किसानों के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इस पुस्तक में भारत जन आंदोलन के प्रमुख मुद्दों पर देशभर में संघर्ष के प्रारंभ को बताया गया। इससे प्रेरित होकर धमतरी जिले के ग्राम चनांगांव में भी आदिवासियों द्वारा आंदोलन किये गये। इस पुस्तक ने आमजनों में राजनैतिक जागरूकता लाने में महती भूमिका निभाई। ''मावानाटे मावाराज'' अर्थात् हमारे गांव में हमारा राज इनके कार्यक्रम का मूलमंत्र था।

**शर्मा, ब्रह्मदेव[8]** ने 'उदय गाँव गणराज्य का स्थापना महापर्व' द्वारा गांव गणराज्य की स्थापना कर, ग्रामसभा

और ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकारों से लोगों को अवगत कराया तथा गांव गणराज्य की स्थापना में शिलालेखों के महत्व को बताया है। गांव गणराज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में गाँवों में उन्होंने 'जय स्तम्भ' लगवाया। उन्हें विश्वास था कि इससे वैश्वीकरण की आंधी और साम्राज्यवादी शोषण को रोकने में सहायता मिलेगी। इन्होंने ग्रामीणों को हमारे गॉव में हमारा राज के बारे में बताया, जिससे प्रेरित होकर धमतरी जिले के ग्राम चनांगांव में होने वाले आंदोलन में मावानाटे मावाराज के अंतर्गत गांवों में शिलालेखों का निर्माण किया गया।

**सिंह, आई.एन. सिंह, ब्रजेश**[9] पर्यावरण विमर्श पुस्तक में मनुष्य तथा प्रकृति के संबंध को बताया है, प्रकृति का महत्व हमारे जीवन में सौंदर्य की दृष्टि से ही नही वरन् हमारे प्राणों के लिए आवश्यक है। पवित्र नदियों, वृक्षों, प्रकृति के अनमोल धरोहर के बारे में इस ग्रंथ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

**वैष्णव, टी.के.**[10] की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ' 7 अध्यायों में विभाजित है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजातियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनकी जीवन संस्कृति तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख 42 जनजातियों की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र का वर्णन किया गया है।

**बाला, किरण**[11] ने अपनी पुस्तक 'पर्यावरण एवं महिलाएं' में पर्यावरण एवं महिलाओं के संबंध को बताया गया है। पर्यावरण तथा महिलाओं के सम्बंध को ऐतिहासिक रूप से भी लेखिका ने बताया है, महिलाएं प्रकृति के साथ आर्थिक रूप से किस प्रकार संघर्ष करती हैं तथा पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका वर्णन किया गया है।

**उद्देश्य :** प्रस्तुत शोध आलेख के चयन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा कई कानून बनाये गये, इसके बाद भी ग्रामीण जनता को लाभ नहीं मिल रहा था । उन्हें जल, जंगल, जमीन का लाभ नहीं मिल रहा था। आदिवासियों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किये थे, उन्हें प्रकाश में लाना है।

**अध्ययन पद्धति :** प्रस्तुत आलेख में सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण ऐतिहासिक रिकार्ड के साथ सचित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। शोध आलेख से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए सहभागी अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तकों, केस डायरी एवं जर्नल्स, साहित्य आदि का प्रयोग किया गया है।

**''हमारे गांव में हमारा राज'' के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ हैं**

**1996, में** चनांगांव में एक आम सभा हुई, तब यहां का स्थानीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इस का आंदोलन मुख्य कारण - माडमसिल्ली बांध की समस्या, तालाब की समस्या, तेंदूपत्ता के बोनस की समस्या, गोठान की समस्या एवं वनों के प्रबंधन की समस्या थी।[12]

**इसी तारतम्य** में पहली ऐतिहासिक घटना यह है कि नगरी सिहावा पंचायत ने सरकारी नियम के अनुसार डोंगरीपारा गांव का तालाब नीलाम कर दिया, जिसका डोंगरीपारा वालों ने भी विरोध किया लेकिन सिहावा पंचायत तथा सिहावा ग्रामसभा ने उनकी कोई बात नही सुनी। सिहावा पंचायत ने उसके कार्यक्षेत्र में स्थित छोटे गांवों के लोगों की भावनाओं को अनदेखा कर दिया तथा उनका जलाशय नीलाम कर दिया इसी प्रकार की स्थिति गौण खनिज तथा वनोपज जैसे कुछ संसाधनों में भी थी। डोंगरीपारा गांव के महिला एवं पुरूषों ने गांव के तालाब की नीलामी हो जाने के उपरांत भी उस पर ठेकेदार का कब्जा नहीं होने दिया। जिसे देखते हुए पंचायत ने गांव वालों में फूट डालने के लिए गांव में बसने वाले मछुआ परिवारों में से एक के नाम पर ठेका दिया, फिर भी डोंगरीपारा के शेष लोग अपनी बातों पर अडिग थे उनका यही कहना था कि तालाब तो उनकी सामुदायिक संपदा के अन्तर्गत आता है, उस पर वे लोग पंचायत या किसी ठेकेदार या बिचौलियों का कब्जा नहीं होने देंगे।

**इसी कड़ी** में द्वितीय घटना यह है कि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 भी 24 दिसंबर 1996 से प्रभावशील हो गया, इस अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार यह लोग परंपरा से जिस गांव या बस्तियों को अपना मानते हैं, उस गांव को सरकारी रूप से भी ''ग्राम'' होने की संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई उसकी धारा 4 (ग) के अनुसार उस ग्राम की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रायः सभी लोगों के समूह को ''ग्राम सभा'' का दर्जा मिल गया। डोंगरीपारा गांव के लोगों ने भी इस नए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार

डोंगरीपारा के ग्राम होने का संकल्प ले लिया इसके साथ ही अपना संकल्प राज्यपाल महोदय को डोंगरीपारा ग्राम एवं उसकी ग्राम सभा को एक नये कानून के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिये।[13]

**तृतीय घटना** संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कामकाज को अपनी परंपराओं के अनुसार चलाने के लिए लिया गया संकल्प स्वाभाविक था, लेकिन ग्राम पंचायत तथा अन्य अधिकारियों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया साथ ही डोंगरीपारा के कुछ लोगों के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। ठेकेदारों के द्वारा ग्राम पंचायत के तालाब में जाल डाले जाने लगे जिस पर यहां के लोगों ने पहले उन्हें समझाया लेकिन जब वे नहीं माने तो आम सहमति के आधार पर उनका जाल जब्त कर लिया गया। गांव में पुलिस आने आयी तो उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों से कहा कि यदि इस संवैधानिक व्यवस्था के अलावा कोई प्रावधान या कानून है तो वे उन्हें बताएं वे उस पर अवश्य विचार करने के लिए तैयार हैं, पुलिस के पास कोई उत्तर नहीं था। वास्तव में यह सभी जानते हैं कि सरकारी विभाग मिट्टी रेत आदि निकालने के लिए लोगों से कभी पूछते नहीं थे, यदि पंचायत से पूछते थे तो सरपंच के द्वारा लिखवा लिया जाता था या फिर पंचायत से प्रस्ताव पारित करवा लेते थे।

**डोंगरीपारा के** लोगों ने विचार किया कि यदि डोंगरीपारा से इसी प्रकार मिट्टी निकालते रहेगी तो गांव के तालाब तथा कुएं सूख जाएगे तथा जानवरों के लिए चारागाह भी नहीं बचेगा। ग्राम सभा ने पी.डब्लू.डी. को मिट्टी खोदने के लिए मना कर दिया। सरकार की ओर से इसी बीच गांव में एक सड़क का निर्माण किया जाना भी स्वीकृत किया गया था पंचायत ने डोंगरीपारा के लोगों से पूछे बिना ही उसे बनवाना शुरू कर दिया। अतः लोगों ने आपत्ति जताई एवं दूसरी जगह बनवाने के लिये कहा परन्तु पंचायत अपने फैसले पर अडिग रही फिर भी डोंगरीपारा के लोगों ने हार नही मानी, उन्होंने न ही मिट्टी खोदने दी और न ही सड़क बनने दी उनका सीधा यह कहना था, कि डोंगरीपारा की अपनी ग्राम सभा की सलाह या अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं होगा।

**छत्तीसगढ़** राज्य के गठन से पूर्व मध्यप्रदेश में नया पंचायत कानून सन् 1993 में बना था 1994 के प्रारंभ में चुनाव हुए पंचायत गठित हुई। 73 वें संशोधन में ग्राम सभा को अधिकार दिये जाने की बात तो आ गई मगर उसके बाद पहले दौर में जो पंचायत राज अधिनियम राज्यों में बनाये गये उसमें पूरे देश में किसी भी राज्य में ग्राम सभा को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन जब मध्यप्रदेश में नया कानून बनाते समय भारत जन आंदोलन ने इस बात को उठाया था तब भारत जन आंदोलन के दबाव के कारण ही राज्य सरकार को ग्राम सभा की भूमिका पर पुनः विचार करना पड़ा।[14]

**इस क्षेत्र** में धीरे-धीरे लोग जागरूक होने लगे थे। जनचेतना का विकास होने लगा आदिवासी महिलाएं तथा पुरूषों में काफी उत्साह देखने को मिलता था। यद्यपि अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चनांगांव ग्राम पंचायत के द्वारा आम जनमानस से ऊंचे दरों पर टैक्स लिया जाने लगा था। प्रायः यह देखा जाता है कि जंगल में गांव के जानवर चरने के लिए एक जगह पर जाते हैं, जिसे गोठान कहा जाता है, यहीं पर वे एकत्रित होते हैं तथा यहां गायों के द्वारा दिए गोबर को एकत्रित करने का अधिकार गाय चरवाहा को होता है, इसके बदले में गांव वाले उन्हें फसल आने पर अनाज देते है। लेकिन चनांगांव के पंचायत ने इस बनाई हुई परंपरा को नहीं निभाया और गोठान की नीलामी करने लगे। अतः चनांगांव के लोगों ने भी ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि यह टैक्स किस रूप में खर्च किया जाता है, हम पर टैक्स लगाने से अच्छा है कि जो फिजूल खर्च किया जाता है, उसे खत्म किया जाये। पंचायत ने सवालों का उचित उत्तर नहीं दिया इसलिए लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। जब तक पंचायत टैक्स का सही रूप में खर्च का ब्यौरा नहीं बताएगी, तब तक वे टैक्स नहीं देगें। तत्पश्चात् ग्राम सभा ने भी गोठान की नीलामी पर आपत्ति लगाई। चनांगांव के लोग अपनी बातों में अडिग रहे अंततः ग्राम पंचायत को गोठान की नीलामी खत्म करनी पड़ी। चनागांव के लोग टैक्स नहीं दे रहे थे इसलिए पंचायत ने उन्हें राशन कार्ड नहीं देने का निर्णय किया जिसके कारण विवाद बढ़ता गया पर ए.डी.ओ. साहब ने भी यह कहा कि राशनकार्ड को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता हैं। लेकिन फिर भी यहां का सरपंच अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों पर

अड़िग रहा।[15]

**प्रकृति में** वनों का विशेष रूप से महत्व है, वन से ही हमारा जीवन है, ब्रिटिशकाल में कई वनों को संरक्षित किया गया था जैसे जंगलों में लकड़ी काटना, घास काटना प्रतिबंधित किया गया था। ये वन संरक्षित अथवा रक्षित वन कहलाते थे यद्यपि अंग्रेजों ने वनोपज पर आधारित कोई भी व्यवस्थित उद्योग की स्थापना नहीं की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वनोपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना की और इस दिशा में कार्य किया तथा वन संरक्षण की नीति अपनाकर वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।[16]

**दूसरे आदिवासी** इलाकों की तरह नगरी में वनों के प्रबन्धन को लेकर काफी समय तक संघर्ष चलता रहा। बढ़ती हुई आबादी में आदिवासियों के समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि जंगल की सफाई कर खेती बनाओ गांव गणराज्य की नई व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ जाता है, मुख्य रूप से गांव गणराज्य में तो जल, जंगल, जमीन हमारा है। अतः आदिवासियों को वहीं वन संपदा अपनी नजर आने लगती है क्योंकि उसकी उपज से ही तो उनके बच्चों का गुजारा चलेगा। आदिवासी एवं वनों के बीच संबंध तथा जुड़ाव धीरेधीरे बलवती होते आ रही है, नये कानून में उसकी अपनी परंपरा केन्द्रीय हो जाने से उसका हौसला बढ़ा है, गांव की सीमाओं के बारे में सरकारी अधिकारियों को संदेह हो सकता है। लेकिन आदिवासी समाज की अपनी परंपरा में गांव की सीमा गांव में हमेशा से सभी को पता रहता है, इसके अतिरिक्त गांव के देवी-देवताओं का प्रभाव क्षेत्र उनकी सामाजिक रीतिरिवाज उस समय की गवाह होती है।

**बगरूमनाला** के आदिवासी लोगों ने अपने गांव के जंगल की व्यवस्था अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने गांव की सीमाओं के बारे में वहां रेंजर तथा बीट गार्ड को सूचना दे दी कि आगे से अपने गांव के अंदर के जंगल की रखवाली वे लोग खुद ही करेंगे, उसकी सीमाओं के अंदर के जंगल भी उनके है। कोई भी अधिकारी वहां के लोगों से पूछकर ही प्रवेश करेंगे। यहां के लोगों ने अपनी टोलियां बना लीं, इनका प्रमुख कार्य जंगल में पड़ी हुई लकड़ियों को अपने गांव गणराज्य चौक में लाकर रखना था। बीजापुर तथा जामनाला गांवों में भी इसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। गांव गणराज्य की इस व्यवस्था के बारे में वन विभाग को सूचना तो मिल गयी थी लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया तथा वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से पूछे बिना ही जंगल की कटाई करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना गांव के मुखिया को मिलने पर 4 नवंबर, 1998 को गांव गणराज्य चौंक पर एक बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि यहां के लोग जंगलों को इस प्रकार से कटने नहीं दे सकते। अतः बगरूमनाला सहित आसपास के गांवों के 500 लोग जिसमें आदिवासी महिला एवं पुरूष सम्मिलित थे, इस जनसमूह ने जंगल में चल रही वनों की कटाई बंद करवा दी।[17]

**जनसमूह** ने वन अधिकारियों को यह सूचना दी कि, वे चाहे तो दूसरे दिन लोगों से बात करने के लिए आ सकते हैं। दूसरे दिन अधिक संख्या में लोग आये थे, इसमें आदिवासी की संख्या काफी अधिक थी। विभाग की ओर से रेंजर साहब थे, दोनों ओर से बातचीत प्रारंभ हुई कि, जंगल का स्वामित्व किसका है? इस पर किसी प्रकार का संतोषपरक जवाब नहीं मिला। गांव की आदिवासी लड़कियां एवं महिलाओं ने अपने आंचल में पेड़ पौधों के पत्तियों को निकालकर रेंजर साहब को दिखाते हुए उनसे पूछने लगी कि ''अगर जंगल तुम्हारा है तो इन पत्तियों को पहचानों।'' यह तो जानते तक नहीं, अगर पत्तियों को भी नहीं पहचानते तो यह जंगल कैसे हुआ तुम्हारा? कम से कम इस जंगल में कटाई करने से पहले हमसे पूछ लेते कि इनमें कौनसा पेड़ हमारे काम नहीं आता तो इनको आप कटवा लेते तथा इनमें कौनसी चीजें है, जिन्हें बचाना आवश्यक है। इसके साथसाथ अब लघु वनोपज पर मालिक भी तो गांव सभा हो गई है, इसलिये यदि जंगल पर मालिकी नहीं हो तो भी उसका रखरखाव सही होना चाहिए इसका अधिकार वास्तव में ग्राम सभा का है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात् जिस प्रकार एक कहावत है कि अगर अंडा मेरा तो मुर्गी किसकी? महिलाओं की इन बातों को सुनकर रेंजर को अपनी गलती माननी पड़ी उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से यहां लोगों की सलाह करके ही जंगल में कोई काम किया जायेगा। लेकिन जो लकड़ी कट गई है उसका क्या किया जाय? अतः लोगों ने उनसे कहा कि कौनकौन सी लकड़ी कितनी कटी है, इनका पूरा हिसाब ग्राम सभा को पेश कर दे, जिस पर ग्राम सभा ही विचार करेगी।[18]

**रोजगार आश्वासन** योजना के अंतर्गत् परिवार में दो लोगों को सौ दिन का काम का अधिकार माना गया है, पहले यहां लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं थी। उन्हें लगता था कि अन्य योजनाओं कि तरह यह भी एक योजना है, जैसे कुंआ, बिजली तथा इंदिरा आवास के लिए होता है। लेकिन दिल्ली से अधिकार के रूप में चलने वाली यह योजना प्रायः गांव तक पहुंचते हुए सरकारी अधिकारियों का अनुग्रह का रूप ले लेती है।

**चनांगांव** के आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने बताया कि, इस योजना के अंतर्गत कार्य करने पर परिवार के दो लोगों को सरकार वर्ष में सौ दिन का काम देगी। इस प्रकार यदि लोगों को सौ दिन का काम मिल जाता है , फिर उन्हें अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता ही नही पड़ेगी। पहले आम लोगों को रोजगार आश्वासन योजना के आधीन बी.डी.ओ. आफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे और यदि उन्हें काम मिल भी जाता था तो यह निश्चित नहीं रहता था, कि कितने लोगों द्वारा कितने गांव में कार्य करना है, इसलिए चनांगांव आदिवासी महिला एवं पुरूषों में आंदोलन करने का निर्णय लिया।

**काम के अधिकार** के लिए तो सर्वप्रथम परिवार कार्ड का होना आवश्यक है। अतः लोगों ने एक आवेदन अपने सरपंच को दिया लेकिन सरपंच को इससे कोई मतलब ही नहीं था। महीनों बीत गया पर लोगों का परिवार कार्ड नहीं बन पाया। अतः यहां लोगों ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया काम के अधिकार की बात धीरेधीरे फैलने लगी। वास्तव में यहां निवासरत लोगों को एक आशा थी कि उन्हें ''काम का अधिकार'' का लाभ अवश्य मिलेगा ।

**जनवरी 1997** में एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई, जिसमें 40 कि.मी. पैदल चलते हुए 1200 महिलाएं एवं पुरूष धमतरी पहुंचे एवं एस.डी.ओ. कार्यालय के खुले प्रागंण में बैठ गए, तब जाकर एस.डी.ओ. से कार्ड बनाने का उन्हें आश्वासन दिया गया।[19]

**मुख्य रूप से** यहां के लोगों की पहली लड़ाई तो गांव के सरपंच के साथ ही थी क्योंकि उन्हें कार्ड बने या नहीं बने इनसे उन्हें कोई मतलब नही था। लेकिन 5 वीं अनुसूची 1996 की पंचायत अधिनियम कानून के प्रति, क्षेत्र के लोग बहुत सक्रिय हो गए थे, वे कुछ समय में ही संगठित हो जाते थे। गांव के बाहर एक सूचना भी चस्पा करवा दी गयी थी कि कोई भी शासकीय कर्मचारी ग्राम प्रमुख के आदेश के बिना यहां प्रवेश नहीं कर सकता। इससे लोगों में एक प्रकार से जोश का संचार हुआ। अपने अधिकारों एवं कार्यों के प्रति वे सतर्क हुए। उस समय का माहौल भी काफी प्रभावशाली था, अधिकारियों की चाल काम नहीं आई तथा आखिरकार सालभर के बाद कुछ गांवों में जैस नगरी, बीजापुर, जामनाला, मगयननाला, छुटकेल, सियारीनाला आदि गांवों में कार्ड बनने लगे। कार्ड तो बन गया लेकिन काम लोगों को उपलब्ध नहीं किये गये थे । काम नहीं मिला, लोगों की समस्या का हल नही हो पा रही थी ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि प्रत्येक गांव अपनीअपनी ओर से काम बताएगा। गांव के लोगों द्वारा यह निश्चय किया गया कि हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में सुधार हो तथा उत्पादन बढ़े सरकारी कामों की आवश्यकता ही न पड़े। प्रत्येक गांव के कामों की एक सूची दे दी गई लेकिन इसके पश्चात् भी इनके कामों को स्वीकृति नही मिल सकी।

**इसलिए एक** निर्णय लिया गया जिसमें झण्डा हाजिरी तय किया जाना था, इसके अंतर्गत नगरी में बी.डी.ओ. साहब के दफ्तर के पास में भारत जन आंदोलन का झंडा गाड़ दिया गया। साइकिल से गांव के लोग प्रतिदिन अपना झण्डा हाजिरी देने वन विभाग के कार्यालय में आयेंगे। यहां लगभग 25 गांव के लोग जिनका कार्ड बन चुका था प्रतिदिन साइकिल से आने लगे प्रायः झंडे के पास एकत्रित होते थे एवं एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके अपना हाजिरी भरते थे लेकिन इसका भी कोई असर नही हुआ। तत्पश्चात् वे अपनेअपने गांव में जिस स्थान पर लोगों ने गांव गणराज्य के शिलालेख का निर्माण किया था, वही स्थान पर भारत जन आंदोलन का झंडा लगा दिया गया तथा हाजिरी देना प्रारंभ कर दिया सभी गांवों से हाजिरी एकत्रित करके उसकी प्रतिलिपि सी.ओ. एवं एस.डी.ओ. कार्यालय में पहुंचा दी जाती।[20]

**इसके पश्चात्** भी इनके कामों को स्वीकृति नही मिली 3 जून 1998 को नगरी में एक रैली एस.डी.ओ. साहब के कार्यालय में पहुची। यहां एस.डी.ओ. के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्तालाप हुई, जिसमें सर्वप्रथम चार पंचायतों में रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत काम को स्वीकृति मिली धीरेधीरे अन्य दूसरे पंचायतों में काम को शुरू करने को स्वीकृति मिली। चनांगांव, जामनाला,

डोंगरीपारा आदि में तालाबों का काम ही लिया गया यद्यपि काम सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, किन्तु उनका निरीक्षण ग्राम सभा ही कर रही है।

**इस तरह इस** क्षेत्र में संभवतः पूरे राज्य में रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत लोगों के आंदोलन के कारण कार्य स्वीकृत हो सका। विकासखण्ड के सी.ओ. ने भी बताया गया कि कलेक्टर की बैठक में उसने अपने विकासखण्ड में किस तरह रोजगार आश्वासन के कामों को बड़े ही सम्मान के साथ उल्लेख किया था तथा लोगों के कहने पर ही काम शुरू किया गया। इस क्षेत्र में लोगों के द्वारा आंदोलन करने से काम का शुरू होना एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। यह लगभग दो सालों का संघर्ष था। 26 अक्टूबर, 1998 में धमतरी में काम का अधिकार की रैली निकाली गई, जिसमें दो हजार से अधिक आदिवासी महिला एवं पुरूष सम्मिलित थे, इस दौरान आंदोलनकारी अपने हाथों में कुदाली तथा फावड़ा लिये होते थे, इनका एक ही नारा था – ''दो हाथों को काम दो वर्ना कुर्सी छोड़ दो।''[21]

**इस आंदोलन** में सर्वाधिक भूमिका महिलाओं की थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता यहां आदिवासी युवतियों की संख्या अधिक थी, इस समय ऐसी जंग छिड़ गयी थी कि, इस गांव में कोई कर्मचारी भी नही आते थे। महिलाएं ही रैली में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर चक्का जाम करती थीं बिना सूचना के ही महिलाएं थाने में घेराव करती थीं पूर्ण रूप से आंदोलन में महिलाओं की ही शक्ति थी, इस आंदोलन के चलते उन्होंने न होली, न दीपावली त्यौहार मनाया। अपने पेट की रोटी के लिए ही उन्होंने लड़ाईयों की और बहुत कमजोर भी हो गये थे के अपने घर से दाल और चांवल खाद्य सामग्री लेकर ही निकलते थे ताकि आंदोलन के दौरान अन्य क्षेत्र में होने पर उन्हें परेशानियां न हो यहां आंदोलन में जितनी महिलाएं जुड़ी थीं, विशेषकर चनांगांव में इनकी केवल यही धारणा थी कि जियेंगे तो एक साथ और मरेंगे भी तो एक साथ। इनकी संगठन शक्ति काफी प्रभावशाली थी, कई प्रकार की यातनाएं भी सहीं, कई बार पैदल यात्रा में उन्हें जंगलों में रात्रि गुजरनी पड़ती थी लेकिन फिर भी वे निडर थीं अपने अधिकार एवं हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई। कई बार तो चक्का जाम करते हुए वे सड़कों पर भी लेट जाती थीं, इनमें एक महिला थी जिसे पंखा डोकरी कहा जाता था, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उनमें काफी साहस था। आंदोलन के समय इन लोगों ने दिल्ली, भोपाल में भी धरने दिए थे, ट्रेन की यात्रा करके जाते थे अधिकांशतः आंदोलनकारी महिलाएं रायपुर जेल में बंद थी अपनी भूख, प्यास तथा बच्चों को छोड़कर वे आंदोलन में सम्मिलित होने जाती थी, महिलाएं पुलिस प्रशासन से भी कई बार जुट जाती थीं, अपनी मांगों को लेकर कई दिन जेल में रहते हुए उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा डॉ. शर्मा ने उन्हें जेल से मुक्त कराया था, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम हुआ कि 100 दिन का काम की शुरूआत हो सकी।[22]

**चित्र संख्या 2**
**जन आन्दोलन में गिरफ्तार हुई महिलाएं**

सुखबती नेताम, देवसिर मंडावी एवं प्रेमबाई नेताम

**शिलालेख का निर्माण :** नगरी विकासखण्ड के ग्यारह गांवों में शिलालेख बन चुके हैं, इनमें चनांगांव, छिन्दभर्री, बीजापुर, जामनाला, झिपाटोला, मालगांव, बगरूमनाला, गुडरापारा, उरैया है, इन शिलालेखों में संविधान के आधीन ग्राम सभा के अधिकार को मान्य किया गया है, उन्हे उकेरा गया है। मुख्य रूप से लोगों ने अब सरकारी योजनाओं को देखना तथा परखना शुरू कर दिया है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद यदि हम आदिवासी महिलाओं की राजनैतिक स्थिति को देखें तो आज भी इन आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं में अपने हक व अधिकारों को लेकर जोश व जुनून विद्यमान है।[23]

शिलालेख

**निष्कर्ष :** इस आंदोलन के परिणाम को देखें तो नगरी विकासखण्ड के लगभग सभी गांवों में गांव गणराज्य की कहानी को अपनी लोकगाथाओं में यह संजोया गया है। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप-छिन्दभर्री, चनांगांव, जामनाला, झीपाटोला इन चार गांवों में ग्राम पंचायतों द्वारा गोठान की नीलामी प्रथा बंद की दी गई अब पहले की तरह व्यवस्था विद्यमान हो गई तथा जानवरों के लिए चारागाह मिल गई है। चनांगांव, छिन्दभर्री, बीजापुर, जामनाला लगभग नौ गांवों में लगान देना टैक्स पटाना बंद कर दिया गया जब तक हिसाब नहीं या अनुमोदन नही तब तक टैक्स भी नहीं भरना पड़ा। तालाब पर गांव समाज के अधिकार की पुर्नस्थापना तथा तालाब की देखरेख के लिए महिला मंडली बनाई गई है।

## सन्दर्भ

1. सिंह, वी.एन. एवं जनमेजय सिंह, 'नारीवाद', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2018, पृ. 401।
2. शर्मा, ब्रह्मदेव, संघर्ष गांव गणराज्यों के, गांव गणराज्य विशेषांक, सहयोग पुस्तक कुटीर (इस्ट) नई दिल्ली, 1997, पृ.1।
3. साक्षात्कार,नेताम, नारायण, आयु 70 वर्ष, कृषक, ग्राम छिंदभर्री, 6.02.2022।
4. वही
5. Navbharattimes.Indiantimes.com, Updated-8 dec.2015.
6. शर्मा, ब्रह्मदेव, पूर्वोक्त, पृ. 4।
7. शर्मा, ब्रह्मदेव, 'भारत जन आंदोलन', सहयोग पुस्तक कुटीर, नई दिल्ली, 1996।
8. शर्मा, ब्रह्मदेव, 'उदय गांव गणराज्य का स्थापना महापर्व', जनवरी 26, अक्टूबर 2, प्रकाशक सहयोग पुस्तक कुटीर, पूर्वी निजामुद्दीन, नई दिल्ली, 1997।
9. सिंह, आई.एन. सिंह, ब्रजेश, 'पर्यावरण विमर्श', भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2012 ।
10. वैष्णव, टी.के., 'छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ', छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.), 2018।
11. बाला, किरण, 'पर्यावरण एवं महिलाएं' प्रेसिफिक बुक्स, इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 2019।
12. शर्मा, ब्रह्मदेव, 1996, पूर्वोक्त, 4।
13. वही, पृ. 5।
14. वही, पृ. 6।
15. साक्षात्कार, नेताम, नारायण, पूर्वोक्त, 18.11.2022.।
16. शुक्ला, सुरेशचन्द्र, अर्चना शुक्ला 'छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास', मातुश्री पब्लिकेशन, 2018, पृ.311।
17. शर्मा, ब्रह्मदेव, पूर्वोक्त, पृ. 9।
18. वही, पृ. 10।
19. साक्षात्कार, नेताम, नारायण, पूर्वोक्त, 18.11.2021।
20. वही, 18.11.2021 ।
21. शर्मा, ब्रह्मदेव, पूर्वोक्त, पृ. 17।
22. साक्षात्कार, नेताम, नारायण, पूर्वोक्त, 18.11.2021।
23. वही, 18.11.2021।

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव

❑ दुर्गा प्रसाद
❖ डॉ. प्रियंका सिंह

मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रभावित है। आज विज्ञान के बिना हम मानव समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में विज्ञान पूरी तरह घुल-मिल गया है। मानव जीवन के खान-पान, क्रिया-कलाप, रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ-साथ सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रभावित हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से हम पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव को जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता आती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे ग्रामीण जीवन पर पड़ेगा और हमारे समक्ष एक समृद्ध भारत की तस्वीर उभरकर आएगी, क्योंकि आज भी भारत की लगभग 68 फीसदी आबादी गाँवों में निवास करती है। विज्ञान एवं तकनीकी को अपनाकर पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण भारत के सामाजिक स्तर को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकती हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थानों को विज्ञान और तकनीकी से सुसज्जित कर जनहितकारी और पारदर्शी बनाया जाए।

**सूचक शब्द :** ग्रामीण विकास, पंचायती राज, प्रौद्योगिकी, ई-पंचायत, विज्ञान एवं तकनीकी।

**सूचना एवं** संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास की गति भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी रही है, लेकिन अब ये ग्रामीण परिवेश में प्रवेश कर चुकी है। पंचायती राज संस्थाओं ने जब से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अपनाया, तब से उनकी कार्य प्रणाली में बदलाव एवं पारदर्शिता आई है। वर्तमान परिवेश में ग्रामीण स्तर का आर्थिक और सामाजिक विकास बिना सूचना प्रौद्योगिकी के संभव नहीं है। इसके लिए ई-पंचायत की शुरुआत की गई। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद देश की कुल आबादी का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गाँवों में निवास करता है। यही ग्रामीण आबादी ग्राम पंचायतों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण के मामले में महत्वपूर्ण बनाती है। पंचायती राज संस्थाओं ने तकनीकी प्रगति को अपनाने में एक लंबी यात्रा तय की है, जिससे अधिक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही आई है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार ने तीसरे स्तर अर्थात् पंचायतों में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को साकार किया है।

**जिस राज्य में** ग्राम पंचायत ई-पंचायत के तौर-तरीकों को पूरी तरह से अपनाने में सक्षम हो गई है, वहाँ ग्राम पंचायतों के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश, गोवा और उत्तराखण्ड सहित देश के कई राज्यों में ई-पंचायत कार्यक्रम लागू किया गया है, जिससे नागरिक कुछ सुविधाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, सम्पत्ति कर, पेंशन लाभ, सब्सिडी लाभ, ई-स्वास्थ्य देखभाल, ई-लर्निंग और ई-कृषि विस्तार सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत में ग्राम पंचायतों के कामकाज में दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी शुरू करने की योजना बनाई। वर्ष 2018 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत मिशन शुरू किया गया था। इस परियोजना में ग्राम पंचायतों के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)
❖ सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

जिसमें योजना, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने की सिविल सेवा वितरण आदि सम्मिलित है। ई-पंचायत मिशन का उद्देश्य पंचायतों को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना है। अविनाश चन्द्र शर्मा[1] अपने शोध-पत्र में बताते हैं कि सभी सरकारी सेवाओं की पहुँच स्थानीय स्तर पर जन साधारण तक सुनिश्चित हो तथा पारदर्शिता, सेवाओं की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के साथ आमजन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, यही ई-शासन योजना का मूल मंतव्य है।

**गुजरात,** पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और उत्तराखण्ड आदि राज्यों ने पंचायत स्तर पर ई-पहल की है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई-शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने उपयोगकर्ता की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई-ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाने का है।

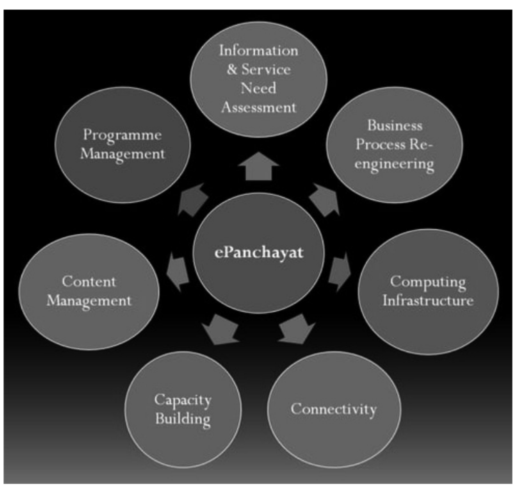


**शोध के उद्देश्य**

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को वर्णित करना।
2. उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रयासों को प्रकाश में लाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटलीकरण होने से आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को उजागर करना।

**शोध प्रविधि :** प्रस्तुत शोध-पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन पर आधारित है। इस शोध-पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेष्णात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। इसके लिए आंकड़ों का संग्रह द्वितीयक श्रेणी के स्रोतों से किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, शोध-पत्र, समाचार पत्र, ऑनलाइन सामग्री एवं केंद्र अथवा राज्य सरकारों की पंचायती राज से संबंधित विभिन्न वेबसाइट आदि सम्मिलित हैं।

**साहित्य समीक्षा**

**सविता कुमारी**[2] ने अपने शोध आलेख 'ई-पंचायतों से सशक्त होती पंचायतें' में बताया है कि ई-पंचायतें ही आगामी भविष्य में गाँव और ग्रामीणों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनका कहना है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत में डिजिटल प्रणाली का प्रारंभ हो चुका है। इसलिए पंचायती राज प्रणाली को भी डिजिटल प्रणाली द्वारा ही सशक्त किया जाए। इसके लिए ई-पंचायत के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है।

**सुनीता रानी** एवं **प्रदीप**[3] ने अपने शोध-पत्र 'ग्रामीण विकास में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका' में रेखांकित किया है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाँवों को शहरों जैसा उन्नत व विकसित करना है तो हमें सूचना तकनीकी के उपयोग में लगातार वृद्धि करनी होगी। अपने शोध-पत्र में लेखक बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आईसीटी तकनीक, ई-खेती, पूसा कृषि मोबाइल एप, ई-नैम पोर्टल, वाई-फाई चौपाल एवं एम. किसान पोर्टल आदि में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है।

**हरिणी बाला सुब्रामनियम**[4] ने अपने शोध आलेख 'ई-ग्राम स्वराज पोर्टल : वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है' में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। ये बताते हैं कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल है, जो पंचायती राज संस्थानों के लिए विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित

करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल विकास परियोजनाओं की विकेंद्रीकृत योजनाओं की सुविधा प्रदान करेगा और साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नियमित अपडेट भी प्रदान करेगा।

**नेशनल इंस्टिट्यूट** ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज[5] द्वारा प्रकाशित ई-बुक 'पंचायत एंटरप्राइज सूट' में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के उद्देश्य एवं ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी 11 एप्लिकेशनों के बारे में बताया गया है।

**ई-पंचायत की पृष्ठभूमि**

विश्व बैंक के अनुसार - ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे - विस्तृत नेटवर्क क्षेत्र, इंटरनेट और मोबाइल कम्प्यूटिंग) का प्रयोग करना है, जिससे नागरिकों और सरकार के सभी विभागों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पंचायतों के कामकाज एवं दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) लागू की, जिससे आम नागरिकों को सूचना प्राप्त होने में सुगमता हो और उनको नीति निर्धारण में सहभागी बनाया जा सके। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत परियोजना के सफल प्रतिपादन हेतु बी के गैरोला, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार की अध्यक्षता में जून 2007 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति को सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने एवं इसके सफल संचालन हेतु आगामी भविष्य में आने वाली समस्याओं की पहचान कर अपनी सिफारिश देने का दायित्व सौंपा गया। समिति ने ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटरीकरण की विद्यमान स्थिति के मूल्यांकन हेतु राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों से बातचीत की। समिति ने बुनियादी वास्तविकता के बोध के लिए चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी की पहल की गई थी। समिति के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से भी इनपुट प्राप्त किए गए। समिति ने पाया कि आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल जैसे राज्यों ने पंचायत स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के प्रयास किए तो थे, किन्तु ये प्रयास सीमित थे, क्योंकि ये लघु अवधि लक्ष्यों के लिए बनाए गए थे और पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य की कमी के कारण पंचायतों को पूर्ण रूप से रूपांतरित करने में असमर्थ थे। अतः समिति ने यह अनुभव किया कि नागरिकों के कल्याण हेतु पंचायतों के कार्यों पर दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव डालने वाले विस्तृत दृष्टिकोण आवश्यक हैं। इन सिफारिशों से ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना की संकल्पना का आधार तैयार हुआ।

**ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (ई-पंचायत एमएमपी)**

भारत के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस शुरू करने, पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को और अधिक पारदर्शी, दायित्वपूर्ण और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की थी। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए आशा की एक नई किरण है, क्योंकि इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थानों की न सिर्फ कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा बल्कि उनमें पारदर्शिता भी आएगी। ई-पंचयात एमएमपी का उद्देश्य भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 2.55 लाख पंचायतों की मॉनिटरिंग, बजटिंग और लेखांकन के साथ-साथ लाइसेंस भी जारी करना है। देश के लगभग 12 लाख से ऊपर निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे।[6]

**ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के उद्देश्य**

1. पंचायती राज संस्थानों की पारदर्शिता एवं उनकी दायित्व तय करना।
2. पंचायतों से संबंधित समस्त आंकड़े ऑनलाइन माध्यम से सुगमता पूर्वक आम नागरिकों तक पहुँचाना।
3. आम नागरिकों के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे - जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, पेंशन लाभ, आय प्रमाण पत्र, सब्सिडी लाभ, ई-स्वास्थ्य देखभाल, ई-लर्निंग और ई-कृषि विस्तार सेवाएं आदि ऑनलाइन जारी करना।
4. पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करना।
5. पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्य कुशलता का आंकलन करना।
6. ग्राम सभा के एपीएल अथवा बीपीएल परिवारों के आंकड़ों का प्रसार करना।
7. ग्राम सभा की कार्यवाही और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की प्रति का प्रसार करना।

**ई-पंचायत मिशन मोड** परियोजना में 11 मुख्य सामान्य एप्लिकेशनों का एक समूह है, जो पंचायतों की लगभग सम्पूर्ण कार्यपद्धति को परिभाषित करता है, जिसमें योजना, बजट, कार्यान्वयन, निगरानी, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण एवं संचालन, जैसे - प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस जारी करने आदि के मसले सम्मिलित हैं। ये सभी 11 एप्लिकेशन एक साथ मिलकर पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) का गठन करते हैं। ये सभी 11 पीईएस एप्लिकेशन निम्नलिखित हैं -

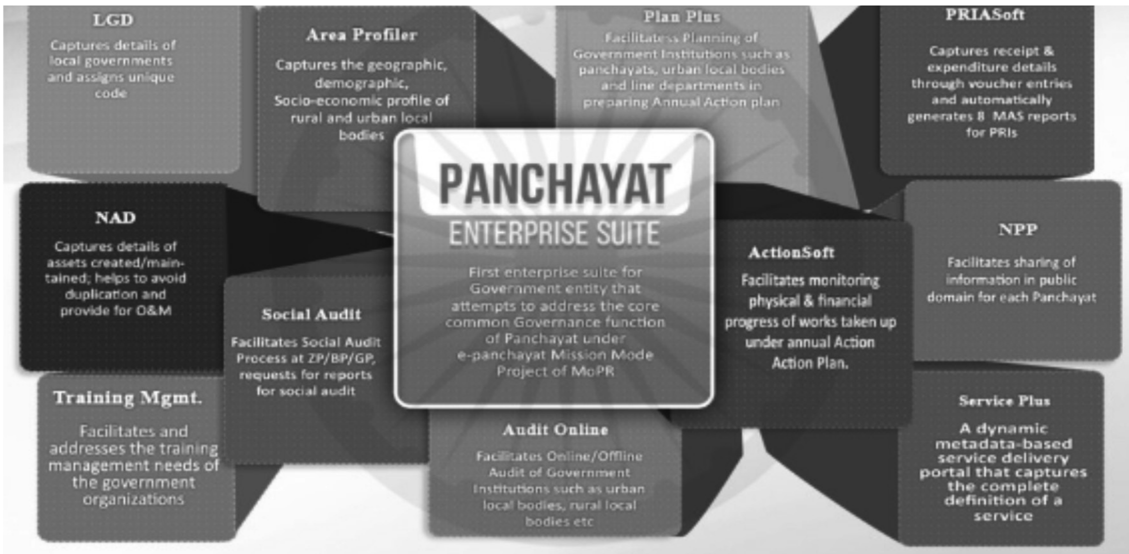


1. स्थानीय सरकार डायरेक्टरी (Local Government Directory)
   http://lgdirectory-gov-in
2. प्लान प्लस (Plan Plus)
   http://planinplanningplanningonline-gov-in
3. एक्शन सॉफ्ट (Action Soft)
   http://reportingreportingonline-gov-in
4. एरिया प्रोफाइलर (Area Profiler)
   http://areaprofiler-gov-in
5. पीआरआईए सॉफ्ट (PRIA Soft )
   http://accountingaccountingonline-gov-in
6. राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (NPP)
   http://panchayatportals-gov-in
7. प्रशिक्षण प्रबंधन (Training Management)
   http://trainingonline-gov-in
8. ऑडिट ऑनलाइन (Audit Online)
   http://auditonline-gov-in
9. सामाजिक लेखा एवं बैठक प्रबंधन (SAMM)
   http://socialaudit-gov-in
10. सर्विस प्लस (Service Plus)
    http://serviceserviceonline-gov-in
11. राष्ट्रीय परिसंपत्ति डायरेक्टरी (NAD)
    http://assetdirectory-gov-in

**ई-ग्राम स्वराज :** ई-ग्राम स्वराज योजना भारत में ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने परियोजनाओं के लिए धन आवंटन और प्रगति रिपोर्टिंग सहित ग्राम पंचायतों के व्यापक कार्य रिकॉर्ड तक डिजिटल पहुँच को सक्षम बनाने के लिए एकल मंच के रूप में e-gramswaraj.gov.in पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक गाँव तक पंचायतों से संबंधित विकास कार्यों की जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध की जाएगी। इस एप्लिकेशन के माध्यम से पंचायतों के कामकाज, जैसे - योजना, बजट, लेखा, संपत्ति, प्रबंधन व ऑनलाइन भुगतान आदि की जानकारी उपलब्ध होगी।[7]

**ई-ग्राम स्वराज** पोर्टल 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय

पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को मोबाइल एप्लिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है।

**ई-पंचायत** मिशन मोड परियोजना (ई-पंचायत एमएमपी) के हिस्से के रूप में विद्यमान अनुप्रयोगों की कार्यक्षमता को एकीकृत करके ई ग्राम स्वराज योजना पोर्टल विकसित किया गया है। विभिन्न राज्यों के अधिकारियों, ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं, पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों से निरंतर फीडबैक के कारण यह एप्लिकेशन लगातार विकसित हो रही है।

**ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन की वास्तु-कला :** ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन को 3 प्रमुख लक्षित उपयोगकर्ता समूहों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है -

1. स्थानीय निकाय :- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय मिलकर इस एप्लिकेशन के प्राथमिक और अंतिम उपयोगकर्ता बनते हैं। ये उपयोगकर्ता क्षेत्र स्तर पर काम करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण, कार्य प्रगति निगरानी, कर्मचारी प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के प्राथमिक संरक्षक हैं।
2. लाइन विभाग :- ये विभाग विभिन्न सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके द्वारा सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के लिए डेटा आधारित योजना एवं निगरानी तथा सेवा वितरण की नींव तैयार की जाती है।
3. नागरिक :- किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों एवं प्रगति के प्रति जागरूक रहे। आसानी से उपलब्ध एवं प्रमाणिक आंकड़ों से सुसज्जित जनता समावेशी निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उच्च-स्तरीय उपयोगकर्ता व्यक्तित्वों को ध्यान में रखते हुए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन को निम्नलिखित 6 मॉड्यूल में बाँटा गया है

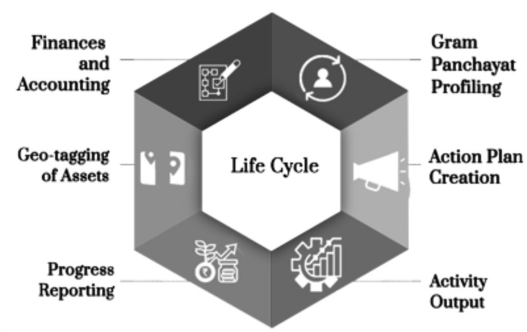


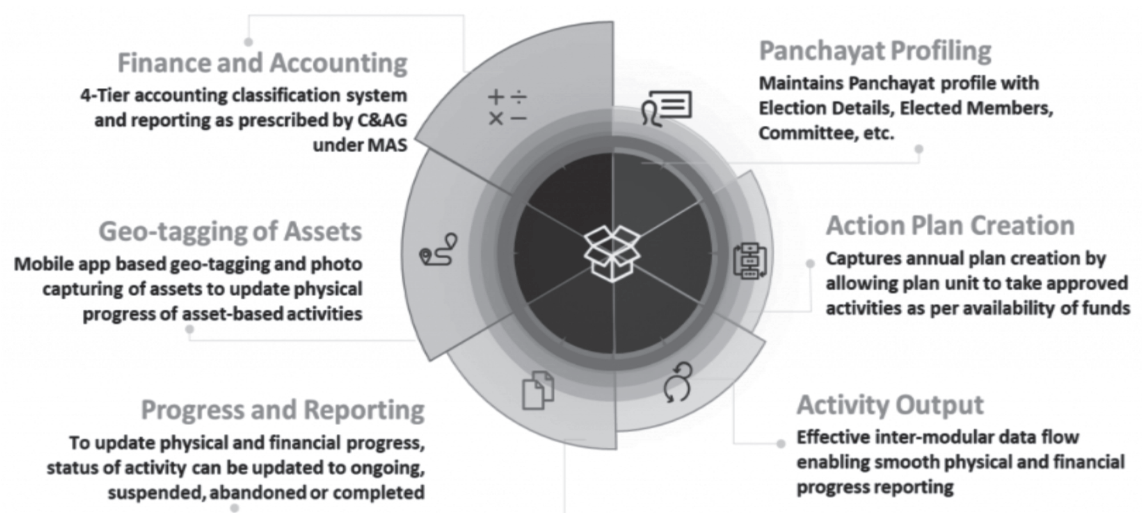

1. **पंचायत प्रोफाइल** :- इस मॉड्यूल में ग्राम पंचायत की सामान्य प्रोफाइल होती है, जिसमें चुनाव विवरण के साथ ही सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों एवं कर्मचारियों का विवरण होता है। यह जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुँचती है।
2. **योजना** :- इस मॉड्यूल में ग्राम सभा की बैठक से संबंधित जानकारी होती है। ग्राम सभा की बैठक में एक निश्चित समयावधि के भीतर किए जाने वाले कार्यों की योजना प्रस्तावित की जाती है। ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृत कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पर एक गतिविधि के रूप में प्रविष्ट किया जाता है, क्योंकि जिला प्रशासन केवल उन्हीं कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है जो बजट आवंटन हेतु ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पर प्रविष्ट किए गए हों। इसमें विशलिस्ट, संसाधन लिफाफा, अभिसरण एवं कार्य योजना आदि सम्मिलित हैं।
3. **प्रगति रिपोर्टिंग** :- यह मॉड्यूल केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं या निधियों की कार्य योजना में सम्मिलित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की सुविधा प्रदान करता है। इसमें तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एवं फण्ड एर्मार्केड आदि सम्मिलित हैं।
4. **लेखांकन** :- यह मॉड्यूल कार्य आधारित लेखांकन और निधियों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह बजट और खातों के उचित नियंत्रण एवं दायित्व सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह मॉड्यूल 4-स्तरीय लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली और रिपोर्टिंग की सुविधा भी देता है।
5. **एसेट डायरेक्टरी** :- यह मॉड्यूल सृजित परिसंपत्तियों की भू-टैगिंग एवं फोटो कैप्चरिंग के समर्थन की सुविधा देता है।
6. **उपयोगकर्ता प्रबंधन** :- यह मॉड्यूल विभिन्न स्तरों पर सिस्टम प्रशासकों को उपयोगकर्ता खातों के प्रबंधन और सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूलों और कार्यात्मकताओं तक उनकी पहुँच की सीमा के साथ-साथ विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल प्रबंधन में सक्षम बनाता है।

**सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव एवं विश्लेषण**

पंचायतों में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के आने से उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षा से अधिक परिवर्तन आया है जिसका ग्रामीण समुदायों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रौद्योगिकी और तकनीकी के आने से ग्रामीण समुदायों के जीवन पर कई सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं -

1. पंचायतों में ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है, साथ ही उनकी दायित्व भी तय हुआ है।
2. विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभाव के कारण पंचायती राज संस्थानों की समस्त जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। आम नागरिकों को अपनी ग्राम सभा अथवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियाँ घर बैठे पता चल रही हैं, जैसे - निर्वाचित प्रतिनिधियों का ब्यौरा (उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी जागरूकता का स्तर, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण आदि), केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आदि।
3. आम नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं, जैसे - आय प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर में परिवार के किसी नए सदस्य के नाम को अंकित करना अथवा किसी नाम को हटाना, मूल अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि प्राप्त करना तथा ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों का विवरण आदि।

**शोधार्थी ने** प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के प्रभाव को स्वयं महसूस किया है। वर्ष 2006 में शोधार्थी ने अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया था। जिसके लिए शोधार्थी ने ग्राम प्रधान, पटवारी दफ्तर और तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाए थे, जिसमें 4 दिन का समय लगा था और उस समय लगभग 800 रुपये खर्च हुए थे। आज वर्ष 2024 में 18 साल बाद शोधार्थी ने अपने नवजात शिशु के नाम को परिवार रजिस्टर में अंकित करवाने के लिए न तो ग्राम प्रधान के घर के चक्कर लगाए और न ही तहसील कार्यालय में समय बर्बाद किया। सीधे जन सेवा केन्द्र में जाकर मात्र 50 रुपये का शुल्क भुगतान करके अपने प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया। इस कार्य में जन सेवा केन्द्र तक जाने, आवेदन करने और जन

सेवा केन्द्र से वापस आने में मात्र 350 रुपये खर्च हुए, जिसमें जन सेवा केन्द्र का 50 रुपये का शुल्क भी सम्मिलित है। साथ ही समय की बचत भी हुई, किसी के सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ा और सारा काम पारदर्शी तरीके से एक घण्टे के अंतराल में सम्पन्न हो गया।

**प्रौद्योगिकी एवं** तकनीकी के प्रयोग से पंचायती राज संस्थानों को जीवंतता मिली है, अब इन संस्थाओं में आधुनिकता के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य निष्पादन की त्वरित गतिशीलता स्पष्ट नजर आती है। आगे चलकर ये संस्थाएं एक नए ग्रामीण भारत को जन्म देंगी।

**उत्तराखण्ड राज्य में ई-सेवाओं से पंचायतों में सुधार एवं सरकार की जनहितकारी अपणि सरकार पोर्टल योजना**

**उत्तराखण्ड राज्य**

**उत्तराखण्ड राज्य** भारतीय गणतंत्र के 27 वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को पृथक करके अस्तित्व में आया था। यह भारत का 11 वाँ हिमालयी राज्य है। राज्य गठन से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक इस राज्य का आधिकारिक नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से इसको उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखण्ड में 13 जनपद हैं। 7 जनपद गढ़वाल मण्डल में और 6 जनपद कुमाऊँ मण्डल के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखण्ड में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ का विधानमण्डल एक सदनीय है अर्थात् इस राज्य में केवल विधानसभा का अस्तित्व है, विधान परिषद यहाँ विद्यमान नहीं है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

**भारतीय राज्य** उत्तराखण्ड में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के नाम से जानी जाती है। उत्तराखण्ड में वर्तमान में 7,485 ग्राम सभाएं, 2,984 क्षेत्र पंचायत वार्ड एवं 356 जिला पंचायत वार्ड विद्यमान हैं।

**उत्तराखण्ड की** राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों की सुविधा हेतु 'अपणि सरकार' पोर्टल योजना शुरू की गई है। इसका प्रारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 17 नवम्बर 2021 को किया गया थी। इस पोर्टल का नाम 'अपणि सरकार' है। इसमें 'अपणि' शब्द उत्तराखण्ड राज्य की पहाड़ी भाषा से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है - हमारी (Our)। अर्थात् 'हमारी सरकार' (Our Government)। इस पोर्टल में पंचायती राज के अलावा 74 अन्य सेवाओं को लॉन्च किया गया है जिससे नागरिक घर बैठे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि आप निरक्षर हैं तो आप अपने निकटवर्ती 'जन सेवा केन्द्र' पर जाकर बहुत कम लागत में सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस पोर्टल को सरकार की इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) तथा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सहयोग से तैयार किया गया है।[8] यह पोर्टल योजना सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जैसे -

1. परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि प्राप्त करना।
2. परिवार का संपादन करना।
3. परिवार रजिस्टर से किसी सदस्य को पृथक करना।
4. परिवार रजिस्टर में नए सदस्य की प्रविष्टि कराना।
5. निजी भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
6. शौचालय प्रमाण पत्र और
7. पेंशन आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना।

**इस पोर्टल** के माध्यम से नागरिक एक क्लिक से अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।उत्तराखण्ड सरकार के अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से पंचायती राज सहित 75 विभागों की सेवाएं घर बैठे नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं। इस पोर्टल पर 427 जन केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध हैं। अपणि सरकार पोर्टल के लॉन्च होने से भ्रष्टाचार में कमी आई है और नागरिक इसका पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ उठा रहे हैं। इस पोर्टल का प्रभाव कई रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है -

**पहला इस** पोर्टल के आने से तहसील कार्यालयों की लंबी-लंबी कतारें समाप्त हो गयी हैं। लोगों के समय की बचत हुई है। अब उनको पहले की तरह घण्टों कार्यालयों

में नहीं रहना पड़ रहा है। जो समय उनका किसी दस्तावेज को बनवाने में खर्च होता था, उस समय का वो दूसरे कार्यों में उपयोग कर रहे हैं।

**दूसरा अधिकारी** और कर्मचारी अधिक उत्तरदायी हुए हैं, क्योंकि उनको एक तय समय सीमा के अंदर अपनी आईडी पर आए किसी भी दस्तावेज की ऑनलाइन आख्या प्रस्तुत करनी होती है। इसमें किसी भी तरह की बहानेबाजी अथवा लाल फीताशाही की कोई संभावना नहीं है।

**तीसरा इससे** भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। काम कराने के बदले में जो अधिकारी या कर्मचारी नागरिकों से रिश्वत लेते थे, ऑनलाइन पोर्टल के आने से उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है।

**निष्कर्ष :** विश्व पटल पर भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है तो हमें भारत के गाँवों को सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि जब तक गाँव सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना करना भी व्यर्थ है और गाँवों को सुदृढ़ तभी किया जा सकता है जब हमारे पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों का डिजिटलीकरण करना आवश्यक है। जब से भारत में ई-पंचायत का प्रारंभ हुआ है, तब से पंचायतों में पारदर्शिता आई है और दायित्व तय हुए हैं। आज हमें कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। हम घर बैठे या निकटवर्ती जन सेवा केंद्र में जाकर बहुत कम समय और बेहद कम लागत में सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जान सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा के अंदर हमारे सभी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। पंचायतों का डिजिटलीकरण होने से भ्रष्टाचार में भी पूरी तरह कमी आई है। अतः हम कह सकते हैं कि पंचायतों को सुदृढ़ करने में विज्ञान और तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है।

## सन्दर्भ


1. शर्मा अविनाश चन्द्र, 'पंचायती राज कार्मिकों के समक्ष ई-शासन के अनुप्रयोग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन', PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, Volume 11, Issue 9, September 2022, PRINT ISSN : 2250-1991, pp. 1-2
2. कुमारी सविता, 'ई-पंचायतों से सशक्त होती पंचायतें', कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2015, पृ. 20-23
3. रानी सुनीता एवं प्रदीप, 'ग्रामीण विकास में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका', Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), March 2019, Volume 6, Issue 3, pp. 2-3
4. Subramanian Harini Bala, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल : वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है, अप्रैल 2022, ऑनलाइन लिंक - https://housing.com/news/hi/e-gram-swaraj-hi/
5. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ई-बुक, पृ. 2-4, ऑनलाइन लिंक - https://online.fliphtml5.com/chapc/tkjx/#p=2
6. Ministry of Electronics &Info Information Technology, GiveGovernment of India, website : https://www.meity.gov.in/content/panchayats
7. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, ई-ग्राम स्वराज, website:- https://panchayat.gov.in/e-gramswaraj/
8. E-Services, Apuni Sarkar, उत्तराखण्ड राज्य वेबसाइट- https://eservices.uk.gov.in/

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# भारत की "पंचामृत" विदेश नीतिः दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में

❑ विभवचन्द्र शर्मा
❖ डॉ. विमल कुमार कश्यप

**सूचक शब्द** : समृद्धि, सुरक्षा, संवाद, सम्मान, सभ्यतागत सम्पर्क, एक्ट ईस्ट नीति, ज्ञानशक्ति (एजुकेशन), रक्षाशक्ति (डिफेन्स)।

प्रस्तुत शोध पत्र को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम भाग में भारतीय विदेश नीति की विकास-गाथा को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। द्वितीय भाग में वर्ष 2014 उपरान्त विदेश नीति में आए सकारात्मक बदलाव स्वरूप 'पंचामृत' अर्थात समृद्धि, सुरक्षा, संवाद, सम्मान, संस्कृति और सभ्यतागत सम्पर्क को स्पष्ट किया गया है। शोध पत्र के तृतीय भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचामृत के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ कर रहा है, जिसको स्पष्ट करते हुए क्रमशः समृद्धि सुरक्षा, संवाद, सम्मान, संस्कृति और सभ्यतागत सम्पर्क के लिए भारत सरकार द्वारा की गयी पहलों का वर्णन किया गया है, और अंतिम भाग में निष्कर्ष लिखा गया है। शोध पत्र मुख्य रूप से गुणात्मक शोध पर आधारित है जिसके लिए द्वितीयक आंकड़ों को प्रयुक्त किया गया है।

**भारतीय विदेश** नीति में 2014 के उपरांत की अवधि दक्षिण पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह क्षेत्र आर्थिक, रणनीतिक और सांकृतिक संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण सामरिक महत्व रखता है जो भौगोलिक निकटता, आर्थिक क्षमता-साझी विरासत और सांस्कृतिक सम्बन्धों के कारण महत्वपूर्ण है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के महत्व को समझते हुए सुदृढ़ साझेदारी बनाने के लिए सक्रिय या स्वोत्प्रेरक नीति के रूप में एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाया। भारत बदलते परिवेश में 'पंचामृत' को भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तम्भों के रूप में स्थापित कर रहा है। अब तक के कालक्रम को संक्षिप्त रूप में भारतीय विकास गाथा के रूप में समझते हैं क्योंकि विदेश नीति, एक निरन्तरता है जो एक सरकार से दूसरी सरकार में स्थानांतरित होती है। समकालीन बौद्धिक और राजनीतिक संवादों से परिलक्षित होता है कि केंद्र में एन.डी.ए. के सत्ता में आने के बाद भारतीय विदेश नीति में समयानुकूल परिवर्तन आया है। मोदी प्रशासन भारत को अल्पतम समय में एक वैश्विक अभिकर्ता के रूप में स्थान दिलाने के लिए कार्य कर रहा है।[1] भारतीय विदेश नीति साहसिक, सक्रिय, अभिनव(इनोवेटिव) और महत्वाकांक्षी है। वर्तमान समय में भारत साहसिक इसलिए है क्योंकि भारत ने देश की अखंडता और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर समझौता न करने वाली दृढ़ता दिखाई है।[2] साथ ही वर्तमान भारतीय विदेश नीति दो प्रमुख सिद्धांतों पर आलम्बित है, जिसमें प्रथम सिद्धांत, राष्ट्र हित सर्वोपरि है जिसके अनुपालन में भारतीय विदेश नीति किसी देश के मोह अथवा दबाव में नहीं बनाई जायेगी। इसी सम्बन्ध में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कहा कि "राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर बनायी जायेगी जिसका परिणाम इस रूप में दिखा कि परस्पर विरोधी देशों के साथ भी भारतीय रिश्ते अच्छे और सुदृढ़ हैं जैसे, अमेरिका और रूस, सऊदी अरब और ईरान, इजराइल और फिलस्तीन। दूसरा प्रमुख सिद्धांत वसुधैव कुटुम्बकम का है, जिसका अर्थ वसुधा एक परिवार है। जब भारत परिवार की बात करता है तो रिश्ते केवल व्यापार से ही नहीं बल्कि प्यार के सम्बन्धों से निर्मित किये जाते हैं।"[3] इस प्रकार अनेक उतार चढ़ाव के साथ भारतीय विदेश नीति विकास गाथा को प्रमुख रूप से 6 चरणों में विभाजित करते हैं।

**शोध समीक्षा**

एस जयशंकर, 'द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड' में, भारतीय विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए पहला चरण, आदर्शवाद, आशावाद और गुट निरपेक्षता का युग रहा है, इसमें स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में शीत युद्ध से अलग भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया और अपनी अखंडता को सुदृढ़ किया। भारत राष्ट्र के रूप में, एशिया और अफ्रीका को एक न्याय संगत, अंतर्राष्ट्रीय

❑ शोध अध्येता राजनीति विज्ञान विभाग, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, (हि. प्र.)
❖ सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, (हि. प्र.)

विश्व व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करना चाहता था और भारतीय विदेश नीति में पंचशील जैसे मानकों को स्थापित करना था। इस काल में कोरिया, विएतनाम, से लेकर हंगरी व स्वेज तक भारत के सक्रिय राजनय को देखा गया। विकास गाथा का द्वितीय चरण यथार्थवाद और पूर्व-स्थिति प्राप्ति का दशक रहा। इस चरण में संसाधनों की अल्पता के साथ भारत ने व्यावहारिक विकल्प को अपनाया। इसी क्रम में 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इस काल क्रम में कश्मीर में घुसपैठ और बाह्य दबाव बढा। यह काल भारत के लिए घरेलू समस्याओं, राजनीतिक अशांति और आर्थिक कठिनाइयों से परिपूर्ण रहा।[4] बढ़ते कालक्रम में विकासगाथा का तीसरा चरण, भारतीय क्षेत्रीय दावेदारी का काल रहा। यह चरण बांग्लादेश के गठन के साथ शुरू हुआ और श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा सेना के प्रयोग के साथ समाप्त हुआ, जिसने प्रभावी रूप से भारत पाकिस्तान समतुल्यता को नष्ट कर दिया। भारत के लिए यह जटिल समय था क्योंकि उस समय 'अमेरिका-चीन-पकिस्तान' की एक धुरी बन रही थी। यह धुरी भारत के भविष्य के लिए गंभीर खतरा थी क्योंकि इस धुरी के दीर्घकालिक परिणाम होने वाले थे। इसके उपरान्त वैश्विक घटनाक्रम में घनिष्ट सहयोगी सोवियत संघ का विघटन और 1991 के आर्थिक संकट जैसे प्रमुख कारणों से भारत को अपनी घरेलू और विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की समीक्षा करनी पड़ी। इसी क्रम में विकासगाथा का चतुर्थ चरण सामरिक स्वायत्तता की खोज का रहा, जिसकी पृष्ठभूमि सोवियत संघ के पतन और एक ध्रुवीय विश्व के उदय के उपरान्त अस्तित्व में आती है। भारत अब अपनी भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संशोधन के साथ दिखाई देता है, अब भारत ने 'लुक ईस्ट नीति' अपनायी जो कि वैश्विक मामलों पर भारत के बदले हुए दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करती है। इस दौरान भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में अपने हितों को ध्यान रखते हुए अमेरिका के साथ अधिक निकटता से जुड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार भारत गियर बदलकर उच्च्य स्तर में जाने तैयार था। इसी क्रम में 1998 में परमाणु परीक्षण के उपरान्त 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के दुस्साहस को सफलतापूर्वक विफल किया गया। भारत ने पर्याप्त आर्थिक विकास में भी स्थान बनाना शुरू कर दिया।[5] इसके उपरान्त विकास गाथा का पांचवा चरण दिखाई देता है, अब भारत ने तीव्रता से शक्ति संतुलन के गुण विकसित किए। इसी समय उदारीकरण को भारत ने अवसर के द्वार (गेट) के रूप में अनुभव किया। इस काल में भारत ने चुनौतियों के समय शक्तियों के साथ सहयोग करने के लाभों को सीखा। इसकी झलक भारत-अमेरिका परमाणु करार और पश्चिम के साथ बेहतर तालमेल में दिखाई पड़ती है। साथ ही भारत ने रूस के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ किया। वहीं दूसरी ओर व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चीन के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। इसके साथ विकास गाथा के छठे चरण के लिए अनेकों घटनाक्रमों की एक श्रृखला दिखाई देती है। चीन ने विश्व में विकास में अपनी रफ्तार पकड़ी और आक्रामक स्थिति में अधिक कठोर होता गया। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर अमेरिका की स्थिति में कमी को देखा गया, अमेरिका की अफगानिस्तान से पीछे हटने की घोषणा और एशिया प्रशांत में बढ़ती उदासीनता ने अलग ही सन्देश दिए हैं। इस काल में 2008 के वित्तीय संकट और उसके बाद के वैश्विक आर्थिक संतुलन के प्रभावों ने भी अपनी छाप छोड़ी, अब विश्व ने शक्तियों के बिखराव से आगे बढ़कर अधिक क्षेत्रीय समीकरण को आकार लेते देखा, जिसमें विश्व बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है।[6]

**30वीं एन्वेर्सरी** कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर में भारत-आसियान देशों के साथ सम्बन्ध प्रचीन काल से विद्यमान हैं। इतिहास साक्षी है कि भारत आसियान के बीच अनेक वर्षों से जीवंत सम्बन्ध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परम्परायें, भाषाएँ, ग्रन्थ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान, हर जगह पर दिखतें हैं। इसीलिए आसियान यूनिटी (एकता) और सेंट्रलटी (केन्द्रीयता) भारत के लिए सदैव प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति भारतीय विदेश नीति में एक आदर्श बदलाव है। भारत अब 'पंचशील' से आगे बढ़ते हुए पंचामृत (पांच अमृत) तक आ चुका है। यह बदलाव 3ब कल्चर, कामर्स, कनेक्टविटी दवारा निर्देशित है। इसे सॉफ्ट पॉवर या सांस्कृतिक राजनय के रूप में भी देखा जाता है।[7] **सिआल, पी**[8] ने मोदीज पालिसी ट्रांजिशन फ्रॉम लुक इस्ट टू एक्ट ईस्टः ए न्यू एनिशियेटिव में स्पष्ट करते हुए बताया भारत ने विदेश नीति के पांच स्तम्भों को लागू किया, जिन्हें पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत शब्द हिन्दू धर्म से लिया गया है जो भोग के लिए अर्पित पांच खाद्य पदार्थों या पंच अमृत के रूप में संदर्भित किया जाता है। बीजेपी द्वारा

पंचामृत पहली बार प्रयोग नहीं किया गया है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 'पंचामृत' का प्रयोग किया था, तब इसका प्रयोग विकास के पांच पथ के रूप में जलशक्ति (वाटर), ऊर्जाशक्ति (इलेक्ट्रिसिटी), ज्ञानशक्ति (एजुकेशन), रक्षाशक्ति (डिफेन्स), जनशक्ति (पीपुल) का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व में भारत की भूमिका सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अप्रैल 2015 के प्रारंभ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक बेंगलुरु में पार्टी महासचिव राम माधव दवारा तैयार किए गए करीब चार हजार शब्दों के एक लम्बे प्रस्ताव के समर्थन के साथ समाप्त हुई।[8]

**भारतीय विदेश नीति के पांच अमृत 'पंचामृत' और दक्षिण पूर्व एशिया**

भारत-आसियान देशों के साथ सम्बन्ध प्राचीन काल से विद्यमान हैं। इतिहास साक्षी है कि भारत आसियान के बीच अनेकों वर्षों से जीवंत सम्बन्ध रहे हैं। इसी लिए आसियान यूनिटी(एकता) और सेंट्रलटी(केन्द्रीयता) भारत के लिए सदैव प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति भारतीय विदेश नीति में एक आदर्श बदलाव है। भारत अब 'पंचशील' से आगे बढ़ते हुए पंचामृत (पांच अमृत) तक आ चुका है। यह बदलाव 3 सी अर्थात् कल्चर, कामर्स, कनेक्टविटी दवारा निर्देशित है। इसे सॉफ्ट पॉवर या सांस्कृतिक राजनय के रूप में भी देखा जाता है। मोदी सरकार ने भारतीय विदेश नीति के पांच स्तम्भों को लागू किया, जिन्हें पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत शब्द हिन्दू धर्म से लिया गया है जो भोग के लिए अर्पित पांच खाद्य पदार्थो या पंच अमृत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका प्रयोग विकास के पांच पथ के रूप में जलशक्ति (वाटर), ऊर्जाशक्ति (इलेक्ट्रिसिटी), ज्ञानशक्ति (एजुकेशन), रक्षाशक्ति (डिफेन्स), जनशक्ति (पीपुल) के लिए किया गया है।

**भारत एक** स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 75वें वर्ष में ऐतिहासिक स्वतत्रंता का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह सिर्फ स्वतंत्रता के 75वें साल का उत्सव नही है, बल्कि यह इस बात का निर्धारण काल है, अगले 25 वर्षों में क्या किया जायेगा जिसके लिए भारत के लोगों में उत्साह और उर्जावान प्रेरणा के रूप में 'अमृत काल' है।[9] इस अमृत काल में, भारतीय विदेश नीति अब अत्यंत नवीनता के साथ दिखाई देती है। इससे पहले परम्परागत रूप से भारत की विदेश नीति को दो महत्वपूर्ण स्तंभों-आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित समझा जाता था। मोदी सरकार द्वारा इसमें तीन स्तम्भ जोड़े गये हैं। जिसके फलस्वरूप भारतीय विदेश नीति 'पंचामृत' के पांच स्तम्भों से निर्देशित है। प्रथम दो स्तम्भ, आर्थिक समृद्धि (समृद्धि) और राष्ट्रीय सुरक्षा (सुरक्षा) वहीं तीसरा स्तम्भ भारत की गरिमा और सम्मान (सम्मान) चौथा स्तम्भ संवाद और पांचवा स्तम्भ संस्कृति और सभ्यतागत जुड़ाव (संस्कृति) को जोड़ा गया है।[10]

**पंचामृत के** प्रथम स्तम्भ 'समृद्धि' से तात्पर्य संपन्नता और आर्थिक जुड़ाव से है। भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत ने समृद्धि के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देश के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति को विकसित किया। आज भारत जी.डी.पी के मामले में पांचवी और पी.पी.पी के रूप में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले दशक में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विकास का प्रमुख इंजन बने रहने की स्थिति में है, क्योंकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स और रासायनिक जैसे विनिर्माण उद्योग और सेवा के क्षेत्र जिनमें बीमा, बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में लगी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां भारत को दीर्घकालिक विकास बाजारों में से एक बना देते हैं।[11] इसी क्रम में आसियान के संवाद भागीदार के रूप में भारत की यात्रा 1990 के दशक से लुक ईस्ट नीति की शुरुआत के साथ प्रारंभ हुई जिसका भौगोलिक परिक्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया से विस्तारित हुआ, जिसमे ओसनिया के साथ-साथ पूर्वी एशिया को भी सम्मिलित किया गया।

**समृद्धि के** अनुपालन में एक्ट ईस्ट नीति विकास दर को दो अंकों तक ले जाने के लिए स्वप्रेरित भारतीय कदम है इसलिए भारत ने परिवर्तन की घोषणा का स्थान भी आसियान को ही चुना। आर्थिक सम्बन्धों के संदर्भ में, व्यापक आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर 2003 में किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2010 में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता और 2018 में व्यापार सेवा समझौता का समर्थन किया गया। इसी के साथ भारत ने पंचामृत के प्रथम स्तम्भ को सुदृढ़ करते हुए 2023 में आसियान भारत व्यापार समझौता (ए.आई.टी.जी.ए) की व्यापक समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है।[12] आज भारत आसियान के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में हैं साथ ही भारत

इस क्षेत्र के शीर्ष 10 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़.डी.आई) के स्रोतों में आसियान के साथ खड़ा है। आसियान भारत मुक्त व्यापार के चलते कोविड महामारी के बावजूद सम्बन्ध गतिशील बने हुए हैं। आसियान भारत के बीच दोतरफा व्यापार 39.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 91.5 अरब अमेरिकी डालर पर पहुंच चुका है।[13] भारत में कुल एफ़. डी.आई प्रवाह 2020 में 0.2 से बढकर 2 बिलियन अमेरिकी डालर पहुच चुका है। वित्तीय वर्ष 21–22 में भारत आसियान व्यापार 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। 2000 तक आसियान से संचयी 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो भारत के कुल निवेश का 22 प्रतिशत है।[14] आज भारत के लिए सरकार और नागरिकों के स्तर पर आसियान 'समृद्धि' के रूप में केंद्र बिंदु बना हुआ है।

**पंचामृत के** द्वितीय स्तम्भ के रूप में 'सुरक्षा' को संदर्भित किया जाता है। सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में संदर्भित किया गया था लेकिन जब विदेश नीति के रूप में देखते हैं तब सुरक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण सुरक्षा को इंगित करता है। भारत सुरक्षा को समग्रता में देखता है, इसी सम्बन्ध में 2018 में दिल्ली संवाद में चर्चा की गयी। जिसमें पारम्परिक और गैर पारम्पारिक सुरक्षा चुनौतियों को सम्मिलित करते हुए समुद्री सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एच.ए.डी.आर (मानवीय सहायता और आपदा राहत) को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भारत सुरक्षा को सामुद्रिक अथवा भौगोलिक सहित अन्य जैसे खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ सुरक्षा को समाहित करता है। इसी क्रम में कोविड महामारी के समय भारत ने एक मिलियन अमेरिकी डालर का योगदान दिया है। भारत ने आसियान के माध्यम से म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में 200,000 अमेरकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा सहायता का योगदान भी दिया है जिसमें क्वाड वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत भारत ने कम्बोडिया को 525000 मेड इन भारत वैक्सीन डोज का योगदान दिया है। इसी के साथ ओपरेशन वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत आसियान के कुछ देशों को वैक्सीन और चिकित्सीय सहायता भारत द्वारा प्रदान की गयी है।[15]

**भारत ने लुक** ईस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति के रूप में परिवर्तन की घोषणा के लिए भी आसियान देश को ही चुना। क्योंकि भारत यह सन्देश भी देना चाहता था कि हिन्द प्रशांत के प्रति आसियान केन्द्रीयता भारत के लिए अहम है।[16] इसी महत्व को समझते हुए मोदी ने 12 मार्च 2015 को भाषण के माध्यम से विदेश नीति में सागर डॉक्ट्रिन सम्मिलित किया। 'सागर डॉक्ट्रिन' महासागरीय क्षेत्र से जुड़े सभी देशों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने की भारतीय पहल थी। दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्जे के प्रयास आसियान देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत सागर नीति के द्वारा चीन के आक्रामक रवैया के बीच संसाधनों के वैश्विक सदुपयोग को बढ़ावा देना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जून 2018 को प्रधानमन्त्री मोदी ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी–ला संवाद में ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें हिन्द प्रशांत क्षेत्र से सम्बन्धित सात सूत्रीय अवधारणा के माध्यम से नियम आधारित व्यवस्था को भारतीय दृष्टि के रूप में विश्व के समक्ष रखा। शांगरी–ला संवाद में भारत ने त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास का उल्लेख किया, जिसके उपरान्त सिटमैक्स के पहले संस्करण की मेजबानी सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी। 2020 में सिगापुर और 2021 थाईलैंड में आयोजित किया गया।[17] 4 नवम्बर 2019 को मोदी ने ईस्ट एशिया सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की घोषणा की। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के इंडो पैसिफिक ओसियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पेसिफिक, इंडो पेसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। इसी क्रम में क्वाड की पहली शिखर वार्ता में मोदी ने कहा कि “हमारा क्वाड एक तरह से 'फ़ोर्स फॉर ग्लोबल गुड' की भूमिका में काम करेगा मुझे विशवास है क्वाड में हमारा सहयोग हिन्द प्रशांत और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।”[18] इसी क्रम में 2022 में पहली बार भारत और मलेशिया के फ़ोर्स ने तीनों अभ्यास आयोजित किए जिनमें संयुक्त नौसेना अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' और 'संयुक्त वायु' अभ्यास 'उदार शक्ति' और सेना का संयुक्त अभ्यास 'हरिओम शक्ति' का आयोजन किया गया है।[19] भारत ने सम्बन्धों को गति प्रदान करते हुए 2023 में आसियान भारत समुद्री अभ्यास (ए.आई.एम.ई) के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आई. एन.एस सतपुडा और आई.एन.एस दिल्ली सिंगापुर भेजे गए हैं। ये जहाज सिंगापुर द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समेलन में भाग लेंगे।[20]

**पंचामृत नीति** के तृतीय स्तम्भ 'सम्मान' से तात्पर्य भारत की गरिमा और सम्मान से है। भारत में भारतीय नागरिक

और भारतवंशी दोनों सम्मिलित हैं। भारत का दायित्व संपूर्ण भारत (नागरिकों और भारतवंशियों) की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में भारतीय विदेश नीति के नीतिगत प्रयास और विभिन्न भारतीय मिशन कार्यरत हैं। इसी सम्बन्ध में सम्मान तत्व का बोध कराते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा कि भारतवंशी दुनिया में राष्ट्रदूत हैं भारतवंशियों के पास भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ भारत के प्रगति की जानकारी भी होनी चाहिए। आज भारत की आवाज, भारत का सन्देश, भारत की कही बात, एक अलग मायने रखती है।[21] भारत को दुनिया में फैले तीन करोड़ बीस लाख प्रवासियों पर गर्व है।[22] भारत ने आसियान देशों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए 2018 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान देशों के प्रमुखों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।[23]

**2019 में** थाईलैंड यात्रा जाने से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि मै थाईलैंड में गतिशील भारतीय समुदाय से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ।[24] इससे भी आगे बढ़कर 2022, इंडोनेशिया में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'हम साझा विरासत और संस्कृति से जुड़े हैं' उसके उपरान्त बाली में संबोधित करते हुए कहा कि 'भारत इंडोनेशिया दोनों सुख दुःख के साथी हैं' और 'भारत इंडोनेशिया का साथ केवल सुख का, नही है, हम दुःख में भी साथ बाँटने वाले हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तीव्रता के साथ आपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। तब "मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नाटिकल मील का फासला भले ही हो, हम 90 नाटिकल मील दूर नहीं हैं, हम 90 नाटिकल मील पास हैं।"[25]

**पंचामृत का** चतुर्थ स्तम्भ 'संवाद' जिसका तात्पर्य अधिक जुड़ाव के साथ संवाद है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संवाद के द्वारा राष्ट्रीय हितों को संवर्धित करने और विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का प्रयास करता है। संवाद के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच विश्वास और समझ सुदृढ़ होते हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ भारतीय नेतृत्व ने संवाद को प्रमुखता प्रदान की, क्योंकि 2014 तक विश्व के मानचित्र पर ऐसे 39 देश थे, जिनमे भारत से मंत्री स्तर की या भारत की तरफ कोई यात्रा ही नही की गयी। इसलिए भारत ने 'संवाद' को बढ़ावा लेते हुए वृहद सम्पर्क योजना को भारतीय राजनय में प्रमुखता प्रदान किया गया। प्रधानमन्त्री, अन्य मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने समकक्षों से मिलने के साथ ही अन्य प्रमुख हितधारकों से अधिक जुड़ाव के साथ संवाद करते हैं। इस प्रकार अब भारत को 'सरकार' से 'सरकार', 'सरकार' से 'व्यवसाय', 'सरकार' से 'नागरिकों', 'सरकार' से 'शिक्षाविदों', 'विद्वानों' और 'प्रवासियों' से बहु-आयामी और बहु-स्तरीय जुड़ाव है, जिसके लिए प्रबुद्ध जनों, नागरिक समाज के लोगों पर्वतरोही, पुरस्कार विजेता इत्यादि के साथ भी लगातार बैठकें की जाती है।[26] साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय का लोक राजनय प्रभाग भी सक्रियता के साथ संवाद को गति प्रदान करता है। इस प्रकार एक बेहतर जुड़ाव वाले भारत-आसियान विकेंद्रीकृत भूमंडलीकरण, लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ स्थिति में होंगे। संवाद से तात्पर्य केवल बातचीत या चर्चा नही है बल्कि नागरिकों से नागरिकों का जुड़ाव भी है। इसी सम्बन्ध में सुषमा स्वराज का यह कथन कि जब देशों के साथ छात्रों का आदान-प्रदान कार्यक्रम होता है तो उन छात्रों में थोड़ा-थोड़ा भारत भी उनके साथ जाता है।[27]

**भारतीय विदेश** नीति के पंचम स्तम्भ 'संस्कृति और सभ्यतागत संपर्क' है। प्रारंभिक विदेश नीति सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क को विदेश नीति के साधन के रूप में प्रयोग करने से बचती थी, क्योंकि नीति निर्मातायों ने यह मान लिया था कि धर्म-निरपेक्ष विदेश नीति में हम संस्कृति को सम्मिलित नही कर सकते हैं। मोदी सरकार ने संस्कृति को विदेश नीति के प्रभावी साधन के रूप में प्रयोग किया। भारत ने समृद्धि और विविध संस्कृति को बढ़ावा देने की इच्छा से 'ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम' को प्रारम्भ किया जो विदेशों में भारतीय लोक कलायों और संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से अन्य देशों में कलायों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे, प्रदर्शनियों, नृत्य, संगीत, थियेटर, फिल्म और खाद्यउत्सवों, योग कार्यक्रमों आदि को प्रदर्शित करने के लिए भारत के त्योहारों का आयोजन किया जाता है।[28] इसी क्रम में कम्बोडिया में जुलाई 2015 में, ता प्रोह्म मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण का पहला और दूसरा चरण आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा पूरा किया गया और तीसरा चरण शुरू किया गया। कम्बोडिया में 21 जून 2015 को पहला अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस वृहद सत्र फोनों पेन्ह रायल पैलेस के सामने सिएम रीप और सिहाणौकविल्ले

में आयोजित किया गया। 2015 में, नागरिकों के मध्य सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के 18 अलग-अलग शहरों में भव्यता के साथ भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी वर्ष भारत सिंगापुर के राजनियक सम्बन्धों के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिंगापुर एशियन सिविलैजेश्नल म्यूजियम में "ट्रेजरी फ्रॉम एशियन ओल्डेस्ट म्यूजियमः बुद्धिस्ट आर्ट फ्रॉम द इंडियन म्यूजियम कोलकाता" नामक विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गयी। भारत महोत्सव का दूसरा संस्करण थाईलैंड की राजकुमारी के 60वें जन्मदिन को समर्पित था। इसी वर्ष वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के युद्ध अवशेष संग्रहालय में शांति और विकास पर एक फोटो प्रदर्शनी भारत और वियतनाम के सहयोग से आयोजित की गयी।[29] सम्बन्धों को निरन्तरता देते हुए 33 वें नो-इंडिया प्रोग्राम (के.आई.पी) के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जिनमे इंडोनेशिया, मलेसिया, सिंगापुर ने प्रतिभाग लिया। इसी वर्ष 9वें स्पेशल कोर्स फॉर आसियान डिप्लोमैट्स के अंतर्गत 19 राजनयिक आसियान देशों से भारत आये। पुरातन संस्कृति को नवीन करने के उदेश्य से इसी वर्ष नालन्दा विश्विद्यालय के निर्माण के लिए थाईलैंड व इंडोनेशिया ने भारत के साथ साझा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन अक्टूबर में किया गया जिसमें इंडोनेशिया ने प्रतिभाग किया। इसी वर्ष सांस्कृतिक सम्बन्धों की सुदृढ़ के लिए भारत इंडोनेशिया के मध्य कल्चरल एक्स्चेंज प्रोग्राम फॉर द ईयर 2015-2018 की संस्तुति की गयी। भारत ने अपने सभ्यतागत सम्बन्धों में बौद्ध धर्म की प्रमुखता को समझते हुए अक्टूबर 2016 में 5वें अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्क्लेव की मेजबानी की थी, जिसमें अधिकाँश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बौद्ध संगठनों और मठों ने भाग लिया। इसी वर्ष आई.सी.सी.आर (भारत) और पी.एस.आर.बी विश्विद्यालय (कम्बोडिया) के संस्कृत और बौद्ध पीठ के निर्माण के लिए साझा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया इसके उपरान्त 14वाँ ग्लोबल इंडिया फेस्टिवल कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रदर्शनी मानी जाती है। इसके उपरान्त भारत द्वारा सम्बन्धों को गति प्रदान करते हुए 2020 में "विदेश में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में प्रवासी भारतीय की भूमिका" नामक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसी क्रम में 21 जून 2020 में स्वामी विवेकानंद केंद्र के द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैलांग खाड़ी पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।[30]

**निष्कर्ष :** पंचामृत भारतीय बहु-आयामी विदेश नीति को गति प्रदान कर रहा है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम् के साथ सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मान रहा है जिसके अनुपालन में भारत दक्षिण पूर्व एशिया में समृद्धि, सुरक्षा से आगे सम्मान, संवाद, और सभ्यतागत सांस्कृतिक जुड़ाव से सम्बन्धों का नवीनीकरण कर रहा है। भारत वर्तमान समय में न केवल दक्षिण प्रशांत अपितु हिन्द प्रशांत में भारतवंशियों के साथ वृहद सॉफ्ट पॉवर संपदा का प्रयोग कर रहा है जिसके माध्यम से आसियान देशों के साथ नागरिकों से नागरिकों (पी टू पी) के मध्य सम्बन्ध बना रहा है। वास्तव में पी टू पी के माध्यम से भौगोलिक सीमायों को लांघते हुए भारत आसियान देशों में पहुँच रहा है। भारत की आसियान में पहुँच को आसियान देशों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में चीन की संदेहास्पद स्थिति व दूसरी ओर भारत की वसुधैव कुटम्बकम की नीति के कारण भारत एक घनिष्ठ सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही भारतीय विदेश नीति एक लम्बे समय से भूमि आधारित रही है। अब भारत ने महासागर केन्द्रित नीति का प्रयोग शुरू किया है। भारत अपनी लुक इस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति के रूप में आगे बढ़ गया है। भारत का मानना है कि 21 शदी की वैश्विक शक्ति हिन्द महासागर क्षेत्र में विद्यमान है। भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी ने विश्व को 21वीं सदी की भू-राजनीति के लिए हिन्द महासागर की केन्द्रीयता और प्रधानता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। अब पश्चिमी देशों ने एशिया-प्रशांत के स्थान पर हिन्द-प्रशांत कहना शुरू किया है। भारत ने पंचामृत का प्रयोग करते हुए अपनी विदेश नीति में हिन्द प्रशांत को प्राथमिकता के रूप में लिया है।

## सन्दर्भ


1. गौरव, बिसारिया, 'द चेंजिंग नेचर ऑफ़ इन्डियन फारेन पालिसी', एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, वाल्यूम 2, जनवरी-फरवरी, 2023 https://www.aidiaasia.org/research-article/the-changing-nature-of-india-s-foreign-policy
2. राम माधव, 'पंचामृत रीसेंट इनोवेशन इन इंडियाज फारेन पालिसी', इंडिया फाउंडेशन, 09 मार्च, 2018https://indiafoundation.in/articles-and-commentaries/panchamrit-recent-innovations-in-indias-foreign-policy/
3. सुषमा स्वराज विशेष व्याख्यान,13,मार्च,2019 https://www.youtube.com/watch?v=Grwvx7HD8lU&t=40।
4. जयशंकर,एस, 'द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड', हार्पर कोलिन्स पब्लिशर, भारत, 2020, पृ. 71
5. वही, पृ. 73
6. वही, पृ. 75
7. 30वीं एन्वेर्सरी कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, सन मीडिया सिंगापुर,2022, पृ.03 https://www.indmissionasean.gov.in/pdf/Final_ASEAN_India_Magazine_SunMedia_Singapore_01012023.pdf
8. सिआल,पी, 'मोदीज पालिसी ट्रांजिशन फ्रॉम लुक इस्ट टू एक्ट ईस्टः ए न्यू एनिशियेटिव', इन्टरनेशनल जर्नल ह्यूमन राईट एंड कांस्टीट्यूशनल स्टडीस, वाल्यूम.5, 2017, पृ. 342
9. वर्मा, एस, 'नरेंद्र मोदीः द गेम चेंजर', न्यू देहली, वितास्ता, 2014, पृ.189
10. हॉल, इन, 'मोदी एंड द रेंवेंशन ऑफ़ इंडियन फॉरेन पालिसी', ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019, पृ.08
11. भारतीय उच्चायुक्त, 30वीं अन्वेर्सरी कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, सन मीडिया सिंगापुर, 2022, पृ. 21 https://www.indmissionasean.gov.in/pdf/Final_ASEAN_India_Magazine_SunMedia_Singapore_01012023.pdf
12. राम माधव, पूर्वोक्त
13. भारतीय उच्चायुक्त, 30वीं अन्वेर्सरी कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, सन मीडिया सिंगापुर, 2022, पृ. 21
14. 30वीं अन्वेर्सरी कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, सन मीडिया सिंगापुर, 2022, पृ. 07
15. आसियान सचिव कथन, आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर मूविंग फारवर्ड टुगेदर,आसियान सचिवालय, पृ.04 https://www.indmissionasean.gov.in/pdf/Final_The_ASEANASEAN_Secretariat_31122022.pdf
16. आसियान सचिव कथन, पूर्वोक्त पृ.04
17. प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, 15,नवम्बर,2020 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1772087
18. संपा, कुंडू, 'आसियान इंडियाः चैलेन्ज इन इकोनोमिक पार्टनरशिप', आई.डी.एस.ए,01, फरवरी, 2018 https://www.idsa.in/idsacomments/asean-india-challenges-in-economic-partnership-skundu-010218
19. प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, गणतंत्र दिवस, 2018 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1517920
20. प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, क्वाड शिखर सम्मलेन में प्रधानमन्त्री का उदघाटन भाषण https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1758374
21. प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस पी.एम मोदी इनवाइटस इंडियन डायस्पोरा इन बाली तो नेस्ट प्रवासी दिवस कन्वेंशन https://newsonair.com/2022/11/15/pm-modi-invites-indian-diaspora-in-bali-to-next-pravasi-bharatiya-diwas-convention/
22. आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर मूविंग फारवर्ड टुगेदर,आसियान सचिवालय, पृष्ठ संख्या 04
23. आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर मूविंग फारवर्ड टुगेदर, आसियान सचिवालय, पृ. 05 https://www.indmissionasean.gov.in/pdf/Final_The_ASEAN-ASEAN_Secretariat_31122022.pdf
24. भारतीय उच्चायुक्त, 30वीं अन्वेर्सरी कमेमरेट् आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, सन मीडिया सिंगापुर, 2022, पृ. 07
25. प्रधानमन्त्री उद्बोधन, ए.एन.आई, https://www.youtube.com/watch?v=cU_n95iGQTI
26. सुषमा स्वराज विशेष व्याख्यान, पूर्वोक्त
27. प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 18, अप्रैल, 2018 https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178772
28. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार https://indiaculture.gov.in/sites/default/files/Schemes/Global_Engagement_Scheme.pdf]
29. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय विदेश मंत्रालय(2016), 2015-2016 https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26525_26525_External_Affairs_English_AR_2015-16_Final_compressed.pdf
30. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (2020), 2020-2021 https://iccr.gov.in/sites/default/files/2022-07/Annual%20Report%202020-21_16082021%20final.pdf

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 26 अंक 1, जनवरी–जून 2024

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

# पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ हरदीप सिंह
❖ डॉ. जगसीर सिंह

प्रस्तुत अध्ययन का लक्ष्य पंजाब के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के बीच कथित तनाव का मूल्यांकन करना है, साथ ही यह स्तर विभिन्न जनसांख्यिकीय चर से कैसे संबंधित हैं। पंजाब के जिला फिरोजपुर के सीमावर्ती गांवों के 150 व्यक्तियों पर यह अध्ययन आधारित है। कथित तनाव के स्तर को निर्धारित करने के लिए कथित तनाव (पीएसएस कोहेल 1987) पैमाने का उपयोग किया गया था। परिणामों से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं में सीमावर्ती क्षेत्र फिरोजपुर में तनाव का निम्न स्तर 94 प्रतिशत था। फिरोजपुर सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षित 150 लोगों में से 34.0 प्रतिशत ने मध्यम स्तर का तनाव बताया, केवल 2.0 प्रतिशत ने उच्च स्तर का तनाव बताया। फिरोजपुर में 94 पुरुष साक्षात्कारकर्ताओं में से 76.60 प्रतिशत ने तनाव के निम्न स्तर की सूचना दी, 20.21 प्रतिशत ने तनाव के मध्यम स्तर का अनुभव किया, और केवल 3.19 प्रतिशत ने तनाव के गंभीर स्तर की सूचना दी। फिरोजपुर में, 56 महिला उत्तरदाता थीं 42.85 प्रतिशत को कम तनाव था, 57.14 प्रतिशत को मध्यम तनाव था, और किसी को भी उच्च तनाव नहीं था। 115 उत्तरदाता विवाहित हैं उनमें से 58.26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कम तनाव अनुभव करने की सूचना दी, 40.0 प्रतिशत ने मध्यम तनाव अनुभव करने की और 1.74 प्रतिशत ने अत्यधिक तनाव अनुभव करने की सूचना दी। 35 उत्तरदाता अविवाहित हैं, जिनमें से 82.86 प्रतिशत निम्न तनाव का अनुभव कर रहे हैं, 14.28 प्रतिशत मध्यम तनाव का अनुभव कर रहे हैं और 2.86 प्रतिशत उच्च तनाव का अनुभव कर रहे हैं।

**सूचक शब्द :** सीमावर्ती भूमि, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति।

**मानव इतिहास** में हमेशा से ही दीवारों के निर्माण की प्रवृत्ति रही है। लोगों को कभी भी स्वयं को दूसरों से अलग दिखाने की आवश्यकता अनुभव हुई है, इस तथ्य को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने परिसरों में सभी प्रकार की बाड़ और किलेबंदी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा सैन्य तनाव अनियंत्रित बड़े पैमाने पर प्रवासन, तस्करी और विद्रोहियों की सीमा पार सैन्यीकरण से भरी हुई है ये सभी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पर लगातार पहरेदारी रखी जाती है। विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील होने के उपरांत भी भारत-पाकिस्तान सीमा रेखा पर सीमावर्ती समुदाय सबसे अधिक दुर्व्यवहार किए जाने वाले समाजों में से एक हैं। चूँकि इन संघर्ष क्षेत्रों में तनाव और अस्थिरता सामान्य है इसलिए सीमावर्ती जनसंख्या के मानसिक स्वास्थ्य तनाव को कम करके आंका गया है। विद्वानों ने दावा किया है कि सामाजिक उथल-पुथल व्यक्तिगत और शारीरिक गड़बड़ी से जुड़ती है जो जटिल प्रकार के मानसिक अलगाव में बदल सकती है जैसा कि विवादित समुदायों में कुछ युवाओं में देखा गया है।[1] पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा पर ऐसी हिंसक स्थितियाँ सामान्य हैं। परिणामस्वरूप यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि उनके सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।

**वैचारिक ढांचा :** मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी धारणा है जो किसी व्यक्ति के सकारात्मक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की स्थिति के रूप में जाना जाता है जिससे लोग अपनी अंतर्निहित क्षमता को समझते हैं दैनिक परेशानियों से निपट सकते हैं, सफलतापूर्वक और फलदायी रूप से काम कर सकते हैं और अपने समुदाय की सेवा प्रदान करने में सक्षम होते हैं।[2] यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि व्यक्ति के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच सुदृढ़ संबंध है।

❑ शोध अध्येता समाजशास्त्र विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (पंजाब)
❖ सहायक आचार्य समाजशास्त्र, बेबे नानकी यूनिवर्सिटी कॉलेज, कपूरथला (पंजाब)

**दुनिया में** परिवर्तन की गति आश्चर्यजनक है और तनाव हर किसी को और हर व्यवसाय को प्रभावित करता है चाहे वह घर, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान या कोई अन्य सामाजिक या आर्थिक प्रयास हो। तनाव एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो सामान्य स्वरूप में लोगों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत से जुड़ी होती है। यह दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और हमेशा एक बुरी चीज नहीं है। हालाँकि, यह स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक संकट कारक बन सकता हैं, जब इसे अपेक्षाओं की अधिकता और किसी व्यक्ति की उन्हें संतुष्ट करने की क्षमता के बीच असंतुलन के रूप में देखा जाता है। जब तनाव अनियंत्रित और कुप्रबंधित हो जाता है तो यह प्रदर्शन को बाधित करता है और जीव के कल्याण, स्वास्थ्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर प्रभाव डालता है।[3] ''तनाव एक जीव के भीतर अनुकूलन की मांग के उत्तर में एक गतिशील स्थिति है।''[4] इष्टतम तनाव स्तर को बनाए रखना सामान्य और स्वस्थ है।

**जैविक और** मानव विज्ञान में तनाव एक मानसिक स्थिति है। जब किसी की कठिन परिस्थिति से निपटने की क्षमता पर्याप्त नहीं होती तो वह असहज और तनावग्रस्त अनुभव करता है। जब सीमा पार हो जाती है, तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। लंबे समय तक उच्च स्तर के तनाव में रहना और उसे संभालने में लगातार असमर्थता किसी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सीमा को एक भू-राजनीतिक चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो देशों को एक दूसरे से अलग करता है।[5] सीमा पर चल रहे संघर्षों, अपने जीवन के लिए भय और बार-बार पलायन के कारण सीमावर्ती लोग स्थिर अस्तित्व में रहने में असमर्थ हैं। इससे समुदाय का मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भारतीय सीमाओं को इस आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है कि वे कितनी असुरक्षित हैं और वे कैसे खींची गई हैं। भारतीय सीमाओं का वर्गीकरण इतिहास, संस्कृति और धर्म से काफी प्रभावित था। पहली श्रेणी सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों, जैसे कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की सीमाओं के कारण अलगाव आंदोलनों के परिणामस्वरूप हुई। दूसरा आपसी घुसपैठ के परिणामस्वरूप बनाया गया था, जो भारत-चीनी सीमाओं पर स्थिति और अधिकार के लिए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ भारतीय सीमा औपनिवेशिक काल के तीसरे अवशेषों में से एक है।[6] पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा तीन प्रकार की है, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय सीमा (210 किमी), नियंत्रण रेखा (778 किमी) और वास्तविक धरातली स्थिति रेखा (110 किमी)। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिकतर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के परिणामस्वरूप चल रही उथल-पुथल और संघर्ष का अनुभव करते हैं। इन संघर्षों में अक्सर कम तीव्रता वाली लड़ाई, गोलाबारी, सीमा पार से घुसपैठ और सैन्यीकरण की विशेषता होती है। भारत सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है, जो गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। संदर्भित कार्यक्रम संभवतः एक सरकारी पहल है जो 1987 से चल रही है। इस कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि समय के साथ बढ़ी है, अकेले वर्ष 2018-19 में 658 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। कार्यक्रम आरंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर केंद्रित था जिसे बाद में अतिरिक्त सीमा क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया गया था। हालांकि, विकास कार्यक्रम ने सीमावर्ती क्षेत्रों को आवश्यक आधारभूत ढाँचे से संतृप्त करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देना जारी रखा है। नीति आयोग के 2015 में प्रकाशित 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर एक मूल्यांकन अध्ययन' के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र को कुल निधि व्यय का केवल 4 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जिसमें मोबाइल डिस्पेंसरी, दंत चिकित्सा क्लीनिक, रक्त बैंक और पशु चिकित्सा सहायता सुविधाएं स्थापित करना, साथ ही आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दाइयों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान करना, माँ और बच्चे की देखभाल पर कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना और नेत्र जांच शिविर आयोजित करना सम्मिलित था। सरकार ने अपने कार्यक्रमों में सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य घटकों को सम्मिलित करने का कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि आज यह एक शर्त है। इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीमावर्ती लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।

## साहित्य समीक्षा

**मैकियास एवं अन्य**[7] ने यूएस-मेक्सिको सीमा से लगभग 140 मील दूर दक्षिण लॉस एंजिल्स काउंटी में आयोजित एक स्वास्थ्य मेले में व्यक्तियों की जांच की। सर्वेक्षण से पता चला है कि 14 प्रतिशत प्रतिभागियों ने चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष सीमा पार की थी। 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सीमा पार देखभाल मांगने का सबसे सामान्य कारण चिकित्सा देखभाल की कम लागत थी, जबकि लगभग अस्सी प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे बीमा द्वारा कवर नहीं थे। 28 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने मेक्सिको में दवाएँ खरीदी हैं। सबसे आम तौर पर बताई जाने वाली दवाएँ एंटीबायोटिक्स और दर्दनिवारक थीं। यह शोध दर्शाता है कि कैसे गरीबों और बिना बीमा वाले लोगों को अपनी सबसे जरूरी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए कम कीमत वाले चिकित्सा उपचार और दवाओं तक पहुंचने के लिए मैक्सिको जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके उपरांत भी खर्च, असुविधा, स्वास्थ्य देखभाल की ऊंची लागत और बीमा का अभाव इसका कारण है।

**शोल्टे एवं अन्य**[8] ने दर्दनाक घटनाओं के संपर्क की सीमा की गणना की, पोस्टट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी), अवसाद और चिंता के संकेतों और लक्षणों की व्यापकता का अनुमान लगाया। मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के लिए भावनात्मक सहायता और खतरे के चर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की पहचान और मूल्यांकन किया। उन्होंने निर्धारित किया कि अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के इस सर्वेक्षण में कई दर्दनाक अनुभवों के साथ-साथ अवसाद, चिंता और पीटीएसडी के लक्षणों का सामना करने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान सामुदायिक और प्राथमिक देखभाल दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए।

**सूद, बख्शी और देवी**[9] ने भारत के जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अध्ययन किया। अध्ययन में किशोरों के कथित तनाव, लचीलेपन और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। शोध में इन विशेषताओं के बीच संबंध की जांच करने का भी प्रयास किया गया। वास्तविक सीमा के पांच किलोमीटर के अंदर स्थित समुदायों से 13 से 18 वर्ष की आयु के 100 किशोरों का एक यादृच्छिक नमूना भर्ती किया गया था। अध्ययन से पता चला कि उच्च स्तर के लचीलेपन वाले किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कम थीं और उन्होंने मनोवैज्ञानिक कल्याण, भावनात्मक संबंधों और समग्र रूप से अच्छे प्रभाव में सुधार की सूचना दी। शोधकर्ताओं के अनुसार यह इस बात का सूचक था कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा में लचीलापन किस प्रकार भूमिका निभाता है।

**कॉन्स**[10] ने अपनी पुस्तक 'भारत-बांग्लादेश सीमा पर संवेदनशील अंतरिक्ष खंडित क्षेत्र' में तर्क दिया है कि भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ क्षेत्र आज दक्षिण एशिया में क्षेत्र निर्माण पर पुनर्विचार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सेंसिटिव स्पेस परिक्षेत्रों, नियंत्रण रेखाओं, सीमित क्षेत्रों, ग्रे स्पेस और अन्य भौगोलिक विचलनों का अध्ययन करने के लिए पाठ प्रदान करता है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि, समुदाय और संबद्धता की बार-बार होने वाली उलझनों को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह दक्षिण एशिया और उससे आगे के क्षेत्र पर पुनर्विचार करने के लिए संप्रभुता और पहचान की धारणाओं से परे देखने की रणनीतियों का भी सुझाव देता है।

**लिंडा, एम. आर.**[11] ने उन बच्चों का मूल्यांकन किया जो सीमा पर अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं। विषाक्त तनाव से संघर्ष करते हैं और इनमें से कुछ बच्चों को अपने जीवन के शेष वर्षों में काफी हानि और जब बच्चे लंबे समय तक तनाव के अधीन रहते हैं और आघात के कारण उनका विकासशील मस्तिष्क बहुत उन्नत स्थिति में रहता है और अंततः इस तीव्र तनाव और आघात के बार-बार संपर्क में आने से उनका भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक प्रदर्शन बदल जाता है।

**शेवानी, के. एवं अन्य**[12] ने सीमा क्षेत्र में रहने वाले और गोलाबारी के कारण अस्थायी रूप से विस्थापित हुए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया और पाया कि गोलीबारी से स्कूलों के कामकाज में बाधा आती है और बड़ी सुरक्षा चिंता के परिणामस्वरूप लोग विस्थापित होते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि स्कूल की अव्यवस्था और विस्थापन दोनों ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

**सूर्या, वी.के., एस.सी. साहेब**[13] ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दो दशकों में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर हिंसा का सीमावर्ती निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। युद्धविराम उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य विकारों में वृद्धि हुई है। लोग भय, चिंता, घबराहट और तनाव अनुभव करते हैं जो पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और महत्वपूर्ण सामाजिक-व्यावसायिक हानि जैसे दीर्घकालिक परिणामों में विकसित हो सकते हैं। शोधकर्ता ने सीमा क्षेत्र और गैर-सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच अवसाद के स्तर के अंतर का पता लगाया। कश्मीर के सीमावर्ती जिलों बारामूला और कुपवाड़ा में अवसाद क्रमशः 51 प्रतिशत और 58 प्रतिशत प्रविष्ट किया गया। गांदरबल, श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा जैसे गैर-सीमावर्ती जिलों ने कम आवृत्ति का संकेत दिया जो 28 से 38 प्रतिशत तक थी।

**उरूज, यू.एन., निघाट, बी.**[14] ने स्कूली बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के प्रभाव को तीन क्षेत्रों में परिभाषित किया। (ए) खराब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, (बी) रिश्तों और अपनेपन की कमी, और (सी) यह अनुभव करना कि जीवन निरर्थक और उद्देश्यहीन है। शोधकर्ता ने कहा कि सीमाएँ लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। वे प्रतिबंधों और कमियों के कारण शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं। संघर्ष बढ़ने का संबंध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कमी से है। डर बच्चों सहित सभी को प्रभावित करता है। उन्हें बुरे सपने और बेचैनी करने वाली रातें आती हैं। वे सतत भय में रहते हैं। जब बच्चे अपने माता-पिता और अन्य महत्वपूर्ण वयस्कों को संघर्ष करते हुए देखते हैं, तो उनकी शारीरिक और भावनात्मक उत्तमता कम हो जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्तरदाताओं को नींद में कठिनाई का अनुभव होता है। सीमा पार से गोलीबारी के कारण उन्हें सोने में कठिनाई हो रही थी। घटना की यादों का अनुभव करना और दोबारा आक्रमण होने के डर से नींद संबंधी विकार हो जाते हैं या तो उन्हें नींद नहीं आयी या आधी रात में जाग गए और फिर सो नहीं पाते। संघर्ष के कारण किसी समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना कठिन हो सकता है। वे समाज के साथ कम एकीकृत अनुभव करते हैं। किशोर घर पर अकेले समय बिताते हैं, सामाजिक संपर्कों से बचते हैं, पड़ोसियों से मिलने से बचते हैं, और तेज आवाज से आसानी से डर जाते हैं।

**अध्ययन का उद्देश्य**

1. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करना
2. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना

**शोध पद्धति** : प्रस्तुत अध्ययन पंजाब राज्य में आयोजित किया गया था। राज्य के अंदर छह जिले भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित हैं- फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर। इन छह सीमावर्ती जिलों में से एक सीमावर्ती जिले फिरोजपुर को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। फिरोजपुर जिले में तीन सीमावर्ती ब्लॉक (फिरोजपुर, ममदोट, गुरुहरसहाय) हैं। सीमा के 0 से 2 कि.मी के दायरे में आने वाले प्रत्येक सीमा ब्लॉक से दो गांवों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था उनमें से 150 उत्तरदाताओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया। ऐसे चयनित नमूने के लिए व्यवस्थित यादृच्छिक निदर्शन तकनीक का उपयोग किया गया, जो पूरी जनसंख्या की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है।

**मानकीकृत उपकरण**

**अनुमानित तनाव स्केल** (पीएसएस) प्रतिशत पीएसएस एक 10-आइटम स्केल है जिसका उपयोग कथित तनाव के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसे पांच-बिंदु लिकर्ट स्केल पर स्कोर किया जाता है। पीएसएस स्कोर की गणना सभी आइटमों के औसत को जोड़कर की जाती है, आइटम 4, 5, 7, और 8 को रिवर्स कोडित किया जाता है क्योंकि वे अनुकूल रूप से बताए गए हैं। व्यक्तिगत स्कोर शून्य से चालीस तक होते हैं। 0 से 13 तक के स्कोर में कम तनाव, 14 से 26 तक मध्यम तनाव स्तर और 27 से 40 तक उच्च तनाव होता है। पीएसएस की पहचान सुदृढ़ विश्वसनीयता और आंतरिक स्थिरता के लिए की गई थी जिसमें अंग्रेजी संस्करण कोहेन, 1988 के लिए क्रोनबैक अल्फा मान 0.85 और हिंदी संस्करण पंगटेई एट अल. 2022 के लिए 0.73 था।[15]

**विश्लेषण** : अधिकांश उत्तरदाताओं (94) का सीमावर्ती क्षेत्र फिरोजपुर में तनाव का स्तर निम्न है। फिरोजपुर सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षण किए गए 150 लोगों में से 34 ने मध्यम स्तर का तनाव अनुभव किया और फिरोजपुर

सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षण किए गए लोगों में से केवल 3 (2.0) ने उच्च स्तर का तनाव अनुभव किया।

**उत्तरदाताओं की आयु और तनाव का स्तर-** 26 उत्तरदाताओं की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच है, इस आयु वर्ग में 22 (84.62 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 4 (15.38 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं। 50 उत्तरदाता 28 से 37 वर्ष की आयु के बीच हैं, इस आयु समूह में 41 (82.0 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 8 (16.00 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं, 1 (2.0 प्रतिशत) उत्तरदाता उच्च स्तर के तनाव में हैं। 46 उत्तरदाता 38 से 47 वर्ष की आयु के बीच हैं, इस आयु वर्ग में 26 (56.52 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 20 (43.48 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं और कोई भी उत्तरदाता उच्च स्तर के तनाव में नहीं है। 18 उत्तरदाता 48 से 57 वर्ष की आयु के बीच हैं, इस आयु समूह में 4 (22.22 प्रतिशत) उत्तरदाता कम तनाव में हैं, 13 (72.22 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं और 1 (5.56) उत्तरदाता उच्च तनाव में हैं। 7 उत्तरदाता 58 से 67 वर्ष की आयु के बीच हैं, इस आयु समूह में 3 (42.86 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 4 (57. 14 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं। 3 उत्तरदाता 67 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इस आयु वर्ग में कोई भी उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में नहीं है, 2 (66.67 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं और 1 (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाता उच्च स्तर के तनाव में हैं।

**उत्तरदाताओं का लिंग और तनाव स्तर**-फिरोजपुर में 94 पुरुष साक्षात्कारकर्ताओं में से 72 (76.60 प्रतिशत) ने संकेत दिया कि उनमें तनाव का स्तर कम है, 19 (20. 21 प्रतिशत) मध्यम स्तर के तनाव का सामना कर रहे हैं, और केवल 3 (3.19 प्रतिशत) उत्तरदाता उच्च स्तर के तनाव का अनुभव कर रहे हैं। फिरोजपुर में, 56 महिला उत्तरदाता थीं 24 (42.85 प्रतिशत) में तनाव का स्तर निम्न था, 32 (57.14 प्रतिशत) में मध्यम स्तर था, और किसी भी महिला उत्तरदाता में तनाव का स्तर उच्च नहीं था।

**उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति और तनाव का स्तर-** इन उत्तरदाताओं में से 115 उत्तरदाता विवाहित हैं, 67 (58.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को निम्न स्तर का तनाव, 46 (40.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को मध्यम स्तर का तनाव और 2 (1.74 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को उच्च स्तर का तनाव अनुभव होता है। फिरोजपुर सीमा क्षेत्र के 35 उत्तरदाता अविवाहित हैं जिनमें से 29 (82.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को निम्न स्तर का तनाव, 5 (14. 28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को मध्यम स्तर का तनाव और 1 (2.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को उच्च स्तर का तनाव अनुभव होता है।

**उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता और तनाव का स्तर-** 76 उत्तरदाता निरक्षर हैं, 34 (44.74 प्रतिशत) ने निम्न स्तर का तनाव, 40 (52.63 प्रतिशत) ने मध्यम स्तर का तनाव, 2 (2.63 प्रतिशत) ने उच्च स्तर का तनाव होने की बात कही है। उत्तरदाताओं में से 20 प्राथमिक शिक्षित हैं, 15 (75.0 प्रतिशत) ने निम्न स्तर का तनाव, 4 (20.0 प्रतिशत) ने मध्यम स्तर का तनाव, 1 (5.0 प्रतिशत) ने उच्च स्तर का तनाव होने की बात कही है। 15 उत्तरदाता मध्यम स्तर के शिक्षित हैं, 13 (86.67 प्रतिशत) ने निम्न स्तर का तनाव होने की बात कही है, 2 (13.33 प्रतिशत) ने मध्यम स्तर का तनाव होने की बात कही है। उत्तरदाताओं में से 16 माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण हैं, 15 (93.75 प्रतिशत) ने निम्न स्तर का तनाव होने की बात कही है, 1 (6.25 प्रतिशत) ने मध्यम स्तर का तनाव होने की बात कही है। केवल 1 उत्तरदाता डिप्लोमा धारक है और वह निम्न स्तर का तनाव व्यक्त करता है। उत्तरदाताओं में से 5 स्नातक हैं, 4 (80.0 प्रतिशत) ने निम्न स्तर का तनाव होने की बात कही है जबकि 1 (20.0 प्रतिशत) ने मध्यम स्तर का तनाव होने की बात कही है। 1 उत्तरदाता स्नातकोत्तर है और मध्यम स्तर का तनाव महसूस करता है। 2 उत्तरदाताओं में से बी.एड धारक हैं और दोनों में तनाव का स्तर कम है।

**उत्तरदाताओं की जाति/श्रेणी और तनाव का स्तर** - 2 उत्तरदाता सामान्य जाति से हैं और दोनों उत्तरदाता कम तनाव में हैं। 5 उत्तरदाताओं में से पिछड़े वर्ग के हैं, 3 (60.0 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 2 (40.0 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं। 143 उत्तरदाता अनुसूचित जाति के हैं, 91 (63.64 प्रतिशत) उत्तरदाता निम्न स्तर के तनाव में हैं, 49 (34. 27 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम स्तर के तनाव में हैं, 3 (2.09 प्रतिशत) उत्तरदाता उच्च स्तर के तनाव में हैं।

**निष्कर्ष :** 18-27 और 28-37 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं ने 38- 47, 48- 57 और 67 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की तुलना में कम तनाव का अनुभव किया। परिणाम से पता चलता है कि अधिक उम्र होने पर तनाव का स्तर बढ़ सकता है। शोधकर्ता के अवलोकन के आधार पर, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अपना पूरा दिन रोजी-रोटी के लिए बिताना और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जैसे कई स्तरों के अभावों का सामना करना पड़ता है।

**पुरुष और** महिला में तनाव का स्तर भी अलग-अलग है, महिला उत्तरदाताओं को पुरुष उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक तनावग्रस्त पाया गया है।

**विवाहित और** अविवाहित उत्तरदाताओं में तनाव का स्तर अलग-अलग है। विवाहित उत्तरदाताओं की तुलना में अविवाहित उत्तरदाताओं में तनाव का स्तर अधिक था ।

**माध्यमिक,** वरिष्ठ माध्यमिक या अधिक योग्य उत्तरदाताओं की तुलना में अशिक्षित और मध्यम स्तर से कम योग्यता वाले उत्तरदाताओं में तनाव का स्तर अधिक है। परिणाम बताते हैं कि उच्च योग्यता स्तर लोगों को उनके तनाव के स्तर से निपटने में सहायता करता है।

**निचली जाति** के उत्तरदाताओं में उच्च जाति के उत्तरदाताओं की तुलना में तनाव का स्तर अधिक है ।

## सन्दर्भ


1. Martín-Baró, I., 'Political Violence and War as Causes of Psychosocial Trauma in El Salvador'. International Journal of Mental Health. 18:1. 3-20, 1989.
2. World Health Organization 2014. https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/.
3. Pestonjee, D. M., 'Stress and Coping: The Indian Experience'. New Delhi: Sage, 1999 pp. 121-123
4. Wolff., 'Strategic business management and banking', Deep and Deep Publications,1968. p. 86
5. Caflisch, L., 'A Typology of Border. International Symposium on land and river boundary demarcation and maintenance in support of borderland development', Bankok, 2006. https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/conferences/thailand/caflisch.pdf
6. Saddiki, S., 'Border Fencing In India: Between Colonial Legacy And Changing Security Challenges'. International Journal of Arts & Sciences pp.111–124
7. Macias, E. P., & Morales, L. S., 'Crossing the border for health care', Journal of Health care for the Poor and Underserved, 12(1), 2001, pp. 77-87
8. Scholte, W. F., Olff, M., Ventevogel, P., de Vries, G. J., Jansveld, E., Cardozo, B. L., & Crawford, C. A. G. 'Mental health symptoms following war and repression in eastern Afghanistan'. Jama, 292(5), 2004, 585-593.
9. Sood, S., Bakhshi, A., & Devi, P. 'An Assessment of Perceived Stress, Resilience and Mental Health of Adolescents Living in Border Areas. International Journal of Scientific and Research Publications. p. 3,1.
10. Cons, J. 'Sensitive Space: Fragmented Territory at the India–Bangladesh Border', Seattle: University of Washington Press, 2016.
11. Linda, M. R. 'Children Separated From Families at Border Need Trauma-Informed Care', Says APA President. Psychiatric news, 2019.
12. Shewani, K., Nelofar, A., Rohini, D., Hilal, A.D., Sukanya, D. (2022) Border Dispute and its Impact on Mental Health among Students: A Sociological Study. Res Military European journal of military studies, 2022.
13. Surya, V. K., Saheb, S. C. 'Mental Health on the line of control', Carnegie India. 2023. https://carnegieindia.org/2023/02/20/mental-health-on-line-of-control-pub-89058#:~:text=The%20violence%20on%20the%20Line,resources%20in%20the%20border%20areas
14. Urooj, U. N., Nighat, B. 'Influence of Border Shelling on the Mental Health and Academic Pursuits of Students Living near Actual Line of Control: An Exploratory Study', Inspa journal of applied and school psychology, 2, 2023, 192-201. https://ijasp.in/2023/05/04/192-201/
15. Cohen, Sholdon, 'Percived Stress Scale (PSS-10)', Mind Garden Pubication, 1994, mindgarden.com